



सत्यमेव जयते

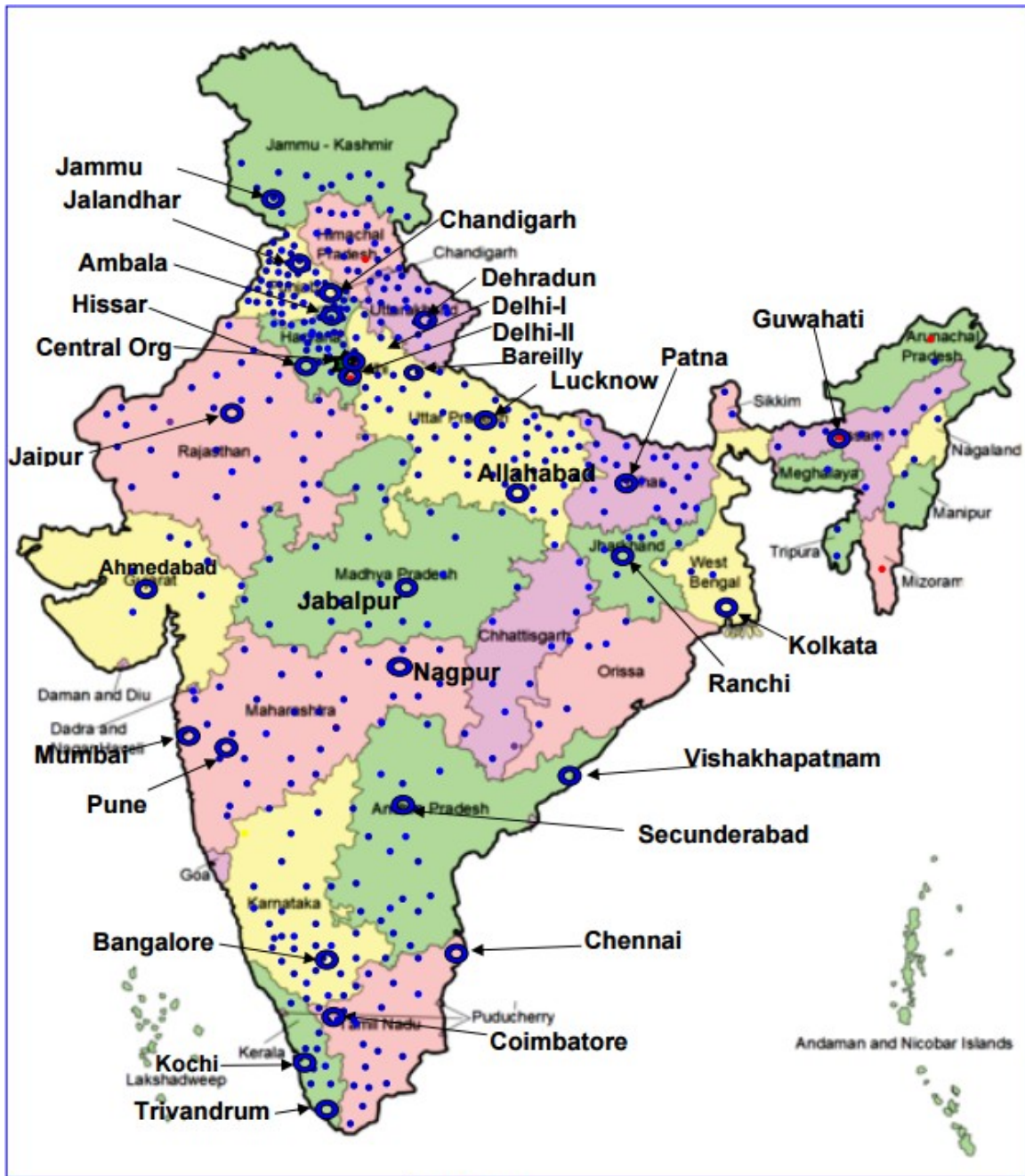
एक्स-सर्विसमैन केंद्रीय हेल्थ स्कीम (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना)



सरकारी पत्रों का संग्रह
30 दिसंबर 2002 से 31 मार्च 2021



ईसीएचएस (ECHS) नेटवर्क



LEGEND

★	Central Organisation, ECHS
●	Functional Regional Centres
•	Functional Polyclinics
•	Polyclinics Awaiting Operationalisation

Helpline No. Call 1800 114 115



ईसीएचएस (ECHS): देखभाल में सादगी



1. एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS) अप्रैल 2003 में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सशस्त्र बलों और सिविल/सरकारी अस्पतालों के मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम की कल्पना करना, योजना बनाना और इसे क्रियान्वित करना एक बहुत बड़ा कार्य था।
2. इस योजना ने आज तेजी से विश्वसनीयता हासिल की है। इसने पिछले 19 वर्षों में 13 क्षेत्रीय केंद्रों व 227 पॉलीक्लिनिकों से 30 क्षेत्रीय केंद्रों व 433 पॉलीक्लिनिकों में लगभग 55 लाख के कुल लाभार्थी आधार के साथ अभूतपूर्व प्रगति की है। इस योजना का विस्तार नेपाल के गोरखा अधिवासों तक भी किया गया है।
3. यह योजना अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए बड़ी संख्या में एजेंसियों पर निर्भर है, जिनमें पीएससीडीए, (PsCDA), डीजी (DG) रक्षा संपदा और पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाओं के अलावा, तीनों सेवाओं की कमान संरचना, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएं, ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक, क्षेत्रीय केंद्र और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) शामिल हैं। इस संगठन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, समय-समय पर बड़ी संख्या में नीतियों और नियमों को जारी किया जाता है। इसलिए, यह जरूरी है कि सभी संबंधित अधिकारियों को ईसीएचएस (ECHS) के कामकाज को नियंत्रित करने वाली नीतियों के बारे में हर समय अपडेट रखा जाए।
4. उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 'ईसीएचएस (ECHS) पर सरकारी पत्रों का संग्रह' के संशोधित और अपडेट किये गए संस्करण को डिजिटल रूप दिया गया है और इसे पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया गया है। इससे सभी स्तरों पर अधिकारियों को ईसीएचएस (ECHS) की बारीकियों को अधिक स्पष्ट और व्यापक तरीके से समझने में आसानी होगी। ईसीएचएस (ECHS) की स्थापना के समय से ही सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न संशोधनों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ईसीएचएस (ECHS) वेबसाइट यानी <https://echhs.gov.in> पर लॉग इन करके सारांश को अब कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर आसानी से देखा जा सकता है। पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया गया सारांश उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसमें महत्वपूर्ण अक्षरों की हाइपरलिंकिंग, लुकअप फ़ंक्शन के माध्यम से इंटरनेट सर्च और फुल सर्च ऑप्शन जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

जय हिन्द !!

स्टेशन: नई दिल्ली

दिनांक: 07 फरवरी 2022

(एनआर इंदुरकर)

मेजर जनरल

एमडी (MD) ईसीएचएस (ECHS)

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर)

ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों/पत्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ईसीएचएस (ECHS) संग्रह का हिंदी संस्करण अपलोड किया गया है। ईसीएचएस संग्रह के हिंदी संस्करण का संदर्भ किसी भी कानूनी या अन्य उद्देश्यों के लिए एक अधिकार के रूप में इस्तेमाल या उद्धृत (कोट) नहीं किया जाएगा। यहां इस बात पर जोर दिया गया है कि ईसीएचएस संग्रह 2022 (अंग्रेजी संस्करण) को किसी भी कानूनी मामलों के लिए एक अधिकार के रूप में माना जाएगा।

DISCLAIMER

The Hindi version of ECHS Compendium has been uploaded to facilitate better comprehension of the policies/letters issued by Government of India, by the ECHS beneficiaries. The context of Hindi version of ECHS Compendium will NOT repeat NOT be used/quoted as an authority for any legal or other purposes. It is emphasised that the ECHS Compendium 2022 (English version) will be treated as authority for any legal matters.

सामग्री

क्रमिक	पत्र संख्या और तारीख	विषय	पेज संख्या
भाग I - सामान्य जानकारी			
1	ईसीएचएस (ECHS) के बारे में सामान्य जानकारी		01-16
भाग II - ईसीएचएस (ECHS) की उत्पत्ति और विकास			
2	22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002	एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम	17-47
3	22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) dt 18 Oct 2010	एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, का विस्तार	48-56
भाग III - अंशदान			
4	22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 08 Mar 2004	युद्ध विधवाओं को अंशदान के भुगतान से ईसीएचएस (ECHS) में छूट	57-58
5	PC to 24(2)/05/US / (WE) /D(Res) dt 24 Jul 2005	युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनरों को अंशदान के भुगतान से ईसीएचएस (ECHS) में छूट	59
6	PC to 24 (2)/05 /US/(WE) /D(Res) dt 07 Feb 2006	युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनरों को अंशदान के भुगतान से ईसीएचएस (ECHS) में छूट	60-61
7	PC to 24 (2)/05 /US (WE)/D(Res) Pt III dt 16 Feb 2006	युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनरों को अंशदान के भुगतान से ईसीएचएस (ECHS) में छूट	62
8	17(10)/06/US(WE)/D(Res) dt 13 Apr 2007	पूर्व सैनिक संघों का परिसंघ बनाम भारत संघ द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 210/1999 - न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन	63
9	22D(20)/2010/US(WE)/D(Res) dt 06 Sep 2013	ईएसआई (ESI) अंशदान-के संबंध में भुगतान से ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों को छूट	64
10	22D(11)/2015/US(WE)/D(Res) dt 23 May 2017	ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए काटे गए/वसूली किए गए एकमुश्त अंशदान की वापसी	65-66
11	22D(17)/2016(WE)/D(Re s) dt 02 Jun 2017	कुछ विशिष्ट मामलों में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता/फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) की वापसी की सदस्यता की दरों के संबंध में स्पष्टीकरण	67-68
12	22D(04)/2010/WE/D(Res-I) dt 29 Dec 2017	ईसीएचएस (ECHS) अंशदान और वार्ड पात्रता की संशोधित दरें	69-70
13	18(77)/2017/WE/D(Res-I) dt 18 Sep 2018	ईसीएचएस (ECHS) सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के स्थायी रूप से दिव्यांग अविवाहित पुत्र की पात्रता	71
14	17(17)/2015/WE/D(Res-I) dt 05 Mar 2019	असम राइफल्स पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता और पैनेल में शामिल अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं में वार्ड की पात्रता के लिए एकमुश्त योगदान	72-73

15	17(11)/2018/WE/D(Res-I) dt 12 Apr 2019	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ईसीओ (ECO), एसएससीओ (SSCO) और समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता और पैनल में शामिल अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं में वार्ड की पात्रता के लिए एकमुश्त योगदान	74-75
भाग IV - संविदा कर्मचारी: ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स			
16	24(6)/03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep 2003	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए कर्मचारियों के संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया	76-85
17	24(6)/03/US(WE)/D(Res) dt 29 Jun 2005	चिकित्सा विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञ के संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन	86-87
18	22(84)/06/US(WE)/D(Res) dt 27 Jun 2007	बड़ी संख्या में रोज बीमार होने वालों की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक की रोज कम बीमार होने की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक से डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की रिक्तियों का स्थानांतरण	88
19	24(06)/03/US(WE)/D(Res) dt 14 Feb 2008	शुद्धिपत्र (एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स) के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया)	89-90
20	22(72)/06/D(Res)/US(WE) (Vol-IV) dt 12 Nov 2013	ईसीएचएस के लिए संविदा पर रखे गए कर्मचारी के संशोधित अंतरिम वेतनमान	91-92
21	22(72)/06/US(WE)/D(Res). Vol.IV dt 25 Feb 2014	एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए संविदा पर नियुक्त किये गए कर्मचारियों के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं	93-95
22	24(06)/03/US(WE)/D(Res) dt 01Jul 2016	शुद्धिपत्र	96-97
23	22D(19)/2017/WE/D(Res) dt 16 Aug 2017	क्रम	98-99
24	22D(24)/2017/WE/D(Res) dt 12 Sep 2017	चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों के स्थान पर एमओ (एमबीबीएस) को नियुक्त करने और अन्य श्रेणियों के पैरा मेड स्टाफ के लिए स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों के स्थान पर पैरा मेड स्टाफ को नियुक्त करने के लिए एमडी ईसीएचएस को शक्तियों को सौंपना	100
25	22D(25)/2017/WE/D(Res-I) dt 20 Nov 2017	शुद्धिपत्र	01-102
26	22(22)/2017/WE/D(Res-I) dt 18 Dec 2017	शुद्धिपत्र	103-104
27	22D(22)/2017/WE/D(Res-I) dt 24 Jan 2018	शुद्धिपत्र	105-106
28	22(01)/2017/(WE)/D(Res) dt 15 Feb 2018	गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को एक पॉलीक्लिनिक से दूसरे/सीओ (CO), ईसीएचएस (ECHS) में स्थानांतरित करने और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की दूसरी श्रेणी के स्थान पर पहली श्रेणी के गैर-चिकित्सा कर्मचारियों को नियुक्त के लिए एमडी ईसीएचएस (MD ECHS) को शक्तियों को सौंपना	107

29	22D(04)/2018/(WE)/D(Res-I) dt 23 Apr 2018	बराबर वेतन के साथ रिक्तियों के बदले ईसीएचएस संस्थानों को चलाने के लिए कार्य सम्बन्धी जरूरतों के आधार पर कुछ ट्रेडों के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए एमडी ईसीएचएस को शक्तियों को सौंपना	08-109
30	22(08)/2018/WE/D(Res-I) dt 21 May 2019	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में संविदा स्टाफ कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961	110
31	22D(06)/215/WE/D(Res-1) dt 06 Sep 2018	ईसीएचएस (ECHS) स्थापना को सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा के तौर पर लगे व्यक्ति और स्टेशन कमांडर के बीच समझौता	111-114
32	18(107)/2017/WE/D(Res-I) dt 05 Dec 2018	इंदौर, मध्यप्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) PC का उद्घाटन - कर्मचारियों के पैमाने की स्वीकृति	115
33	22D(19)2017/WE/D(Res-I) dt 06 Jun 2018	शुद्धिपत्र	116
34	22D(19)/2017/(WE)/D(Res-1) dt 24 Jan 2019	शुद्धिपत्र	117
37	22D(14)/2018/(WE)/D(Res-1) dt 05 Feb 2020	ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए कर्मचारियों के संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया	118-119
38	23(4)/E.Coord/2020/1 dt 20 May 2020	ऑफिस मेमोरेण्डम (कोविड 19 के कारण लॉकडाउन के समय में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य संस्थानों से आउटसोर्स किये गए व्यक्ति को वेतन का भुगतान)	120
भाग V - सदस्यता			
39	12/I/2005/D(Res) dt 01 Feb 2006	ऑफिस मेमोरेण्डम (दिव्यांगता पेंशन के साथ मेडिकल के आधार पर बोर्ड से बाहर किए गए सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान करना)	121
40	22(20)05/US(WE)/D(Res) dt 10 Feb 2006	पति और पत्नी के रक्षा कर्मी होने पर ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पर स्पष्टीकरण	122-123
41	22(68)2006/US(WE)/D(Res) dt 22 Jan 2008	शुद्धिपत्र (तटरक्षक पेंशनभोगियों की सदस्यता)	124
42	22D(42)/2006/US(WE)/D(Res) dt 14 Sep 2010	नेपाल अधिवासित गोरखाओं (NDG) ESM को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं का विस्तार	125-129
43	22D(12)/US(WE)/D(Res)/2010 dt 04 Mar 2011	दिव्यांगता पेंशन के साथ ईसीएचएस (ECHS) भूतपूर्व भर्ती में शामिल होने की पात्रता	130
44	22D(10)10/US(WE)/D(Res) dt 21 Mar 2011	शुद्धिपत्र (विशेष सीमा बल पीबीओआर (PBOR) की सदस्यता)	131
45	22D(03)/2015/WE/D(Res) dt 17 Nov 2016	ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के संबंध में स्पष्टीकरण	132
46	17(17)/2015/WE/D(Res-1) dt 07 Mar 2019	द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ईसीओएस (ECOS), एसएससीओएस (SSCOS) और समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं प्रदान करना	133-134
47	17 (11)/2018/WE/D(Res-I) dt 18 Mar 2019	द्वितीय विश्व युद्ध, पूर्व सैनिकों ईसीओएस, एसएससीओएस और समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को ईसीएचएस सुविधाएं प्रदान करना	135-136

भाग VI - ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक			
48	24(4)/03/US(WE)/D(Res) dt 01 Aug 2003	ईसीएचएस (ECHS) के लिए पॉलीक्लिनिक का डिजाइन	137-141
49	24(5)/03/US(WE)/D(Res) dt 08 Sep 2003	गैर सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया	142-144
50	24(7)/03/US(WE)/D(Res) dt 17 Sep 2003	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के निर्माण की प्रक्रिया	145-148
51	24(15)/03/US(WE)/D(Res)) dt 20 Feb 2004	गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने की शक्तियों की सीमाएं	149-150
52	24(14)/03/US(WE)/D(Res)) dt 31 Jan 2005	गैर सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) के लिए भूमि की खरीद की प्रक्रिया	151-155
53	22(3)/06/US(WE)/D(Res) dt 13 Mar 2006	शुद्धिपत्र (मुख्य पूंजी से वार्षिक बजटीय निधियों का आवंटन)	156
54	24(14)/03/US(WE)/D(Res) dt 25 May 2009	गैर सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) के लिए भूमि की खरीद की प्रक्रिया	157
55	No.22C(31)/VIP/2016/WE dt 24 Apr 2017	शुद्धिपत्र	158
56	18(107)/2017/WE/D(Res-I) dt 28 Sep 2018	इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन	159
57	22C(09)/2013/WE/D (Res) dt 08 Jan 2019	योल (Yol) शिमला (हिमाचल प्रदेश) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में दो अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना	160
58	22D(16)/2009/US(WE)/D (Res-I) dt 03 Jun 2019	गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने की समय सीमा का विस्तार	161
59	22C(09)/2016/WE/D(Res-I) dt 22 Nov 2019	एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)), पॉलीक्लिनिक के लिए गैर सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद के लिए समय सीमा का विस्तार	162-163
60	18(222)/2019/WE/D (Res-1) dt 30 Dec 2020	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के निर्माण को प्राथमिकता देना। - रेग (reg).	164
भाग VII - बिलों की प्रोसेसिंग और रिवर्समेन्ट			
58	22(14)/05/US(WE)/D(Res)) dt 05 Jul 2005	स्मार्ट कार्ड सर्वर के लिए STD सुविधा के साथ सिविल टेली का प्रावधान	165-168
59	24(42)/05/US(WE)/D(Res)) dt 10 Mar 2006	ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केंद्रों के लिए एसटीडी (STD) सुविधा के साथ सिविल टेली का प्रावधान	169-170
60	22A(10)/10/US(WE)/D(R es) dt 23 Feb 2012	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया: प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) UTI-ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग	171-172
61	25(01)/2018/WE/D(Res-I) dt 09 Jul 2019	नेपाल में निवास करने वाले गोरखा (NDG) ESM पेंशनर के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति	173

62	22A(10)/2010/US(WE)/D(Res) dt 05 Nov 2012	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया: बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA), UTI-ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग	174-175
63	22A(10)/2010/US(WE)/D(Res)/Vol-VIII dt 14 Feb 2014	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा (iv) खर्चों के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया: बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) UTI-ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग	176-177
64	18(100)/2017/WE/D(Res-I) dt 02 Jan 2018	बिल प्रोसेसिंग एजेंसी द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के संबंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की स्थिति को सूचित करने के लिए एसएमएस (SMS)	178
65	22(03)/2016/WE/D(Res-I) dt 22 Feb 2018	संशोधित CGHS दरों के अनुरूप बिल प्रोसेसिंग एजेंसी सेवा शुल्क में संशोधन: ऑनलाइन ईसीएचएस (ECHS) मेडिकल बिल प्रोसेसिंग	179
66	22D(31)/2017/WE/D(Res-I) dt 01 Mar 2018	चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) सेवा शुल्क का भुगतान	180-181
67	22(03)/2016/We/D(Res-I) dt 04 Jun 2018	ऑनलाइन ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा बिल प्रोसेसिंग के अनुरूप संशोधित सीजीएचएस (CGHS) दरें, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या 22(03)/2016/We/D(Res-I) dt 4 Feb 2018 में संशोधन बिल प्रोसेसिंग एजेंसी सेवा शुल्क का प्रावधान	182
68	22A(04)2016/WE/D(Res) dt 26 Dec 2018	सीओ CO ईसीएचएस (ECHS) और सीओ CO ईसीएचएस (ECHS) के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दूरसंचार संसाधनों की अनुमति	183-184
भाग VIII - खरीद और फंड नियंत्रण			
69	24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003	ईसीएचएस (ECHS) के लिए वित्तीय शक्तियों को सौंपना	185-189
70	24(3)/03/US(WE)/D(Res)(ii) dt 09 Sep 2003	ईसीएचएस (ECHS) के लिए वित्तीय प्रक्रियाएं	190-225
71	24(5)/04/US(WE)/D(Res) dt 26 Aug 2004	ईसीएचएस (ECHS) के पॉलीक्लिनिक्स के लिए फर्नीचर और गैर-चिकित्सा उपकरण के पैमाने	226-229
72	A/32697/ECHS/EME Ops 3 dt 18 Nov 2004	ईसीएचएस (ECHS) और केंद्रीय संगठन, क्षेत्रीय केंद्रों और पॉलीक्लिनिकों के लिए वाहनों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर नीति	230-231
73	A/48474/FOL/Q1(B) dt 23 Jun 2005	एफओएल (Fol) एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) वाहनों का निर्गमन	232-233
74	24(2)/04/US(WE)/D(Res) dt 15 Jul 2005	केंद्रीय संगठन और ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए हल्के वाहनों की खरीद	234
75	24(2)/04/US(WE)/D(Res) Pt-I dt 03 Feb 2006	गुवाहाटी में ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्र के लिए हल्के वाहनों की खरीद	235

76	AT/IV/4807/ ECHS/VII dt 11 Nov 2008	नकद असाइनमेंट जारी करना: ईसीएचएस (ECHS)	236
77	AT/IV/4807/ ECHS/Vol-X dt 04 Oct 2013	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को नकद असाइनमेंट जारी करना	237
78	AT/IV/4807/ ECHS/VII dt 08 Oct 2009	खाते पर कैश असाइनमेंट वोट जारी करना: वित्तीय वर्ष 209-10	238
89	1011/2011-PPC dt 30 Nov 2011	कार्यालय जापन (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य प्रकाशन)	239-241
80	10/3/2012-PPC dt 30 Mar 2012	कार्यालय जापन (व्यापक तौर पर शुरू से लेकर अंत तक ई-खरीद का कार्यान्वयन)	242-249
81	22D(05)/2011/US(WE)/D(Res) dt 22 Aug 2012	ईसीएचएस (ECHS) टाइप ई-मोबाइल क्लीनिक के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयां	250
82	B/03566/Gen/DDG IT (Proj) dt 28 Aug 2012	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य पब	251-253
83	22D(02)/2011/WE/D(Res) dt 29 Aug 2012	ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए मोटर साइकिल और हल्के वाहन की अनुमति	255-256
84	C/22868/e-proc/OSCC dt 20 Sep 2012	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य पब	257-268
85	25(02)/2012/(WE)/D (Res) dt 10 Sep 2013	नेपाल अधिवासित गोरखा (NDG) ESM पेंशनभोगियों को नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय दिशानिर्देश	269-270
86	25(01)/2014/US(WE)/D(Res)-भाग-I dt 04 Aug 2014	मैनुअल चिकित्सा बिलों के भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन	271
87	8/4/2018-O2P dt 20 Jul 2015	केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) और ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए साइलेंट जेनरेटर सेट का पैमाना	272
87	22D(18)/2017/WE/D(Res-I) dt 07 Aug 2018	चिकित्सा उपचार के लिए ईसीएचएस (ECHS) यात्रा भत्ता	273-275
88	No.55/2018(F.No.178/15/ 2018 - ITA-1) dt 26 Sep 2018	शक्ति के उपयोग में।	276
89	22(01)/2011/(WE)/D(res-I) dt 01 Nov 2018	ईएसएम (ESM) पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पूर्व सैनिकों के परिवार पेंशनभोगियों को एफएमए (FMA) का अनुदान, जो ईसीएचएस (ECHS) सदस्य हैं और ऐसे जिलों में रह रहे हैं जिन्हें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/एमआई कक्ष द्वारा कवर नहीं किया गया है और ईएसएमएस को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है।	277-290
90	No.22D(03)/2017/WE/D(Res-I) dt 13 Nov 2018	मोटर साइकिल और हल्के वाहन की खरीद।	291
91	22D(03)/2017/WE/D(Res-I) dt 12 Nov 2018	ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल द्वारा एक मोटर साइकिल (टीवीएस TVS स्ट्राइकर) खरीदने की स्वीकृति।	292-293

92	22D(03)/2017/WE/D(Res-I) dt 12 Nov 2018	ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल द्वारा WD (टाटा स्टॉर्म VX4WD) के साथ एक हल्के वाहन की खरीद की स्वीकृति।	294
93	22D(01)/2017/WE/D(Res-I) dt 28 Dec 2018	ईसीएचएस (ECHS), भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल में काठमांडू, पोखरा और धरान में तीन ईसीएचएस (ECHS) PC के लिए प्रत्येक में एक 30 KVA DG सेट (वाटर कूल्ड) की खरीद के लिए खर्च की मंजूरी।	295
94	25(01)/2018/WE/D(Res-I) dt 09 Jul 2019	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति: बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) द्वारा ऑनलाइन बिलों की प्रोसेसिंग	296-297
95	25(01)/2018/WE/D(Res-I) dt 09 Jul 2019	नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) नेपाल अधिवासित गोरखा (NDG) ईएसएम पेंशनभोगियों के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति।	298-299
96.	8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019	क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस-रेग में ईसीएचएस पदाधिकारियों के लिए डीएफपीडीएस-2016 के एसपी 2016 में एक अलग अनुसूची- 26 को जोड़ने के संबंध में।	300-301
96	22(01)/2011/(WE)/D(Res-I) dt 19 Nov 2019	ईएसएम ESM और ईएसएम ESM परिवार पेंशनभोगियों को एफएमए FMA का अनुदान, जो ईसीएचएस (ECHS) सदस्य हैं और नेपाल के ऐसे जिलों में रह रहे हैं, जिन्हें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/एमआई कक्ष द्वारा कवर नहीं किया गया है और ईएसएमएस को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है।	302-304
97	22D(11)/2019/D(WE)(Res-1) dt 28 Aug 2020	केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) के लिए अतिरिक्त स्टाफ कार और चार हल्के वाहनों की अनुमति के संबंध में	305
भाग IX - चिकित्सा			
97	24(10)/03/US(WE)/D(Res) dt 25 Nov 2003	ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की प्रक्रिया	306-310
98	24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	311-320
99	22D(18)/09/US(WE)/D(Res)/ Pt-I dt 13 Apr 2010	ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया	321-324
100	22A(48)/2007/US/WE/D(Res) dt 19 Aug 2010	ईसीएचएस (ECHS) दरों में संशोधन	325
101	22B(04)/2010/US(WE)/D(Res) dt 18 Feb 2011	एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया	326-329
102	22D(04)/2011/US(WE)/D(Res) dt 22 Jul 2011	ईसीएचएस (ECHS) के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया	330-331

103	2003 से ईसीएचएस (ECHS) के तहत सिविल अस्पतालों/नर्सिंग होम/नेत्र देखभाल केंद्रों/इमेजिंग केंद्रों/ डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं/दंत चिकित्सा क्लिनिकों/धर्मशालाओं के पैनल के संबंध में सरकारी पत्रों की सूची	332-333	
104	22D(01)/2012- (WE)/D(Res) dt 18 Dec 2012	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा उपकरण का पैमाना	334-346
105	22(02)/11/US(WE)/D(Res) dt 10 May 2013	चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा भत्ता	347-348
106	22A(55)/2013/US(WE)/D(Res) dt 05 Jul 2013	मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय रोगों, डायलिसिस और कैंसर के उपचार का लाभ उठाने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के संबंध में उपचार/जांच की अनुमति।	349
107	22D/(09)/2013/US(WE)/D(Res) dt 21 Aug 2013	ईसीएचएस (ECHS) के दायरे में नहीं आने वाले जिलों में रहने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए इनपेशेंट उपचार और पोस्ट-ऑपरेटिव अनुवर्ती उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं	350-351
108	22D(07)/2014/(WE)/D(Res) dt 22 Apr 2015	डिस्चार्ज के बाद 07 दिनों के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा दवाएं जारी कराना	352-353
109	22D(07)/2014/(WE)D(Res) dt 23 Apr 2015	ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा खर्च के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया	354
110	22B(01)/2016-WE/D(Res) Part-II dt 03 Nov 2016	कार्यालय जापन	355-358
111	22D(09)/2013/US(WE)/D(Res) dt 26 Jul 2016	ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए रोगी उपचार और पोस्ट-ऑपरेटिव अनुवर्ती उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं	359-361
112	22D(01)/2016/WE/D(Res-I) dt 22 Aug 2017	ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए प्रक्रिया में संशोधन	362-365
113	22D(14)/2016/WE/D(Res) dt 26 Oct 2017	नेपाल अधिवासित गोरखा (NDG) ESM पेंशनभोगियों को नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय दिशानिर्देश	366
114	22B(10)/2017/WE/D(Res) dt 05 Dec 2017	पहले से सूचीबद्ध ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाओं के नाम, खाता संख्या आदि के संबंध में परिवर्तन करने के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को शक्तियों का प्रत्यायोजन।	367
115	22B(10)/2017/WE/D(Res) dt 26 Dec 2017	ईसीएचएस (ECHS) सदस्य द्वारा भारत से बाहर रहने के दौरान किए गए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के प्रावधान की मांग करते हुए ईसीएचएस (ECHS) का प्रस्ताव।	368
116	22B(01)/2016/WE/D(Res-1) dt 26 Jun 2018	ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति और अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (एएलसी) (ALC) के प्रावधान में संशोधन।	369-370

120	22D(01)/2016/WE/D(Res-1) dt 30 Jan 2019	ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति और अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (एएलसी) (ALC) के प्रावधान में संशोधन	388
121	18(114)/2017/WE/D(Res-1) dt 18 Sep 2019	ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के लिए घरेलू चिकित्सा उपकरण।	389-390
122	22D(08)/2018/D/WE (Res-1) dt 25 Sep 2019	चिकित्सा उपकरण (डेंटल) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकस का संशोधित पैमाना।	391-402
123	22D(01)/2018/D/WE (Res-1) dt 25 Sep 2019	पैनलबद्ध अस्पताल की परिभाषा और ऐसे अस्पतालों में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों द्वारा किए गए उपचार के मामलों के परिणामी संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण।	403
124	S1011/09/2019/Addg.HQ/C GHS dt 14 Jan 2020	ईसीएचएस (ECHS) के तहत 15 जांचों के लिए ईसीएचएस (ECHS) दरों की अधिसूचना	404-405
125	Z15025/12/2020/DIR/CGHS dt 29 Apr 2020	ओपीडी (OPD) दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति: कोविड-19 के मद्देनजर विशेष मंजूरी- 31 मई 2020 तक- के संबंध में	406-407
126	S-11011/09/2019/ Addl. DDG(HQ)/CGHS dt 03 Jun 2020	25 जांचों के लिए सीजीएचएस (CGHS) दरों की अधिसूचना	408-409
127	Z.15025/18/2020/DIR/CGH S dt 09 Jun 2020	प्रचलित कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए CGHS के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठन (HCOS) की सलाह	410
128	संख्या. 25(02)/2018NED (Res) dt 10 Oct 2019	ईसीएचएस (ECHS) के साथ पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया और एमडी (MD), ईसीएचएस (ECHS) को उसकी शक्तियों को सौंपना	411-414
भाग X - शिकायत और मुकदमा			
128	No: B/49717-C/AG/ECHS dt 27 Mar 2008	ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एसओपी (SOP)	415-417
129	B(49717-Disc SOPIAG/ ECHS dt 28 May 09)	प्रारंभिक रिपोर्ट: ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई	418-423
130	स्कैन किए गए ईसीएचएस (ECHS) पत्र	स्कैन किए गए ईसीएचएस (ECHS) पत्र	424-535



भाग - I

ईसीएचएस (ECHS) के बारे में
सामान्य जानकारी

संक्षेप: एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम

परिचय

1. एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक, सशस्त्र बल चिकित्सा सुविधाओं और देश भर में फैले निजी पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना है। यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तर्ज पर बनाया गया है जो इसके लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने का प्रयास करती है। ईसीएचएस (ECHS) के तहत केवल एलोपैथिक उपचार प्रदान किया जाता है, हालांकि दिल्ली में पांच क्लीनिकों में आयुष सुविधाओं को प्रारंभिक परियोजना के आधार पर पेश किया जा रहा है। सरकार इस योजना का फाइनेंस- बजट, रक्षा सेवा राजस्व (मेजर हेड 2076 और माइनर हेड 107) के माध्यम से करती है।

2. योजना के लिए नीतिगत ढांचा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीओईएसडब्लू (DoESW), रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए इस योजना का प्रबंधन सशस्त्र बलों के मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से किया जाता है। इसमें तीनों सेवाओं का स्थिर मुख्यालय, सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं की अतिरिक्त क्षमता, सेवाओं की केंद्रीय खरीद एजेंसियां, रक्षा भूमि और भवन आदि शामिल हैं। संबद्ध सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर एसईएमओ (SEMO) द्वारा सहायता प्राप्त स्टेशन कमांडर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स पर कार्यात्मक नियंत्रण रखते हैं। योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को इस संक्षेप (ब्रीफ) के अगले भाग में आगे के पैराओं में स्पष्ट किया गया है।

संचालन, नीतियां और पात्रता

ईसीएचएस (ECHS) की संरचना

3. ईसीएचएस (ECHS) एक त्रिस्तरीय संरचना है, जिसके शीर्ष पर केंद्रीय निकाय (केंद्रीय संगठन), मध्य स्तर पर क्षेत्रीय निकाय (क्षेत्रीय केंद्र) और कार्यात्मक स्तर पर पॉलीक्लिनिक हैं। वर्तमान में, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) का नेतृत्व मेजर जनरल और क्षेत्रीय केंद्र कर्नल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) दिल्ली में स्थित है और रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के माध्यम से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तहत कार्य करता है।

4. क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में 30 क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र में औसतन लगभग 15 से 17 पॉलीक्लिनिक हैं। क्षेत्रीय केंद्र अपने अपने क्षेत्राधिकार के तहत-ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

5. नेपाल में छह सहित यहां 433 पॉलीक्लिनिक हैं। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस (ECHS) का केंद्र बिंदु है। इसे डॉक्टरों के साथ परामर्श, आवश्यक जांच (पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी आदि), दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी उपचार और दवाओं को शामिल करने के लिए 'आउट पेशेंट केयर' बनाया गया है। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में पूरा स्टाफ अनुबंध के आधार पर कार्यरत है। पूर्व सैनिकों के लिए डॉक्टरों के 60 प्रतिशत और पैरा-मेडिकल/गैर-मेडिकल स्टाफ के 70 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। केंद्रीय संगठन, क्षेत्रीय केंद्रों और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स की विस्तृत संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है: -

a) केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) का संगठन चार्ट	- अनुलग्नक I
b) ईसीएचएस (ECHS) की कमान और नियंत्रण की स्थापना	- अनुलग्नक II
c) क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) का संगठन चार्ट	- अनुलग्नक III
d) क्षेत्रीय केंद्रों की सूची	- अनुलग्नक IV
e) पॉलीक्लिनिक में कर्मचारी की स्वीकृति	- अनुलग्नक V
f) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की राज्यवार सूची	- अनुलग्नक VI

6. वैध एमओए (MoA) के साथ सैन्य और पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में गंभीर मामलों (पॉलीक्लिनिक्स में उपलब्ध सुविधाओं की क्षमताओं से अतिरिक्त) के लिए विशेष उपचार प्रदान किया जाता है। निजी अस्पतालों में इलाज की दरें सीजीएचएस (CGHS) दरों के अनुसार हैं। आपात स्थिति में, सदस्यों के भुगतान पर गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति है। उनके चिकित्सा उपचार बिलों का रिम्बर्समेन्ट अनुमोदित (CGHS) दरों पर की जाती है।

7. पॉलीक्लिनिक्स को सैन्य या गैर-सैन्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सैन्य अस्पताल आस-पास स्थित है या नहीं और इसे उस क्षेत्र में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के आधार पर पांच प्रकारों, अर्थात् टाइप A से E में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के पीसी PC इस प्रकार हैं:--

पूर्व सैनिकों की संख्या

a) टाइप A	- 20,000 से अधिक
a) टाइप B	- 10,000 से अधिक
a) टाइप C	- 5,000 से अधिक
a) टाइप D	- 1,500 से अधिक
a) टाइप E (मोबाइल)	- 800 से अधिक (दूरदराज के इलाकों के लिए)

सदस्यता

8. इस योजना के तहत रक्षा लेखा नियंत्रक से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिक, जिनमें दिव्यांग/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले और उनके आश्रित (सीजीएचएस CGHS के तहत लागू) शामिल हैं, जो ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता के लिए पात्र हैं। ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता का विस्तार निम्नलिखित के आधार पर किया गया है: -

- टेरीटोरियल आर्मी, टीए (TA) पेंशनभोगी।
- डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, डीएससी (DSC) पेंशनभोगी।
- यूनिफॉर्मड इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी (ICG) पेंशनभोगी।
- मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एमएनएस (MNS) पेंशनभोगी।
- स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएफएफ (SFF) पेंशनभोगी।
- नेपाल डोमिसाइल गोरखा, एनडीजी (NDG) पेंशनभोगी।
- पूर्णकालिक एनसीसी NCC अधिकारी।
- योग्य एपीएस APS पेंशनभोगी।
- असम राइफल्स पेंशनभोगी।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक, एसएससीओ (SSCO), ईसीओ (ECO) और समय से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति।

9. 1 अप्रैल 2003 से सभी पेंशनभोगियों के लिए ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई है और यह पहले सेवानिवृत्त हो चुके लोगों के लिए वैकल्पिक है।

योगदान

10. ईसीएचएस (ECHS) सदस्य बनने के लिए भुगतान की गई अंशदान राशि ईसीएचएस (ECHS) के समान ही है। वर्तमान में यह नए सैनिकों के लिए 30,000/- रुपये से लेकर अधिकारियों के लिए 1,20,000/- रुपये तक है। भूतपूर्व सैनिक जो 1 जनवरी 1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसमें वे लोग शामिल हैं जो आंतरिक सुरक्षा कार्यों में अक्षम हुए हैं जैसे युद्ध विधवाएं और युद्ध दिव्यांग, को ईसीएचएस (ECHS) योगदान के भुगतान से छूट दी गई है। वर्तमान में अंशदान की दरें इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	पद	एकमुश्त योगदान (रुपये में)	वार्ड पात्रता
(a)	नौसेना और वायुसेना में हवलदार और समकक्ष के लिए भर्ती	30,000/-	सामान्य
(b)	नौसेना और वायुसेना में नायब उप / उप / उप मेजर या समकक्ष (माननीय नायब उप / एमएसीपी MACP नायब उप और माननीय लेफ्टिनेंट / कैप्टन सहित)	67,000/-	अर्ध निजी
(c)	सभी अधिकारी	1,20,000/-	निजी

ईसीएचएस (ECHS) कवरेज

11. योजना की शुरुआत के समय, सरकार ने केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS), 13 क्षेत्रीय केंद्र और 227 पॉलीक्लिनिक के निर्माण को मंजूरी दी थी। अक्टूबर 2010 में, ईसीएचएस (ECHS) नेटवर्क के विस्तार को 15 क्षेत्रीय केंद्रों और 199 अतिरिक्त पॉलीक्लिनिक (नेपाल में 17 मोबाइल क्लीनिक और छह पीसी सहित) तथा एक अतिरिक्त पॉलीक्लिनिक को अधिकृत करके कुल 433 ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक बनाने की मंजूरी दी गई थी। योल और भुवनेश्वर में दो अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्रों को 2019 में स्वीकृत किया गया था। इसका विभाजन निम्नानुसार है:-

		प्रारंभिक	अतिरिक्त	कुल
(a)	सैन्य	106	06	112
(b)	गैर सैन्य	121	177	298
(c)	मोबाइल क्लीनिक	17	17	
(d)	नेपाल में PC		06	06 (03 x मोबाइल)
	कुल	227	206	433

12. पॉलीक्लिनिकों के प्रकार के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्रमांक	प्रकार	सैन्य	गैर-सैन्य	कुल	प्रतिशत
(a)	A	10	11*	21	4.9%
(b)	B	17	25*	42	9.7%
(c)	C	28	50	78	18.1%
(d)	D	57	215	272	62.7%
(e)	E	17	03*	20	4.8%
	कुल	129 (29.8%)	304 (70.2%)	433	

* नेपाल में छह पीसी PC सहित

13. **नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं खोलना।** सरकार ने फरवरी 2012 में नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं को खोलने की मंजूरी दी है। काठमांडू, पोखरा और धरान में क्रमशः तीन पॉलीक्लिनिक, एक मोबाइल क्लिनिक के साथ-साथ प्रत्येक को मंजूरी दी गई है। इन उपायों से लगभग तीन लाख नेपाल अधिवासित गोरखा पूर्व सैनिकों के पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। सभी तीन स्थिर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक अप्रैल 2014 से चालू और काम करने योग्य हो जायेंगे।

14. **अखिल भारतीय प्रोफाइल।** एक अखिल भारतीय प्रोफाइल तैयार की गई है और 102 नए पॉलीक्लिनिक खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्हें मंजूरी मिलने के बाद, इसकी पहुंच अब 353 जिलों के मुकाबले 455 जिलों में हो जाएगी। इसके साथ ही आवश्यक कर्मचारियों का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो स्वीकृत होने पर पॉलीक्लिनिकों के कुशल संचालन में वृद्धि होगी।

15. **पॉलीक्लिनिक में संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक।** पॉलीक्लिनिक स्टाफ को दिया गया संविदात्मक पारिश्रमिक गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को आकर्षित करने और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। विभाग ने वर्ष 2015-16 में पारिश्रमिक का संशोधन किया और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में संविदा कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को सीजीएचएस (CGHS)/ईएसआईसी (ESIC) में संविदा कर्मचारियों के बराबर किया। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में कर्मचारियों के पारिश्रमिक को 27 नवम्बर 2015, 03 मई 2016, 20 नवम्बर 2017 और 06 जनवरी 2018 में संशोधित किया गया है। विवरण अनुलग्नक VII में हैं।

16. **वर्तमान स्थिति**

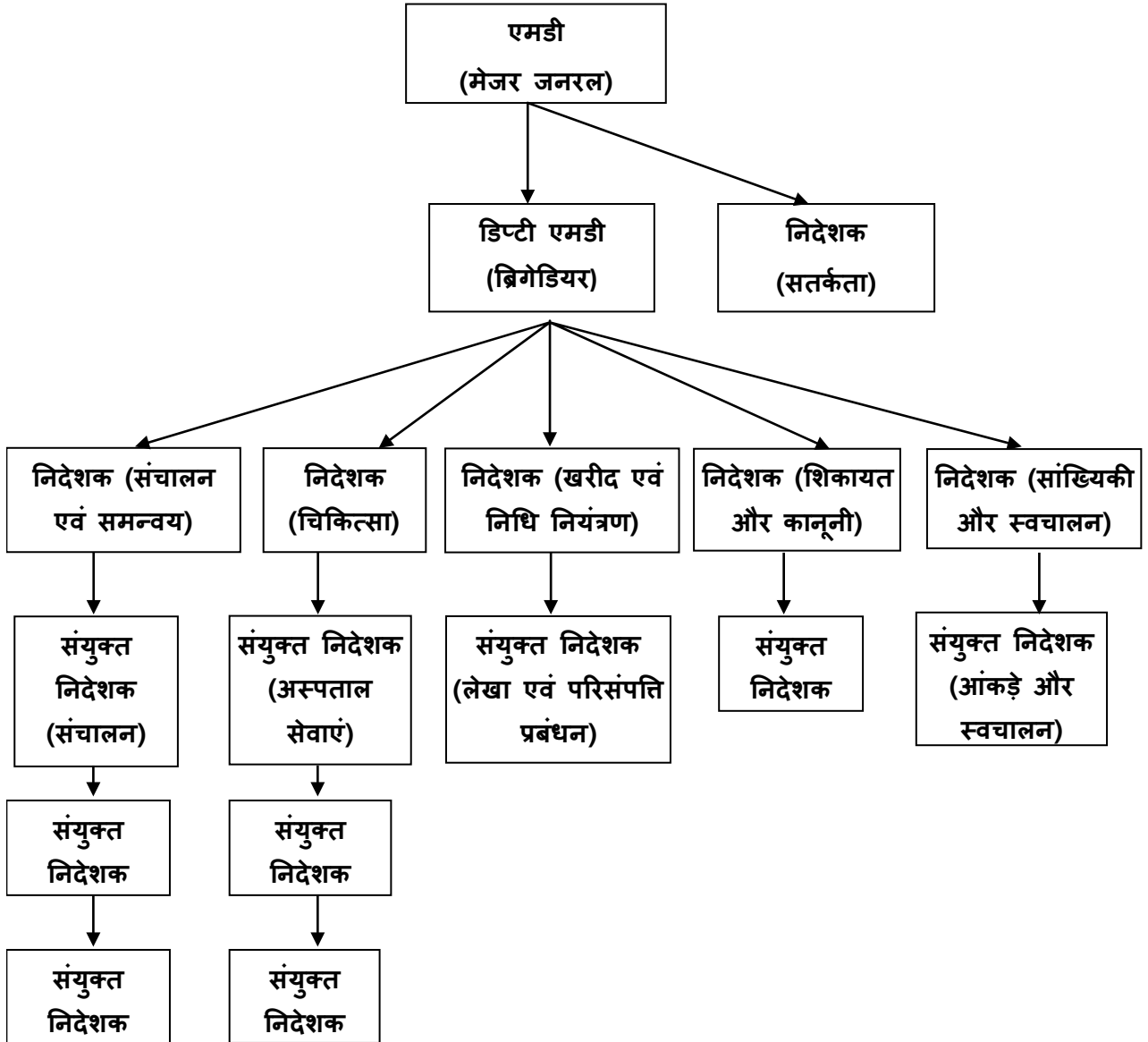
- योजना के कुल लाभार्थी लगभग 56 लाख से अधिक हैं।
- कार्यात्मक क्षेत्रीय केंद्र - 30
- कार्यात्मक पॉलीक्लिनिक - 433
- पॉलीक्लिनिक भवनों के निर्माण के लिए अधिग्रहित/उपलब्ध भूमि- 269 जगह
- निर्मित पॉलीक्लिनिक भवन - 166 जगह

17. **महत्वपूर्ण पदाधिकारी।** केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के प्रमुख पदाधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:-

	नियुक्ति	टेलिफोन नंबर	E-Mail आईडी
a)	MD ECHS (एमडी ईसीएचएस)	Civ-25684846 Mil-36830	mdechs-mod@nic.in
b)	Dy MD (ECHS) (डिप्टी एमडी ईसीएचएस)	Civ-25683719 Mil-36831	dymdechs-mod@nic.in
c)	Dir (Ops& Coord) डायरेक्टर (संचालन एवं समन्वयक)	Civ-25684847 Mil-36832	diropsechs-mod@nic.in
d)	Dir (C&L) डायरेक्टर (सीएंडएल)	Civ-25682870 (Toll Free 1800114115)	dircomplaints-mod@nic.in
e)	Dir (Med) डायरेक्टर (चिकित्सा)	Civ-25684945 Mil-36833	dirmedechs-mod@nic.in
f)	Dir (P&FC) डायरेक्टर (पीएंडएफसी)	Civ-25682519 Mil-36834	dirproc@echs.gov.in
g)	Dir (Stats & Auto) डायरेक्टर (आंकड़े और ऑटो)	Civ-25684645 Mil-36735	diritechs-mod@nic.in

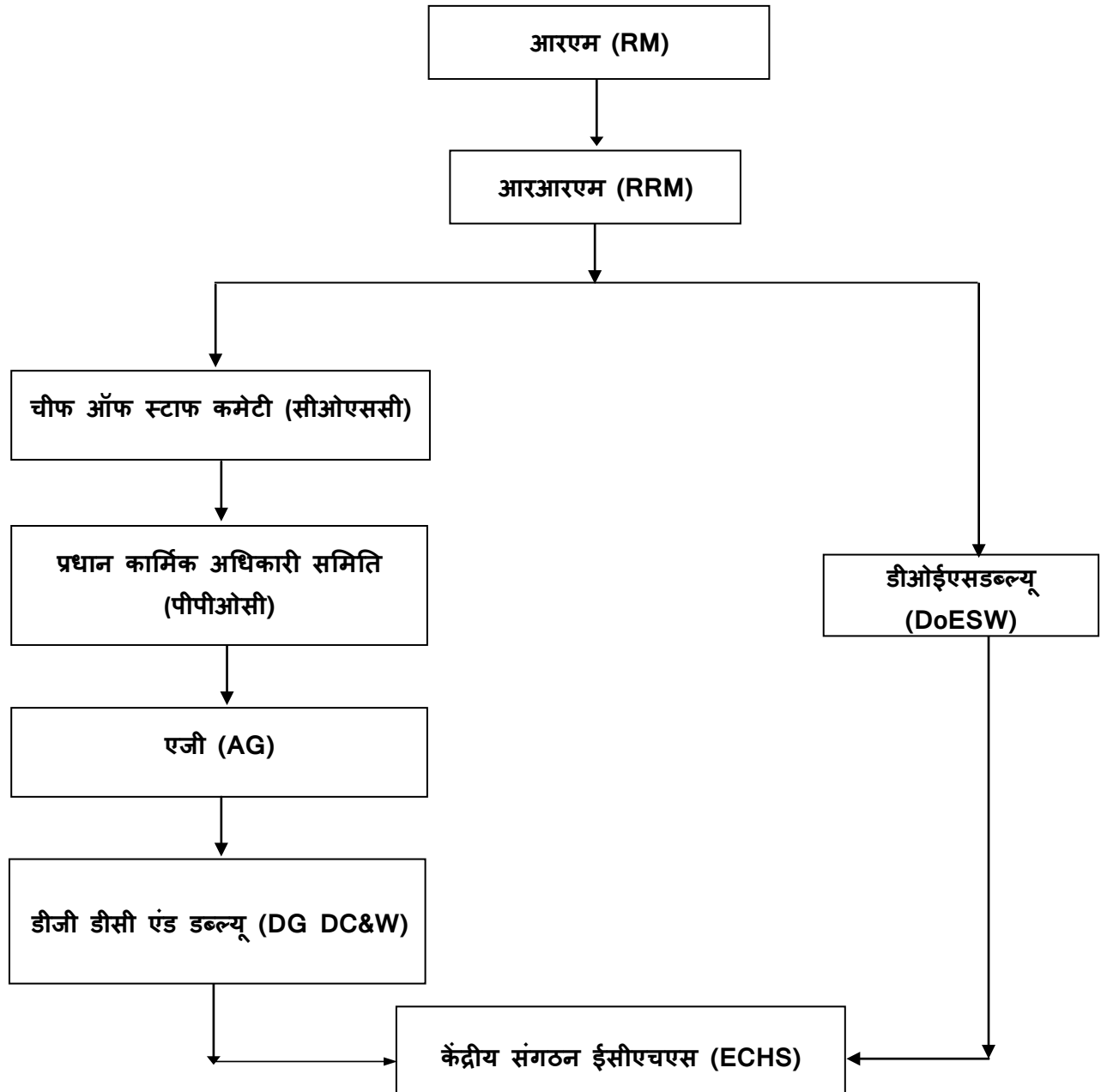
अनुलग्नक - I

(ईसीएचएस (ECHS) संक्षेप के पैराग्राफ 5 (a)
का संदर्भ लें)

संगठन चार्ट : केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

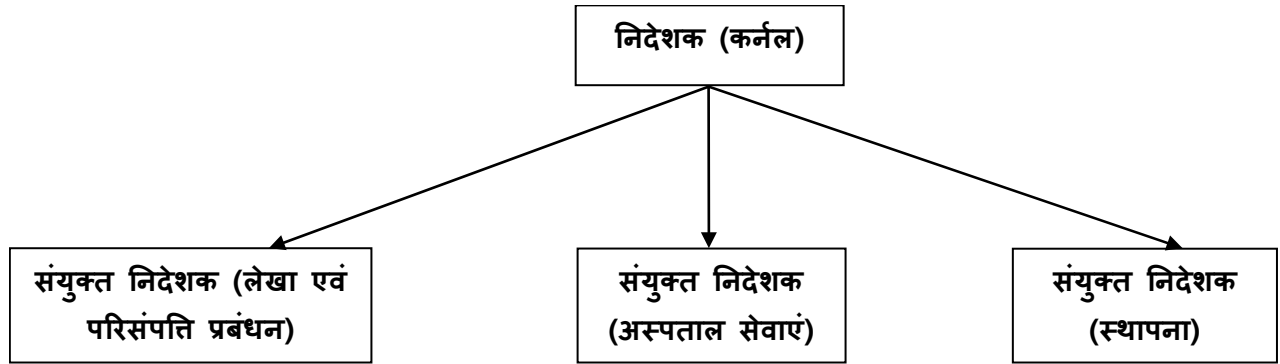
अनुलग्नक - II

(ईसीएचएस (ECHS) संक्षेप के पैराग्राफ 5 (b)
का संदर्भ लें)

ईसीएचएस (ECHS) का आदेश और नियंत्रण

अनुलग्नक - III

(ईसीएचएस (ECHS) संक्षेप के पैराग्राफ 5 (c)
का संदर्भ लें)

संगठन चार्ट: क्षेत्रीय केंद्र, ईसीएचएस (ECHS)

अनुलग्नक - IV

(ईसीएचएस संक्षेप के पैराग्राफ 5 (d)
का संदर्भ लें)

ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केंद्रों की सूची**कार्यात्मक क्षेत्रीय केंद्र**

क्रमांक	क्षेत्रीय केंद्र	क्रमांक	क्षेत्रीय केंद्र	क्रमांक	क्षेत्रीय केंद्र
1.	दिल्ली	11.	पटना	21.	अहमदाबाद
2.	चंडीमंदिर	12.	गुवाहाटी	22.	बैंगलोर
3.	पुणे	13.	जम्मू	23.	नागपुर
4.	चेन्नई	14.	जयपुर	24.	कोयंबटूर
5.	लखनऊ	15.	हैदराबाद	25.	अंबाला
6.	कोलकाता	16.	कोच्चि	26.	इलाहाबाद
7.	जबलपुर	17.	तिरुवनंतपुरम	27.	जालंधर
8.	रांची	18.	हिसार	28.	बरेली
9.	देहरादून	19.	मुंबई	29.	योल (हिमाचल प्रदेश)
10.	दिल्ली (II)	20.	वैजाग	30.	भुवनेश्वर

अनुलग्नक - V

(ईसीएचएस संक्षेप का पैराग्राफ
5 (e) देखें)

पॉलीक्लिनिक्स में कर्मचारी की अनुमति

क्रमांक	संविदा पद	पॉलीक्लिनिक का प्रकार					कुल
		A	B	C	D	E	
1.	चिकित्सा अधिकारी	6	3	2	2	1	955
2.	चिकित्सा विशेषज्ञ	2	2	1	-	-	200
3.	दंत चिकित्सा अधिकारी	2	2	1	1	-	471
4.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1	-	-	-	61
5.	रेडियोलॉजिस्ट	1	1	-	-	-	61
6.	प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1	-	410
7.	रेडियोग्राफर	1	1	-	-	-	61
8.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1	1	1	-	410
9.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	1	1	-	410
10.	फिज़ियोथेरेपिस्ट	1	1	1	-	-	139
11.	फार्मसिस्ट	1	1	1	1	-	410
12.	नर्सिंग सहायक	3	3	2	1	1	627
13.	दंत चिकित्सा सहायक/ तकनीशियन / हाइजीनिस्ट	2	2	1	1	-	471
14.	चालक	2	2	1	1	1	488
15.	चौकीदार	1	1	1	1	-	410
16.	महिला परिचारक	1	1	1	1	-	410
17.	चपरासी	1	1	1	1	-	410
18.	सफाईवाला	1	1	1	1	-	410
कुल		29	26	17	14	3	6814

अनुलग्नक - VI

(ईसीएचएस (ECHS) संक्षेप के पैराग्राफ 5 (f) का संदर्भ लें)

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स की राज्य-वार सूची

क्रमांक	पॉलीक्लिनिक	क्रमांक	पॉलीक्लिनिक
अंडमान और निकोबार (01)		35.	मोतिहारी
1.	पोर्ट ब्लेयर	36.	वैशाली
आंध्र प्रदेश (12)		37.	बक्सर
2.	विशाखापत्तनम	38.	सिवान
3.	गुंटूर	39.	सीतामणि
4.	चित्तूर	40.	सासाराम
5.	गिददलूर	41.	भागलपुर
6.	काकीनाडा	42.	समस्तीपुर
7.	विजयवाड़ा	43.	मधुबनी
8.	श्रीकाकुलम	44.	खगरिया
9.	एलुरु	45.	मुंगेर
10.	कुरनूल	चंडीगढ़ (01)	
11.	अनंतपुर	46.	चंडीगढ़
12.	कडप्पा	छत्तीसगढ़ (04)	
13.	नेल्लोर	47.	रायपुर
अरुणाचल प्रदेश (02)		48.	बिलासपुर
14.	टेंगा	49.	जगदलपुर
15.	तवांग	50.	जशपुर
असम (12)		दिल्ली (06)	
16.	जोरहाट	51.	दिल्ली कैंट)BHDC(
17.	गुवाहाटी	52.	लोधी रोड (नई दिल्ली)
18.	मासिमपुर	53.	खानपुर
19.	मिसामरी	54.	तिमारपुर
20.	डिब्रूगढ़	55.	शकूरबस्ती
21.	तेजपुर	56.	पूर्वी दिल्ली क्षेत्र
22.	तिनसुकिया	गोवा (02)	
23.	बोंगईगांव	57.	पणजी
24.	धुबरी	58.	वास्को डिगामा
25.	लखीमपुर	गुजरात (06)	
26.	गोलपाड़ा	59.	अहमदाबाद
27.	नागांव	60.	जामनगर
बिहार (18)		61.	वड़ोदरा
28.	आरा	62.	भुज
29.	मुजफ्फरपुर	63.	राजकोट
30.	दानापुर (पटना)	64.	सूरत
31.	छपरा	हरियाणा (33)	
32.	दरभंगा	65.	चंडीमंदिर
33.	गया	66.	फरीदाबाद
34.	कटिहार	67.	करनाल

हरियाणा (जारी)		हिमाचल प्रदेश (जारी)	
68.	अंबाला	110.	सरकाघाट
69.	सोनीपत	111.	शाहपुरी
70.	पानीपत	112.	डेरागोपीपुर
71.	यमुनानगर	113.	नाहन
72.	कैथल	114.	बरसार
73.	कुरुक्षेत्र	115.	घूमरवीन
74.	गुडगाँव	116.	शिमला (ई)
75.	सिरसा	जम्मू और कश्मीर (14)	
76.	झज्जर	117.	अखनूर
77.	रेवाड़ी	118.	लेह
78.	रोहतक	119.	उधमपुर
79.	जींद	120.	राजौरी
80.	नारनौल	121.	श्रीनगर
81.	भिवानी	122.	सांबा
82.	हिसार	123.	जम्मू
83.	फतेहाबाद	124.	जंगललॉट (कठुआ)
84.	लोहारू	125.	बारामूला
85.	धारुहेड़ा	126.	डोडा
86.	गुडगाँव (सोहाना रोड)	127.	पूँछ
87.	कोसली	128.	नगरोटा (गुजरू)
88.	चरखी दादरी	129.	बारीब्रह्मणः
89.	गोहाना	130.	खानाबल
90.	पलवल	झारखंड (07)	
91.	खरखोदा	131.	रांची
92.	नारायणगढ़	132.	जमशेदपुर
93.	महेंद्रगढ़	133.	डाल्टनगंज
94.	नरवाना	134.	देवगढ़
95.	बहादुरगढ़	135.	चाईबासा
96.	महम	136.	गुमला
97.	सांपला	137.	धनबाद
हिमाचल प्रदेश (19)		कर्नाटक (17)	
98.	बकलोहो	138.	बेंगलोर (शहरी)
99.	योल	139.	येलाहंका (बेंगलोर)
100.	मंडी	140.	मडेकरि
101.	हमीरपुर	141.	मंगलौर
102.	बिलासपुर	142.	मैसूर
103.	ऊना	143.	बेलगाम
104.	सोलन	144.	बीजापुर
105.	शिमला	145.	धारवाड़
106.	चंबा	146.	कारवार
107.	पालमपुर	147.	बीदर
108.	कुल्लू	148.	कोलार
109.	जोगिन्द्रनगर	149.	तुमकुर

150.	हसन	महाराष्ट्र (29)	
151.	शिमोगा	191.	नागपुर
152.	वीराराजेंद्रपेट	192.	सोलापुर
153.	एम.जी. बेंगलोर	193.	अहमदनगर
154.	गुलबर्गा	194.	उस्मानाबाद
केरल (23)		195.	लातूर
155.	पलक्कड़	196.	औरंगाबाद
156.	कोच्चि	197.	बुलढाणा
157.	कन्नूर	198.	जलगांव
158.	कोझीकोड (कालीकट)	199.	देवलालि
159.	पेरिन्थालमन्ना	200.	मुंबई (नौसेना)
160.	एलेप्पी (अलापुझा)	201.	मुंबई (उपनगर)
161.	त्रिशूर	202.	सतारा
162.	कोटायम	203.	कोल्हापुर
163.	तिरुवनंतपुरम	204.	मिराज (सांगली)
164.	पथानामथिट्टा	205.	चिपलुन
165.	कोल्लम	206.	सिंधुदुर्ग
166.	मूवट्टुपुझा	207.	ठाणे (नेरुल)
167.	कान्हागड	208.	महाड
		209.	अकोला
168.	इरिट्टी	210.	अमरावती
169.	चंगनाचेरी	211.	पुणे
170.	कलपेट्टा	212.	वर्धा
171.	मवेलीकारा	213.	धुले
172.	त्रिवेंद्रम (मेड कॉलेज)	214.	खडकी (पुणे)
173.	पेनावु	215.	कराडी
174.	कुन्नम्कुलम	216.	दक्षिण पुणे (लोहेगांव)
175.	कोटाराक्कारा	218.	बीड
176.	रानी	219.	मुंबई)COD कांदिवली(
177.	किलिमनूर	मणिपुर (02)	
मध्य प्रदेश (13)		220.	इंफाल (लीमाखोंग)
178.	जबलपुर	221.	छुरछंदपुर
179.	रेवा	मेघालय (01)	
180.	महू	222.	शिलांग
181.	भोपाल	मिजोरम (02)	
182.	भिंड	223.	आइज़वाल
183.	ग्वालियर	224.	लुंगलेई
184.	मुरैना	नागालैंड (03)	
185.	सगौरी	225.	दीमापुर
186.	अमला	226.	जखामा (कोहिमा)
187.	पिपरिया	227.	मोकोकचुंग
188.	सतना	उड़ीसा (09)	
189.	उज्जैन	228.	बेहरामपुर
190.	इंदौर	229.	भुवनेश्वर

उड़ीसा (जारी है)		पंजाब (जारी है)	
230.	बालासोर	271.	फगवाड़ा
231.	ढेंकनाल	272.	दोराहा
232.	पुरी	273.	जगराओं
233.	संबलपुर	274.	समराला
234.	अंगुल	राजस्थान (32)	
235.	कोरापुट	275.	बीकानेर
236.	भवानीपटना	276.	श्रीगंगानगर
पुदुचेरी (01)		277.	अलवर
237.	पुदुचेरी	278.	भरतपुर
पंजाब (37)		279.	झुंझुनू
238.	पठानकोट	280.	जयपुर
239.	अमृतसर	281.	सीकर
240.	रोपड़ो	282.	चुरू
241.	फरीदकोट	283.	नागौरि
242.	फिरोजपुर	284.	कोटा
243.	मोगा	285.	हिण्डौन सिटी (जिला करौली)
244.	गुरदासपुर	286.	अजमेर
245.	होशियारपुर	287.	बाड़मेर (जलिपा)
246.	जालंधर	288.	जैसलमेर
247.	कपूरथला	289.	जोधपुर
248.	लुधियाना	290.	पाली
249.	संगरूर	291.	उदयपुर
250.	पटियाला	292.	शेरगढ़
251.	मुक्तसर	293.	बानसूर
252.	फतेहगढ़ साहिब	294.	चिरावा
253.	भटिंडा	295.	दौसा
254.	मनसा	296.	विद्याधर नगर
255.	बरनाला	297.	भुवना
256.	अजनाला	298.	बहरोड़
257.	तरंतरनपट्टी/	299.	डीडवाना
258.	ब्यास	300.	भीलवाड़ा
259.	बटाला	301.	राजगढ़
260.	सुरनासी	302.	झुंजरपुर
261.	नवांसहरी	303.	राजसमंद
262.	समाना	304.	निम का थाना
263.	नाभा	305.	हनुमानगढ़
264.	ऊंची बस्सी	306.	कोटपुतली
265.	तलवाड़ा	सिक्किम (01)	
266.	मोहाली	307.	गंगटोक
267.	गढ़शंकर	तमिलनाडु (27)	
268.	श्री हरगोविंदपुर	308.	वेल्लोर
269.	अबोहर	309.	चेन्नई
270.	सुल्तानपुर लोधी	310.	अवादी

तमिलनाडु (जारी)		उत्तराखंड (जारी)	
311.	कांचीपुरम	352.	जोशीमठ
312.	कुड्डालोर	353.	रुद्रप्रयाग
313.	विल्लुपुरम	354.	लैंडस्डाउन
314.	कोयंबटूर	355.	बनबासा
315.	कृष्णागिरी	356.	धारचूला
316.	सलेम	357.	रायवाला
317.	श्रीविल्लीपुत्तूर	358.	हेमपुर
318.	डिंडीगुल	359.	उत्तरकाशी
319.	मदुरै	360.	रानीखेत
320.	तिरुचिरापल्ली	361.	बागेश्वर
321.	नागपट्टिनम	362.	टिहरी
322.	तंजावुरी	उत्तर प्रदेश (49)	
323.	थेनि	363.	गाज़ियाबाद
324.	तिरुनेलवेली	364.	नोएडा
325.	नागरकोइल	365.	कानपुर
326.	तूतीकोरिन	366.	आगरा
327.	वेलिंग्टन	367.	इटावा
328.	थिरुवन्नमलाई	368.	मैनपुरी
329.	चेन्नई (द्वीप मैदान)	369.	फिरोजाबाद
330.	कुंभकोणम	370.	एटा
331.	ताम्रम	371.	बुलंदशहर
332.	रमनाथपुरम	372.	बरेली
333.	शिवगंगई	373.	बदायूं
334.	इरोड	374.	फतेहगढ़
त्रिपुरा (01)		375.	(अकबरपुर मट्टी)
335.	अगरतला	376.	लखनऊ
तेलंगाना (06)		377.	रायबरेली
336.	करीमनगर	378.	मथुरा
337.	सिकंदराबाद (दूसरा)	379.	अलीगढ़
338.	खम्माम	380.	मेरठ
339.	महबूबनगर	381.	मुजफ्फरनगर
340.	सिकंदराबाद	382.	सहारनपुर (सरसावा)
341.	गोलकुंडा	383.	शाहजहांपुर
उत्तराखंड (21)		384.	गोरखपुर
342.	देहरादून	385.	इलाहाबाद
343.	कर्णप्रयाग(गोपेश्वर)	386.	फतेहपुर
344.	कोटद्वार	387.	प्रतापगढ़
345.	पौड़ी गढ़वाली	388.	आजमगढ़
346.	हल्द्वानी	389.	सुल्तानपुर
347.	पिथौरागढ़	390.	फैजाबाद
348.	रुड़की	391.	देवरिया
349.	अल्मोड़ा	392.	गाजीपुर
350.	विकासनगर	393.	वाराणसी
351.	रुद्रपुर	394.	बलिया

उत्तर प्रदेश (जारी)		पश्चिम बंगाल (जारी)	
395.	झांसी	410.	बागपत
396.	उरई	411.	जौनपुर
397.	बस्ती	412.	बैरकपुर
398.	बाँदा	413.	बैगुबि
399.	हरदोई	414.	लेबोंग (दार्जिलिंग)
400.	बाराबंकी	415.	कृष्णनगर
401.	उन्नाव	416.	कोलकाता
402.	मिर्जापुर	417.	सॉल्ट झील
403.	ग्रेटर नोएडा	418.	मिदनापुर
404.	गोंडा	419.	बर्दवान
405.	मुरादाबाद	420.	कूच बिहारी
406.	लखीमपुर	421.	बेहरामपुर
407.	बिजनौर	422.	बिनागुरी
408.	हाथरस	423.	कलिम्पोंग
409.	रामपुर	424.	रायगंज
410.	बागपत	425.	बरूईपुर
411.	जौनपुर	426.	हावड़ा
पश्चिम बंगाल (16)		427.	बांकुड़ा
404.	गोंडा	नेपाल (06)	
405.	मुरादाबाद	428.	काठमांडू
406.	लखीमपुर	429.	पोखरा
407.	बिजनौर	430.	धरम
408.	हाथरस	431.	मॉब पॉलीक्लिनिक्स
409.	रामपुर		

अनुलग्नक - VII

(ईसीएचएस (ECHS) संक्षेप का
पैराग्राफ 15 देखें)

पॉलीक्लिनिक्स में संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क्रमांक	श्रेणी	संशोधित पारिश्रमिक	टिप्पणी
1.	चिकित्सा अधिकारी	Rs 75,000/-	
2.	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ)	Rs 1,00,000/-	
3.	दंत चिकित्सा अधिकारी	Rs 75,000/-	
4.	प्रभारी पॉलीक्लिनिक अधिकारी	Rs 75,000/-	
5.	रेडियोग्राफर	Rs 28,100/-	
6.	प्रयोगशाला टेक्निशियन	Rs 28,100/-	
7.	प्रयोगशाला सहायक	Rs 28,100/-	
8.	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	Rs 28,100/-	
9.	फार्मसिस्ट	Rs 28,100/-	
10.	नर्सिंग सहयोगी	Rs 28,100/-	
11.	डेंटल हाइजीनिस्ट / डेंटल असिस्टेंट / डेंटल टेक्निशियन	Rs 28,100/-	
12.	क्लर्क (ईसीएचएस (ECHS) शाखा EOI नेपाल)	Rs 22, 500/-	
13.	चालक	Rs 19,700/-	
14.	चौकीदार	Rs 16,800/-	
15.	महिला परिचारक	Rs 16,800/-	
16.	चपरासी	Rs 16,800/-	
17.	सफाईवाला	Rs 16,800/-	



भाग - II

ईसीएचएस (ECHS) की
उत्पत्ति और वृद्धि

फाइल नं. 22(1)/01/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक 30 दिसंबर 2002

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS)

मुझे भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना अर्थात् 'एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS) के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. यह योजना दिव्यांग पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशन पाने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ CGHS में लागू आश्रितों के लिए चिकित्सा सहायता की पूर्ति करेगी। इस योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(* पैरा 2 18(17)/2011/US(WE) दिनांक 31 अक्टूबर 2012) और 22D(03)/2015/WE/D (Res) दिनांक 17 नवंबर 2016 द्वारा संशोधित)

(a) ईसीएचएस (ECHS) एक अंशदायी योजना होगी। सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक सेवा कर्मी अपने हिस्से का योगदान देकर अनिवार्य रूप से ईसीएचएस (ECHS) का सदस्य बन जाएगा और यह योजना जीवन भर के लिए लागू होगी। इसी प्रकार, पूर्व सैनिक जो 1 जनवरी, 2003 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एकमुश्त अंशदान करके या लगातार तीन वार्षिक किश्तों में भुगतान करके सदस्य बन सकते हैं। उम्र या चिकित्सा स्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योगदान CGHS पेंशनभोगियों के लिए संलग्न संशोधित परिशिष्ट (सेवानिवृत्ति) A के अनुसार निर्धारित दरों के हिसाब से होगा।

(* पैरा 2(a) 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 01 अप्रैल 03 और 29 मई 03 द्वारा संशोधित)

(b) योजना में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को वर्तमान में स्वीकार्य 100/- रुपये के चिकित्सा भत्ते को जब्त कर लिया जाएगा और जो लोग योजना में शामिल नहीं होते हैं उन्हें पहले की तरह चिकित्सा भत्ता मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति योजना के तहत बनाये गए सशस्त्र सेना क्लीनिकों/अस्पतालों या पॉलीक्लिनिकों से किसी भी चिकित्सा सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

(* पैरा 2(b) 22(01)/2011/WE/D (Res-I) दिनांक 01 नवंबर 2018 द्वारा संशोधित)

(c) यह योजना निम्नलिखित विवरण के अनुसार देश भर में फैले 227 स्टेशनों पर नए पॉलीक्लिनिक और संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक स्थापित करके भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी:-

स्टेशनों की संख्या

टिप्पणी

I. सैन्य स्टेशनों पर संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक	106 परिशिष्ट - B में संलग्न सूची
II. गैर-सैन्य स्टेशनों पर स्थापित किए जाने वाले नए सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक	121 सूची परिशिष्ट - C में संलग्न है

(d) नए सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक और संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिकों को पूर्व सैनिकों की जनसंख्या और उनकी वांछित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कॉन्फिगर करने का प्रस्ताव रखा गया है। परिशिष्ट B और C में दर्शाए गए विवरण के अनुसार विभिन्न स्टेशनों को टाइप A, B, C और D में कॉन्फिगर किया गया है।

(e) जिन स्टेशनों पर भूतपूर्व सैनिकों की आबादी 2,500 से कम है, वहां नए सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक या संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक पर निर्भरता प्रदान की जाएगी। ऐसे स्टेशनों/जिलों की सूची परिशिष्ट-D में सूचीबद्ध है।

(f) प्रत्येक प्रकार के संवर्धित सशस्त्र बल क्लिनिक और नए सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक में प्रदान की जाने वाली आधारभूत संरचना, चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारी की लिस्ट क्रमशः संलग्न परिशिष्ट E और F में दी गई है।

(g) संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक

- (i) अधिकृत कर्मचारियों के भार के अधीन, सैन्य/नौसेना/वायु सेना अस्पतालों में एक ही स्टेशन या निकटतम या किसी अन्य स्टेशन में उपयोग की जाने वाली सभी सुविधाएं।
- (ii) मौजूदा सुविधाओं और भार के अधीन, परामर्श, नैदानिक परीक्षण और उपचार के लिए पैनल में शामिल चिकित्सा केंद्रों/पॉलीक्लिनिकों/अस्पतालों/नर्सिंग होम में संदर्भ देने की अनुमति है।
- (iii) योजना के माध्यम से सशस्त्र सेना क्लीनिकों/अस्पतालों को दवाओं/ड्रग्स/व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता प्रदान की जाएगी। आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं अनुबंधित की जाएंगी।
- (iv) 4,900/- लाख रुपये की राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जैसा कि परिशिष्ट- E में दिया गया है।
- (v) योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए 5,200/- लाख रुपये की राशि प्रतिवर्ष निम्नलिखित के व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगी:-

- (aa) पानी और बिजली शुल्क।
- (ab) टेलीफोन की स्थापना और मासिक/द्विमासिक बिलों का भुगतान।
- (ac) भवन का रखरखाव।
- (ad) संवर्द्धन के रूप में खरीदे गए एम्बुलेंस और वाहनों के संचालन और रखरखाव का खर्च।
- (ae) वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंधों सहित चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव।

- (af) नए और प्रतिस्थापन चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस और वाहनों की खरीद।
- (ag) दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं।
- (ah) सैन्य स्टेशनों में नई सुविधाओं को बढ़ाने/सृजित करने के लिए नियोजित कर्मचारियों को वेतन और भत्ते।
- (ai) संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय।
- (aj) आकस्मिकताओं आदि के कारण व्यय।

(h) गैर-सैन्य स्टेशनों पर सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे

- (i) 6,900/- लाख रुपये की राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जैसा कि परिशिष्ट- F में दिया गया है। इसमें 121 गैर-सैन्य स्टेशनों पर पॉलीक्लिनिक के लिए भूमि की लागत और भवनों के निर्माण की लागत शामिल है। जब तक पॉलीक्लिनिक के नये भवनों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक इन पॉलीक्लीनिकों की स्थापना के लिये उपयुक्त आवास किराये पर लिये जायेंगे।
- (ii) बुनियादी ढांचे का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा लेकिन 31 मार्च, 2008 के बाद नहीं किया जाएगा।
- (iii) विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाओं को आवश्यकतानुसार अनुबंधित किया जाएगा।
- (iv) 9,775/- लाख रुपये की राशि प्रतिवर्ष निम्नलिखित व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होंगी:-
 - (aa) संपत्ति कर, जहां लागू हो, पानी और बिजली शुल्क।
 - (ab) टेलीफोन लगाने और मासिक/द्विमासिक बिलों का भुगतान।
 - (ac) भवनों का रखरखाव।
 - (ad) एम्बुलेंस और वाहनों के संचालन और रखरखाव का खर्च।
 - (ae) वार्षिक रखरखाव अनुबंध के भुगतान सहित चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव।
 - (af) नए और प्रतिस्थापन चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस और वाहनों की खरीद।
 - (ag) दवाएं, ड्रग्स और सभी भत्ते।
 - (ah) आकस्मिकताओं आदि के कारण व्यय।
 - (ai) संस्थान को चलाने के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय।

(i) प्रति यूनिट अनुमानित व्यय: प्रति संवर्धित सशस्त्र बल क्लिनिक/पॉलीक्लिनिक पर अनुमानित व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

	क्लिनिक की संख्या	प्रति क्लिनिक लागत	कुल (लाख रुपये में)
(i) संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक			
(aa)	पूँजी परिव्यय		
	टाइप A	10	131.00
	टाइप B	17	80.00
	टाइप C	28	34.00
			952.00

	टाइप D	51	28.00	1456.00
	कुल	106		4889.00
या रुपए 49.00 करोड़				

(ab)	राजस्व परिव्यय	क्लिनिक की संख्या	प्रति क्लिनिक लागत	कुल (लाख रुपये में)
	टाइप A	10	113.56	1249.16
	टाइप B	17	81.56	1060.28
	टाइप C	28	46.24	1249.72
	टाइप D	51	29.74	1546.48
	कुल	106		5150.64
या रुपए 52.00 करोड़				

(ii) नयी पॉलीक्लिनिक्स				
(aa)	पूँजी परिव्यय	क्लिनिक की संख्या	प्रति क्लिनिक लागत	कुल (लाख रुपये में)
	Type A	08	166.48	998.88
	Type B	20	105.06	2416.38
	Type C	42	40.57	1744.51
	Type D	51	34.21	1744.71
	कुल	121		6904.48
या रुपए 69.00 करोड़				

(ab)	राजस्व परिव्यय	क्लीनिकों की संख्या	प्रति क्लिनिक लागत	कुल (लाख रुपये में)
	Type A	08	189.00	1134.00
	Type B	20	132.00	3036.00
	Type C	42	74.00	3182.00
	Type D	51	47.5	2422.50
	कुल	121		9774.50
या रुपए 97.75 करोड़				

(j) **रिम्बर्समेन्ट।** सदस्यों को ऑगमेंटेड आर्म्ड फोर्सज क्लीनिक और आर्म्ड फोर्सज पॉलीक्लिनिक में निःशुल्क बाह्य रोगी उपचार प्रदान किया जाएगा। रोगियों को रिम्बर्समेन्ट प्रदान की जाएगी या वहां से भुगतान किया जाएगा जहां से निम्नलिखित के लिए पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक केंद्रों/नर्सिंग होम/अस्पतालों से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं:-

- (i) दवाओं/ड्रग्स/उपभोग्य सामग्रियों की लागत।
- (ii) डायग्नोस्टिक परीक्षण।
- (iii) परामर्श।
- (iv) अस्पताल में भर्ती।

(k) योजना का विवरण और तौर-तरीके, जिसके द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों द्वारा किए गए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति अलग से संचालित और कार्यान्वित की जाएगी।

(l) आपात स्थिति में लाभार्थी योजना के तहत पैनल में शामिल नजदीकी सरकारी अस्पताल या नर्सिंग होम/निजी अस्पताल में रिपोर्ट कर सकता है। ऐसे मामलों में किए गए खर्च या जीवन को गंभीर खतरे में डालने वाली चिकित्सा आपात स्थिति के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी। दुर्घटनाओं और आघात के मामलों में जहां जीवन बचाने के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करने का समय महत्वपूर्ण होता है, एक भूतपूर्व सैनिक किसी भी नर्सिंग होम/अस्पताल में जा सकता है। ऐसे मामलों की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति केंद्रीय संगठन मुख्यालय दिल्ली द्वारा प्रदान की जाएगी।

(m) योजना एक परियोजना संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इसमें दिल्ली में स्थित एक मुख्यालय और तेरह क्षेत्रीय केंद्र शामिल होंगे। मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत संगठन, बुनियादी ढांचा और जनशक्ति संशोधित परिशिष्ट G के अनुसार होगी। थल सेना, नौसेना और वायु सेना इन प्रशासनिक संगठनों को अपने मौजूदा संसाधनों के भीतर से कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे।

(* पैरा 2(m) 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 29 मई 03 द्वारा संशोधित)

3. **वित्तीय परिव्यय :** योजना का कुल वित्तीय परिव्यय निम्नानुसार होगा :- (करोड़ रुपये में)

		पूँजीगत	राजस्व
(a)	नए सशस्त्र पॉलीक्लिनिक की स्थापना	69.00	97.75
(b)	सेना का विस्तार	49.00	52.00
(c)	अदायगी	200.85	
(d)	प्रशासन की लागत	4.00	3.90
कुल		122.00	354.50
		(एक बार)	(प्रतिवर्ष)

4. **व्यय का वर्षवार विवरण:** सेवा मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व व्यय और प्रतिपूर्ति के लिए किए गए आवंटन का वार्षिक आधार पर पूर्ण उपयोग किया जाता है। पूंजीगत व्यय के संबंध में, योजना शुरू होने के बाद चार साल के भीतर 106 संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। 121 पॉलीक्लिनिक के मामले में, बुनियादी ढांचे को पांच साल में पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भूमि की खरीद और भवनों का निर्माण शुरू से ही शामिल है। पूंजीगत व्यय के लिए व्यापक मानदंड निम्नानुसार हैं:

	प्रथम वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवां वर्ष
(a) संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक	19.60	19.60	4.90	4.90	
	(40%)	(40%)	(10%)	(10%)	
(b) नई सशस्त्र सेना पॉलीक्लिनिक्स	13.80	20.70	20.70	6.90	6.90
	(20%)	(30%)	(30%)	(10%)	(10%)

5. भूतपूर्व सैनिकों की आबादी में वृद्धि को पूरा करने और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को समायोजित करने के लिए राजस्व आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

6. योजना का अनुमानित व्यय जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निम्न हेड्स में डेबिट किया जाएगा:-

(a)	पूँजी परिव्यय	मेजर हेड	4076
		सब मेजर हेड	01
		माइनर हेड	107
(b)	राजस्व परिव्यय	मेजर हेड	2076
		माइनर हेड	107

7. सदस्यों से प्राप्त अंशदान को मेजर हेड 0076, माइनर हेड 107 में जमा किया जाएगा (पैरा 6(a), 6 (b) और 7, 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 07 Jul 03, 24(4)/03/US(WE)/ D(Res) dt 28 Jul 03 और 24(10)/04/US(WE)/D(Res) दिनांक 29 मार्च 04 द्वारा संशोधित)

8. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) (AG/PD) की सहमति से उनकी डायरी संख्या 1310/ PD/2002 dt 30.12.2002 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(वी.के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

1. रक्षा मंत्री (वित्त/ एजी AG) - 2 कॉपी
2. सीजीडीए CGDA, नई दिल्ली
3. डीजीएडीएस DGADS, नई दिल्ली।
4. समस्त कमान मुख्यालय
5. सीडीए CDA (O), पुणे
6. सीडीए CDA (सेना), मेरठ
7. सीडीए CDA (सेना), बेंगलोर
8. सीडीए CDA (सेना), जबलपुर
9. सीडीए CDA (सेना), लखनऊ
10. सीडीए CDA (सेना), पटना
11. सीडीए CDA (सेना), गुवाहाटी
12. सीडीए CDA (सेना), पुणे
13. सीडीए CDA (सेना), सिकंदराबाद
14. सीडीए CDA (नौसेना), मुंबई
15. सीडीए CDA (वायु सेना), देहरादून
16. एजी AG की शाखा/सीडब्ल्यू CW-3 - 300 कॉपी
17. नौसेना मुख्यालय (पीएस डीटीई PS Dte) - 2 कॉपी
18. वायु मुख्यालय (पीएसएंडआर PS&R) - 3 कॉपी
19. डायरेक्टर (वित्त/एजी AG) - 2 कॉपी
20. डीएफए DFA (B) - 2 कॉपी
21. डीएफए DFA (A) - 2 कॉपी
22. डीएफए DFA (वायु सेना) - 2 कॉपी

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

23. सीडीए CDA (सेना), बेंगलोर
24. सीडीए CDA (WC), चंडीगढ़
25. सीडीए CDA (सेना), पटना
26. सीडीए CDA (CS), पुणे
27. सीडीए CDA (सेना), मेरठ
28. सीडीए CDA (NC), जम्मू
29. सीडीए CDA (अधिकारी), पुणे
30. सीडीए CDA (नौसेना), बॉम्बे
31. सीडीए CDA (AF), देहरादून
32. सीडीए CDA (सेना), जबलपुर
33. सीडीए CDA (सेना), सिकंदराबाद
34. सीडीए CDA (सेना), लखनऊ
35. सीडीए CDA (सेना), चेन्नई
36. सीडीए CDA (नौसेना), कोलकाता
37. सीडीए CDA (AF), दिल्ली

संशोधित परिशिष्ट 'A'

**ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दरें
(01 अप्रैल 2004 से प्रभावी)**

नया स्लैब अंशदान (रुपये में)

संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन (असंबद्ध बुनियादी पेंशन + महंगाई पेंशन)

(रुपये प्रति माह) तक:-

रु 3000				1800
रु 3001	से	रुपये	6000	4800
रु 6001	से	रुपये	10000	8400
रु 10001	से	रुपये	15000	12000
रु 15001	और अधिक	रुपये	18000	

नोट:-

- ईसीएचएस (ECHS) एकमुश्त अंशदान को सीजीएचएस (CGHS) पर लागू एकमुश्त अंशदान की दरों के अनुसार वर्षों से संशोधित किया गया है।
- भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(16)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 19 जुलाई 2005 और 22D(04/10/US(WE)/D(Res) दिनांक 08 अगस्त 2011 का (भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या S-11011/6/98 CGHS (P) दिनांक 20 सितम्बर 04 और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस पत्र संख्या B/49784/AG/ECHS दिनांक 15 जनवरी 05) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

नोट:-

- ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पेंशनभोगियों/आश्रितों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पेंशनभोगियों/आश्रितों से उनकी पेंशन के आधार पर बदली जा सकती है।
- जब कभी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS लाभार्थियों के लिए सदस्यता की दरों को संशोधित किया जाता है, तो ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दर उसी तिथि से संशोधित मानी जाएगी।
- पेंशनभोगी ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के लिए समान एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसा कि सेवानिवृत्ति के समय देय वार्षिक अंशदान का 10 गुना अंशदान करके CGHS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करने वाले नागरिक पेंशनभोगी करते हैं।
- जो भूतपूर्व सैनिक लगातार तीन वार्षिक किश्तों में भुगतान करेंगे, उन्हें शुरू में केवल एक वर्ष की वैधता के साथ ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता कार्ड दिया जाएगा। कार्ड की वैधता दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए तभी बढ़ाई जाएगी जब पूर्व सैनिकों ने भुगतान कर दिया हो और दूसरी और तीसरी किस्त का प्रमाण दे दिया हो।

***** (परिशिष्ट A 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 01 अप्रैल 03 और 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 29 मई 03 द्वारा संशोधित)**

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS)**मौजूदा सैन्य स्टेशनों पर 106 संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिकों की सूची**

106 स्टेशनों पर संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इनमें 10 टाइप A, 17 टाइप B, 28 टाइप C और 51 टाइप D क्लीनिक शामिल होंगे। सेना की संरचनाओं की वर्तमान तैनाती प्रोफाइल के आधार पर स्थानों में समायोजन किया जा सकता है।

क्रमांक	राज्य	स्टेशन	2500 से कम आबादी वाले टाइप E स्टेशन का लिंकेज

टाइप A (20000 से ऊपर भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

- हिमाचल प्रदेश योल
(22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05 द्वारा नाम बदला गया)
- जम्मू कश्मीर जम्मू
- कर्नाटक बेंगलोर (शहरी)
- केरल त्रिवेंद्रम अलग
- पंजाब अमृतसर
- पंजाब गुरदासपुर
- पंजाब जलंधर
- पंजाब लुधियाना
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा डिलीट किया गया)
- उत्तरांचल देहरादून
- उत्तरांचल पिथौरागढ़
- दिल्ली दिल्ली कैंट
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05 द्वारा नाम परिवर्तन)

टाइप B (10000 और 20000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

- हरियाणा गुरुग्राम
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04 द्वारा डिलीट किया गया)
- हरियाणा हिसार

3.	कर्नाटक	बेलगाम	
4.	केरल	कोचीन	
5.	महाराष्ट्र	मुंबई	
6.	महाराष्ट्र	पुणे	
7.	पंजाब	संगरूर	
8.	राजस्थान	अजमेर	
9.	राजस्थान	अलवर	
10.	राजस्थान	जोधपुर	
11.	तमिलनाडु	चेन्नई	
12.	उत्तरांचल	लैंसडाउन	टिहरी, उत्तरकाशी, बिजनौर

(22(28)/05/US/(WE)/D(Res) दिनांक 02 जून 2006 द्वारा डिलीट किया गया)

13.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	बिजनौर
14.	केरल	कन्नूर	वायनाड

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

15.	उत्तरांचल	हल्दवानी	उधमसिंह नगर

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

16.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद वारंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

17.	नलगोंडा	कर्णूल	निजामाबाद, मेदक

(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05 द्वारा नाम परिवर्तित)

18.	पंजाब	पटियाला	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

20.	राजस्थान	जयपुर	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

21.	उत्तरांचल	कोटद्वार	टिहरी, उत्तरकाशी, बिजनौर

(22(28)/05/US/(WE)/D(Res) दिनांक 02 जून 2006 द्वारा जोड़ा गया)

टाइप C (5000 और 10000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	

(22(4)/05/US(WE) /D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा हटाया गया)

2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	सिरकाकुलम
3.	बिहार	दानापुर (पटना)	
4.	झारखंड	रांची	दुमका, हजारीबाग
5.	गुजरात	अहमदाबाद	
6.	हरियाणा	अम्बाला	
7.	जम्मू कश्मीर	जंगलोट (कठुआ)	
8.	जम्मू कश्मीर	सांबा	
9.	जम्मू कश्मीर	उधमपुर	
10.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	
11.	महाराष्ट्र	नागपुर	वर्धा, गढ़घीरोटी, भंडारा, चंद्रपुर
12.	उड़ीसा	कटक	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा हटाया गया)

13.	पंजाब	भटिंडा
14.	पंजाब	फरीदकोट
15.	पंजाब	फिरोजपुर
16.	पंजाब	कपूरथला
17.	पंजाब	पटियाला

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा हटाया गया)

18.	पंजाब	मोगा
19.	राजस्थान	भरतपुर
20.	राजस्थान	जयपुर

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा हटाया गया)

21.	तमिलनाडु	कोयंबटूर इरोड
22.	उत्तरप्रदेश	आगरा
23.	उत्तरप्रदेश	बरेली हरदोई, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत
24.	उत्तरप्रदेश	फतेहगढ़ खीरी
25.	उत्तरप्रदेश	कानपुर हमीरपीर, बांदा,
26.	उत्तरप्रदेश	लखनऊ बाराबंकी
27.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग अम्बेडकरनगर
28.	चंडीगढ़	चंडीगढ़

(22(4)/05/US(WE) /D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा हटाया गया)

29.	हरियाणा	चंडीमंदिर

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)

30. तमिलनाडू अवादी
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)
31. पश्चिम बंगाल बैरकपुर
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)
32. आंध्र प्रदेश गोलकुंडा
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)
33. हिमाचल प्रदेश शिमला किन्नौर, कालका, लाहौल स्पीति
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05 द्वारा जोड़ा गया)

टाइप D (2500 और 5000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1. अंडमान पोर्ट ब्लेयर
2. असम मासीमपुर दीफू, सोनितपुर
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05, द्वारा नाम परिवर्तन)
3. असम जोरहाट डिब्रूगढ़, लखीमपुर
4. बिहार गया भागलपुर
5. गुजरात वडोदरा सूरत
6. गुजरात जामनगर राजकोट
7. गोवा पंजिम
8. हरियाणा सिरसा
9. हिमाचल प्रदेश शिमला
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)
10. हिमाचल प्रदेश सोलन सिरमौर
11. जम्मू-कश्मीर डोडा
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)
12. जम्मू-कश्मीर पुंछ
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)
13. जम्मू-कश्मीर श्रीनगर
14. जम्मू-कश्मीर बारामूला
15. जम्मू-कश्मीर लेह
16. जम्मू-कश्मीर राजौरी
17. कर्नाटक येलहंका (बेंगलोर)
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05, द्वारा नाम परिवर्तित)

18.	कर्नाटक	कारवार	
19.	मध्यप्रदेश	ग्वालियर	शिवपुरी
20.	मध्यप्रदेश	महू उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, रतलाम	

(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05 द्वारा नाम परिवर्तित)

21.	मध्यप्रदेश	जबलपुर	शहडोली, सिवनी, छिंदवाड़ा, बिलासपुर
22.	मध्यप्रदेश	भोपाल	नरसिंगपुर, होशंगाबाद, बेतुल
23.	मध्यप्रदेश	सागर	टीकमगढ़, दमोह
24.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	परभणी, बीड, जालनी
25.	महाराष्ट्र	मुंबई (उपनगर)	
26.	इंफाल		

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

27.	मेघालय	शिलांग
28.	मिजोरम	आइजोल

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

29.	नागालैंड	ज़खामा (कोहिमा)

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

30.	नागालैंड	मोकोकचुंग

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

31.	उड़ीसा	बालासोर
32.	राजस्थान	बीकानेर
33.	राजस्थान	कोटा
34.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
35.	राजस्थान	उदयपुर
36.	राजस्थान	जैसलमेर
37.	राजस्थान	बाड़मेर
38.	सिक्किम गंगटोक	नामची, ग्यालशिंग
39.	तमिलनाडु	डिंडीगुल -

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

40.	तमिलनाडु	वेलिंगटन	
41.	त्रिपुरा	अगरतला	
42.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	कौशाम्बी
43.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	
44.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बहराइच, बलरामपुर, बस्तर, चित्रकूट,

45.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	गोंडा, कुशीनगर, महाराजगंज
46.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	हाथरस
47.	उत्तर प्रदेश	झांसी	मिर्जापुर
48.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	महोबा
49.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	
50.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (हिंडन)	ज्योतिबाफुले नगर
51.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा हटाया गया)

52.	पश्चिम बंगाल	बेंगलुरु	
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05, द्वारा नाम परिवर्तित)			

53.	राजस्थान	अजमेर	
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, द्वारा जोड़ा गया)			

54.	महाराष्ट्र	देवलाही - धुले	
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

55.	असम	गुवाहाटी	धुबरी, कोकराझार, नागौम
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05, द्वारा नाम परिवर्तित)			

56.	हिमाचल प्रदेश	बखलोह	
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

57.	पश्चिम बंगाल	साल्ट लेक	
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

58.	उत्तरांचल	रुड़की	
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

59.	पंजाब	पठानकोट	
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

60.	नागालैंड	दीमापुर	ईटानगर, वोखा, जुन्हेहोटी
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)			

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS)
गैर-सैन्य स्टेशनों पर 121 नए सशस्त्र बलों पॉलीक्लिनिक्स की सूची

121 गैर-सैन्य स्टेशनों पर नए पॉलीक्लिनिक लगाए जाएंगे। इनमें 08 टाइप A, 20 टाइप B, 42 टाइप C और 51 टाइप D पॉलीक्लिनिक शामिल होंगे: -

क्रमांक	राज्य	स्टेशन	2500 से कम आबादी वाले टाइप E स्टेशन का लिंकेज

टाइप A (20000 से ऊपर भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1. हरियाणा भिवानी
2. हरियाणा झज्जर
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, द्वारा हटाया गया)
3. महाराष्ट्र सतारा
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, द्वारा हटाया गया)
4. पंजाब होशियारपुर
5. राजस्थान झूँझनू
6. तमिलनाडु वेल्लोर
7. हरियाणा गुरुग्राम
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, द्वारा जोड़ा गया)
8. उत्तर प्रदेश नोयडा
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, द्वारा जोड़ा गया)
9. दिल्ली नई दिल्ली (लोधी रोड)
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 20 अप्रैल 04, जोड़ा गया)
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 सितम्बर 05 द्वारा नाम परिवर्तित)
10. पंजाब लुधियाना
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) दिनांक 10 अगस्त 05, द्वारा जोड़ा गया)

टाइप B (10000 और 20000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1. बिहार आरा मुंगेर

(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)

2.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर
3.	हरियाणा	नारनौल
4.	हरियाणा	रेवाड़ी
5.	हरियाणा	रोहतक
6.	हरियाणा	सोनीपत
7.	केरल	एलेप्पी

(24(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 20 Apr 04, द्वारा हटाया गया)

8.	केरल	कन्नूरी

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

9.	केरल	क्विलोन
10.	केरल	पलक्कड़
11.	केरल	पथानामथिट्टा
12.	केरल	त्रिशूर
13.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
14.	महाराष्ट्र	सांगली
15.	पंजाब	रोपड़ी
16.	राजस्थान	नागौरी

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

17.	राजस्थान	सीकर
18.	उत्तरांचल	अल्मोड़ा
19.	उत्तरांचल	चमोली

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

20.	उत्तरांचल	नैनीताल

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

21.	उत्तरप्रदेश	बुलंदशहर
22.	उत्तरप्रदेश	गाजीपुर चंदौली, जौनपुर
23.	पश्चिम बंगाल	24 परगना

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

24.	हरियाणा	झज्जर

(24(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 20 Apr 04, द्वारा जोड़ा गया)

25.	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)

26. उत्तरांचल गोपेश्वर
(22D(7)/07/US(WE)/D(Res) dt 31 Dec 07, द्वारा हटाया गया)
27. उत्तराखंड कर्णप्रयाग
(22D(7)/07/US(WE)/D(Res) dt 31 Dec 07, द्वारा जोड़ा गया)

टाइप C (5000 और 10000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	अनंतपुर, कडप्पा, नेल्लोर
2.	आंध्र प्रदेश	गुंटूरकंभम	
3.	आंध्र प्रदेश	ओंगोल	
- (22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
- | | | | |
|----|--------------|------------|--|
| 4. | आंध्र प्रदेश | रंगारेड्डी | |
|----|--------------|------------|--|
- (22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
- | | | | |
|-----|---------------|---------------------|----------|
| 5. | बिहार | छपरा | |
| 6. | बिहार | मुजफ्फरपुर | मोतिहारी |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | कुल्लू |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | मंडी | |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | ऊना | |
| 10. | हरियाणा | फरीदाबाद | |
| 11. | हरियाणा | जींद | |
| 12. | हरियाणा | करनाल | |
| 13. | हरियाणा | चंडीमंदिर (पंचकुला) | |
- (22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
- | | | | |
|-----|---------|------------------|--|
| 14. | हरियाणा | पानीपत | |
| 15. | हरियाणा | यमुनानगर | |
| 16. | कर्नाटक | मदिकेरी कासरगोडी | |
- (संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)
- | | | | |
|-----|------|----------|--|
| 17. | केरल | कोट्टायम | |
| 18. | केरल | कोझिकोड | |
| 19. | केरल | मलप्पुरम | |
- (22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
- | | | | |
|-----|------------|-----------|--|
| 20. | महाराष्ट्र | रत्नागिरि | |
|-----|------------|-----------|--|
- (22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, द्वारा हटाया गया)

21.	महाराष्ट्र	शोलापुर
22.	महाराष्ट्र	सिंधुदुर्ग
23.	महाराष्ट्र	ठाणे
24.	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब

(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)

25.	पंजाब	मुक्तसर
26.	राजस्थान	चुरू
27.	तमिलनाडू	धर्मपुरी

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

28.	तमिलनाडू	कांचीपुरम	
29.	तमिलनाडू	मदुरै	पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा
30.	तमिलनाडू	सलेम	रामनाथपुरम
31.	तमिलनाडू	तिरुची	
32.	तमिलनाडू	तिरुनेलवेली	
33.	तमिलनाडू	थिरुवन्नमलाई	
34.	तमिलनाडू	तिरुवल्लूर	

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05 द्वारा हटाया गया)

35.	तमिलनाडू	विरुधुनगर

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

36.	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाली
37.	उत्तर प्रदेश	बलिया
38.	उत्तर प्रदेश	देवरिया
39.	उत्तर प्रदेश	इटावा
40.	उत्तर प्रदेश	नोयडा

(24(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 20 Apr 04, द्वारा हटाया गया)

41.	उत्तर प्रदेश	मेनपुरी
42.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
43.	पश्चिम बंगाल	कृष्णनगर
44.	महाराष्ट्र	सतारा

(24(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 20 Apr 04, द्वारा जोड़ा गया)

45.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	कालाहांडी, संबलपुरी ढेंकनाल

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05 द्वारा जोड़ा गया)

46.	तमिलनाडु	श्रीविल्लीपुत्तूर

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)

47. तमिलनाडु कृष्णागिरी
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
48. आंध्र प्रदेश गिददलुर
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05 द्वारा जोड़ा गया)
49. केरल पेरिंटलमन्ना
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05 द्वारा जोड़ा गया)
50. राजस्थान नागौर
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05 द्वारा द्वारा जोड़ा गया)
51. महाराष्ट्र चिपलुन
(जोड़ा गया 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, देखें)

टाइप D (2500 और 5000 के बीच भूतपूर्व सैनिकों की जनसंख्या)

1. आंध्र प्रदेश काकीनाडा
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)
2. आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)
3. आंध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी
4. असम कामरूप
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
5. बिहार दरभंगा
6. झारखंड जमशेदपुर
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)
7. हिमाचल प्रदेश चंबा
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
8. हरियाणा फतेहाबाद
9. हरियाणा कैथल
10. हरियाणा कुरुक्षेत्र
11. कर्नाटक बीजापुर गुलबर्गा
12. कर्नाटक धारवाड़
13. कर्नाटक मेंगलोर शिमोगा
14. कर्नाटक मैसूर

15.	मध्यप्रदेश	भिंड दतिया
16.	मध्यप्रदेश	मुरैना
17.	मध्यप्रदेश	रीवा सीधी, सतना, पन्ना छतरपुर
18.	महाराष्ट्र	अकोला
19.	महाराष्ट्र	अमरावती
20.	महाराष्ट्र	बुलढाणा
21.	महाराष्ट्र	जलगांव
22.	महाराष्ट्र	नासिक (देवलाली)

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

23.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद नांदेड़
24.	महाराष्ट्र	अलीबाग

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

25.	महाराष्ट्र	लातूर
26.	उड़ीसा	बरहामपुर

(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)

27.	पंजाब	मन्सा
28.	राजस्थान	पालि
29.	राजस्थान	सवाई माधोपुर

(22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, द्वारा हटाया गया)

30.	तमिलनाडु	कुड्डालोर पांडिचेरी
31.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

32.	तमिलनाडु	नागपट्टिनम
33.	तमिलनाडु	तंजावुरि
34.	तमिलनाडु	थेनि
35.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन
36.	तमिलनाडु	विल्लुपुरम
37.	उत्तरांचल	रायवाला (हरिद्वार)

(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)

38.	उत्तरप्रदेश	अलीगढ़
39.	उत्तरप्रदेश	आजमगढ़
40.	उत्तरप्रदेश	बदायूं
41.	उत्तरप्रदेश	एटा
42.	उत्तरप्रदेश	फतेहपुर
43.	उत्तरप्रदेश	फिरोजाबाद

44. उत्तरप्रदेश जालौन
(22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, द्वारा हटाया गया)
45. उत्तरप्रदेश अकबरपुर मत्ती (कानपुर)
(संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 23 Sep 05, द्वारा नाम परिवर्तित)
46. उत्तरप्रदेश मुजफ्फरनगर
47. उत्तरप्रदेश प्रतापगढ़
48. उत्तरप्रदेश रायबरेली
49. पश्चिम बंगाल बर्दवान
50. पश्चिम बंगाल हावड़ा
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा हटाया गया)
51. पश्चिम बंगाल मिदनापुर
52. केरल एलेप्पी इडुक्की
(24(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 20 Apr 04, द्वारा जोड़ा गया)
53. मिजोरम आइजोल लुंगली
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
54. तमिलनाडु डिंडीगुल
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
55. तमिलनाडु नागरकोइल
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
56. नागालैंड कोहिमा
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
57. मणिपुर इंफाल चुराचांदपुर
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
58. छत्तीसगढ़ रायपुर
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
59. महाराष्ट्र महाद
(22(4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 05, द्वारा जोड़ा गया)
60. राजस्थान हिंडन सिटी
(22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, द्वारा जोड़ा गया)
61. उत्तरप्रदेश उरई
(22(28)/05/US(WE)/D(Res) dt 02 Jun 06, द्वारा जोड़ा गया)

121 टाइप 'E' स्टेशनों की सूची

परिशिष्ट 'D'

<u>क्रमांक</u>	<u>राज्य</u>	<u>स्थान</u>
1.	आंध्र प्रदेश	- आदिलाबाद
2.	"	- अनंतपुरी
3.	"	- कडप्पा:
4.	"	- करीम नगर
5.	"	- कुरनूली
6.	"	- खम्मम
7.	"	- महबूबनगरी
8.	"	- नलगोंडा
9.	"	- नेल्लोर
10.	"	- निजामाबाद
11.	"	- संगारेड्डी/मेडक
12.	"	- श्रीकाकुलम
13.	"	- विजयनगरम
14.	"	- वारंगल
15.	अरुणाचल प्रदेश	- ईटानगरी
16.	असम	- धुबरी
17.	"	- डिब्रूगढ़
18.	"	- कार्बी आंगलोंग/दिफू
19.	"	- कोकराझारी
20.	"	- लखीमपुरी
21.	"	- नागांव
22.	"	- सोनितपुरी
23.	बिहार	- भागलपुरी
24.	"	- मुंगेर
25.	"	- मोतिहारी
26.	झारखंड	- दुमका
27.	"	- हजारीबाग

28.	गुजरात	-	राजकोट
29.	"	-	सूरत
30.	हिमाचल प्रदेश	-	किन्नौर/ केए.एलपीए (KA.LPA)
31.	"	-	कुल्लू
32.	"	-	लाहौल और स्पीति
33.	"	-	सिरमौर
34.	कर्नाटक	-	गुलबर्गा
35.	"	-	शिमोगा
36.	केरल	-	इडुक्की
37.	"	-	कासरगोड
38.	"	-	वायनाड
39.	छत्तीसगढ़	-	बिलासपुर
40.	"	-	दुर्ग
41.	"	-	रायगढ़
42.	"	-	रायपुरी
43.	"	-	राजनांदगांव
44.	मध्य प्रदेश	-	बैतूल
45.	"	-	छतरपुर
46.	"	-	छिंदवाड़ा
47.	"	-	दमोह
48.	"	-	दतिया
49.	"	-	देवास
50.	"	-	धरा
51.	"	-	होशंगाबाद
52.	"	-	मंदसौर
53.	"	-	नरसिंगपुरी
54.	"	-	पन्ना
55.	"	-	रतलाम
56.	"	-	सतना
57.	"	-	सियोनि
58.	"	-	शहदोली
59.	"	-	शिवपुरी

60.	“	-	सिद्धि
61.	”	-	टीकमगढ़
62.	”	-	उज्जैन
63.	महाराष्ट्र	-	बीड
64.	“	-	भंडारा
65.	“	-	चंद्रपुरी
66.	“	-	धुले
67.	“	-	गढ़घिरोली
68.	“	-	जालना
69.	“	-	नांदेड़
70.	“	-	परभणी
71.	“	-	वर्धा
72.	“	-	यवतमाली
73.	मणिपुर	-	चुराचंदपुरी
74.	मिजोरम	-	लुंगलेई
75.	नागालैंड	-	वोखा
76.	”	-	जुन्हेहोटो
77.	उड़ीसा	-	ढेंकनाली
78.	“	-	कालाहांडी
79.	“	-	संबलपुरी
80.	सिक्किम	-	नामची (एस)
81.	सिक्किम	-	ग्यालसिंहिंग
82.	तमिलनाडु	-	इरोड
83.	”	-	पुदुकोट्टई
84.	”	-	रामनाथपुरम
85.	”	-	शिवगंगा
86.	उत्तरांचल	-	टिहरी गढ़वाल
87.	”	-	उधमसिंह नगर
88.	”	-	उत्तरकाशी
89.	उत्तर प्रदेश	-	अम्बेडकर नगर
90.	“	-	बहराइची
91.	“	-	बलरामपुर

92.	“	-	बांदा
93.	“	-	बाराबंकी
94.	“	-	बस्ती
95.	“	-	बिजनौर
96.	“	-	चंदौली
97.	“	-	चित्रकूट
98.	“	-	गोंडा
99.	“	-	हमीरपुरी
100.	“	-	हरदोई
101.	“	-	हाथरस
102.	“	-	जौनपुरी
103.	“	-	ज्योतिबाफुले नगर
104.	“	-	कौशाम्बी
105.	“	-	कुशी नगरी
106.	“	-	खीरी
107.	“	-	महाराजगंज
108.	“	-	महोबा
109.	“	-	मऊ
110.	“	-	मिर्जापुरी
111.	“	-	मुरादाबाद
112.	“	-	पीलीभीत
113.	“	-	रामपुरी
114.	“	-	संत रविदास नगरी
115.	“	-	श्रावस्ती
116.	“	-	सिद्धार्थनगर
117.	“	-	सीतापुरी
118.	“	-	सोनभद्र
119.	“	-	उन्नाव
120.	पश्चिम बंगाल	-	दक्षिण दिनाजपुरी
121.	पांडिचेरी	-	जौनपुरी

परिशिष्ट 'E'

संवर्धित सशस्त्र बलों के क्लीनिकों में बुनियादी सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं और कर्मचारी का विवरण

	<u>प्रकार A</u>	<u>प्रकार B</u>	<u>प्रकार C</u>	<u>प्रकार D</u>
1. बुनियादी ढांचा				
(a) भूमि	सशस्त्र बलों के पास मौजूद मौजूदा A1 भूमि का उपयोग किया जाएगा।			
(b) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	5000	4000	2500	2000
(c) चिकित्सा उपकरण				
(i) एक्स - रे मशीन	1	1	1	1
(ii) अल्ट्रासाउंड	1	1	1	1
(iii) लैब ऑटो विश्लेषक	1	1	1	1
(iv) दंत चिकित्सा उपकरण सेट (कुर्सी सहित)	1	1	1	1
(v) भौतिक चिकित्सा (मानक सेट)	1	1	1	1
(vi) ECG मशीन	1	1	1	1
(vii) मॉनिटर डीफिब्रिलेटर	1	1	-	-
(viii) अन्य छोटे उपकरण/फर्नीचर आइटम	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
(d) अन्य उपकरण				
(i) जेनरेटर	1	1	1*	1*
(ii) एयर कंडीशनर	3	3	1	1
(iii) एम्बुलेंस	1	1	1	1

(* 24(16)/03/US(WE) dt 26 Mar 04 द्वारा संशोधित - यह इस शर्त के अधीन है कि टाइप C और D पॉलीक्लिनिक्स के लिए जनरेटर के प्रावधान की लागत को कुल पूंजीगत लागत के भीतर समाहित किया जाएगा। सीसीएस (CCS) द्वारा अनुमोदित ईसीएचएस (ECHS) योजना और जैसा कि एमओडी (MOD) के मूल स्वीकृति पत्र दिनांक 30.12.02 में उल्लिखित है)

2. चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारी

(a)	चिकित्सा अधिकारी	2	2	1	1
(b)	चिकित्सा विशेषज्ञ	1	1	-	-
(c)	दंत चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1
(d)	प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1
(e)	नर्सिंग	3	3*	1	1
(f)	प्रयोगशाला सहायक	2	2*	1	1
(g)	दंत स्वास्थ्यक	1	1	-	-
(h)	चालक	1	1	1	1
(j)	चपरासी	1	1	1	1
(k)	सफाईवाला	1	1	1	1
(l)	महिला परिचारक	1	1	1	1

(*22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 04 Sep 03 द्वारा संशोधित)।

नोट:- प्रस्तावित संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक के लिए कर्मचारी की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी।

परिशिष्ट 'F'

**नए सशस्त्र बलों पॉलीक्लिनिक्स में बुनियादी सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं और
कर्मचारियों का विवरण**

	प्रकार A	प्रकार B	प्रकार C	प्रकार D
2. बुनियादी ढांचा				
(a) भूमि	1200	1200	700	700 (वर्ग फिट में)
(b) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फिट में)	5000	4000	2500	2000 (वर्ग फिट में)
(c) चिकित्सा उपकरण				
(i) एक्स - रे मशीन	1	1	1	1
(ii) अल्ट्रासाउंड	1	1	1	1
(iii) लैब ऑटो विश्लेषक	1	1	1	1
(iv) दंत चिकित्सा उपकरण सेट (कुर्सी सहित)	2	2	1	1
(v) भौतिक चिकित्सा (मानक सेट)	1	1	1	1
(vi) ECG मशीन	1	1	1	1
(vii) मॉनिटर डीफिब्रिलेटर	1	1	-	-
(viii) अन्य छोटे उपकरण/फर्नीचर आइटम	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
(ix) सभी प्रयोगशाला में अन्य उपकरण	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
(d) अन्य उपकरण				
(i) जनरेटर	1	1	1*	1*
(ii) एयर कंडीशनर	3	3	1	1
(iii) एंबुलेंस	1	1	1	1
(iv) हल्के वाहन	1	1	-	-

*यह इस शर्त के अधीन है कि टाइप C और D पॉलीक्लिनिक्स के लिए जनरेटर के प्रावधान की लागत CCS द्वारा अनुमोदित और MOD के मूल स्वीकृति पत्र दिनांकित ईसीएचएस (ECHS) योजना की समग्र पूंजीगत लागत के भीतर समाहित की जाएगी।

30.12.02 - (सहसंबंध 24(16/03/ US(WE)/D(Res) dt 26 Mar 04) द्वारा संशोधित)।

3. चिकित्सा सुविधाएं और कर्मचारी

(a)	चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	2
(b)	चिकित्सा विशेषज्ञ	2	2	1	1
(c)	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1	-	-
(d)	दंत चिकित्सा अधिकारी	2	2	1	1
(e)	प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1
(f)	नर्सिंग सहायक/नर्स	3	3	2	2
(g)	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	1
(h)	दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ	1	1	-	-
(j)	रिसेप्शनिस्ट/केयर टेकर	1	1	-	-
(k)	चालक	3	3	1	1
(l)	चपरासी	1	1	1	1
(m)	सफाईवाला	1	1	1	1
(n)	महिला परिचारक	1	1	1	1

नोट:- प्रस्तावित पॉलीक्लिनिक के लिए कर्मचारी की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी।

संशोधित परिशिष्ट 'G'केंद्रीय मुख्यालय और क्षेत्रीय संगठन का संस्थान, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा

*(परिशिष्ट 'G' 22(1)/01/US(WE)/D(Res)d/d 29 May 03) केंद्रीय संगठन द्वारा संशोधित)

1. संगठन और कर्मचारी

(a)	प्रबंध डायरेक्टर (मेजर जनरल)	1
(b)	उप प्रबंध डायरेक्टर (ब्रिगेड)	1
(c)	डायरेक्टर (कर्नल)	3
	(i) डायरेक्टर (समन्वय)	1
	(ii) डायरेक्टर (खरीद एवं निधि नियंत्रण)	1
	(iii) डायरेक्टर (चिकित्सा)	1
(d)	उप डायरेक्टर	4
	(i) उप. डायरेक्टर (कार्मिक)	1
	(ii) उप डायरेक्टर (खरीद एवं निधि नियंत्रण)	1
	(iii) उप डायरेक्टर (संचालन)	1
	(iv) उप डायरेक्टर (चिकित्सा)	1
(e)	उप/क्लर्क	4
(f)	क्लर्क	15
(g)	निजी सचिव	4
(h)	ग्रुप D स्टाफ	5

2. बुनियादी ढांचा

- (a) जहां तक संभव हो, भूमि और भवन के संदर्भ में मौजूदा सुविधाओं को उपयुक्त संशोधनों के साथ केंद्रीय संगठन के लिए उपयोग किया जाएगा।
- (b) फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य कार्यालय उपकरण के साथ भवनों में परिवर्धन/संशोधन और कार्यालयों को लैस करने और केंद्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लिए वाहनों की खरीद 400 लाख रुपये तक की लागत पर की जाएगी।
- (c) यात्रा करने, दौड़ने और वाहनों के रखरखाव, केंद्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के रखरखाव पर वार्षिक व्यय 390 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (d) सेवा मुख्यालय के मौजूदा संसाधनों के भीतर से कर्मचारियों की पूर्ति की जाएगी।

क्षेत्रीय संगठन

1. संगठन और कर्मचारी

(a)	डायरेक्टर	1
(b)	उप डायरेक्टर	3
(i)	उप डायरेक्टर लेखा और संपत्ति प्रबंधन -	1
(ii)	उप डायरेक्टर स्थापना	1
(iii)	उप डायरेक्टर अस्पताल सेवा	1
(c)	अधीक्षक	1
(d)	क्लर्क	10
(e)	निजी सचिव	1
(f)	ग्रुप D स्टाफ	5

2. बुनियादी ढांचा। मौजूदा सेवा मुख्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयोग उपयुक्त संशोधनों के साथ किया जाएगा।

फाइल संख्या 22D(44)2007/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
नई दिल्ली,
दिनांक 18 अक्टूबर 2010

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS) का विस्तार

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के आगे, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS) के विस्तार के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निम्नानुसार निर्देश दिया गया है:-

- (a) 199 नए पॉलीक्लिनिक की स्थापना, सूची परिशिष्ट 'A' में संलग्न है
 - (b) 15 नए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना, सूची परिशिष्ट 'B' में संलग्न है
 - (c) केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को 07 अधिकारियों और 15 अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों की वृद्धि करके पुनर्गठित करना।
 - (d) परिशिष्ट 'C' में संलग्न विवरण के अनुसार 67 अधिकारियों और 270 अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों को 15 नए क्षेत्रीय केंद्रों, केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और 199 नए पॉलीक्लिनिक के लिए 2263 अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों को अधिकृत करना।
2. इसे Dy No. 3361/F/P dt 13.10.10 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(एच.के. मलिक) अवर सचिव,
भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. आरएम RM के पीएस PS / आरआर RR के पीएस PS / आरआरयूएम RRUM, सीजीडीए CGDA के पीएस PS, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के एसओ SO
3. सचिव (ESW) के एसओ SO
4. जेएस JS (ESW) के पीपीएस PPS
5. एफए FA (DS) के PPS
6. एस एस (अधिग्रहण) के PPS
7. डीएफए DFA (Pen)
8. डिफेंस (Fin/Pen)
9. सीजीडीए CGDA

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

पत्र संख्या 22D(44)07/US(WE)/D(Res) के लिए परिशिष्ट 'A'

दिनांक 18 अक्टूबर 2010

स्थापित किये जाने वाले 199 अतिरिक्त पॉलीक्लिनिकों की सूची

क्रमांक	पॉलीक्लिनिक की लोकेशन	राज्य	जिला	प्रकार
1	बारामूला	जम्मू कश्मीर	बारामूला	D मिलिट्री
2	डोडा	जम्मू कश्मीर	डोडा	D नॉन मिलिट्री
3	पूछ	जम्मू कश्मीर	पूछ	E मिलिट्री
4	बारीब्रह्मणः	जम्मू कश्मीर	जम्मू	C नॉन मिलिट्री
5	कारगिल	जम्मू कश्मीर	कारगिल	E मिलिट्री
6	नागरोला (गुजरा)	जम्मू कश्मीर	कठुआ	D मिलिट्री
7	रामपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला	E मिलिट्री
8	नाहनो	हिमाचल प्रदेश	सिरमौर	D मिलिट्री
9	शाहपुरी	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	C मिलिट्री
10	पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	D मिलिट्री
11	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	D मिलिट्री
12	डेरा गोप्पीपुर	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	D नॉन मिलिट्री
13	जोगिंदर नगर	हिमाचल प्रदेश	मंडी	D नॉन मिलिट्री
14	चंबा	हिमाचल प्रदेश	चंबा	E मिलिट्री
15	धूमरवीन	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	D नॉन मिलिट्री
16	सरकाघाटी	हिमाचल प्रदेश	मंडी	D नॉन मिलिट्री
17	बरसारी	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	D नॉन मिलिट्री
18	मोहाली	पंजाब	मोहाली	C नॉन मिलिट्री
19	अजनाला	पंजाब	अमृतसर	D नॉन मिलिट्री
20	तरंतरन/पट्टी	पंजाब	अमृतसर	D नॉन मिलिट्री
21	ब्यास	पंजाब	अमृतसर	D नॉन मिलिट्री
22	नवांसहरी	पंजाब	नवांसहरी	D नॉन मिलिट्री
23	सुरनासी	पंजाब	जालंधर	D नॉन मिलिट्री
24	ऊंची बस्सी	पंजाब	होशियारपुर	C नॉन मिलिट्री
25	अबोहर	पंजाब	फिरोजपुर	E मिलिट्री
26	जगराओं	पंजाब	लुधियाना	D नॉन मिलिट्री
27	बटाला	पंजाब	गुरदासपुर	D नॉन मिलिट्री
28	श्री हरगोविंदपुर	पंजाब	गुरदासपुर	D नॉन मिलिट्री
29	सुल्तानपुर लोधी	पंजाब	कपूरथला	D नॉन मिलिट्री

30	फगवाड़ा	पंजाब	कपूरथला	D नॉन मिलिट्री
31	समाना	पंजाब	पटियाला	D नॉन मिलिट्री
32	बरनाला	पंजाब	संगरूर	D नॉन मिलिट्री
33	नाभा	पंजाब	पटियाला	D मिलिट्री
34	दोराहा	पंजाब	लुधियाना	D नॉन मिलिट्री
35	समरला	पंजाब	लुधियाना	D नॉन मिलिट्री
36	महलपुरी	पंजाब	होशियारपुर	D नॉन मिलिट्री
37	तलवाणा	पंजाब	होशियारपुर	D नॉन मिलिट्री
38	गोहाना	हरियाणा	सोनीपत	D नॉन मिलिट्री
39	महम	हरियाणा	रोहतक	D नॉन मिलिट्री
40	सांपला	हरियाणा	रोहतक	D नॉन मिलिट्री
41	लोहारू	हरियाणा	भिवानी	D नॉन मिलिट्री
42	कोसली	हरियाणा	झज्जर	D नॉन मिलिट्री
43	बहादुरगढ़	हरियाणा	झज्जर	D नॉन मिलिट्री
44	गुडगांव (सोहाना रोड)	हरियाणा	गुडगाँव	B नॉन मिलिट्री
45	नूह	हरियाणा	गुडगाँव	D नॉन मिलिट्री
46	चरखी दादरी	हरियाणा	भिवानी	D नॉन मिलिट्री
47	महेंद्रगढ़	हरियाणा	महेंद्रगढ़	D नॉन मिलिट्री
48	नरवाना	हरियाणा	जींद	D नॉन मिलिट्री
49	पलवल	हरियाणा	फरीदाबाद	D नॉन मिलिट्री
50	हांसी	हरियाणा	हिसार	D नॉन मिलिट्री
51	धारूहेड़ा	हरियाणा	रेवाड़ी	D नॉन मिलिट्री
52	नारायणगढ़	हरियाणा	अंबाला	D नॉन मिलिट्री
53	खरखौदा	हरियाणा	सोनीपत	D नॉन मिलिट्री
54	शकूरबस्ती	दिल्ली	पश्चिमी दिल्ली	बी नॉन मिलिट्री
55	तिमारपुर	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली	C नॉन मिलिट्री
56	खानपुर	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	D नॉन मिलिट्री
57	पूर्वी दिल्ली (प्रीत विहार)	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली	B नॉन मिलिट्री
58	निम का थाना	राजस्थान	सीकर	D नॉन मिलिट्री
59	सेरगढ़	राजस्थान	जोधपुर	D नॉन मिलिट्री
60	दौसा	राजस्थान	दौसा	D नॉन मिलिट्री
61	सांगानेर	राजस्थान	जयपुर	D नॉन मिलिट्री
62	भुवना	राजस्थान	झुंझुनूं	D नॉन मिलिट्री
63	भीलवाड़ा	राजस्थान	भीलवाड़ा	D नॉन मिलिट्री
64	सूरतगढ़	राजस्थान	हनुमानगढ़	D नॉन मिलिट्री
65	झुंजरपुर	राजस्थान	झुंजरपुर	D नॉन मिलिट्री
66	राजसमंद	राजस्थान	राजसमंदो	D नॉन मिलिट्री
67	राजगढ़	राजस्थान	चुरू	D नॉन मिलिट्री

68	चिरावा	राजस्थान	झुंझुनूं	D नॉन मिलिट्री
69	बहरोड़	राजस्थान	अलवाडी	D नॉन मिलिट्री
70	बागपत	उत्तर प्रदेश	बागपत	D नॉन मिलिट्री
71	गोंडा	उत्तर प्रदेश	गोंडा	D नॉन मिलिट्री
72	बस्ती	उत्तर प्रदेश	बस्ती	D नॉन मिलिट्री
73	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	D नॉन मिलिट्री
74	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	D नॉन मिलिट्री
75	लखीमपुर	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर	D नॉन मिलिट्री
76	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	D नॉन मिलिट्री
77	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	D नॉन मिलिट्री
78	रामपुर	उत्तर प्रदेश	रामपुर	D नॉन मिलिट्री
79	हरदोई	उत्तर प्रदेश	हरदोई	D नॉन मिलिट्री
80	बाँदा	उत्तर प्रदेश	बाँदा	D नॉन मिलिट्री
81	मिर्जापुर/रॉबर्ट्सगंज	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	D नॉन मिलिट्री
82	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	D नॉन मिलिट्री
83	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	D नॉन मिलिट्री
84	हाथरस	उत्तर प्रदेश	हाथरस	D नॉन मिलिट्री
85	जोशीमठ	उत्तराखंड	चमोली	E मिलिट्री
86	देहरादून (हरिद्वार रोड)	उत्तराखंड	देहरादून	C नॉन मिलिट्री
87	विकास नगर	उत्तराखंड	देहरादून	D नॉन मिलिट्री
88	टिहरी	उत्तराखंड	टिहरी	D नॉन मिलिट्री
89	रुद्रप्रयाग	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग	D नॉन मिलिट्री
90	रानीखेत	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	E मिलिट्री
91	बागेश्वर	उत्तराखंड	बागेश्वर	B नॉन मिलिट्री
92	बंदासा	उत्तराखंड	चम्पावत	D नॉन मिलिट्री
93	रुद्रपुर	उत्तराखंड	उधम सिंह	D नॉन मिलिट्री
94	धारचूला	उत्तराखंड	पिथोरागढ़	E मिलिट्री
95	लैंडडाउन	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाली	E मिलिट्री
96	उत्तरकाशी	उत्तराखंड	उत्तरकाशी	D नॉन मिलिट्री
97	रामनगर	उत्तराखंड	नैनीताल	D नॉन मिलिट्री
98	भागलपुर	बिहार	भागलपुर	D नॉन मिलिट्री
99	कटिहार	बिहार	कटिहार	D नॉन मिलिट्री
100	मोतिहारी	बिहार	मोतिहारी	D नॉन मिलिट्री
101	सिवान	बिहार	सिवान	D नॉन मिलिट्री
102	समस्तीपुर	बिहार	समस्तीपुर	D नॉन मिलिट्री
103	मधुबनी	बिहार	मधुबनी	D नॉन मिलिट्री
104	बक्सर	बिहार	बक्सर	D नॉन मिलिट्री
105	वैशाली	बिहार	वैशाली	D नॉन मिलिट्री

106	सासाराम	बिहार	रोहतास	D नॉन मिलिट्री
107	खगरिया	बिहार	खनारिया	D नॉन मिलिट्री
108	मुंगेर	बिहार	मुंगेर	D नॉन मिलिट्री
109	सीतामढ़ी	बिहार	सीतामढ़ी	D नॉन मिलिट्री
110	देवघर	झारखंड	देवघर	D नॉन मिलिट्री
111	गुमला	झारखंड	गुमला	D नॉन मिलिट्री
112	चाईबासा	झारखंड	पश्चिमसिंहभू	D नॉन मिलिट्री
113	दलतगंज	झारखंड	पलामू	D नॉन मिलिट्री
114	धनबाद	झारखंड	धनबाद	D नॉन मिलिट्री
115	सतना	मध्यप्रदेश	सतना	D नॉन मिलिट्री
116	उज्जैन	मध्यप्रदेश	उज्जैन	D नॉन मिलिट्री
117	अमला	मध्यप्रदेश	पूर्वी निमाड़ी	E मिलिट्री
118	पचमर्नि	मध्यप्रदेश	होशंगाबाद	E मिलिट्री
119	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	बस्तर	D नॉन मिलिट्री
120	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	D नॉन मिलिट्री
121	रायगढ़	छत्तीसगढ़	रायगढ़	D नॉन मिलिट्री
122	बहरामपुर	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	D नॉन मिलिट्री
123	बरुईपुर	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24	D नॉन मिलिट्री
124	बांकुड़ा	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	D नॉन मिलिट्री
125	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	D नॉन मिलिट्री
126	रायगंज	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	D नॉन मिलिट्री
127	कूच बिहारी	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार	D नॉन मिलिट्री
128	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	E मिलिट्री
129	बिनागुरी	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	E मिलिट्री
130	लंका	असम	नगांव	D नॉन मिलिट्री
131	बोंगईगांव	असम	बोंगईगांव	D नॉन मिलिट्री
132	तिनसुकिया	असम	तिनसुकिया	D नॉन मिलिट्री
133	तेजपुर	असम	सोनितपुर	D नॉन मिलिट्री
134	मिसामारी	असम	दरांग	E मिलिट्री
135	डिब्रूगढ़	असम	डिब्रूगढ़	D नॉन मिलिट्री
136	गोलपाड़ा	असम	गोलपाड़ा	D नॉन मिलिट्री
137	धुबरी	असम	धुबरी	D नॉन मिलिट्री
138	लखीमपुर	असम	लखीमपुर	D नॉन मिलिट्री
139	चुरा चांदपुर	पूर्वोत्तर (मणिपुर)	चुरा चांदपुरी	D नॉन मिलिट्री
140	मोकोकचुंग	पूर्वोत्तर (नागालैंड)	मोकोकचुंग	D नॉन मिलिट्री
141	लुंगलेई	पूर्वोत्तर (मिजोरम)	लुंगलेई	D नॉन मिलिट्री
142	तेजु	पूर्वोत्तर (अरुणाचल प्रदेश)	लोहित	E मिलिट्री
143	अलौंग	पूर्वोत्तर (मणिपुर)	पश्चिम सियांग	E मिलिट्री

144	पुरी	उड़ीसा	पुरी	D नॉन मिलिट्री
145	संबलपुर	उड़ीसा	संबलपुर	D नॉन मिलिट्री
146	कोरापुट	उड़ीसा	कोरापुट	D नॉन मिलिट्री
147	अंगुल	उड़ीसा	अंगुल	D नॉन मिलिट्री
148	बवानीपटना	उड़ीसा	कालाहांडी	D नॉन मिलिट्री
149	ढँकनाल	उड़ीसा	ढँकनाल	D नॉन मिलिट्री
150	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	D नॉन मिलिट्री
151	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	D नॉन मिलिट्री
152	कर्णूल	आंध्र प्रदेश	कर्णूल	D नॉन मिलिट्री
153	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	D नॉन मिलिट्री
154	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर	D नॉन मिलिट्री
155	करीमनगर	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	D नॉन मिलिट्री
156	एलुरु	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	D नॉन मिलिट्री
157	सिकंदराबाद	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	D नॉन मिलिट्री
158	खम्मम	आंध्र प्रदेश	खम्माम	D नॉन मिलिट्री
159	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	D नॉन मिलिट्री
160	इरोड	तमिलनाडु	खत्तम	D नॉन मिलिट्री
161	शिवगंगई	तमिलनाडु	शिवगंगा	D नॉन मिलिट्री
162	कुंभकोणम	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	D नॉन मिलिट्री
163	चेन्नई (द्वीप मैदान)	तमिलनाडु	चेन्नई	D नॉन मिलिट्री
164	रामनाथपुरम	तमिलनाडु	रामनाथपुरा	D नॉन मिलिट्री
165	ताम्रम	तमिलनाडु	कांचीपुरम	D नॉन मिलिट्री
166	मवेलीकारा	केरल	अल्लेप्पी	D नॉन मिलिट्री
167	कन्हांगडो	केरल	कासरगोड	D नॉन मिलिट्री
168	कलपेट्टा	केरल	वायनाड	D नॉन मिलिट्री
169	थोडुपुझा	केरल	इडुक्की	D नॉन मिलिट्री
170	त्रिवेंद्रम (मेड कॉलेज)	केरल	तिरुवनंतपुर	D नॉन मिलिट्री
171	चंगनाचेरी	केरल	कोट्टायम	D नॉन मिलिट्री
172	मुवातुपूजा	केरल	एर्नाकुलम	D नॉन मिलिट्री
173	इरिटि	केरल	कन्नूरी	D नॉन मिलिट्री
174	कुन्नम्कुलम	केरल	त्रिचुर	D नॉन मिलिट्री
175	कोट्टारक्कारा	केरल	कोल्लम	D नॉन मिलिट्री
176	रैनि	केरल	पथानामथिट्टा	D नॉन मिलिट्री
177	किळिमानूर	केरल	तिरुवनंतपुर	D नॉन मिलिट्री
178	कोलार	कर्नाटक	कोलार	D नॉन मिलिट्री
179	तुमकुर	कर्नाटक	तुमकुर	D नॉन मिलिट्री
180	हसन	कर्नाटक	हसन	D नॉन मिलिट्री
181	शिमोगा	कर्नाटक	शिमोगा	D नॉन मिलिट्री

182	एमएजी और केंद्र, बेंगलोर	कर्नाटक	बेंगलोर	D नॉन मिलिट्री
183	गुलबर्गा	कर्नाटक	गुलबर्गा	D नॉन मिलिट्री
184	बीदरी	कर्नाटक	बीदरी	E मिलिट्री
185	विरराजेंद्रपेटी	कर्नाटक	कोडागू	D नॉन मिलिट्री
186	बीड	महाराष्ट्र	बीड	D नॉन मिलिट्री
187	नांदेड़	महाराष्ट्र	नांदेड़	D नॉन मिलिट्री
188	कराडी	महाराष्ट्र	सतारा	D नॉन मिलिट्री
189	वर्धा	महाराष्ट्र	वर्धा	D नॉन मिलिट्री
190	नवी मुंबई	महाराष्ट्र	मुंबई	D नॉन मिलिट्री
191	दक्षिण पुणे	महाराष्ट्र	पुणे	D नॉन मिलिट्री
192	पुणे/खडकी	महाराष्ट्र	पुणे	D नॉन मिलिट्री
193	यवतमाली	महाराष्ट्र	यवतमाल	D नॉन मिलिट्री
194	धुले	महाराष्ट्र	धुले	D मिलिट्री
195	वास्को डिगामा	गोआ	वास्को डिगामा	D मिलिट्री
196	गांधी धाम	गुजरात	गांधीधाम	D नॉन मिलिट्री
197	सूरत	गुजरात	सूरत	D नॉन मिलिट्री
198	राजकोट	गुजरात	राजकोट	D नॉन मिलिट्री
199	पुदुचेरी	पुडुचेरी	पुदुचेरी	D नॉन मिलिट्री

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
पत्र संख्या 22D(44)/07/US(WE)/D(Res) के लिए परिशिष्ट B'
दिनांक 18 अक्टूबर 2010

15 अतिरिक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

क्रमांक	क्षेत्रीय केंद्र
1	दिल्ली (दिल्ली के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्र स्वीकृत होने के बाद योल (Yol) में स्थानांतरित किया जाएगा)
2	जालंधर
3	अंबाला
4	हिसार
5	देहरादून
6	बरेली
7	इलाहाबाद
8	अहमदाबाद
9	नागपुर
10	रांची
11	मुंबई
12	विशाखापत्तनम
13	बैंगलोर
14	कोयंबटूर
15	तिरुवनंतपुरम

(जैसा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) dt 25 Feb 2013 द्वारा संशोधित किया गया है)।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
पत्र फाइल संख्या 22D(44)/07/US(WE)/D(Res) के लिए परिशिष्ट 'C'
दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता

कार्मिक-केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)

क्रमांक	श्रेणी	केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)	15 क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)	कुल
1	अधिकारी	7	60*	67
2	पीपीबीओआर PPBOR	15	255*	270

*क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) के लिए एक डायरेक्टर (कर्नल रैंक) और तीन उप डायरेक्टर (लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक)।

**प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) के लिए एक अधीक्षक, 10 क्लर्क, 1 निजी सचिव और 5 समूह 'D' कर्मचारी।

नए 199 पॉलीक्लिनिक्स के लिए अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता

कर्मचारी का विवरण	प्रकार A		प्रकार B		प्रकार C		प्रकार D		प्रकार E (नया प्रस्तावित प्रकार)		अतिरिक्त (199 पॉलीक्लिनिक)
	मिलिट्री	नॉन मिलिट्री	मिलिट्री	नॉन मिलिट्री	मिलिट्री	नॉन मिलिट्री	मिलिट्री	नॉन मिलिट्री	मिलिट्री	नॉन मिलिट्री	
पॉलीक्लिनिकों की संख्या	0	1	0	4	0	8	6	163	17	0	
चिकित्सा अधिकारी		2		2		2	1	2	1		375
चिकित्सा		2		2		1	0	1	0		181
दंत चिकित्सा		2		2		1	1	1	0		187
प्रभारी अधिकारी		1		1		1	1	1	0		182
स्त्री रोग विशेषज्ञ		1		1		0	0	0	0		5
नर्सिंग सहायक		3		3		2	1	2	1		380
लैब सहायक		2		2		1	1	1	0		187
दंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ		2		1		0	0	0	0		6
रिसेप्शनिस्ट		1		1		0	0	0	0		5
चालक		3		3		1	1	1	1		209
चपरासी		1		1		1	1	1	0		182
सफाईवाला		1		1		1	1	1	0		182
महिला परिचारक		1		1		1	1	1	0		182
		22×1 =22		21×4 =84		12×8 =96	9×6 =54	12×163 =1956	3×17 =51		2263

(* उपरोक्त कर्मचारियों की आवश्यकता सैन्य और गैर सैन्य स्टेशनों में टाइप A, B, C, D पॉलीक्लिनिक के लिए स्वीकृत कर्मचारी के अनुसार होती है)।



भाग - III

अंशदान

फाइल संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 08 मार्च 2004

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, -युद्ध विधवाओं को अंशदान के भुगतान से छूट

महोदय,

मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के तहत युद्ध विधवाओं को अंशदान के भुगतान से छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/एजी/पीडी) की सहमति से उनके U.O No. 199/PD/04 dt 5.3.2004 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. रक्षा (वित्त) एजी/पीडी AG/PD
2. सीजीडीए CGDA, नई दिल्ली
3. रक्षा सचिव के एसओ SO
4. सचिव (रक्षा/वित्त) के पीपीएस PPS
5. पीपीएस PPS (अधिग्रहण) के एस एस AS
6. PPS (T) के AS / PPS (I) के AS
7. अतिरिक्त FA (B) / अतिरिक्त FA (V)
8. जीएस JS (ESW)
9. JS (O/N)

10. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
11. AFA (B-1)
12. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
13. ओ एंड एम (O & M) इकाई

के लिए भी:-

14. डीजीएफएमएस
15. डीजीडीई, नई दिल्ली
16. डीजीडी सी एंड डब्ल्यू
17. क्यूएमजी
18. डीजीएमएस
19. डीजीएमएस (वायु)
20. डीजीएमएस (नौसेना)
21. एओए
22. सीओपी
23. एमडी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
24. एडीजी सी एंड डब्ल्यू
25. महाडायरेक्टर (कार्य)। ई-इन-सी शाखा
26. एडीजी (एफपी)
27. समस्त कमान मुख्यालय
28. एजी शाखा / सीडब्ल्यू-3
29. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
30. वायु मुख्यालय (PS & R)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

31. सीडीए (सेना), बेंगलोर
32. सीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
33. सीडीए (सेना), पटना
34. सीडीए (एससी), पुणे
35. सीडीए (सेना), मेरठ
36. सीडीए (एनसी), जम्मू
37. सीडीए (अधिकारी), पुणे
38. सीडीए (नौसेना), बॉम्बे
39. सीडीए (एएफ), देहरादून
40. सीडीए (सेना), जबलपुर
41. सीडीए (सेना), सिकंदराबाद
42. सीडीए (सेना), लखनऊ
43. सीडीए (सेना), चेन्नई
44. सीडीए (मुख्यालय, चुनाव आयोग), कोलकाता
45. सीडीए (एएफ), दिल्ली
46. सीडीए (सेना), गुवाहाटी
47. सीडीए (सेना), पुणे
48. सीडीए (सेना), बॉम्बे
49. सीडीए (सेना), देहरादून

फाइल संख्या PC to 24(2)05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

दिनांक 24 जुलाई 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एकस-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनभोगियों को अंशदान के भुगतान से छूट।

महोदय,

मुझे युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनभोगियों को एकस-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) के लिए अंशदान के भुगतान से छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, जो घोषित युद्धों या किसी अन्य मुठभेड़ के दौरान प्राप्त चोटों के कारण दिव्यांग हो गए थे जिन्हें विशेष रूप से ऐसी स्थिति में दर्ज किया गया था।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O.NO.450/PD/05 दिनांक 21.07.05 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. रक्षा (वित्त) एजी/पीडी (AG/PD)
2. रक्षा सचिव के एसओ (SO)
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के पीपीएस (PPS)
4. AS (शिकायत) के पीपीएस (PPS)
5. एस (टी) के पीपीएस/एस (आई) के पीपीएस
6. जेएस (ईएसडब्ल्यू)
7. जेएस (ओ/एन)
8. अपर एफए (एम) (FA (M))

फाइल संख्या PC to 24(2)05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 07 फरवरी 2006

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनरों को अंशदान के भुगतान से छूट
महोदय,

मुझे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या PC to 24(2)/05/US (WE)/D(Res) दिनांक 24 जुलाई, 2005 का संदर्भ लेने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनभोगी भी ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के भुगतान के छूट में शामिल हैं, जो भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 1(2)97/D(PenC) दिनांक 31 जनवरी, 2001 की श्रेणी E' के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में निरंतर दिव्यांगता से ग्रस्त हैं:-

श्रेणी E'

निम्न के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली दिव्यांगता:-

- a) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई;
- b) विदेश में शांति बनाए रखने वाले मिशन के साथ तैनाती के दौरान कार्रवाई;
- c) सीमा पर झड़पें;
- d) दुश्मन की माइन सहित माइन बिछाने या निकालने के दौरान माइन की सफाई के संचालन के दौरान;
- e) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के पास परिचालन क्षेत्रों में दुश्मन की या स्वयं के बलों द्वारा रखी गई माइन्स के संचालन, उन्मुख खदान-क्षेत्र या माइन हटाने या लगाने के दौरान खदानों के आकस्मिक विस्फोट के कारण;
- f) युद्ध जैसी स्थितियाँ, जिनमें निम्न मामले भी शामिल हैं:-
 - I. संचालन क्षेत्र वाले रास्ते में उपद्रवी कार्यों, विस्फोट माइन्स आदि;
 - II. युद्ध संरोपण प्रशिक्षण अभ्यास या लाइव गोला बारूद के साथ प्रदर्शन;
 - III. संचालन कार्य के दौरान उग्रवादियों द्वारा अपहरण।

- g) संचालन कार्य के दौरान उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/हमले की कार्रवाई;
- h) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि के खिलाफ कार्रवाई। नागरिक शक्ति की सहायता में आने के कारण अक्षमता, आंदोलन, दंगों या प्रदर्शनों द्वारा विद्रोह को इस श्रेणी के तहत कवर किया जाएगा।
- i) संचालन को समय-समय पर सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जायेगा ।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 49/PD/06 dt 2.2.06 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:-

1. DG, DC&W, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. डायरेक्टर जनरल पुनर्वास, पश्चिम ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली
4. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
5. डायरेक्टर (समन्वय) - ईसीएचएस (ECHS) के तहत MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए
6. रक्षा सचिव के SO
7. PS (B) के AS / PS (I) के AS
8. JS (E)
9. DFA (AG/PD)

के लिए भी:-

10. CGDA, नई दिल्ली	20. DGMS
11. FA के PPS (DS)	21. DGMS (वायु)
12. Addl. FA (V) / Addl. FA (K)	22. DGMS (नौसेना)
13. JS (O.N)	23. AOA
14. डायरेक्टर (वित्त)/ AG) / डायरेक्टर (वित्त/कार्य)	24. COP
15. रक्षा वित्त (AG/PD)	25. ADG C&W
16. DFA (B) DFA (N) / DFA (वायु सेना)	26. ADG (FP)
17. D (कार्य)/D(Mov)/D(चिकित्सा)	27. सभी कमान मुख्यालय
18. O & M इकाई	28. AG शाखा/CW-3
19. DGAFMS	

फाइल संख्या. PC to 24(2)/05/US(WE)/D (Res)/Pt III

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 16 फरवरी 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंटीब्यूटरी हेल्थ स्कीम.: युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनभोगियों को अंशदान के भुगतान से छूट

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या PC to 24(2)/05/US (WE)/D(Res) dt 24 Jul 2005 और 07 Feb 2006 का संदर्भ लेने और छूट को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। युद्ध में दिव्यांग हुए पेंशनभोगियों का ईसीएचएस (ECHS) में योगदान का भुगतान उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने पहले ही अपनी सदस्यता के लिए योगदान दिया था और उन्हें उनके द्वारा पहले से किए गए योगदान की वापसी की अनुमति दी जाएगी।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 128/PD/06 dt 15-02-2006 के तहत जारी किया जाएगा।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एम.एस. चड्ढा)

अवर सचिव (WE)

फाइल संख्या. 17(10)/06/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
नई दिल्ली
दिनांक 13 अप्रैल 2007

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

**विषय:- सिविल रिट याचिका सं. 210/1999 पूर्व सैनिक संगठनों बनाम भारत संघ के परिसंघ द्वारा दायर -
न्यायालय के फैसले का कार्यान्वयन**

महोदय,

उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा-निर्देश/आदेश/निर्णय दिनांक 22 अगस्त 06 के अनुसरण में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के तहत योगदान के भुगतान से छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। यह उन भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में है, जो रक्षा लेखा नियंत्रक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और 1 जनवरी, 1996 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

2. इसे रक्षा (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 189/PD/07 dt 2.4.2007 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों को ESI अंशदान के भुगतान से छूट

जैसा कि आप जानते हैं कि ESIC के लिए सदस्यता की अनिवार्य कटौती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों से काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जो सरकार में पुनः नियोजन के बाद नौकरी या निजी क्षेत्रों में सेवा में शामिल होते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि अधिकांश सैनिक 38 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनमें से कुछ को या तो सरकारी नौकरी मिल जाती है जबकि उनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में शामिल हो जाते हैं।

2. इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को CGHS के अंशदान से छूट दी गई है क्योंकि दोनों योजनाएं सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, CO ईसीएचएस (ECHS) से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वास्थ्य योजना में योगदान के संबंध में ESM की स्थिति से अवगत कराएं, जो बैंकों/पीएसयू (PSU) में फिर से कार्यरत हुए हैं।

3. इसे अति आवश्यक माना जाए।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच के मलिक)

अवर सचिव (WE) टेली फैक्स: 23014946

CO, ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 22D (11)/2015/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 23 मई 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए काटे गए/वसूली किए गए एकमुश्त अंशदान की वापसी

महोदय,

मुझे ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए एकमुश्त अंशदान की वापसी के मामले में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

क्रमांक	प्रश्न	स्पष्टीकरण
(a)	यदि ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी का नजदीकी परिजन (NoK) केंद्र सरकार का कर्मचारी या किसी अन्य संस्थान का कर्मचारी है, जहां चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो क्या ईसीएचएस (ECHS) में शामिल होना अनिवार्य होगा?	(i) नहीं (ii) ऐसे मामले में जहां ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता के लिए ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के NoK से सदस्यता काट ली गई है, इस राशि की वापसी का दावा NoK द्वारा अलग से किया जाएगा। MD, ईसीएचएस (ECHS), ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता की कटौती के संबंध में संबंधित अभिलेखों को सत्यापित करने के बाद, NoK को ऐसे दावों की वापसी की मंजूरी देगा।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 32 (14)/2015.FIN/PEN dt 30 May 2017 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी

के लिए कॉपी :-

1. DFA (पेंशन)
2. MoD (सेना) के AG, IHQ
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MD ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

भारत सरकार के अवर सचिव

की जानकारी के लिए कॉपी :-

5. RM के PS
6. आरआरएम RRM के पीएस PS
7. सचिव, ESW के PPS
8. JS (ESW) के PS
9. Addl. FA (RK) & JS के PS

के लिए स्याही से हस्ताक्षरित कॉपी :-

10. सम्बंधित PCsDA / CsDA

फाइल संख्या. 22D (17)/2016/(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 02 जून 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: कुछ विशिष्ट मामलों में ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता/निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) की वापसी की दरों के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002, 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 01 Apr 2003, 22(20)05/US(WE)/D(Res) dt 10 Feb 2006 और 22D(04)/10/US(WE) dt 02 Aug 2011 की निरंतरता में, मुझे ESM द्वारा भुगतान किए जाने वाले ईसीएचएस (ECHS) अंशदान की सदस्यता की दरों/कुछ विशिष्ट स्थितियों में FMA की वापसी के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें लेकर संदेह है।

क्रमांक	संदेह के बिंदु	स्पष्टीकरण
(a)	ESM के लिए, जो 01 Apr 2003 से 31 Mar 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें FMA का भुगतान किया जा रहा था लेकिन रोक दिया गया था और सदस्यता की वसूली न होने के कारण ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता नहीं दी गई थी, उस समय उनसे कटौती की जाने वाली सदस्यता की दर क्या होनी चाहिए ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए आवेदन करने और ESW द्वारा दावा किए जाने वाले FMA को कैसे वापस किया जाना चाहिए?	(i) ईसीएचएस (ECHS) अंशदान की सदस्यता की दरें, जो उनकी सेवानिवृत्ति के समय लागू थीं, की कटौती की जा सकती हैं। (ii) FMA का भुगतान जिसे रोक दिया गया था, का ESM द्वारा अलग से दावा किया जाएगा।
(b)	ईएसएम जो 01 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए और जिसकी PPO में सदस्यता काटी गई थी, लेकिन आवेदन पत्र जमा करने/प्रोसेसिंग के मामले में ईसीएचएस की सदस्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। ये ESM अब सदस्यता के लिए आ रहे हैं। क्या पहले ही काटी गई ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता को अंतिम माना जाना चाहिए, या उन्हें ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता की पुरानी और नई दरों के अंतर को जमा करने के लिए कहा जाना चाहिए?	सदस्यता काटे जाने और PPO में समर्थन के बाद, ESM की इस श्रेणी के लिए पुरानी दरें लागू होंगी, चाहे जिस तारीख को वे सदस्यता के लिए आवेदन करें

क्रमांक	सवाल	स्पष्टीकरण
(c)	क्या सेवानिवृत्ति के समय लागू पुरानी दरें या आवेदन के समय लागू नई दरों का भुगतान उन ESM द्वारा किया जाना चाहिए जो 01 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, और जिनके मामले में ईसीएचएस (ECHS) अंशदान नहीं काटा गया था और PPO में चूक/त्रुटि के कारण FMA का भुगतान किया गया था।	अगर वे बाद की तारीख में ईसीएचएस (ECHS) के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन के समय प्रचलित सदस्यता की नई दरें ESM के लिए लागू होंगी।
(d)	उन मामलों में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता किससे काटी जानी चाहिए जहां पति और पत्नी दोनों सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और वे अलग-अलग तिथियों पर सेवानिवृत्त होते हैं?	योजना की प्रकृति अनिवार्य होने के कारण, पति/पत्नी जो पहले सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अंशदान का भुगतान करना चाहिए और योजना का लाभ उठाना चाहिए और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले पति/पत्नी से कोई अंशदान नहीं काटा जाना चाहिए। वह जीवनसाथी के रूप में योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 32 (14)/2015. FIN/PEN dt 30 May 2017 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी :-

1. DFA (पेंशन)
2. MoD (सेना) के AG, IHQ
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MD ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

भारत सरकार के अवर सचिव

की जानकारी के लिए कॉपी:-

5. RM के PS
6. RRM के PS
7. सचिव, ESW के PPS
8. JS (ESW) के PS
9. Addl. FA (RK) & JS के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

10. सम्बंधित PCsDA / CsDA

फाइल संख्या 22D(04)/2010/WE/D(Res-I)

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
नई दिल्ली
दिनांक 29 दिसंबर 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस अंशदान और वार्ड पात्रता की संशोधित दरें

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(16)/05/US(WE)/D(Res) dt 19 Jul 2005 और 22D(04/10/US(WE)/ D(Res) dt 08 Aug 2011 के अधिक्रमण में, मुझे ईएसएम द्वारा भुगतान की जाने वाली ईसीएचएस (ECHS) अंशदान की संशोधित दरों और वार्ड की पात्रता के लिए सरकार की मंजूरी निम्नानुसार बताने का निर्देश हुआ है: -

क्रमांक	रैंक	एकमुश्त योगदान	वार्ड की पात्रता
(a)	नौसेना और वायुसेना में हवलदार और समकक्ष के लिए भर्ती	रु 30,000/-	सामान्य
(b)	नौसेना और वायुसेना में नायब उप/उप/उप मेजर या समकक्ष (माननीय नायब उप/MACP नायब उप और माननीय लेफ्टिनेंट/कैप्टन सहित)	रु 67,000/-	अर्ध निजी
(c)	नौसेना और वायुसेना में सभी ऑफर्स और समकक्ष	रु. 1,20,000/-	निजी

2. संशोधित आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति के साथ उनके आईडी संख्या 32 (09)/2016/Fin/Pen dt 22 Nov 2017 के माध्यम से जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. MoD (सेना) के AG, IHQ
2. CGDA, नई दिल्ली

हस्ताक्षरित

(एके कर्ण)

अवर नियंत्रक, भारत सरकार

3. MD ईसीएचएस (ECHS)'

की जानकारी के लिए कॉपी:-

4. RM के PS
5. RRM के PS
6. सचिव, ESW के PPS
7. JS (ESW) के PS
8. Addl. FA (RS) के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. सम्बंधित PCsDA / CsDA

फाइल संख्या. 18(77)/2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18 सितम्बर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस लाभार्थी के स्थायी रूप से दिव्यांग अविवाहित पुत्र की ईसीएचएस (ECHS) सुविधा का लाभ उठाने की पात्रता

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के OM संख्या 4-24/96-C&P/CGHS(P)/EHS dt 7-5-2018 को संदर्भित करने और 25 वर्ष से अधिक आयु के ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के आश्रित अविवाहित पुत्रों में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों पर लागू MoH&FW के पूर्वोक्त OM के प्रावधान को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को स्थायी दिव्यांगता की परिभाषा के संबंध में अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय की सहमति से (वित्त/पेंशन) U.O No. 32(23)/2017/Fin/Pen dt 5-9-2018 के तहत जारी किया जाता है।

3. यह प्रावधान इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. रक्षा मंत्रालय (सेना) के एजी, आईएचक्यू
2. सीजीडीए, नई दिल्ली
3. एमडी, ईसीएचएस
4. डीजीएडीएस

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण) (अवर सचिव, भारत सरकार)
टेली फ़ैक्स: 23014946

की जानकारी के लिए कॉपी:-

5. आरएम के पीएस
6. आरआरएम के पीएस
7. सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस
8. संयुक्त सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीएस
9. अपर एफए (आरके) और जेएस के पीएस

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

10. संबंधित पीसीडीए/सीएसडीए

फाइल संख्या. 17(17)/2015/WE/D(Res-1)

भारत सरकार, भारत मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

बी विंग, कमरा नंबर 221 सेना भवन,

नई दिल्ली

दिनांक 05 मार्च 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: असम राइफल्स के पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के संबंध में पैनलबद्ध अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता और वार्ड की पात्रता के लिए एकमुश्त अंशदान।

महोदय,

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 17(17)2015/WE/D(Res-1) dt 05 Feb 2019 की निरंतरता में, मुझे असम राइफल्स के पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के बच्चों को ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता और हकदारी के लिए एकमुश्त अंशदान निर्धारित करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

क्रमांक	वर्ग	एकमुश्त योगदान	वार्ड की पात्रता
(a)	वारंट अधिकारी की भर्ती	30,000/-	सामान्य
(b)	नायब उप से उप मेजर तक	67,000/-	अर्ध निजी
(c)	सभी अधिकारी	1,20,000/-	निजी

2. असम राइफल्स के पेंशनभोगी जिन्होंने पहले ही CGHS में पूर्ण एकमुश्त अंशदान का भुगतान कर दिया है, उन्हें ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए भुगतान करने से छूट दी गई है। असम राइफल्स के पेंशनभोगी जो CGHS सदस्य हैं और जिनका CGHS दरों के अनुसार एकमुश्त योगदान के लिए कोई भुगतान बकाया है, उन्हें ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए आवेदन करने से पहले CGHS का पूरा भुगतान करना होगा।

3. इसके अलावा, युद्ध विधवाओं, युद्ध हताहतों और 1 जनवरी 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए एकमुश्त अंशदान के भुगतान से छूट दी गई है। यदि उन्होंने CGHS में एकमुश्त अंशदान का भुगतान किया है, तो ईसीएचएस (ECHS) द्वारा उसके लिए कोई वापसी नहीं की जाएगी।
4. ऊपर उल्लिखित रक्षा मंत्रालय के पत्र के अन्य सभी प्रावधान इस आदेश से अप्रभावित अपरिवर्तित रहेंगे।
5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनकी आईडी संख्या 32(24)/2018/Fin/Pen dt 1-3-2019 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

1. MoD (सेना) के AG, IHQ
2. CGDA, नई दिल्ली
3. MD, ईसीएचएस (ECHS)
4. DGAR
5. MHA

की जानकारी के लिए कॉपी :-

6. RM के PS
7. RRM के PS
8. सचिव, ESW के PPS
9. JS(ESW) के PS
10. Addl. FA(RK) के PS

फाइल संख्या.17 (11)/2018/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

बी विंग, कमरा नंबर 221 सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 12 अप्रैल 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ECOS, SSCOS और समयपूर्व सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में पैनलबद्ध अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं में ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता और वार्ड की पात्रता के लिए एकमुश्त योगदान

महोदय,

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 17(11)/2018/WE/D(Res-I) dt 7.3.2019 की निरंतरता में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए एकमुश्त योगदान और वार्ड की पात्रता निर्धारित करने वाली सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, लघु सेवा कमीशन अधिकारियों (SSCOs), आपातकालीन कमीशन अधिकारियों (ECOs) और समय से पहले सेवानिवृत्त ((PMR) होने वाले एवं उनके पति/पत्नी के सम्मान में पैनलबद्ध अस्पताल/चिकित्सा सुविधाएं निम्नानुसार हैं: -

क्रमांक	रैंक	एकमुश्त योगदान	वार्ड की पात्रता
(i)	नौसेना और वायु सेना में सेना के समकक्ष रैंक में हवलदार की भर्ती	रु 30,000/-	सामान्य
(ii)	नौसेना और वायुसेना में नायब उप/उप/उप मेजर या समकक्ष (माननीय नायब उप/MACP नायब उप और माननीय लेफ्टिनेंट/कैप्टन सहित)	रु 67,000/-	अर्ध निजी
(iii)	सभी अधिकारी	रु. 1,20,000/-	निजी

2. इस मंत्रालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अन्य सभी प्रावधान, इस आदेश से अप्रभावित, अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. NO. 31 (02)/2019/ Fin/Pen dt 12.04.2019 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

(अवर सचिव, भारत सरकार)

टेली फ़ैक्स: 23014946

के लिए कॉपी :-

1. MoD (सेना) के AG, IHQ
2. CGDA, नई दिल्ली.
3. MD, ईसीएचएस (ECHS).
4. MHA.

की जानकारी के लिए कॉपी :-

5. RM के PS
6. RRM के PS
7. सचिव, ESW के PPS
8. JS (ESW) के PS
9. Addl. FA & JS (RK) के PS.



भाग - IV

संविदात्मक कर्मचारी:
ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स

फाइल संख्या. 24(6)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 22 सितम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के संबंध में इस पत्र के अनुबंध में सन्निहित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदात्मक रोजगार की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. NO.1037/PD/03 dt 19 Sep 03 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के
पत्र संख्या 24(6)/03/US(WE)/D(Res) का अनुलग्नक I
दिनांक 22 सितम्बर 2003

विषय :- पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने की प्रक्रिया

स्वीकृति

1. सैन्य स्टेशनों के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में अधिकृत होने वाले कर्मी टाइप 'A', 'B', 'C' और 'D' तथा गैर सैन्य स्टेशनों के लिए स्वीकृत अनुबंधित कर्मचारियों के विवरण के अनुसार होगी, जैसा कि MOD के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के परिशिष्ट 'E और 'F' में निर्दिष्ट है।

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति

2. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा, पैरामेडिकल और गैर चिकित्सा कर्मचारियों के संविदात्मक रोजगार की मंजूरी किसी क्षेत्र या समकक्ष के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा दी जाएगी।

(* भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(22)/2017/WE/D(Res-I) dt 24 Jan 2018 द्वारा जारी संशोधन)

आरक्षण

3. ईसीएचएस (ECHS) में सभी नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण मानदंड इस प्रकार है: -

क्रमांक	श्रेणी	रिक्तियों का प्रतिशत	
		भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित	खुली रिक्तियां
(a)	चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ/दंत चिकित्सक	60	40
(b)	प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक	100	0
(c)	पैरामेडिकल स्टाफ में नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट (सामान्य, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट), डेंटल हाइजीनिस्ट/असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट शामिल होंगे	70	30
(d)	गैर चिकित्सा स्टाफ में रिसेप्शनिस्ट (रिकॉर्ड रखरखाव और डेटा एंट्री सर्विस) ड्राइवर (मोटर वाहन संचालन और रखरखाव सेवाएं) चपरासी और महिला परिचारक (हाउसकीपिंग सेवाएं) सफाईवाला (संरक्षण सेवाएं) शामिल हैं।	70	30
नोट:- स्टाफ की कुल स्वीकृति परिशिष्ट 'E' और 'F' रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D (Res) dt 30 Dec 2002 में दिए गए अनुसार होगा।			

4. जब पूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं होता है, तो GOC एरिया द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को नियुक्त करके रिक्तियों को पूरा किया जाएगा। GOC एरिया की मंजूरी केवल ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान एक उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा।

(* भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(22)/2017/WE/D(Res-I) dt 24 Jan 2018 द्वारा जारी संशोधन)

विज्ञापन

5. चिकित्सा, दंत चिकित्सा और विशेषज्ञ अधिकारियों और प्रभारी पॉलीक्लिनिक के अधिकारियों के लिए ईसीएचएस (ECHS) के तहत रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिए जाएंगे, स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों का उपयोग पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हेतु विज्ञापन देने के लिए किया जाएगा। आवेदन पत्र संबंधित स्टेशन मुख्यालय (स्टेशन मुख्यालय) पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उपरोक्त पैरा 3 (a) से (c) में सूचीबद्ध श्रेणियों की नियुक्ति स्टेशन कमांडर द्वारा अधिकारियों के एक स्टेशन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। संरक्षण, हाउसकीपिंग, रिकॉर्ड मैनेजर्स और डाटा एंट्री और मोटर वाहन संचालन और रखरखाव सेवाओं को लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाता/एजेंसी/ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स किया जाएगा, जिसके लिए स्टेशन मुख्यालय में पंजीकरण के लिए विज्ञापन स्थानीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी दिए जाएंगे।

आवेदन

6. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन उस स्टेशन मुख्यालय में जमा किए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक स्थित हैं। आवेदनों पर कार्रवाई स्टेशन कमांडर द्वारा व्यवस्था किये गए अधिकारियों के बोर्ड द्वारा की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

7. संविदा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(a) अधिकारियों के बोर्ड का गठन। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए मेडिकल/पैरा मेडिकल/गैर मेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने के लिए स्टेशन कमांडर द्वारा अधिकारियों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) अध्यक्ष - स्टेशन कमांडर
- (ii) सदस्य - स्टेशन के वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी (SEMO)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (PMO)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO)।
- (iii) सदस्य - स्टेशन से कोई अधिकारी (गैर चिकित्सा)।
- (iv) विशेषज्ञ - जहां स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नियुक्त किया जाना है, सेवा अस्पताल/उप निदेशक चिकित्सा सेवा (डीडीएमएस) क्षेत्र/कमांड के सदस्य कमांडिंग ऑफिसर बोर्ड में उस श्रेणी के एक विशेषज्ञ को नामित करेंगे।
- (v) उपस्थिति में - क्षेत्रीय केंद्र (ईसीएचएस (ECHS) के प्रतिनिधि (वैकल्पिक)।

(b) आकलन। अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों और सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा: -

- (i) कुल मूल्यांकन में इंटरव्यू और वेटेज शामिल होगा।
- (ii) **साक्षात्कार।** सामान्य/पेशेवर ज्ञान/वांछनीय रवैया आदि शामिल हैं।
- (iii) **वेटेज।** अतिरिक्त योग्यता के आधार पर उदाहरण- व्यावसायिक पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री, प्रसिद्ध अस्पतालों/स्वास्थ्य सेवाओं में अनुभव। (परिशिष्ट A' और B' में सूचीबद्ध मानदंड)।

(c) **बोर्ड की कार्यवाही की स्वीकृति।** बोर्ड की कार्यवाही को कमांड की सामान्य चेन के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय में भेजा जाएगा। क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अनुमोदन से पूर्व आवश्यक तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय DDOs द्वारा दी जाएगी। बोर्ड की कार्यवाही की एक स्वीकृति प्रति सूचना/रिकॉर्ड के लिए संबंधित कमान को भेजी जाएगी।*

(* भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(22)/2017/WE/D(Res-I) dt 24 Jan 18 द्वारा जारी संशोधन)

संविदात्मक रोजगार के लिए नियम और शर्तें

8. विस्तृत मानदंड परिशिष्ट 'A' & 'B' में सूचीबद्ध हैं। ईसीएचएस (ECHS) के तहत मेडिकल/पैरा मेडिकल/गैर मेडिकल स्टाफ के रोजगार के लिए सामान्य नियम और शर्तें नीचे सूचीबद्ध हैं: -

- (a) **राष्ट्रीयता।** उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- (b) **मानदंड।** उम्मीदवार की आयु शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव परिशिष्ट 'A' और 'B' में सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- (c) **वांछनीय गुण।** अतिरिक्त योग्यता, उदाहरण पेशेवर पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री और प्रसिद्ध अस्पतालों/स्वास्थ्य सेवाओं में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (d) **रोजगार की अवधि।** कर्मचारियों का रोजगार पूरी तरह से संविदात्मक प्रकृति का होगा और सामान्य रूप से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो ग्यारह महीने के बाद उनके आचरण और प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर बढ़ेगा।
- (e) **काम के घंटे।** कर्मचारियों के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। घर से क्लिनिक तक आने का समय और क्लिनिक से वापस घर जाने का समय इसमें शामिल नहीं है। क्लिनिक के लिए काम करने का कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा स्थानीय स्टेशन मुख्यालय और स्टेशन के SEMO/PMO/SMO के परामर्श से तय किया जाएगा। **

(* भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(6)/03/US(WE)/D (Res) dt 29 Jun 2005 द्वारा संशोधित)।

- (f) **छुट्टियां।** रविवार और केंद्र सरकार के सरकारी अवकाशों को अवकाश के रूप में मनाया जाएगा।
- (g) **आपातकालीन कार्य।** चिकित्सा अधिकारियों को छुट्टियों सहित पॉलीक्लिनिक्स के गैर-कार्य घंटों के दौरान कॉल पर आपातकालीन कार्यों के लिए रोटेशन द्वारा बढ़ाया जाएगा। विस्तृत जानकारी, प्रभारी अधिकारी (O I/C) पॉलीक्लिनिक द्वारा दिया जाएगा। वे इस समय अपने टेलीफोन/मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे।
- (h) **अवकाश।** कर्मचारी रविवार और सरकारी छुट्टियों के अलावा एक कैलेंडर वर्ष (गैर-संचय) में 10 दिनों

के अवकाश (8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन प्रतिबंधित अवकाश) के हकदार होंगे। अवकाश की स्वीकृति स्टेशन कमांडर द्वारा की जाएगी। ***

(*भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(6)/03/यूएस(डब्ल्यूई)/डी (Res) dt 01 Jul 2016 द्वारा संशोधित)।

(i) चिकित्सा फिटनेस। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

संविदात्मक पारिश्रमिक

9. ईसीएचएस (ECHS) के तहत मेडिकल/पैरा मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ कर्मचारियों को प्रति माह देय संविदात्मक पारिश्रमिक का विवरण क्रमशः परिशिष्ट A' और B' में निर्दिष्ट है। एकमुश्त पारिश्रमिक को छोड़कर, संविदा कर्मचारी किसी भी तरह से नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य किसी भी पेंशन लाभ, भत्ते या वित्तीय लाभ/रियायतों के हकदार नहीं होंगे।

सेवा प्रदाता/एजेंसी के माध्यम से रोजगार

10. ऊपर पैरा 3(d) में सूचीबद्ध सेवाओं को सेवा प्रदाता/एजेंसी को आउटसोर्स किया जाएगा। स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों का बोर्ड पंजीकरण के लिए एजेंसियों को मंजूरी देगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि चयनित सेवा प्रदाता/एजेंसी को ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस दिया गया है।

11. इसके बाद जब भी आवश्यकता होगी, पंजीकृत सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों की मांग की जाएगी। अनुबंधित एजेंसियां सत्यापन/स्वीकृति के लिए स्टेशन मुख्यालय को उनकी योग्यता के साथ आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मियों की एक सूची प्रदान करेंगी। पॉलीक्लिनिक में सेवाओं के लिए कर्मियों का विवरण देते समय, प्रत्येक सेवा प्रदाता/एजेंसी/ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैरा 3(d) के प्रावधानों के अनुसार कम से कम 70% कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक हैं। जब सेवा प्रदाता/एजेंसी के पास पूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं होता है, तो GOC क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद उपयुक्त नागरिकों को नियुक्त करके रिक्तियों का उपयोग किया जाएगा। क्षेत्रीय GOC की मंजूरी ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वह जल्द से जल्द किसी भूतपूर्व सैनिक के साथ इसे बदले।

नियुक्ति

12. बोर्ड की कार्यवाही की स्वीकृति के बाद, क्षेत्रीय मुख्यालय स्टेशन मुख्यालय को चयनित उम्मीदवारों को रोजगार देने का निर्देश देगा। स्वीकृत प्रारूप के अनुसार अनुबंध पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और स्टेशन मुख्यालय को दिया जाएगा।

13. अनुबंधित सेवा प्रदाता/एजेंसी के माध्यम से सेवाओं के प्रावधान के मामले में, एजेंसी और स्टेशन मुख्यालय के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।

अनुबंध

14. निर्धारित प्रारूप में संविदात्मक करारों पर स्टेशन मुख्यालय द्वारा अलग-अलग उम्मीदवारों और संविदा एजेंसी, जैसा भी मामला हो, के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

a) व्यक्तिगत कर्मचारियों के साथ अनुबंध। संविदा कर्मचारियों और स्टेशन मुख्यालय के बीच संविदात्मक समझौते में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) नियुक्ति का पदनाम।
- (ii) नियुक्ति का स्थान।
- (iii) दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति की संविदात्मक प्रकृति।
- (iv) 11 माह बाद नियुक्ति की समीक्षा
- (v) संविदात्मक पारिश्रमिक देय है अगर वह किसी भी तरह से नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य दिव्यांगता और परिवार पेंशन, मुफ्त राशन, गैर प्रेक्टिस भत्ता, परिवहन भत्ता, आवास या HRA, चिकित्सा भत्ते, किट रखरखाव भत्ता या किसी अन्य भत्ते/वित्तीय लाभ या रियायतें सहित पेंशन का हकदार नहीं है।
- (vi) CSD कैंटीन सुविधाओं के लिए गैर पात्रता।
- (vii) काम के घंटे और समय।
- (viii) अवकाश, अवकाश का अधिकार।
- (ix) आचरण। कदाचार, अनैतिक व्यवहार, वित्तीय दुरुपयोग या प्रशासनिक गैर-जिम्मेदारी आदि के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई पर व्यावसायिक आचरण और चेतावनी और ऐसे मामलों में अनुबंध की समाप्ति।
- (x) एक माह पूर्व नोटिस देकर कर्मचारी द्वारा अनुबंध की समाप्ति।
- (xi) ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा लाभों के लिए गैर-पात्रता।

b) सेवा प्रदाता/एजेंसी के साथ अनुबंध। सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी और स्टेशन मुख्यालय के बीच किया जाने वाला अनुबंध यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और संबंधित कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। संपर्क गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रभावी होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) ठेकेदार लाइसेंस संख्या।
- (ii) EPF, ESI निगम आदि के तहत आवंटित ठेकेदार कोड संख्या।
- (iii) श्रम अनुबंध पर दिया जाने वाला कार्य क्षेत्र- पॉलीक्लिनिक में निम्नलिखित सेवाएं अनुबंध पर दी जाएंगी - संरक्षण, हाउसकीपिंग, रिकॉर्ड रखरखाव और डेटा एंट्री और मोटर वाहन संचालन और रखरखाव।
- (iv) सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करने के लिए ठेकेदार से लिखित वचनबद्धता: - अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1947, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी का भुगतान अधिनियम जैसा लागू हो।
- (v) अनुबंध में विस्तृत कर्मचारियों की संख्या और उसके नियंत्रण में कर्मचारियों की संख्या।

- (vi) कार्य स्थल, काम के घंटे, भुगतान की दर, कार्य का दायरा, अनुबंध की वैधता की अवधि, भुगतान की शर्तें, दोनों तरफ अनुबंध के उल्लंघन के परिणाम और कर्मचारियों का आचरण, जैसा कि पैरा 16 (a) (ii) से (xi) में उल्लिखित है, उपरोक्त अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- (vii) कार्य स्थल, काम के घंटे, भुगतान की दर, कार्य का दायरा, अनुबंध की वैधता की अवधि, भुगतान की शर्तें, दोनों तरफ अनुबंध की पहुंच के परिणाम और कर्मचारियों का आचरण जैसा कि पैरा 16 (a) (ii) से (xi) में उल्लेख किया गया है, जिसे उपरोक्त में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाएगा।
- (viii) दोनों ओर से अनुबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया।
- (ix) ईसीएचएस (ECHS) की संतुष्टि के लिए अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने तक प्रति कर्मचारी एक महीने के संविदात्मक पारिश्रमिक के बराबर राशि ईसीएचएस (ECHS) के पास सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। यदि अनुबंध का कोई उल्लंघन होता है तो ईसीएचएस (ECHS) इस राशि का उपयोग दैनिक वेतन पर उपयुक्त उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है जब तक कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक नए आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता/एजेंसी का चयन नहीं किया जाता है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

15. यदि कोई ईसीएचएस (ECHS) संविदा कर्मचारी पेशेवर कदाचार, अनैतिक व्यवहार, चिकित्सा लापरवाही या प्रशासनिक लापरवाही के किसी भी कार्य में शामिल है, तो कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसका अनुबंध बिना किसी पूर्व सूचना के कारण बताओ नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। कोई भी आगे की कार्रवाई जिसे उचित समझा जा सकता है और किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए शुरू की जा सकती है।
16. स्टेशन कमांडर संबंधित कार्यालय प्रभारी पॉलीक्लिनिक की सिफारिशों पर अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा। अपराधों की प्रकृति का विवरण देते हुए कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कर्मचारी के कारण बताओ नोटिस के जवाब सहित मामले के विवरण में स्टेशन कमांडर द्वारा आदेशित एक जांच की जाएगी। स्टेशन कमांडर उपरोक्त पैरा 15 में सूचीबद्ध किसी भी अधिनियम के लिए देश के मौजूदा कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।
17. संविदा को समाप्त करने का अधिकार नियुक्ति अधिकारी के पास होगा।
18. जब अनुबंध एजेंसी द्वारा रखा गया कर्मचारी, उपरोक्त पैरा 15 में सूचीबद्ध किसी भी कार्य में संलग्न पाया जाता है, तो उसकी इयूटी तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और सेवा प्रदाता/एजेंसी 24 घंटों के भीतर इसके बदले में दूसरा कर्मचारी भेजेगी।

परिशिष्ट 'A'

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए चिकित्सा/पैरा-मेडिकल

स्टाफ की नियुक्ति के लिए संशोधित QRs

क्रमांक	वर्ग	आयु सीमा		मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण	संविदा शुल्क (प्रति माह)
		नियुक्ति के लिए	संविदा के लिए					
1.	चिकित्सा अधिकारी	63	68*	MBBS	न्यूनतम 05 वर्ष इंटरनशिप के बाद चिकित्सा/सर्जरी में बेहतर अतिरिक्त योग्यता	MBBS PG/ अन्य अतिरिक्त योग्यता में मेरिट। 05 से अधिक वर्षों का अनुभव	60%	रु. 75000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/201/WE/D (Res-I), dt 20 Nov 2017) के तहत संशोधित
2.	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ)	63	70*	संबंधित विषय में एमडी/ एमएस/ डीएनबी	पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलिटी में न्यूनतम 05 वर्ष	MBBS में मेरिट, पीजी में मेरिट अतिरिक्त योग्यता।	60%	रु. 100000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित
3.	दंत चिकित्सा अधिकारी	63	65*	BDS	न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव	BDS में मेरिट PG / अन्य अतिरिक्त योग्यता। 5 साल से अधिक का अनुभव	60%	रु. 75000 (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित
4.	प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक	63	65*	ग्रेजुएट	स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों या प्रबंधकीय पदों में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव	अतिरिक्त प्रबंधकीय योग्यता। 10 से अधिक वर्षों का अनुभव। कंप्यूटर योग्यता	100%	रु. 75000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित
5.	नर्सिंग सहायक (नर्स)	53	58*	BSc नर्सिंग	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	नर्सिंग में डिग्री / कोई डिप्लोमा / स्पेशलिटी नर्सिंग। 10 से अधिक वर्षों का अनुभव।	70%	रु. 28000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित

(*भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/2017/ WE/D (Res-I)
dt 18 Dec 2017 द्वारा संशोधित)।

क्रमिक	वर्ग	आयु सीमा		मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण	संविदा शुल्क (प्रति माह)
		नियुक्ति के लिए	संविदा के लिए					
6.	नर्सिंग सहायक (सामान्य)	53	58*	नर्सिंग सहायक पाठ्यक्रम (सशस्त्र बल) में GNM डिप्लोमा / कक्षाएं	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	स्पेशलिटी नर्सिंग में कोई डिप्लोमा/पाठ्यक्रम। 10 से अधिक वर्षों का अनुभव।	70%	रु. 28100/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017 द्वारा संशोधित
7.	नर्सिंग सहायक (एक्स रे सहायक / रेडियोग्राफर)	53	58*	डिप्लोमा/कक्षा 1 रेडियोग्राफी पाठ्यक्रम (सशस्त्र बल)	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	अल्ट्रासाउंड/मेड टेक्नोलॉजी में कोई भी कोर्स। 10 से अधिक वर्षों का अनुभव।	70%	रु 28000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20Nov2017) द्वारा संशोधित
8.	नर्सिंग सहायक (फिजियोथेरेपिस्ट)	53	58*	डिप्लोमा / कक्षा 1 फिजियोथेरेपी कोर्स (सशस्त्र सेना)	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	10 से अधिक वर्षों का अनुभव	70%	रु 28000/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20Nov2017) द्वारा संशोधित
9.	प्रयोगशाला सहायक	53	58*	DML/क्लास इन लेबोरेटरी टेक कोर्स (सशस्त्र बल)	प्रयोगशाला में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	10 से अधिक वर्षों का अनुभव	70%	रु 28100/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20Nov2017) द्वारा संशोधित
10.	डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल असिस्टेंट	53	58*	डेंटल हाइजीनिस्ट / क्लास -1 DH / DORA कोर्स (सशस्त्र बल) में डिप्लोमा धारक	डेंटल लेबोरेटरी में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	10 से अधिक वर्षों का अनुभव	70%	रु 28100/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20Nov2017) द्वारा संशोधित

(*संविदा कर्मचारियों की आयु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/2017/WE/ID(Res-I) dt 18 Dec 17 के तहत संशोधित)।

परिशिष्ट 'B'**एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के लिए गैर-चिकित्सकीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए QRs**

क्र.सं.	वर्ग	आयु सीमा		मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछित	आरक्षण भूतपूर्व सैनिक	संविदा शुल्क (प्रति माह)
		नियुक्ति के लिए	संविदा के लिए					
1.	रिसेप्शनिस्ट / क्लर्क / डाटा एंट्री ऑपरेटर	-	-	स्नातक / कक्षा I लिपिकीय व्यापार (सशस्त्र बल)	न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।	कंप्यूटर योग्यता 10 वर्ष से अधिक का अनुभव	70%	एवज में रिक्त (भारत सरकार के पत्र संख्या 22D(04)/2018/(WE)/D(Res-I) dt 23 Apr 2018 द्वारा संशोधित
2.	महिला परिचारक	53	55	साक्षर	सिविल/सेना स्वास्थ्य संस्थानों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	10 से अधिक वर्षों का अनुभव। प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम	70%	रुपए 16800/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 2D(25)/2017/ WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) के माध्यम से संशोधित
3.	चालक	53	55	शिक्षा -8 क्लास क्लास IMT ड्राइवर (सशस्त्र बल) एक नागरिक जो ड्राइविंग लाइसेंस रखता है	चालक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव	भारी वाहन चलाने का लाइसेंस 10 से अधिक वर्षों का अनुभव। प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम	70%	रुपए 19700/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित
4.	चपरासी	53	55	शिक्षा - कक्षा 8 GD ट्रेड (सशस्त्र बल)	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा	10 से अधिक वर्षों का अनुभव	70%	रुपए 16800/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित
5.	सफाईवाला	53	55	साक्षर	न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा	10 से अधिक वर्षों का अनुभव	70%	रुपए 16800/- (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(25)/2017/WE/D (Res-I) dt 20 Nov 2017) द्वारा संशोधित

फाइल नंबर. 24(6)/03/US (WE)/D (Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

दिनांक 29 जून 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- चिकित्सा विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञ के संविदा पर नियुक्ति के लिए नियम और शर्तों में संशोधन
महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(06)/03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep'03 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकस के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शुद्धिपत्र के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है: -

पैरा 8 (e)

काम करने के घंटे के लिए। कर्मचारियों के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार तक होंगे। रविवार को छुट्टी होने के कारण कर्मचारी प्रति सप्ताह 48 घंटे काम करेंगे। इसमें घर से क्लिनिक और क्लीनिक से वापस घर जाने के लिए यात्रा का समय शामिल नहीं है। क्लिनिक के लिए काम करने का कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा स्थानीय स्टेशन मुख्यालय और स्टेशन के SEMO/PMO/SMO के परामर्श से तय किया जाएगा।

काम के घंटे पढ़ना। कर्मचारियों (विशेषज्ञों से कम) के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। विशेषज्ञों (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ) के लिए सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी होने के कारण काम के घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे (5 घंटे x 06 दिन) होंगे। इस समय में घर से क्लिनिक तक और वापस घर जाने के लिए यात्रा का समय शामिल नहीं है। क्लिनिक के लिए काम करने का कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा स्थानीय स्टेशन मुख्यालय और स्टेशन के SEMO/PMO/SMO के परामर्श से तय किया जाएगा।

परिशिष्ट A

क्रम संख्या 2. अनुबंध शुल्क (प्रति माह) शीर्ष के तहत श्रेणी (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ)

के लिए - रु, 20,000/-

पढ़ें - रु, 25,000/-

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/AG/PD) की सहमति से उनके UO No 660/PD/05 dt 28.06.05 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
अवर सचिव,
भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. DG, DC&W, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. डायरेक्टर जनरल पुनर्वास, पश्चिम ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली
4. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
5. डायरेक्टर (समन्वय) - ईसीएचएस (ECHS) अनुभाग के तहत MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए।
6. रक्षा सचिव के SO
7. AS (B) के PS
8. JS (ESW) के PS
9. रक्षा वित्त (AG/PD)

के लिए भी कॉपी:-

10. CGDA, नई दिल्ली
11. FA/ (DS) के PPS
12. AS (I) के PPS
13. Addl FA (M) / Addl FA (K)
14. JS (O/N)/JS (E)
15. डायरेक्टर (वित्त)/(AG)/ डायरेक्टर (वित्त/कार्य)
16. DFA (B) /DFA (N) DFA (वायु सेना)
17. D (कार्य)/D(Mov)/D(चिकित्सा)
18. O&M इकाई

फाइल संख्या. 22(84)06/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
दिनांक 27 जून 2007

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

ईसीएचएस (ECHS) नई दिल्ली

विषय:- रोज कम बीमार होने की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक से बड़ी संख्या में रोज बीमार होने वालों की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक से डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की रिक्तियों का स्थानांतरण

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30.12.2002 के तहत स्वीकृत डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की रिक्तियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। रोज कम बीमार होने की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक से बड़ी संख्या में रोज बीमार होने वालों की रिपोर्ट वाले पॉलीक्लिनिक को अस्थायी आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन माना और स्वीकृति किया गया है: -

- (i) रिक्तियों का अस्थायी स्थानांतरण अधिकतम एक वर्ष तक ही सीमित होगा।
- (ii) CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिक्तियों के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वह पॉलीक्लिनिक बंद न हो, जहां से रिक्तियों को स्थानांतरित किया जाता है।
- (iii) ऐसे प्रत्येक मामले में MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा जिसमें वह पॉलीक्लिनिक, जहां से रिक्तियां स्थानांतरित की जानी हैं और वह पॉलीक्लिनिक, जहां रिक्तियों को स्थानांतरित किया गया है, के संबंध में पिछले एक वर्ष के औसत दैनिक रूप से दर्ज बीमारों की सूचना दी जाएगी। उक्त आदेश की एक प्रति रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी।
- (iv) जहां तक संभव हो रिक्तियों को उसी क्षेत्रीय केंद्र के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व से रिक्तियों के स्थानांतरण से बचा जाएगा।

2. इसे विशेष सचिव की मंजूरी प्राप्त है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन) अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:-

सभी सम्बद्ध

फाइल संख्या 24(06)03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 14 फरवरी 2008

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(06)03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep, 2003 और उसमें संशोधनों के संदर्भ में, मुझे भारत सरकार को अनुबंध 1 में सन्निहित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 24(06)03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep, 2003 के तहत तत्काल प्रभाव से "संविदा पर नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें" शीर्षक के तहत नया उप पैरा 8 (K) जोड़ने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।:-

2. (मुख्यालय कमान) 8(k) "पार्ट टाइम नियुक्ति" GOC-in-C/FOC-in-C/AOC-in-C जैसा लागू हो, स्टेशनों में पार्ट टाइम के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों को पार्ट टाइम नियुक्ति की मंजूरी दे सकता है। जहां उपरोक्त पैरा 8 (b) में उल्लिखित फुल टाइम विशेषज्ञों को नियुक्त करना संभव नहीं है, इस शर्त के अधीन कि भुगतान किए गए पारिश्रमिक को नीचे दिए गए मॉडल के अनुसार स्वीकृत राशि से आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा: -

के लिए संलग्न लोगों की मासिक पारिश्रमिक की प्रक्रिया			
चिकित्सा विशेषज्ञों की श्रेणी	फुल टाइम (दिन में 5 घंटे यानी सप्ताह में 30 घंटे)	पार्ट टाइम (3 घंटे)	पार्ट टाइम (2 घंटे)
चिकित्सा विशेषज्ञ	रु. 25,000/-	रु. 15,000/-	रु. 10,000/-
स्त्री रोग विशेषज्ञ	रु. 25,000/-	रु. 15,000/-	रु. 10,000/-

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) के UO No. 56/ PD/08 dt 21.01.08 के तहत कार्योंतर सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(वी.के. जैन) अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (ESW) के PPS
4. रक्षा सचिव (वित्त) के PPS
5. AS (N) के PPS
6. Addl. FA (D)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. रक्षा (वित्त /AG/PD)
11. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
12. AFA (B-1)
13. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
14. O&M इकाई

के लिए भी कॉपी:-

15. DGAFMS
16. DGDE, नई दिल्ली
17. DG DC&W
18. QMG
19. DGMS
20. DGMS (वायु सेना)
21. DGMS (नौसेना)
22. AOA

फाइल संख्या. 22(72)/06/ D(Res)/US (WE) (Vol-IV)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 12 नवम्बर 2013

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) क्लीनिकों के लिए संविदात्मक कर्मचारी के संशोधित अंतरिम वेतनमान

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 2002 और संख्या 22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) dt 18 oct 2010 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी को ईसीएचएस (ECHS) क्लीनिकों के लिए संविदात्मक कर्मचारी के निम्नलिखित संशोधित अंतरिम वेतनमानों को सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है, ताकि ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में ईसीएचएस (ECHS) क्लीनिकों के सामने आ रही तत्काल कार्यात्मक कठिनाइयों का सामना किया जा सके:-

क्रमांक	संविदा पद	ईसीएचएस (ECHS) क्लिनिक का प्रकार					कुल पद	संशोधित पद
		A	B	C	D	E		
1.	चिकित्सा अधिकारी	6	3	2	2	1	953	955
2.	चिकित्सा विशेषज्ञ	2	2	1	0	0	200	200
3.	दंत चिकित्सा अधिकारी	2	2	1	1	0	470	471
4.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1	0	0	0	61	61
5.	रेडियोलोजिस्ट	1	1	0	0	0	61	61
6.	प्रभारी अधिकारी	1	1	1	1	0	409	410
7.	रेडियोलोग्राफर	1	1	0	0	0	61	61
8.	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1	1	1	0	409	410
9.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	1	1	0	409	410

10.	फिज़ियोथेरेपिस्ट	1	1	1	0	0	139	139
11.	फार्मसिस्ट	1	1	1	1	0	409	410
12.	नर्सिंग सहायक	3	3	2	1	1	626	627
13.	दंत चिकित्सा सहायक/ तकनीशियन / हाइजीनिस्ट	2	2	1	1	0	470	471
14.	चालक	2	2	1	1	1	487	488
15.	चौकीदार	1	1	1	1	0	409	410
16.	महिला परिचारक	1	1	1	1	0	409	410
17.	चपरासी	1	1	1	1	0	409	410
18.	सफाईवाला	1	1	1	1	0	409	410
कुल		29	26	17	14	3	6800	6814*

2. संशोधित वेतनमान के बाद विभिन्न श्रेणियों के 1709 अतिरिक्त संविदा पदों की वृद्धि के साथ कुल पद 6800 हो जाएंगे। विस्तृत कार्य अध्ययन के बाद संविदात्मक कर्मचारी के उपरोक्त वेतनमानों की समीक्षा की जाएगी।

(*भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 18(107)/2017/2017/WE/D (Res-I) dt 05 Dec 2018 द्वारा संशोधित विवरण)।

3. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.03(7)05/AG.PD/Fin.Pen dt 24 oct,2013 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या. 22(72)/06//US(WE)/D(Res).Vol.IV

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 फरवरी 2014

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(01)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002, 22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) dt 18 Oct 2010 और 22(72)/06/D(Res)US(WE) (Vol-IV) dt 12 Nov 2013 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के संबंध में इस पत्र के अनुबंध में सन्निहित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O.NO.3(7)/05/PD dt 17.02.2014 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(एच.के. मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MoD (सेना) के AG,IHQ
5. MoD (नौसेना) के COP,IHQ
6. AOA,Air HQ (VB)
7. MD(ईसीएचएस (ECHS))

की जानकारी के लिए कॉपी:-

8. सचिव, ESW के PPS
9. JS(ESW) के PS
10. DFA (Fin/Pen)

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित प्रतिलिपि:-

11. सभी PCsDA/CsDA

परिशिष्ट

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र

संख्या 22(72)/06/US(WE)/D(Res)/Vol.IV देखें

दिनांक 25 फरवरी 2014

**एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के लिए चिकित्सा/पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए
गुणात्मक आवश्यकताएं**

क्रमांक	श्रेणी	आयु सीमा		मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	ESM के लिए आरक्षण
		नियुक्ति के लिए	संविदा के लिए				
1	रेडियोलॉजिस्ट	63	70	भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची (लाइसेंसधारी योग्यता के अलावा) के भाग II की पहली या दूसरी अनुसूची में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल शैक्षिक योग्यता धारकों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13 की उप धारा (3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए। (ii) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा विनियम 1996 की अनुसूची VI के खंड A या खंड B में उल्लिखित संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री।	पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषता में कम से कम तीन साल का अनुभव या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद पांच साल का अनुभव। DMC पंजीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है	MBBS में मेरिट, PGमें मेरिट अतिरिक्त योग्यता यदि कोई हो	60%
2	प्रयोगशाला तकनीशियन	53	58*	(i) B.Sc. (चिकित्सा लैब टेक्नोलॉजी) या (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड से विज्ञान के साथ मैट्रिक / हायर सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी (10 + 2) (ii) ए . से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान।	चिकित्सा लैब में लैब असिस्टेंट के रूप में न्यूनतम तीन साल का अनुभव	-	70%

(* भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/2017/WE/ID (Res-I) dt 18 Dec 17 के तहत संशोधित संविदा कर्मचारियों की आयु)

क्रमांक	श्रेणी	आयु सीमा		मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण
		नियुक्ति के लिए	संविदा के लिए				
3	फार्मेसिस्ट	53	58*	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से B फार्मेसी या (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम (भौतिकी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) के साथ 10+2 और (iii) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत।	न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	विशेष रूप से फार्मेसी में कोई डिप्लोमा/पाठ्यक्रम	70%
4	दंत तकनीशियन	53	58*	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से विज्ञान या समकक्ष के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) और (iii) डेंटल हाइजीनिस्ट / डेंटल मैकेनिक कोर्स में दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो केंद्र / राज्य सरकार या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत हो।	दंत चिकित्सा प्रयोगशाला में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	दस साल से अधिक का अनुभव	70%
5	चौकीदार	53	55	शिक्षा - सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कक्षा 8 वीं या GD ट्रेड	-	-	70%

(*संविदा कर्मचारियों की आयु भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/2017/WE/ID (Res-I) dt 18 Dec 17 के तहत संशोधित)

New Delhi, the 01 July, 2016

To,

The Chief of Army Staff
The Chief of Naval Staff
The Chief of Air Staff

Subject : REVISION OF TERMS AND CONDITIONS OF LEAVE
ENTITLEMENT OF CONTRACTUAL EMPLOYEES AT
ECHS POLYCLINICS.

Sir,

1. With reference to Govt. of India MoD letter No.24(6)/03/US(WE)/D(Res) dated 22 September, 2003 and No.24(6)/03/US(WE)/D(Res)/Pt.III dated 15 Dec. 2005, I am directed to convey the sanction of the President for the following amendments to the procedure for contractual employment of staff for ECHS Polyclinics:-

Para 8 (h)

For

Leave The staff will be entitled to ten days leave (8 days casual leave and 2 days restricted holidays) in a calendar year (Non accumulative), beside Sundays and Gazetted holidays. Leave will be sanctioned by the Station Cdr. In the eventuality of a staff requiring additional leave beyond 10 days, the same may be sanctioned by the Station Cdr subject to the following conditions :

- i) Leave beyond 10 days will be without pay.
- ii) The Polyclinic can employ a relief if the leave exceeds 20 days. The leave relief will be entitled for the same remuneration that were entitled to the staff he/she is substituting for. The relief should have been interviewed by the Station Board of Officers and empanelled for appointment.
- iii) Services of the contractual employee may be terminated by the appointing authority, in case the leave period exceeds 60 days.

Read

Leave

i). The appointee shall be entitled for leave @ 2.5 days for every completed month during the contractual period which will lapse, if accumulated, at the end of six months. Entitled leave will be besides, Sundays and Gazetted Holidays. Leave will be sanctioned by the Station Commander. Any leave beyond entitled leave will be without pay.

ii). The Polyclinic can employ a relief if the leave exceeds 20 days at a stretch. The leave relief will be entitled for the same remuneration that were entitled to the staff he/she is substituting for. The relief should have been interviewed by the Station Board of Officers and empanelled for appointment.

iii). Services of the contractual employee may be terminated by the appointing authority, in case the leave period exceeds 60 days.

2. This issues with the approval of Hon'ble RM.

Yours faithfully,



(H.K. Mallick)

Under Secretary to the Govt. of India

Copy to :

PS to RM

PS to RRM

CGDA, New Delhi

AG, IHQ of MoE(Army)

COP, IHQ of MoD(Navy)

AOA, Air HQ (VB)

MD, ECHS

DFA(Fin/Pen)

फाइल संख्या. 22D(19)/2017/WE/D(Res)

भारत सरकार

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, दिनांक 16 अगस्त 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

आर्डर

महोदय,

मुझे ईसीएचएस (ECHS) में अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों के संविदात्मक पारिश्रमिक के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या 22D(50)/2007/US(WE)/D(Res) dt 27 Nov, 2015 के पैरा 2 में रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(50)/2007/US(WE)/d(Res) dt 06/04/2016 के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. पढ़ने के लिए पैरा 2 के क्रमांक 1 से 4 तक इस प्रकार हैं:-

क्रमांक	श्रेणी	के लिए	पढ़ें
		संविदात्मक पारिश्रमिक (प्रति माह)	समेकित संविदा पारिश्रमिक (प्रति माह)
(a)	चिकित्सा अधिकारी	रुपए 60,000/-	रुपए 75,000/-
(b)	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट)	(i) रुपए 70,000/- (अनुबंध के पहले वर्ष के लिए) (ii) रुपए 80,000/- (अनुबंध के दूसरे वर्ष के लिए)	(i) रुपये 87,500/- संविदात्मक अनुबंध के पहले वर्ष के लिए (ii) रुपये 1,00,000/- (द्वितीय वर्ष के अनुबंध के लिए) (भारत सरकार संख्या 22D (19)/2017 (WE)/ D(Res-I) dt 06 Jun 2018 के तहत संशोधित)
(c)	दंत चिकित्सा अधिकारी	रुपए 60,000/-	रुपए 75,000/-
(d)	प्रभारी अधिकारी ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक	रुपए 60,000/-	रुपए 75,000/-

3. संशोधित आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O.No. 33(05)/2009/Fin/Pen dt 09.08.2017 के साथ जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

1. RM के So
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. FA (DS) के PPS
5. JS (ESW) के PS
6. Addl. FA & JS (RK) के PS
7. MD ईसीएचएस (ECHS)
8. CGDA

फाइल संख्या 22D (24) /2017/WE/D (Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
दिनांक 12 सितम्बर 2017

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर ईसीएचएस (ECHS),
मौड लाइन्स दिल्ली कैंट - 110010

विषय:- चिकित्सा विशेषज्ञों के स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों के स्थान पर चिकित्सा अधिकारियों (MBBS) को नियुक्त करने के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को शक्तियों को सौंपना और पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के बदले में स्वीकृत लेकिन अन्य रिक्त पदों के बदले पैरा मेडिकल स्टाफ को नियुक्त करना।

महोदय,

मुझे रक्षा मंत्रालय, D/o भूतपूर्व सैनिक कल्याण पत्र संख्या 22(72)/06/D(Res)/US(WE) (Vol. IV) dt 12-11-13 को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ/स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट के 322 पद और पैरा मेडिकल स्टाफ के 2523 पद स्वीकृत किए गए हैं, ताकि MD, ईसीएचएस (ECHS) को अधिकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी को मंजूरी दी जा सके। (i) विशेषज्ञ डॉक्टरों/स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट के स्थान पर चिकित्सा अधिकारी (MBBS) नियुक्त करना और (ii) चिकित्सा विशेषज्ञों/वांछित श्रेणी के अपेक्षित पैरा मेडिकल स्टाफ की अनुपलब्धता से पॉलीक्लिनिक में बढ़े काम के बोझ को देखते हुए उत्पन्न पॉलीक्लिनिकों में पदों को पूरा करने के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत लेकिन रिक्त पदों की किसी भी अन्य श्रेणी के स्थान पर पैरा मेडिकल स्टाफ की किसी एक श्रेणी को नियुक्त करना।

2. उपर्युक्त तरीके से 'बदले में' रिक्तियों के खिलाफ कर्मचारी की भर्ती की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा किया जाएगा: -

- (i) 'बदले में' रिक्तियों को अस्थायी रूप से भरना एक समय में अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।
- (ii) CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उस पॉलीक्लिनिक को बंद न किया जाए जहां से रिक्तियों को स्थानांतरित किया गया है।
- (iii) प्रत्येक मामले में MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा।

3. इसे सचिव, ESW की स्वीकृति से जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए. के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 22D(25)2017/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 20 नवम्बर, 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(50)/2007/US(WE)/D(Res) Vol-II dt 3 May 2016 और 22D(50)/2007/US(WE)/D(Res/Vol.-II dt 2 Jun 2017 के संदर्भ में, मुझे निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में लगे व्यक्तियों के लिए संविदा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:

क्रमांक	श्रेणी	संविदा शुल्क के लिए (रुपये प्रति माह)	संविदा शुल्क पढ़ें (रुपये प्रति माह)
पैरा मेडिकल			
1	रेडियोग्राफर	22500	28100
2	प्रयोगशाला तकनीशियन	22500	28100
3	प्रयोगशाला सहायक	22500	28100
4	फिज़ियोथेरेपिस्ट	22500	28100
5	फार्मसिस्ट	22500	28100
6	नर्सिंग सहायक	22500	28100
पैरा डेंटल			
7	डेंटल हाइजीनिस्ट/डेंटल असिस्टेंट/डेंटल टेक्निशियन	22500	28100
लिपिक			
8	क्लर्क (ईसीएचएस (ECHS) शाखा EOI नेपाल)	18000	22500

डाइवर			
9	डाइवर	15750	19700
अन्य गैर चिकित्सा कर्मचारी			
10	चौकीदार	13455	16800
11	महिला परिचारक	13455	16800
12	चपरासी	13455	16800
13	सफाईवाला	13455	16800

2. संशोधित आदेश 16 Aug 2017 से प्रभावी होगा।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के So
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. FA (DS) के PPS
5. JS (ESW) के PS
6. Addl FA & JS (RK) के PS
7. MD ईसीएचएस (ECHS)
8. CGDA

फाइल संख्या 22(22)/2017/WE/D (Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
दिनांक 18 दिसंबर 2017

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22 (I)/01/US (WE)/D (Res) dt 30 Dec 2002, 24 (6)/03/US (WE)/D (Res) dt 22 Sep 2003 और 22 (72)/06/US (WE)/D (Res) Vol-IV dt 25 Feb 2014 के संदर्भ में, मुझे उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने के विषय में, इस पत्र के परिशिष्ट में सन्निहित अधिकतम आयु सीमा से संबंधित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. नीति सभी अनुबंधों के लिए इस पत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि से लागू होगी।
3. यह रक्षा मंत्रालय (Fin/Pen) की सहमति से उनके U.O No. 32(26)/2017/Fin/Pen dt 12-12-2017 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित
(ए के कर्ण)

भारत सरकार के उप - सचिव

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. Mod (सेना) के AG, IHQ
5. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
6. AOA, Air HQ (VB)
7. MD ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

8. सचिव, ESW के PPS
9. FA (DS) के PPS
10. JS, ESW के PS
11. Addl. FA (RS) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

12. सभी PCsDA

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
 फाइल नंबर 22/2017/WE/D (Res-I) का संदर्भ लें
 दिनांक 18 दिसंबर 2017

परिशिष्ट

पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए चिकित्सा और
पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए गुणात्मक आवश्यकता

क्रमांक	श्रेणी	संविदा के लिए ऊपरी आयु सीमा	मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण
01	चिकित्सा अधिकारी	68	बाकि में कोई बदलाव नहीं।			
02	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ)	70				
03	दंत चिकित्सा अधिकारी	65				
04	रेडियोग्राफर	58				
05	प्रयोगशाला तकनीशियन	58				
06	प्रयोगशाला सहायक	58				
07	फिज़ियोथेरेपिस्ट	58				
08	फार्मसिस्ट	58				
09	नर्सिंग सहायक	58				
10	दंत चिकित्सा सहायक / तकनीशियन / हाइजीनिस्ट	58				

फाइल संख्या 22D(22)/2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन। नई दिल्ली
दिनांक 24 जनवरी 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(6)/03/US(WE)D(res) dt 22 Sep, 2003 के संदर्भ में, मुझे पत्र के साथ संलग्न अनुबंध I में उल्लिखित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में संविदात्मक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति

के लिए

पैरा 2 ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा, पैरामेडिकल और गैर चिकित्सा स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति की मंजूरी किसी क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग या समकक्ष द्वारा दी जाएगी।

पढ़ें

पैरा 2 ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा, पैरामेडिकल और गैर- चिकित्सा स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति के लिए मंजूरी उप क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग या समकक्ष द्वारा उन स्थानों पर दी जाएगी जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान मेजर जनरल से कम रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है, जहां स्वीकृति किसी क्षेत्र/कोर या समकक्ष के GOC द्वारा किया जाएगा। जिन स्थानों पर पॉलीक्लिनिक उपक्षेत्र मुख्यालय या समकक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति की स्वीकृति कोर स्टाफ के प्रमुख द्वारा दी जाएगी।

के लिए

पैरा 4 जब आरक्षण कोटे के तहत पूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, तो GOC क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को नियुक्त करके रिक्तियों का उपयोग किया जाएगा। असैन्य कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने के लिए GOC क्षेत्र की स्वीकृति केवल ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा।

पढ़ें

पैरा 4 जब आरक्षण कोटे के तहत पूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, तो GOC क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को नियुक्त करके रिक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन स्थानों पर जहां उप-क्षेत्र मुख्यालय की कमान निचले रैंक के अधिकारियों के पास है, मेजर जनरल की मंजूरी किसी क्षेत्र/कोर या समकक्ष के GOC द्वारा दी जाएगी, अनुबंध पर नागरिक कर्मचारियों के रोजगार के लिए GOC उप क्षेत्र की मंजूरी केवल ग्यारह महीने के लिए मान्य होगी। उस स्थान पर जहां पॉलीक्लिनिक

मुख्यालय उप क्षेत्र या समकक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, उस प्रभाव के लिए चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और रिक्तियों का उपयोग अवधि के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नियुक्त करने के प्रयास के लिए किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

के लिए

पैरा 7(C) बोर्ड की कार्यवाही का अनुमोदन। बोर्ड की कार्यवाही को संबंधित मुख्यालय उप क्षेत्र को अग्रेषित करेगा, कमान की स्वीकृति सामान्य श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्र के मुख्यालय द्वारा दी जाएगी। अनुमोदन से पूर्व आवश्यक तकनीकी जानकारी DDMS क्षेत्र द्वारा दी जाएगी। बोर्ड की कार्यवाही की एक अनुमोदित प्रति सूचना/रिकॉर्ड के लिए संबंधित मुख्यालय कमान को भेजी जाएगी।

पढ़ें

पैरा 7(C) बोर्ड की कार्यवाही का अनुमोदन। बोर्ड की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय उप क्षेत्र को कमांड की सामान्य श्रृंखला के माध्यम से उन स्थानों पर अग्रेषित की जाएगी जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान निम्न रैंक के अधिकारियों द्वारा ली जाती है, फिर मेजर जनरल को एक क्षेत्र/कोर के GOC या समकक्ष द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा। मुख्यालय उप क्षेत्र द्वारा स्वीकृतियां दी जाएंगी। जिन स्थानों पर पॉलीक्लिनिक मुख्यालय क्षेत्र या उप क्षेत्र समकक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां बोर्ड की कार्यवाही को सामान्य श्रृंखला के कमांड के माध्यम से संबंधित मुख्यालय कोर को अग्रेषित किया जाएगा। मुख्यालय कोर द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बोर्ड की कार्यवाही की एक अनुमोदित प्रति संबंधित मुख्यालय कमान को सूचना/रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO.NO.32(29)/2017/Fin/Pen dt 26-10-2017 और 14-12-2017 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MoD (सेना) के AG, IHQ
5. MoD (नौसैन्य) के COP, IHQ
6. AOA, Air HQ (VB)
7. MD ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

8. सचिव, ESW के PPS
9. FA (DS) के PPS
10. JS (ESW) के PS
11. Addl. FA & JS (RK) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

12. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22(01)/2017/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 15 फरवरी 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मौड लाइन, दिल्ली छावनी।

विषय:- गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को एक पॉलीक्लिनिक से दूसरे पॉलीक्लिनिक/CO, ईसीएचएस (ECHS)/ में स्थानांतरित करने के लिए MD ईसीएचएस (ECHS) को शक्तियों को सौंपना और गैर-चिकित्सा कर्मचारी की अन्य श्रेणी के स्थान पर गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की एक श्रेणी को नियुक्त करने का अधिकार

महोदय,

मुझे रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पत्र संख्या 22(72)/06/D(Res)/US(WE) (Vol IV) dt 12 Nov 13 का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए गैर-चिकित्सा कर्मचारियों (चालक, चौकीदार, महिला परिचारक, चपरासी और सफाईवाला) के 2123 पद स्वीकृत किए गए थे और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को एक पॉलीक्लिनिक से स्थानांतरित करने के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को अधिकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराया गया था। एक अन्य/CO ईसीएचएस (ECHS)/स्टेशन मुख्यालय/AFMSD/RC/SEMO/DGAFMS और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों की दूसरी श्रेणी के स्थान पर एक श्रेणी के गैर-चिकित्सा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था।

2. रिक्तियों को स्थानांतरित करने और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के वैकल्पिक ट्रेडों के कर्मचारी को नियुक्त करने की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा किया जाएगा:

- i) रिक्तियों का अस्थायी स्थानांतरण एक समय में अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक सीमित होगा।
- ii) CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उस पॉलीक्लिनिक को बंद न किया जाए जहां से रिक्तियों को स्थानांतरित किया गया है।
- iii) प्रत्येक मामले में MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाएगा।
- iv) कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (Fin/Pen) के अनुमोदन से उनके ID No. 3(7)05/AG.PD/Fin.Pen dt 02 Feb 18 के माध्यम से जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. सचिव, ESW के PPS
2. JS(ESW) के PPS
3. Addl. FA(RK) & JS के PS
4. DFA(Pen) के PS

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 22D(04)/2018/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
कमरा नंबर 221, बी विंग सेना भवन,
नई दिल्ली
दिनांक 23 अप्रैल 2018

सेवा में,
मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन
एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मौड लाइन, दिल्ली छावनी।

विषय:- समान पारिश्रमिक के साथ रिक्तियों के एवज में ईसीएचएस संस्थानों को चलाने के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर कुछ व्यवसायों के कर्मचारियों के लिए एमडी ईसीएचएस को शक्तियों को सौंपना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/06/D(Res)/US(WE)/(Vol-IV) dt 12 Nov 13 के क्रम में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) संस्थानों को चलाने के लिए कार्यात्मक आवश्यकता पर समकक्ष संविदात्मक शुल्क के साथ रिक्तियों के बदले अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित ट्रेड के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को अधिकार सौंपने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

- i) आईटी तकनीशियन
- ii) डाटा एंट्री ऑपरेटर
- iii) रिसेप्शनिस्ट
- iv) क्लर्क
- v) स्टोरकीपर

2. रिक्तियों का आवंटन MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर के साथ किया जाएगा और नए ट्रेड के व्यक्तियों को उस रिक्ति के बराबर संविदात्मक पारिश्रमिक दिया जाएगा जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) UO No. (7)05/AG.PD/Fin.Pen dt 12 Apr 18 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(जितेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. MoD(Fin/Pen)
2. MoD(सेना) के AG, IHQ
3. CGDA, नई दिल्ली
4. DGADS
5. नौसेनिक HQs
6. वायु HQs

की जानकारी के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. JS(ESW) के PS
5. अतिरिक्त FA(RK)&JS के PPS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

1. सभी PCsDA/CsDA

रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

उपरोक्त विषय पर CO, ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49760/AG/ईसीएचएस (ECHS)/2019 dt 5 Feb 2019 का संदर्भ लें।

2. इस मामले को dt 26-3-2019 के सम संख्या के पत्र (कॉपी संलग्न) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 5, उप धारा (2) और (3) के अनुसार, कोई भी महिला जो नियमित या संविदा के तौर पर कार्यरत है, जिसने पिछले 12 महीनों में 80 दिन पूरे कर लिए हैं, वह प्रसव की अपेक्षित तिथि तक 8 सप्ताह से अधिक के मातृत्व अवकाश पर जाने के लिए मातृत्व लाभ की हकदार है। उक्त पत्र I (No.1(14)/2019-LS.II dt 1-5-2019 की एक कॉपी इसके साथ संलग्न है।

3. CO, ईसीएचएस (ECHS) से अनुरोध है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करें।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

संलग्नक ऊपरोक्त अनुसार।

MD, ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 22D(06)/215/WE/D(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 06 सितम्बर 2018

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) स्थापना को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध में लगे व्यक्ति और स्टेशन कमांडर के बीच समझौता

महोदय,

मुझे इस पत्र के अनुलग्नक में सन्निहित ईसीएचएस (ECHS) संस्थानों में सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध में लगे व्यक्तियों और स्टेशन कमांडरों को अनुबंध के प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। यह पत्र जारी होने की तिथि से लागू होगा

2. यह रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(06)/03/US (WE)/D (Res) Pt-III dt 15 Jun 06 का स्थान लेता है।

3. इसे कानून और न्याय मंत्रालय की सहमति से उनके Dy.NO. 0327/XVIII/LA(DEF) dt 14 Mar 18 और रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) उनकी ID NO. 32(09)2018/Fin/Pen dt 02 Aug 18 के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23014946

के लिए कॉपी:-

1. MoD(F/P)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. MoD (सेना) के AG, IHQ
4. MoD (नौसेना) के COP, IHQ

5. AOA, Air HQ (VB)
6. MD ईसीएचएस (ECHS)
7. रक्षा अताशे, काठमांडू (नेपाल)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

8. सभी PCsDA/CsDA

रक्षा मंत्रालय, डीओईएसडब्ल्यू, पत्र संख्या NO.22D(06)/2015/WE/D (Res-1)

dt 6 Sep. 2018 का अनुलग्नक

नियम और शर्तें: ईसीएचएस के संविदा कर्मचारी

1. ईसीएचएस (ECHS) डॉ/श्री/श्रीमती _____ की पेशेवर सेवाओं को _____ (पदनाम या कार्य की प्रकृति) और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लाभ के लिए _____ (स्थान) और डॉ/श्री/श्रीमती _____ (संलग्न व्यक्ति का नाम) के रूप में नियुक्त करता है, जो 12 महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त पॉलीक्लिनिक में इस क्षमता में अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।
2. कर्मचारियों की नियुक्त पूरी तरह से संविदा के आधार पर होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया के आधार पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए होगा, जो ग्यारह महीने के बाद उनके आचरण और प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन होगा।
3. ईसीएचएस (ECHS), प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक/नामित अधिकारी के माध्यम से कार्य कर रहे स्टेशन कमांडर की संतुष्टि के अनुसार कदाचार या सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में विफलता पर कोई कारण बताए बिना, कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 30 दिनों का नोटिस देकर या 30 दिनों के पारिश्रमिक का भुगतान करके नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. संलग्न व्यक्ति को उसकी सेवाओं के लिए कुल प्रतिफल का भुगतान _____ (राशि) प्रति माह के समेकित (मुआवजे) के रूप में या भारत सरकार द्वारा संशोधन के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य वित्तीय लाभ, सहायता, सुविधाएं, भत्ते, गैर अभ्यास भत्ता आदि उसे देय नहीं होगा (सिवाय EPF के, यदि लागू हो तो नीचे पैरा 5 देखें)। संविदा के आधार पर नियुक्त उक्त नियोजित व्यक्ति किसी भी उपदान या अंतिम लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। प्रतिफल का भुगतान ईसीएचएस (ECHS) द्वारा नियोजित व्यक्ति को मासिक आधार पर महीने की इयूटी समाप्त होने के बाद किया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति ईसीएचएस (ECHS) से चिकित्सा प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ईसीएचएस (ECHS) का पात्र सदस्य न हो।
5. EPF और MP अधिनियम 1952 ईसीएचएस (ECHS) Est पुरे भारत में और थोड़ा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू होगा, जम्मू और कश्मीर में EPF और MP अधिनियम योजना 1960 और EDLI योजना 2000 लागू होगी। इन नियमों के संशोधित प्रावधान भी स्वतः ही लागू हो जाएंगे।
6. नियुक्त व्यक्ति हरेक महीने के लिए 2.5 दिनों की दर से छुट्टी का हकदार होगा, जो इकठ्ठा होने पर MoA पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने के अंत में, लैप्स हो जाएगा।
7. यदि कर्मचारी की अनुपस्थिति की अवधि लगातार 20 दिनों से अधिक हो, तो पॉलीक्लिनिक रिलीफ नियुक्त कर सकता है। संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के 60 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति की स्थिति में समाप्त कर दी जाएंगी।
8. पात्रता से अधिक की अनुपस्थिति के लिए कुल मासिक प्रतिफल से यथानुपात अर्थात प्रत्येक पूर्ण किये गए माह के लिए 2.5 दिन, वर्ष में कुल 30 दिन के हिसाब से कटौती की जाएगी।
9. यह एक पूर्णकालिक नियुक्ति है। इसलिए नियुक्त व्यक्ति भुगतान या अन्यथा किसी अन्य नियुक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित है।
10. नियुक्त व्यक्ति हमेशा प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक/नामित अधिकारी के माध्यम से कार्य करने वाले स्टेशन कमांडर के निर्देश और देखरेख के अंतर्गत कार्यों का पालन करेगा।

11. संलग्न व्यक्ति को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के 60 दिनों के भीतर पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल रहने पर उसकी सेवाओं को बिना किसी सूचना के तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।
12. नियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी यदि झूठी पाई जाती है या यदि वह सामग्री, जानकारी छुपाता है, तो वह ईसीएचएस (ECHS) अधिकारियों द्वारा संविदात्मक नियुक्ति से वर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि आवश्यक समझा जाए। झूठी सूचना के आधार पर संविदात्मक नियुक्ति के दौरान भुगतान किए गए सभी पारिश्रमिक की वसूली नियुक्त किये गए व्यक्ति से की जाएगी।
13. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) या ईसीएचएस (ECHS) से संबंधित किसी अन्य मुख्यालय द्वारा जारी सभी नीति/प्रशासनिक निर्देश कर्मचारी पर लागू होंगे।
14. अनुशासनहीनता/अक्षमता/किसी भी ईसीएचएस (ECHS) प्रतिष्ठान से किसी भी अपर्याप्तता के आधार पर किसी भी समय हटाया गया व्यक्ति ईसीएचएस (ECHS) संगठनों में किसी भी स्तर पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
15. नियुक्त व्यक्ति अपनी पेशेवर लापरवाही, कदाचार या सेवा में कमी के संबंध में सभी तृतीय पक्ष दावों या कार्यवाहियों के लिए ईसीएचएस (ECHS) की क्षतिपूर्ति करेगा। नियुक्त व्यक्ति घोषणा करता है और स्वीकार करता है कि इस अनुबंध के तहत संलग्नता अस्थायी और संविदात्मक प्रकृति की है इसलिए, इस समझौते में उसे अनुबंध की अवधि से परे ईसीएचएस (ECHS) में अपनी सेवा के विस्तार के लिए किसी भी अदालत से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह समझौता ईसीएचएस (ECHS) और संलग्न व्यक्ति के बीच पूरे समझौते का गठन करता है, और सभी पूर्व समझौतों, समझ, बातचीत, पत्राचार या चर्चाओं का स्थान लेता है, चाहे वह लिखित या मौखिक हो, जो यहां की विषय-वस्तु से संबंधित हो।
16. नियुक्त व्यक्ति उच्चतम नैतिक, नैतिक और वित्तीय मानकों के साथ पेशेवर तरीके से खुद का संचालन करेगा और किसी भी कदाचार, अनैतिक व्यवहार और वित्तीय दुरुपयोग, संगठन की संपत्ति का दुरुपयोग या प्रशासनिक गैर-जिम्मेदारी में लिप्त नहीं होगा।
17. नियुक्त व्यक्ति को संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले एक माह का नोटिस देकर अथवा सेवाओं की नियुक्ति के लिए प्रतिफल के रूप में एक माह की संविदा राशि को त्याग कर इस अनुबंध को समाप्त करने का भी अधिकार होगा।
18. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के साथ संविदात्मक जुड़ाव के अपने कार्यकाल के दौरान, संलग्न व्यक्ति का ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/डेंटल सेंटर्स/डायग्नोस्टिक सेंटर/अधिकृत स्थानीय केमिस्ट और माल या सेवाओं या दवाओं या सुविधाओं आदि के केमिस्ट के साथ किसी भी तरह से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध या व्यवहार नहीं होगा। यदि वह किसी भी रोजगार, आर्थिक लाभ, उपहार, रिश्त, कमीशन, किसी भी प्रकार के पक्ष या व्यापार प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या परिवार के सदस्य के लिए, निजी या पैनलबद्ध अस्पतालों/नर्सिंग होम/दंत चिकित्सा केंद्रों/नैदानिक केंद्रों /अधिकृत स्थानीय केमिस्ट और वस्तुओं या सेवाओं या दवाओं या सुविधाओं आदि के आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकार करने में शामिल पाया जाता है, या यदि संलग्न व्यक्ति उक्त स्वास्थ्य सेवा/चिकित्सा व्यवसायिक संस्थाओं के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने में शामिल पाया जाता है, तो नियुक्त किये गए व्यक्ति का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
19. संविदात्मक नियुक्ति और उसकी निरंतरता, यदि कोई हो, विशेष रूप से ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगी। इसके गवाह के रूप में पक्षों ने _____ (माह), _____ (वर्ष) के _____ (स्थान) पर इस समझौते को निष्पादित किया है।

गवाह

1. _____

(हस्ताक्षर) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ईसीएचएस (ECHS) के अधिकृत अधिकारी के रूप में स्टेशन कमांडर द्वारा हस्ताक्षरित

2. _____

पता _____ (हस्ताक्षर)

(गवाह संख्या 1 और 2) का नाम और पता

1. _____

(हस्ताक्षर)

नामित संलग्न व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित

(नाम पता)

2. _____

श्री/श्रीमती नाम _____

(हस्ताक्षर)

पता _____

(गवाह नंबर 1 और 2 का नाम और पता)

फाइल संख्या 18(107)/2017/WE/D(Res-I)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के
 (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 कमरा नंबर 221, बी विंग सेना भवन, नई दिल्ली,
 दिनांक 05 दिसंबर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप डी ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन- कर्मचारी के स्केल की स्वीकृति

महोदय,

मंत्रालय के dt 28 Sep 18 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, MOD पत्र संख्या 22(72)/06/D(Res)/US(WE)(Vol IV) dt 12 Nov 13 के माध्यम से टाइप D पॉलीक्लिनिक के लिए स्वीकृत संविदात्मक कर्मचारी के पहले से स्वीकृत स्केल के अनुसार इंदौर में नए पॉलीक्लिनिक के लिए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी जाती है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (F/P) के स्वीकृति से उनकी ID No. 32(13)/207/ Fin/Pen dt 19 Nov 18 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के SO
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. JS (ESW) के PS
5. JS & addl. FA (RK) के PS
6. CGDA
7. DGAFMS
8. MD ईसीएचएस (ECHS)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D(19)/2017/(WE)/D(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 06 जून, 2018

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

मुझे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(19)/ 2017/ WE/D(Res) dt 16 Aug, 2017 के पैरा 2 के क्रम संख्या 2 के अंतिम कॉलम में निम्नलिखित संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. उपरोक्त संदर्भित पत्र के पैरा 2 के क्रम संख्या 2 के अंतिम कॉलम को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है:

क्रमांक	श्रेणी	फॉर	रीड
02	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट)	(a) रुपये 87,500/- (पहले वर्ष के अनुबंध के लिए)	समेकित संविदात्मक पारिश्रमिक प्रति माह
		(b) रुपये 1,00,000/- (द्वितीय वर्ष के अनुबंध के लिए)	रुपये 1,00,000/-

3. यह इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा

4. ईसीएचएस (ECHS) (चिकित्सा/गैर-चिकित्सा) में अनुबंध पर नियुक्त सभी व्यक्तियों के मामले में, जो केंद्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनका पारिश्रमिक उनके द्वारा आहरित पेंशन की राशि से कम किया जाएगा।

5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO No. 33(5)/2009/Fin/Pen dt 11-4-2018 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. RM के SO
2. RRM के PS
3. सचिव, ESW के PPS
4. FA(DS) के PPS
5. JS (ESW) के PS
6. Addl. FA & JS (RK) के PS
7. MD, ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण) अवर सचिव, भारत सरकार

8. CGDA

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D(19)/2017/(WE)/D(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सेना भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 24 जनवरी 2019

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

मुझे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या A12026/4/2017-CHSIII dt 10-8-2018 के सम्बन्ध में, MoD, DoESW के समसंख्यक dt 6-6-2018 के पत्र का उल्लेख करने और उक्त पत्र के पैरा 4 को हटाने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की सहमति से उनकी ID No.33(5)/09/Fin/Pen dt 19-9-18 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के SO
2. RRM के PS
3. सचिव, ESW के PPS
4. FA(DS) के PPS
5. JS (ESW) के PS
6. Addl. FA & JS (RK) के PS
7. MD, ईसीएचएस (ECHS)
8. CGDA

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D(14)/2018/(WE)/D(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
सेना भवन, नई दिल्ली-11
दिनांक 05 फरवरी 2020

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(06)03/US(WE)/D(Res) dt 14 Sep, 2008 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए कर्मचारियों के संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शुद्धिपत्र के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

2. पैरा 8(K) के लिए "अंशकालिक नियुक्ति" GOC-in-C/FOC-in-C (मुख्यालय कमान) यथा लागू, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए अंशकालिक आधार पर उन स्टेशनों में अंशकालिक नियुक्ति की मंजूरी दे सकता है जहां यह उपरोक्त पैरा 8 (b) में उल्लिखित पूर्णकालिक विशेषज्ञ को इस शर्त के अधीन नियुक्त करना संभव नहीं है कि इस प्रकार भुगतान किए गए पारिश्रमिक को नीचे दिए गए मॉडल के अनुसार स्वीकृत राशि से आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा: -

के लिए नियुक्त लोगों के लिए मासिक पारिश्रमिक की प्रक्रिया			
चिकित्सा विशेषज्ञों की श्रेणी	पूर्णकालिक (दिन में 5 घंटे यानी सप्ताह में 30 घंटे)	अंशकालिक (3 घंटे)	अंशकालिक (2 घंटे)
चिकित्सा विशेषज्ञ	रु. 25,000/-	रु. 15,000/-	रु. 10,000/-
स्त्री रोग विशेषज्ञ	रु. 25,000/-	रु. 15,000/-	रु. 10,000/-

3. पैरा 8 (k) "अंशकालिक नियुक्ति" के लिए। मुख्यालय उप क्षेत्र या समकक्ष उन स्थानों को छोड़कर जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान मेजर जनरल से निचले रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है, अनुमोदन उप क्षेत्र के GOC द्वारा दिया जाएगा अन्यथा GOC क्षेत्र/कोर या समकक्ष द्वारा अंशकालिक नियुक्ति की मंजूरी के लिए लागू किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञ डॉक्टरों (चिकित्सा विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और रेडियोलॉजिस्ट), दंत चिकित्सा अधिकारी, पैरा मेडिकल/पैरा डेंटल स्टाफ के अंशकालिक आधार पर उन स्टेशनों में, जहां पूर्णकालिक कर्मचारियों को नियुक्त करना संभव नहीं है या पूर्णकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, ऊपर पैरा 8 (b) में

उल्लेख किये गए अनुसार भार को कम करने के लिए भुगतान किए गए पारिश्रमिक को स्वीकृत राशि से आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा। वित्तीय पारिश्रमिक सूत्र / घंटा निम्नानुसार है: -

मासिक पारिश्रमिक x 12

267x (प्रति दिन अधिकृत घंटों की संख्या)

प्रतिदिन पांच घंटे कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक का पारिश्रमिक:-

के लिए संलग्न लोगों के मासिक पारिश्रमिक की प्रक्रिया						
क्रमांक	श्रेणी	पूर्णकालिक (पांच घंटे)	पूर्णकालिक (चार घंटे)	पूर्णकालिक (तीन घंटे)	पूर्णकालिक (2 घंटे)	टिप्पणियां
(a)	विशेषज्ञ चिकित्सक	रु.1,00,000/-	रु.3595/- प्रति दिन	रु.2696/- प्रति दिन	रु.1797/- प्रति दिन	मासिक भुगतान संशोधित होने की स्थिति में प्रति दिन भुगतान बदल जाएगा।

प्रतिदिन आठ घंटे कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक:-

के लिए लगे लोगों के लिए मासिक पारिश्रमिक की प्रक्रिया								
क्रमांक	श्रेणी	पूर्णकालिक (8 घंटे)	पूर्णकालिक (6 घंटे)	पूर्णकालिक (5 घंटे)	पूर्णकालिक (4 घंटे)	पूर्णकालिक (3 घंटे)	पूर्णकालिक (2 घंटे)	टिप्पणी
(a)	चिकित्सा अधिकारी / दंत चिकित्सा अधिकारी	रु.75,000/-	रु.2527/- प्रति दिन	रु.2106/- प्रति दिन/-	रु.1685/- प्रति दिन	रु.1263/- प्रति दिन	रु.842/- प्रति दिन	मासिक भुगतान संशोधित होने की स्थिति में प्रति दिन भुगतान बदल जाएगा।
(b)	पैरा मेडिकल / पैरा डेंटल स्टाफ	रु.28,100/-	रु.946/- प्रति दिन	रु.789/- प्रति दिन/-	रु.630/- प्रति दिन	रु.473/- प्रति दिन	रु.315/- प्रति दिन	

इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO. No.32(36)/2018/Fin/Pen dt 21.01.2020 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MoD (सेना) के AG. IHQ
5. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
6. AOA, Air HQ (VB)
7. MD, ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

8. सचिव, ESW के PPS
9. सचिव, (रक्षा/वित्त) के PPS
10. JS (EWS) के PS
11. Addl. FA & JS (RK) के PS

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण) अवर सचिव,
भारत सरकार

फाइल संख्या 23(4)/E.Coord/2020/1
 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग
 नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
 दिनांक 20 मई 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के समय में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के आउटसोर्स व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के संविदात्मक, आकस्मिक और आउटसोर्स कर्मचारियों को लॉकडाउन के समय में अनुचित कठिनाई से बचने के उपाय के रूप में, व्यय विभाग [DoE] द्वारा dt 23/03/2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किए गए थे, कि कोई भी संविदात्मक, आकस्मिक और आउटसोर्स कर्मचारी, जिन्हें कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में लॉकडाउन आदेश के मद्देनजर घर पर रहना आवश्यक है, को ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान "इयूटी पर" माना जाएगा और तदनुसार आवश्यक वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

2. ये निर्देश भारत सरकार के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त/सांविधिक निकायों पर भी लागू होते हैं और 30 Apr, 2020 तक वैध थे।

3. लॉकडाउन की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है और MHA's के आदेश dt 17/05/2020 के अनुसार कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन उपायों को 31.05.2020 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, dt 23/03/2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी DOE के निर्देशों की वैधता एतद्वारा 31 May 2020 तक बढ़ा दी गई है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एनी. जी मैथ्यू)

अपर सचिव, भारत सरकार

के लिए,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग



भाग - V

सदस्यता

फाइल संख्या 12/1/2005/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली

दिनांक 01 फरवरी 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- दिव्यांगता पेंशन के साथ चिकित्सा के आधार पर नियुक्त किए गए भर्तियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान करना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि क्या चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण के दौरान बोर्ड से बाहर किए गए और चिकित्सा/दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने वाले नए भर्तियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाना चाहिए।

2. निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है:-

- (i) सेना अधिनियम की धारा 11 के तहत नया भर्ती एक नामांकित व्यक्ति है।
- (ii) उनकी प्रशिक्षण अवधि को शारीरिक सेवा माना जाता है और पेंशन के उद्देश्यों के तहत गिना जाता है,
- (iii) उसे प्रशिक्षण के दौरान नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है।
- (iv) प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे पूरी प्रशिक्षण अवधि के लिए बकाया राशि के साथ एक सैनिक का वेतन मिलता है।
- (v) नए भर्तियों के घायल होने और छोड़े जाने/सेवा से बाहर किए जाने पर चिकित्सा/दिव्यांगता पेंशन दी जाती है।

3. तदनुसार रक्षा मंत्री की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे नए भर्ती जिन्हें चिकित्सा आधार पर बोर्ड से हटा दिया गया था और चिकित्सा/दिव्यांगता पेंशन दी गई थी, उन्हें भी सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. उपाध्याय)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

दूरभाष: 23011804

फाइल संख्या 22 (20)05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 10 फरवरी 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- पति और पत्नी के रक्षा कर्मचारी होने पर ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 का संदर्भ लेने और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि जब पति और पत्नी दोनों रक्षा कर्मचारी हैं, तब ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के भुगतान के संबंध में रक्षा पेंशनभोगियों द्वारा कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं और स्थिति को नीचे स्पष्ट किया गया है:-

क्रमांक	संदेह के बिंदु	स्पष्टीकरण
1.	जब पति और पत्नी दोनों रक्षा पेंशनभोगी हों, तो अंशदान का भुगतान कौन करेगा?	CGHS की तर्ज पर सिर्फ एक ही अंशदान लेना होता है
2.	यदि पति या पत्नी में से एक रक्षा कर्मचारी होता और दूसरा केंद्र सरकार का कर्मचारी या किसी अन्य संगठन का कर्मचारी होता, जहां चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो क्या रक्षा कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय सदस्य बनना अनिवार्य होगा?	हां। नागरिक पति या पत्नी, यदि वह CGHS का सदस्य है, तो उसके पास CGHS से हटने का विकल्प होगा।
3.	यदि पूर्व में सेवानिवृत्त होने वाला पति या पत्नी अपने आश्रित माता-पिता को ईसीएचएस (ECHS) के तहत कवर करना चाहता है, तो क्या वह ऐसा कर सकता है?	हाँ, वह सेवानिवृत्ति के समय निर्धारित अंशदान का भुगतान करके कर सकता/सकती है। दूसरा पति या पत्नी भी सेवानिवृत्त होने के दौरान अपने आश्रित माता-पिता को एक अन्य योगदान के रूप में लागू करने के लिए कवर करने का विकल्प चुन सकता है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO. No. 9/PD/06 dt 5.1.2006 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के.जैन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23011804

के लिए कॉपी:-

1. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
2. डायरेक्टर (समन्वय) - ईसीएचएस (ECHS)
अनुभाग के तहत MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए।
3. रक्षा सचिव के SO
4. As (B) के PS / AS (I) के PS
5. JS (ESW)
6. JS (E)
7. DFA (Ag/PD)

के लिए भी कॉपी:-

8. CGDA, नई दिल्ली
9. FA (DS) के लिए PS
10. अतिरिक्त FA (V) / अतिरिक्त FA (K)
11. JS (O/N)
12. डायरेक्टर (वित्त) /AG) / डायरेक्टर (वित्त / कार्य)
13. रक्षा वित्त (AG/PD)
14. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
15. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
16. O&M इकाई
17. DGAFMS
18. DGMS
19. DGMS (वायु)
20. DGMS (नौसेना)
21. AOA
22. COP
23. ADG C&W
24. ADG (FP)
25. सभी कमान मुख्यालय
26. AG शाखा / CW-3
27. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
28. वायु मुख्यालय (PS & R)

फाइल संख्या 22(68)2006/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2008

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, मुझे वर्दीधारी तटरक्षक पेंशनभोगी और रक्षा सुरक्षा कोर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. पूर्व सैनिकों के लिए लागू ईसीएचएस (ECHS) की सभी सुविधाएं वर्दीधारी तटरक्षक पेंशनभोगियों और रक्षा सुरक्षा कोर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू होंगी।

3. यह पत्र रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No.68/PD/08 dt 22.01.08 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन) अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. डायरेक्टर जनरल भारतीय तट रक्षक
2. डायरेक्टर जनरल, रक्षा सुरक्षा कोर
3. रक्षा (वित्त)) (AG/PD)
4. रक्षा सचिव के SO
5. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS

फाइल संख्या 22D(42)/2006/US(WE)/D(Res)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
 नई दिल्ली
 दिनांक 14 सितम्बर 2010

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
 नौसेनाध्यक्ष
 वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- नेपाल अधिवासित गोरखाओं (एनडीजी) ESM को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, मुझे सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) का कवरेज भूतपूर्व सैनिक नेपाल अधिवासित गोरखा (NDG) पेंशनभोगी के लिए उसी पैटर्न पर आधारित होगा जैसा कि भारत में भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होता है।

2. ईसीएचएस (ECHS) की सुविधाएं NDG के पेंशनभोगी पर अनुवर्ती पैरा के अनुसार लागू होंगी।

3. पात्रता। केवल NDG भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगी (रक्षा अनुमानों से) भारतीय ESM के समान ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के लिए पात्र हैं। तटरक्षक बल के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी पात्र होंगे।

4. चिकित्सा उपचार

(a) नेपाल में पॉलीक्लिनिक्स में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित अपग्रेड किये गए मौजूदा MI कमरों में चिकित्सा उपचार उपलब्ध होगा: -

- (i) काठमांडू - टाइप A से गैर सैनिक
- (ii) पोखरा - टाइप A से गैर सैनिक
- (iii) धरन - टाइप B से गैर सैनिक

(b) इसके अलावा, सीजनल पेंशन भुगतान शिविरों के दौरान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रत्येक पॉलीक्लिनिक में एक प्रकार का ई मोबाइल क्लिनिक संलग्न किया जाएगा।

(c) भारतीय दूतावास द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों को पैनल में शामिल माना जाएगा यानी पैनल में शामिल होने के लिए उनके आवेदन पर NABH द्वारा बिना किसी आकलन के सीधे कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में अस्पतालों के पैनल में शामिल होने के लिए, भारत में अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(d) MI कमरों में कर्मचारी सहित मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचा ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में काम करना जारी रखेगा और मौजूदा पैमानों तक बढ़ाया जाएगा। हालाँकि, भारत से महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (DGAFMS) की मेडिकल टीम द्वारा समय-समय पर दौरे नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) के पूरी तरह से चालू हो जाने पर बंद कर दिए जाएंगे।

(जैसा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 07 Feb 2012 द्वारा संशोधित किया गया है)

ईसीएचएस (ECHS) में शामिल होने की प्रक्रिया

5. आवेदन पत्र

- (a) आवेदन पत्र भारत में सेना/नौसेना/वायु सेना के निकटतम स्टेशन मुख्यालय या काठमांडू में सैन्य विंग, भारतीय दूतावास से एकत्र किए जा सकते हैं।
- (b) फॉर्म इंटरनेट वेबसाइट [www.ईसीएचएस \(ECHS\).gov.in](http://www.ईसीएचएस (ECHS).gov.in) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं

6. योगदान। युद्ध विधवाओं, युद्ध में हताहतों और 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को एकमुश्त ईसीएचएस (ECHS) योगदान से छूट दी गई है, अन्य के लिए, योगदान भारतीय रुपये में भारत में लागू होगा। 01 Jun, 2009 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी NDG ESM योगदान की पूर्व-संशोधित दरों का भुगतान करेंगे जैसा कि भारतीय ESM के लिए लागू था। तथापि, 01 Jun 2009 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी संशोधित दरों पर अंशदान का भुगतान करेंगे।

(भारत सरकार के न्यूनतम डीईएफ़ पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 07 Feb 2012 द्वारा जोड़ा गया)

7. अंशदान का भुगतान। भारत में रहने वाले NDG भारत में ESM पेंशनभोगियों की तरह ही प्रक्रिया का पालन करेंगे। नेपाल में रहने वाले NDG के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी: -

- (a) इन आदेशों को जारी करने की तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति। इन आदेशों के जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त कर्मचारी, भारत में मौजूदा प्रक्रिया के तहत MRO के माध्यम से भारत में योगदान जमा किया जा सकता है। नेपाल में अंशदान जमा करने के इच्छुक NDG, ईसीएचएस (ECHS) शाखा, काठमांडू, नेपाल के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अंशदान जमा कर सकते हैं। आवेदन संसाधित होने के बाद, ईसीएचएस (ECHS) योगदान की समेकित राशि क्षेत्रीय ESM की सूची के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से केंद्र, लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। क्षेत्रीय केंद्र राशि का MRO बनाकर PCDA (CC), लखनऊ को ESM की सूची के साथ अग्रेषित करेगा।

(जैसा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(D)(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 07 Nov 2012 द्वारा संशोधित किया गया है)

- (b) इन आदेशों के जारी होने की तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति। ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में योगदान राशि की कटौती पेंशन भुगतान प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार की जाएगी।

8. भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करना। NDG भारत में ESM पेंशनभोगियों की तरह ही प्रक्रिया का पालन करेंगे। नेपाल में रहने वाले NDG के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी: -

- (a) इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति। ठीक से भरे गए आवेदन पत्र, भारत और नेपाल के दूतावास में सहायक सैन्य अताशे (MA) (अभिलेख) को उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ जमा किए जायेंगे।

- (i) पेंशन भुगतान आदेश (PPO) बैंक/कोषागार द्वारा विधिवत सत्यापित जहां से पेंशन आहरित की जा रही है

- (ii) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट/सेवानिवृत्त/आश्रित आई-कार्ड
- (iii) ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास काठमांडू, नेपाल के पक्ष में योगदान की राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट
- (iv) शपथ पत्र। माता-पिता/बच्चों की निर्भरता की पुष्टि करने के लिए नेपाल में रहने वाले भारतीय पूर्व सैनिकों के लिए मुख्य जिला अधिकारी (CDO) के समक्ष शपथ पत्र को नेपाल में मौजूदा प्रथा के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी।
- (v) ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल के पक्ष में स्मार्ट कार्ड के लिए बैंक ड्राफ्ट

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(D)(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 07 Nov 2012 द्वारा संशोधित)

(b) इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए रिक्त ईसीएचएस (ECHS) आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति आदेश और अन्य प्राथमिक पेंशन दस्तावेजों के साथ संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। व्यक्ति/इकाई अन्य प्राथमिक पेंशन दस्तावेजों के साथ सेवानिवृत्ति की नियत तारीख से न्यूनतम 06 महीने पहले संबंधित कार्यालय को दर्ज करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) आवेदन पत्र (कम PPO विवरण) में विधिवत रूप से अग्रेषित करेगा।

9. ईसीएचएस (ECHS) आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति और पुनरीक्षण। NDG भारत में ESM पेंशनभोगियों की तरह ही प्रक्रिया का पालन करेंगे। नेपाल में रहने वाले NDG के लिए प्रक्रिया इस प्रकार होगी: -

(a) इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति।

व्यक्तियों द्वारा भरा गया ईसीएचएस (ECHS) आवेदन प्राप्त होने पर, असिस्टेंट मिलिट्री अताशे (AMA) (रिकॉर्ड्स) इसकी सत्यता की जांच करेगा। आवेदन पत्र की पावती/रसीद पर AMA रिकॉर्ड्स द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को दी जाएगी। रसीद पर हस्ताक्षर किए जाने के दिन से ईएसएम ईसीएचएस लाभ के लिए अधिकृत होगा। ईसीएचएस (ECHS) आवेदन पत्र उचित जांच के बाद क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ को भेजा जाएगा।

(b) इन आदेशों को जारी करने की तारीख को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति।

व्यक्ति/इकाई से भरा हुआ ईसीएचएस (ECHS) आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय, शुद्धता के लिए पुनरीक्षण करेगा। आवेदन पत्र की पावती/रसीद व्यक्ति को संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख का विधिवत उल्लेख करते हुए भेजी जाएगी (ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद ही उपलब्ध होंगी) और ईसीएचएस (ECHS) आवेदन पत्र उचित जांच के बाद संबंधित क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को भेजा जाएगा।

10. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स की कमान और नियंत्रण

(a) भारतीय दूतावास में कर्मचारी

(i) सैन्य अताशे/रक्षा अताशे काठमांडू स्टेशन कमांडर के रूप में कार्य करेगा और नीतिगत मुद्दों को छोड़कर ईसीएचएस (ECHS) से संबंधित सभी मामलों से निपटेगा।

(aa) AMA (ईसीएचएस (ECHS)) - नेपाल में योजना की सुचारु शुरुआत और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मामलों से निपटने वाले केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस

(ECHS) में कम से कम दो साल का अनुभव और एक वर्ष के लिए विंग कमांडर (या समकक्ष) के पद के साथ एक अधिकारी। बाद के कर्मचारी को नेपाल में रक्षा कर्मियों की नियमित प्रक्रिया के अनुसार तैनात किया जाएगा।

(ab) 02 क्लर्क

(ii) ईसीएचएस (ECHS) से संबंधित मामलों में सैन्य रक्षा अताशे की सहायता के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के सेवा कर्मियों को नेपाल में भारतीय दूतावास में तैनात किया जाएगा।

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 29 Mar 2012 द्वारा संशोधित)

(ab) 02 x बहु-कार्य कर्मचारी।

(ac) 02 x ड्राइवर।

(b) **वाहन.** ईसीएचएस (ECHS) सेल, सैन्य विंग, भारतीय दूतावास के लिए

(i) एक हल्का वाहन

(ii) एक मोटरसाइकिल

(c) **फंड प्रबंधन।** अलग से आदेश यथासमय जारी किये जायेंगे।

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 01 Mar 2012 और 07 Feb 2012 द्वारा संशोधित)

11. **क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)।** भारत में NDG के लिए संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों के लिए ईसीएचएस (ECHS) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार स्टेशन मुख्यालय/अभिलेख अधिकारियों से प्राप्त आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें संसाधित करेगा जैसा कि अन्य पेंशनभोगियों के संबंध में किया जा रहा है। क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) कार्ड विक्रेता द्वारा स्मार्ट कार्ड तैयार करेंगे और उन्हें स्टेशन मुख्यालय/संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों को भेजेंगे।

12. **कानूनी मामले।** सभी कानूनी मामले भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे और भारतीय कानून के अनुसार मामलों की सुनवाई की जाएगी।

13. ईसीएचएस (ECHS) की अन्य सभी प्रक्रियाएं और नीतियां भारत में नेपाल डोमिसाइल गोरखा (NDG) ESM के साथ-साथ नेपाल में NDG पर भी लागू होंगी।

14. यह योजना भारतीय सशस्त्र बलों के सभी भूतपूर्व सैनिकों/नेपाल में रहने वाले और भारत में बसे आश्रितों को कवर करेगी।

15. यह पत्र रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 2936/10/F/P dt 8.9.2010 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव,

भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. रक्षा (वित्त) (AG/PD)
4. रक्षा सचिव के SO
5. सचिव (ESW) के PPS
6. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
7. JS (ESW)
8. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
9. D (चिकित्सा)
10. O&M इकाई
11. CGDA नई दिल्ली
12. रक्षा अताशे काठमांडू (नेपाल)

रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय :- ईसीएचएस (ECHS)-पूर्व-नियुक्तों को दिव्यांगता पेंशन में शामिल होने की पात्रता

संदर्भ: AFT, दिल्ली आदेश dt 9 Mar, 2010 WP @ No. 1486/2008 पर पूर्व-रेक्ट अनिल कुमार द्वारा दायर और WP (C) No. 5323/2008 पूर्व-रेक्ट अशोक अहलावत द्वारा दायर किया गया।

दिव्यांगता पेंशन अर्जित करने वाले नए भर्तियों के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) में शामिल होने के लिए पात्रता शर्त के विषय पर कृपया अपना आदेश संख्या B/49708/RECT/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 1 Jan, 2005 और 22 May, 2006 देखें।

2. इस संबंध में मुझे उपर्युक्त दो पत्रों को वापस लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है। सभी संबंधितों को आवश्यक स्पष्टीकरण भी जारी किया जा चुका है जो यह दर्शाता है कि भर्ती किए गए और उनके आश्रित भी ईसीएचएस (ECHS) के अंतर्गत आते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को सूचित करते हुए AFT को उचित रूप से अवगत कराने के लिए आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एम.एम. सिंह)

उप सचिव (Res-I)

दूरभाष : 23015772

MD ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 22D(10)10/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 21 मार्च 2011

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22 (1)01/US(WE)/D(RES) dt 30 Dec, 2002 के संदर्भ में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) कवरेज को अधिकारी रैंक से नीचे के सेवानिवृत्त विशेष फ्रंटियर फोर्स कर्मियों और उनके आश्रितों, जिन्होंने 15 साल की सेवा प्रदान की है, को विस्तारित करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जो कि उसी पैटर्न पर होगा जैसा कि भारतीय सेना में उनके काउंटर पार्ट्स पर लागू होता है।

2. पूर्व सैनिकों के लिए लागू ईसीएचएस (ECHS) के लिए सभी सुविधाएं अधिकारी रैंक से नीचे के सेवानिवृत्त विशेष सीमांत बल कर्मचारी और उनके आश्रितों पर लागू होंगी जिन्होंने 15 साल की सेवा प्रदान की है।

3. यह पत्र रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 749/FP/11 dt 4.3.2011 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. डायरेक्टर जनरल, SFF
2. CGDA, नई दिल्ली
3. MD ईसीएचएस (ECHS)
4. रक्षा (वित्त) सचिव के PPS
5. JS (ESW)
6. JS & Addl. FA, MoD
7. रक्षा सचिव के SO
8. रक्षा सचिव के SO
9. रक्षा (वित्त)
10. DFA (वित्त पेंशन)

हस्ताक्षरित
(एच. के. मलिक)
अवर सचिव (WE)

स्याही में हस्ताक्षरित प्रतिलिपि:-

11. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D (03)/2015/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2016

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन,
ईसीएचएस (ECHS) मौड लाइन्स,
दिल्ली छावनी

विषय: ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

चंडीमंदिर में माननीय AFT चंडीगढ़ क्षेत्रीय बेंच के आदेश dt 19 Mar, 2015 के O.A. 2013 की संख्या 3980 और आदेश dt 04.04.2016 2015 के MA (E) 3653 में 2013 के O.A. संख्या 3980 में GC-50078 F पूर्व सूबेदार भगत सिंह द्वारा दायर के अनुपालन में, मुझे निर्देश दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 2002 के पैरा 2 में उल्लिखित पेंशन/दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों का अर्थ केवल रक्षा खातों के नियंत्रक से ली गई रक्षा पेंशन है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति के साथ उनकी ID No. 33(15)/2015/Fin/Pen dt 15.11.2016 द्वारा जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए. के. कर्ण)

भारत सरकार के अवर सचिव

के लिए कॉपी :-

1. Addl. Dte जनरल APS/APS-ID
2. JS (ESW) के PPS
3. DFA (पेंशन)

फाइल संख्या 17(17)/2015/WE/D(Res-1)

भारत सरकार, भारत मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

B विंग, कमरा नंबर 221, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 07 मार्च 2019

डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर

सीओ ईसीएचएस (ECHS), थिमैया मार्ग, गोपीनाथ सर्कल

दिल्ली कैंट-10

विषय:- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ECOS, SSCOS और समय से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं प्रदान करना।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों (ECOs), लघु सेवा कमीशन अधिकारियों (SSCOS) और समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को पेंशन की प्राप्ति से संबंधित शर्तों में छूट देकर, ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा प्राप्त करने योग्य बनने के लिए ESMs होने के नाते, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराया जाता है:

- (i) उन्हें ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा और ईसीएचएस (ECHS) के नियमों को स्वीकार करना होगा।
- (ii) ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं केवल उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी को ही प्रदान की जाएंगी।
- (iii) उन्हें एकमुश्त अंशदान देना होगा और ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य बनना होगा। (हालांकि, युद्ध विधवाओं को एकमुश्त ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के भुगतान से छूट दी जाएगी)
- (iv) उन्हें अनुशासनात्मक आधार पर कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- (v) उन्हें सरकार की किसी अन्य संस्थागत स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
- (vi) उन्हें समय-समय पर संशोधित ईसीएचएस (ECHS) नियमों का पालन करना चाहिए।
- (vii) WW-II के पूर्व सैनिकों और ECOs व उनके जीवनसाथी को सभी ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी, जिसमें ईसीएचएस (ECHS) पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज और AFMS अस्पतालों में मुफ्त OPD और IPD उपचार सुविधाएं शामिल हैं, जैसा कि अन्य ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
- (viii) SSCOs और समयपूर्व सेवानिवृत्त निम्नलिखित सुविधाओं के लिए पात्र होंगे:
 - (aa) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स से OPD सेवाएं निःशुल्क।
 - (ab) उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध अस्पतालों में OPD/IPD/जांच के लिए भुगतान करना होगा और 10 वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मियों के लिए कुल स्वीकार्य व्यय का 75% और 10 वर्ष से कम या उसके बराबर वाले कर्मियों के लिए कुल स्वीकार्य व्यय के 50% की दर से सेवा की प्रतिपूर्ति की मांग करनी होगी।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (Fin/Pen) की सहमति से उनकी IPD संख्या 31(02)/2019/ Fin/Pen dt 7.3.2019 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) (अवर सचिव, भारत सरकार)

टेली फैक्स: 23014946

के लिए कॉपी :-

1. RM के PS
2. सचिव RM के PS
3. सचिव, ESW के PPS
4. रक्षा, सचिव के PPS
5. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)
6. सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों का विभाग)
7. मंत्रिमंडल सचिवालय उनके पत्र संख्या CCS/10/2019 dt 7.3.2019 के संबंध में
8. उप प्रबंध डायरेक्टर, ईसीएचएस (ECHS) नए लाभार्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले एकमुश्त अंशदान पर मसौदा सरकारी पत्र को तत्काल अग्रेषित करने के संबंध में
9. MoD (वित्त/पेंशन)
10. Addl. FA & JS (RK)
11. O/o CGDA
12. DGADS
13. DGAFFMS/DG-3A, कमरा नंबर 4, M ब्लॉक
14. डायरेक्टर (चिकित्सा), रक्षा विभाग

रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय:- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ECOS, SSCOS और समय से पहले सेवानिवृत्त लोगों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं प्रदान करना

उपरोक्त विषय पर CO, ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या, B/49701-pr-Gen/AG/ECHS/2019 dt 13 Mar 2019 के संदर्भ में

2. बिंदुवार स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है।

a. CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण

रक्षा मंत्रालय के पत्र 17(10)/06/US(WE)/D(Res) dt 13 Apr, 2007 के तहत 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को एकमुश्त योगदान से छूट दी गई है। अनुरोध स्पष्ट करें कि क्या यह द्वितीय विश्व युद्ध /SSCOs/ECOs और PMR मामलों के लिए लागू है।

स्पष्टीकरण

बिन्दु संख्या 1 (iii) के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि एकमुश्त अंशदान के भुगतान से छूट केवल युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को प्रदान की गई है। इसलिए 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के एकमुश्त योगदान से छूट द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों/ SSCOs/ECOs और PMR पर लागू नहीं है।

b. CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण

आदेश के कार्यान्वयन की तिथि, चूंकि विस्तृत निर्देश जारी करने में कुछ समय की देरी शामिल होगी (स्पष्टीकरण और तौर-तरीकों/आवेदन के प्रोसेसिंग और सत्यापन और कार्ड जारी करने के लिए कार्यप्रवाह के संदर्भ में)।

स्पष्टीकरण

आदेश के क्रियान्वयन की तिथि 07 Mar 2019 यानी रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करने की तिथि होगी।

c. CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण

आपातकालीन स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार/प्रतिपूर्ति को SSCOs और PMR मामलों के लिए कवर नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण

पैरा 1 (viii) यह स्पष्ट करता है कि SSCOs और PMR को ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध अस्पतालों में OPD/IPD/जांच के लिए भुगतान करना होगा और प्रतिपूर्ति की मांग करनी होगी। यह आपात स्थिति में भी लागू होगा।

d. CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण

भारत सरकार के पत्र संख्या 17(10)/06/US(WE)/D (Res) dt 13 Apr 2007 के अनुसार, BCs को एकमुश्त अंशदान का भुगतान करने से छूट दी गई है। अब इसे द्वितीय विश्व युद्ध/SSCOs/ECOs और PMR के पत्र में शामिल नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण

जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (a) में स्पष्ट किया गया है, युद्ध हताहतों को एकमुश्त योगदान का भुगतान करने से छूट नहीं है।

3. CO, ईसीएचएस (ECHS) से अनुरोध है कि एकमुश्त अंशदान के संबंध में आदेश जारी करने के लिए ड्राफ्ट सरकारी पत्र तत्काल प्रस्तुत करें।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

Dy.MD, ईसीएचएस (ECHS)



भाग - VI

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स

फाइल संख्या 24(4)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 01 अगस्त 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS)के लिए पॉलीक्लिनिक का डिजाइन

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में मुझे इस पत्र के परिशिष्ट 1 से 4 में संलग्न विवरण के अनुसार प्रत्येक प्रकार के पॉलीक्लिनिक के संबंध में कमरों के आकार और उपयोग के विवरण के अनुसार ईसीएचएस (ECHS)के लिए पॉलीक्लिनिक के डिजाइन के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 11/Dir(Pen)/W/03 dt 10.7.2003 द्वारा जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. रक्षा मंत्रालय (वित्त/AG/PD)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. DGADS, नई दिल्ली
4. सभी कमान मुख्यालय

टाइप A पॉलीक्लिनिक - डिज़ाइन
कमरों के आकार और उपयोग का विवरण

क्रमांक	कमरा	आकार		उपयोग
		लंबाई (m) × चौड़ाई (m)	क्षेत्रफल (m ²)	
1	चिकित्सा अधिकारी संख्या	3.0 × 4.5	13.50	परामर्श कक्षा।
2	चिकित्सा अधिकारी संख्या	3.0 × 4.5	13.50	परामर्श कक्षा।
3	चिकित्सा विशेषज्ञ	3.0 × 4.5	13.50	परामर्श कक्षा।
4	चिकित्सा विशेषज्ञ संख्या 2	4.0 × 3.070	12.28	1. गैर सैन्य स्टेशनों में परामर्श कक्षा। 2. मिलिट्री स्टेशनों में सेवा अस्पताल से आने वाले विशेषज्ञ के लिए परामर्श कक्षा।
5	स्त्री रोग विशेषज्ञ	3.0 × 4.5	13.50	डू
6	दंत चिकित्सा अधिकारी	3.0 × 6.230	18.69	1. गैर सैन्य स्टेशनों में परामर्श कक्षा। 2. मिलिट्री स्टेशनों में दंत चिकित्सा केंद्र से दंत चिकित्सक को सूचीबद्ध करने के लिए परामर्श कक्षा।
7	OIC पॉलीक्लिनिक	3.0 × 3.0	9.00	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।
8	ड्यूटी नर्सिंग सहायक	2.085 × 3.070	6.40	पॉलीक्लिनिक की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा के लिए ऑफ ड्यूटी घंटे।
9	पंजीकरण और लॉबी	6.230 × 6.230	38.81	डाटा एंट्री ऑपरेशन और रिकॉर्ड कीपिंग, रजिस्ट्रेशन और सर्कुलेशन।
10	औषधालय 3.0 × 3.0	9.00		OPD में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का वितरण।
11	उपचार और इंजेक्शन	3.0 × 4.5	13.50	ड्रेसिंग, आपातकालीन हैंडलिंग और इंजेक्शन।
12	भौतिक चिकित्सा	3.0 × 4.5	13.50	लेजर थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मो, वैक्स बाथ, इंफ्रा रेड और अल्ट्रासाउंड थेरेपी सहित फिजियोथेरेपी।
13	प्रयोगशाला	3.0 × 4.5	13.50	हेमेटोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री सहित बेसिक लैब जांच
14	एक्स रे	4.0 × 4.5	18.00	रेडियोलॉजिकल जांच।
15	डार्क रूम	1.7 × 3.0 7	5.22	रेडियोलॉजी के लिए फिल्मों का विकास।
16	ECG और अल्ट्रासाउंड	3.5 × 3.07	10.75	ECG और अल्ट्रासाउंड जांच।
17	मेडिकल स्टोर	4.915 × 2.185	10.74	थोक मेडिकल स्टोर के लिए स्टोर।
18	शौचालय			
	A	1.8 × 2.185	3.93	क्लीनिकल क्षेत्र।
	B	3.0 × 1.85	5.55	सेवा क्षेत्र- पुरुष।
	C	3.0 × 1.85	5.55	सेवा क्षेत्र- महिला।
19	प्रतीक्षा क्षेत्र			
	क्लीनिकल			परामर्श की प्रतीक्षा में
	सेवाएं			निदान और सेवाओं की प्रतीक्षा में

प्लिंथ क्षेत्र

- a) अधिकृत 464.68
b) उपलब्ध कराया गया 462.68

टाइप B पॉलीक्लिनिक - डिजाइन
कमरों के आकार और उपयोग का विवरण

क्रमांक	कमरा	आकार		उपयोग
		लंबाई (m) × चौड़ाई (m)	क्षेत्रफल (m ²)	
1	चिकित्सा अधिकारी संख्या	3.0 × 3.5	10.50	परामर्श कक्षा।
2	चिकित्सा अधिकारी संख्या	3.0 × 3.5	10.50	परामर्श कक्षा।
3	चिकित्सा विशेषज्ञ	3.0 × 3.5	10.50	परामर्श कक्षा।
4	चिकित्सा विशेषज्ञ संख्या 2	3.5 × 3.0	10.50	1. गैर सैन्य स्टेशनों में परामर्श कक्षा। 2. मिलिट्री स्टेशनों में सेवा अस्पताल से आने वाले विशेषज्ञ के लिए परामर्श कक्षा।
5	स्त्री रोग विशेषज्ञ	3.5 × 3.0	10.50	-do- हू
6	दंत चिकित्सा अधिकारी	6.230 × 3.0	18.60	1. गैर सैन्य स्टेशनों में परामर्श कक्षा। 2. दंत चिकित्सक के पास जाने के लिए परामर्श कक्षा
7	OIC पॉलीक्लिनिक	3.0 × 3.0	9.00	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।
8	ड्यूटी नर्सिंग सहायक	2.4 × 3.0	7.20	पॉलीक्लिनिक की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा के लिए ऑफ ड्यूटी घंटे।
9	पंजीकरण और लॉबी	5.130 × 5.660	29.04	डाटा एंट्री ऑपरेशन और रिकॉर्ड कीपिंग।
10	औषधालय	3.0 0 × 3.00	9.00	OPD में दवाओं का वितरण व
11	उपचार और इंजेक्शन	3.0 × 3.5	10.50	ट्रेसिंग, आपातकालीन हैंडलिंग और इंजेक्शन।
12	भौतिक चिकित्सा	3.0 × 3.5	10.50	लेजर थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मो, वैक्स बाथ, इन्फ्रा रेड और अल्ट्रासाउंड थेरेपी सहित फिजियोथेरेपी।
13	प्रयोगशाला	3.0 × 3.5	10.50	सेमी ऑटो एनालाइजर के माध्यम से हेमेटोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री सहित बेसिक लैब जांच।
14	एक्स रे	4.0 × 4.43	17.72	रेडियोलॉजिकल जांच।
15	डार्क रूम	2.9 × 1.885	5.47	रेडियोलॉजी के लिए फिल्मों का विकास।
16	ECG और	3.6 × 2.8	10.08	ECG और अल्ट्रासाउंड जांच।
17	मेडिकल स्टोर	3.0 × 3.0	9.00	थोक मेडिकल स्टोर के लिए स्टोर।
18	शौचालय			
	A	1.5 × 1.885	2.83	पुरुष।
	B	1.5 × 1.885	2.83	महिला।
19	प्रतीक्षा क्षेत्र			
	क्लीनिकल	5.130 × 5.660	29.04	परामर्श की प्रतीक्षा में।
	सेवाएं	5.130 × 5.660	29.04	डायग्नोस्टिक्स, सेवाओं की प्रतीक्षा में।

प्लिंथ क्षेत्र

- a) अधिकृत 371.75
b) दिया गया 369.15

टाइप C पॉलीक्लिनिक - डिजाइन
कमरों के आकार और उपयोग का विवरण

क्रमांक	कमरा	आकार		उपयोग
		लंबाई (m) × चौड़ाई (m)	क्षेत्र (m ²)	
1	चिकित्सा अधिकारी संख्या	2.8 × 3.5	9.80	परामर्श कक्षा।
2	चिकित्सा अधिकारी संख्या	2.8 × 3.5	9.80	परामर्श कक्षा।
3	चिकित्सा विशेषज्ञ	2.8 × 3.5	9.80	परामर्श कक्षा।
4	दंत चिकित्सा अधिकारी	3.5 × 2.8	9.80	दंत चिकित्सक परामर्श।
5	प्रभारी अधिकारी	2.315 × 2.0	4.63	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।
6	ड्यूटी नर्सिंग सहायक	2.4 × 1.8	4.32	पॉलीक्लिनिक की प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा के लिए ऑफ ड्यूटी घंटे।
7	रिसेप्शन और लॉबी	2.4 × 4.8	11.52	डाटा एंट्री ऑपरेशन और रिकॉर्ड कीपिंग।
8	औषधालय	2.4 × 1.8	11.52	OPD में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का वितरण।
9	उपचार और इंजेक्शन	2.8 × 3.5	9.80	ड्रेसिंग, आपातकालीन हैंडलिंग और इंजेक्शन।
10	भौतिक चिकित्सा	2.8 × 3.5	9.80	लेजर थेरेपी सहित फिजियोथेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मि, वैक्स बाथ, इंफ्रा रेड और अल्ट्रासाउंड थेरेपी।
11	प्रयोगशाला	2.8 × 3.5	9.80	अर्ध ऑटो विश्लेषक के माध्यम से रुधिर विज्ञान, बुनियादी जैव रसायन सहित बुनियादी प्रयोगशाला जांच।
12	एक्स रे	4.230 × 4.230	17.89	रेडियोलॉजिकल जांच।
13	डार्क रूम	1.8 × 2	3.60	रेडियोलॉजी के लिए फिल्म विकसित करना।
14	स्टोर	2.07 × 3.43	7.10	थोक मेडिकल स्टोर के लिए स्टोर।
15	शौचालय			
	A	1.8 × 2.2	3.96	पुरुष।
	B	1.8 × 2.2	3.96	महिला।
16	प्रतीक्षा क्षेत्र			
	क्लीनिकल	7.260 × 3.430	24.90	परामर्श की प्रतीक्षा में।
	सेवाएं	5.830 × 3.430	20.00	निदान और सेवाओं के लिए प्रतीक्षारत।

प्लिंथ क्षेत्र

- a) अधिकृत 232.34
b) दिया गया 231.33

टाइप D पॉलीक्लिनिक - डिजाइन
कमरों के आकार और उपयोग का विवरण

क्रमांक	कमरा	आकार		उपयोग
		लंबाई (m) × चौड़ाई (m)	क्षेत्र (m ²)	
1	चिकित्सा अधिकारी संख्या 1	3.5 × 2.8	9.80	परामर्श कक्ष।
2	चिकित्सा अधिकारी संख्या 2	3.5 × 2.8	9.80	परामर्श कक्ष।
3	चिकित्सा विशेषज्ञ संख्या 1	2.8 × 3.5	9.80	परामर्श कक्ष।
4	दंत चिकित्सा अधिकारी	2.8 × 3.5	9.80	दंत चिकित्सक परामर्श।
5	इयूटी नर्सिंग सहायक	2.385 × 2.5	5.96	प्राइमरी के लिए ऑफ इयूटी घंटों की मैनिंग
6	प्रभारी अधिकारी	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।	पॉलीक्लिनिक का प्रशासन।
6	रिसेप्शन और लॉबी	2.8 × 6.0	16.80	डाटा एंट्री ऑपरेशन और रिकॉर्ड कीपिंग।
7	औषधालय			OPDमें दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का वितरण।
8	उपचार और इंजेक्शन	3.13 × 3.0	9.39	ट्रेसिंग, आपातकालीन हैंडलिंग और इंजेक्शन।
9	भौतिक चिकित्सा	2.8 × 3.5	9.80	लेजर थेरेपी, शॉर्ट वेव डायथर्मो, वैक्स बाथ, इन्फ्रा रेड और अल्ट्रासाउंड थेरेपी सहित फिजियोथेरेपी।
10	प्रयोगशाला	2.8 × 3.5	9.80	सेमी ऑटो एनालाइजर के माध्यम से हेमेटोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री सहित बेसिक लैब जांच।
11	एक्स रे	4.0 × 4.5	18.00	रेडियोलॉजिकल जांच।
12	डार्क रूम	1.5 × 2.5	3.75	रेडियोलॉजी के लिए फिल्मों का विकास।
13	मेडिकल स्टोर			थोक मेडिकल स्टोर के लिए स्टोर।
14	शौचालय			
	A	2.8 × 1.692	4.74	पुरुष।
	B	2.8 × 1.692	4.74	महिला।

प्लिंथ एरिया

- a) अधिकृत 185.87
b) दिया गया 185.71

फाइल संख्या 24(5)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक 08 सितम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए 'गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया' के लिए सरकार की मंजूरी तत्काल प्रभाव से बताने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 517/Dir(F/Med)/03 dt 6 Aug 2003 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी

1. रक्षा मंत्रालय (Fin/AG)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. DGADS, नई दिल्ली
4. सभी कमान मुख्यालय

5. CDA (O), पुणे
6. CDA (सेना), मेरठ
7. CDA (सेना), बेंगलौर
8. CDA (सेना), जबलपुर
9. CDA (सेना), लखनऊ
10. CDA (सेना), पटना
11. CDA (सेना), गुवाहटी
12. CDA (सेना), पुणे
13. CDA (सेना), सिक्ंदराबाद
14. CDA (नौसेना), मुम्बई
16. CDA (वायु सेना), देहरादून
17. AG शाखा/CW-3
18. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
19. वायुसेना मुख्यालय (PS&R)
20. डायरेक्टर (Fin/AG)
21. DFA (B)
22. DFA (N)
23. DFA (वायुसेना)
24. केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

25. CDA (सेना), बेंगलौर
26. CDA (WC), चंडीगढ़
27. CDA (सेना), पटना
28. CDA (CS), पुणे
29. CDA (सेना), मेरठ
30. CDA (NC), जम्मू
31. CDA (अधिकारी), पुणे
32. CDA (नौसेना), बोम्बे
33. CDA (AF), देहरादून
34. CDA (सेना), जबलपुर
35. CDA (सेना), सिक्ंदराबाद
36. CDA (सेना), लखनऊ
37. CDA (सेना), चेन्नई
38. CDA (नौसेना), कलकत्ता
39. CDA (A F), दिल्ली

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
फाइल संख्या 24(5)/03/US(WE)/D(Res) के लिए परिशिष्ट A
दिनांक 08 सितम्बर 2003

गैर सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स के लिए भवनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया

आवश्यकता

गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की स्थापना के लिए चिन्हित स्थानों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवनों को किराए पर लिया जाएगा। भवनों को किराए पर लेने का कार्य केवल उस समय तक किया जाएगा जब तक कि भूमि क्रय नहीं कर ली जाती है और उस स्टेशन में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का निर्माण नहीं कर दिया जाता है।

प्रक्रिया

2. रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11011/2/77/D(Lands) dt 12 अक्टूबर 1977 में वर्णित अचल संपत्तियों की मांग और किराए की मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
3. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए भवनों को किराए पर लेने का कार्य स्टेशन कमांडर द्वारा आदेशित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में गैर-सैन्य स्टेशन आता है।
4. अधिकारियों के बोर्ड (BOO) में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - a) पीठासीन अधिकारी - स्टेशन कमांडर द्वारा मनोनीत
 - b) सदस्य
 - i SEMO/SMO/PMO के प्रतिनिधि
 - ii CWE के प्रतिनिधि
 - iii DEO के प्रतिनिधि
5. बीओओ BOO यह सुनिश्चित करेगा कि किराए पर लिया जाने वाला जमीन का क्षेत्रफल गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए निर्दिष्ट मंजिल क्षेत्र से अधिक नहीं है जैसा कि परिशिष्ट F पैरा 1 (b) में निर्धारित किया गया है। वही इस प्रकार दिया गया है:

पॉलीक्लिनिक का प्रकार	A	B	C	D
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	5000	4000	2500	2000

6. बीओओ BOO निम्नलिखित के लिए भवन का मूल्यांकन भी करेगा:
 - a) ईएसएम ESM के लिए अभिगम्यता
 - b) महत्वपूर्ण अस्पतालों और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की तुलना में शहर/कस्बे के भीतर स्थान।
 - c) चिकित्सा उपकरणों की नियुक्ति के लिए भवन की उपयुक्तता जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे आदि।
 - d) बिजली और जल स्रोतों की उपलब्धता
 - e) स्थानीय नगरपालिका/राजस्व प्राधिकारियों से स्वीकृत किराए के लिए किराया औचित्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

बजटीय आवंटन

7. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) राजस्व मद से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और मुख्यालय कमान को इसकी सूचना देगा।

फाइल संख्या 24(7)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक 17 सितम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के निर्माण की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और संख्या 24(4)/03/US(WE)/D(Res) dt 1 Aug 2003 की निरंतरता में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए इस पत्र के परिशिष्ट A में वर्णित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से तत्काल प्रभाव से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 661/Dir(Fin/Med) dt 15.9.2003 द्वारा जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO

3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (B) (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS (I) के PPS
6. Addl. FA (M) / Addl. FA (K)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. डायरेक्टर (वित्त /AG)
11. रक्षा (वित्त/AG/PD)
12. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
13. AFA (B-1)
14. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
15. संचालन एवं रखरखाव इकाई
16. डीजीएफएमएस
17. डीजीडीई, नई दिल्ली
18. डीजीडी सी एंड डब्ल्यू
19. क्यूएमजी
20. डीजीएमएस
21. डीजीएमएस (वायु)
22. डीजीएमएस (नौसेना)
23. एओए
24. सीओपी
25. एमडी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
26. एडीजी सी एंड डब्ल्यू
27. एडीजी (एफपी)
28. सभी कमान मुख्यालय
29. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
30. एजी शाखा/सीडब्ल्यू-3
31. नौसेना मुख्यालय (पीएस डीटीई)
32. वायु मुख्यालय (PS&R)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

33. सीडीए (सेना), बेंगलोर
34. सीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
35. सीडीए (सेना), पटना
36. सीडीए (सीएस), पुणे
37. सीडीए (सेना), मेरठ
38. सीडीए (एनसी), जम्मू
39. सीडीए (अधिकारी), पुणे
40. सीडीए (नौसेना), बॉम्बे
41. सीडीए (एएफ), देहरादून
42. सीडीए (सेना), जबलपुर
43. सीडीए (सेना), सिकंदराबाद
44. सीडीए (सेना), लखनऊ
45. सीडीए (सेना), चेन्नई

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
पत्र संख्या 24(7)/03/US(WE)/D(Res) का परिशिष्ट A
दिनांक 17 सितम्बर 2003

सरकार भारत, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 02 परिशिष्ट 'B' & 'C' के अनुसार सैन्य और गैर सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के निर्माण के लिए परिशिष्ट E और F में दिए गए पैमाने के आधार पर मंजूरी दी, जो इस प्रकार हैं:

पॉलीक्लिनिक का प्रकार	A	B	C	D
निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	5000	4000	2500	2000

2. ईसीएचएस (ECHS) के लिए आवास के पैमाने के साथ पॉलीक्लिनिक का डिजाइन भारत सरकार के पत्र संख्या 24(4)/03/US(WE)/D(Res) dt 1 Aug 2003 द्वारा स्वीकृत किया गया है।
3. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का निर्माण समय-समय पर संशोधित रक्षा कार्य प्रक्रिया 1986 के अनुसार किया जाएगा।
4. एमडब्ल्यूपी MWP मार्ग का अनुसरण करने के बजाय, पॉलीक्लिनिकों के निर्माण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
 - (a) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को पांच साल की अवधि में लागू किया गया है, केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) सैन्य/गैर सैन्य स्टेशनों को प्राथमिकता देगा जहां पॉलीक्लिनिक का निर्माण प्रत्येक वर्ष शुरू होगा। इस प्राथमिकता के आधार पर, केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) नीचे पैरा 6 में दिए गए अनुसार कमान मुख्यालय को धन आवंटित करेगा। (भारत सरकार के पत्र संख्या 22(26)/06/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep 2006 द्वारा संशोधित)
 - (b) उपरोक्त पैरा 2 में संदर्भित पत्र dt 1 Aug 2003 द्वारा सभी चार प्रकार के पॉलीक्लिनिकों के लिए डिजाइन और स्केल सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और सभी निर्माण इन विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।
 - (c) इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित डिजाइन सभी मुख्यालय कमांडों और क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्रसारित किए जाएंगे।
 - (d) ईसीएचएस (ECHS) के लिए भवनों के निर्माण के लिए CFA द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
 - (e) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इसके बाद सामान्य निविदा प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और निर्माण अनुबंध प्रदान करेंगे। गैर-सैन्य स्टेशनों के नजदीक स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, उनके CWE/GE/स्वतंत्रता आयु के माध्यम से उसके बाद निर्माणों का पर्यवेक्षण करेंगे।
 - (f) प्रगति की निगरानी और विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में MES अधिकारियों को सलाह देने के

लिए स्टेशन कमांडर और SEMO/SMO/PMO के एक प्रतिनिधि को सभी चरणों में जोड़ा जाएगा।

(g) निर्माण के बाद, स्टेशन कमांडर द्वारा स्थापित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा भवनों का अधिग्रहण किया जाएगा। SEMO/SMO/PMO के एक प्रतिनिधि को हमेशा एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

(h) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के भवन स्टेशन मुख्यालय के प्रभार में होंगे।

5. ईसीएचएस (ECHS) का केंद्रीय संगठन निर्माण की प्रगति की निगरानी करेगा और DWP, 1986 के परिशिष्ट D में एक पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

बजटीय आवंटन

6. ईसीएचएस (ECHS) का केंद्रीय संगठन पूंजी प्रमुख से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और इसे मुख्यालय कमांडों को आवंटित करेगा जो उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए संबंधित स्टेशन को आवंटित करेंगे।

7. निधि का आवंटन मेजर हेड 4076 सब मेजर हेड 01 आर्मी माइनर हेड 107 कोड हेड 907/39 के तहत होगा। स्टेशन मुख्यालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि आवंटित धनराशि के भीतर व्यय किया गया है।

8. परिवर्तन इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

9. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 1029/Fin/W-I dt 11 Sep 2006 के तहत जारी किया गया है। (भारत सरकार के पत्र संख्या 22(26)/06/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep 2006 द्वारा संशोधित)

फाइल संख्या 24(15)/03/US (WE)/D (Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 20 फरवरी 2004

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- गैर असैन्य स्टेशन में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने की शक्तियों की सीमा।

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(5)/03/US(WE)/D(Res) dt 8 Sep 2003 के संदर्भ में, मुझे गैर-सैन्य स्टेशनों पर एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने की शक्तियों की सीमा के लिए सरकार की मंजूरी तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश दिया गया है: -

के लिए

(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर / AOC-in-C	रु.2,00,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष
(b)	एक कोर, डिवीजन / क्षेत्र, स्वतंत्र उप क्षेत्र या स्वतंत्र Bde Gp/ समकक्ष नौसेना / वायु सेना कमांडर के कमांडर	रु.1,00,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष
(c)	एक Bde, Bde क्षेत्र या उप क्षेत्र/समकक्ष नौसेना/वायु सेना कमांडर के कमांडर	रु.75,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष

पढ़ें

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी (CFA)	वित्तीय शक्तियां (प्रति संपत्ति प्रति वर्ष)
(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर / वायु सेना कमांडर	रु.5,00,000/-
(b)	क्षेत्र/उप क्षेत्र कमांडर/समकक्ष नौसेना/वायु सेना कमांडर	रु.3,00,000/-
(c)	स्टेशन कमांडर/समकक्ष नौसेना/वायु सेना कमांडर	रु.2,00,000/-

(जैसा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(05)/2012/WE/D(Res) dt 21 Aug 2013 द्वारा संशोधित किया गया है)

2. ये शक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए या उस स्टेशन में नए पॉलीक्लिनिक के निर्माण तक (जो भी पहले हो) लागू होंगी।

(भारत सरकार ने गैर-सैन्य स्टेशन पर भूतपूर्व सैनिक योगदानकर्ता स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए शक्तियों के उपयोग के लिए समय सीमा को 14 Jul 2019 तक या उस स्टेशन में नए पॉलीक्लिनिक के निर्माण तक, (जो भी पहले हो) को मंजूरी दी है)।

*भारत सरकार रक्षा मंत्रालय शुद्धिपत्र संख्या 25(05)/2012/US(WE)/D(Res) dt 15 Jul 2019।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O.No 108/ F/W-III/04 dt 19 Feb 2004 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS (I) के PPS
6. Addl. FA (B) / Addl. FA (V)

फाइल संख्या 24(14)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए गैर-सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद के लिए प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 02 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए इस पत्र के परिशिष्ट A में सूचीबद्ध गैर सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद की प्रक्रिया के लिए सरकार की मंजूरी को तत्काल प्रभाव से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. यह प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 61/DFA/DS/W/05 dt 28.1.05 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (B) (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS (I) के PPS
6. Addl. FA (M) / Addl. FA (K)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. डायरेक्टर (वित्त/AG)
11. रक्षा (वित्त/AG/PD)
12. DFA (B)/DFA (N)/DFA (वायु सेना)
13. AFA (B-1)
14. D (कार्य)/D (Mov)/D (चिकित्सा)
15. O&M इकाई

के लिए भी:

16. डीजीएफएमएस
17. डीजीडीई, नई दिल्ली
18. डीजीडी सी एंड डब्ल्यू
19. क्यूएमजी
20. डीजीएमएस
21. डीजीएमएस (वायु)
22. डीजीएमएस (नौसेना)
23. एओए
24. सीओपी
25. एमडी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
26. एडीजी सी एंड डब्ल्यू
27. एडीजी (एफपी)
28. सभी कमान मुख्यालय
29. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
30. एजी शाखा / सीडब्ल्यू-3
31. नौसेना मुख्यालय (पीएस डीटीई)

स्थाही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

32. सीडीए (सेना), बेंगलोर
33. सीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
34. सीडीए (सेना), पटना
35. सीडीए (एससी), पुणे
36. सीडीए (सेना), मेरठ
37. सीडीए (एनसी), जम्मू
38. सीडीए (अधिकारी), पुणे
39. सीडीए (नौसेना), बॉम्बे
40. सीडीए (एएफ), देहरादून
41. सीडीए (सेना), जबलपुर
42. सीडीए (सेना), सिकंदराबाद
43. सीडीए (सेना), लखनऊ
44. सीडीए (सेना), चेन्नई
45. सीडीए (सेना), कोलकाता
46. सीडीए (एएफ), दिल्ली
47. सीडीए (सेना), गुवाहाटी
48. सीडीए (सेना), पुणे
49. सीडीए (सेना), बॉम्बे
50. सीडीए (सेना), देहरादून

फाइल संख्या 24(14)/03/US/(WE)/D(Res)
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के लिए परिशिष्ट A
दिनांक 31 जनवरी 2005

गैर सैन्य केंद्रों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भूमि की खरीद के लिए प्रक्रिया

भूमि और अधिकार की आवश्यकता

1. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 02 ने परिशिष्ट F पैरा 1(a) के अनुसार गैर-सैन्य स्टेशनों में भूमि अधिग्रहण के लिए निम्नानुसार मंजूरी दी :-

पॉलीक्लिनिक का प्रकार	A	B	C	D
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	1200	1200	700	700

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

2. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर, एक विशेष वर्ष के लिए गैर सैन्य स्टेशनों में विकास के लिए पहचान किए गए पॉलीक्लिनिकों की एक सूची केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा संबंधित कमानों को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. उसके बाद मुख्यालय कमान/क्षेत्र/उप क्षेत्र ऐसे स्टेशनों की एक सूची संबंधित रक्षा संपदा अधिकारी (DEO) को अग्रेषित करेगा। DEOइन स्टेशनों में उपयुक्त रक्षा भूमि, यदि उपलब्ध हो, की पहचान करेगा और विवरण अग्रेषित करेगा।

4. भूमि की उपयुक्तता का आकलन संबंधित स्टेशन मुख्यालयों द्वारा क्षेत्र, ESM के लिए पहुंच, सड़क और रेल लिंक के माध्यम से कनेक्टिविटी, शहर के भीतर स्थान आदि के आधार पर किया जाएगा। यदि भूमि उपयुक्त पाई जाती है, तो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का निर्माण किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

5. यदि रक्षा भूमि उपलब्ध नहीं है या अनुपयुक्त पाई जाती है, तो साथ-साथ किसी अन्य केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार/स्थानीय आवास निकाय/विकास प्राधिकरण आदि से संबंधित भूमि की तलाश के लिए प्रयास किए जाएंगे।

6. उपरोक्त पैराग्राफ 5 में वर्णित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त प्रयास करने के बाद, यदि ये प्रयास विफल हो जाते हैं, तो खुले समाचार पत्र विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक विक्रेताओं से निविदाएं आमंत्रित करके भूमि खरीदने की कार्रवाई की जाएगी। निविदाएं दोहरे लिफाफों में आमंत्रित की जाएंगी। पहले लिफाफा में स्थान, विवरण और भूमि की उपयुक्तता के संबंध में विवरण होगा। दूसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव शामिल होगा। मुख्यालय कमान स्तर पर क्रय समिति का गठन किया जायेगा जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

(i)	एक अधिकारी जो ब्रिगेडियर या समकक्ष के पद से नीचे का न हो	- अध्यक्ष
(ii)	कमांडर वर्क्स इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
(iii)	वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि	- सदस्य
(iv)	क्षेत्रीय CDA के प्रतिनिधि	- सदस्य
(v)	DEO/ADEO	- सदस्य

7. क्रय समिति पहला लिफाफा खोलेगी और प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता का निर्णय करेगी। वितीय प्रस्ताव वाला दूसरा लिफाफा केवल उन्हीं मामलों में खोला जाएगा जहां बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि का भूखंड पॉलीक्लिनिक का पता लगाने के उद्देश्य से उपयुक्त पाया गया हो। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, कमांड मुख्यालय के प्रतिनिधि प्रस्तावों का तुलनात्मक विवरण देंगे और प्रचलित भूमि मूल्य दरों के आधार पर, खरीद समिति, जहां भी आवश्यक समझेगी, न्यूनतम निविदा के साथ दरों को तय करेगी और भूमि पर मोल - भाव के साथ एक कीमत पर पहुंचेगी।

8. समिति सक्षम राजस्व प्राधिकारी से लागत तर्कसंगतता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी। कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पास 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये) तक की जमीन की खरीद को मंजूरी देने का अधिकार होगा। यदि भूमि का मूल्य 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो मामला केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS), AG की शाखा सेना मुख्यालय के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

9. **प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व क्रय समिति निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करेगी:-**

- भूमि मूल्य तय करते समय, राजस्व अधिकारियों द्वारा दी गई दर को ध्यान में रखा जाएगा ...
- यदि क्रय समिति द्वारा सहमत मूल्य कलेक्टर/राजस्व अधिकारियों द्वारा सुझाई गई दर से अधिक है, तो उच्च मूल्य स्वीकार करने के कारणों को समिति द्वारा लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
- खरीद समिति खरीद के लिए प्रस्तावित भूमि पर भूमि मालिक के अधिकार और शीर्षक की जांच और पुष्टि करेगी।
- समिति की सिफारिशें कमान मुख्यालय के माध्यम से केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) को प्रस्तुत की जाएंगी
- केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) मामले को MOD को प्रस्तुत करेगा जो MOD (वित्त) के परामर्श से सरकार की मंजूरी तेजी से जारी करेगा। MOD/GOC-in-C द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर संबंधित DEO द्वारा स्थानांतरण/बिक्री विलेख सहित सभी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।

10. केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) पूंजी शीर्ष से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और इसे प्रमुख शीर्ष - 4076 उप प्रमुख शीर्ष - 01 और ईसीएचएस (ECHS) कोड शीर्ष 902/47 से QMG की शाखा को आवंटित करेगा।

मुख्यालय कमांड स्तर पर उपहार में दी गई जमीन की कार्रवाई की स्वीकृति

11. संबंधित राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठन/चैरिटेबल ट्रस्ट/संगठन/निजी पार्टी/व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव की जांच करने और उक्त भूमि पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए संबंधित मुख्यालय कमान द्वारा अधिकारियों के एक स्टेशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड को आदेश दिए जाने से पहले मुख्यालय कमान निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:-

- प्रस्ताव लिखित रूप में दिया गया है।
- प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जा रही भूमि का विवरण देना चाहिए।
- भूमि को अपरिवर्तनीय रूप से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और एक भार रहित तरीके से सौंप दिया जाएगा।
- यदि भूमि पट्टे पर दी जा रही है, तो पट्टा 30 वर्ष से कम के लिए नहीं होगा और आपसी सहमति से नवीनीकरण होगा। नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए।

12. DEO पहले से प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेज में दर्ज करेगा

अधिकारियों के बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (a) पीठासीन अधिकारी - स्टेशन कमांडर द्वारा नामित अधिकारी
- (b) सदस्य
 - (i) -वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि
 - (ii) -रक्षा संपदा अधिकारी के प्रतिनिधि
 - (iii) -कमांडर वर्क्स इंजीनियर के प्रतिनिधि

13. बोर्ड निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साइट की उपयुक्तता की जांच करेगा:-

- a) भूमि अवैध कब्जे में नहीं होनी चाहिए और सभी ऋणभार से मुक्त होनी चाहिए।
- b) राजस्व रिकॉर्ड की जांच करना और प्रासंगिक उद्धरण संलग्न करना
- c) भूतपूर्व सैनिकों की पहुंच से साइट की जांच करना
- d) शहर में अन्य चिकित्सा सुविधाओं के निकटता
- e) ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के परिवहन के लिए बस टर्मिनस/रेलवे स्टेशन से निकटता
- f) प्रस्तावित क्षेत्र सरकार के पूर्वोक्त पत्र में उल्लिखित न्यूनतम आकार के अनुसार है। हालांकि, बोर्ड को उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन, सरकार/किसी एजेंसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि पर विचार करने का अधिकार है।
- g) दाता लोकप्रियता हासिल करने के लिए पॉलीक्लिनिक भवन पर परिवार के सदस्यों के नाम का उल्लेख करने जैसे प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
- h) सरकार को उपहार में दी जा रही भूमि के एवज में दानकर्ता कोई लाभ नहीं मांग सकता।
- i) उपहार में दी गई भूमि पर कोई विवाद नहीं है जिससे भारत संघ के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है।

14. बोर्ड साइट की उपयुक्तता से संतुष्ट होने के बाद, रक्षा संपदा के प्रधान डायरेक्टर के माध्यम से GOC-in-C के अनुमोदन के लिए मुख्यालय कमान को सिफारिशों के साथ अपनी कार्यवाही अग्रेषित करेगा। GOC-in-C की मंजूरी मिल जाने के बाद, उस आशय के उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे और रक्षा संपदा विभाग मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करेगा, विलेख निष्पादित करेगा और म्यूटेशन रिकॉर्ड करेगा। उक्त भूमि, उसके बाद, सैन्य भूमि रिकॉर्ड / गैरीसन भूमि रिकॉर्ड के प्रभार में ले ली जाएगी और बाद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सैन्य अधिकारियों को सौंप दी जाएगी।

बजटीय आवंटन

15. यदि विचाराधीन भूमि उपहार में दी जाती है, तो पंजीकरण/म्यूटेशन और किसी अन्य प्रक्रिया को छोड़कर कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ईसीएचएस (ECHS), बजट से व्यय के राजस्व शीर्ष से DE अधिकारियों द्वारा राशि का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) संबंधित कमान मुख्यालय/ DEO से मांग पर इसके लिए निधि आवंटित करेगा।

16. जहां भूमि लंबे पट्टे पर प्राप्त की जाती है, वहां मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार DE प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भुगतान किया जाएगा और राशि को ईसीएचएस (ECHS) के व्यय के राजस्व शीर्ष में डेबिट किया जाएगा। कमान मुख्यालय ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन से आवश्यक वार्षिक आवंटन प्राप्त करेगा।

फाइल संख्या 22(3)06/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(4)03/US(WE)/D(Res) dt 31 Jan 2005 के परिशिष्ट A' के पैरा 10 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

2. उपर्युक्त पत्र के परिशिष्ट A' के पैरा 10 को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए

"10. केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS), पूंजी हेड से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और इसे मेजर हेड 4076, सब मेजर हेड 01 और ईसीएचएस (ECHS) कोड हेड 907/38 से DGDE को आवंटित करेगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 156/Fin/W-1 dt 2 Mar 2006 के तहत जारी किया जा रहा है

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. DG, DC&W, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
2. DGDE
3. QMG
4. MD, ईसीएचएस (ECHS)
5. डायरेक्टर (समन्वय)- ईसीएचएस (ECHS) के तहत
MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए
6. रक्षा सचिव के SO

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

7. AS (B) के PS / AS (I) के PS
8. JS (ESW)
9. JS (E)
10. रक्षा (वित्त/कार्य)

फाइल संख्या 24(14)03/US(WE)/D(Res)

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2009

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए गैर सैन्य स्टेशन में भूमि की खरीद के लिए प्रक्रिया

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 4(14)03/ US(WE)/D(Res) dt 31 Jan 2005 के संदर्भ में, मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि ईसीएचएस (ECHS) के संचालन की समीक्षा की गई है और उचित विचार-विमर्श के बाद सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया है कि परिशिष्ट 'A' के पैरा 12 में उक्त सरकार को संशोधित किया जाए। ईसीएचएस (ECHS) के लिए गैर-सैन्य स्टेशन में भूमि की खरीद के लिए अधिकारियों के बोर्ड का पत्र और पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है: -

- (a) पीठासीन अधिकारी - स्टेशन कमांडर द्वारा नामित अधिकारी
- (b) सदस्य - (i) वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी के प्रतिनिधि
 - (ii) रक्षा संपदा अधिकारी के प्रतिनिधि
 - (iii) कमांडर वर्क्स इंजीनियर का प्रतिनिधि
 - (iv) डायरेक्टर, सैनिक कल्याण विभाग/सचिव, राज्य सैनिक
 - (iv) डायरेक्टर, क्षेत्रीय केंद्र, ईसीएचएस (ECHS)

2. अधिकारियों के बोर्ड के गठन में उपरोक्त परिवर्तन योजना के कार्यान्वयन में वास्तविक हितधारकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त सरकारी पत्र के परिशिष्ट A में अनुकूलित और परिभाषित की जाने वाली अन्य सभी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(मलाथी नारायणन)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 22C (31)/VIP/2016/WE

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

‘B’ विंग, सेना भवन
नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(44)/2007/US (WE)D(Res) dt 18 अक्टूबर 2010 के संदर्भ में, मुझे उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिशिष्ट A में निम्नलिखित संशोधन के लिए सरकार के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

क्रमांक	dt 18 अक्टूबर 2010 के पत्र द्वारा दी गई सरकारी स्वीकृति की क्रम संख्या	मौजूदा स्थान (राज्य)	जिला	नया स्थान (राज्य)	जिला	प्रकार और मिलिट्री/गैर मिलिट्री
1	45	नूह (हरियाणा)	गुडगाँव	कोटपुतली (राजस्थान) (dt 10-03-2017 से प्रारंभ)	जयपुर	D गैर मिलिट्री

2. यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से संख्या 32(05)/2017/Fin/Pen dt 24.04.2017 के तहत जारी किया गया है।

के लिए कॉपी :-

आपका आभारी,

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. JS, ESW के PPS
5. JS & Addl. FA (RK) के PS
6. CGDA
7. DGFAMS
8. MD, ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 18(107)/2017/(WE)/D(Res-I)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
 सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
 नौसेनाध्यक्ष
 वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन

महोदय,

इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की स्थापना के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से सूचित किया जाता है।

2. यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके ID नंबर 32(13)/2017/Fin/Pen dt 26 Sep 2018 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
 (ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

1. RM के SO	6. Addl FA & JS (RK) के PS
2. RRM के PS	7. MD ईसीएचएस (ECHS)
3. सचिव ESW के PPS	8. CGDA
4. FA (DS) के PPS	स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-
5. JS (ESW) के PS	9. PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22C(09)/2013/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 08 जनवरी 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- योल YOL शिमला (हिमाचल प्रदेश) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में दो अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना।

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(44)/2007/US(WE)D(Res) dt 18 अक्टूबर 2010 और 25 Feb 2013 के क्रम में, मुझे पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS)) के तहत योल शिमला (HP) में एक क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) और भुवनेश्वर, ओडिशा में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। इस मंत्रालय के आदेश संख्या 22D(44)/2007/US(WE)D(Res) dt 25 Feb 2013 के तहत योल शिमला ईसीएचएस (ECHS) में क्षेत्रीय केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र, योल शिमला के स्थान पर दिल्ली में स्थानांतरित किया जाएगा।

2. नए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना में शामिल अतिरिक्त व्यय योजना की स्वीकृत लागत के भीतर से वहन किया जाएगा।

3. उपरोक्त क्षेत्रीय केंद्रों के प्रबंधन के लिए कर्मचारी की पूर्ति रक्षा सेवाओं द्वारा आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। कर्मचारी की कोई अभिवृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. संख्या 32(10)/2018/Fin/Pen dt 03.01.2019 के तहत जारी किया गया है।

के लिए कॉपी :-

आपका आभारी,

1. AG, IHQ MoD (सेना)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. MD, ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

अवर सचिव, भारत सरकार

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. Addl. FA & JS (RK) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित प्रतिलिपि:-

1. PCsDA/CsDA

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय: गैर-सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए समय सीमा का विस्तार

उपरोक्त विषय पर CO, ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49706-Hiring/AG/ECHS/2019 dt 23-04-2019 का संदर्भ लें।

2. dt 28-05-2019 के समसंख्यक MoD ID नोट की निरंतरता में, यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र संख्या 24(5)/03/US(WE)/D(Res) dt 04/08 2003 के तहत गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवनों को किराए पर लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई समय सीमा नहीं है।
3. इसलिए प्रक्रिया की वैधता के लिए समय सीमा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

MD, ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 22C (09)/2016/WE/D(Res-I)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
 D/o पूर्व सैनिक कल्याण
 नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
 नौसेनाध्यक्ष
 वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)), पॉलीक्लिनिक्स के लिए गैर सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद के लिए समय सीमा का विस्तार

महोदय,

भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(14)/03/US(WE)/D(Res) dt 31 Jan 2005, 22A(104)/2008/US (WE)/D (Res) dt 25 Aug, 2009, 22C(12)/2011-US(WE)/D(Res) dt 16 Feb, 2012, 2C(12)/2011/US(WE)/D(Res) dt 14 Jul, 2014, 22C(12)/2011 /US(WE)/D(Res) dt 12 Nov, 2015 और 22C(09)/2016/WE dt 17 Apr 2017 के क्रम में, मुझे विराजेंद्रपेट में (ईसीएचएस (ECHS)), पॉलीक्लिनिक के संबंध में गैर सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद के लिए समय सीमा 01 Apr 2019 से 31 Mar 2021 तक बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे उनकी संख्या 33(02)/12/Fin/Pen dt 28.10.2019 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
 (ए. के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

- (1) DG, DC&W, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
- (2) MD ईसीएचएस (ECHS)
- (3) डायरेक्टर जनरल पुनर्वास, पश्चिम ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली
- (4) सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

के लिए भी कॉपी:-

- (5) CGDA, नई दिल्ली
- (6) DGAFMS
- (7) DGMS (सेना)
- (8) DGMS (वायु)
- (9) DGMS (नौसेना)
- (10) DGDE
- (11) AOA
- (12) COP
- (13) ADG C&W
- (14) ADG(FP)
- (15) सभी कमांड HQs
- (16) सभी क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)
- (17) DFA (पेंशन)

इंक में हस्ताक्षरित कॉपी:-

- (18) CDA(दक्षिण), बेंगलोर
- (19) CDA(NC), जम्मू
- (20) CDA(WC), चंडीगढ़
- (21) CDA(CC), लखनऊ
- (22) CDA(EC), पटना
- (23) CDA(SC), पुणे
- (24) CDA(SWC), जयपुर
- (25) CDA(सेना), मेरठ
- (26) CDA(नौसेना), बंबई
- (27) CDA(AF), देहरादून
- (28) CDA(केंद्रीय), जबलपुर
- (29) CDA(सेना), सिकंदराबाद
- (30) CDA(सेना), चेन्नई
- (31) CDA(सेना), गुवाहटी
- (32) PCDA, दिल्ली

फाइल संख्या 18(222)/2019/WE/D(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

D(WE/Res-I)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसंबर, 2020

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर
केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)
थिमरिया मार्ग, गोपीनाथ सर्कस के पास
दिल्ली कैंट-10

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के निर्माण को प्राथमिकता देना

यह इस विषय पर ईसीएचएस (ECHS) नोट संख्या B/49705-Land/AG/ईसीएचएस (ECHS) /2020 dt 2.11.2020 के संदर्भ में है।

2. मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के तहत ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक (PCs) के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के निर्णय से तत्काल प्रभाव से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

(i) सभी टाइप A और टाइप B, PC के लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा, जब तक कि निर्माण न करने के कारण हों।

(ii) अन्य सभी प्रकार के PC, भवन का निर्माण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा करने का कोई कारण न हो, जिसके लिए सचिव, ESW का अनुमोदन मांगा जाएगा।

3. उन मामलों के संबंध में जहां PC का निर्माण शुरू हो चुका है (11 मामले), इसे पूरा किया जाएगा। जिन PC का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उनकी उपरोक्त नीति के आलोक में जांच की जाएगी और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

4. इसे माननीय RM के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

के लिए कॉपी :-

1. सचिव ESW के PPS
2. JS(ESW) के PS
3. JS और Addl. FA(RS)
4. CGDA, नई दिल्ली

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी: PCsDA/CsDA

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(डॉ. पी शर्मा) OSD (Res-II)

दूरभाष: 23015772



भाग - VII

चिकित्सा उपचार के बिलों की
प्रोसेसिंग और रिम्बर्समेन्ट

फाइल संख्या 22(14)/05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक

कल्याण विभाग

नई दिल्ली

दिनांक 05 जुलाई 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- स्मार्ट कार्ड सर्वर के लिए एसटीडी सुविधा के साथ नागरिक टेलीफोन की व्यवस्था

महोदय,

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 30 दिसंबर 2002 के संदर्भ में, मुझे इस पत्र के परिशिष्ट में दिए गए अनुसार रुपए 3,19,200/- प्रति वर्ष से अधिक की लागत पर स्मार्ट कार्ड सर्वरों के लिए एसटीडी सुविधा के साथ सिविल टेलीफोन के प्रावधान और रुपए 49,000/- सिक्योरिटी डिपोजिट और लगाने के खर्च के रूप में सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/ AG/PD) की सहमति से उनके U.O No. 565/PD/05 dt 28/06/05 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. FA (DS) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS (I) के PPS

6. JS (ESW)
7. JS (O/N)
8. डायरेक्टर (वित्त/AG)
9. रक्षा (वित्त/AG/PD)
10. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
11. AFA (B-1)
12. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
13. O&M Unit

के लिए भी कॉपी :-

14. DGDE, नई दिल्ली
15. DGD C&W
16. QMG
17. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)
18. ADG C & W
19. DGAFMS
20. DGMS
21. DGMS (वायु)
22. DGMS (नौसेना)
23. AOA
24. COP
25. ADG C&W
26. ADG (FP)
27. सभी कमान मुख्यालय
28. AG शाखा / CW-3
29. Navy मुख्यालय (PS Dte)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

30. CDA (सेना), बेंगलोर
31. CDA (WC), चंडीगढ़
32. CDA (सेना), पटना
33. CDA (SC), पुणे
34. CDA (सेना), मेरठ
35. CDA (NC), जम्मू
36. CDA (अधिकारी), पुणे
37. CDA (नौसेना), बंबई
38. CDA (AF), देहरादून
39. CDA (सेना), जबलपुर
40. CDA (सेना), सिकंदराबाद
41. CDA (सेना), लखनऊ
42. CDA (सेना), चेन्नई
43. CDA (सेना), कलकत्ता
44. CDA (AF), दिल्ली
45. CDA (सेना), गुवाहटी
46. CDA (सेना), पुणे
47. CDA (सेना), बंबई
48. CDA (सेना), देहरादून

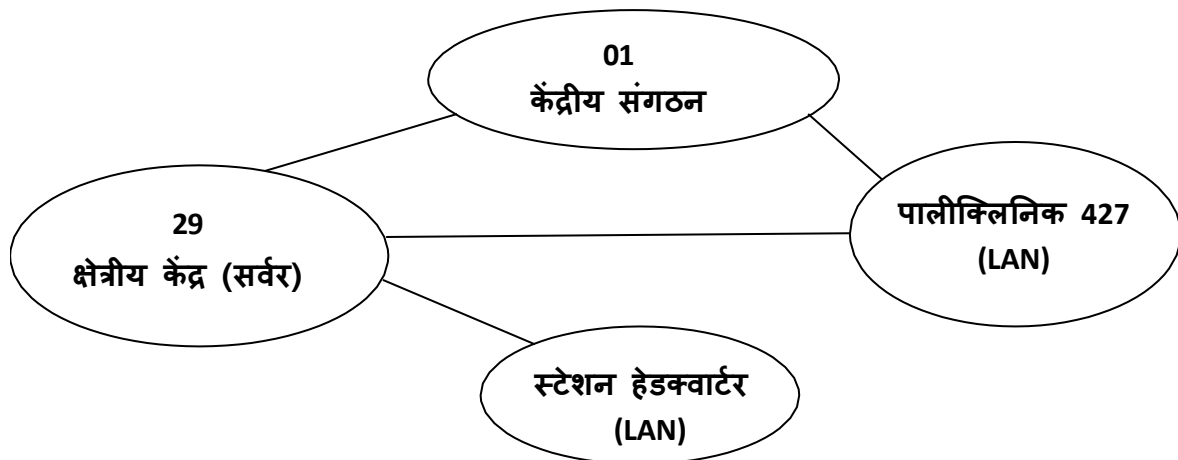
भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना स्मार्ट कार्ड सर्वर के लिए STD सुविधा के साथ नागरिक टेलीफोन की व्यवस्था

ईसीएचएस (ECHS) प्रबंधन प्रणाली

1. आश्रितों सहित लगभग एक करोड़ ईसीएचएस (ECHS) की प्रभावी निगरानी और चिकित्सा सशक्तिकरण के लिए स्मार्ट कार्ड पेश किए गए हैं।
2. ईसीएचएस (ECHS) योजना को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और धोखाधड़ी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय डेटा हस्तांतरण और सत्यापन और सुधार के लिए पहुंच के लिए एक राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
3. सदस्यों को पर्याप्त प्रसार और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, ईसीएचएस (ECHS) को केंद्रीय संगठन, 29 क्षेत्रीय केंद्रों और 427 पॉलीक्लिनिकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र में सर्वर (उच्च अंत कंप्यूटर) स्थापित किए गए हैं और केंद्रीय संगठन स्वचालित रूप से एक दूसरे के बीच डेटा प्राप्त करने और मिलान करने के लिए आपस में जुड़े रहेंगे।
4. एक MIS (प्रबंधन सूचना प्रणाली) को विशेष रूप से ईसीएचएस (ECHS) के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पहले से ही सभी सर्वरों में स्थापित किया जा चुका है।

कनेक्टिविटी

5. केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्रों में स्थापित प्रत्येक सर्वर डेटा के दिन-प्रतिदिन के हस्तांतरण और विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए और पॉलीक्लिनिक और संबंधित स्टेशन मुख्यालय के साथ स्वचालित/मैनुअल मोड पर एक दूसरे के साथ संचार करेगा। कनेक्टिविटी का ब्रॉड लाइन डायग्राम इस प्रकार है:-



सूचना का प्रवाह दोतरफा होगा और सिस्टम के प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

टेलीफोन कनेक्शन

6. केंद्रीय संगठन और 13 क्षेत्रीय केंद्रों में सर्वरों के लिए STD कनेक्शन के साथ एक समर्पित टेलीफोन, 227 पॉलीक्लिनिक और संबंधित स्टेशन मुख्यालयों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक है।
7. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 द्वारा 227 पॉलीक्लिनिकों को पहले ही एक टेलीफोन स्वीकृत किया जा चुका है।

टेलीफोन के प्रावधान के लिए बजटीय सहायता

8. केंद्रीय संगठन द्वारा नौसेना मुख्यालयों/वायु मुख्यालयों/सेना कमान मुख्यालयों/फार्मेशनों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार स्टेशन मुख्यालय को पुनःआवंटन के लिए निधि आवंटित की जाएगी। सिविल टेलीफोन के मद में STD के साथ निधियों के आवंटन और व्यय की बुकिंग का लेखा प्रमुख शीर्ष 2076 लघु शीर्ष 107 उप शीर्ष D कोड शीर्ष 366/00 विविध कोड शीर्ष के तहत किया जाएगा।
9. प्रत्येक टेलीफोन पर वार्षिक व्यय रु. 22,800/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा स्थापना एवं सुरक्षा जमा के रूप में रु. 3,500/- का एकमुश्त व्यय होना चाहिए।

फाइल संख्या 24(42)05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए STD सुविधा के साथ सिविल टेलीफोन की व्यवस्था

महोदय,

मुझे निम्नलिखित 13 ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केंद्रों में से प्रत्येक के लिए STD सुविधा के साथ सिविल टेलीफोन के प्रावधान के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

- (i) क्षेत्रीय केंद्र, जम्मू
- (ii) क्षेत्रीय केंद्र, चंडीमंदिर
- (iii) क्षेत्रीय केंद्र, दिल्ली कैंट
- (iv) क्षेत्रीय केंद्र, जयपुर
- (v) क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ
- (vi) क्षेत्रीय केंद्र, जबलपुर
- (vii) क्षेत्रीय केंद्र, पटना
- (viii) क्षेत्रीय केंद्र, पुणे
- (ix) क्षेत्रीय केंद्र, हैदराबाद
- (x) क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई
- (xi) क्षेत्रीय केंद्र, कोच्चि
- (xii) क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
- (xiii) क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी

2. यह मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि प्रति टेलीफोन प्रति माह टेलीफोन कॉलों की कुल संख्या न्यूनतम तक सीमित होगी और किसी भी स्थिति में STD कॉलों सहित 1000 कॉलों से अधिक नहीं होगी।

3. व्यय प्रमुख शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107, उप शीर्ष D, कोड शीर्ष 366/00 और विविध शीर्ष के तहत दर्ज किया जाएगा।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/ AG/PD) की सहमति से उनके U.O. संख्या 213/PD/06 dt 6 Mar 2006 द्वारा जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. DG, DC&W, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली	14. डायरेक्टर (वित्त)/AG / डायरेक्टर (वित्त/कार्य)
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)	15. रक्षा वित्त (AG/PD)
3. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड	16. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
4. डायरेक्टर (समन्वय) - ईसीएचएस (ECHS) के तहत MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए	17. D (कार्य)/D (Mov)/D (चिकित्सा)
5. रक्षा सचिव के SO	18. O & M इकाई
6. AS (B) के PS / AS (I) के PS	19. DGAFMS
7. JS (ESW)	20. DGMS
8. JS (E)	21. DGMS (वायु)
9. रक्षा (वित्त) /AG/PD)	22. DGMS (नौसेना)
	23. AOA
	24. COP

के लिए भी कॉपी:-

10. DGDE, नई दिल्ली	25. ADG C & W
11. FA (DS) के लिए PPS	26. ADG (FP)
12. Addl FA (V) Addl FA (K)	27. सभी कमान मुख्यालय
13. JS (O/N)	28. AG शाखा / CW-3
	29. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
	30. वायुसेना मुख्यालय (PS & R)

फाइल संख्या 22A(10)/10/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
दिनांक 23 फरवरी 2012

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) नई दिल्ली

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और रिम्बर्समेन्ट की प्रक्रिया: प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) UTI, ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, मुझे पैरा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्रीय केंद्रों के लिए उपर्युक्त सरकारी पत्र में परिशिष्ट के उप-पैरा 4 (e) को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। अन्य स्टेशनों के लिए, मौजूदा प्रक्रिया बिना बदलाव के लागू होगी।

2. **बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग**

- नीचे पैरा 3 में उल्लिखित क्षेत्रीय केंद्रों से संबंधित अस्पतालों और व्यक्तियों के बिलों को ईसीएचएस (ECHS) द्वारा BPA के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
- रोगी के प्रवेश के 24 घंटों के भीतर, संबंधित अस्पताल BPA को रोगी का पूरा विवरण, उपचार की प्रस्तावित लाइन, लागत और क्लिनिक इतिहास के साथ अवधि के बारे में ऑनलाइन सूचित करेगा। मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद, अस्पताल दावा संबंधी दस्तावेजों को BPA के वेब पेज पर अपलोड करेगा। बिल की हार्ड कॉपी नामांकित CFA को भेजी जाएगी।
- BPA आवश्यक योग्यता वाले डॉक्टरों की एक टीम द्वारा चिकित्सा जांच (उपचार की उपयुक्तता की जांच) करेगा। पात्रता/स्वीकार्यता के आधार पर बिलों को BPA की वित्तीय टीम को जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अनुशंसित राशि के साथ वर्कशीट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो कार्य दिवसों के भीतर CFA को प्रस्तुत की जाएगी।
- मंजूरी देने से पहले CFA बिल और BPA की वर्कशीट की जांच करेगा। स्वीकृति पांच दिनों के भीतर दी जाएगी (बिलों के मामले में जहां रक्षा मंत्रालय CFA है, पांच दिनों का प्रतिबंध लागू नहीं होगा)।
- नामित CFA द्वारा अस्पतालों और व्यक्तियों को भुगतान दो दिनों के भीतर किया जाएगा।
- बिल की हार्ड कॉपी वर्कशीट और भुगतान विवरण के साथ मासिक कैश अकाउंट वाउचर के साथ पोस्ट ऑडिट के लिए संबंधित CsDA को अग्रेषित की जाएगी।
- व्यक्तिगत दावों के मामले में, बिलों को मूल पॉलीक्लिनिक में अपलोड किया जाएगा। बिल प्रोसेसिंग और भुगतान की शेष प्रक्रिया अस्पताल के बिलों की तरह ही की जाएगी।

3. **उपरोक्त प्रक्रिया 01 अप्रैल 2012 से निम्नलिखित स्थानों पर प्रायोगिक आधार पर लागू की जाएगी :-**

- दिल्ली।
- चंडीमंदिर।
- पुणे।
- त्रिवेंद्रम।
- सिकंदराबाद।

4. बिल प्रोसेसिंग सेंटर उपरोक्त स्टेशनों पर स्थित क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) में स्थापित किए जाएंगे। भुगतान की स्वीकृति और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय शक्तियाँ निम्नानुसार होंगी: -

- (a) डायरेक्टर, क्षेत्रीय केंद्र - ₹ 1,00,000/-
- (b) उप MD, ईसीएचएस (ECHS) - ₹ 3,00,000/-
- (c) प्रबंध डायरेक्टर, ईसीएचएस (ECHS) - ₹ 5,00,000/-

5. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को अतिरिक्त कार्यभार लेने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आधारभूत संरचना प्रदान की जाएगी:-

- (a) बिल प्रोसेसिंग केंद्रों के लिए कर्मचारी का प्रबंधन स्वीकृत कर्मचारी संसाधनों के भीतर किया जाएगा।
- (b) कंप्यूटर (पांच प्रत्येक)।
- (c) CO, ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए एक समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्किट 2 Mbps (1:1) और एक मानक 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन। MTNL/BSNL की दिल्ली, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और कोच्चि। बैलेंस रीजनल सेंटर्स एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड (ट्राई बैंड कॉम्बो यूएल डेटा 3499/4 Mbps/BBG ULD 6000) और MTNL/BSNL का एक स्टैंडर्ड 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन।

(जैसा कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(10)/2010/US(WE)/D(Res) dt 05 Nov 2012 द्वारा संशोधित किया गया है)

6. इस प्रक्रिया की समीक्षा इसके संचालन के एक साल बाद की जाएगी।

7. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 198/JS & Addl. FA (R) dt 14 Feb 2012 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

- 1. RM के PS / RRM के PS
- 2. CGDA, नई दिल्ली
- 3. रक्षा सचिव के SO
- 4. सचिव (ESW) के वरिष्ठ PPS
- 5. JS (ESW) के PPS
- 6. FA (DS) के PPS

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए भी:-

- 1. DGAFMNS
- 2. COP
- 3. AOA
- 4. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 25(01)/2018/WE/D (Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

B विंग, कमरा नंबर 220 सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 09 जुलाई 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- नेपाल में रहने वाले गोरखा (NDG) ESM पेंशनरों के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और रिम्बर्समेंट

महोदय,

इस विषय पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(02)/2012/WE/D(Res) dt 10 Sep 2013 के पैरा 3(b) के आंशिक संशोधन में, मुझे निम्नलिखित संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

के लिए

चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और रिम्बर्समेंट के लिए (ऑनलाइन बिलिंग)

(i)	रक्षा अताशे - रुपये तक। 1 लाख	
(ii)	उप MD, ईसीएचएस (ECHS)	- 1 लाख रुपये से अधिक 3 लाख रुपये तक
(iii)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	- 3 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक
(iv)	रक्षा मंत्रालय	- 5 लाख रुपये से अधिक

पढ़ें

चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और रिम्बर्समेंट (ऑनलाइन बिलिंग)

(i)	रक्षा अताशे - 4 लाख रुपये तक	
(ii)	उप MD, ईसीएचएस (ECHS)	- 8 लाख रुपये तक
(iii)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	- 15 लाख रुपये तक
(iv)	संयुक्त सचिव, ESW	- 40 लाख रुपये तक
(v)	सचिव, ESW	- 40 लाख रुपये से अधिक

2. मंत्रालय के भीतर प्रत्यायोजित शक्तियों (रुपये 15 लाख से अधिक) का प्रयोग रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) के परामर्श से किया जाएगा।

3. संदर्भाधीन पत्र की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

4. इसे U.O संख्या 32(14)/2018/Fin/Pen dt 17 Jun 2019 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से जारी किया गया है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. सचिव, ESW के वरिष्ठ PPS
2. DFA के PPS

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 22A(10)/2010/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

दिनांक 05 नवंबर 2012

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर
केंद्रीय संगठन,
ईसीएचएस नई दिल्ली-10

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और रिम्बर्समेन्ट की प्रक्रिया: प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) UTI, ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग

भारत सरकार के पत्र संख्या 22A(10/10/US(WE)/D(Res) dt 23 Feb, 2012, 4(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, मुझे बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) यानी UTI, ITSL द्वारा बिल प्रोसेसिंग के लिए प्रारंभिक प्रोजेक्ट को ईसीएचएस (ECHS) के निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों तक विस्तारित करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

- (a) जालंधर
- (b) जयपुर
- (c) लखनऊ
- (d) कोलकाता
- (e) कोच्चि

2. ऊपर संदर्भित भारत सरकार के पत्र के उप पैरा 5(c) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

के लिए

5(c): ब्रॉड बैंड कनेक्शन (प्रत्येक में दो)।

पढ़ें

5(c): एक समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्किट 2 Mbps (1:1) और एक मानक 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन CO, ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए। MTNL/BSNL की दिल्ली, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और कोच्चि। बैलेंस रीजनल सेंटर्स एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड (ट्राई बैंड कॉम्बो UL डेटा 3499/4 Mbps/BBG ULD 6000) और MTNL/BSNL का एक स्टैंडर्ड 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन।

3. इस प्रक्रिया की समीक्षा इसके संचालन के एक वर्ष बाद की जाएगी।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 4874/Fin/Pen/2012 dt 30 अक्टूबर 2012 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. DGAFMS
3. AG
4. COP
5. AOA

की जानकारी के लिए कॉपी :-

6. RM के PS
7. RRM के PS
8. सचिव, ESW के PPS
9. JS (ESW) के PS
10. JS & Addl. FA (RK) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

11. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22A(10)/2010/US(WE)/D(Res)/Vol-VIII

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
दिनांक 14 फरवरी 2014

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर
केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस नई दिल्ली-10

विषय :- ईसीएचएस के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और रिम्बर्समेन्ट के लिए प्रक्रिया: बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (बीपीए) यूटीआई-आईटीएसएल द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग

महोदय,

इसके अलावा भारत सरकार के पत्र संख्या 22A(10)/10/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 और 4(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 23 Feb 2012 और 05 Nov 2012 के संदर्भ में

2. मुझे बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) द्वारा 1 Apr 2014 तक ऑन-लाइन बिल प्रोसेसिंग का विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों तक करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

(a) बेंगलोर	(b) चेन्नई
(c) कोयंबटूर	(d) देहरादून
(e) जबलपुर	(f) जम्मू
(g) मुंबई	(h) नागपुर
(i) पटना	(j) इलाहाबाद
(k) अहमदाबाद	(l) अंबाला
(m) बरेली	(n) दिल्ली (द्वितीय)
(o) गुवाहाटी	(p) हिसार
(q) रांची	(r) विशाखापत्तनम

3. एक समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्किट {2Mbps(1:1)} और एक मानक 2Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र के लिए ऑन लाइन बिलों को संसाधित करने की मंजूरी दी गई है।

4. सरकार के पत्र 22A(10)/10/US(WE)/D(Res) dt 23 Feb 2012 और 05 Nov 2012 द्वारा अधिकृत रूप से बिल भुगतान की प्रक्रिया का पालन सभी क्षेत्रीय केंद्रों और पॉलीक्लिनिक द्वारा किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित सरकारी पत्र की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. संख्या 33(07)/2011-एफपी dt 02-12-2013 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित
(एचके मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. DGAFMS
3. AG
4. COP
5. AOA

की जानकारी के लिए कॉपी:-

6. RM के PS
7. RRM के PS
8. रक्षा सचिव के SO
9. सचिव, ESW के वरिष्ठ PPS
10. JS (ESW) के PS
11. DFA (Fin./Pen)

के लिए भी:-

12. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 18(100)/2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 02 जनवरी 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन,
एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम,
मौड लाइन, दिल्ली कैंट-10

विषय:- बिल प्रोसेसिंग एजेंसी द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के संबंध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की स्थिति की सूचना के लिए SMS

महोदय,

मुझे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को बिलों की प्रगति का SMS आधारित अपडेट प्रदान करने के लिए बिल प्रोसेसिंग एजेंसी यानी UTI-ITSL को नियुक्त करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इस सुविधा पर होने वाले खर्च का भुगतान केंद्रीय संगठन एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के तहत तिमाही आधार पर बिल प्रोसेसिंग एजेंसी को किया जाएगा। इस खाते में राशि मुख्य शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107, उप शीर्ष (F) विविध और कोड शीर्ष 366/00 के तहत बुक की जाएगी।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. ID. No. 32(33)/2017/Fin/Pen dt 14-12-2017 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

को कॉपी:-

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

1. सीजीडीए
2. डीजीएफएमएस
3. एजी
4. सीओपी
5. एओए

अवर सचिव, भारत सरकार

सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

6. आरएम के पीएस
7. आरआरएम के पीएस
8. रक्षा सचिव के एसओ
9. सचिव, ईएसडब्ल्यू के वरिष्ठ पीपीएस

10. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू) के पीएस

11. डीएफए (पेंशन)

12. एफए (डीएस) के पीपीएस

13. संयुक्त सचिव और अपर एफए (आरके) के पीएस

कॉपी स्याही में हस्ताक्षरित:-

14. सभी पीसीडीए/सीएसडीए

फाइल संख्या 22 (03)2016/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 22 फरवरी 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन,
ईसीएचएस (ECHS) मौड लाइन
नई दिल्ली-110010

विषय:- संशोधित CGHS दरों के अनुरूप बिल प्रोसेसिंग एजेंसी सेवा शुल्क में संशोधन: ऑन लाइन ईसीएचएस (ECHS) मेडिकल बिल प्रोसेसिंग

महोदय,

इसके अलावा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(10)/2010-US(WE)-Vol-II dt 23 Sep 2015 और UTI-ITSL और ईसीएचएस (ECHS) के बीच MoA पर 29 Sep 2015 को हस्ताक्षर किए गए, ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा बिलों के ऑनलाइन प्रोसेसिंग के संबंध में, मुझे UTI-ITSL को भुगतान किए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि शुल्क CGHS द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पत्र संख्या विविध 4141/2013/CGHS (HEC)/CGHS (P) dt 31 Mar 2014 द्वारा संशोधित किया गया है। प्रोसेसिंग शुल्क (प्रोसेसिंग शुल्क और सेवा कर/जीएसटी सहित) को ईसीएचएस (ECHS) पैनेलबद्ध अस्पताल, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं, इमेजिंग सेंटर और व्यक्ति द्वारा रिम्बर्समेन्ट दावों के लिए जमा की गई दावा राशि का 2% संशोधित किया जाएगा, जो न्यूनतम रु, 12.50/- और अधिकतम छत दर 750/- रुपए के अधीन होगा और पैनेल में शामिल संस्था/ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा। संशोधित दरों में समय-समय पर लागू होने वाले सभी कर शामिल हैं और यह इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. संख्या 33(07)/2011/FIN/PEN dt 15-2-2018 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. DGAFMS
3. AG, COP
4. AOA

की जानकारी के लिए कॉपी:-

5. RM के PS
6. RRM के PS
7. रक्षा सचिव

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार)

8. सचिव, ESW के PPS

9. JS (ESW) के PS

10. JS & Addl. FA (RK) के PS

11. OSD (ईसीएचएस (ECHS)) के PS

के लिए भी:-

12. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D (31)2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 01 मार्च 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर, केंद्रीय संगठन,

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मौड लाइन

नई दिल्ली

विषय :- व्यक्तिगत चिकित्सा रिम्बर्समेन्ट दावों के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) सेवा शुल्क का भुगतान।

महोदय,

मुझे व्यक्तिगत ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों/दावों की रिम्बर्समेन्ट की प्रक्रिया के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) अर्थात् UTI ITSL को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इस सुविधा पर होने वाले खर्च का भुगतान बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) के मासिक आधार पर डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) द्वारा किया जाएगा। खाते में शामिल राशि को प्रमुख शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107, उप शीर्ष E और कोड शीर्ष 365/00 के तहत डेबिट (नामे) किया जाएगा।

3. इस आदेश के प्रावधान इस पत्र के जारी होने की तारीख से ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक द्वारा अपलोड किए गए नए दावों (व्यक्तिगत) के संबंध में संभावित रूप से प्रभावी किए जाएंगे।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. संख्या 32(36)/2017/Fin/Pen dt 9-2-2018 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. सीजीडीए
2. डीजीएएफएमएस
3. एजी
4. सीओपी
5. एओए

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:-

6. पीएस से आरएम
7. आरआरएम को पीएस

8. रक्षा सचिव को एसओ
9. वरिष्ठ पीपीएस सचिव, ईएसडब्ल्यू
10. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू) के पीएस
11. डीएफए (पेन)
12. एफए (डीएस) के लिए पीपीएस
13. संयुक्त सचिव और अपर एफए (आरके) के पीएस

के लिए भी:-

14. सभी पीसीडीए/सीएसडीए

फाइल संख्या 22 (03)2016/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 4 जून 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) नई दिल्ली-110010

विषय :- भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग पत्र संख्या 22(03)/2016/WE/D(RES-I) dt 22 Feb 2018 में संशोधन (बिल प्रोसेसिंग एजेंसी सेवा शुल्क में संशोधन संशोधित CGHS दरों के साथ ट्यून ऑन-लाइन ईसीएचएस (ECHS) मेडिकल बिल प्रोसेसिंग

महोदय,

रक्षा मंत्रालय D/o ईएसडब्ल्यू विभाग, पत्र दिनांक 22-2-2018 के संदर्भ में, मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि बिल प्रोसेसिंग एजेंसी को देय ईसीएचएस (ECHS) मेडिकल बिल प्रोसेसिंग शुल्क की सभी संशोधित दरें सभी करों को छोड़कर फॉर्म समय समय पर लागू होती हैं और इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके ID No. PC.2 से 33(07)/2011/FIN/PEN dt 1-6-2018 के तहत जारी किया जा रहा है।

के लिए कॉपी:-

1. सीजीडीए
2. डीजीएफएमएस
3. एजी
4. सीओपी
5. एओए

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:-

1. आरएम के पीएस
2. आरआरएम के पीएस
3. रक्षा सचिव
4. सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस
5. जेएसडब्ल्यू के पीपीएस
6. संयुक्त सचिव और अतिरिक्त एफए (आरके)
7. ओएसडी (ईसीएचएस) के पीपीएस

के लिए भी:-

1. सभी पीसीडीए/सीएसडी

फाइल संख्या 22A (04)2016/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा संख्या 221, बी विंग सेना भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 26 दिसंबर 2018

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन,

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मौड लाइन

नई दिल्ली-110010

विषय:- केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और CO, ईसीएचएस (ECHS) के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दूरसंचार संसाधनों का अनुमोदन

महोदय,

इसके अलावा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(10)/10/US(WE)/D(Res) dt 23-02-2012, संख्या 22A(10)/2010/US(WE)/D(Res) dt 5 -11-2012, dt 23 Dec 2016 के तहत, मुझे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार CO, ईसीएचएस (ECHS) और CO, ईसीएचएस (ECHS) के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के लिए दूरसंचार संसाधनों के अधिकार के परिवर्तन के लिए सरकार की मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है: -

(a) दूरसंचार संसाधन अब अधिकृत

- (i) 16 Mbps (MPLS) की एक समर्पित प्रबंधित नेटवर्क सेवाएं {16 Mbps (1:1)} केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और सभी क्षेत्रीय केंद्रों, ईसीएचएस (ECHS) के लिए।
- (ii) 4 Mbps (MPLS) की एक समर्पित प्रबंधित नेटवर्क सेवाएं {4 Mbps (1:1)} सभी ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स (कम टाइप E) के लिए।
- (iii) CO, ईसीएचएस (ECHS) और CO, ईसीएचएस (ECHS) के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के लिए मोबाइल सेवा प्रदाताओं से 4G डोंगल और 4G इंटरनेट सेवाएं, जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सहायक सैन्य अताशे (ईसीएचएस (ECHS)) नेपाल और नेपाल के पॉलीक्लिनिक्स शामिल हैं:

क्रमांक	जगह	स्केलिंग
(aa)	CO ईसीएचएस (ECHS)	08
(ab)	RC ईसीएचएस (ECHS)	03
(ac)	AMA नेपाल	01
(ad)	पॉलीक्लिनिक टाइप A	02
(ae)	पॉलीक्लिनिक टाइप B	02
(af)	पॉलीक्लिनिक टाइप C	02
(ag)	पॉलीक्लिनिक टाइप D	01
(ah)	पॉलीक्लिनिक टाइप E	01
(ai)	पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस (ECHS) नेपाल	01

नोट:- यह स्केलिंग सभी नए अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होगी।

(b) बैंडविड्थ को किसी भी सेवा प्रदाता और किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी उच्च बैंडविड्थ से BSNL / MTNL द्वारा उद्धृत 16 Mbps की बेंचमार्क लागत के बराबर या उससे कम लागत पर किराए पर लिया जा सकता है।

(c) तकनीकी विचार के आधार पर सेवा प्रदाता की निकटतम उपस्थिति से ईसीएचएस (ECHS) परिसर में अंतिम मील कनेक्टिविटी को वायर्ड/वायरलेस मीडिया के रूप में लिया जा सकता है।

2. सेना साइबर समूह (ACG) द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित साइबर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

3. 4G डोंगल और 4G इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए मासिक डेटा रेंटल प्लान के लिए प्राधिकरण स्वीकृति का संभावित वित्तीय प्रभाव रु. 999/- की अधिकतम सीमा के साथ रु. 20,27,99,280/- है।

4. व्यय प्रस्ताव को उचित निविदा प्रक्रिया के बाद और वित्तीय शक्ति के विस्तार प्रत्यायोजन के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए। MD,ईसीएचएस (ECHS) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अति प्रावधान या दोहराव नहीं है।

5. इस मद में होने वाले व्यय का भुगतान केन्द्रीय संगठन एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, द्वारा प्रमुख शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107 कोड शीर्ष 366/00 (विविध) के अंतर्गत किया जायेगा।

6. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO ID No. 33(15)/2016/Fin/Pen dt 24-12-2018 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. DGAFMS
3. AG
4. COP
5. AOA

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित (ए.के. कर्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:-

6. RM के PS
7. RRM के PS
8. रक्षा सचिव के SO
1. सचिव, ESW के वरिष्ठ PPS
2. JS (ESW) के PS

3. DFA(Pen)
4. FA (DS) के PPS
5. JS & Addl FA (RK) के PS

के लिए भी कॉपी :-

14. सभी PCsDA/CsDA



भाग - VIII

खरीद और फंड नियंत्रण

फाइल संख्या 24(3)/03/US (WE)/D(Res)(i)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली, दिनांक 08 सितम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय : एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए वित्तीय शक्तियों को सौंपना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22 (01)/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए इस पत्र के परिशिष्ट में सूचीबद्ध वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित मौजूदा आदेशों और निर्देशों और बाद के पैराग्राफों में निहित सामान्य शर्तों के साथ-साथ परिशिष्ट में नोट में निहित सामान्य शर्तों द्वारा शासित होगा। समय-समय पर जारी और संशोधित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों को रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

3. सौंपे गए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- a. व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।
- b. वित्तीय स्वामित्व के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
- c. वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि व्यय की मंजूरी किसी भी घोषित या ज्ञात नीति या सरकार के निर्णय के विपरीत नहीं है।
- d. संबंधित शीर्षों के अंतर्गत स्वीकृत बजट अनुदान में निधियों की उपलब्धता के अधीन व्यय स्वीकृत किया जाना चाहिए।

4. वित्तीय सलाह/सहमति लिखित रूप में प्रदान की जाएगी और फाइल पर नियमित नोटिंग पर आधारित होगी। हालांकि, अत्यधिक अत्यावश्यकता के मामले में जहां समय नियमित फाइलों को जारी करने की अनुमति नहीं देता है, बैठकों/चर्चाओं में निर्णय लिया जा सकता है जिसके लिए विस्तृत विचार-विमर्श/मिनट दर्ज किए जाएंगे। CFA के अनुमोदन से उचित ब्रीफिंग पेपर बैठकों/चर्चाओं से पहले CDA/IFA, जो भी लागू हो, को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे सभी मामलों पर तुरंत नियमित रूप से फाइल में नोटिंग करके अनुवर्ती

कार्रवाई की जानी चाहिए जहां बैठकों/चर्चाओं के दौरान लिए गए निर्णयों को दर्ज किया जाएगा और वित्तीय सलाह को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। क्रॉस-नोटिंग और बैंक रेफरेंस से बचने या कम करने की दृष्टि से, फाइलों पर शुरू किए गए प्रस्ताव व्यापक होने चाहिए।

5. सौंपे गए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें ये प्रदान किए गए हैं और किसी अन्य अधिकारी को फिरसे नहीं सौंपे जाएंगे। छुट्टी पर अनुपस्थिति या नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दौरान, स्थानापन्न क्षमता में कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी पूर्ण सौंपे गए शक्तियों का पूर्ण प्रयोग करेगा। सभी मामलों में जारी होने पर मंजूरी की एक प्रति संबंधित CDA को भेजी जाएगी।

6. दी गई वित्तीय शक्तियां प्रत्येक लेनदेन के संबंध में हैं और इसमें एक या अधिक वस्तुओं की खरीद शामिल हो सकती है।

7. ईसीएचएस (ECHS) के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के तरीके और संचालन की एक पेरिपेटेटिक जांच DG DC&W, MoD और MoD (वित्त) के अधिकारियों की एक टीम द्वारा दो साल में एक बार या जब भी आवश्यक हो, की जाएगी।

8. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. संख्या 984/PD dt 03-09-2003 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (B) (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के लिए PPS / AS (I) के PPS
6. अतिरिक्त FA (M) / अतिरिक्त FA (K)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. डायरेक्टर (वित्त /AG) / डायरेक्टर (वित्त/बजट)/ डायरेक्टर (स्था) / Estt (Res)

11. रक्षा (वित्त /AG/PD)
12. DFA (N) / DFA (वायु सेना)
13. AFA (B-1)
14. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
15. O&M इकाई

के लिए भी:-

16. AG
17. DGAFMS
18. DGDE, नई दिल्ली
19. QMG

फाइल संख्या 2(3)103/US(WE)/D(Res)(i)

भारत सरकार का परिशिष्ट

दिनांक 08 सितम्बर 2003

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए सौंपी गयी वित्तीय शक्तियां

1. चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान और रिम्बर्समेंट।*

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं (परामर्श के बिना)
स्टेशन कमांडर	
लेफ्टिनेंट कर्नल / कर्नल	20,000
ब्रिगेडियर	50,000
सब एरिया कमांडर	1,00,000
एरिया कमांडर	2,00,000
सेना कमांडर	4,00,000
वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ	5,00,000

(* रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (01)/2014/US (WE)/D(Res)-भाग-I dt 04 Aug 2014 के द्वारा संशोधित)

2. सूचना प्रौद्योगिकी।

(a) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं (परामर्श के बिना)			
स्टेशन	हार्डवेयर	सॉफ्टवेयर	एएमसी और मरम्मत	स्टेशनरी और उपभोज्य
लेफ्टिनेंट कर्नल / कर्नल / ब्रिगेडियर	-	-	3,000	10,000
उप क्षेत्र	1,20,000	10,000	10,000	20,000

\$ नोट। ADG (IT) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार खरीद की जानी है

(* रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/WE/D(Res) dt 31 Jul 2019 के माध्यम से नोट

(ii) प्राप्त भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के द्वारा संशोधित)

3. विविध और आकस्मिक व्यय।

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं	
	परामर्श के बिना	वित्तीय सहमति के साथ
डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र	15,000	-
MDईसीएचएस (ECHS)	40,000	2,00,000
DGDC&W	50,000	2,50,000
AG	1,00,000	पूर्ण शक्तियां

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.5 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/ WE/D(Res) dt 31 Jul के माध्यम से प्राप्त 2019)

4. प्रचार

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं	
	परामर्श के बिना	वित्तीय सहमति के साथ
डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र	15,000	-
MD ईसीएचएस (ECHS)	40,000	-
DGDC& W	50,000	-
AG	1,00,000	15,00,000

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.5 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/ WE/D(Res) dt 31 Jul के माध्यम से प्राप्त 2019)

5. वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान।

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं	
	परामर्श के बिना	वित्तीय सहमति के साथ
डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र	15,000	30,000
MDईसीएचएस (ECHS)	50,000	1,00,000
DGDC&W	60,000	2,00,000
AG	1,00,000	3,00,000

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.5 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/ WE/D(Res) dt 31 Jul के माध्यम से प्राप्त 2019)

6. स्टेशनरी

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं
	परामर्श के बिना
डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र	4,000
MDईसीएचएस (ECHS)	8,000
DGDC&W	20,000
AG	20,000

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.5 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/ WE/D(Res) dt 31 Jul के माध्यम से प्राप्त 2019)

7. परिवहन (भंडार और कर्मचारियों की आवाजाही)।

सक्षम वित्तीय अधिकार	वित्तीय सीमाएं	
	वित्तीय सहमति से	परामर्श के बिना
डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र	10,000	-
MDईसीएचएस (ECHS)	50,000	1,00,000
DGDC&W	80,000	2,00,000
AG	1,00,000	3,00,000

नोट :-

- अन्य सभी CFA की शक्ति का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-1/1974/2006/DS (GS-1) dt 26 Jul 2006 के अनुसार किया जाना चाहिए।
- उप क्षेत्र कमांडर/क्षेत्र कमांडर समकक्षता B/49791/Policy/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 18 Nov 2013 के द्वारा स्पष्ट की गई है।

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.1 के द्वारा संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/ WE/D(Res) dt 31 Jul द्वारा प्राप्त 2019)।

फाइल संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(ii)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

दिनांक 09 सितम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए वित्तीय प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS), मध्यस्थता प्रभाव से) के संबंध में इस पत्र के परिशिष्ट में सन्निहित वित्तीय प्रक्रिया को अपनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. विभिन्न ईसीएचएस स्टेशनों के साथ-साथ केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्रों पर ईसीएचएस (ECHS) के लिए इन वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन की एक पेरिपेटेटिक जांच/समीक्षा दो साल में एक बार या जब भी आवश्यक हो, CGDA के परामर्श से DG DC&W द्वारा की जाएगी। और जब जरूरी हो, इस तरह की जांच/समीक्षा के निष्कर्षों को MOD और MOD (वित्त) को सूचित किया जाएगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 984/PD dt 03.09.2003 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO

भारत सरकार के पत्र संख्या
24(3)/03/US(WE)/D(Res)(ii)
का परिशिष्ट
दिनांक 09 सितम्बर 2003

वित्तीय प्रक्रियाएं

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS)

सामग्री

- भाग i - ईसीएचएस (ECHS) के लिए सामान्य वित्तीय प्रक्रियाएं
- भाग ii - स्टेशन मुख्यालय में वित्तीय प्रबंधन
- भाग iii - पॉलीक्लिनिक्स में वित्तीय प्रबंधन
- भाग iv - ईसीएचएस (ECHS) संगठन में वित्तीय प्रबंधन
- भाग v - पूंजीगत व्यय
- भाग vi - राजस्व व्यय
- भाग vii - वित्तीय शक्तियों के लिए निधियों और प्राधिकरण का आवंटन

परिशिष्ट A

परिशिष्ट B

परिशिष्ट C

भाग I - योजना के लिए ईसीएचएस (ECHS) अधिकार के लिए सामान्य वित्तीय प्रक्रियाएं

भाग I - ईसीएचएस (ECHS) के लिए सामान्य वित्तीय प्रक्रियाएं

योजना के लिए स्वीकृति

1. एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) को भारत सरकार द्वारा Dcf पत्र संख्या 22(01)IUS(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू करने के लिए स्वीकृति किया गया है।

व्यय और प्राप्तियों के लिए मद

2. पूंजी परिव्यय

- (a) पूंजीगत परिव्यय के तहत व्यय का शीर्ष नीचे दिया गया है: -

मेजर हेड	-	4076
सब मेजर हेड	-	01
माइनर हेड	-	107*

(*सीजीडीए सुधार पर्ची संख्या 88/04 के माध्यम से संशोधित। शुद्धिपत्र पर्ची संलग्न)

पूँजी परिव्यय के लिए उपशीर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं। यह ईसीएचएस (ECHS) के तहत परिकल्पित व्यय की वस्तुओं के अनुसार होगा।

- (i) भूमि की खरीद
- (ii) भवनों का निर्माण
- (iii) चिकित्सा उपकरण की खरीद।

3. राजस्व परिव्यय।

- (a) राजस्व व्यय के लिए व्यय के मद होंगे:

प्रमुख प्रमुख	-	2076
लघु शीर्ष	-	107- स्टोर*

(*CGDA सुधार पर्ची संख्या 88/04 के माध्यम से संशोधित। शुद्धिपत्र पर्ची संलग्न)

4. राजस्व व्यय के उपशीर्ष नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यय के उद्देश्यों का विवरण परिशिष्ट- A के रूप में संलग्न है।

- (a) नियोजित / अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक
- (b) परिवहन
- (c) स्टोर-
 - (i) मेडिकल स्टोर।
 - (ii) मेडिकल स्टोर के अलावा
- (d) सूचना प्रौद्योगिकी
- (e) चिकित्सा प्रतिपूर्ति और संबंधित व्यय
- (f) विविध।
- (g) राजस्व कार्य।

5. प्राप्तियाँ।

(a) प्राप्तियों के लिए मद नीचे दिए गए हैं:

प्रमुख मद	-	0076
लघु मद	-	107- स्टोर*

(*CGDA सुधार पर्ची संख्या 88/04 के माध्यम से संशोधित। शुद्धिपत्र पर्ची संलग्न)

(b) प्राप्तियों के लिए उप मद होंगे: -

- ईसीएचएस (ECHS) योगदान
- ईसीएचएस (ECHS) स्टोर/उपकरणों की नीलामी के कारण प्राप्तियां
- विविध प्राप्तियां

ईसीएचएस (ECHS) का आदेश और नियंत्रण

6. सैन्य और गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) संगठन और पॉलीक्लिनिक के लिए कमान और नियंत्रण का प्रयोग प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय सभी मामलों के लिए सेना की कमान और नियंत्रण की मौजूदा श्रृंखला द्वारा किया जाएगा, उन स्टेशनों को छोड़कर जो वायु सेना और नौसेना के नियंत्रण में हैं। इन स्टेशनों की सूची नीचे दी गई है:-

क्रमांक	नौसेना के नियंत्रण में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की सूची	क्रमांक	वायु सेना के नियंत्रण में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की सूची
(a)	कोच्चि	(a)	बेंगलोर (शहरी)
(b)	मुंबई	(b)	येलहंका (बेंगलोर)
(c)	मुंबई (उपनगर)	(c)	नागपुर
(d)	कारवार	(d)	कोयंबटूर
(e)	पोर्ट ब्लेयर	(e)	कानपुर
(f)	विशाखापत्तनम	(f)	जोरहाट
(g)	बालासोर	(g)	सिरसा
(h)	मुंबई (COD कांदिवली)	(h)	गोरखपुर
(i)	ठाणें	(i)	सहारनपुर
(k)	वास्को डी गामा	(k)	फरीदाबाद
(l)	पूर्वी दिल्ली क्षेत्र	(l)	गाजियाबाद (हिंडन)
(m)	तिरुनेवेली	(m)	मैसूर
(n)	काकीनाडा	(n)	जैसलमेर
(o)	श्रीकाकुलम	(o)	बीदर
(p)	अंगुल	(p)	हसन
(q)	ढेंकनाली	(q)	कोलार
(q)	पुरी	(q)	तुमकुर
(r)	रामनाथपुरा	(s)	बरनाला
(s)	मोवाट्टुपुझा	(t)	तंजावुर
(t)	पेनावु	(u)	तांबरम
(u)	चिपलुन	(v)	इरोड
(v)	महादी	(w)	मिदनापुर
(w)		(x)	अमला
		(y)	खानपुर (तुगलकाबाद)
		(z)	दक्षिण पुणे
		(aa)	पलवल

(*गाजियाबाद 24(3)/03/US(WE)/D(Res) dt 13 Nov 03 के द्वारा जोड़ा गया और भुवनेश्वर 22 (4)/05/US(WE)/D(Res) dt 10 Aug 2005 के द्वारा जोड़ा गया)

7. ऐसे मामलों में जहां पॉलीक्लिनिक नौसेना और वायु सेना द्वारा नियंत्रित होते हैं, संबंधित सेवा (नौसेना या वायु सेना) के स्टेशन कमांडर और संबंधित सेवा के CFAs को ईसीएचएस (ECHS) के लिए प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि सेना में समकक्ष स्टेशन कमांडरों और CFAs द्वारा प्रयोग किया गया है। स्टेशन मुख्यालय को लेखापरीक्षा कवर, जिसे नौसेना और वायु सेना के अधीन रखा जाना प्रस्तावित है, CDA (नौसेना) मुंबई और JCDA (AF) नागपुर और PCDA (AF) देहरादून द्वारा प्रदान किया जा सकता है। संबंधित स्टेशन मुख्यालय को आवश्यक बजट आवंटन करना पड़ सकता है और CDA (नौसेना) मुंबई और JCDA (AF) नागपुर और और PCDA (AF) देहरादून को वायु सेना और नौसेना के संबंधित कमान मुख्यालयों को सूचित करना पड़ सकता है।

8. ईसीएचएस (ECHS) द्वारा CGDA को सैन्य स्टेशन के साथ पॉलीक्लिनिक की सूची, जिसके अधिकार क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक कार्य करेगा, उपलब्ध कराई जाएगी। CGDA बाद में सभी संबंधित CDA को सूची की सूचना देगा।

ईसीएचएस (ECHS) के प्रबंधन के लिए फंडों का आवंटन।

9. केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS), ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए फंडों के उप-आवंटन की सूचना देगा। फंड मुख्यालय कमांड, DGAFFMS, QMG, MGO और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के प्रबंधन के लिए आवश्यक किसी भी अन्य एजेंसी के निपटान में रखा जाएगा। जिन एजेंसियों को ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए राजस्व शीर्ष के तहत व्यय का उप-आवंटन किया जाएगा, उनका उल्लेख परिशिष्ट B में किया गया है।

10. क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए प्रशासन के मद में व्यय केन्द्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा मुख्यालय उप क्षेत्रीय क्षेत्र/कमांड को आवंटित किया जाएगा जिसके अधीन वे कार्य कर रहे हैं। MD ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन के प्रशासन के लिए राजस्व व्यय से धन आवंटित करेगा

11. हर साल 31 अक्टूबर तक बजटीय अनुमानों में शामिल करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) की आवश्यकताओं को ADG(FP) को सालाना पेश किया जाएगा। सभी ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में कमांड द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। ईसीएचएस (ECHS) द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और रिटर्न सशस्त्र बलों में मौजूद आवृत्ति और बजटीय प्रणाली के अनुसार होंगे।

व्यय की स्वीकृति।

विभिन्न मदों के अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व।

12. वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने की जिम्मेदारी उन प्राधिकारियों के पास होगी जिन्हें निधियों का उप-आवंटन किया गया है। यह वित्तीय विनियम भाग 1 खंड 2 और सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य वित्तीय शक्तियों के संयोजन के साथ पढ़े जाने वाले सेना अधिकारियों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-1/693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 2002 द्वारा पहले से निर्धारित वर्तमान शक्तियों के अनुसार होगा।

13. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में वित्त का प्रबंधन स्थिर कमांड और नियंत्रण की मौजूदा श्रृंखला का पालन करेगा अर्थात् स्टेशन मुख्यालय से उप क्षेत्र मुख्यालय से क्षेत्र मुख्यालय से कमान मुख्यालय तक और उसके बाद सेना मुख्यालय तक जैसा कि बाद के पैराग्राफ में बताया गया है। ईसीएचएस (ECHS) में भुगतान का प्रमुख घटक स्टेशन कमांडरों पर निर्भर करता है, जो अकेले उनके पास निहित वित्तीय शक्तियों के खिलाफ और सक्षम अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ 'भुगतान प्राधिकरण' होंगे।

14. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय एवं संबंधित व्यय के संबंध में, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 के माध्यम से प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

15. ईसीएचएस (ECHS) के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले आवश्यक नकद असाइनमेंट, संबंधित स्टेशन कमांडरों को उनके नामित बैंकों के निपटान में सेना/नौसेना/वायु सेना PCsDA/CsDA द्वारा इलाज, आकस्मिक व्यय और पॉलीक्लिनिक के अन्य चालू व्यय के लिए रेफरल अस्पतालों को भुगतान करने के लिए रखा जाएगा। कैश असाइनमेंट, कैश बुक के साथ भुगतान किए गए वाउचर, बैंक समाधान विवरण पोस्ट ऑडिट के लिए PCsDA/CsDA को अग्रेषित किए जाएंगे। पोस्ट ऑडिट के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसे निपटान के लिए नकद असाइनमेंट धारक के ध्यान में लाया जाएगा। नकद समनुदेशन धारक, CFA के अनुमोदन से, तत्काल आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए पॉलीक्लिनिक्स में कुछ निर्दिष्ट राशि रख सकता है, जिसे भुगतान किए गए वाउचर के संदर्भ में उनके नकद समनुदेशन धारक से वसूल किया जा सकता है। प्रत्येक नकद समनुदेशन धारक केवल एक नकद समनुदेशन खाता संचालित करेगा।

16. अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को नियंत्रित करने वाले नौसेना और वायु सेना के स्टेशन कमांडर और संबंधित CFAs भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-11693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 2002 द्वारा निर्धारित समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो वित्तीय विनियम भाग I खंड 2 और सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य वित्तीय शक्तियों के संयोजन के साथ पढ़े जाने वाले सेना अधिकारियों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के संबंध में है। तदनुसार CGDA पैरा 6 में सूचीबद्ध स्टेशनों के लिए नौसेना और वायु सेना के पॉलीक्लिनिकों के लिए नकद असाइनमेंट की समान व्यवस्था की व्यवस्था करेगा।

वित्तीय शक्तियों को प्रयोग करने का तरीका

17. इन शक्तियों के प्रयोग में संबंधित प्राधिकरण वित्तीय विनियम Pt -I VolII पैरा 65, 66 में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। अधिकृत शक्तियां पदेन हैं और नीचे बताए गए को छोड़कर किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं: -

(a) हर मामले में वित्तीय शक्तियां रखने वाला अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और अनारक्षित रूप से इस पैराग्राफ द्वारा अनुमत छूट की डिग्री के अनुसार जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के लिए जिम्मेदार है, चाहे आदेशों को संप्रेषित करने वाले संचार पर स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों

(b) इस सहमति पर, कि एकमात्र जिम्मेदारी वित्तीय शक्तियां रखने वाले अधिकारी पर है, जो एक कर्मचारी अधिकारी को उसकी ओर से संचार और वित्तीय प्रकृति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि उस अधिकारी का नाम जो हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामले में यह आवश्यक नहीं होगा कि स्वयं वित्तीय शक्ति रखने वाले अधिकारी के लिए प्रत्येक मद को व्यक्तिगत रूप से स्वीकृत किया जाए।

- (c) मामूली भत्तों के दावे, जो आमतौर पर PSOs, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए, उनके लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत एक चयनित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जा सकता है।
- (d) जब वित्तीय शक्तियों वाला कोई अधिकारी छुट्टी पर अनुपस्थित रहता है और उसके स्थान पर औपचारिक रूप से किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है तो वित्तीय जिम्मेदारी वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी पर होगी, जो फिलहाल अनुपस्थित की पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इन मामलों में अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर को, हालांकि यह इंगित करना चाहिए कि वह " को _____ अनुपस्थित के लिए" हस्ताक्षर करता है।
- (e) जब वित्तीय अधिकार रखने वाला कोई अधिकारी अस्थायी इयूटी या दौरे पर अनुपस्थित रहता है, तो वह अपनी ओर से किसी अन्य अधिकारी को लिखित रूप में पत्रों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे सकता है। एक लेखा परीक्षा कार्यालय अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर को यह मानते हुए स्वीकार करेगा कि आदेशों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, बशर्ते हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी _____ को अनुपस्थित के लिए हस्ताक्षर करता है
- (f) जब वित्तीय शक्तियों वाले एक अधिकारी को तैनात किया गया है और उसके स्थान पर औपचारिक रूप से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, तो वित्तीय जिम्मेदारी वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी पर होगी जो इस समय नियुक्ति की पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

18. CFAs और विभिन्न अधिकारियों को सौंपे गए वित्तीय शक्ति, जैसा कि FR भाग I, खंड II, संशोधित संस्करण 1983 में निर्दिष्ट है, का उपयोग किया जाएगा। सौंपे गए वित्तीय शक्तियों द्वारा कवर नहीं किए गए मामलों को रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (a) सौंपे गए वित्तीय शक्ति का प्रयोग मान्यता प्राप्त IFA की सहमति के साथ CFAs द्वारा किया जाना चाहिए, जहां भी आवश्यक हो।
- (b) शक्तियों के प्रयोग से जुड़े प्रस्तावों से जुड़े सभी कागजात, दस्तावेज, रिकॉर्ड प्राप्त को उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि प्रस्तावों को संसाधित करने में देरी से बचा जा सके। इसी प्रकार, निविदा खरीद समिति (TPC) की बैठक के संबंध में सभी कागजात, दस्तावेज, खरीद फाइलें, निविदा पूछताछ, मूल कोटेशन IFA को TPC बैठक से कम से कम 3 स्पष्ट दिन पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उसे प्रभावी मूल्यांकन के लिए समय प्रदान किया जा सके।
- (c) CFAs को सख्ती और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिबंधों को विभाजित नहीं किया गया है, ताकि मंत्रालय/IFA की सहमति लेने से बचा जा सके।
- (d) जहां तक संभव हो, DG S&D दरों पर अनुमोदित और उपलब्ध वस्तुओं को खरीदा जाना चाहिए।
- (e) ईसीएचएस (ECHS) फंड से खर्च करते समय या खर्च की योजना बनाते समय सभी वित्तीय नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आडिट

19. ईसीएचएस (ECHS) के सभी भुगतानों की क्षेत्रीय CsDA द्वारा आडिट की जाएगी। आकस्मिक बिल और संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र, जहां भुगतान नकद असाइनमेंट चेक द्वारा किया गया है, अगले महीने की 7 तारीख तक सारांश के साथ क्षेत्रीय CDA को अग्रेषित किया जाएगा। नकद समनुदेशन प्रणाली से होने वाले व्यय का क्षेत्रीय CDA द्वारा लेखा-परीक्षा के बाद किया जाएगा।

20. ईसीएचएस (ECHS) यूनिट/फॉर्मेशन क्षेत्रीय/नौसेना/वायु के संबंधित LAOs/RAOs द्वारा पोस्ट ऑडिट के

लिए अपने ऑडिट योग्य दस्तावेजों को बनाए रखेंगे। Force PCsDNCsDA जिसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार में सशस्त्र सेना क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक्स आते हैं। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान यदि कोई अनियमितता/आपत्ति पाई जाती है, तो उसकी सूचना संबंधित स्टेशन कमांडरों/पॉलीक्लिनिकों को दी जाएगी। आपत्तियों, गंभीर अनियमितताओं आदि को MPR, MFAI, AAC, IAR आदि में शामिल किया जाएगा।

21. यदि LAOs/RAOs द्वारा किए गए व्यय की किसी मद पर ऑडिट की जाती है और किसी अभ्यावेदन या स्पष्टीकरण के परिणामस्वरूप आपत्ति वापस नहीं ली जाती है, तो इसके निपटान के लिए उपयुक्त CFA के आदेशों के तहत नियमितीकरण कार्रवाई की जा सकती है।

बजट।

22. बजट अनुमान। बजट अनुमान स्टेशन मुख्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा और मुख्यालय उप क्षेत्र। क्षेत्र/कमांड में संकलित किया जाएगा। इसे हर साल 30 Sep तक केंद्रीय संगठन और ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित किया जाएगा। नौसेना और वायु सेना द्वारा नियंत्रित पॉलीक्लिनिकों के संबंध में स्टेशन मुख्यालय, संबंधित FOC-in-C/AOC- C में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक वर्ष 30 Sep तक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को समेकित अनुमान अग्रेषित करेगा। इसके अलावा इसकी एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों को प्रस्तुत की जाएगी जो केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS), AG शाखा सेना मुख्यालय को एक समेकित रिपोर्ट अग्रेषित करेंगे। यह रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष 30 Sep तक प्रस्तुत की जाएगी।

23. वित्तीय विनियमों में निर्धारित बजट अनुमानों की तैयारी और जांच के सामान्य नियमों का पालन किया जाएगा। (FR I Pt I Vol-I, Rule- 89-92).

24. बजटीय नियंत्रण का प्रयोग स्टेशन मुख्यालय, उप क्षेत्र/क्षेत्र/कमांड मुख्यालय अपने क्षेत्राधिकार में करेंगे। उप क्षेत्र/क्षेत्र। सेना कमांडर द्वारा उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर निधियों का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है। प्रत्येक कमान में व्यय के अनुमान के आधार पर केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा निधियों का अंतर कमान पुनर्विनियोजन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सर्कुलर

वर्गीकरण में संशोधन / हैंडबुक 'रक्षा सेवा रसीद और शुल्क 1992 (संस्करण)

C.S. संख्या 88/04

डिलीट मेजर हेड 0076, माइनर हेड -110D; मेजर हेड 2076 के नीचे पेज-92, माइनर हेड- 110D, मेजर हेड 4076 के नीचे पेज-249, सब-मेजर हेड-01, माइनर हेड-103 और मेजर हेड के नीचे पेज-254 सब-मेजर हेड-01 आर्मी माइनर हेड- 202 कोड शीर्षों और प्रत्येक के विरुद्ध दिखाए गए आरोपों के विवरण के साथ के नीचे पृष्ठ-14 पर CSसंख्या 76/2003 के तहत खोले गए विस्तृत शीर्ष "एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम," को हटाएं।

निम्नलिखित नए लघु मद को सम्मिलित करें

पृष्ठ 8

मेजर हेड के लिए: 0076- डिफेंस सर्विसेज- आर्मी

उपशीर्ष/विस्तृत शीर्षों के साथ निम्नलिखित नया लघु शीर्ष लघु शीर्ष - 105 "सैन्य फार्म" के नीचे डालें:-

107 - एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के लिए अंशदान

a) ईसीएचएस योगदान	405/01
पूर्व सैनिकों द्वारा ईसीएचएस के सदस्य बनने के लिए योगदान	
b) ईसीएचएस स्टोर की नीलामी से रसीद! उपकरण	405/02
c) विविध प्राप्तियां	405/03

पृष्ठ 75

मेजर हेड के लिए: 2076- रक्षा सेवाएं- सेना

लघु शीर्ष 106 के नीचे उप शीर्ष/विस्तृत शीर्षों के साथ निम्नलिखित नया लघु शीर्ष सम्मिलित करें-
"रोलिंग स्टॉक की खरीद"

पृष्ठ 251

मेजर हेड के लिए: - 4076 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

सब मेजर हेड 01 - सेना

माइनर हेड 106 के नीचे उप मद/विस्तृत मद के साथ निम्नलिखित नया माइनर हेड - "चल स्टॉक की खरीद" सम्मिलित करें

107- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम,

a) भूमि की खरीद	907/38
b) भवनों का निर्माण	907/39
c) चिकित्सा उपकरण की खरीद	907/40

10 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले उपकरणों की खरीद और जिनका जीवन काल 7 वर्ष या उससे अधिक है पर व्यय

CS NO. 116/2007 द्वारा संशोधित

पृष्ठ सं. 284 का संदर्भ लें

भाग II - स्टेशन मुख्यालय पर वित्तीय प्रबंधन

कैश असाइनमेंट

1. जिन स्टेशन कमांडरों के अधिकार क्षेत्र में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्थित हैं, उन्हें कोषागार या बैंक में उनके पक्ष में नकद असाइनमेंट करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। वे विशेष रूप से CDA से प्राप्त किए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र में चेक द्वारा संचालित होंगे।

व्यय की वस्तुएं

2. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए राजस्व शीर्षों से सभी व्यय इसी खाते के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें सभी खर्च शामिल होंगे: -

- (a) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्टाफ के लिए वेतन/पारिश्रमिक
- (b) परिवहन
- (c) मेडिकल स्टोर
- (d) गैर मेडिकल स्टोर
- (e) कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद
- (f) विविध और आकस्मिक व्यय।
- (g) राजस्व कार्य।

3. राजस्व मद के अंतर्गत व्यय की वस्तुओं की विस्तृत सूची, जिससे स्टेशन मुख्यालय धन करेगा, परिशिष्ट B में 'कमांड' शीर्षक के तहत सूचीबद्ध है। स्टेशन कमांडर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में छोटे व्यय के लिए चेक भी जारी करेंगे।

लेखांकन।

4. पॉलीक्लिनिक के उपचार, आकस्मिक व्यय और अन्य चालू व्यय के लिए रेफरल अस्पतालों को भुगतान करने के लिए सेना/नौसेना/वायु सेना PCSDNCsDA द्वारा संबंधित स्टेशन कमांडरों को उनके नामित बैंकों के निपटान में आवश्यक नकद असाइनमेंट रखा जाएगा। भुगतान किए गए वाउचर के साथ कैश असाइनमेंट, कैश बुक, बैंक समाधान विवरण पोस्ट ऑडिट के लिए PCSDA/CsDA को अग्रेषित किए जाएंगे। पोस्ट ऑडिट के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसे निपटान के लिए नकद असाइनमेंट धारक के ध्यान में लाया जाएगा। नकद असाइनमेंट धारक, CFA के अनुमोदन से, तत्काल आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए पॉलीक्लिनिक में कुछ निर्दिष्ट राशि रख सकता है, जिसे भुगतान किए गए वाउचर के संदर्भ में उनके नकद असाइनमेंट धारक से वसूल किया जा सकता है। नकद असाइनमेंट धारक अपने AOR के तहत सभी पॉलीक्लिनिकों के लिए केवल एक नकद असाइनमेंट खाता संचालित करेगा।

भाग III - पॉलीक्लिनिक्स में वित्तीय प्रबंधन

सार्वजनिक निधि खाते

सभी संबंधित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में "ईसीएचएस सार्वजनिक निधि खाता" शीर्षक से एक अलग सार्वजनिक निधि खाता रखा जाएगा। निधि का उपयोग ईसीएचएस (ECHS) के लिए छोटे व्यय के लिए किया जाएगा। निधि का संचालन प्रभारी पॉलीक्लिनिक अधिकारी और पॉलीक्लिनिक के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के बीच संयुक्त खाते के रूप में किया जाएगा।

व्यय की वस्तुएं

2. ईसीएचएस (ECHS) लोक निधि खाते से किए जा सकने वाले व्यय के उद्देश्यों की सूची परिशिष्ट C में दी गई है। ऐसे व्यय का उपयोग पॉलीक्लिनिक के प्रशासन के लिए किया जाएगा। छोटे-मोटे खर्च का खर्च पॉलीक्लिनिक प्रभारी अधिकारी के अधिकार में किया जाएगा।

व्यय के लिए वित्तीय सीमाएं।

3. निधि के अंतर्गत व्यय के लिए वार्षिक वित्तीय सीमाएं नीचे दी गई हैं:-

क्रमांक	स्टेशन	फुटकर व्यय (वार्षिक)
1	सैन्य स्टेशन	
	(a) टाइप A & B	रु. 15,000/-
	(c) टाइप C & D	रु. 10,000/-
2	गैर सैन्य स्टेशन	
	(a) टाइप A & B	रु 30,000/-
	(b) टाइप C & D	रु 20,000/-

4. छोटे-मोटे खर्च का हर एक लेन-देन 1,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 1,000/- रुपये से अधिक के व्यय का सामना करना पड़ता है तो स्टेशन कमांडर का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

पॉलीक्लिनिक्स में व्यय की प्रक्रिया

5. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में लोक निधि खाते से व्यय के लिए दिशा-निर्देश होंगे:-
- प्रभारी अधिकारी अपने निपटान में रखी गई धनराशि के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - पॉलीक्लिनिकों को पॉलीक्लिनिक के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए छोटी खरीद के लिए किसी भी तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए किसी भी समय नकद में अधिकतम 3,000/- रुपये की आवश्यकता होगी।
 - भुगतान अधिमानतः चेक के माध्यम से किया जाएगा।

लेखांकन

6. निधि के अंतर्गत सभी व्ययों का लेखा किया जाएगा। अधिकारियों के बोर्ड द्वारा तिमाही में कम से कम एक बार खातों का ऑडिट किया जाएगा, जिसका विवरण स्टेशन कमांडर और LAOs/RAOs द्वारा दिया जाएगा।

7. निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (a) प्रभारी अधिकारी लोक निधि खाते द्वारा एक रोकड़ बही का रखरखाव किया जाएगा। किसी भी समय यह अधिकारी प्रभार पर कुल नकद राशि का हिसाब देने में सक्षम होना चाहिए जिसमें भुगतान किए गए वाउचर भी शामिल हो सकते हैं।
- (b) सार्वजनिक निधि के लिए एक बैंक खाता संयुक्त रूप से OIC पॉलीक्लिनिक और पॉलीक्लिनिक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के नाम से खोला जाएगा।

दवाओं की आकस्मिक खरीद

8. OIC/पॉलीक्लिनिक द्वारा सूचीबद्ध मेडिकल स्टोर्स से आवश्यक दवाओं की आकस्मिक खरीद की जाएगी। मरीजों को दवाएं दी जाएंगी। राजस्व मद के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर जमा किये गये बिलों को थाना मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। इन दवाओं का भुगतान सीधे पैनल में शामिल मेडिकल स्टोर को स्टेशन मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

अन्य व्यय

9. एम्बुलेंस के लिए FOL पर किया गया व्यय पैनल में शामिल पेट्रोल स्टेशनों के माध्यम से होगा। इस प्रकार उठाए गए बिलों को भुगतान करने वाले स्टेशन मुख्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। तथापि, पॉलीक्लिनिकों के पास उपलब्ध निधियों से आकस्मिक आवश्यकताएँ अवश्य होंगी। अन्य व्यय के तौर-तरीकों का विवरण भाग VI - राजस्व शीर्ष के अंतर्गत दिया गया है।

भाग IV - ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए वित्तीय प्रबंधन

प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के लिए निधि

1. प्रशासन के लिए पूंजी और राजस्व मद के तहत धन आवंटित किया जाएगा। इस धन का उपयोग केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना, रखरखाव और कामकाज के लिए किया जाएगा।
2. ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन/क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्यरत सेवारत कर्मिकों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान रक्षा सेवा अनुमान (DSE) बजट से किया जाएगा, जो वर्तमान में किए जा रहे हैं।

पूंजीगत व्यय

3. व्यय के उद्देश्य - पूंजीगत परिव्यय का उपयोग केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
4. प्रक्रिया- कमान मुख्यालय आवश्यक कार्यों की प्रकृति और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए, इसकी लागत को केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) को प्रोजेक्ट करेगा। केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) के लिए, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र/पश्चिमी कमान द्वारा इस पर काम किया जाएगा। ADG(FP) से धन आवंटित करने का अनुरोध किया जाएगा। निधियों को QMG के निपटान में रखा जाएगा, जो आगे क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के लिए निधियों का पुनः आवंटन करेगा।

5. निर्माण की प्रक्रिया ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के समान ही होगी। E-in-Cs शाखा द्वारा सभी जोनल मुख्य अभियंताओं को योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद MES विनियमों के तहत मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

6. **वित्तीय शक्तियां** QMG और मुख्यालय कमान/क्षेत्र/उप क्षेत्र की वर्तमान शक्तियों का विनियमों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

राजस्व व्यय

7. **व्यय की वस्तुएँ**। राजस्व मद का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा: -

- (i) परिवहन।
- (ii) मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य स्टोर।
- (iii) सूचना प्रौद्योगिकी।
- (iv) प्रचार सहित विविध और आकस्मिक व्यय।
- (v) राजस्व कार्य।

8. **आवंटन**- केन्द्रीय संगठन केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) तथा क्षेत्रीय केन्द्रों को राजस्व मदों के अन्तर्गत निधियों के आवंटन हेतु विस्तृत आवंटन योजना बनायेगा। निधियों का आवंटन करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

- (a) एक क्षेत्रीय केंद्र के तहत पॉलीक्लिनिक की संख्या, ईसीएचएस (ECHS) को संभालने वाले स्टेशन मुख्यालय और सेवा अस्पतालों (SEMO) की संख्या।
- (b) क्षेत्रीय केंद्र और स्टेशन मुख्यालय के नियंत्रण में सैन्य और गैर सैन्य स्टेशनों की संख्या।

9. **कार्यभार** विभिन्न व्यय मदों के लिए आवंटन विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाएगा जैसा कि पॉलीक्लिनिक के मामले में होता है।

केंद्रीय संगठन या क्षेत्रीय केंद्र में प्रबंधन के लिए प्रक्रिया।

10. अधिकृत व्यय उपरोक्त निधियों से किया जाएगा। अन्य सेवा प्रतिष्ठानों की तरह खरीद के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। हालांकि, केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन, एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर रक्षा मंत्रालय के पत्र 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 के परिशिष्ट में ईसीएचएस (ECHS) शीर्षक के तहत सूचीबद्ध वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं।

11. केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्र भी प्रचार पर खर्च करने के लिए अधिकृत हैं, जिसमें पुस्तकों का प्रकाशन, पैम्फलेट, पोस्टर, प्रचार सामग्री, वृत्तचित्र फिल्में, इंटरनेट होम पेज साइट का विकास और रखरखाव आदि शामिल हैं।

12. **वित्तीय शक्तियां**- केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए वित्तीय शक्तियां रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 में दी गई हैं। शक्ति जो कवर नहीं है, उपरोक्त रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या A/89591/FP-1/1974/2006/D(GS-1) dt 26 Jul 2006 द्वारा शासित होंगी।

भाग V - पूंजीगत व्यय

व्यय की वस्तुएं

1. व्यय के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिनके लिए पूंजीगत परिव्यय से व्यय किया जाएगा:-
भूमि का अधिग्रहण भवनों का निर्माण चिकित्सा उपकरणों की खरीद

विकास के लिए स्टेशनों की चरणबद्धता

2. केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा पैरा 3 के अनुसार 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की सूची तैयार की जाएगी। पॉलीक्लिनिक्स की सूची QMG को उपलब्ध कराई जाएगी।

फंडों का आवंटन

3. पूंजीगत परिव्यय के लिए निधियों को विभिन्न उप शीर्षों के अंतर्गत व्यय के लिए बजट अनुमानों के अनुसार QMG या DGAFMS के निपटान में रखा जाएगा।

भूमि की खरीद के लिए प्रक्रिया।

4. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए गैर सैन्य स्टेशनों में भूमि की खरीद की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

भवनों का निर्माण।

5. पॉलीक्लिनिक का निर्माण अधिकृत प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार होगा जैसा कि ऊपर पैरा 1 में कोट किये गए भारत सरकार के पत्र में उल्लेख किया गया है। जो निम्न हैं:-

टाइप A - 5000 वर्ग फुट

टाइप B - 4000 वर्ग फुट

टाइप C - 25000 वर्ग फुट

टाइप D - 2000 वर्ग फुट

6. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(4)/03/US(WE)/D(Res) dt 01 Aug 03 द्वारा मानक भवन योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

7. निधियों के आवंटन और ईसीएचएस (ECHS) भवनों/पॉलीक्लिनिकों के निर्माण की प्रक्रिया भारत सरकार के अलग से जारी पत्र के अनुसार होगी।

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

8. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।

बजट नियंत्रण

9. व्यय की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट और रिटर्न DGAFMS और मुख्यालय क्षेत्रीय कमानों द्वारा केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) और ADG(FP) को प्रस्तुत किया जाएगा। FR भाग I के पैरा 116 से 118 में निर्धारित निधियों के पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

भाग VI - राजस्व व्यय

व्यय की वस्तुएं

1. ईसीएचएस (ECHS) के लिए राजस्व व्यय में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगी:
वेतन और पारिश्रमिक।
परिवहन
स्टोर
सूचान प्रौद्योगिकी।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति और संबंधित व्यय।
राजस्व कार्य
विविध।

नियोजित/अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन/पारिश्रमिक

2. **प्रक्रिया** - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए चिकित्सा, पैरा-मेडिकल और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के संविदात्मक रोजगार की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।
3. पॉलीक्लिनिकों के लिए निम्नलिखित सेवाएं आउटसोर्स की जाएंगी, जिसके लिए स्टेशन कमांडरों को ठेका एजेंसियों के साथ करार करने के लिए अधिकृत किया गया है:-
संरक्षण।
गृह व्यवस्था।
वाहन संचालन और रखरखाव।
डेटा एंट्री और रिकॉर्ड रखरखाव।
4. स्टेशन मुख्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए हर महीने की 25 तारीख तक चेक* द्वारा भुगतान जारी करेगा।
5. पॉलीक्लिनिक स्टाफ को पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम दिन प्रभारी अधिकारी (O UC) पॉलीक्लिनिक द्वारा चेक के माध्यम से किया जाएगा। OI/C पॉलीक्लिनिक द्वारा 3 कॉपी में उठाए गए वेतन बिल सह छुटकारे रोल पर पॉलीक्लिनिक कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक के कर्मचारी पारिश्रमिक प्राप्त होने की रसीद पर हस्ताक्षर करेंगे। पारिश्रमिक बिल-सह-परिग्रहण सूची विधिवत पूर्ण, प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और निम्नानुसार निपटाई जाएगी: -
 - (a) **ओरिजनल** - OIC पॉलीक्लिनिक्स द्वारा अगले महीने के 5 वें कार्य दिवस तक स्टेशन मुख्यालय को अग्रेषित किया जाना है। स्टेशन मुख्यालय विभिन्न पॉलीक्लीनिकों से प्राप्त सभी वाउचरों को संकलित कर माह की 15 तारीख तक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को भेज देगा।
 - (b) **डुप्लीकेट** - स्टेशन मुख्यालय द्वारा बनाए रखा जाएगा (5 साल के लिए बनाए रखा जाएगा और CDA से मंजूरी प्राप्त होने के बाद नष्ट किया जाएगा)।
 - (c) **ट्रिप्लीकेट** - रिकॉर्ड उद्देश्य के लिए पॉलीक्लिनिक में बनाए रखा जाएगा। (5 साल तक बनाए रखा जाएगा और बाद में संबंधित CDA से NOC प्राप्त करने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।
6. आउटसोर्स सेवाओं के लिए अनुबंधित एजेंसियों को भुगतान स्टेशन कमांडर द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के भीतर चेक द्वारा किया जाएगा।

7. **आवंटन-** कर्मचारियों के वेतन के लिए निधियों का आवंटन मुख्यालय कमानों को केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा कॉमंडी मुख्यालय द्वारा अनुमानित अनुमानों के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद कमान संबंधित स्टेशन मुख्यालयों को वेतन और पारिश्रमिक के लिए धन आवंटित करेंगे।

(*NEFT भुगतान को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 द्वारा अधिकृत किया गया है)

8. **वित्तीय शक्तियाँ** - स्टेशन कमांडरों के पास पॉलीक्लिनिक कर्मचारियों को भुगतान करने, आउटसोर्स सेवाओं के लिए एजेंसियों के साथ अनुबंध करने और सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार इन एजेंसियों को भुगतान करने की शक्तियाँ होंगी।

परिवहन

कर्मचारियों की आवाजाही

9. प्रक्रिया

(a) **पॉलीक्लिनिक स्टाफ** - जब एक पॉलीक्लिनिक स्टाफ द्वारा विस्तृत किया जाएगा। तो स्टेशन मुख्यालय आधिकारिक कार्य के लिए किसी अन्य स्टेशन का दौरा करने के लिए, सशस्त्र बलों में समकक्ष वेतनमान के सेवा कर्मियों की पात्रता के अनुसार एकमात्र टीए स्वीकार्य होगा और किसी तरह के DA की स्वीकृति नहीं होगी।

पैरा 9 (a) रक्षा मंत्रालय ID संख्या 22D (09)/2014-we/d (Res) dt 19 Jun 2015 द्वारा संशोधित।

(b) **क्षेत्रीय केंद्र** - उप क्षेत्र/क्षेत्र/कमांड मुख्यालय जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय केंद्र कार्य कर रहा है, क्षेत्रीय केंद्र के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्टेशन पर कर्मियों की अस्थायी इयूटी को मंजूरी देने की शक्ति होगी। अगले सुपीरियर मुख्यालय, जैसे क्षेत्र या कमांड मुख्यालय में किसी भी कदम को संबंधित मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS), और इसके आदेशानुसार अन्य स्टेशनों/पॉलीक्लिनिकों में जाने की अनुमति एमडी ईसीएचएस (ECHS) द्वारा दी जाएगी।

(c) **केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)** - MD ईसीएचएस (ECHS) के पास केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के कर्मियों को अस्थायी इयूटी पर किसी भी क्षेत्रीय केंद्र या स्टेशन पर स्थानांतरित करने की शक्ति होगी जहां एक ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्थित है। MD ईसीएचएस (ECHS) के कदम को DG DC & W द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10. **वित्तीय शक्तियाँ-** ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्टाफ द्वारा किए जाने वाले कदमों का भुगतान स्टेशन कमांडर द्वारा किया जाएगा। सेवा अधिकारियों/ PBOR के संबंध में सभी दावों पर संबंधित सेवा मुख्यालयों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

स्टोर्स की गतिविधि

11. **प्रक्रिया** - आम तौर पर सभी स्टोर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को स्थान पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। AFMSDs की व्यवस्था के तहत पॉलीक्लिनिकों को दवाएं और उपभोग्य भंडार भेजे जाएंगे, जिसके लिए स्थानीय गठन कमांडर और DGAFMS को उपलब्ध शक्तियों का उपयोग किया जाएगा।

विदेश यात्रा

12. **प्रक्रिया** - विदेश यात्रा प्रशिक्षण/सम्मेलन यात्राओं के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का पालन करेगी। ईसीएचएस (ECHS) राजस्व निधि से ADG (FP) द्वारा निधियों का आवंटन उप-आवंटित किया जाएगा।

13. **वित्तीय शक्तियां-** मौजूदा वित्तीय शक्तियों के अनुसार।

मेडिकल स्टोर

दवाएं और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं

14. **प्रक्रिया** - दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद DGAFMS द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) सभी ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकों के संबंध में दवाओं और अन्य उपभोग्य मेडिकल स्टोर की वार्षिक मांगों को समेकित करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 Nov तक इसे DGAFMS को अग्रेषित करेगा। DGAFMS बजट के आवंटन के लिए ADG (FP) को सूचित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 Dec तक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के लिए बजट अनुमान अग्रेषित करेगा।

15. **वित्तीय शक्तियाँ** - DGAFMS के पास वर्तमान में उपलब्ध सभी शक्तियों का उपयोग DGAFMS, AFMSDs और CO सेवा अस्पतालों द्वारा दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए किया जाएगा।

चिकित्सकीय संसाधन

16 **प्रक्रिया** - पॉलीक्लिनिक के लिए आवश्यक सभी चिकित्सा उपकरण DGAFMS, AFMSDs द्वारा खरीदे जाएंगे। AFMS की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार इसकी मांग DGAFMS, AFMSD को पेश की जाएगी।

17. **वित्तीय शक्तियां-** मौजूदा वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जाएगा।

स्टोर को हानि या क्षति

18. **प्रक्रियाएं** - स्टोर को किसी भी तरह की हानि या क्षति के मामले में, रक्षा सेवाओं में वर्तमान प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

मरम्मत/रखरखाव और वार्षिक अनुबंध

19. **प्रक्रियाएं:-** चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया सेवा अस्पतालों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंधों को फॉर्मेशन मुख्यालयों/ DGAFMS में संबद्ध सेवा अस्पतालों/मध्यस्थ चिकित्सा प्राधिकारियों के कमांडिंग अधिकारियों के साथ उपलब्ध शक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

20. **वित्तीय शक्तियां** - सेवा अस्पतालों, AFMSD (ATEO और TEO), EME कार्यशालाओं, DDs MS क्षेत्र/कमांड और DGAFMS के कमांडिंग अधिकारियों के मौजूदा प्रतिनिधिमंडल के अनुसार।

दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद

21. **प्रक्रियाएं** - सेवा अस्पतालों के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में अनुमोदित LP प्रक्रिया के अनुसार संबद्ध कमांडेंट / CO अस्पतालों द्वारा दवाओं की स्थानीय खरीद की जाएगी। वर्तमान वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। पॉलीक्लिनिकों के लिए उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद के लिए बजट अनुमान मुख्यालय कमानों में संकलित किए जाएंगे, और हर साल 30 Nov तक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित किए जाएंगे। मुख्यालय कमान को प्रस्तुत करने से पहले इन अनुमानों की क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) द्वारा जांच की जाएगी। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) इस उद्देश्य के लिए धन आवंटित करेगा और आवंटन के लिए तदनुसार ADG (FP) को सूचित करेगा।

22. संबद्ध सेवा अस्पताल के साथ उन स्टेशनों की सूची जहां पॉलीक्लिनिक स्थित हैं, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा CGDA को उपलब्ध कराया जाएगा। सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के कमांडेंट को महंगी सर्जरी/प्रक्रियाओं के लिए दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा, जिसके लिए अस्पतालों को ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

23. **वित्तीय शक्तियाँ** - भारत सरकार के पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D(GS-I) की अनुसूची XII (c) द्वारा प्रत्यायोजित सेवा अस्पतालों के कमांडेंट / कमांडिंग अधिकारियों की वित्तीय शक्तियाँ और अन्य शक्तियों का dt 22 Apr 2002 से उपयोग किया जाएगा।

गैर-चिकित्सा स्टोर

कपड़े

24. **प्रक्रिया** - कपड़ों की वस्तुएं जैसे एप्रन, मास्क, टोपी, दस्ताने, चादरें, गद्दे, कंबल आदि विविध और आकस्मिक व्यय का हिस्सा होंगे। स्टेशन कमांडर द्वारा स्थानीय खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए शक्तियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाएगा।

के लिए

25. **प्रक्रिया** - स्टेशन कमांडर ASC आपूर्ति डिपो/यूनिट पेट्रोल पॉइंट सहित पेट्रोल पंपों को सूचीबद्ध करेगा, जहां भी यह सैन्य और गैर-सैन्य स्टेशनों में लागू होगा। इन पेट्रोल पंपों से ईसीएचएस (ECHS) के सभी वाहनों के लिए FOL लिया जाएगा। प्रत्येक वाहन के लिए निकाले गए FOL को कार डायरी में दर्ज किया जाएगा। अधिकृत वार्षिक माइलेज सैन्य वाहनों के लिए मौजूदा पैमानों के अनुसार होगा। पेट्रोल पंप ईसीएचएस (ECHS) के पक्ष में बिल पेश करेंगे। प्रत्येक माह के अंत में, पेट्रोल पंप के बिलों के साथ आकस्मिक बिल, प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, भुगतान के लिए स्टेशन मुख्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। इसके लिए चेक सीधे पेट्रोल पंप को जारी किए जाएंगे।

26. **वित्तीय शक्तियाँ** - स्टेशन कमांडर भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-1/1974/2006/D(GS-1) dt 26 Jul 2006 के अनुसार। के तहत अधिकृत CFA शक्तियों के मौजूदा प्रतिनिधिमंडल के अनुसार भुगतान करने के लिए अधिकृत है।

दफ्तर के उपकरण

27. **प्रक्रियाएँ** - कार्यालय उपकरण स्टेशन कमांडर या सक्षम उच्च अधिकारी के अनुमोदन पर खरीदे जा सकते हैं।

28. **वित्तीय शक्तियाँ** - वित्तीय शक्ति भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-1/1974/2006/D(GS-1) dt 26 Jul 2006 की अनुसूची-I के अनुसार होगी।

फर्नीचर

29. **प्रक्रिया-** पॉलीक्लिनिक के लिए फर्नीचर केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा निर्धारित पैमानों के अनुसार MES द्वारा खरीदा जाएगा। इसके लिए फंड स्टेशन कमांडरों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। MES द्वारा खरीद की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

AMC सहित गैर-चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव

30. **प्रक्रिया-** AMC सहित सभी कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके और स्टेशन कमांडर/CFA के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। रखरखाव के लिए खर्च वार्षिक रखरखाव अनुबंध और विविध और आकस्मिक व्यय द्वारा स्थानीय मरम्मत के माध्यम से किया जाएगा। फर्नीचर की मरम्मत भी इसी प्रक्रिया से की जाएगी। वाहन मरम्मत के लिए अधिकृत सेवा एजेंसी, यदि कोई हो, को सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि अधिकृत एजेंसी स्टेशन पर मौजूद नहीं है, तो एक प्रतिष्ठित गैरेज को सूचीबद्ध किया जाएगा।

एम्बुलेंस, वाहन, चालक और वाहन पंजीकरण का बीमा

31. **प्रक्रिया।** एम्बुलेंस, वाहन, चालकों का बीमा और वाहनों के पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्टेशन कमांडर द्वारा अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत चेक द्वारा किया जाएगा।

स्टोर को हानि या क्षति

32. **प्रक्रिया-** मौजूदा प्रतिनिधिमंडल के तहत सेना के लिए लागू वित्तीय विनियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं / निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टोर के नुकसान या क्षति से निपटा जाएगा।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और संबंधित व्यय

33. **प्रक्रिया -** चिकित्सा प्रतिपूर्ति और संबंधित खर्चों को सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

34. अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर या कंसल्टेंट्स द्वारा बिल और संबंधित दस्तावेज उस पॉलीक्लिनिक में जमा किए जाएंगे जहां से मरीज को रेफर किया गया था। प्रभारी अधिकारी (OIC) पॉलीक्लिनिक बिलों को प्रमाणित करेगा और संबंधित वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी (SEMO)/प्रधान चिकित्सा अधिकारी (PMO)/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) को जांच के लिए भेजेगा और भुगतान के लिए स्टेशन मुख्यालय को भेजेगा। भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा और पोस्ट-ऑडिट के अधीन होगा।

35. यदि बिल की राशि स्टेशन कमांडर की वित्तीय सीमा से अधिक है, तो उसे CFA स्वीकृति और वापसी के लिए कमांड की श्रृंखला के साथ अग्रेषित किया जाएगा। CFA द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद, स्टेशन मुख्यालय आवश्यक भुगतान करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अस्पतालों और ईसीएचएस (ECHS) के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए सभी बिलों को 60 दिनों (या समझौते में उल्लिखित) के भीतर मंजूरी दे दी जाए।

36. कुछ सर्जरी/प्रक्रियाएं जैसे. हृदयसंबंधी सर्जरी/ इंटरवेंशन, रीनल ट्रांसप्लांट/डायलिसिस, कैंसर सर्जरी/रेडियो/कीमोथेरेपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वगैरह के लिए महंगी दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जब इस तरह की प्रक्रियाएं सुपर-स्पेशियलिटी सेवा अस्पतालों में की जाती हैं, तो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स/विशेषज्ञों से रेफरल पर, ऐसे अस्पतालों के कमांडेंटों को किए जाने वाले अतिरिक्त स्थानीय खरीद आवंटन से खर्च को पूरा किया जाएगा।

37. ईसीएचएस (ECHS) के लिए अलग से चिकित्सा प्रतिपूर्ति और भुगतान प्रक्रियाओं में निर्धारित भुगतान के लिए अधिकृत के रूप में रोगियों के यात्रा व्यय को विनियमित किया जाएगा।

वित्तीय शक्तियां

38. दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए, DGAFMS, AFMSD और कमांडेंट/ कमांडिंग ऑफिसर सर्विस हॉस्पिटल की शक्तियों का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-I/693/2002/D/(GS-1) dt 22 Apr 2002 के पैरा XII(c) द्वारा प्रत्यायोजित के रूप में किया जाएगा

सूचान प्रौद्योगिकी

39. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए IT मदों की खरीद, मरम्मत और रखरखाव FR में निर्धारित स्थानीय खरीद प्रक्रिया के अनुसार होगा। भाग VII वित्तीय शक्तियों, उप शीर्ष D (सूचना प्रौद्योगिकी) में सूचीबद्ध प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उपयोग ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए किया जाएगा।

40. ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए आईटी मदों पर व्यय वर्तमान प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार होगा जैसा कि भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-1/1974/2006/D(GS-1) दिनांकित 26 Jul 2006 अनुसूची XIX में दिया गया है। हालाँकि, कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 के तहत की जाएगी।

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26.3 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/WE/D(Res) dt 31 Jul 2019 के माध्यम से प्राप्त)।

विविध और आकस्मिक व्यय

41. **प्रक्रियाएं** - प्रक्रियाएं भारतीय सेना की इकाइयों के अनुसार ही होंगी। साथ ही लिनन, बिस्तर और कपड़े (पॉलीक्लिनिक के लिए) की धुलाई, अंत्येष्टि खर्च, क्षेत्र के रख-रखाव पर होने वाले खर्च को अधिकृत किया जाएगा।

भाग VII - व्यय का उद्देश्य। वित्तीय शक्तियों के लिए धन और अधिकार का आवंटन

उप शीर्ष	व्यय की वस्तुएं	को निधि आवंटन		वित्तीय शक्तियों के लिए अधिकार
		अन्य	ईसीएचएस (ECHS)	
A	नियोजित/अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन/पारिश्रमिक			
	1. अधिकारी	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD पत्र संख्या 24(3)/US(WE)/D(Res) (i) dt 08 Sep 2003 द्वारा
	2. अन्य	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	3. ओवरटाइम भत्ता	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	4. अनुबंधित को भुगतान	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
B	परिवहन			
	1. कर्मचारियों को आने जाने	कमान / स्टेशन मुख्यालय		हकदार के रूप में
	2. सामानों को लाने ले जाने	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	a) भारत सरकार पत्र संख्या अनुसूची A/89591/FP-11 693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 02 XXII-नागरिक परिवहन की भर्ती। b) c) ईसीएचएस (ECHS) संगठन MOD के लिए पत्र संख्या 24(3)/US(WE)/ D(Res) (i) dt 08 Sep द्वारा
	3. विदेश आने जाने		CO ईसीएचएस (ECHS)	सेना की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार
C	स्टोर			
	1. मेडिकल स्टोर			
	a) चिकित्सा उपकरण	DGAFMS		a) भारत सरकार का पत्र संख्या A/89591/FP- 1/693/2002 ID(GS-I) dt 22 Apr 02 द्वारा अनुसूची XII और XIII और कोई अन्य शक्तियाँ, जो DGAFMS, AFMS या AFMS के लिए अन्य खरीद एजेंसियों को अधिकृत की जा सकती हैं
	b) दवाएं और	DGAFMS		
	c) विशेष दवाओं की खरीद	कमान / स्टेशन मुख्यालय और DGAFMS		
	d) मेडिकल स्टोर को नुकसान या क्षति	कमान / स्टेशन मुख्यालय		भारत सरकार का पत्र संख्या A/89591/FP- 1/693/2002 ID(GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची VI
	e) वार्षिक रखरखाव अनुबंध	DGAFMS/ CO हॉस्पिटल		DGAFMS, AFMSDs या कमांडेंट/CO अस्पतालों को अधिकृत शक्तियां।

उप शीर्ष	व्यय की वस्तुएं	को निधि आवंटन		वित्तीय शक्तियों के लिए अधिकार
		अन्य	ईसीएचएस (ECHS)	
	f) चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	DGA FM SIEME		चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत के लिए AFMSD, DGA FMS, EME पदाधिकारियों को अधिकृत शक्तियां।
	g) दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद	DGA FMS/ CO हॉस्पिटल		DGA FMS, AFMSDs और कमांडेंट /CO अस्पतालों को अधिकृत के रूप में
	h) दवाओं की आकस्मिक खरीद	कमान स्टेशन मुख्यालय		दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद पर प्रक्रिया द्वारा अधिकृत के रूप में
2.	अन्य सामान			
	a) कपड़े	कमान/ स्टेशन मुख्यालय		भारत सरकार का पत्र संख्या A/89591/FP- 1/693/2002/D(GS-1) dt 22 Apr 02। अनुसूची I. प्रत्येक ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए विविध और आकस्मिक व्यय अनुदान
	b) वाहन जनरेटर, एयर कंडीशनर की खरीद	कमान / स्टेशन मुख्यालय		एयर कंडीशनर के लिए परिभाषित MGO की शक्तियां- MES की शक्तियां परिभाषित के रूप में
	c) FOL	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	a) भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-11 693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची I. प्रत्येक ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए विविध और आकस्मिक व्यय अनुदान के तहत स्टेशन कमांडर को शक्तियां। b) ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए
	d) दफ्तर के उपकरण	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	a) भारत सरकार के पत्र संख्या 89591/FP-I/ 693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची I. विविध और आकस्मिक व्यय के माध्यम से स्टेशन कमांडर को शक्तियां b) ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए
	e) पॉलीक्लिनिक्स का फर्नीचर	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MES विनियमन में परिभाषित MES की शक्तियां।

भाग VII - वित्तीय शक्तियाँ (जारी)

क्रमांक	व्यय की वस्तुएं	को निधि आवंटन		वित्तीय शक्तियों के लिए अधिकार
		अन्य	ईसीएचएस (ECHS)	
	1. गैर चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	भारत सरकार के पत्र संख्या N8959I/FP-II 693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 02 के संयोजन के साथ पढ़े गए FR के तहत स्टेशन कमांडर की शक्तियां प्रत्येक ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक और अनुसूची XII के लिए अनुसूची I विविध और आकस्मिक व्यय अनुदान का उपयोग किया जाएगा ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए
	2. गैर चिकित्सा उपकरणों के लिए AMC	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	-do-
	(ज) पॉलीक्लिनिक स्टाफ के लिए चिकित्सा वस्त्र	कमान / स्टेशन मुख्यालय		As for Ser 2 (a)
	(जे) ईसीएचएस (ECHS) स्टोर को नुकसान या क्षति	कमान / स्टेशन मुख्यालय		भारत सरकार का पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D(GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची VI- अधिकृत के रूप में
D	सूचना प्रौद्योगिकी			
	1. हार्डवेयर	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 द्वारा।
	2. सॉफ्टवेयर	कमान / स्टेशन मुख्यालय		-do-
	3. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का रखरखाव/AMC	कमान / स्टेशन मुख्यालय		-do-
	4. कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	-do-
	5. IT ट्रेनिंग	ADG(IT)		मौजूदा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार

E	चिकित्सा रिम्बर्समेन्ट और संबंधित खर्च			
	a) पैनलबद्ध संस्थान/परामर्शदाताओं को भुगतान	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 द्वारा।
	b) चिकित्सा अग्रिम	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	c) आपात स्थिति में मरीजों को रिम्बर्समेन्ट	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	d) चिकित्सा आराम	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	e) यात्रा व्यय	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	f) ऑर्थो उपकरण	कमान / स्टेशन मुख्यालय & DGAFMS		भारत सरकार का पत्र संख्या N89591/FP- I/693/2002/D (GS-1) dt 22 Apr 02। अनुसूची XII अनुभाग C-Ser संख्या 59. कमांडेंट/CO अस्पताल और अधिकृत के रूप में कोई अन्य शक्तियां।
	g) सर्जिकल और अन्य प्रत्यारोपण	कमान / स्टेशन मुख्यालय & DGAFMS		-do-
	h) विशेष उपभोग्य वस्तुएं	कमान / स्टेशन मुख्यालय & DGAFMS		-do-

भाग VII - वित्तीय शक्तियाँ (जारी)

उप शीर्ष	व्यय की वस्तुएं	दूसरों को धन आवंटन	ईसीएचएस (ECHS)	वित्तीय शक्तियों के लिए अधिकार
F	विविध			
	a) विभागीय व्यय सम्मेलन एवं अनुमानित व्यय		CO ईसीएचएस (ECHS)	
	b) पॉलीक्लिनिक के लिए वाहन चालकों का बीमा	कमान / स्टेशन मुख्यालय		a) भारत सरकार का पत्र संख्या N89591/FP-I/693/ 2002/D (GS-1) dt 22 Apr 02 अनुसूची 1 खंड I विविध और आकस्मिक व्यय। b) ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए।
	c) अनुबंधों के लिए विज्ञापन और खर्च	कमान / स्टेशन मुख्यालय		
	d) एम्बुलेंस, वाहनों का बीमा और वाहन पंजीकरण के लिए भुगतान	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	
	e) MACT दावे	कमान / स्टेशन मुख्यालय		भारत सरकार पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D (GS-1) dt 22 Apr 02 अनुसूची XXII
	f) स्टेशनरी	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	भारत सरकार पत्र संख्या N89591/एफपी-एल/693/2002/डी (जीएस-1) dt 22 Apr 02 अनुसूची I खंड I विविध और आकस्मिक व्यय। ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए।
	g) स्टेशनरी और चिकित्सा प्रपत्रों की छपाई	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	
	h) सर्विस लेबल (टिकट), आधिकारिक डाक, टेलीग्राम टेलेक्स, i) स्पीड पोस्ट और पंजीकरण शुल्क	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	भारत सरकार का पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D (GS-1) dt 22 Apr 02 अनुसूची 1 खंड I विविध और आकस्मिक (बी) ईसीएचएस संगठन के लिए।
	j) टेलीफोन बिल, फैक्स और इंटरनेट की स्थापना और भुगतान।	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	कार्यालय उपकरण के तहत अधिकृत के रूप में।
	k) कानूनी मुकदमा / मेडिको कानूनी मामलों की लागत	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	कार्यालय उपकरण के तहत अधिकृत के रूप में।
	l) कर्मचारियों के लिए फोटोग्राफ और पहचान पत्र की लागत	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	भारत सरकार का पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D (GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची 1 खंड I विविध और आकस्मिक व्यय।
	m) वार्षिक आकस्मिक अनुदान	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	जैसा कि सरकार के पत्र द्वारा अधिकृत है।

G	विविध			
	n) वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	(a) सरकार के पत्र द्वारा अधिकृत के रूप में। (b) (c) ईसीएचएस (ECHS) के लिए
	o) गर्म मौसम / ठंड के मौसम के उपकरणों का स्थापना शुल्क	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	FR को भारत सरकार के पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D (GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची 1 खंड 1 विविध और आकस्मिक व्यय के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा
				ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए।
	p) पॉलीक्लिनिक लिनन, बिस्तर और मरीजों के कपड़ों की धुलाई	कमान / स्टेशन मुख्यालय		FR को भारत सरकार के पत्र संख्या N89591/FP-I/693/2002/D (GS-I) dt 22 Apr 02 अनुसूची 1 खंड 1 विविध और आकस्मिक व्यय के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा।
	q) अंतिम संस्कार का खर्च	कमान / स्टेशन मुख्यालय कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	FR को भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-11 693/2002/D (GS-1) dt 22 Apr 02। अनुसूची I खंड 1 विविध और आकस्मिक व्यय के संयोजन में पढ़ा जाएगा
	r) बागवानी और क्षेत्र का रखरखाव	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	a) FR भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-I/693/2002/ D (GS-1) dt 22 Apr 02 के संयोजन के साथ पढ़ा जाएगा अनुसूची I खंड I विविध और आकस्मिक व्यय। b) ईसीएचएस (ECHS) संगठन के लिए।
	c) प्रचार	कमान / स्टेशन मुख्यालय	CO ईसीएचएस (ECHS)	(a) (ए) एफआर को भारत सरकार के पत्र संख्या A/89591/FP-I/693/2002/ D (GS-1) dt 22 Apr 02 के साथ पढ़ा जाता है। अनुसूची XXI प्रचार। (b) (बी) ईसीएचएस संगठन के लिए।

भाग VII - वित्तीय शक्तियाँ (जारी)

उप शीर्ष		के उद्देश्य	को निधि आवंटन		वित्तीय शक्तियों के लिए अधिकार
			अन्य	ईसीएचएस (ECHS)	
H		राजस्व कार्य			
		a) मामूली कार्य	कमान / स्टेशन मुख्यालय		जैसा कि विनियमन में MES के लिए अधिकृत है।
		b) विशेष कार्य	कमान / स्टेशन मुख्यालय		-do-
		c) विशेष मरम्मत	कमान / स्टेशन मुख्यालय		-do-
		d) आपातकालीन मरम्मत	कमान / स्टेशन मुख्यालय		-do-
		e) भवनों को किराए पर लेना	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE)/D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
		f) संपत्ति कर	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
		g) पानी और बिजली शुल्क	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
		h) भवनों का रखरखाव	कमान / स्टेशन मुख्यालय		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
	पूंजी				
	1.	भूमि की खरीद	QMG		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
	2.	भवनों का निर्माण	QMG		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res)(i) dt 08 Sep 2003 के द्वारा।
	3.	चिकित्सा उपकरणों की खरीद	DGAFMS		MOD के पत्र संख्या 24(3)/US(WE) /D (Res) (i) dt 08. द्वारा

(* भारत सरकार के आदेश संख्या 8/4/2018-O2P dt 25 Jul 2019 के तहत शामिल ईसीएचएस (ECHS) के लिए DFPDS 2016 के ASP में अनुसूची 26 के तहत संशोधित, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25 (03)/2017/WE/D(Res) dt 31 Jul 2019 के माध्यम से प्राप्त।)

नए लघु शीर्षों के तहत प्रस्तावित उप/उप उप शीर्ष

राजस्व व्यय (मुख्य शीर्ष 2076)

लघु शीर्ष (आवंटित किया जाना है)

उप शीर्ष**A. नियोजित/अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन और पारिश्रमिक**

1. अधिकारी।
2. अन्य।
3. मानदेय/प्रोत्साहन।
4. अनुबंधित एजेंसी को भुगतान।

B. परिवहन

1. कर्मचारियों को आने जाने
2. सामानों को लाने ले जाने
3. विदेश आने जाने

C. स्टोर

1. मेडिकल स्टोर
2. अन्य स्टोर।

D. सूचना प्रौद्योगिकी

1. हार्डवेयर।
2. सॉफ्टवेयर।
3. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का रखरखाव/ AMC
4. कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं।
5. पॉलीक्लिनिक स्टाफ और सेवा कर्मियों का IT प्रशिक्षण।

E. चिकित्सा प्रतिपूर्ति और उपचार संबंधी व्यय**F. विविध****G. राजस्व कार्य**

पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष 4076)

लघु शीर्ष (आवंटित किया जाना है)

1. भूमि की खरीद।
2. भवनों का निर्माण।
3. चिकित्सा उपकरणों की खरीद

रसीद और वसूली (मुख्य शीर्ष 0076) लघु शीर्ष (आवंटित किया जाना है)**प्राप्तियां**

- (a) ईसीएचएस (ECHS) योगदान। ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य बनने के लिए भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया योगदान
- (b) ईसीएचएस (ECHS) स्टोर/उपकरणों की नीलामी से प्राप्तियां
- (c) विविध प्राप्तियां

नोट:- इस सार-संग्रह के पृष्ठ 81 पर दिए गए अनुसार शुद्धि पर्ची संख्या (CS) 88/04 द्वारा आवंटित कोड शीर्ष।

परिशिष्ट 'B'

विभिन्न मदों के तहत अधिकारियों को फंड का आवंटन

(हाइलाइट किए गए सेल जिनमें Y इंगित करता है कि आवंटन दिया गया है)

सब हेड

	सब सब हेड	व्यय की वस्तु	को बजट आवंटन					
			राजस्व मद	Comds	DGAFMS	QMG	MGO	ईसीएचएस (ECHS)
A	वेतन/पारिश्रमिक नियोजित/अनुबंधित कर्मचारी							
	1	अधिकारी	y					
	2	अन्य	y					
	3	मानदेय/प्रोत्साहन	y					
	4	अनुबंधित को भुगतान	y					
B	परिवहन							
	1	कर्मचारियों को आने जाने	y					
	2	सामानों को लाने ले जाने	y	y				
	3	विदेश आने जाने						
C	स्टोर							
	1	मेडिकल स्टोर						
		a) चिकित्सा उपकरण		y				
		b) ड्रग्स और		y				
		c) (विशेष की खरीद		y				
		d) वार्षिक रखरखाव		y				
		e) चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	y	y				
		f) स्थानीय खरीद		y				
		g) की आकस्मिक खरीद	y					
D	सामान							
	2	अन्य सामान						
		a) कपड़े	y					
		b) वाहन जनरेटर, एयर कंडीशनर	y			y		

		की खरीद						
		c) एफओएल	y					
		d) कार्यालय उपकरण	y					
		e) फर्नीचर के लिए	y		y			
		f) गैर का रखरखाव	y					
		g) गैर चिकित्सा के लिए AMC	y					
		h) पॉलीक्लिनिक स्टाफ के लिए चिकित्सा वस्त्र	y					
E	सूचना प्रौद्योगिकी							
	1.	हार्डवेयर						
	2.	सॉफ्टवेयर						
	3.	हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का रखरखाव/AMC						
	4.	कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं					y	
	5.	IT प्रशिक्षण						
F	चिकित्सा रिम्बर्समेंट और उपचार संबंधी व्यय							
		a) पैनल में शामिल को भुगतान	y					
		b) चिकित्सा अग्रिम	y					
		c) आपात स्थिति में मरीजों को रिम्बर्समेंट	y					
		d) चिकित्सा आराम	y					
		e) यात्रा व्यय	y					
		f) ऑर्थो उपकरण	y	y				
		g) सर्जिकल और अन्य प्रत्यारोपण	y	y				
		h) विशेष उपभोग्य वस्तुएं	y	y				
G	विविध							
		a) विभागीय सम्मेलन और					y	
		b) पॉलीक्लिनिक के लिए वाहन चालकों का बीमा	y					
		c) w अनुबंधों के लिए विज्ञापन और व्यय	y					
		d) एम्बुलेंस, वाहनों का बीमा	y				y	
		e) MACT दावा	y					
		f) स्टेशनरी	y				y	
		g) स्टेशनरी और चिकित्सा प्रपत्रों की छपाई	y				y	

		h) सर्विस लेबल (टिकट), आधिकारिक पोस्ट	y				y	
		i) टेलीफोन की स्थापना और भुगतान	y				y	
(H)	कानूनी सूट/मेडिको लीगल की कीमत							
		l) फोटोग्राफ और पहचान पत्र की लागत	y				y	
		m) वार्षिक आकस्मिकता	y				y	
		n) वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान	y				y	
		o) पुस्तकालय अनुदान					y	
		p) गर्म मौसम/ठंडा मौसम उपकरण	y				y	
		q) पॉलीक्लिनिक लिनन की धुलाई,	y				y	
		r) अंतिम संस्कार व्यय	y					
		s) बागवानी और क्षेत्र का रखरखाव	y				y	
		t) प्रचार	y				y	
		u) ईसीएचएस (ECHS) के लिए अन्य आकस्मिक व्यय	y				y	
(I)	राजस्व कार्य							
		a) मामूली काम	y					
		b) विशेष कार्य	y					
		c) विशेष मरम्मत	y					
		d) आपातकालीन मरम्मत	y					
		e) भवन का किराया	y					
		f) संपत्ति कर	y				y	
		g) पानी और बिजली शुल्क	y				y	
		h) भवनों का रखरखाव	y					
(J)	पूँजी बध BADH							
		भूमि की खरीद			y			
		भवनों का निर्माण			y			
		चिकित्सा उपकरणों की खरीद		y				

परिशिष्ट 'C'

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में व्यय की वस्तुएं		
उप मद	उप उप मद	व्यय की वस्तुएं
राजस्व मद		
D	स्टोर	
	1	मेडिकल स्टोर
		चिकित्सा उपकरणों की मामूली मरम्मत
	2	अन्य स्टोर
		FOL की आकस्मिक खरीद
		गैर चिकित्सा उपकरणों की मामूली मरम्मत
G	विविध	
		लेखन सामग्री
		स्टेशनरी और चिकित्सा प्रपत्रों की छपाई
		सेवा लेबल (टिकट), आधिकारिक डाक, टेलीग्राम/टेलीक्स, स्पीड पोस्ट और पंजीकरण शुल्क
		वार्षिक आकस्मिक अनुदान
		गर्म मौसम/ठंडा मौसम उपकरण स्थापना शुल्क
		पॉलीक्लिनिक लिनेन, बिस्तरों और मरीजों के बैठने की जगह की धुलाई
		अंतिम संस्कार का खर्च
		बागवानी और क्षेत्र का रखरखाव
		ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अन्य छोटे व्यय
H	राजस्व कार्य	
		पानी और बिजली शुल्क
		भवनों का रखरखाव

हैंड बुक डिफेन्स सर्विस रिसीप्ट का वर्गीकरण और प्रभारों में संशोधन 1992 (संस्करण)

C.S संख्या 1 16/2007

पृष्ठ 75

मेजर हेड: 2076 - रक्षा सेवाएं - सेना

माइनर हेड: 107 - एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) सब हेड: A से H

सब हेड A से H का पुनः निर्माण (C.S. संख्या 88/2004 के माध्यम से डाला गया और इस कार्यालय पत्र dt 23 Feb 05 और C.S. संख्या 105/2006 के द्वारा संशोधित) निम्नानुसार है:

सब हेड A - नियोजित/अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

1. अधिकारी 361/1
2. पैरा मेडिकल स्टाफ 361/2
3. ओवरटाइम भत्ता 361/3
4. गैर चिकित्सा कर्मचारी 361/4

सब हेड B - परिवहन

1. कर्मचारियों को आने जाने 362/1
2. सामानों को लाने ले जाने 362/2
3. विदेश आने जाने 362/3

सब हेड C - स्टोर

1. मेडिकल स्टोर 363/1	1. चिकित्सा उपकरण
2. दवाओं, ड्रग्स और उपभोग्य सामग्रियों की थोक, स्थानीय और आकस्मिक खरीद	
3. विशेष औषधियों की खरीद	
4. AMC सहित चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव	
5. कृत्रिम अंग आदि।	
6. सर्जिकल और अन्य प्रत्यारोपण, श्रवण यंत्र इंद्रा-ओकुलर लेंस, कर्णावत प्रत्यारोपण, संयुक्त प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण आदि।	
7. कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, रीनल डायलिसिस और सर्जरी आदि के लिए विशेष उपभोग्य वस्तुएं और प्रत्यारोपण।	

1. अन्य स्टोर 363/2	1. वस्त्र आइटम
2. एफओएल FOL	
3. गैर-चिकित्सा स्टोर और उपकरण	
4. एएमसी सहित मरम्मत और रखरखाव	
5. खरीद पर व्यय, जिसका मूल्य 10 लाख से कम है, प्रत्येक का जीवनकाल 7 वर्ष से कम है, इस शीर्ष में संकलित किया जाना है।	

1. फर्नीचर और एयर कंडीशनर 363/3	1. फर्नीचर और एयर कंडीशनर की खरीद पर व्यय
2. AMC सहित फर्नीचर और एयर कंडीशनर की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	
4. वाहन और जनरेटर 363/04	1. वाहन और जनरेटर की खरीद पर व्यय
5. AMC सहित वाहनों एवं जनरेटरों की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय।	

सब हेड D - सूचना प्रौद्योगिकी

(a) हार्डवेयर

I. स्थानीय खरीद 364/01	1. कंप्यूटर और कनेक्टेड स्टोर की खरीद पर व्यय
II. केन्द्रीय क्रय 364/02	2. इस मद में 7 वर्ष से कम आयु के साथ 10 लाख रुपये से कम की लागत का व्यय संकलित किया जाएगा।

(b) रखरखाव

I. स्थानीय खरीद 364/03	1. सॉफ्टवेयर की खरीद पर खर्च की पूर्ति करता है
II. केन्द्रीय खरीद 364/04	2. 10 लाख रुपये से कम की लागत और 7 साल से कम की अनुमानित जीवन अवधि इस मद में संकलित की जाएगी।

(c) रखरखाव

I. स्थानीय खरीद 364/05	1. पर व्यय की पूर्ति करता है
II. केन्द्रीय खरीद 364/06	2. AMC सहित कंप्यूटर आदि का रखरखाव।

(d) कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं

I. स्थानीय खरीद 364/07	1. पर व्यय की पूर्ति करता है
II. केन्द्रीय खरीद 364/08	2. कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद

(e) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

I. स्थानीय खरीद 364/09	1. सूचना पर व्यय की पूर्ति करता है
II. केन्द्रीय खरीद 364/10	2. प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

सब हेड E - चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय

365/00

1. पैनल में शामिल अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर और अन्य सूचीबद्ध सुविधाओं का भुगतान।
2. मध्यवर्ती अग्रिम।
3. आकस्मिक उपचार के लिए रोगियों को प्रतिपूर्ति।
4. रोगियों के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों की खरीद।
5. भूतपूर्व सैनिकों के रोगियों को चिकित्सा सुविधा।
6. रोगियों और परिचारकों के लिए यात्रा व्यय।

सब हेड F - विविध

366/00

1. स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं।
2. स्टेशनरी की स्थानीय छपाई।
3. सर्विस लेबल (टिकट), आधिकारिक डाक, टेलीग्राम / टेलेक्स, स्पीड पोस्ट और पंजीकरण शुल्क।
4. टेलीफोन बिल/फैक्स और इंटरनेट की स्थापना और भुगतान।
5. कानूनी वादों/मेडिकोलेगल मामलों की लागत।

6. पॉलीक्लिनिक कर्मचारियों को फोटोग्राफ और पहचान पत्र की लागत।
7. वार्षिक आकस्मिकता अनुदान।
8. पुस्तकालय की किताबें।
9. गर्म मौसम / ठंड के मौसम के उपकरण स्थापना शुल्क।
10. पॉलीक्लिनिक लिनेन, बिस्तर और रोगी के कपड़ों की धुलाई।
11. पॉलीक्लिनिक में रहते हुए मृत्यु के संबंध में अंतिम संस्कार का खर्च (इस्तेमाल किए गए लिनेन तक सीमित, शरीर का संरक्षण और मुर्दाघर शुल्क)।
12. बागवानी और क्षेत्र का रखरखाव।
13. स्थापना के लिए अन्य व्यय जो किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं।
14. पॉलीक्लिनिक के वाहन चालकों का बीमा।
15. AMC सहित कार्यालय उपकरण और कार्यालय उपकरण का रखरखाव।
16. एम्बुलेंस, वाहनों का बीमा और वाहन पंजीकरण और अन्य स्थानीय शुल्क का भुगतान।
17. MACT का दावा।
18. विभागीय सम्मेलन और संबंधित व्यय।
19. व्यय सहित प्रचार।
20. उपकरणों की स्थापना / स्थापना को छोड़कर।
21. वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान।

सब हेड G - राजस्व कार्य

367/00

1. लघु-कार्य
2. विशेष कार्य।
3. विशेष मरम्मत।
4. आपातकालीन मरम्मत।
5. भवनों को किराए पर लेना।
6. संपत्ति कर।
7. पानी और बिजली शुल्क।
8. भवनों का रखरखाव।

(2007-08 से प्रभावी)

अधिकार

रक्षा मंत्रालय (वित्त/बजट) UO No. 875/B-I/07 dt 25-05-2007 DGADS UO No. 54/AA-16/2006-07/CHB dt 23-May-2007।

C.G.D.A.

संख्या A/B/I/13626/XXVIII कार्यालय पश्चिम ब्लॉक-V,
आर.के. पुरम नई दिल्ली-110066
दिनांक: 01-06-2007

सभी Pr. C.D.A/C.D.A

कृपया रसीद स्वीकार करें

सभी E.D.P./D.D.P. केंद्र

E.D.P. केंद्र, CGDA कार्यालय नई दिल्ली-110066

डायरेक्टर जनरल, लेखापरीक्षा रक्षा सेवा

L -ब्लॉक, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय (वित्त/बजट-I) मानक सूची के अनुसार

इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि कोड फ़ाइल को इस हद तक अपडेट किया गया है कि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इस मुख्यालय के कंप्यूटर केंद्र को भेजा जा सकता है।

जानकारी के लिए

जानकारी के लिए

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (बजट)

फाइल संख्या 24(5)/04/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 26 अगस्त 2004

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस (ECHS) के पॉलीक्लिनिक के लिए फर्नीचर और गैर-चिकित्सा उपकरणों का पैमाना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 2002 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए क्रमशः परिशिष्ट 'A' और 'B' में सूचीबद्ध 'फर्नीचर के पैमाने' और 'गैर-चिकित्सा उपकरण के पैमाने' को सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No.977/W-II dt 26 Aug, 2004 द्वारा जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. FA (DS) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (M) के PPS / AS (I) के PPS
6. Addl. FA (V) / Addl. FA (K)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N) / JS (E)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG) / डायरेक्टर (वित्त / कार्य)
10. रक्षा (वित्त /AG/PD)

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए फर्नीचर का पैमाना

क्रमांक.	नाम	पॉलीक्लिनिक के प्रकार			
		A	B	C	D
1.	बेड स्टीड आयरन हॉस्पिटल	1	1	1	1
2.	बेड स्टीड फाउलर	1	1	0	0
3.	टेबल बेडसाइड टाइप II	2	2	2	1
4.	स्टूल स्टील	3	3	1	1
5.	स्टेप टू टियर	5	5	3	2
6.	इनवैलिड चेयर नॉन फोल्डिंग	2	3	1	1
7.	टेबल 90 सेमी x 60 सेमी स्टेनलेस स्टील पर	2	2	1	1
8.	चलने योग्य स्क्रीन	2	2	2	2
9.	पेशेंट ट्रॉली स्ट्रेचर	2	2	2	2
10.	रिवॉल्विंग स्टूल	14	14	9	7
11.	रिसेप्टेकल बड़ा 75 लीटर	6	6	4	4
12.	रिसेप्टेकल स्मॉल 35 लीटर	24	24	16	10
13.	IV फ्लूइड स्टैंड	2	2	2	2
14.	परीक्षण काउच	5	5	4	3
15.	परीक्षण काउच प्रसूति	1	1	0	0
16.	सिलेंडर ट्रॉली	1	1	1	1
17.	बोर्ड नोटिस	3	3	2	2
18.	लेटरल फाइलिंग कैबिनेट 3 दराज	3	2	2	2
19.	रैक एडजस्टेबल 3 तरफ से बंद 6 स्तरों वाले	9	7	5	2
20.	रैक एडजस्टेबल खुला	8	5	4	2
21.	3 ट्रे लकड़ी वाले साइड रैक, 3 साइड	7	7	4	3
22.	चेयर CB (बिना हाथ वाले) -स्टैकेबल-विजिटर	5	5	2	1
23.	चेयर CBA (आगंतुक) - गद्देदार बांह के साथ	12	8	6	4
24.	चेयर CB एलिवेटेड और रोटेटिंग	2	2	2	2
25.	चेयर एग्जीक्यूटिव रिवॉल्विंग लो बैक विथ पुश बैक विथ कैस्टर	8	8	5	5
26.	कैस्टर पर हाथ वाले कंप्यूटर चेयर	3	3	2	2
27.	कैस्टर पर बिना बांह वाले कंप्यूटर चेयर	1	1	1	1
28.	चेयर फोल्डिंग मल्टीसीटर 3 सेट	15	12	10	8

परिशिष्ट 'B'

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए गैर-चिकित्सा उपकरण

क्रमांक	नाम	पॉलीक्लिनिक्स के प्रकार			
		A	B	C	D
1.	फ्रिज 300 लीटर	1	1	1	1
2.	फ्रिज 165 लीटर	1	1	0	0
3.	हॉट केस	1	1	1	1
4.	गैस डबल बर्नर	1	1	0	0
5.	गैस सिंगल बर्नर	1	1	2	2
6.	मामूली मरम्मत के लिए टूल किट जिसमें हैमर, रिंच, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर शामिल हैं	1	1	1	1
7.	एक्वागार्ड के साथ वाटर कूलर	2	2	1	1
8.	थर्मस 1 लीटर	1	1	1	1
9.	स्ट्रेचर फोल्डिंग हल्के वजन का	1	1	1	1
10.	स्टैंडर्ड मेजरिंग हाइट	1	1	1	1
11.	वेट मशीन	5	5	3	3
12.	अस्पताल के कंबल	4	4	2	2
13.	अस्पताल के गद्दे	2	2	2	1
14.	अस्पताल के तकिए	4	4	4	4
15.	तकिये का खोल	8	8	8	8
16.	अस्पताल की चादर	6	6	6	6
17.	हाथ पोछने के लिए तौलिया	24	24	16	16
18.	साबुन ट्रे	12	12	8	8
19.	डोर मैट	12	12	8	6
20.	टेबल क्लॉथ	24	24	16	16
21.	वैक्यूम क्लीनर	1	1	1	1
22.	प्लास्टिक बाल्टी के साथ मग	5	5	3	3
23.	नापने वाला टेप	5	5	3	3
24.	टार्च हैंड	5	5	3	3
25.	सेफ्टी रेजर और ब्लेड	2	2	2	2
26.	ऑपरेटिंग गाउन	2	2	2	2
27.	एप्रन वाटरप्रूफ	1	1	1	1

28.	रबड़ का जूता	2	2	2	2
29.	शौचालय के लिए साबुन	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
30.	लाँट्री के लिए साबुन	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
31.	वूलन के लिए साबुन	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
32.	स्प्रे हैंड एंटी इन्सेक्ट	1	1	1	1
33.	झाड़ू	4	4	3	3
34.	आइस बॉक्स	1	1	1	1
35.	दीवार की घड़ी	5	5	3	3
36.	रिचार्जबल लाइट	2	2	2	2
37.	इन्वर्टर 5 KVA	1	1	1	1
38.	सेल वाला टॉर्च	4 प्रति मशाल	4 प्रति मशाल	4 प्रति मशाल	4 प्रति मशाल
39.	पानी का गिलास	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
40.	फ्लोर मोप्स	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-
41.	फिनाइल	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-
42.	ओडोनिल	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-
43.	व्हाइट	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-
44.	व्हाइट कैप्स	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-
45.	फेस मास्क	-करना-	-करना-	-करना-	-करना-

MGO शाखा सेना मुख्यालय
DHQ PO, नई दिल्ली-110011
दिनांक 18 नवम्बर 2004

A/32697/ईसीएचएस (ECHS)/EME Ops 3

मुख्यालय कमांड्स (EME)

मुख्यालय कमांड्स (Med)

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) और केंद्रीय संगठन, क्षेत्रीय केंद्रों और पॉलीक्लिनिक्स को अधिकृत वाहनों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर नीति

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) की स्थापना भारत सरकार के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 02 के द्वारा की गई है ताकि सभी भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। ईसीएचएस (ECHS) में एक केंद्रीय संगठन, 13 क्षेत्रीय केंद्र और 227 पॉलीक्लिनिक का नेटवर्क शामिल है। इन 227 पॉलीक्लिनिकों में से 104 सैन्य बल पॉलीक्लिनिक सैन्य स्टेशनों पर और शेष 123 पॉलीक्लिनिक गैर सैन्य केंद्रों पर हैं।

2. **ईसीएचएस (ECHS) के उपकरण और वाहनों की मरम्मत और रखरखाव।** ईसीएचएस (ECHS) के चिकित्सा उपकरण, वाहनों और जेनरेटरों की मरम्मत और रखरखाव की नीति इस प्रकार है:-

- (a) **चिकित्सा उपकरण :** चिकित्सा उपकरण की मरम्मत/रखरखाव सेवा अस्पताल की प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(18)/09 US (WE)/D (Res)/Pt 1 dt 13 Apr 10 के पैरा 9 के अनुसार किया जाना है।
- (b) **वाहन**
 - (i) **पॉलीक्लिनिक्स।** मरम्मत/रखरखाव पूर्व-व्यापार किया गया।
 - (ii) **कोच्चि, विजाग और मुंबई में क्षेत्रीय केंद्र।** नौसेना की व्यवस्था के तहत।
 - (iii) **अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर और कोयंबटूर में क्षेत्रीय केंद्र।** वायु सेना की व्यवस्था के तहत।
 - (iv) **नौसेना और वायु सेना के अलावा अन्य केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्र।** सेना की मौजूदा नीति के अनुसार EME।
- (c) **जेनरेटर।** खरीदारी से पहले की गई पूरी मरम्मत/रखरखाव।

(MoD (सेना) के IHQ के EME (ऑपरेशन एंड प्लान्स) के Dte जनरल के संशोधित पत्र संख्या A/32697/ईसीएचएस (ECHS)/EME Ops 3 3 dt 11 Jan 12)।

3. ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन, 13 क्षेत्रीय केंद्रों और 104 पॉलीक्लिनिक्स द्वारा आश्रित कार्यशालाओं के साथ-साथ ईसीएचएस (ECHS) सेंट्रल संगठन द्वारा आयोजित वाहनों और उपकरणों का विवरण परिशिष्ट 'A' और 'B' (att) पर दिया गया है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित (अश्विनी शर्मा) कर्नल
DG EME के लिए डायरेक्टर
EME (संचालन और योजनाएं)

के लिए कॉपी :-

केंद्रीय संगठन

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) मॉड लाइन्स

दिल्ली कैंट - 110010

HQ TG EME

DG AFMS/DG-2 (Engg Sp) MAG-22 (चिकित्सा)

आंतरिक

EME (Armt)

EME (तकनीकी समन्वयक)

EME (वाहन)

टेलिफोन : 23375196

क्वार्टरमास्टर जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर

नई दिल्ली-110011

दिनांक 23 जून 2005

संख्या A/48474/FOL/Q1(B)

मुख्यालय

दक्षिणी कमान (Q/Ops)

पूर्वी कमान (Q/Ops)

मध्य कमान (Q/Ops)

पश्चिमी कमान (Q/Ops)

उत्तरी कमान (Q/Ops)

दक्षिण पश्चिमी कमान (Q/Ops)

विषय:- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) वाहनों के लिए FOL जारी करना

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D (Res) dt 30 Dec 02 को देखें जिसके द्वारा एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. यह देखा गया है कि, हालांकि ईसीएचएस (ECHS) संगठन को FOL जारी करने पर सरकारी आदेश मौजूद हैं, तथापि, सभी स्टेशनों पर इसका समग्र रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय संगठन क्षेत्रीय केंद्र और पॉलीक्लिनिक (नए और संवर्धित) को अनावश्यक कठिनाई हो रही है।

3. तत्काल प्रभाव से FOL जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(a) **केंद्रीय संगठन और क्षेत्रीय केंद्र।** इन्हें बुक डेबिट सिस्टम के तहत बंद, स्टेशन KSP/ASC डिपो से FOL जारी किया जाएगा। व्यय ईसीएचएस (ECHS) के राजस्व बजट शीर्ष: प्रमुख शीर्ष-2076, लघु शीर्ष-110, उप लघु शीर्ष-110डी से लिया जाएगा। वाहनों के प्रमाणीकरण का विवरण इस प्रकार है:-

	केंद्रीय संगठन	क्षेत्रीय केंद्र
(i) मोटर साइकिल	02	02
(ii) मारुति जिप्सी	01	01
(iii) स्टाफ कार	01	-
(iv) जेनरेटर (DG सेट)	01	01

(b) **ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स।** मौजूदा SBRL के अनुसार भुगतान पर एफओएल (FOL) जारी किया जाएगा। एक लाख के आसपास के क्षेत्र में स्थित पॉलीक्लिनिकों के लिए, KSP/ASC डिपो से

मासिक भुगतान प्रणाली पर FOL आहरित किया जाएगा। मासिक MRO पॉलीक्लिनिक के OIC द्वारा नकद असाइनमेंट से पैसे निकालकर जमा किया जाएगा। ऐसे पॉलीक्लिनिक जो किसी मिल के पास स्थित नहीं हैं, उनके लिए सिविल पंप से सीधे सिविल पंप को पॉलीक्लिनिक के OIC द्वारा नकद असाइनमेंट से भुगतान करके FOL लिया जाएगा। वाहनों के प्रमाणीकरण का विवरण इस प्रकार है:-

(i)	एम्बुलेंस	01
(ii)	हल्के वाहन	01
(iii)	जेनरेटर	01

4. सभी मामलों में उचित दस्तावेज बनाए रखा जाएगा और मासिक ऑडिट किया जाएगा। केंद्रीय संगठन, क्षेत्रीय केंद्र और ईसीएचएस (ECHS) के पॉलीक्लिनिक के PE पर वाहनों के प्रमाणीकरण के लिए सरकार की मंजूरी मिलने पर वर्तमान नीति की समीक्षा की जाएगी।

5. कृपया सुनिश्चित करें कि इस पत्र की एक प्रति सभी स्टेशन मुख्यालयों को भिजवा दी गई है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(एससी जोशी) लेफ्टिनेंट कर्नल
AQMG/Q1(B)
के लिए क्वार्टरमास्टर जनरल

के लिए कॉपी:-

केंद्रीय संगठन/ ईसीएचएस (ECHS) दिल्ली कैंट
DG S&T/ST9/10 & AG शाखा / AHQ

- कृपया जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
- कृपया जानकारी के लिए ।

फाइल संख्या 24(2)/04/US (WE)/D(Res)

भारत सरकार

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली

दिनांक 15 जुलाई 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नई दिल्ली

विषय :- केन्द्रीय संगठन एवं ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए हल्के वाहनों की खरीद

महोदय,

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे केन्द्रीय संगठन के लिए एक स्टाफ कार, एक मारुति जिप्सी और 2 मोटर साइकिल और ईसीएचएस (ECHS) के 12 क्षेत्रीय केन्द्रों में से प्रत्येक के लिए एक मारुति जिप्सी और 2 मोटर साइकिल की खरीद के लिए 69.10 लाख रु की सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. व्यय रक्षा सेवा अनुमान के प्रमुख शीर्ष '2076' और लघु शीर्ष '107' उप शीर्ष D (कोड शीर्ष 363/02) में डेबिट किया जाएगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/एजी) की सहमति से उनके UO संख्या 675/PD/05 dt 11.07.05 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. FA (DS) के PPS
4. AS (B) (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के लिए PPS/ AS (I) के PPS
6. JS (ESW)
7. JS (O/N)
8. डायरेक्टर (वित्त)/कार्य/DFA/DS(कार्य)
9. रक्षा (वित्त / AG / PD)
10. DFA (B) / DFA (N) DFA (वायु सेना)

हस्ताक्षरित

(वी.के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

(* भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 22D(02)/2011/WE/D/(Res) dt 29 Aug 2012 द्वारा संशोधित)।

फाइल संख्या 24(2)04/US(WE)/D(Res)Pt.I
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
 नई दिल्ली,
 दिनांक 03 फरवरी 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
 नई दिल्ली

विषय :- गुवाहाटी में ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्र के लिए हल्के वाहनों की खरीद

महोदय,

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(2)04/US(WE)/D(Res) dt 15 Jul, 2005 के क्रम में, मुझे गुवाहाटी में ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्र के लिए एक मारुति जिप्सी और दो मोटर साइकिलों की खरीद के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, जिसकी कीमत रुपये 5.05 लाख (रुपये पांच लाख, पांच हजार मात्र) से अधिक नहीं है।

2. व्यय रक्षा सेवा अनुमान के प्रमुख शीर्ष '2076' और लघु शीर्ष '107' उप शीर्ष D (कोड शीर्ष 363/02) में डेबिट किया जाएगा।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/AG) की सहमति से उनके UO No.50/PD dt 31.1.1.2006 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
 (वी.के जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली	6. JS (O/N)
2. रक्षा सचिव के SO	7. डायरेक्टर (कार्य/DFA/DFA/DS(कार्य))
3. सचिव (DS) के PPS	8. रक्षा (वित्त/AG/PD)
4. AS (T) के PPS/ AS (I) के PPS	9. DFA (B) / DFA (N) / DFA (वायु सेना)
5. JS (ESW)	10. AFA (B-1)

फाइल संख्या AT/IV/4807/ईसीएचएस (ECHS)/VII
कार्यालय CGDA पश्चिम ब्लॉक-V, आर के पुरम
नई दिल्ली -66 दिनांक 11 नवंबर 2008

श्री गोपी कृष्ण यादव, IA &FS (P&T)
अतिरिक्त नियंत्रक
कार्यालय PCDA (AF)
देहरादून

विषय:- नकद असाइनमेंट जारी करना: ईसीएचएस (ECHS)

संदर्भ : आपका पत्र संख्या M/VI/ECHS/Corres dt 15-9-08।

मामले की जांच की गई है और इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि नकद समनुदेशन मांग की गई राशि के अनुसार किया जाएगा (जिसमें विवरण द्वारा समर्थित प्रतिबद्ध देनदारियां शामिल हैं) जो केवल ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49797/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 13-9-07 में निर्धारित निधियों के आवंटन के अधीन है।

2. चूंकि ईसीएचएस (ECHS) एक नई और बढ़ती हुई योजना है, इसलिए प्रत्येक क्रमिक वर्ष में धन के उपयोग में भारी उछाल देखा गया है। शुरू में स्वीकृत ईसीएचएस (ECHS) बजट अंतिम बजट नहीं है क्योंकि प्रकृति में अनिवार्य होने के कारण बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है। MoD इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अतिरिक्त धनराशि का जारी होना, पहले से उपलब्ध निधियों के उपयोग पर निर्भर होगा।

3. पर्याप्त धनराशि जारी न होने से पूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पॉलीक्लिनिकों के संचालन में समस्या आती है। अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र dt 13-9-07 में निर्धारित सही प्रक्रिया का पालन किया जाए तथा आवंटन की उपलब्धता के अधीन अपेक्षित राशि के अनुसार धनराशि जारी की जाए।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित उप CGDA
(AT) अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- CGDA पत्र संख्या AT/IV/4807/ईसीएचएस (ECHS)/VII dt 08 अक्टूबर 2009 भी देखें।

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी - 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt. - 110010

No. AT/IV/4807/ECHS/Vol-X

दिनांक 04 अक्टूबर 2013

सेवा में,

CDA पटना।

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को नकद आवंटन जारी करना

संदर्भ: CDAपटना पत्र संख्या M/I/आदेश संख्या M/I/आदेश फाइल 01 dt 18/06/2013.

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को नकद असाइनमेंट जारी करने के संबंध में केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49797/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 13/09/2007 (प्रतिलिपि संलग्न) और मुख्यालय पत्र संख्या. AT/IV/4807/ईसीएचएस (ECHS)/VII dt 08/10/2009 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जा सकता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
 उप CGDA (AT-III)
 अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या AT/IV/4807/ECHS/VII कार्यालय
C.G.D.A पश्चिम ब्लॉक-V, आर के पुरम
नई दिल्ली -66 दिनांक 08 अक्टूबर 2009

विषय :- खाते में नकद असाइनमेंट वोट जारी करना: वित्तीय वर्ष 2009-10

केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा सूचित किया गया है कि saem नियंत्रक, उपलब्ध आवंटन के बावजूद भी मुख्यालय द्वारा मांगी गई राशि के अनुसार नकद असाइनमेंट जारी नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आवंटन को चार तिमाहियों में विभाजित करके राशि को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान के लिए अस्पताल के बिलों का ढेर लग गया है।

2. इस संबंध में यह कहा गया है कि नकद समनुदेशन अपेक्षित राशि के अनुसार रखा जाएगा (जिसमें विवरण द्वारा समर्थित प्रतिबंध देयताएं शामिल हैं) बशर्ते कि ईसीएचएस (ECHS) के पत्र संख्या B/49797/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 13-9-07 में निर्धारित धनराशि का आवंटन हो। चूंकि ईसीएचएस (ECHS) एक नई और बढ़ती हुई योजना है, इसलिए प्रत्येक क्रमिक वर्ष में धन के उपयोग में भारी उछाल आया है। शुरू में मंजूर किया गया ईसीएचएस (ECHS) बजट अंतिम बजट नहीं है क्योंकि प्रकृति में अनिवार्य होने के कारण बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है। अतिरिक्त निधियां जारी करना भी पहले से उपलब्ध निधियों के उपयोग पर निर्भर है।

3. पर्याप्त धनराशि जारी न होने से पॉलीक्लिनिकों के संचालन तथा भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या होती है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 13-9-07 में निर्धारित सही प्रक्रिया का पालन किया जाए और आवंटन की उपलब्धता के अधीन अपेक्षित राशि के अनुसार धनराशि जारी की जाए, न कि प्रारंभिक आवंटन को चार से विभाजित करके, और इस प्रकार इसे पूरे वित्तीय वर्ष में वितरित किया जाएगा।

कृपया पावती भेजें

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(कंवलदीप सिंह) वरिष्ठ उप- CGDA(AT)
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

केंद्रीय संगठन ECHS
एडजुटेंट जनरल की शाखा
सेना मुख्यालय मौड लाइन्स
दिल्ली कैंट-110010

- आपके पत्र संख्या B/49797/AG/ECHS के संबंध में जानकारी के लिए दिनांक 29 सितम्बर 2009

फाइल संख्या 1011/2011-PPC
 MoF डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
 पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेल,
 नॉर्थ ब्लॉक,
 नई दिल्ली
 दिनांक 30 नवंबर 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य प्रकाशन

महोदय,

सार्वजनिक खरीद नीति, मानकों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के लिए गठित सार्वजनिक खरीद समिति की सिफारिशों पर भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता में सुधार के उपायों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह के निर्णयों के अनुसार, यह तय किया गया है।

(a) NIC एक प्रकाशन मॉड्यूल (NIC की वेबसाइट www.tenders.gov.in के समान) और एक खरीद मॉड्यूल (के समान) के साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (बाद में CPP पोर्टल के रूप में संदर्भित) नामक एक पोर्टल स्थापित करेगा। NIC की ए-प्रोक्योरमेंट साइट जैसे कि pmgsytenders.gov.in और epro-nicsi.nic.in)। CPP पोर्टल U R L eprocure.gov.in पर उपलब्ध होगा और वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, CPSEs और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा उपयोग किए जा रहे गैर- NIC ए-प्रोक्योरमेंट साइटों के लिए लिंक प्रदान करेगा।

(b) पोर्टल पर निविदा पूछताछ, शुद्धिपत्र और उस पर दिए गए अनुबंधों के विवरण के ई-प्रकाशन के दौरान, 1 Jan 2012 से चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाएगा, व्यापक एंड-टू-एंड ई-प्रोक्योरमेंट सुविधा होगी चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया 151 Apr 2012, जिसके लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। इस बीच, डिजिटल हस्ताक्षर, जो खरीद के चरण में आवश्यक हैं, संबंधित अधिकारियों के लिए किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण या NIC से प्राप्त किया जा सकता है, जो एक प्रमाणन प्राधिकरण भी है।

ई-प्रकाशन:

(c) केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और स्वायत्त/सांविधिक निकायों के लिए अपनी निविदा पूछताछ, शुद्धिपत्र और बोली पुरस्कारों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। CPP पोर्टल निम्नलिखित तिथियों से प्रकाशन मॉड्यूल का उपयोग कर रहा है:

- c. i. 1 Jan 2012 से मंत्रालय/विभाग और उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय;
- c. ii. CPSEs w.e.f. 1 Feb 2012;
- c. iii. 1 Apr, 2012 से स्वायत्त/सांविधिक निकाय।

(d) व्यक्तिगत मामलों में जहां गोपनीयता की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या CPSEs के वैध वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य ई-प्रकाशन आवश्यकता से छूट दी जाएगी। जहां

तक मंत्रालयों/विभागों का संबंध है, उक्त आधारों पर किसी भी मामले में छूट देने के निर्णयों को संबंधित वित्तीय सलाहकार की सहमति से मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। CPSEs के मामले में छूट प्राप्त प्रत्येक मामले में डायरेक्टर (वित्त) की सहमति से अध्यक्ष एवं प्रबंध डायरेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों के मामले में, ऐसे प्रत्येक मामले में वित्त कार्य के प्रमुख की सहमति से निकाय के प्रमुख का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। उन मामलों की संख्या जिनमें छूट दी गई थी और संबंधित अनुबंध के मूल्य की सांख्यिकीय जानकारी वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को ईमेल आईडी cppp-doe@nic.in पर तिमाही आधार पर सूचित की जा सकती है।

(e) मंत्रालय/विभाग, CPSEs और स्वायत्त/सांविधिक निकाय जो पहले से ही www.tenders.gov.in और/या अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपनी निविदा समीक्षा प्रकाशित कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी निविदा समीक्षा CPP पोर्टल पर एक साथ प्रकाशित/प्रतिबिंबित हो। वे यह भी सुनिश्चित करें कि निविदा समीक्षा के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए अनुबंध के सभी शुद्धिपत्र और विवरण भी CPP पोर्टल पर प्रकाशित किए गए हैं।

(f) मंत्रालय/विभाग, CPSEs और स्वायत्त/सांविधिक निकाय जो पहले से ही NIC या अपनी वेबसाइट या किसी अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से ई-खरीद कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सभी निविदा पृष्ठताछ, संबंधित शुद्धिपत्र और अनुबंधों का विवरण ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जारी किए गए सहित, उन पर दिए गए, CPP पोर्टल पर एक साथ प्रकाशित/प्रतिबिंबित किए जाते हैं। जैसा कि ऊपर (a) में कहा गया है, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी खरीद वेबसाइट CPP पोर्टल से जुड़ी हुई है।

(g) उपरोक्त निर्देश सभी निविदा पृष्ठताछ, प्रस्तावों के लिए अनुरोध, रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध, पूर्व योग्यता/पंजीकरण के लिए नोटिस या किसी भी रूप में बोलियों या प्रस्तावों को आमंत्रित करने वाली किसी भी अन्य नोटिस पर लागू होते हैं, जो (c) पर या उसके बाद जारी की जाती हैं। ऊपर चाहे वे विज्ञापित हों, सीमित संख्या में पार्टियों को या किसी एक पार्टी को जारी किए गए हों।

(h) DGS&D दर अनुबंधों के माध्यम से या केंद्रीय भंडार NCCF के माध्यम से की गई खरीद के मामले में, पोर्टल पर केवल पुरस्कार विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

(i) ये निर्देश सामान्य वित्तीय नियम - 2005 (या CPSEs, स्वायत्त निकायों द्वारा खरीद से संबंधित समान प्रावधान) के नियम 145 (बिना कोटेशन के सामान की खरीद) या 146 (खरीद समिति द्वारा माल की खरीद) के प्रावधानों के अनुसार की गई खरीद पर लागू नहीं होंगे।)

2. निविदा विवरण के ई-प्रकाशन के संबंध में उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, NIC CPP पोर्टल के ई प्रकाशन मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करेगा। ये दिशानिर्देश CPP पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। पोर्टल तक पहुंचने के लिए यूजर ID और पासवर्ड NIC से प्राप्त करना होगा। इस संबंध में विवरण CPP पोर्टल में भी उपलब्ध होगा।

3. एनआईसी NIC निम्नलिखित सहायता भी प्रदान करेगा:

a. एनआईसी NIC ई-प्रकाशन के लिए CPP पोर्टल के उपयोग में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय/विभाग विवरण निकालने के लिए cppo-nic@nic.in पर ईमेल के माध्यम से CPP से संपर्क कर सकते हैं।

- b. ई-प्रकाशन मॉड्यूल के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश CPP पोर्टल में उपलब्ध कराए जाएंगे और इसे सभी मंत्रालयों/विभागों को अलग से परिचालित किया जाएगा।
- c. CPP पोर्टल के समान एक प्रदर्शन वेब साइट, प्रशिक्षण और व्यावहारिक अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। साइट में आवश्यक उपयोगकर्ता मैनुअल और प्रस्तुति सामग्री भी शामिल होगी।
4. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें कि पोर्टल पर निविदा विवरण का ई-प्रकाशन उपरोक्त पैरा 2 (c) में उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार शुरू किया गया है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ-साथ CPSE, स्वायत्त और वैधानिक निकायों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित (सुचिंद्र मिश्रा)
OSD (PPC) 011-23092689
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

के लिए कॉपी :-

सभी मंत्रालयों/विभागों के FAs

के लिए भी कॉपी :-

DG (NIC), CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

फाइल संख्या 10/3/2012-PPC
 वित्त मंत्रालय व्यय विभाग
 सार्वजनिक खरीद प्रकोष्ठ नॉर्थ ब्लॉक,
 नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- व्यापक एंड-टू-एंड ई-प्रोक्योरमेंट का कार्यान्वयन

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 30 नवंबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/1/2011-PPe की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत सभी मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकाय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPP पोर्टल) पर सभी निविदा पूछताछ, शुद्धिपत्र और उन पर दिए गए अनुबंधों के विवरण के अनिवार्य प्रकाशन के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों में आगे व्यापक अंत-से-अंत ई-खरीद के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी, जिसके लिए दिशानिर्देश बाद में जारी किए जाने थे।

2. उपरोक्त के अनुसरण में, अब यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग, उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, 10 लाख रुपये या उससे अधिक के अनुमानित मूल्य की सभी खरीद के संबंध में अनुबंध। में दी गई माहवार अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध तरीके से ई-खरीद शुरू कर सकते हैं।

3. इस संदर्भ में, NIC ने एक ई-प्रोक्योरमेंट समाधान विकसित किया है जिसे <http://eprocure.gov.in> लिंक पर देखा जा सकता है। ई-खरीद पर समाधान का उपयोग करने पर विस्तृत दिशानिर्देश NIC द्वारा अलग से परिचालित किए जाएंगे और यह CPP पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। तथापि, मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूरी की जाने वाली मूलभूत आवश्यकता अनुबंध-II के रूप में संलग्न है। NIC एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक डेमो साइट और उनके ई-प्रोक्योरमेंट समाधान का उपयोग करने के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, जिसका विवरण CPP पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण अनुरोध cphp-nic@nic.in पर भेजा जा सकता है। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

4. मंत्रालय/विभाग, जो पहले से ही अन्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ई-खरीद कर रहे हैं या घर में ई-खरीद समाधान विकसित कर चुके हैं, यह सुनिश्चित करते हुए ऐसा करना जारी रख सकते हैं,

- i. ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पोर्टल (<http://egovstandards.gov.in>) पर प्रकाशित "प्रोक्योरमेंट सिस्टम की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश" के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है;
- ii. अपनाई गई खरीद प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम- 2005 और CVC दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप है;

iii. उनकी सभी निविदा पूछताछ का विवरण, संबंधित शुद्धिपत्र और ई-खरीद के माध्यम से दिए गए अनुबंधों का विवरण एक साथ CPP पोर्टल पर प्रकाशित / प्रतिबिंबित किया जाता है।

5. जिन मंत्रालयों/विभागों के पास बड़ी मात्रा में खरीद नहीं है या कार्यालयों के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक खरीद नहीं करते हैं और उन्होंने किसी अन्य समाधान प्रदाता के माध्यम से ई-खरीद शुरू नहीं की है, वे NIC द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेंट समाधान का उपयोग कर सकते हैं।

6. उपरोक्त पैरा 5 में शामिल प्रकृति के अलावा बड़ी मात्रा में खरीद वाले मंत्रालय/विभाग या तो NIC द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेंट समाधान का उपयोग कर सकते हैं या किसी अन्य सेवा प्रदाता को उचित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

7. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुबंध 1 में प्रस्तावित माहवार अनुसूची के अनुसार ई-खरीद का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। पहले महीने में मंत्रालय/विभाग को मंत्रालय/विभाग में ई-खरीद शुरू करनी चाहिए। विभाग स्वयं और उसके बाद छह महीने की अवधि के भीतर सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को कवर करता है। मंत्रालयों/विभागों को अपनी संबद्ध और अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों में ई-खरीद को लागू करने के लिए एक समय सीमा तैयार करनी चाहिए और आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी इकाइयों/कार्यालयों में पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

8. मंत्रालय/विभाग जो पहले से ही कुछ ई-प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं या जो ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं, उन्हें प्रस्तावित महीने-वार शेड्यूल में पहले दो महीनों में शामिल किया गया है। इन मंत्रालयों/विभागों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय/विभाग में ई-खरीद की शुरुआत से छह महीने की अवधि के भीतर ई-खरीद शुरू कर दें।

9. CPP पोर्टल पर निविदा पूछताछ के अनिवार्य ई-प्रकाशन के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी ई-खरीद के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की भी निगरानी करेंगे। जिन मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तावित माह-वार कार्यक्रम का पालन करने में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वे वैकल्पिक स्लॉट के लिए अपने अनुरोध ईमेल आईडी ppc-exp@nic.in पर भेज सकते हैं।

10. जहां NIC द्वारा विकसित ई-खरीद समाधान अपनाया जाता है, वहां प्रशिक्षण और सहायता के लिए मंत्रालय/विभाग NIC के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं ताकि ई-खरीद की समय पर शुरुआत सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में प्रशिक्षण एवं सहयोग हेतु अनुरोध cppp-nic@nic.in पर भेजा जा सकता है।

11. ये निर्देश मंत्रालयों/विभागों द्वारा DGS&D दर अनुबंधों के माध्यम से या केंद्रीय भंडार और NCCF के माध्यम से की गई खरीद पर लागू नहीं होंगे। तथापि, जैसा कि इस विभाग के dt 301 Nov 2011 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 (h) में कहा गया है, ऐसे मामलों में पुरस्कार विवरण ई-प्रकाशन मॉड्यूल के तहत CPP पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएंगे।

12. हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक के सभी मामलों को ई-प्रोक्योरमेंट द्वारा कवर किया जाएगा, हालांकि व्यक्तिगत मामलों में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक विचार गोपनीयता की मांग करते हैं, मंत्रालय/विभाग ऐसे मामलों में अपने आंतरिक वित्तीय सलाहकारों की सहमति से मंत्रालय/विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छूट दे सकते हैं। उन मामलों की संख्या जिनमें छूट दी गई है और संबंधित अनुबंध के मूल्य की सांख्यिकीय जानकारी, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को ईमेल आईडी ppc-exp@nic.in पर तिमाही आधार पर सूचित की जा सकती है।

13. मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 7 में उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार ई-खरीद शुरू हो गई है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(यशश्री शुक्ला)

डायरेक्टर (PPC) 011-23093457

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

के लिए कॉपी:-

सभी मंत्रालयों/विभागों के FA

के लिए भी कॉपी:-

DG (NIC), CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली

अनुलग्नक I

मंत्रालयों/विभागों में ई-खरीद के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम जिस माह से ई-खरीद शुरू होनी है	मंत्रालय/विभाग का नाम	वह समय जब सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ई-खरीद शुरू करेंगे
मई 2012	रेल मंत्रालय आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय PMGSY के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय CPWD, शहरी विकास मंत्रालय DGS&D, वाणिज्य विभाग NHAI, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय योजना आयोग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व्यय विभाग	अक्टूबर 2012
जून 2012	DGS&D के अलावा अन्य खरीद के लिए वाणिज्य विभाग PMGSY के अलावा अन्य खरीद के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय CPWD के अलावा अन्य खरीद के लिए शहरी विकास मंत्रालय NHAI के अलावा अन्य खरीद के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग सार्वजनिक उद्यम विभाग दूरसंचार विभाग पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय विदेश मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग	नवम्बर 2012
जुलाई 2012	राजस्व विभाग भूमि संसाधन विभाग खदान मंत्रालय कोयला मंत्रालय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उर्वरक विभाग उपभोक्ता मामले विभाग भारी उद्योग विभाग	दिसम्बर 2012

अगस्त 2012	विनिवेश विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग उच्च शिक्षा विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्रम और रोजगार मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	जनवरी 2013
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय डाक विभाग जहाजरानी मंत्रालय	
सितम्बर 2012	वित्तीय सेवा विभाग योजना मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग अनुसंधान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग फार्मास्यूटिकल्स विभाग रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एड्स नियंत्रण विभाग राजभाषा विभाग स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	फरवरी 2013
अक्टूबर 2012	विधायी विभाग प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय बिजली मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय राष्ट्रपति सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय कैबिनेट सचिवालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	मार्च 2013
नवम्बर 2012	उपराष्ट्रपति सचिवालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग रक्षा उत्पादन विभाग स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग आंतरिक सुरक्षा विभाग विभाग का न्याय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	अप्रैल 1 2013

दिसम्बर 2012	जनजातीय मामलों के मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग खेल विभाग रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग रक्षा विभाग उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय क्षेत्र आयुर्वेद, योग और विभाग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	मई 2013
जनवरी 2013	पंचायती राज मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जैव प्रौद्योगिकी विभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्यों के विभाग गृह विभाग जम्मू और कश्मीर मामलों का विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	जून 2013
फरवरी 2013	अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इस्पात मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय युवा मामले विभाग कानूनी मामलों का विभाग सीमा प्रबंधन विभाग	जुलाई 2013

अनुलग्नक II

एनआईसी NIC द्वारा प्रदान किए गए ई-प्रोक्योरमेंट समाधान के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूरी की जाने वाली बुनियादी आवश्यकताएं निम्न हैं:

I. ई-खरीद के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारियां

A. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) की आवश्यकता

- ई-प्रोक्योरमेंट करने के लिए मंत्रालय/विभाग में सभी अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए वैध ईमेल ID और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) आवश्यक है।
- ई-प्रकाशन के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) का उपयोग ई-खरीद के लिए भी किया जा सकता है।
- DSC मंत्रालयों/विभागों द्वारा सीधे किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण (CA) से प्राप्त किए जा सकते हैं। NIC भी CA में से एक है और सरकारी अधिकारियों को DSC प्रदान करता है।
- DSC, DSC अनुरोध प्रपत्र, शुल्क संरचना, और भुगतान विवरण प्राप्त करने के निर्देश <https://nicca.nic.in> और CPP पोर्टल के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न अनुभाग में उपलब्ध हैं।
- निजी बोलीदाताओं को DSC जारी करना - चूंकि NIC केवल सरकारी अधिकारियों के लिए DSC की पेशकश करता है, इसलिए बोलीदाताओं को अन्य प्रमाणित करने वाले प्राधिकरणों जैसे TCS/ SIFY/ nCode आदि से DSC प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

B. उपयोगकर्ताओं की पहचान और निर्माण

सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारी पर ई-प्रोक्योरमेंट भूमिकाओं के लिए उपयोगकर्ता खातों की पहचान करने और उन्हें बनाने जैसे कि ई- पब्लिशिंग के लिए पहले बनाए गए निविदा निर्माता और निविदा प्रकाशक के अलावा बोली लगाने वाले और बोली मूल्यांकन करने वाले की जिम्मेदारी होगी।

अनुलग्नक III**NIC द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेंट समाधान के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

- a. NIC द्वारा मंत्रालयों/विभागों के लिए उनके परिसर में एक आधे दिन का जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा, ताकि उन्हें NIC द्वारा विकसित ई-खरीद समाधान का अवलोकन प्रदान किया जा सके और लिंक www.eprocure.gov.in के माध्यम से सुलभ हो सके।
- b. NIC प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के नामित अधिकारियों के लिए उनके द्वारा विकसित एक दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण एक खरीद समाधान निर्धारित करेगा।
- c. NIC प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन में एक सप्ताह की अवधि के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए एक सुविधा प्रबंधन व्यक्ति (FMP) को तैनात करेगा। मंत्रालय/विभाग FMP की सेवाओं का उपयोग आंतरिक प्रशिक्षण, DSC की स्थापना और मैपिंग, ई-प्रोक्योरमेंट गतिविधियों आदि के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। एक सप्ताह के बाद भी इन FMP से निरंतर समर्थन के लिए, मंत्रालयों/विभागों को FMP की लागत वहन करने की आवश्यकता होगी।
- d. CPP पोर्टल पर एक डेमो साइट भी उपलब्ध होगी जिसे DSC की मदद से एक्सेस किया जा सकता है।
- e. इसके अलावा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी आगामी निविदाओं के लिए संभावित बोलीदाताओं की पहचान करने की आवश्यकता होगी।
- f. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संभावित बोलीदाताओं के लिए आधे दिन का प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र NIC द्वारा मंत्रालय/विभाग के परिसर में आयोजित किया जाएगा, ताकि उन्हें NIC द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेंट समाधान की विभिन्न विशेषताओं और आवश्यकताओं से अवगत कराया जा सके, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - i. DSC प्राप्त करना
 - ii. CPP पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया
 - iii. CPP पोर्टल के माध्यम से निविदाओं को ट्रैक करने की प्रक्रिया, बोली-पूर्व प्रश्नों को उठाना, बोली-पूर्व बैठकों में भाग लेना आदि।
 - iv. ऑनलाइन बोलियां जमा करने की प्रक्रिया
 - v. अन्य प्रक्रियाएं जैसे बोली खोलने के समय ऑनलाइन उपस्थिति, तुलना चार्ट की उपलब्धता आदि।

फाइल संख्या 22D(05)/2011/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
नई दिल्ली dt 22 Aug 2012

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायुसेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) टाइप E मोबाइल क्लीनिक के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट

महोदय,

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 2(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 30 दिसंबर, 2002 और 22D(44)/2007/US(WE)/DF(Res) दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के संदर्भ में, मुझे 2.5 टन श्रेणी के सभी टाइप E, मोबाइल क्लिनिक के लिए एक एम्बुलेंस वाहन के अनुमोदन के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जो थल सेना/नौसेना/वायु सेना की सेवा में है, जिसे निम्नलिखित के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया गया है: -

- a) जेनरेटर (पोर्टेबल 5 KVA) - 01 प्रत्येक
 - b) ऑटो विश्लेषक (पोर्टेबल) - 01 प्रत्येक
 - c) ईसीजी मशीन (पोर्टेबल) - 01 प्रत्येक
 - d) लघु चिकित्सा उपकरण - आवश्यकतानुसार (एक लाख प्रति MMU की वित्तीय सीमा के भीतर)
2. एम्बुलेंस वाहनों को MMU के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जाएगा, जिसकी लागत एम्बुलेंस वाहन की लागत के 20 प्रतिशत या 2 लाख रुपये जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 33(30)/2012/Fin/Pen dt 22.08.2012 द्वारा जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. Secy (ESW) के PPS
2. FADS के PPS
3. JS (ESW) के PS
4. Addl. FA(RK) के PS
5. CGDA
6. AG, IHQ of MoD (सेना)
7. COP, IHQ of MoD (नौसेना)
8. AOA, Air HQ (VB)
9. DGAFMS

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(एच.के. मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार

10. MGO
11. MD, ईसीएचएस (ECHS)

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

12. सभी PsCDA/CsDA

टेलिफोन : 26141048

DDG IT, Dte जनरल इंफो सिस्टम्स जनरल स्टाफ ब्रांच

IHQ, Mod (सेना)

DGIS एन्क्लेव, राव तुला राम मार्ग

नई दिल्ली-110010 दिनांक 28 अगस्त 2012

B/03566/Gen/DDG IT (Proj)

(सभी डीटीई dte / कमांडेंट्स)

विषय:- केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य पब

इसके अलावा इस कार्यालय के पत्र संख्या B/03566/Gen/DDG IT (Proj) dt 14 Feb 2012 को CPP पोर्टल पर इंटरनेट पर सभी निविदा पूछताछ के पब के अनुरोध पर envt को संवेदनशील बनाना।

2. इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन सभी संगठनों में की गई खरीद के बारे में जानकारी के लिए एकल pt पहुंच प्रदान करना है। CPP पोर्टल में अंततः किसी भी केंद्रीय सरकार के संगठन द्वारा मंगाई गई सभी निविदा पूछताछ शामिल होगी। इसमें सभी परिपत्र/ GOs/Oms होंगे। इसमें सभी निविदाओं के लिए अनुबंध के पुरस्कार का विवरण भी होगा जो समाप्त हो गए हैं। सभी सरकारी विभागों से साइट पर बोली लगाने के बाद सभी निविदा पूछताछ, इसके शुद्धिपत्र और पुरस्कार विवरण अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा ही पोर्टल के ई-प्रकाशन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा, जो उपयोग के लिए उपलब्ध है। भविष्य में, पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के लागू होने के बाद, ऑनलाइन खरीद के लिए एक एंड-टू-एंड समाधान भी उपलब्ध होगा।

3. पोर्टल के उपयोग की ओर झुकाव को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है: -

उपयोगकर्ताओं का निर्माण

(i) ई-पब की कार्यक्षमता तक पहुंचने और भविष्य में ई-खरीद के लिए समान की जरूरत है।

(ii) दो प्रकार के उपयोगकर्ता बनाए जाने की आवश्यकता है: -

(aa) **नोडल अधिकारी** संगठन पदानुक्रम के अनुसार। नोडल अधिकारी के निर्माण के लिए प्रस्तावित पदानुक्रम अनुलग्नक A के रूप में है। शीर्ष स्तर के नोडल अधिकारी को NIC द्वारा बनाया जाएगा। निचले स्तर के नोडल अधिकारी केवल एक स्तर ऊपर के नोडल अधिकारियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। प्रस्तावित पदानुक्रम को समान के लिए NIC को भेजने की आवश्यकता होती है।

(ab) **सामान्य उपयोगकर्ता**। प्रत्येक उप-संगठन/पदानुक्रम के स्तर के भीतर, विशिष्ट भूमिका जैसे कि निविदा निर्माता, निविदा प्रकाशक आदि के साथ।

(iii) **नोडल अधिकारी का निर्माण**

- (aa) नोडल अधिकारी का प्रस्तावित पदानुक्रम अनुलग्नक A के रूप में है।
- (ab) केवल नोडल अधिकारी विशिष्ट भूमिकाओं के साथ अपने उप-संगठन के लिए सामान्य उपयोगकर्ता बना सकते हैं।
- (ac) नोडल अधिकारी खाता बनाने के लिए नमूना प्रपत्र परिशिष्ट B के रूप में है।
- (ad) इसे [HTTP://EPROCURE.GOV.IN/_CPP/DOWNLOADS](http://eprocure.gov.in/cpp/downloads) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।
- (ae) डाउनलोड करने और भरने के बाद, इसे एक स्तर के उच्च नोडल ऑफर पर भेजा जाना चाहिए, ताकि वह उपयोगकर्ता बना सके। केंद्रीय रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर्म को स्कैन और cpp-nic@nic.in पर ई-मेल करने की भी आवश्यकता है।

(iv) **सामान्य उपयोगकर्ताओं का निर्माण**

- (aa) केवल एक नोडल अधिकारी ही अपने उप-संगठन के लिए सामान्य उपयोगकर्ता बना सकता है।
- (ab) एक सामान्य उपयोगकर्ता की एक विशिष्ट भूमिका हो सकती है जैसे निविदा निर्माता या निविदा प्रकाशक। ई-प्रोक्योरमेंट के लिए, निविदा खोलने वाला, निविदा मूल्यांकनकर्ता आदि जैसी विभिन्न भूमिकाओं वाले अधिक उपयोगकर्ता बनाए जा सकते हैं।
- (ac) सामान्य उपयोगकर्ताओं के निर्माण के लिए नमूना अनुलग्नक C के रूप में है।
- (ad) इसे <http://eprocure.gov.in/cpp/downloads> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. **उपयोग पर ट्रग (trg)**

- (a) NIC साप्ताह में पोर्टल के उपयोग पर org trg है; अवधि ढाई घंटे है।
- (b) पोर्टल के होम पेज (<http://eprocure.gov.in/cpp/>) पर अनुसूची सूचीबद्ध है।
- (c) सभी dtes /कमांडेंट्स से अनुरोध है कि वे cppp-nic@nic.in और cppp-doe@nic.in पर एक ई-मेल अनुरोध भेजकर इस सुविधा का उपयोग करें और इसमें भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों के नाम और पसंदीदा स्लॉट दें।

5. **पोर्टल के उपयोग में सहायता**

- (a) इसके लिए निम्नलिखित ऑफर्स से संपर्क किया जा सकता है:-

नाम	आफिस	टेलिफोन
Lt Col एएम शेंदे	DDG IT	39864
Lt Col राजीव कुमार	OSCC	33589

- (b) NIC हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1800-2337315 पर।
- (c) ई-मेल प्रश्न cppp-nic@nic.in पर भी मेल किए जा सकते हैं।

6. a/m कार्रवाइयां सेना में ई-खरीद को लागू करने में अग्रणी होने के नाते ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह अनुरोध किया जाता है कि OS Dte/OSCC द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:-

- (a) नोडल ऑफर्स का निर्माण जैसा कि ऊपर पैरा 3 और अनुलग्नक A में लाया गया है।
- (b) dtes/कमांडेंट्स और निचले fmns में नोडल अधिकारियों और सामान्य उपयोगकर्ताओं के निर्माण का समन्वय।
- (c) NIC के संयोजन के साथ सेना के उपयोगकर्ताओं के समन्वय और उसी के लिए एक कार्यक्रम जारी करना।

भवदीय,
हस्ताक्षरित
(एएम शेंदे) लेफ्टिनेंट कर्नल
संयुक्त डायरेक्टर (परियोजना)
DG इंफो सिस्टम के लिए

संलग्नक : (उपरोक्त के अनुसार)

के लिए कॉपी :- आदेश सेवाएँ OSCC Dte जनरल- कृपया सेना में ई-खरीद को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते आवश्यक कार्रवाई हेतु।

अनुलग्नक 'A'**नोडल अधिकारियों का पदानुक्रम**

स्तर	इकाई	टिप्पणी
स्तर 0	रक्षा मंत्रालय	केवल मंत्रालय को इंगित करता है। कोई नोडल अफसर अपेक्षित नहीं है।
स्तर 1	डीईएफ़ (सेना) का एकीकृत मुख्यालय	अधिकारियों को OS Dte द्वारा शीर्ष स्तर के नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया जाएगा। NIC द्वारा बनाया गया।
स्तर 2	रक्षा (सेना) के IHQ के सभी dtes/ brs, सभी कमान मुख्यालय	डायरेक्टर ऑटो and कर्नल GS(Sys) नोडल अधिकारियों के रूप में नामित HQ DGIS पर GSO1(IT) स्तर 1 नोडल अधिकारी द्वारा निर्मित।
स्तर 3	सभी Cat A/Cat B स्था, कमान के तहत HQ	डायरेक्टर ऑटो /GSO1 (MIS)/ डीलिंग अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है आवश्यकता पर, कमांड की श्रृंखला के स्तर 2 नोडल अधिकारी द्वारा बनाया गया

फाइल संख्या 22D(02)/2011/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2012

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेना सेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए मोटर साइकिल और हल्के वाहन की अनुमति

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) dt 18 अक्टूबर 2010 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) के 15 नए क्षेत्रीय केंद्रों (परिशिष्ट में संलग्न सूची) में से प्रत्येक के लिए एक हल्के वाहन और दो मोटर साइकिल (निर्माण और प्रकार की जो सशस्त्र बलों के साथ सेवा में हैं) की अनुमति के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 3735/12.FP dt 27.08.2012 द्वारा जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एचके मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. सचिव ESW के PPS
3. FA DS के PPS
4. JS (ESW) के PS
5. Addl. FA(RK) & JS के PS

7. COP, IHQ of MOD (Navy)
8. AOA, Air HQ (VB)
9. MGO
10. एमडी, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

11. सभी पीएससीडीए/सीएसडीए

के लिए भी कॉपी:-

6. AG

अनुलग्नक

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय)
पत्र संख्या 22D(02)/2011/WE/D(Res)
दिनांक 29 अगस्त 2012 का संदर्भ लें)

अतिरिक्त 15 क्षेत्रीय केंद्रों की सूची

1. शिमला
2. जालंधर
3. अंबाला
4. हिसार
5. देहरादून
6. मेरठ
7. इलाहाबाद
8. अहमदाबाद
9. नागपुर
10. रांची
11. मुंबई
12. विशाखापत्तनम
13. बेंगलोर
14. कोयंबटूर
15. त्रिवेंद्रम

टेलिफोन: 23012269
C/22868/e-Proc/OSCC

दिनांक 20 सितम्बर 2012

MGO BR/OS DTE/OSCC

विषय:- केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर निविदा पूछताछ का अनिवार्य पब

कृपया निम्नलिखित का संदर्भ लें:-

- वित्त मंत्री, व्यय विभाग OM संख्या 10/1/2011-PPP dt 30 Nov 2011।
- वित्त मंत्री, व्यय विभाग OM संख्या 10/3/2012-PPP dt 30 Mar 2012.
- रक्षा मंत्री, D (IT/ समन्वय) OM संख्या 2/1/2011/D (IT/Coord) dt 14 May 2012.
- DDG IT पत्र संख्या B/03566/Gen/DDG IT (Proj) dt 28 Aug 2012.

2. **CPP पोर्टल पर TE का प्रकाशन।** 01 Jan 2012 से CPP पोर्टल (eprocure.gov.in) पर ई-प्रकाशन मॉड्यूल का उपयोग करके GFR पैरा 145 और 146 के तहत खरीद के लिए सभी निविदा पूछताछ को प्रकाशित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। और बाद में CPP पोर्टल पर ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में माइग्रेट करें। ई-प्रकाशन की तुलना में ई-खरीद मॉड्यूल के प्रमुख अंतर अनुलग्नक A में दिए गए हैं। MoD (सेना) के IHQ के सभी Br / Dte के लिए CPP पोर्टल पर ई-प्रकाशन मॉड्यूल शुरू करने के निर्देश निम्नानुसार हैं: -

- संगठन संरचना / पदानुक्रम की स्थापना।** NIC द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक शाखा को ई-प्रकाशन की शुरुआत करने के लिए CPP पोर्टल पर मैपिंग के उद्देश्य से एक संगठनात्मक संरचना/पदानुक्रम अग्रेषित करना चाहिए। CPP पोर्टल पर मानचित्रण के संगठनात्मक ढांचे/पदानुक्रम का प्रारूप इस प्रकार है:-

क्रमांक	स्तर	संस्था
(i)	सचिवालय विभाग	रक्षा मंत्रालय
(ii)	संगठन का नाम	MoD (सेना) का IHQ
(iii)	विभाग / क्षेत्र	MoD (सेना) के IHQ की संबंधित शाखा
(iv)	विभाग	प्रत्येक शाखा के अंतर्गत संबंधित निदेशालय
(v)	उप प्रभाग	प्रत्येक निदेशालय के अंतर्गत संबंधित अनुभाग / विंग

OS Dte के विंग के संगठन संरचना / पदानुक्रम का एक नमूना अनुलग्नक 'B' के रूप में है

- नोडल अधिकारियों का निर्माण।** नोडल अधिकारी केवल दो स्तरों पर बनाए जा सकते हैं। स्तर 'A' पर नोडल अधिकारी NIC द्वारा बनाए जाएंगे और स्तर 'B' पर नोडल अधिकारी स्तर 'A' नोडल अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा।

(c) उपयोगकर्ताओं का निर्माण।

- नोडल अधिकारी स्तर 'A' नोडल अधिकारी स्तर 'B' के निर्माण के साथ-साथ यूजर्स भी बना सकता है।
- नोडल ऑफर स्तर 'B' केवल यूजर बना सकता है।
- इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बाद के चरणों में, यदि परिकल्पित किया गया है, तो उपयोगकर्ताओं की भूमिका में किसी भी परिवर्तन को शामिल करने के लिए नोडल ऑफर की उपलब्धता उपयोगकर्ताओं के करीब होनी चाहिए।

- MoD (सेना) के IHQ की सुझाई गई संरचना और नोडल अधिकारी और उपयोगकर्ताओं के निर्माण के लिए जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं: -

नोडल अधिकारी बनाना			
क्रमांक	निकाय	नोडल अधिकारी स्तर 'A'	नोडल अधिकारी स्तर 'B'
(i)	VCOAS सचिवालय	VCOAS द्वारा नामांकित अधिकारी	नोडल अधिकारी स्तर 'A' सीधे VCOAS सचिवालय के तहत और संबंधित अनुभागों के लिए सभी Dtes के नोडल अधिकारी स्तर 'B' बनाएगा
(ii)	DCOAS (IS&T) सचिवालय	DCOAS (IS&T) सचिवालय द्वारा नामांकित अधिकारी	नोडल अधिकारी स्तर 'A' सीधे DCOAS (IS &T) संप्रदाय के तहत और संबंधित अनुभागों के लिए सभी तिथियों का नोडल ऑफर स्तर 'B' बनाएगा।
(iii)	DCOAS (P&S) सचिवालय	DCOAS (P&S) द्वारा नामांकित अधिकारी	नोडल अधिकारी स्तर 'A' सीधे DCOAS (P&S) सचिवालय के तहत और संबंधित अनुभागों के लिए सभी Dtes के नोडल अधिकारी स्तर 'A' का निर्माण करेगा।
(iv)	AG शाखा	AG Branch द्वारा नामांकित डायरेक्टर ऑटो / अधिकारी	नोडल अधिकारी स्तर 'A' सीधे संबंधित शाखा के तहत और खरीद में काम करने वाले संबंधित अनुभागों के लिए सभी Dtes के नोडल अधिकारी स्तर 'B' बनाएगा।
(v)	MS शाखा	MS शाखा द्वारा नामांकित डायरेक्टर ऑटो / अधिकारी	
(vi)	QMG's शाखा	QMG शाखा द्वारा नामांकित डायरेक्टर ऑटो / अधिकारी	
(vii)	MGO शाखा	MGO शाखा द्वारा नामांकित डायरेक्टर ऑटो / अधिकारी	
(viii)	E-in-C'S शाखा	E-in- C'S शाखा द्वारा नामांकित डायरेक्टर ऑटो / अधिकारी	नोडल अधिकारी स्तर 'B' बनाएगा।
उपयोगकर्ता खातों का निर्माण			
(ix)	सभी Dtes	नोडल अधिकारी स्तर 'B' केवल संबंधित तिथियों के अनुभाग/विंग के उपयोगकर्ता बनाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपयोगकर्ताओं के निर्माण के दौरान कोई दोहराव न हो।	

(e) **NIC पर ई-मेल आईडी बनाना** । सभी नोडल अधिकारियों और उपयोगकर्ताओं को NIC के NICE मेल पर ई-मेल आईडी बनाना आवश्यक है, यह सुरक्षित पोर्टल है। NIC के NICE मेल पर ई-मेल आईडी बनाने के लिए आवेदन पत्र श्री अंशुल कुमार अग्रवाल, वैज्ञानिक 'F' NIC, कमरा नंबर 307, B विंग, सेना भवन, DHQ PO, नई दिल्ली 110 011 को भेजा जाएगा।

(f) **नोडल प्रस्ताव का चयन/नामांकन:** NIC द्वारा यह सूचित किया गया है कि नोडल अधिकारियों को ई-प्रोक्योरमेंट गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों को नाम और नियुक्ति द्वारा नामित किया जाना चाहिए। नोडल अधिकारियों की भूमिका उपयोगकर्ता खाते बनाना और उपयोगकर्ताओं को भूमिकाएं और विशेषाधिकार देना है।

(i) **नोडल अधिकारी स्तर 'A':** उनका खाता NIC द्वारा बनाया जाएगा, (i) नोडल अधिकारी के लिए लॉगिन ID उनकी ईमेल ID है, जिसे आवेदन में निर्दिष्ट किया जाएगा। नोडल अधिकारी स्तर 'A' के निर्माण के लिए आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक C पर है। सब डिवीजन/सेक्शन/विंग तक संबंधित शाखा के मानचित्रण के लिए

संगठन संरचना/पदानुक्रम के साथ आवेदन OSCC को भेजा जाएगा, जो बाद में NIC को भेजा जाएगा।

(ii) **नोडल अधिकारी स्तर 'B':** उनका खाता नोडल अधिकारी स्तर 'A' द्वारा बनाया जाएगा और ऊपर दिया गया है। नोडल अधिकारी के लिए लॉगिन आईडी उसका ईमेल है जिसे आवेदन में निर्दिष्ट किया जाना है। नोडल अधिकारी स्तर 'B' के निर्माण के लिए आवेदन का सुझाया गया प्रारूप, जिसे कमांड की श्रृंखला में नोडल अधिकारी स्तर 'A' को अग्रेषित करना आवश्यक है, अनुलग्नक 'D' पर है।

(g) **उपयोगकर्ताओं का चयन/नामांकन:** निविदा प्रशासन के लिए उपयोगकर्ताओं के निर्माण के लिए आवेदन का सुझाया गया प्रारूप, जिसे कमांड की श्रृंखला में नोडल अधिकारी को अग्रेषित करना आवश्यक है, अनुलग्नक 'E' पर है। उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन उसकी ईमेल आईडी में है जिसे आवेदन में निर्दिष्ट किया जाएगा। एक उपयोगकर्ता को निम्नलिखित विशिष्ट भूमिकाएँ दी जा सकती हैं: -

- (i) **निविदा निर्माता:** वह निविदा पूछताछ / शुद्धिपत्र / अनुबंध प्रदान करने के विवरण को भरने और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (ii) **निविदा प्रकाशक:** वह निविदा निर्माता द्वारा बनाई गई निविदा पूछताछ/ शुद्धिपत्र / अनुबंध के पुरस्कार को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (iii) **बोली शुरू करने वाला:** वह एक निविदा दस्तावेज के जवाब में बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों को डिक्रिप्ट और डाउनलोड करने के लिए अधिकृत होगा।
- (iv) **बोली मूल्यांकनकर्ता:** वह बोली मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के परिणाम अपलोड करने के लिए अधिकृत होगा।

(नोट :- **बोली शुरू करने वाले और बोली का मूल्यांकन करने वाले की भूमिका तभी प्रासंगिक होगी जब ई-प्रकाशन मॉड्यूल से ई-खरीद मॉड्यूल में माइग्रेट किया जाएगा)**

3. **NIC के ई-प्रकाशन मॉड्यूल पर प्रशिक्षण/सहायता।** DSC के बिना ई-प्रकाशन प्रक्रिया के लिए एक उपयोगकर्ता गाइड AOC वेब साइट पर अपलोड किया गया है (लिंक संसाधन बटन → जरूरी नीतियां और पत्र)। NIC ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन/ Dte को ई-प्रकाशन/ई-खरीद मॉड्यूल पर दिल्ली में अधिकारी loc के trg के आयोजन के लिए सीधे NIC से संपर्क करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं के लिए trg के विभिन्न तरीके निम्न हैं: -

(a) **उपयोगकर्ताओं के लिए आधे दिन का जागरूकता सत्र।** आधे दिन का जागरूकता सत्र जैसा कि नीचे दिया गया है, दिल्ली में उपयोगकर्ता संगठन/ Dte के परिसर में आयोजित किया जाएगा:-

- (i) प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन/ Dte में अधिकारियों की एक कोर टीम की पहचान की जानी चाहिए जो अपने संगठन में ई-प्रकाशन/ई-खरीद पहल को चलाने के लिए जिम्मेदार होगी। इस प्रशिक्षण सत्र में प्रयोक्ता संगठन/निदेशालय के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भाग ले सकते हैं।
- (ii) इस trg में व्यापक रूप से उपयोगकर्ता संगठन/ Dte की तैयारियों को शामिल किया जाएगा और ई-प्रकाशन/ई-खरीद मॉड्यूल को लागू करने के लिए पुनर्संरचना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
- (iii) प्रयोक्ता संगठन/निदेशालय से अपेक्षा की जाएगी कि वे trg सत्र की सुविधा प्रदान करें और दिल्ली में अपने-अपने परिसरों में अपेक्षित व्यवस्था करें। trg सत्र के लिए पसंदीदा तिथि, स्थान और समय cpppnic@nic.in पर ईमेल अनुरोध के माध्यम से NIC को सूचित किया जाना चाहिए।
- (iv) अनुरोध, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस महीने के पहले दिन तक भेजा जाना चाहिए, जिसमें trg आयोजित किया जाएगा।

(b) **उपयोगकर्ता संगठन/Dte के लिए दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण।** NIC मुख्यालय नई दिल्ली में प्रत्येक उपयोगकर्ता संगठन / निदेशालय से चार नामित अधिकारियों के लिए ई-प्रकाशन / ई-खरीद मॉड्यूल

पर NIC दो दिवसीय "प्रशिक्षण" कार्यक्रम आयोजित करेगा। trg NIC ट्रेनिंग रूम, कमरा नंबर 706, A1BB विंग, 7वीं मंजिल, NIC बिल्डिंग, A -ब्लॉक, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। trg में भाग लेने के लिए, उपयोगकर्ता संगठन / Dte को cpppnic@nic.in पर एक ईमेल भेजना चाहिए, जिसमें पसंदीदा तिथियों और अधिकतम चार नामित अधिकारियों के नाम हों। अगले महीने के लिए नामांकन पिछले महीने के 20 वें दिन तक NIC तक पहुंच जाना चाहिए। इन सत्रों में उपस्थिति केवल NIC से ईमेल की पुष्टि पर है। प्रयोक्ता संगठन/निदेशालय से अनुरोध है कि वे ऐसे अधिकारियों को नामित करें जो अपने-अपने विभागों की ई-प्रकाशन/ई-खरीद प्रक्रिया में पारंगत हों। इन प्रयोक्ताओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने संबंधित संगठन/निदेशालय के अन्य अधिकारियों को trg प्रदान करें। trg की सटीक अनुसूची CPP पोर्टल पर उपलब्ध है।

4. NIC में अनुबंधित किए जाने वाले व्यक्तियों का विवरण अनुलग्नक 'F' के रूप में है। इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण/प्रश्न के लिए इस कार्यालय को सेना संख्या 33589 और सिविल संख्या 23012269 पर अनुबंधित किया जा सकता है।

5. **नोडल एजेंसी।** आयुध सेवा, कंप्यूटर केंद्र (OSCC) को भारतीय सेना के लिए ई-खरीद शुरू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी स्तर 'A' के सभी आवेदनों के साथ-साथ संबंधित शाखाओं के उप-मंडल/अनुभाग/विंग स्तर तक मैपिंग के लिए संगठनात्मक संरचना/पदानुक्रम के साथ, कृपया 01 अक्टूबर 2012 तक सकारात्मक रूप से NIC के साथ समन्वय के लिए OSCC को अग्रेषण करें।

6. एनआईसी NIC द्वारा CPP पोर्टल पर इसकी मैपिंग के लिए OSCC को संगठनात्मक संरचना/पदानुक्रम अग्रेषित करने से पहले आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की जाए।

7. कृपया स्वीकृति दें

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(हेगड़े G R) लेफ्टिनेंट कर्नल
कार्यवाहक कमांडेंट

संलग्नक : उपरोक्त अनुसार

VCOAS सचिवालय

AG शाखा

MGO शाखा

DCOAS (IS&T) सचिवालय

MS शाखा

E-in- Cs शाखा

DCOAS (P&S) सचिवालय

QMG शाखा

के लिए कॉपी:-

OS-14

DDG IT

जानकारी के लिए कृपया।

अनुलग्नक 'A'

(पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC,

के पैरा 2 का संदर्भ लें,

दिनांक 20 सितम्बर 2012,

मुख्य अंतर		
क्रमांक	ई-प्रकाशन मॉड्यूल	ई-खरीद मॉड्यूल
1.	CPPपोर्टल पर सभी निविदा पूछताछ, शुद्धिपत्र और अनुबंध के पुरस्कारों को प्रकाशित करना शामिल है। ई-प्रकाशन के तहत, उपयोगकर्ता संगठन कागज आधारित प्रारूप में बोलियां आमंत्रित करना जारी रखेगा	निविदा पूछताछ के प्रकाशन से शुरू होने वाली पूरी निविदा प्रक्रिया को शामिल करता है, बोलीदाताओं द्वारा बोली जमा करना, अनुबंध के पुरस्कार के लिए बोली खोलना, ई-प्रोक्योरमेंट के तहत, बोलीदाताओं द्वारा बोली जमा करने सहित पूरी निविदा कागज रहित हो जाएगी।
2.	उपयोगकर्ता संगठनों को इस मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए अधिकृत अपने अधिकारियों के लिए दो भूमिकाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, अर्थात् निविदा निर्माता के विवरण को भरने और अपलोड करने के लिए निविदा पूछताछ / शुद्धिपत्र / अनुबंध का पुरस्कार, निविदा पूछताछ / शुद्धिपत्र // निविदा निर्माता द्वारा बनाए गए अनुबंध का पुरस्कार	बोलीदाताओं से प्राप्त बोलियों को डिफ़्रिक्ट करने और डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता संगठनों को निविदा निर्माता और निविदा प्रकाशक के अलावा दो अतिरिक्त भूमिकाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। निविदा पूछताछ के प्रकाशन के समय प्रत्येक निविदा के लिए बोली खोलने वाले की पहचान की जानी चाहिए। बोली मूल्यांकनकर्ता बोली मूल्यांकन के विभिन्न चरणों के परिणाम पोर्टल पर अपलोड करेगा।
3.	प्रयोक्ता संगठन से सभी अधिकृत विभागों के उपयोगकर्ता, CPP पोर्टल के ई-प्रकाशन मॉड्यूल को संचालित करने के लिए, उन्हें सौंपे गए एक लॉगिन ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं, उन्हें प्रमाणीकरण के किसी अतिरिक्त मोड की आवश्यकता नहीं है।	उपयोगकर्ता संगठनों के सभी अधिकृत विभागों के उपयोगकर्ताओं को NIC के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल को संचालित करने में सक्षम होने के लिए, उनके उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड के साथ वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSCs) की आवश्यकता होगी।
4.	ई-प्रकाशन के लिए बोलीदाताओं को CPP पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोलियां कागज आधारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाती रहेंगी।	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बोलीदाताओं को एक वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSCs) और वैध ईमेल पते का उपयोग करके CPP पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। बोलीदाताओं को NIC पर ई-खरीद मॉड्यूल पर एक एन्क्रिप्टेड प्रारूप में अपनी बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी।

अनुलग्नक 'B'

ओएससीसी पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC

के पैरा 2 (a) का संदर्भ लें

दिनांक 20 सितम्बर 2012

OS DTE की संगठनात्मक संरचना / पदानुक्रम का नमूना प्रारूप

मंत्रालय का नाम	संगठन का नाम	विभाग / मंडल / शाखा	संभाग/तिथि	सब डिवीजन / सेक्शन / विंग				
रक्षा मंत्रालय	MOD (ARMY) का IHQ	MGO शाखा	ORD DTE	DG OS सचिवालय	CN &A/COO RD	TS/CO ORD	CV/COO RD	TF&BC/ समन्वय
					CN&A/(O&A)	TS/L&E	CV/AV&S	TF&BC/I &BC
					CN&A/C PCELL	TS/AR MT	CV/BV&S	TF&BC/ PP&C
					CN&A/C ICP	TS/AM N	CV/AVN	TF&BC/I NSP
					CN&A/O SCC	TS/MSL S	CV/PRO C	TF&BC/ DISP & IP
					CN&A/A DP	TS/PR OC		
					CN&A/P ERS	TS/AM N		
रक्षा मंत्रालय	MOD (ARMY) का IHQ	MGO शाखा	ORD DTE/ DLD	HQ सेक्शन	EX शाखा	ADM शाखा	PROV शाखा	

मंत्रालय का नाम		संगठन का नाम		विभाग / मंडल / शाखा	डिवीजन / डीटीई	सब डिवीजन / सेक्शन / विंग			
	रक्षा मंत्रालय	MO D (सेना) का IHQ	MOD	MGO शाखा	EME DTE				
	रक्षा मंत्रालय		MOD (सेना) का IHQ	MGO शाखा	EME DTE/TEC H GP				
	रक्षा मंत्रालय	MOD (सेना) का IHQ		MGO शाखा	EME DTE/BWG				
	रक्षा मंत्रालय	MOD (सेना) का IHQ		MGO शाखा	EME DTE/505A BW				
					EME DTE/506A BW				
					EME DTE/508 ABW				
					EME DTE/509 ABW				
					EME DTE/510 ABW				
					EME DTE/512 ABW				

अनुलग्नक 'B'

(ओएससीसी पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC

के पैरा 2(a) का संदर्भ लें

दिनांक 20 सितंबर 2012

OS DTE की संगठनात्मक संरचना / पदानुक्रम का नमूना प्रारूप

मंत्रालय का नाम	संगठन का नाम	विभाग / मंडल / शाखा	डिवीजन / DTE	सब डिवीजन / सेक्शन / विंग
रक्षा मंत्रालय	MOD (सेना) का IHQ	MGO शाखा (नोडल अधिकारी स्तर 'A' Ord Dte का नोडल अधिकारी स्तर 'B' बनाएगा)	ORD DTE (नोडल ऑफर स्तर B सब डिवीजन के यूजर्स बनाएगा)	ADG OS (TS)
				ADG OS (CN&A)
				ADG OS (CV)
				TF&BC
				OS-14
				COD दिल्ली
				CVD दिल्ली
				CASD दिल्ली
				COD आगरा
				COD कानपुर
				COD चेओकी
				COD जबलपुर
				COD मुम्बई
				COD देहू रोड
				CAD पुलगाँव
				CAFVD किरकी

अनुलग्नक 'C'

(पत्र संख्या. C/22868/e-Proc/OSCC

का पैरा 2(f) देखें

दिनांक 20 सितम्बर 2012

NIC को भेजने के लिए नोडल अधिकारी खाता बनाने के लिए आवेदन

1.	पद			
2.	पहला नाम			
3.	उपनाम			
4.	नियुक्ति/पदनाम			
5.	मंत्रालय का नाम	रक्षा मंत्रालय		
6.	संगठन का नाम	MOD (सेना) का IHQ		
7.	विभाग / मंडल / शाखा			
8.	डिवीजन / सेक्शन / विंग			
9.	उप प्रभाग / अनुभाग /			
10.	पिन के साथ पूरा पता			
11.	ई-मेल आईडी (जैसे abc@nic.in)			
12.	वैकल्पिक ईमेल आईडी			
13.	फ़ोन	STD कोड		टेलिफोन नंबर
14.	फैक्स	STD कोड		टेलिफोन नंबर
15.	मोबाइल नंबर			
16.	भूमिका	शाखा के लिए नोडल अधिकारी		

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

मुहर:

रैंक और नाम _____

तारीख:

प्रतिहस्ताक्षरित

(विभाग प्रमुख द्वारा)

जगह:

तारीख:

फॉर्म भरने के निर्देश

- कृपया सभी क्षेत्रों को बड़े अक्षरों में भरें
- इस पोर्टल में लॉगिन आईडी के रूप में ईमेल आईडी का उपयोग किया जाता है। कृपया ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखें।
- वैकल्पिक ईमेल आईडी लॉगिन आईडी के समान हो सकती है। सर्वर से सभी संचार वैकल्पिक ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि वैकल्पिक ईमेल आईडी यदि लॉगिन आईडी से अलग है, तो स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए

अनुलग्नक D'
(पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC
का पैरा 2(f) देखें
दिनांक 20 सितम्बर 2012)

नोडल अधिकारी खाता बनाने के लिए आवेदन

1.	पद				
2.	पहला नाम				
3.	उपनाम				
4.	नियुक्ति/पदनाम				
5.	मंत्रालय का नाम	रक्षा मंत्रालय			
6.	संगठन	MOD (सेना) का IHQ			
7.	विभाग / मंडल / शाखा				
8.	प्रभाग / निदेशालय				
9.	सब डिवीजन / सेक्शन /				
10.	पिन के साथ पूरा पता				
11.	ईमेल ID (eg. abc@nic.in)				
12.	वैकल्पिक ईमेल ID				
13.	फोन	STD कोड		टेलिफोन नंबर	
14.	फैक्स	STD कोड		टेलिफोन नंबर	
15.	मोबाइल नंबर				
16.	भूमिका	Dte के लिए नोडल अधिकारी			

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

मुहर:

रैंक और नाम _____

तारीख:

प्रतिहस्ताक्षरित

(विभाग प्रमुख द्वारा)

जगह:

तारीख:

फॉर्म भरने के निर्देश

- कृपया सभी क्षेत्रों को बड़े अक्षरों में भरें
- इस पोर्टल में लॉगिन आईडी के रूप में ईमेल आईडी का उपयोग किया जाता है। कृपया ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखें।
- वैकल्पिक ईमेल आईडी लॉगिन आईडी के समान हो सकती है। सर्वर से सभी संचार वैकल्पिक ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि वैकल्पिक ईमेल आईडी यदि लॉगिन आईडी से अलग है, तो स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए

अनुलग्नक 'E'

(पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC

का पैरा 2(g) देखें

दिनांक 20 सितम्बर 2012

नोडल अधिकारी खाता बनाने के लिए आवेदन'

1.	पद				
2.	पहला नाम				
3.	उपनाम				
4.	नियुक्ति/पदनाम				
5.	मंत्रालय का नाम	रक्षा मंत्रालय			
6.	संगठन	रक्षा मंत्रालय का आईएचक्यू (सेना)			
7.	विभाग / मंडल / शाखा				
8.	प्रभाग / निदेशालय				
9.	सब डिवीजन / सेक्शन / विंग				
10.	पिन के साथ पूरा पता				
11.	ई-मेल आईडी (जैसे abc@nic.in)				
12.	वैकल्पिक ईमेल आईडी				
13.	फ़ोन	STD		टेलीफोन	
14.	फैक्स	STD		टेलीफोन	
15.	मोबाइल नहीं है				
16.	भूमिका	USER			
17.	विशेषाधिकार	निविदा निर्माता/ निविदा प्रकाशक			

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

मुहर:

रैंक और नाम _____

तारीख:

प्रतिहस्ताक्षरित

(विभाग प्रमुख द्वारा)

जगह

तारीख:

फॉर्म भरने के निर्देश

- कृपया सभी क्षेत्रों को बड़े अक्षरों में भरें।
- इस पोर्टल में लॉगिन आईडी के रूप में ईमेल आईडी का उपयोग किया जाता है। कृपया ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से लिखें।
- वैकल्पिक ईमेल आईडी लॉगिन आईडी के समान हो सकती है। सर्वर से सभी संचार वैकल्पिक ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि वैकल्पिक ईमेल आईडी यदि लॉगिन आईडी से अलग है, तो स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए

अनुलग्नक 'F'

(पत्र संख्या C/22868/e-Proc/OSCC का पैरा 4 देखें)

दिनांक 20 सितम्बर 2012

NIC के अनुबंधित व्यक्तियों का विवरण				
क्रमांक	नाम	पता	टेलिफोन नंबर	ईमेल आईडी
1.	श्री ए मोहन वैज्ञानिक 'G'	7वीं मंजिल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय A- ब्लॉक, CGO कॉम्प्लेक्स। लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003	24361096 24305770	achuthan.mohan@nic.in
2.	श्री अंशुल कुमार अग्रवाल वैज्ञानिक F	कमरा नंबर 307, B विंग, सेना भवन, DHQ PO, नई दिल्ली 110 011	23015684 24305565	anshul@nic.in
3.	मिस ऊषा सेक्सेना वैज्ञानिक 'E' ('E'- सरकारी खरीद प्रणाली)	छठी मंजिल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय A-ब्लॉक, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003	24305899 24305729	usha.sexena@nic.in
4.	ई-प्रकाशन मॉड्यूल पर प्रश्नों के लिए टोल फ्री नंबर		1800 233 7315	
5.	ई-प्रकाशन मॉड्यूल पर प्रश्नों के लिए ईमेल आईडी		cppp-doe@nic.in cppp-nic@nic.in	

फाइल संख्या 25(02)/2012/(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2013

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- नेपाल में रहने वाले गोरखा (NDG) ESM पेंशनरों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय दिशानिर्देश

महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 07 फरवरी, 2012 के पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) के क्रम में, मुझे निम्नानुसार भारतीय दूतावास, नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) के वित्तीय प्रबंधन पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) के लिए निधि प्रबंधन की प्रक्रिया

- (a) नेपाल में SBI के साथ एक चालू खाता खोलने के लिए ईसीएचएस (ECHS) शाखा (ईसीएचएस (ECHS) खाता)।
- (b) केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (PCDA) (CC), लखनऊ को सूचित करते हुए ईसीएचएस (ECHS) शाखा, काठमांडू, नेपाल को धन आवंटित करेगा।
- (c) आवंटन के आधार पर, ईसीएचएस (ECHS) शाखा (PCDA) (CC), लखनऊ को तिमाही आधार पर/आवश्यक आधार पर धन की आवश्यकता के बारे में बताएगी।
- (d) (PCDA) (CC), लखनऊ स्विफ्ट के माध्यम से सीधे ईसीएचएस (ECHS) शाखा बैंक खाते में धन प्रेषित करेगा।
- (e) सहायक सैन्य अताशे (ईसीएचएस (ECHS)), भारत का दूतावास, काठमांडू, नेपाल आहरण और संवितरण अधिकारी (DDO) के रूप में कार्य करेगा।
- (f) पैनल में शामिल अस्पतालों के मैनुअल बिल और ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के व्यक्तिगत बिल मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार लखनऊ उप-क्षेत्र के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- (g) नेपाल में स्थापित होने पर ऑनलाइन बिलिंग उसी प्रक्रिया का पालन करेगी जैसा कि ईसीएचएस (ECHS) के अन्य क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा किया जाता है जो बिलिंग के लिए 'ऑन-लाइन' हैं।
- (h) जब तक मैनुअल बिलिंग प्रचलन में है, अस्पताल का 50% भुगतान/व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावा बिल जमा करने पर किया जाएगा और पूर्व लेखा परीक्षा और भुगतान के लिए भुगतान किए गए अग्रिम के संबंध में बिल उचित प्राधिकारी की मंजूरी और बिल पर पृष्ठांकन के साथ (PCDA) (CC) लखनऊ को अग्रेषित किया जाएगा।
- (i) माह के अंत में, बिल/वाउचर को छोड़कर सभी भुगतान वाउचर पूर्व लेखापरीक्षा और भुगतान के लिए (PCDA) (CC) लखनऊ को पहले ही अग्रेषित कर दिए गए हैं। और कैश बुक के साथ DDO द्वारा भुगतान किए गए अग्रिमों को विधिवत रूप से दर्शाने वाली एक विस्तृत सूची, ईसीएचएस (ECHS) शाखा द्वारा व्यय की बुकिंग और लेखा परीक्षा के लिए (PCDA) (CC) लखनऊ को अग्रेषित की जाएगी।

3. भारतीय रुपये में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(a) चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति (मैनुअल बिलिंग)।

- (i) रक्षा अताशे - 1 लाख रुपये तक।
(लखनऊ उप-क्षेत्र के माध्यम से मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक की प्रक्रिया की जाएगी)
- (ii) एरिया कमांडर UB एरिया - 2 लाख रुपये तक।
- (iii) आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड - 4 लाख रुपये तक।
- (iv) वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ - 5 लाख रुपये तक।
- (v) रक्षा मंत्रालय - 5 लाख रुपये से अधिक के बिल।

(b) चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति (ऑनलाइन-बिलिंग)।

- (i) रक्षा अताशे - 1 लाख रुपये तक।
- (ii) डिप्टी एमडी ईसीएचएस (ECHS) - 1 लाख रुपये से अधिक 3 लाख रुपये तक
- (iii) एमडी ईसीएचएस (ECHS) - 3 लाख रुपये से अधिक 5 लाख रुपये तक
- (iv) रक्षा मंत्रालय - 5 लाख रुपये से ऊपर।

(*भारत सरकार के आदेश संख्या 25(01)/2018/WE/D(Res-I) dt 09 Jul 2019 द्वारा संशोधित)

(c) ईसीएचएस (ECHS) के व्यय के अन्य शीर्षों के लिए। मिशन में वर्तमान में प्रयोग की जा रही वित्तीय शक्तियां लागू होंगी।

(d) रक्षा अताशे नेपाल में सभी ईसीएचएस (ECHS) संबंधित गतिविधियों के लिए श्रेणी II शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है।

4. मेडिकल स्टोर की आपूर्ति। SEMO कमांड हॉस्पिटल (CH), सेंट्रल कमांड (CC) काठमांडू और पोखरा में पॉलीक्लिनिक्स को मेडिकल स्टोर खरीदने और उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा। पॉलीक्लिनिक धरन के लिए मेडिकल स्टोर 158 बेस अस्पताल, बेंगडुबी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पॉलीक्लिनिक अपने MMF को ईसीएचएस (ECHS) शाखा, काठमांडू के माध्यम से SEMO, कमांड अस्पताल, लखनऊ को तिमाही आधार पर अग्रेषित करेगा। हालांकि, रक्षा अताशे को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग उन सभी आकस्मिक खरीद के लिए किया जाएगा जो प्रभारी पॉलीक्लिनिक के अधिकारी की शक्तियों से परे हैं।

5. यह पत्र रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 2226/F/Pen dt 2 Sep 2013 के तहत जारी किया गया है।

के लिए कॉपी:-

आपका आभारी,

1. RM के PS

2. RRM के PS

3. रक्षा सचिव के SO

4. सचिव ESW के PPS

5. रक्षा (वित्त) सचिव के PPS

6. JS (ESW)

7. JS North, MEA.

8. अतिरिक्त FA (RS) के PS

9. CGDA.

10. MD ईसीएचएस (ECHS).

11. रक्षा अताशे काठमांडू (नेपाल)

12. DG AFMS

13. PCDA (CC) Luck

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 25 (01)/2014/US (WE)/D(Res)-Part-I

भारत सरकार, भूतपूर्व सैनिक विभाग

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली 110001

दिनांक 04 अगस्त 2014

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

विषय:- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और मैनुअल मेडिकल बिलों के भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए संशोधन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(3)/03/US (WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 2003 को आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे परिशिष्ट के पैरा 1 में निम्नलिखित संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

क्रमांक	सक्षम अधिकारी	वित्तीय सीमाएं	IFA/ रक्षा मंत्रालय वित्त के साथ परामर्श
(a)	स्टेशन कमांडर		
	(i) लेफ्टिनेंट कर्नल / कर्नल	1,00,000/- रुपये तक	नहीं
	(ii) ब्रिगेडियर	2,00,000/- रुपये तक	नहीं
(b)	सब एरिया कमांडर / चीफ ऑफ स्टाफ एरिया मुख्यालय (मेजर जनरल)	3,00,000/- रुपये तक	नहीं
(c)	उप एमडी, ईसीएचएस (ECHS)	5,00,000/- रुपये तक	हां
(d)	एमडी, ईसीएचएस (ECHS)	10,00,000/- रुपये तक	हां
(e)	संयुक्त सचिव (ESW)	25,00,000/- रुपये तक	हां
(f)	सचिव (ESW)	25,00,000/- रुपये से अधिक	हां

नोट :- 10 लाख रुपये से अधिक के मंत्रालय के भीतर प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से किया जाएगा और इसी तरह ईसीएचएस (ECHS) में भी 3 लाख रुपये से अधिक के मामलों की जांच उनके आंतरिक वित्त के परामर्श से की जाएगी।

2. संदर्भाधीन पत्र की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

3. इसे U.O.No. 3(19)2001/AG/PD/Fin./dt 23 Jun 2014 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी :-

1. सचिव ESW के वरिष्ठ PPS
2. DFA (Fin/Pen) के PPS
3. JS (ESW) P के PS
4. CGDA, नई दिल्ली

की जानकारी के लिए कॉपी :-

5. सभी PCsDA / CsDA

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एचके मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या 22D(09)/2012/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2015

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) और ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए साइलेंट जेनरेटर का पैमाना।

महोदय,

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और 22D(44)/2007/US(WE)/D(Res) दिनांकित 18 अक्टूबर 2010 के संदर्भ में, मुझे केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) और 28 क्षेत्रीय केंद्रों के लिए 20KVA के एक साइलेंट डीजल जेनरेटर सेट की अनुमति के लिए भारत सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।
2. मद की खरीद DGS&D दर अनुबंध पर MGO शाखा के माध्यम से की जाएगी।
3. यह मामला रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 33(07)/2013/Fin/Pen dt 14.07.2015 के तहत है।

के लिए कॉपी:-

MD, ईसीएचएस (ECHS)
CGDA, नई दिल्ली
MoD (सेना) COP के AG, IHQ,
MoD (नौसेना) AOA के IHQ
Air HQ (VB)

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:-

सचिव, ESW के PPS
FA DS के PPS
JS (ESW) के PPS
JS & अतिरिक्त. FA (DR) DFA (Pension) के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

सभी PCDA/CDA

फाइल संख्या 22D(18)/2017/We/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, B विंग सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 07 अगस्त 2018

विषय:- चिकित्सा उपचार के लिए ईसीएचएस (ECHS) यात्रा भत्ता

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(02)/11/US(WE)/D(Res) dt 10 May, 2013 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों की TA की स्वीकार्यता/पात्रता को विनियमित करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

स्वीकार्यता

2. ईसीएचएस (ECHS) सदस्य या उनके आश्रित/अटेंडेंट के बाहरी इलाज के लिए जाने पर कोई डीए स्वीकार्य नहीं है।
3. यात्रा भत्ता केवल ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को निम्नलिखित आधारों पर स्वीकार्य होगा:
 - (a) चिकित्सा उपचार के लिए आगे और वापसी की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता दूसरे शहर में इलाज के लिए ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए स्वीकार्य है, यदि ऐसा उपचार उसी शहर में उपलब्ध नहीं है। बाहरी विशिष्ट केंद्रों के लिए रेफरल केवल अधिकृत सेवा चिकित्सा चिकित्सक या ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा चिकित्सक की सिफारिशों पर होगी। वास्तविक रेफरल को ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के प्रभारी अधिकारी (OIC) द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।
 - (b) शहर में उपचार की अनुपलब्धता का अर्थ है कि मूल ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के कस्बे/शहर में आवश्यक उपचार प्रदान करने वाला कोई सेवा/निजी पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है।
 - (c) अन्य शहर रेफरल और संबंधित यात्रा भत्ते केवल निकटतम सेवा/निजी पैनल वाले अस्पताल पर लागू होंगे, जहां चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध है और रोगी की पसंद के अनुसार नहीं है। बाहरी रेफरल के लिए पहले सेवा / ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा को चिकित्सक द्वारा निर्धारित और (OIC) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
 - (d) यात्रा भत्ता दावा पात्रता बाद के पैरा में दर्शाया गया है।

रेल द्वारा यात्रा

4. न्यूनतम/मुख्य मार्ग से सेवानिवृत्ति के समय लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार रेल किराए या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक स्वीकार्य राशि सीमित होगी। दावे के साथ व्यय के समर्थन में मूल टिकट (टिकटों) को संलग्न किया जाएगा।

सिविल एयर द्वारा यात्रा

5. आपातकालीन स्थिति में हवाई यात्रा की प्रतिपूर्ति पर मंत्रालय द्वारा MoD (वित्त) के परामर्श से व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी या सेवा

अस्पताल के विशेषज्ञ लिखित रूप में प्रमाणित करें कि हवाई यात्रा अत्यंत आवश्यक थी और अन्य माध्यमों से यात्रा करना अर्थात रेल या सड़क आदि से निश्चित रूप से रोगी के जीवन को खतरा होता या रोगी की स्थिति गंभीर रूप से खराब होती।

सड़क से यात्रा

6. सेवानिवृत्ति के समय लागू हकदार श्रेणी के आधार पर, रोगी के विवेक पर, सार्वजनिक बस/टैक्सी/निजी कार/एम्बुलेंस द्वारा उन स्थानों के बीच सड़क यात्रा की जा सकती है, जो रेल से नहीं जुड़े हैं, या अन्यथा सबसे छोटे/मुख्य मार्ग से यात्रा जा सकती है। दावे के साथ व्यय के समर्थन में ईसीएचएस (ECHS) रोगी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अनुमेय राशि, सबसे छोटे/मुख्य मार्ग से सेवानिवृत्ति के समय लागू हकदार श्रेणी के अनुसार रेल किराए या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा

7. स्वीकार्य राशि निकटतम बंदरगाह पर सेवानिवृत्ति के समय लागू हकदार श्रेणी के अनुसार स्टीमर के किराए तक सीमित होगी। हालांकि, यदि यात्रा हवाई मार्ग से की जाती है, तो राशि निकटतम बंदरगाह के लिए सेवानिवृत्ति के समय लागू हकदार श्रेणी के अनुसार स्टीमर किराया या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

परिचारकों के लिए वाहन

8. रोगी के साथ जाने पर एक परिचारक के लिए वाहन की अनुमति है, बशर्ते चिकित्सा अधिकारियों द्वारा एस्कॉर्टिंग को आवश्यक माना जाए। रोगी की देखभाल करने वाले सेवा चिकित्सक या ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सक को लिखित रूप में प्रमाणित करना चाहिए कि रोगी के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है और रोगी के साथ एक परिचारक/अनुरक्षक आवश्यक है। यात्रा भत्ते के लिए परिचारक की पात्रता वही होगी जो रोगी पर लागू होती है।

अंग दान करने वाला

9. गुर्दा दान के लिए यात्रा उपक्रम के संबंध में गुर्दा दाता को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य है:

- (a) यदि दाता गैर- ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी है:- प्राप्तकर्ता ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के लिए लागू दरों पर स्वीकार्य होगा।
- (b) यदि दाता एक अन्य ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी है:- दाता के लिए लागू दर पर स्वीकार्य होगा।

एम्बुलेंस शुल्क

10. पॉलीक्लिनिक/सैन्य अस्पताल में अधिकृत एम्बुलेंस सेवा का उपयोग उसी शहर में सेवा/सूचीबद्ध अस्पताल में रेफर किए जाने पर रोगियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई जाती है और चिकित्सा प्राधिकरण (पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी या सेवा अस्पताल के विशेषज्ञ) लिखित रूप में प्रमाणित करते हैं कि किसी अन्य तरीके से रोगी को ले जाने से निश्चित रूप से रोगी के जीवन को खतरा होगा या गंभीर वृद्धि का जोखिम शामिल होगा, तो रोगी को लाने-ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस की नियुक्ति पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि यात्रा उसी शहर के भीतर की गई हो।

11. दावे की प्रतिपूर्ति करने वाले स्टेशन कमांडरों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:
- (a) रोगी की यात्रा श्रेणी में प्रवेश के लिए वेतन सीमा सेवानिवृत्ति के समय ईसीएचएस (ECHS) के प्राथमिक सदस्य का वेतनमान होगा।
 - (b) सार्वजनिक बस/निजी कार/टैक्सी/एम्बुलेंस से यात्रा, ईसीएचएस (ECHS) के प्राथमिक सदस्य के रेल किराए की हकदार श्रेणी तक सीमित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार की जाती है, जो ईसीएचएस (ECHS) रोगी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर और गंतव्य पर उस रोगी की देखभाल करने वाले सेवा चिकित्सक या ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित है।
 - (c) एक ही शहर में संदर्भित मामले में कोई TA स्वीकार्य नहीं है।
 - (d) किसी भी परिस्थिति में कोई DA स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (e) यात्रा के लिए कोई अग्रिम स्वीकार्य नहीं है।
 - (f) उपरोक्त पैराग्राफ संख्या 5 और 7 में निर्दिष्ट आपात स्थितियों को छोड़कर हवाई किराए की प्रतिपूर्ति अनुमेय नहीं है।
12. यह रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D (Res) dt 19 Dec 2003 के तहत जारी "चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया" के अधिकार पैरा 12 का स्थान लेता है।
13. यह पत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी है।
14. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. No. 32(18)/2017/Fin/Pen dt 16/07/2018 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. सचिव, ESW के PPS
4. रक्षा सचिव (वित्त) के PPS
5. JS (ESW) के PS
6. JS & Addl., FA (RK) के PS
7. रक्षा सचिव के SO
8. DGADS, नई दिल्ली

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण) अवर सचिव,
भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

9. सभी PCsDA/ CsDA

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii)

में प्रकाशित होने के लिए

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड] आयकर अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2018

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी प्रेस,

नई दिल्ली।

एस.ओ. (S.O)----- (E) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80D की उप-धारा (2) के खंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्धारण वर्ष 2019-20 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय की एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, अधिसूचित की गई है।

[अधिसूचना संख्या. 55/2018(F.No.178/15/2018-ITA-1)]

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(विनय शील गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 22(01)/2011/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) सेना भवन,

नई दिल्ली, दिनांक 01 नवंबर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पूर्व सैनिक परिवार पेंशनरों को निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) का अनुदान, जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र बलों/मौजूदा अस्पतालों द्वारा कवर नहीं किए गए जिलों में रह रहे हैं।

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के पैरा 2(b) में आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ते के भुगतान के लिए सरकार की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है। जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/MI कक्षाओं के अंतर्गत आने वाले जिलों में निवास नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बाद के पैराग्राफों में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार ESM को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है।

2. भूतपूर्व सैनिकों (ESM) पेंशनरों और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) परिवार पेंशनरों के लिए FMA की पात्रता उनके OM संख्या 4/25/2008-P&PW(D) dt 19 Nov 2014 के अनुसार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा जारी किए गए निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

3. भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS)) की सदस्यता सभी ESM पेंशनभोगियों और हकदार ESM परिवार पेंशनभोगियों व सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अनिवार्य है, जिनकी सेवानिवृत्ति या सेवामुक्ति या मृत्यु क्रमशः 01 Apr 2003 को या उसके बाद हुई है। ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता में उनका योगदान अप्रतिदेय है। 01 Apr 2003 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों के पास या तो उचित योगदान देकर और FMA को जब्त करके ईसीएचएस (ECHS) योजना में शामिल होने का विकल्प है या वह पहले की तरह FMA लेना जारी रख सकते हैं।

4. **ईसीएचएस (ECHS) सदस्य होने के बावजूद, उपर्युक्त ESM पेंशनभोगी और ESM परिवार पेंशनभोगी, जो उन जिलों में रह रहे हैं, जहां ESM को समायोजित करने के लिए कोई ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक या सशस्त्र बल अस्पताल या MI रुम उपलब्ध नहीं है, वे FMA के लिए पात्र होंगे और साथ ही IPD. के लिए पात्र होंगे।**
5. **FMA / FMA की समाप्ति के भुगतान के लिए ईसीएचएस (ECHS) सदस्य का आवासीय पता उसके PPO में स्थायी पते के रूप में दर्शाया गया पता होना चाहिए।**
6. **इस आदेश के जारी होने की तिथि को जिन जिलों के लिए FMA का भुगतान किया जाएगा, उनकी सूची इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। जिन जिलों के लिए FMA का भुगतान किया जाएगा, उनकी सूची MD ईसीएचएस (ECHS) द्वारा PCs/RCs को हर साल 1 Jan को जारी की जाएगी और ईसीएचएस (ECHS) वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।**
7. **एफएमए का प्रारंभ/बहाली। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे जिले में रहने वाला ईसीएचएस (ECHS) सदस्य, जहां ESM को समायोजित करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र बल अस्पताल/ MI कक्ष अपग्रेड किया गया है, उपलब्ध नहीं है, वह तीन कॉपियों में निकटतम स्टेशन मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन जमा करके, अपने पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA)/अधिकृत पेंशन वितरण बैंक के माध्यम से FMA भुगतान शुरू करने की मांग कर सकते हैं। स्टेशन ईसीएचएस (ECHS) सदस्य के आवासीय पते की जांच करेगा और FMA के पते में जिले की प्रयोज्यता को सत्यापित करेगा और निर्धारित प्रारूप में आवेदन पर FMA के प्राधिकरण की पुष्टि करेगा। उक्त आवेदन का वितरण निम्नानुसार होगा:**
 - a) **ओरिजिनल कॉपी:** आवेदन की मूल प्रति **PPO** में अनुमोदन/शुद्धिपत्र **PPO** जारी करने/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए स्टेशन मुख्यालय द्वारा **O/o PCDA (पेंशन) इलाहाबाद, O/o PCDA (O) पुणे, O/o PCDA (नौसेना और तटरक्षक) मुंबई, O/o JCDA (AF) नई दिल्ली-10** को भेजी जाएगी ("जैसा लागू हो" और अन्य सेवाओं / प्रतिष्ठान के ईसीएचएस (ECHS) सदस्य से संबंधित समान कार्यालय")।
 - b) **डुप्लिकेट कॉपी-** डेटा बेस में **PDF** प्रारूप में अपलोड करने के लिए स्टेशन मुख्यालय द्वारा डुप्लिकेट कॉपी संबंधित क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित की जाएगी और उसके बाद पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड में बनाए रखने के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों को हार्डकॉपी अग्रेषित की जाएगी।
 - c) **ट्रिपल कॉपी।** स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस (ECHS) सेल) द्वारा ESM को तीन कॉपियों की प्रतिलिपि प्रारूप के अनुसार जिले के सत्यापन के साथ विधिवत पृष्ठांकित की जाएगी।
8. **उक्त मूल आवेदन के आधार पर, PCDA (पेंशन) इलाहाबाद के कार्यालय, PCDA (नौसेना और तटरक्षक) मुंबई के कार्यालय, JCDA(AF) के कार्यालय नई दिल्ली -10 ("जैसा लागू हो और अन्य सेवाओं / प्रतिष्ठान के ईसीएचएस (ECHS) सदस्य से संबंधित समान कार्यालय") बैंकों/DPDOआदि के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा बनाए गए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए PPO में FMA और समर्थन को मंजूरी देंगे / शुद्धिपत्र PPO जारी करेंगे। FMA के शुरू होने की तारीख अगले दूसरे महीने के**

पहला दिन होगी, जिसमें पेंशनभोगी ने आवेदन जमा किया है (उदाहरण के लिए FMA 1 Jul 2018 से 31 May के दौरान जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए 1 Jul से शुरू होगा)।

9. OPD सुविधाओं की समाप्ति। एक ESM जो FMA प्राप्त कर रहा है वह ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक और सशस्त्र बल अस्पताल में किसी भी OPD सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा। वह OPD में इलाज के लिए पैनलबद्ध सुविधाओं के लिए रेफरल के लिए भी पात्र नहीं है। ESM के ईसीएचएस (ECHS) स्मार्ट कार्ड को उसके लिए उपलब्ध सुविधा के बारे में इस तरह के विवरण के साथ पृष्ठांकित किया जाएगा। OPD की समाप्ति की तारीख अगले दूसरे महीने का पहला दिन होगा, जिसमें पेंशनभोगी ने आवेदन जमा किया है, उदाहरण के लिए, 1 May से 31 May के दौरान जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए OPD 1 Jul से बंद हो जाएगी।

10. FMA की समाप्ति। PDA/ बैंक द्वारा जिले में एक नया पॉलीक्लिनिक खोलने की स्थिति में FMA की समाप्ति, ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के संचालन के संबंध में कमांड एंड कंट्रोल की मौजूदा श्रृंखला के माध्यम से CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित होगी। अगले महीने से जिसमें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक चालू है, उस जिले में स्थायी रूप से रहने वाले उपरोक्त पेंशनभोगियों के लिए FMA की पात्रता समाप्त हो जाएगी। अधिक भुगतान किया गया कोई भी FMA उसकी बाद की पेंशन संबंधी पात्रताओं से वसूल किया जाएगा। ESM का ईसीएचएस (ECHS) कार्ड FMA की स्थिति और उसके लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर अद्यतन किया जाएगा।

11. ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

12. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO. No. 33(145)/12.FP dt 5-10-2018 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. MoD (सेना) के AG, IHQ
2. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
3. AOA, वायु HQ (VB)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)
6. DGADS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

7. RM के SO
8. RRM के PS
9. सचिव ESW के PPS
10. FA (DS) के PPS
11. JS (ESW) के PS
12. Addl. FA & JS (RK) MoD (Fin) के PS

रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 22(01)2011/WE/D(RES-1) dt 01.Nov.2018 का परिशिष्ट

क्रमांक		जिले	राज्य	ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स/सशस्त्र बल क्लीनिकों/ MI कक्षों द्वारा कवर नहीं किए गए जिलों की संख्या को ESM को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया
1	1	निकोबार	अंडमान और निकोबार	2
2	2	उत्तर और मध्य अंडमान		
3	1	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	1
4	1	अंजाव	अरुणाचल प्रदेश	18
5	2	चांगलांग		
6	3	दिबांग घाटी		
7	4	पूर्वी कामेंग		
8	5	पूर्वी सियांग		
9	6	पश्चिम सियांग		
10	7	क्रा दाड़ी		
11	8	कुरुंग कुमेयू		
12	9	लॉन्गडिंग		
13	10	निचली दिबांग घाटी		
14	11	निचला सुबनसिरी		
15	12	नामसाई		
16	13	पापुम पारे		
17	14	सियांग		
18	15	लोहित		
19	16	तिरप		
20	17	अपर सियांग		
21	18	अपर सुबनसिल		
22	1	बक्सा	असम	21
23	2	बारपेटा		
24	3	बिस्वनाथ		
25	4	चराइदेव		
26	5	चिरांग		
27	6	धेमाजी		

28	7	दीमाहासाओ (उत्तरी कछार पहाड़ियाँ)		
29	8	गोलाघाट		
30	9	हैलाकांडी		
31	10	होजै		
32	11	कामरूप		
33	12	कार्बी आंगलॉग		
34	13	कोकराझारी		
35	14	करीमगंज		
36	15	माजोलिक		
37	16	मोरी गांव		
38	17	नलबाड़ी		
39	18	शिवसागरी		
40	19	दक्षिण सलामारा मनकाचर		
41	20	उदलगुड़ी		
42	21	पश्चिम कार्बी आंगलॉग		
43	1	अररिया	बिहार	20
44	2	अरवाल		
45	3	औरंगाबाद		
46	4	बांका		
47	5	बेगूसराय		
48	6	गोपालगंज		
49	7	जमुई		
50	8	जहानाबाद		
51	9	कैमूर		
52	10	किशनगंज		
53	11	लखीसराय		
54	12	मधेपुरा		
55	13	नालंदा		
56	14	नवादा		
57	15	पूर्णिया		
58	16	सहरसा		
59	17	शेखपुरा		
60	18	शिवहर		
61	19	सुपौल		
62	20	पश्चिम चंपारण		
63	1	बालोद	छत्तीसगढ़	23
64	2	बलौदा बाजार		

65	3	बलरामपुर		
66	4	बेमातर		
67	5	बीजापुर		
68	6	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)		
69	7	धमतरी		
70	8	दुर्गा		
71	9	गरियाबंद		
72	10	जानिगीर- चंबा		
73	11	राजगढ़		
74	12	कबीरधाम (कवर्धा)		
75	13	कांकेर (उत्तर बस्तर)		
76	14	कोंडागांव		
77	15	कोरबा		
78	16	कोरिया (कोरिया)		
79	17	महासमुंद		
80	18	मुंगेली		
81	19	नारायणपुर		
82	20	राजदगांव		
83	21	सुकमा		
84	22	सूरजपुर		
85	23	सरगुजा		
86	1	दादर और नगर हवेली	दादर और नगर हवेली	1
87	1	दमन	दमन और दीव	2
88	2	दीव		
89	1	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	दिल्ली	5
90	2	उत्तर पूर्वी दिल्ली		
91	3	उत्तर पश्चिम दिल्ली		
92	4	पूर्वी दिल्ली		
93	5	उत्तरी दिल्ली		
94	1	अमरेली	गुजरात	26
95	2	आनंद		
96	3	अरावली		
97	4	बनासकांठा (पालनपुर)		
98	5	भरूच		
99	6	भावनगर		
100	7	बोटाड		

101	8	छोटा उदयपुर		
102	9	दाहोद		
103	10	डांग्स (अहवा)		
104	11	देवभूमि द्वारका		
105	12	गांधीनगर		
106	13	गिर सोमनाथ		
107	14	जूनागढ़		
108	15	खेड़ा (नाडियाड)		
109	16	महिसागर		
110	17	मेहसाणा		
111	18	मोरबी		
112	19	नर्मदा (राजपीपला)		
113	20	नवसारी		
114	21	पंचमहल (गोधरा)		
115	22	पाटन		
116	23	पोरबंदर		
117	24	साबरकांठा		
118	25	तापी		
119	26	वलसाड		
120	1	मेवात	हरयाणा	1
121	1	किन्नौर	हिमाचल प्रदेश	2
122	2	लाहौल और स्पीति		
123	1	बांदीपुरा	जम्मू और कश्मीर	9
124	2	बडगाम		
125	3	गांदरबली		
126	4	किस्तवाड़ी		
127	5	कुलगाम		
128	6	पुलवामा		
129	7	रामबन		
130	8	रियासी		
131	9	शोपियां		
132	1	बोकारो	झारखंड	16
133	2	छत्र		
134	3	दुमका		
135	4	गढ़वा		
136	5	गिरिडीह		
137	6	गोड्डा		

138	7	हजारीबाग		
139	8	जामताड़ा		
140	9	खुंटी		
141	10	कोडरमा		
142	11	लातेहार		
143	12	लोहरदगा		
144	13	पाकुर		
145	14	साहिबगंज		
146	15	सरायकेला-खरसावाँ		
147	16	सिमडेगा		
148	1	बागलकोट	कर्नाटक	16
149	2	बेल्लारी		
150	3	बेंगलोर ग्रामीण		
151	4	चामराजनगर		
152	5	चिकबल्लापुर		
153	6	चिक्कमंगलुरु		
154	7	चित्रदुर्ग		
155	8	दावणगेरे		
156	9	गदग		
157	10	हावेरी		
158	11	कोप्पल		
159	12	मंड्या		
160	13	रायचुर		
161	14	रामनगर:		
162	15	उडुपी		
163	16	यादगिरो		
164	1	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	1
165	1	आगर (मालवा)	मध्य प्रदेश	39
166	2	अलीराजपुर		
167	3	अनूपपुर		
168	4	अशोकनगर		
169	5	बालाघाट		
170	6	बड़वानी		
171	7	बुरहानपुर		
172	8	छतरपुर		
173	9	छिंदवाड़ा		
174	10	दमोह		

175	11	दतिया		
176	12	देवास		
177	13	धार		
178	14	डिंडोरी		
179	15	गुना		
180	16	हरदा		
181	17	झाबुआ		
182	18	कटनी		
183	19	खरगोन (पश्चिम निमाड़)		
184	20	खंडवा (पूर्वी निमाड़)		
185	21	मंडला		
186	22	मन्दसौर		
187	23	नरसिंहपुर		
188	24	नीमच		
189	25	पन्ना		
190	26	रायसेन		
191	27	राजगढ़		
192	28	रतलाम		
193	29	सीहोर		
194	30	सिवनी		
195	31	शाहडोल		
196	32	शाजापुर		
197	33	श्योपुर		
198	34	शिवपुरी		
199	35	सीधी		
200	36	सिंगरौली		
201	37	टीकमगढ़		
202	38	उमरिया		
203	39	विदिशा		
204	1	भंडारा	महाराष्ट्र	12
205	2	चंद्रपुर		
206	3	गडचिरोली		
207	4	गोंदिया		
208	5	हिंगोली		
209	6	जलना		
210	7	नंदुरबार		
211	8	पालघर		

212	9	परभनी		
213	10	रायगढ़		
214	11	येवतमाल		
215	12	वाशिम		
216	1	बिश्नुपुर	मणिपुर	13
217	2	चंदेल		
218	3	इंफाल पूर्व		
219	4	जिरीबाम		
220	5	काकचिंग		
221	6	कामजोंग		
222	7	नोनी		
223	8	फेरज़ावली		
224	9	तामंगलांग		
225	10	तांगनौपाल		
226	11	थौबल		
227	12	उखरूल		
228	13	इंफाल पश्चिम		
229	1	पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय	10
230	2	पूर्वी जयंतिया हिल्स		
231	3	उत्तरी गारो हिल्स		
232	4	री भोई		
233	5	साउथ गारो हिल्स		
234	6	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स		
235	7	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स		
236	8	पश्चिम जयंतिया हिल्स		
237	9	वेस्ट गारो हिल्स		
238	10	पश्चिम खासी हिल्स		
239	1	चम्फाई	मिजोरम	6
240	2	कोलासिब		
241	3	लॉन्गटलाई		
242	4	मामित		
243	5	सैहा		
244	6	सेरछिप		
245	1	किफायर	नागालैंड	8
246	2	लॉन्गलेंग		
247	3	मोन		
248	4	पेरेन		

249	5	फेक		
250	6	तुएनसांग		
251	7	वोखा		
252	8	जुन्हेबोटो		
253	1	बौध (बौड)	उड़ीसा	21
254	2	भद्रक		
255	3	बलांगीर		
256	4	बरगढ़ (बारगढ़)		
257	5	कटक		
258	6	देवगढ़		
259	7	गजपति		
260	8	झारसुगुडा		
261	9	जाजपुरी		
262	10	जगतसिंहपुरी		
263	11	केंदुजहर (क्योंझर)		
264	12	कंधमाली		
265	13	केंद्रपाड़ा		
266	14	मल्कानगिरी		
267	15	मयूरभंजी		
268	16	नबरंगपुर		
269	17	नयागढ़		
270	18	नुआपाड़ा		
271	19	रायगढ़		
272	20	सुबरनापुर (सोनपुर)		
273	21	सुंदरगढ़		
274	1	कराईकल	पुदुचेरी	3
275	2	माहे		
276	3	यानामी		
277	1	बांसवाड़ा	राजस्थान	11
278	2	बरन		
279	3	बूंदी		
280	4	चित्तौड़गढ़		
281	5	धौलपुर		
282	6	जालौर		
283	7	झालवाड़		
284	8	प्रतापगढ़		
285	9	सिरोही		

286	10	स्वाई माधोपुरी		
287	11	टोंक		
288	1	उत्तरी सिक्किम		
289	2	दक्षिण सिक्किम	सिक्किम	3
290	3	पश्चिम सिक्किम		
291	1	अरियालुर		
292	2	करूर	तमिलनाडु	8
293	3	धर्मपुरी		
294	4	नमखाल		
295	5	पेरम्बलुर		
296	6	पुदुक्कोट्टई		
297	7	तिरुपूर		
298	8	तिरुवरूर		
299	1	आदिलाबाद	तेलंगाना	25
300	2	भद्रारी काठगोदाम		
301	3	जगतेल		
302	4	जनगांव		
303	5	जयशंकर भूपलपल्ली		
304	6	जोगुलम्बा गडवाल		
305	7	कामारेड्डी		
306	8	कोमाराम भीम आसिफाबाद		
307	9	महबुबाबाद		
308	10	मंचरियल		
309	11	मेडक		
310	12	नगरकुरनूल		
311	13	निर्मल		
312	14	नलगोंडा		
313	15	निजामाबाद		
314	16	पेद्दापल्ली		
315	17	राजन्ना सिरसिला		
316	18	संगारेड्डी		
317	19	सिद्दीपेट		
318	20	सूर्यपेट		
319	21	विकाराबाद		
320	22	वानापर्थी		
321	23	वारंगल (ग्रामीण)		
322	24	वारंगल (शहरी)		

323	25	यादाद्री भुवनागिरी		
324	1	धलाई	त्रिपुरा	7
325	2	गोमती		
326	3	खोवाई		
327	4	उत्तर त्रिपुरा		
328	5	सेपाहीजाला		
329	6	दक्षिण त्रिपुरा		
330	7	यूनाकोटी		
331	1	अम्बेडकर नगर	उत्तर प्रदेश	27
332	2	अमेठी (छत्रपति साहूजी महाराज नगर)		
333	3	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)		
334	4	औरैया		
335	5	बहराइच		
336	6	बलरामपुर		
337	7	चंदौली		
338	8	चित्रकूट		
339	9	हमीरपुर		
340	10	हापुड़ (पंचशील नगर)		
341	11	कन्नौज		
342	12	काशीराम नगर (कासगंज)		
343	13	कौशाम्बी		
344	14	कुशीनगर (पडरौना)		
345	15	ललितपुर		
346	16	महाराजगंज		
347	17	महोबा		
348	18	मऊ		
349	19	पीलीभीत		
350	20	संभल (भीमनगर)		
351	21	संत कबीर नगर		
352	22	संत रविदास नगर		
353	23	(भदोही)		
354	24	शामली (प्रबुद्धनगर)		
355	25	सिद्धार्थनगर		
356	26	सीतापुर		
357	27	सोनभद्र		
358	1	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	8
359	2	दक्षिण दिनाजपुर		

360	3	हुगली		
361	4	झारग्राम		
362	5	मालदा		
363	6	पुरबा बर्दवान		
364	7	पुरबा मेदिनीपुर		
365	8	पुरुलिया		
				365

रक्षा मंत्रालय**(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)**

कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को मूल रूप में संलग्न करें और सभी संबंधितों को जारी करें।

- i) 51,375/- रुपये की लागत से मोटर साइकिल की खरीद के लिए 12 नवम्बर 2018 की स्वीकृति।
- ii) 912181/- रुपये की लागत से एक हल्के वाहन की खरीद के लिए 12 नवम्बर 2018 की स्वीकृति।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

संलग्नक ऊपरोक्त अनुसार

MD, (ECHS)

फाइल संख्या 22D(03)/2017/WE/D(Res-I)
 रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 कमरा नंबर 221, B विंग सेना भवन, नई दिल्ली
 दिनांक 12 नवंबर 2018

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल द्वारा एक मोटर साइकिल (TVS स्ट्राइकर) खरीदने की स्वीकृति।

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 21(22)/D(Coord)/2845/Addl. FA (A)/07 dt 10 Aug 2007 को अनुबंध I की अनुसूची XII के तहत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के तहत, सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित मोटर साइकिल की खरीद के लिए मैसर्स जगदंबा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मण बाबू भवन (तीसरी मंजिल), नक्सल, काठमांडू, नेपाल से 51,375/- (रुपये इक्यावन हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	मद का विवरण	DOQ	मात्रा	विक्रेता	नेपाल में डीलर मूल्य (NR)	INR में कीमत
01	मोटर साइकिल (TVS स्ट्राइकर)	Ea	01	मैसर्स जगदंबा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	रुपए 42000/- + नेपाली रुपये 15000/- = NR82200/- @ INR 1=NR1.6 की विनिमय दर पर	51,375/-
					कुल	51,375/-

(इक्यावन हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र)

- वर्ष 2018-19 के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 4076, लघु शीर्ष 107, विस्तृत कोड शीर्ष 907/40 में नामे किया जा सकेगा।
- इसके लिए रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) ID संख्या 32(06)/2017/Fin/Pen dt 4-9-2018 के तहत सहमति है।

आपका आभारी,
 हस्ताक्षरित
 ओएसडी (OSD) (Res-I)

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

एडजुटेंट जनरल ब्रांच

MoD (सेना) मौड लाइन, दिल्ली कैंट- 110010. का एकीकृत मुख्यालय

वितरण:-

1. PCDA, कार्यालय, लखनऊ
2. AFA (P)
3. भारत का ईसीएचएस (ECHS) शाखा दूतावास, काठमांडू, नेपाल
4. कार्यालय कॉपी

फाइल संख्या 22D(03)/2017/WE/D(Res-I)
 रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 कमरा नंबर 221, B विंग सेना भवन, नई दिल्ली,
 दिनांक 12 नवंबर 2018

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) शाखा, भारतीय दूतावास, काठमांडू, नेपाल द्वारा 4WD (टाटा स्टॉर्म VX4WD) के साथ एक हल्के वाहन की खरीद की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 21(22)/D(Coord)/2845/Addl. FA (A)/07 dt 10 Aug 2007 को अनुबंध I की अनुसूची XII के तहत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के तहत, मैसर्स सिप्रादी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड थापथली, काठमांडू, नेपाल से 9,12,181/- रुपये (नौ लाख बारह हजार एक सौ इक्यासी रुपये मात्र) की राशि के निम्नलिखित हल्के वाहन की खरीद के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	मद का विवरण	DOQ	मात्रा	विक्रेता	नेपाल में डीलर मूल्य (NR)	INR में कीमत
01	4WD के साथ हल्का वाहन (टाटा स्टॉर्म VX 4WD)	Ea	01	मैसर्स सिप्रादी ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड	INR 899681/- +NR 20000/- =NR1459489 @ INR 1=NR 1.6 की विनिमय दर पर	912181/-
					कुल	912181/-

(नौ लाख बारह हजार एक सौ इक्यासी मात्र)

2. वर्ष 2018-19 के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 4076, लघु शीर्ष 107 विस्तृत कोड शीर्ष 907/40 में नामे किया जा सकेगा।

3. इसमें रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की उनकी ID संख्या 32(06)/2017/वित्त/पेन dt 4-9-2018 के तहत सहमति है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित OSD (Res-I)

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

एडजुटेंट जनरल की शाखा

MoD (सेना) मौड लाइन, दिल्ली कैंट- 110010 का एकीकृत मुख्यालय

वितरण:-

1. PCDA, कार्यालय, लखनऊ
2. AFA (P)
3. भारत का ईसीएचएस (ECHS) शाखा दूतावास, काठमांडू, नेपाल
4. कार्यालय कॉपी

फाइल संख्या 22D(01)/2017/WE/D(Res-I)
 रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 कमरा नंबर 221, B विंग सेना भवन,
 नई दिल्ली
 दिनांक 28 दिसंबर 2018

विषय:- नेपाल में काठमांडू, पोखरा और धरन में तीन ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकों के लिए ईसीएचएस (ECHS), भारत दूतावास द्वारा एक-एक 30 KVA DG सेट (वाटर कूल्ड) की खरीद के लिए व्यय की स्वीकृति।

मेसर्स पावर सॉल्यूशन ट्वेंटी फोर सेवन प्राइवेट लिमिटेड, काठमांडू, नेपाल से प्रत्येक 30 KVA (वाटर कूल्ड) डीजल जेनरेटर सेट की खरीद के लिए कुल 13,12,406 रुपये (तेरह लाख बारह हजार चार सौ छः रुपये मात्र) की लागत पर निम्नलिखित DG सेट की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	मद का विवरण	DOQ	मात्रा	विक्रेता	नेपाल में डीलर मूल्य (NR)	INR में कीमत
01	30 KVA DG सेट (वाटर कूल्ड)	Ea	03	मेसर्स पावर सॉल्यूशन ट्वेंटी फोर सेवन प्राइवेट लिमिटेड काठमांडू, नेपाल	NR 20,99,850/- (INR 1 की विनिमय दर = NR 1.6)	13,12,406/-
					कुल	13,12,406/-

(रुपये तेरह लाख बारह हजार चार सौ छः मात्र)

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस खाते पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2076, लघु शीर्ष 107 विस्तृत कोड शीर्ष 363/04 में नामे किया जा सकेगा।
- इसमें रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की उनकी ID संख्या 32(04)/2017/वित्त/पेन dt 24-12-2018 के माध्यम से सहमति है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित (वनाली शर्मा) OSD (Res-I)

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) एडजुटेंट जनरल की शाखा
 MoD (सेना) मौड लाइन, दिल्ली कैंट- 110010. का एकीकृत मुख्यालय

वितरण:

- PCDA, कार्यालय, लखनऊ
- AFA (P)
- भारत का ईसीएचएस (ECHS) शाखा दूतावास, काठमांडू, नेपाल
- कार्यालय कॉपी

फाइल संख्या 25(01)/2018/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 09 जुलाई 2019

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति: बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) द्वारा ऑनलाइन बिलों की प्रोसेसिंग

महोदय,

इस विषय पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(10)/2010/US(WE)/D(Res)-Vol-V dt 10 Jul 2014 के संदर्भ में, मुझे निम्नलिखित संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

के लिये

चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति (ऑनलाइन बिलिंग)

(a)	डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)	-	3,00,000/- रुपये तक
(b)	Dy MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	5,00,000/- रुपये तक
(c)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	10,00,000/- रुपये तक
(d)	संयुक्त सचिव, ESW	-	25,00,000/- रुपये तक
(e)	सचिव, ESW	-	25,00,000/- रुपये तक

पढ़ें

(a)	डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)	-	4,00,000/- रुपये तक
(b)	उप MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	8,00,000/- रुपये तक
(c)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	15,00,000/- रुपये तक
(d)	संयुक्त सचिव, ESW	-	40,00,000/- रुपये तक
(e)	सचिव, ESW	-	40,00,000/- रुपये तक

2. मंत्रालय के भीतर प्रत्यायोजित शक्तियों (15 लाख रुपये से अधिक के बिल) का प्रयोग रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) के परामर्श से किया जाएगा।

3. इसे U.O. No. 32(14)/2018/वित्त/पेन dt 17-06-2019 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. सचिव ESW के वरिष्ठ PPS
2. DFA (Fin/Pen) के PPS
3. JS(ESW) के PS
4. CGDA, नई दिल्ली

स्याही से हस्ताक्षरित कॉपी:-

5. सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 25(01)/2018/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 09 जुलाई 2019

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- नेपाल में ईसीएचएस (ECHS) नेपाल निवासी गोरखा ((NDG) ESM पेंशनभोगियों के तहत चिकित्सा व्यय का भुगतान और प्रतिपूर्ति

महोदय,

इस विषय पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(02)/2012/(WE)/D(Res) dt 10 Sep 2013 के पैरा 3(b) में आंशिक संशोधन करते हुए, मुझे निम्नलिखित संशोधन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

के लिए

चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति (ऑनलाइन बिलिंग)।

(i)	रक्षा अताशे	-	1 लाख तक
(ii)	Dy MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	1 लाख से 3 लाख रुपये तक
(iii)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	3 लाख से 5 लाख रुपये तक
(iv)	MoD	-	5 लाख रुपये से अधिक

पढ़ें

चिकित्सा उपचार (ऑनलाइन बिलिंग) के लिए भुगतान और प्रतिपूर्ति ।

(i)	रक्षा अताशे	-	4 लाख रुपये तक
(ii)	Dy MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	8 लाख रुपये तक
(iii)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	-	15 लाख रुपये तक
(iv)	संयुक्त सचिव, ESW	-	40 लाख रुपये तक
(v)	सचिव, ESW	-	40 लाख रुपये से अधिक

2. मंत्रालय के भीतर प्रत्यायोजित शक्तियों (15 लाख रुपये से अधिक के बिल) का प्रयोग रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से किया जाएगा।

3. संदर्भाधीन पत्र की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।
4. इसे U.O. संख्या 32(14)/2018/वित्त/पेन dt 17-06-2019 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. सचिव ESW के वरिष्ठ PPS
2. DFA (Fin/Pen) के PPS
3. JS(ESW) के PS
4. CGDA, नई दिल्ली/MD ईसीएचएस (ECHS)

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

5. सभी PCsDA/CsDA

पत्र संख्या 8/4/2018-O2P भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय (वित्त / O2P) साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 25 जुलाई 2019

रक्षा मंत्रालय का आदेश

विषय : क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय संगठन ईसीएच में ईसीएचएस (ECHS) पदाधिकारियों के लिए DFPDS- 2016 के ASP 2016 में एक अलग अनुसूची- 26 का जोड़

DFPDS-2016 रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 231(9)/2016/B.II dt 06 Sep 2016 के तहत जारी किया गया था। DFPDS -2016 के ASP 2016 में क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय संगठन में ईसीएचएस (ECHS) पदाधिकारियों के लिए एक अलग अनुसूची 26 को निम्नानुसार जोड़ा गया है:

DFPDS -2016, अनुसूची 26

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS))

प्रमुख शीर्ष- 2076 और 4076, लघु शीर्ष-107

(रुपये लाख में)

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी	IFA परामर्श के बिना	IFA परामर्श के साथ
26.1	सब हेड B: परिवहन		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	1.00	5.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	0.50	2.00
26.2	सब हेड C: स्टोर (पूँजीगत उपकरण और ; मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर)		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	2.00	10.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	1.00	3.00
26.3	सब हेड D: सूचना प्रौद्योगिकी		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	2.00	50.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	1.60	10.00
26.4	सब हेड D: सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	5.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	1.00
26.5	सब हेड F: विविध और आकस्मिक व्यय		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	1.00	20.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	0.50	5.00

26.6	आउटसोर्सिंग		
	MD ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	10.00
	डायरेक्टर, RC ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	1.00
26.1 से 26.6 के लिए नोट (i) सेना ((ASP),) की संबंधित अनुसूचियों में दिए गए नोट के अनुसार उपरोक्त शक्तियों का उपयोग किया जाएगा, (ii) उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग केवल RC द्वारा उपयोग के लिए डायरेक्टर RC द्वारा किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक की कमान और नियंत्रण वाला स्टेशन ईसीएचएस (ECHS) स्थापना के लिए MH 107 के तहत खर्च के लिए ASP, NSP, AFSP और MSP के अनुसार निहित शक्तियों का उपयोग करेगा।			

2. यह मामला सचिव (रक्षा वित्त) की सहमति और माननीय रक्षा मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(नवजोत सिंह)

सहायक वित्तीय सलाहकार (O2)

वितरण:

CGDA

DGADS

कार्यालय रक्षा मंत्री

कार्यालय रक्षा राज्य मंत्री

COAS

CNS

CAS

रक्षा सचिव / सचिव (DP) / सचिव रक्षा (R&D) / सचिव (ESW) / सचिव (रक्षा वित्त)

VCOAS

VCNS

VCAS

CISC

DGAFMS

DG CG

रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय (वित्त) में सभी अतिरिक्त सचिव

PIFA(O)

PIFA(नौसेना)

PIFA(वायु)

MoD में सभी संयुक्त सचिव

MoD (वित्त) में सभी JS & Addl FAs

प्रधान सलाहकार (लागत)

वित्त प्रबंधक/सलाहकार (लागत)

NIC सेल MoD- MoD वेबसाइट पर होस्टिंग के लिए

फाइल संख्या 22(01)/2011/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

D/o भूतपूर्व सैनिक कल्याण

D(WE/Res-I)

221, B विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 19 नवंबर 2019

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों, जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और नेपाल के उन जिलों में निवास करते हैं जो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स / सशस्त्र बलों / सशस्त्र बलों के अद्यतन कार्यालयों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, को निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) प्रदान करना।

महोदय,

इसके अलावा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण आदेश संख्या 22(01)/2011/WE/D(Res-1) dt 01 Nov, 2018

2. मुझे नेपाल में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को नियत चिकित्सा भत्ता (FMA) के भुगतान के लिए पूर्वोक्त सरकारी आदेश के पैरा 6 में परिशिष्ट B के रूप में नेपाल के जिलों की सूची को शामिल करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और नेपाल के उन जिलों में रह रहे हैं जो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/ MI रूम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्हें ऊपर पैरा 1 में उद्धृत सरकारी आदेश में शामिल मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार ESMs को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया है।

3. यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होगा।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनकी ID No. 33(145)/12/Fin/Pen dt 31.10.2019 द्वारा जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

1. MoD (सेना) के AG, IHof
2. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
3. AOA, वायु HQ (VB)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)
6. DGADS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

7. RM के SO
8. RRM के PS

9. सचिव ESW के PPS
10. FA (DS) के PPS
11. JS (ESW) के PS
12. Addl. FA&JS(RK) MoD (Fin) के PS

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलिफोन/फैक्स - 2301/4946

रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 22(01)/2011/WE/D(Res-I) dt 19.11.2019 के परिशिष्ट B				
ESMs को समायोजित करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स/सशस्त्र बल क्लीनिक /MI रुम्स द्वारा कवर नहीं किए गए नेपाल के जिलों की सूची				
क्रमांक	नेपाल के जिले		नेपाल राज्य	ESMs को समायोजित करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स/सशस्त्र बल क्लीनिक/ MI रुम्स द्वारा कवर नहीं किए गए नेपाल के जिलों की सूची
1	1	सोलुखुम्बु	प्रांत नंबर 1	13
2	2	संखुवासभा		
3	3	ताप्लेजुंग		
4	4	ओखकधुंगा		
5	5	खोतांग		
6	6	भोजपुर		
7	7	तेहराथुम		
8	8	पांचथर		
9	9	उदयपुर		
10	10	धनकुटा		
11	11	इलम		
12	12	मोरंग		
13	13	झापा		
14	1	परसा	प्रांत नंबर 2	8
15	2	बारा		
16	3	रौतहाट		
17	4	सरलाही		
18	5	महोत्तरी		
19	6	धनुषः		
20	7	सिराहः		
21	8	सप्तरी		
22	1	भक्तपुर	प्रांत नंबर 3	12
23	2	ललितपुर		
24	3	रसुवा		
25	4	सिंधुपालचोक		
26	5	डोलखा		
27	6	रामेछाप		
28	7	सिंधुली		
29	8	कावरेपालनचोक		
30	9	मकवानपुर		
31	10	चितवानी		
32	11	धाडिग		
33	12	नुवाकोत		
34	1	बागलुङ	गंडकी प्रदेश	10
35	2	गोरखा		

36	3	लमजुन्गो		
37	4	मनांग		
38	5	मस्टांग		
39	6	म्यागदि		
40	7	नवलपुर		
41	8	परबत		
42	9	स्यांगजा		
43	10	तनहुन		
44	1	बर्दिया	प्रांत संख्या 5	12
45	2	बांके		
46	3	डैंग		
47	4	रोल्पा		
48	5	रुकुम		
49	6	बागलुङ		
50	7	प्युथान		
51	8	अर्घाचांची		
52	9	कपिलवस्तु		
53	10	पुपनदेही		
54	11	पाल्पा		
55	12	गुल्मिस		
56	1	दलेखी	करनाली प्रदेश	10
57	2	डोलपा		
58	3	हमला		
59	4	जजरकोट		
60	5	जुमला		
61	6	कालीकोट		
62	7	मुगु		
63	8	सल्यान		
64	9	सुरखेत		
65	10	पश्चिमी रुकुम		
66	1	अछाम	सुदुरपश्चिम	9
67	2	बैतादी		
68	3	बाजंग		
69	4	बाजुरा		
70	5	डडेलधुरा		
71	6	दार्चुला		
72	7	दोती		
73	8	कैलाली		
74	9	कंचनपुर		
कुल योग				74

संख्या 22D(11)/2019/D(WE)(Res-1)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग सेना भवन, नई दिल्ली-11

दिनांक 28 अगस्त 2020

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

विषय : केन्द्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) - Reg के लिए अतिरिक्त एक स्टाफ कार और चार हल्के वाहनों की स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या **24(2)/04/US(WE)/D(Res) dt 15 Jul 2005** के संदर्भ में, मुझे केवल आधिकारिक उपयोग के लिए केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) के लिए अतिरिक्त एक स्टाफ कार और चार हल्के वाहनों के प्राधिकरण के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. अधिकृत वाहनों को नियमानुसार किराए पर लिया जा सकता है।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति के साथ उनके **U.O. No. 32(02)/2020/Fin/Pen** दिनांक **17.08.2020** के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव,

भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. MD, ईसीएचएस (ECHS)	6. अतिरिक्त. FA (RK) & JS के PS
2. CGDA, नई दिल्ली	7. MoD (सेना) के AG, IHQ
3. Secretary, ESW के PPS	8. MGO शाखा
4. SDF के PPS	9. DFA (पेंशन)
5. JS (ESW) के PS	10. PCDA, नई दिल्ली



भाग - IX

चिकित्सा

फाइल संख्या 24(10)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार औषधि एवं उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से सरकार की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. एक साल बाद इस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 1275/PD/03 dt 24.11.2003 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. सीजीडीए, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के एसओ
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के पीपीएस
4. पीपीएस (अधिग्रहण) के एसएस
5. एसएस (टी) / पीपीएस के पीपीएस के एसएस(आई)
6. अतिरिक्त एफए (बी) / अतिरिक्त एफए (वी)
7. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8. संयुक्त सचिव (ओ/एन)
9. डायरेक्टर (वित्त/एजी)
10. रक्षा (वित्त/एजी/पीडी)
11. डीएफए (बी)/डीएफए (एन)/डीएफए (वायु सेना)
12. एएफए (बी-1)
13. डी (वर्क्स) / डी (मोव) / डी (मेड)
14. संचालन एवं रखरखाव इकाई

के लिए भी:-

15. डीजीएफएमएस
16. डीजीडीई, नई दिल्ली
17. डीजीडी सी एंड डब्ल्यू
18. क्यूएमजी
19. डीजीएमएस
20. डीजीएमएस (वायु)
21. डीजीएमएस (नौसेना)
22. एओए
23. सीओपी
24. एमडी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
25. एडीजी सी एंड डब्ल्यू
26. महाडायरेक्टर (कार्य), ई-इन-सी शाखा
27. एडीजी (एफपी)
28. सभी कमान मुख्यालय
29. एजी शाखा / सीडब्ल्यू-3

30. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)

31. वायु मुख्यालय (PS & R)

स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियां:-

32. सीडीए (सेना), बेंगलोर
33. सीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
34. सीडीए (सेना), पटना
35. सीडीए (एससी), पुणे
36. सीडीए (सेना), मेरठ
37. सीडीए (एनसी), जम्मू
38. सीडीए (अधिकारी), पुणे
39. सीडीए (नौसेना), बॉम्बे
40. सीडीए (एएफ), देहरादून
41. सीडीए (सेना), जबलपुर
42. सीडीए (सेना), सिकंदराबाद
43. सीडीए (सेना), लखनऊ
44. सीडीए (सेना), चेन्नई
45. सीडीए (सेना), कोलकाता
46. सीडीए (एएफ), दिल्ली
47. सीडीए (सेना), गुवाहाटी
48. सीडीए (सेना), पुणे
49. सीडीए (सेना), बॉम्बे
50. सीडीए (सेना), देहरादून

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की खरीद पर प्रक्रिया

दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की वार्षिक आवश्यकता की गणना

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (AFMS) की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मासिक रखरखाव के आंकड़ों (MMF) की गणना करके ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता का सालाना अनुमान लगाया जाएगा।

2. हालांकि, ईसीएचएस (ECHS) संचालन के शुरुआती तीन वर्षों में, MMF पॉलीक्लिनिक के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की मासिक आवश्यकता का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसलिए सैन्य स्टेशनों में संवर्धित सशस्त्र बल क्लीनिक (AFCs) के लिए अधिकृत मूल्य शब्दावली मेडिकल स्टोर (PVMS) के आधार पर दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के लिए आवश्यकताओं का आकलन वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी (SEMO)/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित स्टेशनों के (CMO)/ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) द्वारा किया जाएगा। गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के मामलों में, नियंत्रक उप-क्षेत्र मुख्यालय (मुख्यालय) द्वारा नामित सेवा अस्पताल के SEMO/कमांडिंग ऑफिसर पॉलीक्लिनिक के लिए वार्षिक आवश्यकताओं की गणना करेंगे। गणना निम्नलिखित अनुमानों/धारणाओं पर आधारित होगी:-

(a) **आवश्यक अनुमान**

- (i) मौजूदा भूतपूर्व सैनिकों (ESM) और पारिवारिक पेंशनभोगियों/विधवाओं की कुल संख्या।
- (ii) नए पेंशनभोगियों के वार्षिक ऐड-ऑन की अनुमानित संख्या।

(b) **धारणाएं**

- (i) प्रति ESM /विधवा आश्रितों की संख्या - 5
- (ii) ESM के योजना में शामिल होने की संभावना का अनुपात - पहली बार के दौरान 25%
- (iii) ESM के योजना में शामिल होने की संभावना का अनुपात - 5% प्रति वर्ष। अगले 5 सालों में

3. डिप्टी डायरेक्टर चिकित्सा सेवा (DDsMS) कमांड अपने अधिकार क्षेत्र में सभी पॉलीक्लिनिकों के लिए वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और इसे केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और डायरेक्टर जनरल सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (DGAFMS) को अग्रेषित करेंगे।

बजटीय सहायता

4. पिछले वर्ष के दौरान कमांड और व्यय से प्राप्त इनपुट के आधार पर, DGAFMS भारत सरकार के पत्र संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(ii) dt 08 Sep 03 के परिशिष्ट के भाग VI के पैरा 14 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 30 Dec तक केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की अनुमानित लागत का अनुमान लगाएगा।
5. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) इसके बाद ईसीएचएस (ECHS) के प्रमुख शीर्ष - 2076, (लघु शीर्ष - 107 (सी)) कोड शीर्ष - 363/01 से निधियां निर्धारित करेगा, जिसकी सूचना वित्तीय योजना निदेशालय (FP Dte) और DGAFMS को दी जाएगी। FP Dte, सेना मुख्यालय सभी SEMOs को आगे आवंटन के लिए आवंटित धनराशि को DGAFMS के निपटान में रखेगा।
6. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों को जारी करने की व्यवस्था DGAFMS द्वारा मौजूदा SEMOs के माध्यम से OIC ईसीएचएस (ECHS) PCs द्वारा उठाए गए अलग-अलग मांगपत्रों पर की जाएगी। SEMO सभी संबंधित ईसीएचएस (ECHS) PCs को वाउचर जारी करेंगे और OIC ईसीएचएस (ECHS) PC दवाओं का प्रभार लेने और प्रत्येक वाउचर पर RV नंबर का उल्लेख करने के बाद SEMO को जारी वाउचर की कॉपी वापस करेंगे।
7. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के इंडेंट का मूल्य सभी SEMOs द्वारा लगाया जाएगा। LAO वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार सेवा अस्पताल में समवर्ती लेखा परीक्षा करेगा। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) और DGAFMS को सूचित करते हुए, मूल्य वाउचर में वर्णित लागत को M H s द्वारा कोड शीर्ष 363/01 के तहत ईसीएचएस (ECHS) के नामे डेबिट किया जाएगा।

दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद

8. ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाएं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की खरीद DGAFMS द्वारा दवा प्रबंधन पर मानक संचालन प्रक्रिया dt 05 Sep 2017 (कॉपी संलग्न) में सन्निहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
9. दवाओं और चिकित्सा/गैर-चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए मौजूदा वित्तीय शक्तियों का उपयोग सभी SEMOs/SEDOs द्वारा दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए किया जाएगा (DFPDS-2016 का संदर्भ अनुसूची 2.3)।

दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की मांग, निर्गम और वितरण

10. इंडेंट। मांगपत्र पॉलीक्लिनिक द्वारा उठाए जाएंगे और SEMO/CMO/PMO/SEDO को प्रस्तुत किए जाएंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्थित है।
11. मुद्दा। ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए दवा खरीद की मुख्य जिम्मेदारी DGAFMS पत्र संख्या 19188/DGAFMS/DG-2C/ईसीएचएस (ECHS) dt 10 अक्टूबर 2016 के कार्यालय द्वारा SEMOs के साथ निहित की गई है (कॉपी संलग्न), DGAFMS के कार्यालय ने dt 07 Jul 2017 के पत्र संख्या 19189/DGAFMS/DG-2C

(कॉपी संलग्न) के माध्यम से SEMOs (कमांडेंट/OIC डेंटल यूनिट्स) द्वारा डेंटल exp स्टोर्स की खरीद के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

12. 05 Sep 2017 को दवा प्रबंधन पर SOP के पैरा 10 के अनुसार दवा खरीद के तरीकों का पालन किया जाएगा।

दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का लेखा-जोखा

13. औषधियों एवं उपभोग्य सामग्रियों का लेखा-जोखा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के निर्देशानुसार होगा। पॉलीक्लिनिक में ड्रग्स और उपभोग्य सामग्रियों को प्रभार में लिया जाएगा। डॉक्टरों के पर्चे के आधार पर खर्च विधिवत वसूल किया जाएगा। लेन-देन एक खाता बही में बनाए रखा जाएगा। अधिकारियों का एक बोर्ड हर महीने के अंत में स्टॉक लेने का कार्य करेगा। अधिकारियों के बोर्ड का विस्तार स्टेशन कमांडर द्वारा किया जाएगा। स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (LAO) द्वारा प्रत्येक तिमाही में बहीखातों का लेखा-जोखा किया जाएगा।

14. AFMS की अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी अधिशेष स्टॉक या जहरीली दवाओं का निपटान किया जाएगा। वित्तीय विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार स्टोर के नुकसान से निपटा जाएगा।

दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद

15. अनुपलब्ध दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद के लिए दवा प्रबंधन पर SOP के पैरा 10 (b) (ii) के अनुसार dt 05 Sep 2017 का पालन किया जाएगा।

16. सेना और नौसेना के सेवा अस्पतालों को DGAFMS द्वारा स्थानीय खरीद के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। वायु सेना के मामले में, वायु सेना में सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद की जाएगी। भुगतान स्टेशन मुख्यालय द्वारा नकद असाइनमेंट से किया जाएगा। DGAFMS AFMS अस्पतालों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेना, नौसेना और वायु सेना (वायु मुख्यालय के माध्यम से) के सेवा अस्पतालों को उप-आवंटित ईसीएचएस (ECHS) खरीद के लिए स्थानीय खरीद के खर्च की निगरानी करेगा।

(*पैरा 16 dt 19 Jul 05 के 24(10)/03/Pt-I/US(WE)/D(Res) द्वारा संशोधित)।

आपातकालीन, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की स्थानीय खरीद

(*पैरा 17 से 25 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(01)/2016/WE/D(Res-I) dt 22 Aug 2017 द्वारा संशोधित)।

फाइल संख्या. 24(8)/03/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली,

दिनांक 19 दिसम्बर 2003

सेवा में,,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के अंतर्गत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को अपनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. प्रक्रिया की समीक्षा एक वर्ष के बाद या जब भी आवश्यकता होगी, जो भी पहले हो, की जाएगी।
3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O No. 1363/PD/03 dt 17.12.2003 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. सीजीडीए, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के एसओ
3. एफए (डीएस) के पीपीएस
4. एएस (बी) (अधिग्रहण) के पीपीएस

5. एएस (टी) / पीपीएस के पीपीएस के एएस (आई)
6. अतिरिक्त एफए (बी) / अतिरिक्त एफए (वाई)
7. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8. संयुक्त सचिव (ओ/एन)
9. डायरेक्टर (वित्त/एजी)
10. रक्षा (वित्त/एजी/पीडी)
11. डीएफए (बी) / डीएफए (एन) / डीएफए (वायु सेना)
12. एएफए (बी-1)
13. डी (वर्क्स) / डी (एमओडी) / डी (मेड)
14. संचालन एवं रखरखाव इकाई

के लिए भी कॉपी:-

15. डीजीएएफएमएस
16. डीजीडीई, नई दिल्ली
17. डीजीडी सी एंड डब्ल्यू
18. क्यूएमजी
19. डीजीएमएस
20. डीजीएमएस (वायु)
21. डीजीएमएस (नौसेना)
22. एओए
23. सीओपी
24. एमडी केंद्रीय संगठन ईसीएचएस
25. एडीजी सी एंड डब्ल्यू
26. महाडायरेक्टर (कार्य), ई-इन-सी शाखा
27. एडीजी (एफपी)
28. सभी कमान मुख्यालय
29. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
30. एजी शाखा / सीडब्ल्यू-3
31. हवाई मुख्यालय (पीएस एंड आर)

स्याही से हस्ताक्षरित प्रतियां:-

32. सीडीए (सेना), बेंगलोर
33. सीडीए (डब्ल्यूसी), चंडीगढ़
34. सीडीए (सेना), पटना
35. सीडीए (एससी), पुणे
36. सीडीए (सेना), मेरठ
37. सीडीए (एनसी), जम्मू
38. सीडीए (अधिकारी), पुणे
39. सीडीए (नौसेना), बॉम्बे
40. सीडीए (एएफ), देहरादून
41. सीडीए (सेना), जबलपुर
42. सीडीए (सेना), सिकंदराबाद
43. सीडीए (सेना), लखनऊ
44. सीडीए (सेना), चेन्नई
45. सीडीए (सेना), कोलकाता
46. सीडीए (एएफ), दिल्ली
47. सीडीए (सेना), गुवाहाटी
48. सीडीए (सेना), बॉम्बे
49. सीडीए (सेना), देहरादून

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS))

चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति पर प्रक्रिया

स्वीकृति

1. पैनल में शामिल अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक केंद्रों को भुगतान और भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन, भारत सरकार के पत्र संख्या 22(1)/01/ US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के पैरा 2(j) के अनुसार है।

अस्पतालों के लिए रेफरल

2. सैन्य स्टेशन: भूतपूर्व सैनिक (ESM) और उनके आश्रितों को, जिन्हें अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता है, सामान्य तौर पर, स्टेशन के सेवा अस्पतालों में भेजा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए महाडायरेक्टर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (DGAFMS) ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों (युद्ध/संचालन प्रतिबद्धताओं को छोड़कर) के लिए सभी सेवा अस्पतालों में बिस्तरों का उपयुक्त अनुपात निर्धारित करेगा। सेवा अस्पताल में बिस्तरों/सुविधाओं की अनुपलब्धता के मामले में, रोगियों को प्रवेश के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाएगा।

3. गैर सैन्य स्टेशन: गैर-सैन्य स्टेशनों में, ESM और उनके आश्रितों को ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निकटतम सेवा अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाएगा।

पैनल में शामिल अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/डायग्नोस्टिक केंद्रों को भुगतान।

4. पैनल में शामिल अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों को ईसीएचएस (ECHS) द्वारा भुगतान निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा: -

(a) पैनलबद्ध अस्पताल / नर्सिंग होम / डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए रेफरल। पैनल में शामिल संस्थाओं को बिलों का भुगतान तभी अधिकृत होगा जब रोगियों को आवश्यक उपचार/जांच के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से रेफर किया जाएगा। जीवन रक्षक/आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर अस्पताल केवल उन्हीं स्थितियों के लिए रोगियों का उपचार करेंगे जिनके लिए उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से विशेष रूप से रेफर किया गया है।

(b) पैनल में शामिल अस्पतालों/नैदानिक केंद्र को शुल्क का भुगतान।

(i) CGHS के अंतर्गत आने वाले शहरों/कस्बों में पैनल में शामिल अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों को भुगतान की दरें CGHS के लिए निर्धारित पैकेज डील दरों द्वारा शासित होंगी। विभिन्न शहरों/कस्बों के लिए CGHS के लिए निर्धारित दरें संबंधित/आसन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए लागू होंगी।

(ii) CGHS के अंतर्गत नहीं आने वाले शहरों/कस्बों में स्थित पॉलीक्लिनिकों के लिए, पैनलबद्ध अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों को भुगतान की दरों पर बातचीत की जाएगी और ईसीएचएस (ECHS) द्वारा उपलब्ध सुविधाओं और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर तय किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित दरें, किसी भी परिस्थिति में, CGHS के अंतर्गत आने वाले निकटतम शहरों/कस्बों पर लागू CGHS दरों से अधिक नहीं होंगी।

(iii) CGHS पैकेज सौदों की सूची में नहीं होने वाली बीमारियों और स्थितियों के लिए, पैनल में शामिल अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेंटर को भुगतान एम्स नई दिल्ली की दरों पर या वास्तविक, जो भी कम हो,

होगा। जहां एम्स की दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां दवाओं की वास्तविक लागत और कमरे के किराए आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) पैकेज डील दरों में प्रवेश शुल्क, आवास शुल्क, ICU/ICCU शुल्क, निगरानी शुल्क, ऑपरेशन थिएटर शुल्क, ऑपरेशन शुल्क, संवेदनाहारी शुल्क, प्रक्रियात्मक शुल्क/सर्जन शुल्क, लागत अस्पताल में भर्ती होने के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल, सर्जिकल शुल्क और दवाओं की लागत, संबंधित नियमित जांच, फिजियोथेरेपी शुल्क आदि सहित किसी विशेष उपचार/प्रक्रिया से संबंधित सभी शुल्क शामिल होंगे। ।

(v) पैकेज दर में आहार, टेलीफोन शुल्क, टीवी शुल्क और सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन और टॉनिक की लागत शामिल नहीं है। इनकी लागत, यदि पेश की जाती है, तो रोगी के अनुरोध पर व्यक्तिगत रूप से रोगी से वसूल की जाएगी और पैकेज शुल्क में शामिल नहीं की जाएगी।

(vi) पैकेज डील में निम्न शामिल हैं

- विशेष प्रक्रिया के लिए 12 दिन
- अन्य प्रक्रियाओं के लिए 7-8 दिन
- लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 3 दिन
- डे केयर/मामूली प्रक्रियाओं (OPD) के लिए 1 दिन

(vii) यदि लाभार्थी को अपनी वसूली के लिए पैकेज दर में शामिल अवधि से अधिक समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है, तो अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पात्रता के अनुसार अतिरिक्त प्रवास के लिए कमरे के किराए, निर्धारित दवाओं और जांच की लागत, डॉक्टरों के दौरे (दिन में 2 बार से अधिक नहीं) तक सीमित होगी।

(viii) यदि एक या अधिक उपचार प्रक्रियाएं एक प्रमुख उपचार प्रक्रिया का हिस्सा बनती हैं, तो प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए पैकेज शुल्क लिया जाएगा और अन्य प्रक्रियाओं के लिए उद्धृत अनुमोदित शुल्क का केवल आधा पहली बड़ी प्रक्रिया के पैकेज शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ix) दरें केवल एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए लागू होंगी। होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद या पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए किसी शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(x) एक पैनलबद्ध अस्पताल/निदान केंद्र जिसकी प्रक्रिया/परीक्षण/सुविधा के लिए दरें अनुमोदित दरों से कम हैं, लाभार्थियों से वास्तविक शुल्क वसूल करेगा। अनुमोदित/पैकेज डील दरों से अधिक व्यय हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(xi) ऐसी सेवाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी दायित्व को सूचीबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्रों द्वारा निपटाया जाएगा जो अकेले जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में ईसीएचएस (ECHS) का कोई कानूनी दायित्व नहीं होगा।

(c) संबद्ध शुल्क

(i) आहार शुल्क। 2025/- रुपये प्रति माह तक की मूल पेंशन वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी पैनल में शामिल अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मुफ्त आहार के हकदार होंगे। टीबी या मानसिक रोग से पीड़ित होने पर, 3000/- रुपये प्रति माह तक की मूल पेंशन वाले लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान मुफ्त आहार के हकदार होंगे।

(ii) विशेष नर्सिंग / परिचारक शुल्क। विशेष नर्सिंग शुल्क और/अथवा परिचारक प्रभार तब स्वीकार्य होंगे जब ऐसी नर्सिंग/उपस्थिति रोगी की गंभीर स्थिति के ठीक होने/रोकथाम के लिए आवश्यक हो, जैसा कि मामले के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। ऐसे सभी मामलों में संबंधित

पॉलीक्लिनिक के माध्यम से SEMO/SMO/PMO का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। विशेष नर्सिंग और परिचारक के लिए दर सीमा CGHS के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। विशेष नर्सिंग/अटेंडेंट केवल अस्पतालों/नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के लिए लागू होगा और निवास में लागू नहीं होगा।

(iii) इनडोर उपचार के लिए पात्रता। CGHS पर लागू प्रभार लागू होंगे। इस पत्र के जारी होने से ईसीएचएस (ECHS) के लाभार्थी पैनल में शामिल अस्पतालों में अपनी रैंक संरचना के अनुसार सामान्य/अर्ध-निजी/निजी वार्ड सुविधा के हकदार होंगे:

	रैंक	आवास अस्पतालों की पात्रता
अधिकारी		निजी वार्ड
JCOs	(लेफ्टिनेंट/कैप्टन और समकक्ष के मानद रैंकों सहित सब-से-सब मेजर तक)	सेमी प्राइवेट वार्ड
NCOs	(Sep से हवलदार सहित नायब सूबेदार और समकक्ष के मानद रैंक)	सामान्य वार्ड

(*भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(04)/2010/WE/D(Res-I) dt 29 Dec 2017 द्वारा संशोधित)।

(iv) एसी शुल्क। ICU/ICCU के मरीजों, निजी वार्ड के मरीजों और विशेष उपचार वाले मरीजों के लिए एसी शुल्क दर में शामिल किया जाएगा। अन्य सभी स्थितियों में जहां रोगी के उपचार के लिए एसी नितांत आवश्यक है, ऐसे शुल्कों को उपचार करने वाले चिकित्सक से एक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ शामिल किया जाएगा।

(d) बिल। पैनल में शामिल अस्पताल के बिलों में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- आहरित चिकित्सा अग्रिम, यदि कोई हो।
- पॉलीक्लिनिक से रेफरल पर्ची और ईसीएचएस (ECHS) कार्ड की फोटोकॉपी।
- प्रवेश और छुट्टी पर्ची की प्रति
- परिणाम सहित मामले का सारांश
- परामर्श शुल्क/नैदानिक/पैकेज शुल्क जैसा लागू हो।
- अन्य शुल्क यदि कोई हो, जो ऊपर शामिल नहीं है (विनिर्दिष्ट किया जाए)।

(e) भुगतान का तरीका: अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा बिल और संबंधित दस्तावेज उस पॉलीक्लिनिक में जमा किए जाएंगे जहां से मरीज को रेफर किया गया था। प्रभारी अधिकारी (OIC) पॉलीक्लिनिक बिलों को प्रमाणित करेंगे और संबंधित वरिष्ठ कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी (SEMO)/ प्रधान चिकित्सा अधिकारी ((PMO)/ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (SMO) को जांच के लिए भेजेंगे और भुगतान के लिए स्टेशन मुख्यालय को आगे भेजेंगे। भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा और पोस्ट-ऑडिट के अधीन होगा।

(f) सैन्य अस्पतालों में उपचार: अस्पताल के स्टॉपेज रोल और सैन्य अस्पतालों में इलाज के लिए खर्च किए गए किसी भी अन्य शुल्क का सदस्य द्वारा पूरा भुगतान किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

विशेष उपचार

5. विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए रेफरल और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

(a) विशिष्ट परीक्षण और उपचार

(i) रेफरल प्रक्रिया। भूतपूर्व सैनिकों या आश्रितों को केवल पॉलीक्लिनिक के विशेषज्ञ, सेवा अस्पताल के विशेषज्ञ या पैनल में शामिल अस्पतालों/निदान केंद्र के विशेषज्ञ द्वारा विशेष परीक्षण और उपचार के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों/निदान केंद्रों में भेजा जाएगा। केवल आपात स्थिति और जीवन के लिए खतरा स्थितियों के मामले में पॉलीक्लिनिक का एक गैर विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी रोगी को सीधे विशेष परीक्षण और उपचार के लिए संदर्भित करेगा। ऐसे मामलों में, इस आशय का एक प्रमाण पत्र संदर्भित चिकित्सा अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा। पैनल में शामिल विशेषज्ञों/सुपर स्पेशलिस्ट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) विशेषता उपचार। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और अन्य महंगे स्पेशलिटी ट्रीटमेंट/सर्जरी में उपचार प्रक्रियाओं के लिए, समय-समय पर संशोधित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भुगतान CGHS दरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अगर इलाज के लिए CGHS दरें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो एम्स की दरें या वास्तविक, जो भी कम हो, लागू होंगी। जहां एम्स की दरें उपलब्ध नहीं हैं, वहां दवाओं की वास्तविक लागत और कमरे के किराए आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(b) राष्ट्रीय ख्याति के चिकित्सा संस्थानों में उपचार - कुछ अस्पताल/संस्थान पोस्ट-पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे संस्थान आमतौर पर ईसीएचएस (ECHS) के तहत सूचीबद्ध नहीं होंगे। तथापि, नीचे सूचीबद्ध राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश/उपचार की अनुमति होगी। यदि ESM या उनके आश्रितों को ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा नीचे उल्लिखित किसी भी संस्थान में भेजा जाता है, तो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक द्वारा रेफरल फॉर्म जमा करने और संबंधित अस्पताल से अनुमान लगाने के बाद, संबंधित अस्पताल को देय क्रॉस चेक के रूप में संबंधित स्टेशन मुख्यालय से रोगी द्वारा एक अग्रिम लिया जाएगा। जिन अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था की अनुमति होगी वे होंगे: -

- (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- (ii) स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़
- (iii) संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ।
- (iv) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर।
- (v) टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई (ऑन्कोलॉजी के लिए)
- (vi) जिपमर, पांडिचेरी।
- (vii) क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर।
- (viii) शंकर नेत्रालय, चेन्नई।
- (ix) केंद्र या राज्य सरकारों के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल।

6. कुछ विशेष परिस्थितियों में दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब रोगी को पॉलीक्लिनिक द्वारा विशेष उपचार के लिए भेजा जाएगा और दवाओं को छुट्टी पर तत्काल प्रभाव से लेने के लिए निर्धारित किया जाएगा। विशेष शर्तें निम्न हैं:-

- (a) प्रमुख कार्डियक सर्जरी/इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के पोस्ट ऑपरेटिव मामले
- (b) ऑन्कोलॉजी।

- (c) पोस्ट ऑपरेटिव अंग प्रत्यारोपण के मामले।
- (d) पोस्ट ऑपरेटिव संयुक्त प्रतिस्थापन मामले।
- (e) पोस्ट ऑपरेटिव प्रमुख न्यूरोसर्जिकल / न्यूरोलॉजी मामले।

7. भूतपूर्व सैनिक को छुट्टी के तुरंत बाद ओ ओ I/C पॉलीक्लिनिक को उपरोक्त शर्तों के लिए दवाओं के लिए उपयुक्त नुस्खे प्रस्तुत करना चाहिए। ओ ओ I/C पॉलीक्लिनिक द्वारा सामान्य चैनलों के माध्यम से AFMSD को दवाओं की विशेष मांग उठाई जाएगी। सामान्य प्रक्रियाओं के तहत AFMSD से दवाएं खरीदी जाएंगी। AFMSD में 'उपलब्ध नहीं' होने पर संबंधित SEMO से दवाएं खरीदी जाएंगी। अंतरिम में, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा खरीदी गई दवा की प्रतिपूर्ति की जाती है। ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति की अवधि अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक महीने बाद या पॉलीक्लिनिक से दवा जारी करने की तारीख जो भी पहले हो, तक सीमित होगी।

आपातकालीन उपचार

8. आपात स्थिति और जीवन के लिए खतरा स्थितियों में, अगर मरीज सामान्य रेफरल प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, रोतो गी निकटतम अस्पताल, अधिमानतः सूचीबद्ध में रिपोर्ट कर सकते हैं।

(a) पैनलबद्ध अस्पताल - ईसीएचएस (ECHS) कार्ड से ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता की पुष्टि पर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में ESM को तत्काल आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाएगा। इस तरह के उपचार के लिए भुगतान निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा: -

- (i) पैनल में शामिल अस्पताल ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को आपातकालीन प्रवेश के बारे में जल्द से जल्द सूचित करेगा लेकिन 24 घंटे के बाद नहीं।
- (ii) पैनल में शामिल अस्पताल ईसीएचएस (ECHS) सदस्य से भुगतान नहीं लेगा।
- (iii) आपातकालीन प्रक्रिया के लिए खर्च की गई वास्तविक लागत ईसीएचएस (ECHS) द्वारा देय होगी। आपातकालीन उपचार का बिल सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भुगतान के लिए संबंधित पॉलीक्लिनिक को भेजा जाएगा। ऐसे बिल लाल रंग में ब्लॉक कैपिटल में लिखे गए 'इमरजेंसी ट्रीटमेंट' के साथ निर्धारित किए जाएंगे।
- (iv) एक पैनलबद्ध अस्पताल में ईसीएचएस (ECHS) सदस्य के प्रवेश के बारे में जानने पर, कार्यालय प्रभारी पॉलीक्लिनिक तथ्यों के सत्यापन की व्यवस्था करेगा।
- (v) यदि, जांच/उपचार के दौरान एक विशिष्ट निदान स्थापित किया जाता है जिसके लिए आगे प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तो तथ्यों को संबंधित कार्यालय प्रभारी पॉलीक्लिनिक द्वारा सत्यापित किया जाएगा और रोगी को औपचारिक रूप से उसके लिए संदर्भित किया जाएगा।
- (vi) पैनल में शामिल अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा कदाचार, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही के मामले में विशेष रूप से आपात स्थिति के प्रबंधन में अस्पताल या नर्सिंग होम को हटाने के लिए स्टेशन कमांडर द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(b) गैर-सूचीबद्ध अस्पताल - भूतपूर्व सैनिक या उनके प्रतिनिधि को ऐसे प्रवेश के 48 घंटे के भीतर निकटतम पॉलीक्लिनिक को सूचित करना चाहिए। बिल चुकाने की जिम्मेदारी भूतपूर्व सैनिक की होगी। वह मामले के सारांश के साथ बिल संबंधित पॉलीक्लिनिक को प्रस्तुत करेगा। अनुमोदित दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की स्वीकृति केन्द्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसे बिल अस्पताल से छुट्टी मिलने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जमा किए जाएंगे।

(c) पैनल में शामिल या गैर-सूचीबद्ध अस्पताल आपात स्थिति में चिकित्सा लापरवाही के मामले में लाभार्थियों को नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और अस्पताल/नर्सिंग होम अकेले कानूनी देनदारियों से निपटेगा, यदि कोई हो। ऐसे मामलों में ईसीएचएस (ECHS) का कोई कानूनी दायित्व नहीं होगा।

अन्य शर्तें

9. ऐसे मामलों में जहां सशस्त्र सेना अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है और कुछ विशेष परिस्थितियों में, रेफरल और उपचार की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(a) टीबी और कुष्ठ - कोई ओपीडी शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा। टीबी और कुष्ठ का इलाज जिला स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि जब रोगियों को इस स्थिति के लिए प्रवेश की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए LRM इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड अलाइड डिजीज पर लागू CGHS की दरें लागू होंगी।

(b) सुनने वाले यंत्र - क्लीनिकल और ऑडियोमेट्रिक औचित्य के बाद ENT विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर उपकरण रोगियों को दे दिए जाएंगे, OIC पॉलीक्लिनिक, SEMO के परामर्श से हियरिंग एड की खरीद करेगा, और ESM को जारी करेगा। निंदा प्रमाण पत्र और ENT विशेषज्ञ के अनुमोदन के आधार पर हियरिंग एड के न्यूनतम 5 वर्ष के जीवन के बाद प्रतिस्थापन की अनुमति है। डिजिटल हियरिंग एड कम से कम एक सेवा विशेषज्ञ सहित तीन ENT विशेषज्ञों की सिफारिशों पर ही दिया जाएगा। हियरिंग एड की वास्तविक लागत या CGHS दरें जो भी कम हो, लागू होंगी।

(c) मानसिक रोग - मानसिक बीमारी के सभी मामलों में रोगी को OPD परामर्श के लिए सेवा मनोचिकित्सक/सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजा जाएगा। रोगी के लिए जारी औषधियों की खरीद OIC पॉलीक्लिनिक/SEMO द्वारा विशेष मांग के माध्यम से की जाएगी। अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता वाले मामलों को केवल अधिकृत सूचीबद्ध/सरकारी अस्पतालों को भेजा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के प्रावधान, यथा संशोधित, ऐसे सभी अस्पताल में प्रवेश के लिए लागू होंगे। सरकारी अस्पतालों में दाखिले के लिए पूरा भुगतान किया जाएगा और पैनल में शामिल अस्पतालों के लिए CGHS की निर्धारित दरें लागू होंगी।

(d) HIV/AIDS - AIDS के कारण सेवा से बाहर हो चुके भूतपूर्व पेंशनभोगियों को छुट्टी के समय ऐसे उपचार के लिए सशस्त्र बल केंद्रों द्वारा निर्धारित उपचार प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को छुट्टी मिलने के दो महीने बाद से उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। आश्रितों सहित ईसीएचएस (ECHS) के सदस्यों के बीच HIV/AIDS के ताजा मामलों को निकटतम सशस्त्र बल प्रतिरक्षा-कमी केंद्रों में भेजा जाएगा, और इन केंद्रों से निर्धारित उपचार केवल उपलब्ध कराया जाएगा।

(e) कृत्रिम अंग/उपकरण - कृत्रिम अंग केंद्र (ALC) पुणे, और AFMS अस्पतालों में कृत्रिम अंग उप केंद्रों में खरीदे और लगाए जाने पर कृत्रिम अंगों/उपकरणों की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। CGHS दरें पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज किए गए अन्य मामलों में लागू होंगी।

(f) पुनर्वास/टर्मिनल देखभाल - पैनलबद्ध पुनर्वास घरों और धर्मशालाओं में पुनर्वास/टर्मिनल देखभाल प्रदान की जाएगी। सेवा अस्पतालों या पैनलबद्ध अस्पतालों/नर्सिंग होम में भर्ती मरीज, जहां उपचार अंतिम चरण में पहुंच गया है और निश्चित चिकित्सा उपचार अपना कोर्स चला चुका है, को नर्सिंग देखभाल और पुनर्वास के लिए पुनर्वास गृहों/हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। जिन शर्तों के लिए पुनर्वास देखभाल स्वीकार्य होगी, वे पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, अल्जाइमर रोग, मस्तिष्क-संवहनी दुर्घटनाएं, अन्य तंत्रिका संबंधी और अपक्षयी विकार, अंगच्छेदन, कैंसर टर्मिनल देखभाल और ऐसी अन्य चिकित्सा स्थितियां होंगी जब उपचार करने वाले विशेषज्ञों द्वारा विधिवत

संदर्भित किया जाएगा। इन रेफरल के लिए SEMO/SMO/PMO का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मामलों के लिए भुगतान निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:

- (i) पुनर्वास/टर्मिनल देखभाल मामलों के लिए भुगतान की दरें CGHS नियमों के अनुसार विशेष नर्सिंग/आया/अटेंडेंट शुल्क प्लस चिकित्सा उपचार के लिए CGHS के तहत अनुमत अधिकतम दरों तक सीमित होंगी। जहां CGHS की दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, वहां एम्स शुल्क या वास्तविक जो भी कम हो, लागू होगा। यदि एम्स द्वारा दरों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो वास्तविक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पुनर्वास देखभाल/टर्मिनल देखभाल में वृद्धाश्रम शामिल नहीं है।
 - (ii) प्रतिपूर्ति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक सीमित होगी। इसके बाद इस तरह की देखभाल का खर्च रोगी को वहन करना होगा।
- (g) निवास के लिए चिकित्सा उपकरण - नेबुलाइज़र, CIPAP/BIPAP मशीन और CGHS के तहत अधिकृत ग्लूकोमीटर आदि सहित चिकित्सा उपकरण सदस्यों को जारी किए जाएंगे, जब विशेषज्ञ की सिफारिशों पर चिकित्सा आधार पर ऐसे उपकरणों का उपयोग बिल्कुल आवश्यक और संबंधित विशेषता के वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार द्वारा अनुमोदित माना जाता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक स्थित है। OIC पॉलीक्लिनिक (चिकित्सा प्रबंधन पर SOP के पैरा 52 (g) के संदर्भ में) द्वारा विशेष मांग के माध्यम से संबंधित SEMO द्वारा उपकरण की खरीद की जाएगी। मरम्मत और वार्षिक रखरखाव अनुबंधों की लागत सदस्य द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी।
- (*पैरा 9 (g) भारत सरकार के पत्र संख्या 18(114)/2017/WE/D(Res-I) dt 18 Sep 2019 द्वारा संशोधित)
- (h) चिकित्सा जांच/स्वास्थ्य जांच/स्क्रीनिंग परीक्षण - ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी वर्ष में एक बार पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा जांच/स्वास्थ्य जांच करा सकते हैं। चिकित्सा जांच/स्वास्थ्य जांच पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध सुविधाओं तक सीमित होगी। मेडिकल जांच/स्वास्थ्य जांच/स्क्रीनिंग परीक्षण के लिए पैनेल में शामिल संस्थानों को रेफर करने की अनुमति नहीं है। सभी 227 पॉलीक्लिनिकों की स्थापना और पूरी तरह कार्यात्मक होने के बाद ही इस तरह की चिकित्सा परीक्षाओं की अनुमति दी जाएगी।
- (i) दंत चिकित्सा उपचार - रेफरल सहित दंत चिकित्सा उपचार अन्य चिकित्सा मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक या सर्विस डेंटल ऑफिसर के डेंटल ऑफिसर द्वारा सलाह दिए जाने पर ही डेन्चर की अनुमति होगी। CGHS दरों के अनुसार योजना के प्रत्येक सदस्य/आश्रित के लिए केवल एक बार के आधार पर एक विशेष प्रकार के आंशिक/पूर्ण डेन्चर की अनुमति होगी।
- (j) इंट्रा ओकुलर लेंस - इंट्रा ओकुलर लेंस (IOL) इम्प्लांटेशन ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों को अधिमानतः निकटतम सर्विस आई सेंटर में प्रदान किया जाएगा। सिविल अस्पतालों में किए गए IOL प्रत्यारोपण के मामले में, भुगतान मौजूदा CGHS दरों तक सीमित होगा। इम्प्लांट किए गए IOL के प्रकार/मेक को पैनेल में शामिल अस्पताल द्वारा बिलों में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (k) चश्मा - मोतियाबिंद के पारंपरिक ऑपरेशन के मामलों में ऑपरेशन के बाद को छोड़कर ईसीएचएस (ECHS) के तहत चश्मा प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में चश्मे की कीमत 200/- रुपये तक ही सीमित होगी। चश्मा बदलने की अनुमति तीन साल में एक बार दी जाएगी, बशर्ते कि इसे पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारियों या पैनेल में शामिल सलाहकार की सलाह पर किया जाए।
- (l) प्लास्टिक सर्जरी - ईसीएचएस (ECHS) के तहत प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्रतिपूर्ति, भुगतान की अनुमति चिकित्सीय कारणों को छोड़कर और SEMO/SMO/ PMO की सिफारिशों पर अभिघातज के बाद के मामलों में स्वीकार्य नहीं होगी। CGHS के प्रावधान और पैकेज डील रेट/सीलिंग लागू होंगे।

डायग्नोस्टिक परीक्षण और अन्य जांच शुल्क

10. सामान्य तौर पर ईसीएचएस (ECHS) क्लीनिकों में जांच/प्रयोगशाला निदान किया जाएगा। परीक्षाओं के लिए रेफरल, यदि आवश्यक हो, केवल चिकित्सा अधिकारी ईसीएचएस (ECHS)/विशेषज्ञ द्वारा पैनल में शामिल नैदानिक केंद्रों/अस्पतालों/नर्सिंग होमों में किया जाएगा। सभी प्रकार के लाभार्थियों के लिए दरें समान होंगी। जांच के लिए CGHS द्वारा अनुमोदित शुल्क ईसीएचएस (ECHS) के लिए मान्य होंगे।

OPD शुल्क

11. ऊपर पैरा 6 में सूचीबद्ध विशेष शर्तों के अलावा बाह्य रोगी उपचार के लिए दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। ईसीएचएस (ECHS) क्लीनिक द्वारा दवाएं खरीदी जाएंगी और मरीजों को जारी की जाएंगी।

यात्रा भत्ता

12. रेफर किए गए क्लीनिकों में रोगी की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(a) स्वीकार्यता

(i) चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता (दोनों तरीकों से) ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को दूसरे शहर में इलाज के लिए स्वीकार्य है, यदि ऐसा उपचार उसी शहर में उपलब्ध नहीं है और ईसीएचएस (ECHS) चिकित्सा अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी जाती है। अनुमेय राशि कम से कम/मुख्य मार्ग से सेवानिवृत्ति के समय लागू होने वाली हकदार श्रेणियों में रेल किराए या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(ii) एक परिचारक या अनुरक्षक जिसे रोगी के साथ यात्रा करने की आवश्यकता होती है, यात्रा भत्ते के लिए पात्र होगा यदि चिकित्सा अधिकारी / रोगी की उपस्थिति ने लिखित रूप में प्रमाणित किया है कि रोगी के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है और रोगी के साथ जाने के लिए ऐसा परिचारक अनुरक्षण आवश्यक है। रोगी को स्वीकार्य राशि प्रतिपूर्ति योग्य है।

(b) एम्बुलेंस - पॉलीक्लिनिक में अधिकृत एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग उसी शहर में सेवा/पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफर किए जाने पर रोगियों के लिए किया जा सकता है।

फाइल संख्या 22D(18)/09/US(WE)/D(Res)/Pt-I

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और 24(4)(b)/03/US(WE)/D(Res) dt 11 Aug 2003 के संदर्भ में, मुझे सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि इस पत्र के परिशिष्ट में उल्लिखित चिकित्सा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया का ईसीएचएस (ECHS) द्वारा तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा।

2. यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(4)(b)/03/US(WE)/D(Res) dt 11 Aug 2003 का स्थान लेता है।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 553/fin/pen dt 19 Mar 2010 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एम.एम सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के परिशिष्ट

फाइल संख्या 22D(18)/09/US(WE)/D(Res)/Pt1

दिनांक 13 अप्रैल 2010

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया

उपकरण की स्वीकृति

1. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा उपकरण का प्राधिकरण भारत सरकार के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए बजटीय सहायता

2. भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के परामर्श से प्रासंगिक बजट शीर्ष से चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और महाडायरेक्टर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को आवंटन के लिए ADG (वित्तीय योजना) को इसकी सूचना देगा। (DGAFMS)

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

3. चिकित्सा उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए और इस तरह ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित संरचना के साथ एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है:

- (a) अध्यक्ष - संयुक्त सचिव (ESW)
- (b) सदस्य - अतिरिक्त FA और JS
- (c) सदस्य प्रतिनिधि - DDG (प्रावधान) DGAFMS
- (d) सदस्य-पेशेवर उपयोगकर्ता - संबंधित से विशेषज्ञ (जब और जब आवश्यक हो)
- (e) सदस्य सचिव - डायरेक्टर (चिकित्सा) ईसीएचएस (ECHS)

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

4. 2000 की सामान्य DGAFMS प्रक्रिया के अनुसार, खरीद का तरीका खुली निविदाओं के माध्यम से है। हालांकि, खरीद में तेजी लाने के लिए, अधिकार प्राप्त समिति विज्ञापित निविदा पूछताछ (ATI) के माध्यम से DGAFMS द्वारा की गई अंतिम खरीद के आधार पर उत्पन्न विक्रेता आधार का उपयोग करेगी, जो दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

5. पिछले दो वर्षों की सीमा को पर्याप्त माना गया है क्योंकि चिकित्सा उपकरणों में अप्रचलन दर अधिक है, और इसलिए सीमा को दो साल से आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। खरीद की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-

- (a) अधिकार प्राप्त समिति पिछले 2 वर्षों के दौरान DGAFMS द्वारा खरीदे गए उपकरणों के QRs के माध्यम से जाएगी (अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार के समय) और यह तय करेगी कि QRs व्यापक आधारित हैं और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स की सभी मौजूदा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- (b) ऐसे मामलों में जहां QRs कुल मिलाकर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पाए जाते हैं और किसी बड़े संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अधिकार प्राप्त समिति अंतिम खरीद के लघु सूचीबद्ध विक्रेताओं की जांच करेगी। जहां अधिकार प्राप्त समिति पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का निर्णय लेती है, DGAFMS लघु सूचीबद्ध विक्रेताओं से तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित करने के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके बाद, खरीद की प्रक्रिया पैरा 6 और 7 के अनुसार की जाएगी।
- (c) अन्य मामलों में विज्ञापित निविदा पूछताछ (ATI) का सहारा लिया जाएगा और पैरा 6 और 7 के अनुसार खरीद की प्रक्रिया की जाएगी। ये मामले शुरू हो सकते हैं:
 - (i) जहां अधिकार प्राप्त समिति यह निर्णय लेती है कि पिछली खरीद में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उपलब्ध नहीं थी; या
 - (ii) जहां QRs को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है; या
 - (iii) जहां पिछले दो वर्षों में उक्त उपकरण की खरीद नहीं की गई है।

6. बोलियों का मूल्यांकन

(a) तकनीकी बोलियां: सभी तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित स्थायी तकनीकी समिति द्वारा किया जाएगा: अध्यक्ष - कमांडेंट, सशस्त्र बल क्लिनिक (AFC)

सदस्य - संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ

सदस्य सचिव - डायरेक्टर (चिकित्सा), ईसीएचएस (ECHS)

तकनीकी समिति की रिपोर्ट अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(b) वाणिज्यिक बोलियां: तकनीकी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य फर्मों की वाणिज्यिक बोलियां DGAFMS के कार्यालय में खोली जाएंगी। DGAFMS द्वारा एक CST (निविदाओं का तुलनात्मक विवरण) तैयार किया जाएगा और विधिवत गठित मूल्य वार्ता समिति (PNC) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा जो L-1 विक्रेता के साथ नियम और शर्तों पर बातचीत करेगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है:-

(i) 50 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच के मामलों के लिए

अध्यक्ष - डायरेक्टर/डीएस (Res-1)

सदस्य - डायरेक्टर (F)/DFA संबंधित

सदस्य - DDG (प्रोव) सदस्य - डायरेक्टर (चिकित्सा) ईसीएचएस (ECHS)

(ii) 3 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मामलों के लिए

अध्यक्ष - संयुक्त सचिव ((ESW)) सदस्य - संयुक्त सचिव और अतिरिक्त FA

सदस्य - ADGAFMS (E&S) सदस्य - डायरेक्टर (चिकित्सा) ईसीएचएस (ECHS)

7. निविदा की स्वीकृति : अनुशंसाओं को अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति/ CFA को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. अन्य उपकरण: स्टेथोस्कोप, प्रयोगशाला कांच के बने पदार्थ, परीक्षा हथौड़ा, नेत्रगोलक आदि बनाने वाली अन्य चिकित्सा वस्तुओं को निम्नानुसार संसाधित किया जाएगा: -

- (a) अन्य उपकरणों के लिए पैमानों को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
- (b) यदि आइटम DGAFMS की वित्तीय शक्तियों के भीतर खरीदा जा सकता है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र संख्या 14(1)/98/D (Med) dt 13 Mar 2000 द्वारा परिचालित निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदा जाएगा।
- (c) यदि आइटम DGAFMS की वित्तीय शक्तियों से परे है, तो उसे अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।

9. मरम्मत/रखरखाव और वार्षिक अनुबंध: चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव की प्रक्रिया सेवा अस्पतालों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

रक्षा मंत्रालय (पूर्व सैनिकों का विभाग)

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) दरों में संशोधन

उपर्युक्त विषय पर संदर्भ केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) ID No. B/49773/AG/ECHS/CGHS dt 3 Jul 2009

2. वर्तमान में ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अपनाई जा रही पूर्व संशोधित CGHS दरें केवल कुछ समय के लिए ही जारी रह सकती हैं जब तक कि CGHS द्वारा दूसरा संशोधन प्रभावी नहीं हो जाता। चूंकि दिल्ली के लिए दरों के लिए दूसरा संशोधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, इसलिए तत्काल प्रभाव से दिल्ली के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा इसका पालन किया जा सकता है। जब कभी अन्य शहरों के लिए CGHS द्वारा दूसरी संशोधन दरों को लागू किया जाता है, तो तदनुसार ईसीएचएस (ECHS) द्वारा इसका पालन किया जा सकता है।
3. CGHS के अंतर्गत नहीं आने वाले शहरों/कस्बों में स्थित पॉलीक्लिनिकों के लिए, पैनल में शामिल अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों को भुगतान की दरों पर बातचीत की जाएगी और उपलब्ध सुविधाओं और मौजूदा बाजार दरों के आधार पर ईसीएचएस (ECHS) द्वारा तय किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित दरें, किसी भी परिस्थिति में, CGHS के अंतर्गत आने वाले निकटतम शहरों/कस्बों पर लागू CGHS दरों से अधिक नहीं होंगी (सरकारी पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec के अनुसार 2003), प्रति संलग्न है।
4. सभी हितधारकों को नई दरों के बारे में जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करने के लिए MD ईसीएचएस (ECHS) द्वारा रक्षा मंत्रालय को सूचित करने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे।
5. यह सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलिफोन नं: 23014946

MD ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 22B(04)/2010/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली

दिनांक 18 फरवरी 2011

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्रों के पैनेल बनाने की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(9)/03/US(WE)/D(Res) dt 16 Jun 04 के संदर्भ में, मुझे सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि इस पत्र के परिशिष्ट A में वर्णित अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया का ईसीएचएस (ECHS) द्वारा तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा।

2. यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(9)/03/US(WE)/D(Res) dt 16 Jun 04 का स्थान लेता है।
3. जब भी आवश्यक समझा जाएगा इस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. संख्या 580/F/P/1 dt 10 Feb, 2011 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी :-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. सचिव ESW के PPS
4. रक्षा सचिव (वित्त) के PPS
5. JS (ESW)
6. JS & Addl. FA, MoD
7. रक्षा सचिव के SO
8. रक्षा (वित्त)
9. DFA (Pen)

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

10. सभी PCsDA/CsDA

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22B(04)/2010/US(WE)/D(Res)

दिनांक 18 फरवरी 2011

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए अस्पतालों, नर्सिंग होम और नैदानिक केंद्रों के पैनल के लिए प्रक्रिया

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है, का पालन किया जाएगा।

2. विज्ञापन: प्रमुख समाचार पत्रों (क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा) में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। विज्ञापन केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS), के अधिकार क्षेत्र के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा वर्ष में एक बार जनवरी के महीने में दिए जाएंगे। अस्पताल का पैनल बनाना एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें पैनल के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संसाधित किया जाएगा।

3. पैनल के लिए आवेदन: ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा सुविधाओं के पैनल के लिए एक मानक आवेदन पत्र क्षेत्रीय केंद्रों/पॉलीक्लिनिकों पर 1000/- रुपये की मामूली राशि पर ईसीएचएस (ECHS) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। NABH को देय शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) के साथ प्रारूप के अनुसार विधिवत रूप से पूरा किया गया आवेदन पत्र अस्पताल/ डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम द्वारा उस क्षेत्रीय केंद्र में जमा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अस्पताल स्थित है। साथ ही, आवेदक अस्पताल/निदान केंद्र द्वारा सॉफ्ट कॉपी (ईसीएचएस (ECHS) वेबपेज में उपलब्ध) में एक आवेदन भी भरा जाएगा। प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन क्षेत्रीय केंद्र द्वारा NABH को केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के माध्यम से अस्पताल का मूल्यांकन शुरू करने के लिए भेजा जाएगा।

4. कमाई गयी राशि जमा (EMD):- पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले सभी अस्पताल संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में EMD के रूप में 1.00 लाख रुपये जमा करेंगे। EMD MOA पर हस्ताक्षर करने के लिए एक जमानत है और MOA पर हस्ताक्षर के समय वापस कर दी जाएगी।

- (a) यदि तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो बयाना राशि वापस कर दी जाएगी।
- (b) यदि गलत जानकारी जमा करने के आधार पर निरीक्षण के बाद आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, तो बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि नियत समय में वापस कर दी जाएगी।
- (c) यदि आवेदक अस्पताल/निदान केंद्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा।

5. मूल्यांकन प्रक्रिया :- NABH, ई-आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व निर्धारित मापदंडों पर अस्पताल का मूल्यांकन शुरू करेगा। NABH की रिपोर्ट 45 दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय संगठन को प्राप्त हो जाएगी। अनुशंसित अस्पतालों की यह रिपोर्ट क्षेत्रीय केंद्र से प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी।

6. आवेदनों का प्रसंस्करण: केंद्रीय संगठन आवेदन और NABH रिपोर्ट संकलित करेगा और एमडी, ईसीएचएस (ECHS) की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी मासिक आधार पर आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी। केंद्रीय संगठन MoD (वित्त) के परामर्श से सरकारी आदेश जारी करने के लिए आगामी महीने की 15 तारीख तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के मिनट्स के साथ स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए सरकार के आदेशों का मसौदा भेजेगा।:-

(a)	एमडी (ईसीएचएस (ECHS))	-	अध्यक्ष
(b)	रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि (Do ESW)		
	(डायरेक्टर/ Ds से नीचे नहीं)	-	सदस्य
(c)	रक्षा मंत्रालय (Fin/Pen) के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(d)	डायरेक्टर (चिकित्सा)	-	सदस्य
(e)	संयुक्त डायरेक्टर (चिकित्सा)	-	सदस्य-सचिव

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22B(02)/2013/US(WE)/D(Res) dt 18 अक्टूबर 2013 और संख्या 22B(02)/2013/US(WE)/D(Res) dt 23 अक्टूबर 2013 द्वारा संशोधित)

7. अनुबंध की अवधि और शर्तें:- रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बाद, मानक ईसीएचएस (ECHS) प्रारूप के अनुसार समझौता ज्ञापन (MOA) पर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे। पैनल में शामिल होने की अवधि दो साल के लिए वैध होगी। यदि अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के अनुमोदन से आपसी सहमति से MOA का विस्तार किया जा सकता है। किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही के मामले में, क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संबंधित पैनल में शामिल सुविधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन पर पैनल में शामिल होने का एग्रीमेंट/कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया:- अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक्स को भुगतान रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 03 में निर्धारित अनुसार किया जाएगा।

9. प्रदर्शन बैंक गारंटी:- CGHS शहरों में अस्पताल जिन्हें मूल्यांकन के बाद पैनल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, उन्हें कुशल सेवा सुनिश्चित करने और किसी भी चूक से बचाव के लिए पैनल की अवधि के लिए वैध प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी: -

(a) CGHS शहरों में PBG वही होगा जो CGHS पैनलबद्ध अस्पतालों में है जैसा कि (परिशिष्ट A) में दिया गया है।

(b) अन्य शहरों में वित्त मंत्रालय द्वारा उनके OM संख्या 2/5//2014-E.(ii)(b) dt 21 Jul 2015 द्वारा बनाए गए शहरों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित ग्रेडेड PBG सिस्टम का पालन किया जाएगा। (प्रतिलिपि परिशिष्ट B के रूप में संलग्न है)।

अस्पताल का प्रकार	टियर I शहर (X के रूप में वर्गीकृत शहर)	टियर II शहर (Y के रूप में वर्गीकृत शहर)	टियर III शहर (Z के रूप में वर्गीकृत शेष शहर)
सामान्य अस्पताल	रु 10 लाख	रु. 5 लाख	रु 2 लाख
नेत्र/दंत/फिजियो/लैब	रु 2 लाख	रु 1 लाख	रु 05.50 लाख

(* भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22D (05)/2019/WE/D(Res-1) dt 17 Aug 2020 द्वारा संशोधित)।

10. ईसीएचएस (ECHS) के तहत पहले से सूचीबद्ध अस्पतालों के मामले में, उन्हें एक नई प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी।
11. विवादों का निपटारा :- क्षेत्रीय केंद्र और पैनल में शामिल अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर या नर्सिंग होम के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में संबंधित पैनल को एक वरिष्ठ स्तर पर अपील करने का अधिकार है। वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थता पैनलबद्ध सुविधा और क्षेत्रीय केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।
12. मान्यता रद्द/सूचीबद्ध करना:- यदि कोई पैनलबद्ध अस्पताल, निदान केंद्र के नर्सिंग होम कदाचार, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही में लिप्त पाया जाता है, तो मामले की जांच क्षेत्रीय केंद्र द्वारा की जाएगी। पैनल से बाहर किए जाने का मामला शुरू होने से पहले पैनल में शामिल सुविधा को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।
13. पैनल से बाहर करने का अधिकार:- रक्षा मंत्रालय, जो पैनल में शामिल होने की मंजूरी देता है, के पास पैनल से बाहर करने का भी अधिकार होगा।

फाइल संख्या 22D(04)/2011/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2011

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

विषय: ईसीएचएस (ECHS) के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के पैनल के लिए प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(09)/03/US(WE)/D (Res) dt 16 Jun, 2004 के परिशिष्ट A के संदर्भ में, मुझे निम्नलिखित संशोधनों को पैरा 8 में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

के लिए -

किसी पैनलबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही के मामले में, स्टेशन कमांडर द्वारा संबंधित पैनलबद्ध सुविधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय यानी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पर, यदि आरोप स्थापित हो जाते हैं, तो पैनल के अनुबंध/कोन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा।

पढ़ें -

किसी पैनलबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में, क्षेत्रीय डायरेक्टर द्वारा CO, ईसीएचएस (ECHS) और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को सूचित करते हुए संबंधित पैनलबद्ध सुविधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। CO, ईसीएचएस (ECHS) जांच करवाएंगे और अपनी सिफारिशें भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को भेजेंगे। पैनल में

शामिल अस्पतालों के **MOA/अनुबंध/रेफरल** को केवल भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से निलंबित/समाप्त किया जाएगा।

2. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच. के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. रक्षा सचिव के PPS
2. सचिव (ESW) के PPS
3. रक्षा सचिव (वित्त) के PPS
4. CGDA
5. संयुक्त सचिव (ESW) के PS
6. अतिरिक्त FA (R) के PS
7. DGDC & W
8. MD, ईसीएचएस (ECHS)
9. PCDA, नई दिल्ली

के लिए भी कॉपी :-

10. DGAFMS
11. DGDE, नई दिल्ली
12. DGD, C&W
13. QMG
14. DGMS

15. DGMS (वायु)
16. DGMS (नौसेना)
17. AOA
18. COP
19. ADG C&W
20. DG (Works), E-in-C शाखा
21. ADG (FP)
22. सभी कमान मुख्यालय
23. AG शाखा/CW-3
24. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
25. वायु मुख्यालय (PS&R)

**2003 से ईसीएचएस (ECHS) के तहत सिविल अस्पतालों/नर्सिंग होम्स/आई केयर सेंटर्स/इमेजिंग सेंटर्स
डायग्नोस्टिक लैबोरेट्रीज/डेंटल क्लीनिक्स/हॉस्पिट के पैनल के संबंध में सरकारी पत्रों की सूची**

क्रमांक	सरकारी पत्र संख्या	दिनांक
1.	24(4)(a)/03/US(WE)/D(Res)	06 अगस्त 2003
2.	24(12)/03/US(WE)/D(Res)	18 नवंबर 2003
3.	24(8)/03/US(WE)/D(Res)	29 अक्टूबर 2004
4.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)	15 दिसंबर 2004
5.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)/Pt II	13 जनवरी 2005
6.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)/Pt IV	03 मार्च 2005
7.	24(11)/04/US(WE)/D(Res)/Pt V	18 मार्च 2005
8.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)/Pt VI	13 मई 2005
9.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)	17 मई 2005
10.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)/Pt VIII	08 जुलाई 2005
11.	24(210)/04/us(we)/d(Res)/Pt IX	28 जुलाई 2005
12.	24(21)/04/US(WE)/D(Res)/Pt X	10 अक्टूबर 2005
13.	22(11)/05/US(WE)/D(Res)Nol XI	16 नवंबर 2005
14.	22(11)/05/US(WE)/D(Res)/Pt XII	13 जनवरी 2006
15.	22(8)/06/US(WE)/D(Res)/Pt XIV	10 मार्च 2006
16.	22(25)/06/US(WE)/D(Res)/Pt XV	31 मार्च 2006
17.	22(50)/06/US(WE)/D(Res)/Pt XVI	19 जुलाई 2006
18.	22(61)/06/US(WE)/D (Res)	23 अक्टूबर 2006
19.	22(82)/06/US(WE)/D(Res)	22 नवंबर 2006
20.	22(66)/06/US(WE)/D(Res)	14 दिसंबर 2006
21.	22(89)/2006/US(WE)/D(Res)	02 फरवरी 2007
22.	22(96)/06/US(WE)/D(Res)	14 फरवरी 2007
23.	22-8(06)/07/US(WE)/D(Res)	16 मई 2007
24.	22D(14)/07/US(WE)/D(Res)	18 सितम्बर 2007

25.	228(10)/07/US(WE)/D(Res)	04 जनवरी 2008
26.	228(01)/08/US(WE)/D(Res)	22 दिसंबर 2008
27.	228(01)/08/US(WE)/D(Res)	03 जून 2009
28.	228(01)/09/US(WE)/D(Res)	15 मार्च 2010
29.	228(01)/09/US(WE)/D(Res)	31 अगस्त 2010
30.	22B(01)/2011/US(WE)	23 जनवरी 2012
31.	22B(01)/2011/WE	07 सितंबर 2012
32.	22B(01)/2011-WE/D(Res)-Pt(I)	14 जनवरी 2013
33.	22B(01)/2011-WE/D(Res)/(Part-I)	14 जून 2013
34.	22B(01)/2011-WE/D(Res) Part-I	27 अगस्त 2013
35.	22B(01)/2011-WE/D(Res)	12 दिसंबर 2013
36.	22B(04)/2013-WE/D(Res)	27 जनवरी 2014

फाइल संख्या 22D(01)/2012-(WE)/D(Res)
 भारत सरकार, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
 रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली - 110011
 दिनांक 18 दिसंबर 2012

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा उपकरणों का पैमाना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(18)/09/US(WE)/D(Res)/Pt-I dt 13 Apr, 2010 के संदर्भ में, मुझे संलग्न परिशिष्ट में दिए गए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए चिकित्सा उपकरणों के पैमाने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 4129/12/Fin/Pen dt 20 Sep 2012 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
 (एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक : ऊपरोक्त अनुसार

के लिए कॉपी :-

1. CGDA
2. DGAFMS
3. MoD के AG, IHQ
4. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
5. AOA, वायु HQ (VB)
6. MD, ईसीएचएस (ECHS) - इस विषय पर अधिकार प्राप्त समिति की 18 Jul, 2012 को हुई बैठक में निर्णय के अनुसार, तकनीकी कर्मचारी अधिकृत होने तक एक्स-रे मशीनों की खरीद नहीं की जाएगी। की जानकारी के लिए कॉपी :-

7. सचिव, (ESW) के PPS
8. FADS के PPS
9. JS (WSW) के PS
10. JS & अतिरिक्त FA (RS) के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

11. सभी PCsDA/CsDA

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या
22D(01)/2012(WE)/D(Res) का संदर्भ ले
(दिनांक 18 दिसंबर 2012)

चिकित्सा उपकरणों के लिए पैमाना: ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकस

क्रमांक	PVMS संदर्भ		नाम	स्केल				टिप्पणी
	Sec	संख्या		टाइप A	टाइप B	टाइप C	टाइप D	
सामान्य उपकरण								
1.	1	30195	SS टॉप के साथ एडजस्टेबल स्टूल	6	6	4	4	
2.	2	40167	आउटफिट रेसुस्टिसेशन Ambu MK-III	1	1	1	1	
3.	4	40183	रेस्पिरैटर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर मैनुअल बैलोज इन्फ्लेटिंग बैग को पूरा करता है	1	1	1	1	
4.	4	40057	सिलेंडर ऑक्सीजन O2 1246 लीटर	2	2	1	1	
6.	4	40052	के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन कुंजी स्पैनर	2	2	1	1	
7.	4	40053	के लिए सिलेंडर फ्लश प्रकार कुंजी स्पैनर	2	2	1	1	
8.	4	40054	सिलेंडर ऑक्सीजन स्टैंड	2	2	1	1	
9.	4	40017	ऑक्सीजन संकेन्द्रक	1	1	1	1	
10.	5	50090	फ्लैट 12.5 सेमी पर कवर्ड फोर्सप्स आर्टरी	1	1	1	1	
11.	5	50095	फोर्सप्स आर्टरी (स्पेंसर वेल) स्ट्रेट बॉक्स जॉइंट 13 सेमी	1	1	1	1	
12.	5	50104	फोर्सप्स 15 सेमी डिस्सेक्टिंग	1	1	1	1	
13.	5	50107	फोर्सप्स डिस्सेक्टिंग दांतेदार 13 सेमी	1	1	1	1	
14.	5	50108	फोर्सप्स दांतेदार 18 सेमी	1	1	1	1	
15.	5	50116	फोर्सप्स साइनस	1	1	1	1	
16.	5	50120	फोर्सप्स स्टेरिलाइजर (केतली)	2	2	1	1	

17.	5	50126	फोर्सेप्स टॉवेल होल्डिंग	1	1	0	0	
18.	5	50185	सुई, होल्डर (मेयो), 19 सेमी, बॉक्स जॉइंट	2	2	2	2	
19.	5	50221	प्रिकर्सर	3	3	2	2	
20.	5	50258	कैंची, ड्रेसिंग, साबुन और ब्लंट, 14 सेमी लंबा, स्टेनलेस स्टील	1	1	1	1	
21.	5	50259	कैंची, ड्रेसिंग स्ट्रेट, दोनों तरफ शार्प 12.5 सेमी	1	1	1	1	
22.	5	50261	कैंची	1	1	1	1	
23.	5	50270	सिरिंज और नीडल डिस्ट्रॉयर	1	1	1	1	
24.	5	50304	टेप, माप, लिनन 1.5 मीटर	3	3	3	3	
25.	5	50307	टूर्निकेट (सिंगर)	1	1	1	1	
26.	5	50158	इंस्ट्रूमेंट रेजिमेंटल पैनियर रोल कंप्लीट	1	1	1	1	
27.	5	50008	सक्शन एपरेटस पोर्टेबल	1	1	1	1	
28.	14	140001	बैग, आइस, हेड, I.R 20 सेमी	1	1	1	1	
29.	14	140002	बोतल, गर्म पानी, I.R 30 सेमी x 20 सेमी दो अतिरिक्त वाशर के साथ	2	2	1	1	
30.	14	140003	बोतल, गर्म पानी, I.R 30 सेमी x.20 सेमी कवर	2	2	1	1	
31.	14	140004	बाउल, स्टेनलेस स्टील, 10 सेमी	4	4	2	2	
32.	14	140005	बाउल, स्टेनलेस स्टील, 20 सेमी	2	2	1	1	
33.	14	140006	बाउल, स्टेनलेस स्टील 25 सेमी	1	1	1	1	
34.	14	140007	बाउल, स्टेनलेस स्टील, 35 सेमी	1	1	1	1	
35.	14	140008	ऊंचाई मापने के लिए बॉडी मीटर	1	1	1	1	
36.	14	140028	इनहेलर (नेल्सन), 700 मिली साइज, फुल (कंपोनेंट्स के लिए, परिशिष्ट देखें)	1	1	1	1	
37.	14	140042	गद्दे फोम रबर	1	1	1	1	
38.	14	140043	गद्दे फोम रबर कवर के लिए	2	2	2	2	
39.	14	140050	पैन, बेड, E.I. स्लिपर शेड, मीडियम साइज वर्टिकल हैंडल के साथ फिक्स्ड	1	1	1	1	
40.	14	140055	स्केल्स बेबी वेटिंग	1	1	0	0	

41.	14	140061	स्पिटून मुगो	1	1	1	1	
42.	14	140062	थर्मामीटर ओरान क्लिनिकल	3	3	2	2	
43.	14	140064	ट्रे, E.I, डीप, आकार 45 सेमी x 30 सेमी	1	1	1	1	
44.	14	140065	ट्रे SS, किडनी का आकार 25 सेमी	2	2	1	1	
45.	14	140067	ट्रे, E.I, उथला, आकार 35 सेमी x 30 सेमी	1	1	1	1	
46.	14	140068	ट्रे, E.I उथला, आकार 27.50 सेमी x 22.50 सेमी	1	1	0	0	
47.	14	140071	ट्यूब, रेक्टल, फ्लैटस, साइज 18, इंग्लिश कैथेटर गेज	1	1	1	1	
48.	14	140072	ट्यूब, रेक्टल, फ्लैटस, आकार 19, लंबाई 1 मीटर	1	1	1	1	
49.	14	140073	ट्यूब स्टमक	1	1	1	1	
50.	27	270719	स्टैंड, ट्रांसफ्यूजन, धातु (UK पैटर्न)	1	1	1	1	
51.		280047	ECG मशीन	1	1	1	1	
52.		280041	मॉनिटर डीफिब्रिलेटर	1	1	0	0	
53.	28	280053	लैंप ऑपरेटिंग शैंडो लेस	1	1	1	1	
54.	28	280054	लैंप ऑपरेटिंग हैलोजन बल्ब के लिए	1	1	1	1	
55.			नेबुलाइजर	1	1	1	1	
56.	3	30101	ओवरऑल कैबिनेट इंस्ट्रूमेंट	2	2	1	1	
57.	3	30105	कैबिनेट इंस्ट्रूमेंट	2	2	1	1	
58.	3	30110	के लिए कैबिनेट इंस्ट्रूमेंट हुक	2	2	1	1	
59.	3	30115	कैबिनेट मेडिसिन और टेबल कंबाइंड	2	2	1	1	
60.	3	30165	रिसीवर सॉइल्ड ड्रेसिंग	2	2	1	1	
61.	3	30170	शेल्फ 68x45 सेमी	2	2	1	1	
62.	3	30175	शेल्फ SS	2	2	1	1	
63.	3	30180	स्टैंड इंस्ट्रूमेंट मेयो	1	1	0	0	
64.	3	30190	दो बेसिन के लिए स्टैंड वॉश	2	2	1	1	
65.	3	30200	स्टड्स इंडिया रबर फॉर	16	16	8	8	
66.	3	30215	टेबल इंस्ट्रूमेंट्स फोल्डिंग	2	2	1	1	
67.	3	30220	टेबल इंस्ट्रूमेंट्स नॉन-फोल्डिंग	4	4	2	2	

68.	3	30317	व्हील चेयर फोल्डिंग	1	1	1	1	
69.	3	30318	व्हील चेयर नॉन-फोल्डिंग	1	1	0	0	
70.	5	50287	स्टेथोस्कोप	5	5	3	3	
71.	5	50305	एक्जामिनेशन टॉच	5	5	3	3	
72.	6	60142	ट्यूनिंग फॉक्स 1024	1	1	1	1	
73.	5	50278	स्प्रिंगमोमैन्समीटर एरोइड	1	1	1	1	
74.	6	60081	टंग डिप्रेसर 1.9 सेमी चौड़ा	3	3	2	2	
75.	6	60082	टंग डिप्रेसर 1.25 सेमी चौड़ा	3	3	1	1	
76.	6	60345	नेजल स्पेकुलम 3 सेमी	2	2	1	1	
77.	6	60346	नेजल स्पेकुलम 5 सेमी	2	2	1	1	
78.	6	60008	स्पेकुलम बड़े, मध्यम और छोटे, केस और अतिरिक्त बल्ब (2 प्रत्येक) के साथ ऑरोस्कोप (कम्पलीट सेट)	2	2	1	1	
79.	6	60143	ट्यूनिंग फोक्स 256	1	1	1	1	
80.	6	60144	ट्यूनिंग फोक्स 512	-	1	1	1	
81.	7	70168	ऑप्टिकोस्कोप दूरबीन	2	2	2	2	
82.	7	70263	स्नेलेन्स चार्ट बोर्ड टाइप	3	3	2	2	
83.	7	70262	नियर विजन चार्ट	3	3	2	2	
84.			पल्स ऑक्सीमीटर	1	1	1	1	
85.			डिजिटल BP उपकरण	3	3	2	2	
86.	3	30148	हाई-लो बेड	1	1	1	1	
87.	3	30347	क्रैश कार्ट ट्रॉली	1	1	1	1	
88.	10	100196	इलेक्ट्रिक बॉइलिंग वॉटर स्टेरलाइजर	3	3	2	2	

फीजियोथेरेपी

89.	28	280004	शॉर्ट वेव डायदरमी	1	1	1	1	
90.	28	280072	वैक्स बाथ	1	1	1	1	
91.	28	280007	इंटरफेरेंशियल थेरेपी	1	1	1	1	
92.	28	280003	अल्ट्रासाउंड थेरेपी	1	1	1	1	
93.	28	280052	इंफ्रा रेड लैंप	1	1	1	1	

94.			शोल्डर एक्सरसाइज सिस्टम	1	1	1	1	
95.			NMES इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेट यूनिट	1	1	1	1	
96.			पैरलल बार वॉकवे	1	1	1	1	
रेडियोलॉजी								
97.	25	250104	उपकरण एक्स-रे रेडियोग्राफिक, 100 MA फिक्स्ड/पोर्टेबल	1	1	1	1	
98.	25	250111	ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर	1	1	1	1	
99.	25	250206	सीधे फ्लोरोसेंट ट्यूब की एक जोड़ी के साथ निगेटिव बॉक्स व्यूअर	3	3	-	2	
100.	25	250207	फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ निगेटिव बॉक्स व्यूअर	1	1	1	1	
101.	25	250211	कैबिनेट सभी धातु 196 सेमी x 91.50 सेमी x 48 सेमी गहरा (FS के लिए 4 समायोज्य अलमारियों के साथ बाहरी)	1	1	1	1	
102.	25	250212	कैसेट 43.18 सेमी x 35.5 सेमी	1	1	1	1	
103.	25	250213	कैसेट 38.10 x 30.5 सेमी	2	2	2	2	
104.	25	250214	कैसेट 30.5 सेमी x 25.40 सेमी	2	2	2	2	
105.	25	250220	ग्रिड स्टेशनरी	1	1	1	1	
106.	25	250236	मैट रबर, शॉक प्रोटेक्टिव 91.5 सेमी x 91.5 सेमी	1	1	1	1	
107.	25	250249	स्टैंड चेस्ट वॉल टाइप	1	1	1	1	
108.	25	250250	सपोर्टिंग फ्रेम, स्टैंड चेस्ट फॉर	1	1	1	1	
109.	25	250203	बोर्ड ऑक्सिलरी	1	1	1	1	
स्त्रीरोग								
110.	9	90005	कैथेटर फीमेल मेटल	1	1	0	0	
111.	9	90023	डिप्रेसर, वैजिनल (Sims)	1	1	0	0	
112.	9	90051	फोर्सेप्स, यूटेराइन, वल्सेलम, टीले लेटर्ल कर्व के साथ, तीन से चार दांत, स्क्रू जॉइंट	1	1	0	0	
113.	9	90060	स्त्रीरोग निरीक्षण टेबल	1	1	0	0	
114.	9		फॉर्सेप्स, वल्सिलम, स्ट्रेट टेनेक्यूलम पाइंट्स 25 सेमी	1	1	0	0	

115.	9		स्पंज होल्डर फॉर्सेप्स	2	2	0	0	
116.	9	90101	कैंची, कर्व्ड ऑन फ्लैट, राउंड पॉइंट्स 18 सेमी(7")	1	1	0	0	
117.	9	90103	साउंड यूटेराइन 4 से 20 तक और 28 सेमी लंबा पीतल निकल प्लेटेड 2 अतिरिक्त ME JULLUNDU और 148 H के लिए ग्रेजुएटेड)	1	1	0	0	
118.	9	90104	स्पेकुलम वैजिनल डबल एंडेड ब्लेड आकार 3.5 सेमी x 10.5 सेमी और 23 x 10.5 सेमी कार्बन स्टील	1	1	0	0	
119.			स्टरलाइज़र	1	1	0	0	
120.			एंटीरियर वेजाइनल वॉल रीट्रेक्टर	4	4	0	0	
121.			लॉन्ग आर्टरी फॉर्सेप्स	2	2	0	0	
122.		9/090010	क्यूरेट, शार्प नंबर 2, वर्किंग पार्ट की चौड़ाई 9 मिमी कार्बन स्टील, क्रोमियम प्लेटेड	1	1	0	0	
123.		9/090011	क्यूरेट, ब्लंट नंबर 2, वर्किंग पार्ट की चौड़ाई 9 मिमी कार्बन स्टील, क्रोमियम प्लेटेड	1	1	0	0	
124.			सरवाइकल पंच बायोप्सी फॉर्सेप्स, कार्बन स्टील क्रोमियम प्लेटेड	1	1	0	0	
125.			डिलेटर्स, यूटेरीन, हॉलो, 16 कोनिकल मेटल का सेट, आकार 3/6 से 18/21 मिमी व्यास धातु के मामले में	1	1	0	0	
126.		140022	इलेक्ट्रॉनिक एडल्ट वेट मशीन	1	1	0	0	
127.		9/090007	डिजिटल आटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर	1	1	0	0	
128.			क्रायोकॉटरी स्टैंडर्ड क्रायो कॉन्ट्राइजेशन इकप्ट फुल एक्सेसरीज प्रोब कोनिकल, फ्लैट और एंड सर्वाइकल प्रोब गैस रिजर्वॉयर के साथ	1	1	0	0	
129.		9/090110	सेक्टर/लीनियर और TVS प्रोब 3.5/5 मेगाहर्ट्ज के साथ USG मशीन	1	1	0	0	

दंत चिकित्सा

130.	10	100120	पेंटोग्राफिक डेंटल चेयर और यूनिट कम्पलीट अताशमेंट के साथ	1/2	1/2	1	1	2 टाइप A&B नॉन-मिलिट्री PC के लिए

								डेंटल चेयर। बाकि के लिए एक चेयर।
131.	10	100110	फ्रंट लोडिंग टेबल टॉप आटोकलेव	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
132.	10	100218	डेंटल एक्स-रे सिस्टम प्रोलिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्पलीट	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
133.		100220	अल्ट्रासोनिक स्केलर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
134.	10	100913	अमलगमेटर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
135.	10	100997	ग्लास बीड स्टेरेलाइजर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
136.	10	10959	प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सेट	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
137.			एक्सोडोंटियास फोर्सेप्ट, लिफ्ट और क्रिअर्स का सेट (वयस्को और बच्चों के लिए)			5	5	1 प्रति डेंटल चेयर
138.			एंडो बॉक्स	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
139.			उपकरणों के लिए कैबिनेट (न्यूनतम 08 डिब्बे)	1/2	1/2	1	1	
140.			अल्ट्रावाइलेट स्टोरेज कैबिनेट	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
141.	10	100196	इलेक्ट्रॉनिक बॉइलिंग वॉटर स्टेरेलाइजर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
142.	5	50270	नीडल डिस्ट्रॉयर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
143.	10	100223	अल्ट्रासोनिक क्लीनर (उपकरणों के लिए)	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
144.	10	100527	सर्जिकल माइक्रोमीटर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
145.		100225	वाटर डिस्टिलर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
146.			दो अलमारियों के साथ इंस्ट्रूमेंट टेबल फोल्डिंग	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
147.	10	100984	SSबैंड के साथ मैट्रिक्स रिटेनर (आइवरी और टॉफीमाइन)	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल

148.	5	50089	आर्टरी फोर्सेप्ल स्ट्रेट और कर्ब (14 सेमी/12 सेमी)	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
149.	5	50171	BP नाइफ हैंडल	2/4	2/4	2	2	2 प्रति चेयर डेंटल
150.	10	100519	पीरियड स्टील एलिवेटर	2/4	2/4	2	2	2 प्रति चेयर डेंटल
151.	10	100584	सीजर सर्जिकल स्ट्रेट एंड कर्ब	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
152.	10	100588	सिरिंज हाइपोडर्मिक कार्ट्रिज टाइप	4/8	4/8	4	4	4 प्रति चेयर डेंटल
153.	10	100552	रोन्ग्यूर फोर्सेप्स	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
154.	10	100511	सर्जिकल कटर डबल एंडेड	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
155.		100771	सब जिंजिवल क्यूरेट्स - सेट	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
156.	10	100534	फाइल एल्वोलेक्टोमी	1/2	1/2	1	1	1 प्रति चेयर डेंटल
157.	10	100586	स्टरलाइज़र हाई प्रेशर स्टीम ड्रम शैलो और डीप	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
158.	5	50120	चैटटेल फोर्सेप्स	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
159.	5	50127	फोर्सेप्स टॉवेल होल्डिंग पेयर	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
160.	10	100145	डैप पेन ग्लास	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
161.	10	100148	कॉटन होल्डर	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
162.	10	100572	वायर कटर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
163.			निरीक्षण सेट (प्रोब मेजर)	25/50	25/50	25	25	25 प्रति डेंटल चेयर
164.	10	100185	वेस्ट रिसीवर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
165.	10	100193	स्पैटुला स्टील डबल एंडेड	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
166.	10	100394	मैंड्रेल और पॉलिशिंग टिप होल्डर 3. का सेट	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर

167.	10	100408	प्लायर्स पिन बैंडिंग एंड रफनेस	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
168.	10	100430	कैंची क्राउन और कॉलर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
169.	10	100191	मिक्सिंग स्लैब ग्लास	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
170.			हैंड स्केलर्स का सेट	3-6	3-6	3	3	3 J180 प्रति डेंटल चेयर
171.	10	100931	अमलगम कैरियर	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
172.	10	100075	एक्स-रे हेंगर डेंटल	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
173.	14	10067	ढक्कन के साथ एसएस ट्रे (छोटा और मध्यम)	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
174.	14	140065	किडनी ट्रे			3	3	3 प्रति डेंटल चेयर
175.	14	140004	SS बाउल 10 सेमी और 25 सेमी	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
176.	10	100226	एक्स-रे हेंगर फिल्म होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
177.	5	50257	सीजर लार्ज	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
178.	10	100687	प्लग्ड रूट कैनाल	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
179.	10	100988	टॉर्च हैंड विद 4 सेल्स	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
180.	10	100114	आंशिक रूप से एडेंटुलस मामलों के लिए U&L को मिश्रित करने के लिए इम्प्रेशन ट्रे	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
181.	10	100113	रबर बाउल	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
182.	10	100194	प्लास्टर मिक्सिंग स्पैटुला	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
183.	10	100151	प्लास्टर नाइफ	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
184.	10	100152	वैक्स नाइफ	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर

185.	14	140034	प्लास्टिक ग्रेजुएटेड मापने वाला जग 1000 मिली	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
186.	5	50092	मोस्कविटो फोर्सेप्स	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
187.	5	50105	डिससेक्शन फोर्सेप्स सीर्रेटिड 13 सेमी	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
188.	5	50185	नीडल होल्डर	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
189.	10	100221	डेंटल एक्स-रे के साथ आरवीजी (लचीले सेंसर और इन्फ्रा ओरल कैमरा, मॉनिटर / पीसी और एक्सेसरीज के साथ रेडियो विसुग्राफी यूनिट)	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
190.			फ्यूमिगेशन मशीन	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
191.			न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
192.			एंडोडॉन्टिक के लिए डिजिटल एपेक्स लोकेटर	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
193.		100952	हैंड पीस के साथ रोटरी मोटर (एंडो)	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
194.			प्रोटैपर्स (6 का सेट)	5/10	5/10	5	5	5 प्रति डेंटल चेयर
195.	5	50318	ट्यूबिंग ड्रेनेज, रबर, लाल 8 मिमी इंट व्यास 2.50 मिमी दीवार की मोटाई	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
196.	10	100130	डिवाइडर 15.9 सेमी	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
197.	10	100141	फाइल हाफ राउंड 12.7 सेमी बास्टर्ड	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
198.	10	100174	प्लेट, बॉयलिंग इलेक्ट्रिक कम्प्लीट हब सराउंडिंग वायर के साथ 1.5 मीटर लंबा और प्लग 15 mp	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
199.	10	100189	सेनेटरी वेस्टर रिसेप्टकल	1/2	1/2	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
200.		100305	आर्टिक्यूलेटर फिगर 6 इम्प्रूव्ड	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
201.	10	100306	ग्रेजुएटेड (1 मिमी स्केल) सेटिंग रॉड और एक्सटेंडेड हिंज पिन के साथ	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर

			आर्टिक्यूलेटर फ्री प्लेन इम्प्रूव्ड मॉडल					
202.	10	100325	कार्बर और स्पेटुअल वैक्स फिगर 5	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
203.	10	100365	लैबोरेट्री के लिए इंजन माइक्रोमीटर 40,000 RPM SHP के साथ गति नियंत्रण के साथ, हेवी ड्यूटी 220V	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
204.	10	100367	फ्लास्क, एम्पायर फिगर 4, गन मेटल	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
205.	10	100368	के लिए फ्लास्क, एम्पायर फिगर 3 क्लैप	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
206.	10	100369	के लिए फ्लास्क, एम्पायर फिगर 4 क्लैप	4/8	4/8	4	4	4 प्रति डेंटल चेयर
207.	10	100384	फिगर C डीप 24.8 सेमी. के लिए खराद, डेंटल वाटर	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
208.	10	100385	फिगर D, HT 30.5 के लिए खराद, डेंटल वाटर ट्रफ झांवा जिक सेमी चौड़ाई 15.2 सेमी गहराई 22.9 सेमी	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
209.	10	100404	प्लायर्स कॉलर फिगर 118	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
210.	10	100405	प्लायर्स यूनिवर्सल	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
211.	10	100407	प्लायर्स इंजन फिगर 18	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
212.	10	100413	प्रेस फ्लास्क हैवी ड्यूटी फिगर नम्बर 2 कम्पलीट 100514	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
213.	10	100447	वाइब्रेटर इलेक्ट्रिक 220V एसी, 50 चक्र	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
214.	10	100568	हैमर, स्मॉल 225G हेड	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
215.	10	100667	प्लायर्स बैंडिंग क्लेप्स एडम	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
216.	-	100386	लेथ इलेक्ट्रिक	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
217.	-	100454	एक्रिलाइज़र	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
218.	-	100305	आर्टिक्यूलेटर (काज)	2/4	2/4	2	2	2 प्रति डेंटल चेयर
219.	-	-	डी वैक्सिंग बाथ	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल

								चेयर
220.	-	-	एयर कंप्रेसर, 3/4 HPऑयल फ्री, मोनोब्लॉक चेयर साइड, नॉइस लैस	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
221.	-	100482	वैक्यूम मिक्सर	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
222.	-	160055	लेम्प बर्नर	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
223.	-	100639	वायर कटर (भारी शुल्क)	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
224.	-	-	ब्लो पाइप	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर
225.	-	100440	ट्रिमर (मॉडल)	1/2	½	1	1	1 प्रति डेंटल चेयर

फाइल संख्या. 22(02)/11/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

दिनांक 10 मई 2013

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा भत्ता

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US/(WE)/D(Res) dt 19 Dec, 2003 के संदर्भ में, मुझे राष्ट्रपति को "यात्रा भत्ता" शीर्षक के तहत संशोधन करने और निम्नलिखित उप-पैराग्राफ 2 को शामिल करने के लिए कहने का निर्देश दिया गया है: -

यात्रा भत्ता: निम्नलिखित प्रक्रिया रोगी के रेफर किए गए क्लीनिक में आने-जाने को नियंत्रित करेगी:-

(a) स्वीकार्यता

(i) कोई परिवर्तन नहीं।

(ii) कोई परिवर्तन नहीं

(iii) हवाई यात्रा: आपातकालीन मामलों में हवाई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति पर मंत्रालय द्वारा MoD (वित्त) के परामर्श से व्यक्तिगत मामले की योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी या सर्विस अस्पताल के विशेषज्ञ लिखित रूप में प्रमाणित करें कि हवाई यात्रा नितांत आवश्यक थी और अन्य माध्यमों जैसे रेल या सड़क आदि से यात्रा करना निश्चित रूप से रोगी के जीवन को खतरे में डालता या रोगी की स्थिति के गंभीर रूप से बिगड़ने का जोखिम होता।

(iv) गुर्दा दाता: गुर्दा दान के लिए की गई यात्रा के संबंध में गुर्दा दाता को यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य है:

(aa) यदि दाता एक गैर-ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी है - प्राप्तकर्ता ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के लिए लागू दरों पर स्वीकार्य होगा।

(ab) यदि दाता एक और ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी है - दाता के लिए लागू दर पर स्वीकार्य होगा।

(b) एम्बुलेंस शुल्क: पॉलीक्लिनिक/सैन्य अस्पतालों में अधिकृत एम्बुलेंस सेवाओं का उपयोग उसी शहर में सेवा / पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफर किए जाने पर रोगियों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यदि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया जाता है और चिकित्सा प्राधिकरण (पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी या सेवा अस्पताल के विशेषज्ञ) लिखित रूप में प्रमाणित करते हैं कि किसी भी अन्य तरीके से रोगी को लेकर जाना निश्चित रूप से रोगी के जीवन को खतरे में डालेगा या गंभीर रूप से घायल होने का जोखिम शामिल करेगा। उसकी स्थिति, रोगी को लाने के लिए उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस की नियुक्ति पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि यात्रा उसी शहर के भीतर की गई हो।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 1224/13.Fin.Pen dt 9 May 2013 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

MoD (सेना) के AG, IHQ
MoD (नौसेना) के COP, IHQ
AOA वायु HQ (VB)
CGDA MD, ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

सचिव, ESW के PPS
FA DS के PPS
JS (ESW) के PS
JS & अतिरिक्त FA (RS) के PS
OSD (ईसीएचएस (ECHS)) के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

सभी PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22A(55)/2013/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 05 जुलाई 2013

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय रोगों, डायलिसिस और कैंसर के लिए उपचार प्राप्त करने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के संबंध में उपचार/जांच के लिए अनुमति

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का उल्लेख करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय रोगों, डायलिसिस और कैंसर के लिए इलाज करा रहे ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को समय-समय पर और मौजूदा समय के अनुसार बार-बार जांच/उपचार प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। दिशानिर्देश उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध अस्पतालों/निदान केंद्रों में निर्धारित उपचार/जांच करवाने के लिए हर बार अनुमति (रेफरल पत्र) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

2. हर बार अपेक्षित अनुमति (रेफरल) प्राप्त करने में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को होने वाली असुविधा को कम करने की दृष्टि से, इस मंत्रालय ने मूल नुस्खे के जारी होने की तारीख से छह महीने की वैधता के साथ छह महीने की अवधि में निर्धारित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली निर्धारित जांच/उपचार प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स द्वारा अनुमति (रेफरल) पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है

3. यह मुद्दा MoD (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No 1782/F/Pen dt 5-7-2013 के तहत जारी किया गया है।

के लिए कॉपी:-

1. आरएम के पीएस
2. आरआरएम के पीएस
3. सीजीडीए, नई दिल्ली
4. एमडी, ईसीएचएस

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

की जानकारी के लिए कॉपी:-

5. सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस
6. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू) के पीएस
7. डीएस (Res-I) के पीएस

अवर सचिव, भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

8. PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D (09)/2013/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2013

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष,

नौसेनाध्यक्ष,

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- इन-पेशेंट उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं और ईसीएचएस (ECHS) द्वारा कवर नहीं किए गए जिलों में रहने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए पोस्ट-ऑपरेटिव फॉलो-अप उपचार

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(48)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec, 2003 की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इसे ध्यान में रखते हुए, ईसीएचएस (ECHS) के दायरे में नहीं आने वाले जिलों में रहने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को अब ईसीएचएस (ECHS) नियमों को निम्नानुसार उदार बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि वे इन-पेशेंट उपचार और पोस्ट-ऑपरेटिव फॉलो-अप उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकें: -

- (a) i. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी, जिनके पास वैध ईसीएचएस (ECHS) कार्ड है और जो ईसीएचएस (ECHS) के दायरे में नहीं आने वाले जिलों में रह रहे हैं, वे सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों से उपचार प्राप्त करने और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। (अर्थात् वे अपने जिले के बाहर स्थित पॉलीक्लिनिक से रेफरल प्राप्त किए बिना उपचार का लाभ उठा सकते हैं)।
- ii. प्रतिपूर्ति निकटतम ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक पर लागू CGHS दरों और अधिकतम दरों और वार्ड पात्रता के अनुसार या वास्तविक के अनुसार जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
- (b) i. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी जिनके पास वैध ईसीएचएस (ECHS) कार्ड है और वे ऐसे जिलों में रह रहे हैं जो ईसीएचएस (ECHS) के दायरे में नहीं आते हैं, वे निम्नलिखित मामलों में सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों से पोस्ट-ऑपरेटिव फॉलो-अप उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे। रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी, घुटने और कूल्हे के जोड़ को बदलना, कैंसर का इलाज, न्यूरो सर्जरी और कार्डिएक सर्जरी। हालांकि, पूर्व अनुमति (रेफरल) निकटतम ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के ओआईसी से प्राप्त की जाएगी।

- ii. अनुमति एक बार में 3 से 6 महीने के लिए जारी की जाएगी और चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। परामर्श, प्रक्रियाओं और जांच के लिए प्रतिपूर्ति निकटतम ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक पर लागू CGHS दरों और अधिकतम दरों और वार्ड पात्रता के अनुसार या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। OPD दवाएं संबंधित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से एक बार में अधिकतम 03 महीने की अवधि के लिए प्राप्त की जाएंगी।
ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये मुद्दे U.O No. 1574/13/Fin/Pen dt 11 Jul 2013 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से जारी किए गए हैं।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एचके मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

RM के PS
RRM के PS
CGDA, नई दिल्ली
MoD (सेना) के AG, IHQ
MoD (नौसेना) के COP, IHQ
AOA, वायु HQ (VB)
MD, ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी :-

सचिव (ESW) के PPS
JS (ESW) के PS
DS (Res-I)

के लिए स्याही से हस्ताक्षरित कॉपी :-

PCDA/CDA

(*भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22D(09)/2013/US(WE)/D(Res) dt 26 Jul 2016 द्वारा प्रतिस्थापित)

फाइल संख्या 22D(07)/2014/(WE)/D(Rs)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

सेना भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 22 अप्रैल 2015

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

परिशिष्ट

विषय:- पैनलबद्ध निजी अस्पताल द्वारा छुट्टी के बाद 7 दिनों के लिए दवाएं जारी करना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, मुझे चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में संशोधन को अपनाने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को पैनलबद्ध निजी अस्पतालों से छुट्टी के तुरंत बाद दवाएं प्राप्त करने में होने वाली असुविधा को कम करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि ईसीएचएस (ECHS) के पैनल में शामिल निजी अस्पताल से इनपेशेंट चिकित्सा उपचार लेने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को इलाज करने वाले निजी अस्पताल से छुट्टी के समय सात (7) दिनों तक की अवधि के लिए दवाएं जारी की जाएंगी। अस्पताल में कैशलेस चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के हकदार ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के मामले में भुगतान के लिए अस्पताल दवाओं के लिए अलग से बिल तैयार करेगा और इसे अस्पताल के बिल के साथ ईसीएचएस (ECHS) को प्रस्तुत करेगा।

3. उपरोक्त सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

(i) अस्पताल द्वारा उपचार जारी रखने के लिए जेनेरिक रूप में केवल आवश्यक दवाएं ही जारी की जाएंगी।

(ii) अस्पताल द्वारा कोई पोषण पूरक, टॉनिक, कफ सिरप, विटामिन और इंजेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे। इनकी अनुमति नहीं है।

(iii) कोई नॉन-ड्र्यूइंग आइटम/उपकरण/एप्लायंसेज जारी नहीं किए जाएंगे।

(iv) अस्पताल द्वारा जारी ऐसी दवाओं की कुल लागत किसी भी स्थिति में 2000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. यह सुविधा केवल उन बिलों पर लागू होगी जो सभी बीमारियों और उपचारों के लिए ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाले पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा उठाए गए हैं। हालांकि, संदर्भ के तहत पत्र के पैरा 6 और 7 में उल्लिखित शर्तें ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के प्रतिपूर्ति दावों के लिए छुट्टी की तारीख से 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लागू होंगी, बशर्ते पैनल में शामिल अस्पतालों ने इस पत्र के तहत दवा जारी की हो।
5. इस पत्र के प्रावधान इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
6. केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) नीति पत्र B/49761/AG/ईसीएचएस (ECHS)/Eqpt/G-Corrs dt 14 Nov 2017 के जवाब में दवा के मुद्दे को नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 14 नवम्बर 2012 से इस पत्र के जारी होने की तिथि तक की अवधि के बिलों की प्रतिपूर्ति इस पत्र के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।
7. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 33(207)/2014.Fin/Pen dt 8-4-2015 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच. के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

1. आरएम के पीएस
2. आरआरएम के पीएस
3. सीजीडीए, नई दिल्ली
4. एमडी, ईसीएचएस

की जानकारी के लिए कॉपी:-

5. सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस
6. संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू) के पीएस
7. डीएस (Res-I) के पीएस

के लिए स्याही से हस्ताक्षरित कॉपी:-

8. PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D(07)/2014/(WD)D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2015

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

परिशिष्ट

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) के अंतर्गत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, मुझे पत्र के पैरा 7 में निम्नलिखित जोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या 22D(07)/2014/US(WE)/D(Res) dt 22 Apr 2015 के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र के पैरा 6 में उल्लिखित शर्तों के लिए पैनेलबद्ध अस्पताल द्वारा 7 दिनों की दवाएं जारी किए जाने की स्थिति में प्रतिपूर्ति 23 दिनों तक सीमित होगी।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. संख्या 33(207)/2014.Fin/Pen dt 8-4-2015 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एचके मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :-

RM के PS
RRM के PS
CGDA, नई दिल्ली
MD, ईसीएचएस (ECHS)
DFA (Fin./Pen)

जानकारी के लिए कॉपी:-

सचिव के PPS
JS (ESW) के PS
JS & अतिरिक्त FA(DR) के PS
DS(Res-I)

फाइल संख्या 22B(01)/2016-WE/D(Res) Part-II

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 नवम्बर 2016

कार्यालय ज्ञापन

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन,

ईसीएचएस (ECHS) मौड लाइन,

दिल्ली छावनी

विषय: ईसीएचएस (ECHS)के लिए एंडोलाइट और ओटोबॉक प्रोस्थेसिस केंद्रों का पैनेल बनाना

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22B(04)/2010/US(WE)D(Res) dt 18 Feb 2011, संख्या 22B(02)/2013/US(WE)D(Res) dt 18 अक्टूबर 2013 और MoD ID No. 22B(02)/2015/US(WE) dt 09 अक्टूबर 2015 के प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न स्थानों के लिए एंडोलाइट के 36 प्रोस्थेसिस सेंटर और ओटोबॉक के 17 प्रोस्थेसिस सेंटरों को पैनेल में शामिल करने की मंजूरी नीचे दी गई है:-

एंडोलाइट प्रोस्थेसिस सेंटर		
क्रमांक	शहर	पता
1	दिल्ली	ए-4, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110028
2	मुंबई	13 B, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 339, 7 B, उद्योग मंदिर नंबर 1, भगोजी कीर मार, पैराडाइज सिनेमा के पास माहिम (पश्चिम), मुंबई - 400016
3	कोलकाता	47 A, डायमंड हार्बर रोड (तारातल्ला क्रॉसिंग और डीएवी पब्लिक स्कूल के पास), कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700038
4	चेन्नई	AA23, तीसरा स्ट्रीट, तीसरा मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई - 600040
5	हैदराबाद	द्वार संख्या : 8-2-269/S/88/1, प्लॉट नं. 88, गली नं. 7, सागर सोसाइटी रोड नंबर 2, बंजारा हिल्स हैदराबाद - 500038
6	बैंगलोर	38 (GF), तीसरा क्रॉस, विक्टोरिया लेआउट, बैंगलोर -560047
7	अहमदाबाद	जीएफ-7, मधुर कॉम्प्लेक्स, श्रीज पैलेस के सामने, नवरंग हाई स्कूल के पास,

		नारनपुरा, अहमदाबाद - 480013
8	जयपुर	d-23, इंद्रपुरी, लैकोठी, पंकज सिंघवी मार्ग, एपेक्स लेन, दीध्या सागर संस्थान के पास, जयपुर - 302015
9	लखनऊ	d 1408, इंद्रा नगर, कालेव चौराहा के पास, लखनऊ - 226016
10	इंदौर	हाउस नंबर 33-HIG विजय नगर, मंगल सिटी हॉल के सामने, इंदौर (MP) -452001
11	रायपुर	G-8, सेक्टर-1, अवंती विहार, तेलीबांधा, SBI ATM के पास, रायपुर - 492006
12	पटना	प्लॉट नंबर 7 G, पाटलिपुत्र पथ, राजेंद्र नगर, पटना - 800016
13	एर्णाकुलम	ग्राउंड फ्लोर, RG कॉम्प्लेक्स, देशभिमानी रोड, कलूर। PO कोच्चि - 82017
14	मंगलौर	दरवाजा नंबर 19/1540, ताज कंपाउंड, MR भाटी लेन, सेंट एंटोनिस् कोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च के पास, दूसरा ब्रिज जेप्पू मॉर्गन गेट, मंगलौर - 575002
15	रांची	H-144, हरमू हाउसिंग कॉलोनी (हरमू इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के पास) हरमू बाईपास रांची - 834001
16	कोयंबटूर	9वीं एवेन्यू, शिवानंद कॉलोनी, टाटाबाद, कोयंबटूर - 641012
17	विशाखापत्तनम	द्वार संख्या 9/29/13, भूतल, बालाजी नगर, सिरिपुरम एक्सटेंशन, विशाखापत्तनम - 530003
18	नागपुर	142, गोलचा हाउस, न्यू कॉलोनी, बायरामजी टाउन, सदरी नगर, नागपुर - 440013
19	लुधियाना	जीवन टॉवर, बी/XIX/1348/127C, 33 फीट रोड, ऋषि नगर, काली माता मंदिर के पास, लुधियाना -141001
20	मदुरै	प्लॉट नंबर 157, KK नगर ईस्ट, 1 मेन रोड, मदुरै - 625020
21	भुवनेश्वर	प्लॉट नंबर 1243/5630/8309, पंद्रा सत्य बिहार, रसूलगढ़, सप्तसती मंदिर के सामने, भुवनेश्वर, उड़ीसा - 751010
22	भोपाल	3-7/60, अशोका सोसाइटी अरेरा कॉलोनी, भोपाल -462016
23	वडोदरा	भूतल, 20, निर्माण सोसायटी, क्रॉसवर्ड के सामने, सामने ऑफिसर्स फ्लैट Q ब्लॉक, रुस्तम पटेल मार्ग, RC दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007
24	गुवाहाटी	हाउस नंबर 7 अमृतपुर पथ (लेन), दिसपुर अस्पताल के पास, गणेशगुरी, चरियाली, गुवाहाटी - 781006
25	विजयवाड़ा	प्लॉट नंबर 62, 4 लेन, कनक दुर्गा सरकारी अधिकारी कॉलोनी, गुरुनानक कॉलोनी के पास, विजयवाड़ा - 8
26	नासिक	7, बिलवदल रक्का कॉलोनी, शरणपुर रोड, नासिक - 422020
27	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर बैंक के नीचे ताज प्लाजा, जवाहर नगर, श्रीनगर - 190008
28	सोलापुर	98, रुक्मिणी रेजीडेंसी, विमान नगर, जुले सोलापुर, सोलापुर -413004
29	शिलांग	खमाइकी, मल्की (स्प्रिंगलाइड स्कूल के पास), मघालय - 793001
30	चंडीगढ़	प्लॉट नंबर 1005, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - 11, चंडीगढ़
31	अमृतसर	INA कॉलोनी, GPO कोर्ट रोड के सामने, अमृतसर - 143001

32	पुणे	6, लीला CO-Op हाउसिंग सोसाइटी, अग्रवाल कॉलोनी, 784 भवानी पेठ, पुणे - 411042
33	अगरतला	GS हेल्थ केयर, स्टार होटल के पास, नेताजी सुभाष रोड, अगरतला, तिरपुरा - 799001
34	सूरत	L-1, महान टेरेस, भुलका भवन अजंसेंट के सामने, मेन रोड, सूरत - 95000
35	वाराणसी	D -58/16-6, अशोक होटल के पीछे, अशोक नगर, सिगरा, वाराणसी - 21010
36	कानपुर	117/ L /229, नवीन नगर, कानपुर - 208025

ओटोबॉक कृत्रिम अंग केंद्र		
क्रमांक	शहर	पता
1	अहमदाबाद	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 1a-b, महालय कॉम्प्लेक्स, होटल प्रेसिडेंट के पास, स्वास्तिक क्रॉस रोड, ऑफ cg रोड, नारनपुरा, अहमदाबाद - 38009
2	कोयंबटूर	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 66/67, rr लेआउट, शनमुघा थिएटर के पास, rs पुरम, कोयंबटूर -641002
3	कोच्चि	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 38/2352F, मुथुकायिल, चेम्बर्स, फायर स्टेशन के पास, गांधीनगर, कोच्चि - 682017
4	लुधियाना	ओटो बॉक हेल्थ केयर, नंबर 830/5, दुगरी रोड, मॉडल टाउन, लुधियाना - 141002
5	नागपुर	ओटो बॉक हेल्थ केयर, PSK 0, रॉयल आर्केड बिल्डिंग, खामला ऑटोमोबाइल्स के पास, पांडे लेआउट, खामला, नागपुर - 440025
6	तिरुवनंतपुरम	ओटो बॉक हेल्थ केयर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज (CET) के सामने, स्ट्री कारियम, कुलथूर रोड, पंगापारा पीओ, त्रिवेंद्रम - 695581
7	बैंगलोर	ओटो बॉक हेल्थ केयर, #17, रीजेंट कोर्ट, ST बेड एक्सटेंशन, 80 फिट रोड, कोरमंगला, चौथा ब्लॉक, महाराजा होटल के पास, बैंगलोर - 560034
8	नई दिल्ली	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 19 साउथ पटेल नगर, पटेल के पास नगर मेट्रो स्टेशन, स्तंभ संख्या 194 के सामने, नई दिल्ली - 110008
9	कोलकाता	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 46, डॉ. सुंदरी मोहन एवेन्यू, भूतल, कोलकाता - 700014
10	मुंबई	ओटो बॉक हेल्थ केयर, फेयर लॉन हाउसिंग के पीछे सोसायटी, सायन-ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई -400071
11	सूरत	ओटो बॉक हेल्थ केयर, GF, 1-7, अभिलाषा अपार्टमेंट, ट्रिनिटी बिजनेस पार्क के सामने, LP सवानी रोड, अदजान, सूरत-395009
12	विशाखापत्तनम	ओटो बॉक हेल्थ केयर, संपत्ति असर द्वार संख्या 39-6-7, सेक्टर -6, सा केनरा बैंक के सामने, मुरली नगर, विशाखापत्तनम -530007
13	चेन्नई	ओटो बॉक हेल्थ केयर, संपत्ति असर संख्या 7A (नया), 2 से 4 (पुराना), उदीपी होम

		के पास, हॉल रोड, EGMORE, चेन्नई -600008
14	सिकंदराबाद	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 104 और 105, ब्लॉक, जया दुर्गा टावर्स, MCHनंबर 6-4-11 से 19 भोलाकपुर, सिकंदराबाद- 500080
15	लखनऊ	ओटो बॉक हेल्थ केयर, 1/95, विनय खंड, पत्रकार पुरम रोड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
16	मुंबई	ओटो बॉक हेल्थ केयर, #6&6-A ग्राउंड फ्लोर, कुसुमभारती बिल्डिंग, दत्तापाड़ा रोड, TATA SSLके सामने, बोरीवली (E), मुंबई - 400066
17	तिरुचिरापल्ली	ओटो बॉक हेल्थ केयर, नंबर 27, अन्नामलाई नगर, मेन रोड, ऑप. ABC अस्पताल, अन्नामलाई नगर, तिरुचिरापल्ली - 620018

2. पैनल में शामिल कृत्रिम अंग केंद्रों को देय दरों के निर्धारण सहित सभी नियम और शर्तें, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22B(02)/2015/US(WE) dt 09 अक्टूबर 2015 के तहत विनियमित और समय-समय पर संशोधित की जाएंगी।

3. कृत्रिम अंग के लिए दरें रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22B(02)/2015/US(WE) dt 09 अक्टूबर 2015 के आधार पर केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और इन केंद्रों द्वारा कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे को दी जाने वाली दरों और **डायरेक्टर जनरल** सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के कार्यालय द्वारा जारी की गई दरों के बराबर होगी, जैसा कि कृत्रिम अंग केंद्र, पुणे पर लागू होता है, जहां ऐसी दरें उपलब्ध नहीं हैं। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) इस पत्र के आधार पर दरों के निर्धारण की प्रक्रिया, बिलिंग प्रक्रिया आदि को शामिल करने के लिए विस्तृत कार्यान्वयन निर्देश जारी करेगा।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 32(07)/2015/Fin/Pen dt 16.09.2015 और 34(05)/2010/F.P Voll-III dt 26.10.2016 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

- (1) सचिव (ESW) के PPS
- (2) JS(ESW) के PS
- (3) JS & Addl. FA(RS)
- (4) CGDA, नई दिल्ली

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

- (5) संबंधित PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 22D(09)/2013/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2016

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- इसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए इन-पेशेंट उपचार और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो-अप उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं

महोदय,

रक्षा मंत्रालय को दिनांक 21 अगस्त, 2013 के समसंख्यक पत्र के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को सरकार में किए गए उपचार की प्रतिपूर्ति की नीति के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश हुआ है। (केंद्रीय/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2. सभी सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को पैनलबद्ध माना जाता है।

3. इसीएचएस (ECHS) लाभार्थी जिनके पास वैध इसीएचएस (ECHS) कार्ड है, जिस पर वे निर्भर हैं, वे सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (केवल कैंसर उपचार) से उपचार प्राप्त करने और इसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने के पात्र होंगे। (अर्थात् वे पॉलीक्लिनिक से रेफरल प्राप्त किए बिना उपचार का लाभ उठा सकते हैं)।

4. वैध इसीएचएस (ECHS) कार्ड रखने वाले इसीएचएस (ECHS) लाभार्थी अंग प्रत्यारोपण सर्जरी, घुटने और कूल्हे संयुक्त प्रतिस्थापन, कैंसर उपचार, न्यूरोसर्जरी और कार्डियक सर्जरी के मामलों में सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों से उपचार और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो-पी उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालांकि, इन अस्पतालों में निर्दिष्ट उपचार के लिए इसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से रेफरल की आवश्यकता होगी और एक बार में अनुवर्ती उपचार के लिए 3 से 6 महीने के लिए जारी किया जाएगा और अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सलाह के अनुसार चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची इस पत्र के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

5. ओपीडी दवाएं संबंधित इसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से एक बार में अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए प्राप्त की जानी चाहिए।

6. वे सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र जो इसीएचएस (ECHS) के साथ निर्धारित प्रारूप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुनते हैं, वे कैशलेस उपचार प्रदान करेंगे। इसीएचएस (ECHS) के साथ समझौता ज्ञापन का विकल्प नहीं चुनने वाले अस्पतालों के संबंध में मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। कैशलेस उपचार के लिए एमओए पर हस्ताक्षर होने पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

a) अस्पताल बिलों को मूल रूप में, इसीएचएस (ECHS) कार्ड की प्रति, डिस्चार्ज सारांश, जांच रिपोर्ट और प्रत्यारोपण के मामले में चालान और पहचान स्टिकर की कॉपी और स्टेंट के मामले में पहचान स्टिकर

और बाहरी पाउच संलग्न करेगा। बिल संबंधित क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

b) बिलों को स्कैन किया जाएगा और अस्पताल द्वारा UTI-ITSL वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। UTI-ITSL डेटा अपलोड करने और प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अस्पतालों को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करेगा।

c) सरकारी अस्पतालों को किए गए भुगतान पर दस दिनों के भीतर जल्दी भुगतान करने पर 2% की छूट नहीं दी जाएगी।

d) ईसीएचएस (ECHS), जहां भी लागू हो, UTI-ITSL को प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करेगा।

7. इन अस्पतालों में इलाज के लिए CGHS पैकेज दरें लागू नहीं हैं। इन अस्पतालों में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति वार्ड पात्रता के अनुसार संबंधित अस्पताल की दरों के अनुसार की जाती है, सिवाय उन मदों के, जिनके लिए ईसीएचएस (ECHS) के तहत अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं (जैसे IOL, घुटने, संयुक्त प्रत्यारोपण, कार्डिएक इम्प्लांट आदि)

8. अधिकतम दरों और/या वार्ड पात्रता से अधिक व्यय के मामले में, ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को राशि के अंतर का भुगतान स्वयं के संसाधनों से करना होगा और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। लागू अधिकतम दरें [www.ईसीएचएस \(ECHS\).gov.in](http://www.ईसीएचएस (ECHS).gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रत्यारोपण के मामले में जो सूचीबद्ध नहीं हैं, लाभार्थियों को सलाह दी जाएगी कि वे इलाज कराने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें।

9. नीति इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

10. इस पत्र की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त अस्पतालों की प्रक्रिया के तहत सभी लंबित बिलों को संसाधित करने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निपटाए गए बिलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

11. यह उनके UO No. 33(75)/2013/Fin/Pen dt 25-7-2016 के तहत Def/Fin की सहमति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:-

1. RM के PPS
2. RRM के PPS
3. CGDA, नई दिल्ली
5. MoD (सेना) के AG, IHQ
6. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
7. MoD (IAF) के AOA, IHQ
8. MD ईसीएचएस (ECHS)

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

11. Addl. FA & JS(DR) के PPS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

9. सचिव, ESW के PPS
10. JS (ESW) के PPS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

12. PCDA/CDA

भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या
22D(09)/2013/US(WE)/D(Res) का परिशिष्ट
दिनांक 26 जुलाई 2016

संबंधित मंत्रालयों की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित सूचियों में संशोधन किया जा सकता है:-

A. केवल कैंसर के उपचार के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्र। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित।

1. मेहदी नवाज जंग (MNJ) इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, रेड हिल्स, हैदराबाद
2. डॉ. भुवनेश्वर बोरुआ (B.B.) कैंसर संस्थान, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी
3. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना
4. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़
5. पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज और RCC, रायपुर
6. भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (A.I.I.M.S.), अंसारी नगर, नई दिल्ली
7. गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, न्यू सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड, असवारा, अहमदाबाद
8. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, पं B.D.शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS), रोहतक
9. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला।
10. शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS), सौरा, श्रीनगर
11. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू और कश्मीर
12. किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, होसुर रोड, बेंगलोर।
13. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, मेडिकल कॉलेज कंपाउंड, P.O. संख्या 2417 तिरुवनंतपुरम
14. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, जन विकास न्यास, मांड्रे की मीता, ग्वालियर
15. टाटा मेमोरियल अस्पताल, अर्नेस्ट बोर्जेस मार्ग, परेल, मुंबई
16. राष्ट्र संत टुकडोजी (RST), क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल, टुकडोजी चौक, महेवाला रोड, नागपुर
17. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), लम्फेलपत, इंफाल
18. सिविल अस्पताल, आइजोल
19. आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, मंगलबाग, कटक
20. जिपमर, पुडुचेरी कैंसर केयर सोसाइटी, पुडुचेरी।
21. आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट और अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर केंद्र), S.P.मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
22. क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (WIA), अड्यार, चेन्नई
23. सरकारी अरिग्नार अन्ना मेमोरियल कैंसर अस्पताल, करापेट, काचीपुरम।
24. सिविल अस्पताल, अगरतला
25. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, हासिमपुर रोड, इलाहाबाद।
26. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGIMS), रायबरेली रोड, लखनऊ
27. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एस.पी. मुखर्जी रोड, कोलकाता

फाइल संख्या. 22D(01)/2016/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए प्रक्रिया में संशोधन

महोदय,

दवाओं की आपूर्ति के संबंध में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व है। DGAFMS ने ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए दवाओं की खरीद की प्रक्रियाओं में कई संशोधन किए हैं। सभी हितधारकों के साथ बैठकें की गई हैं और उचित विचार-विमर्श के साथ पैनल में शामिल स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए CGHS के अधिकृत स्थानीय केमिस्ट मॉडल के अनुरूप एक प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(10)/03/US(WE)/D(Res) dt 25 Nov, 2003 के संदर्भ में, मुझे संशोधन पर सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है। ईसीएचएस (ECHS) के लिए आपातकालीन, जीवन रक्षक और आवश्यक और अनुपलब्ध दवाओं की स्थानीय खरीद के संबंध में पैरा 17 से 25 और पैरा 26 को शामिल करना निम्नानुसार है:-

के लिये

पैरा 17 से 25: मौजूदा

पढ़ें

- a) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक वाले सभी स्टेशनों में, स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट को आवश्यक आधार पर अनुपलब्ध, आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
- b) स्थानीय मेडिकल स्टोर्स/केमिस्टों का पैनल स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्न शामिल होंगे:-

- अध्यक्ष - स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत SO ईसीएचएस (ECHS) / कर्नल रैंक अधिकारी।
- सदस्य - लेफ्टिनेंट कर्नल (गैर चिकित्सा) स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत
- संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की संयुक्त डायरेक्टर अस्पताल सेवाएं/ स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत चिकित्सा अधिकारी
 - FA / PCDA / CDA के प्रतिनिधि

c) अधिकारियों का बोर्ड ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के साथ पैनल में शामिल होने के लिए स्थानीय प्रेस और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट से विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करेगा। बोर्ड निविदा पूछताछ के अनुसार तकनीकी मानकों की जांच करेगा। बोर्ड न्यूनतम 15% QR के साथ आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाओं के लिए MRP पर छूट की अधिकतम समग्र राशि के आधार पर L1 विक्रेता तक पहुंचेगा। निविदाकर्ता अलग-अलग दवाओं की मात्रा या संख्या पर ध्यान दिए बिना एक समग्र छूट का आंकड़ा उद्धृत करेंगे। बोर्ड L2 और L3 विक्रेताओं के साथ समानांतर दर अनुबंध पर विचार करेगा और यदि वे विक्रेता L1 दरों से सहमत हैं तो उनके नाम सिफारिश में शामिल करेंगे। अधिकारियों का बोर्ड अनुमोदन के लिए स्टेशन कमांडर को स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट की एक अनुशंसित सूची प्रस्तुत करेगा। दो साल की अवधि के लिए स्टेशन मुख्यालय द्वारा अनुमोदित स्थानीय मेडिकल स्टोर / केमिस्ट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विस्तृत नियम और शर्तें, निविदा पूछताछ और अनुबंध के प्रारूप CGHS TE और अधिकृत स्थानीय रसायनजों के अनुबंध पर आधारित होंगे। एक ही शहर के सभी CGHS अधिकृत केमिस्टों को पैनल में शामिल माना जाएगा यानी TE में भाग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेशन कमांडर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है।

d) अगर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दवा 'उपलब्ध नहीं' है, जैसा कि पॉलीक्लिनिक के मेडिकल स्टोर में स्टॉक से पुष्टि की गई है, तो पॉलीक्लिनिक का प्रभारी अधिकारी पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट से एक मांग करेगा। मामले का प्रबंधन करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्चे द्वारा मांग का समर्थन किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में, चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक दवा के स्थान पर पॉलीक्लिनिक मेडिकल स्टोर में कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। ब्रांडेड दवा केवल उचित चिकित्सा औचित्य के साथ निर्धारित की जाएगी। मांग प्राप्त होने पर पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर केमिस्ट पॉलीक्लिनिक को आवश्यक दवा की आपूर्ति करेगा। सूची में शामिल स्थानीय केमिस्टों के लिए मांगपत्र अधिमानतः ऑनलाइन किए जाएंगे और जिनका CGHS अनुबंधों के अनुसार समय-सीमा का पालन किया जाएगा।

e) आपूर्ति की गई दवाओं के बिलों को पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट द्वारा मासिक रूप से पॉलीक्लिनिक द्वारा की गई मांग की एक प्रति के साथ प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक को अग्रेषित किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक के प्रभारी अधिकारी उचित सत्यापन के बाद दवाओं/उपभोग्य सामग्रियों की प्राप्ति को प्रमाणित करेंगे और समेकित बिलों को अगले महीने की 5 तारीख तक स्टेशन मुख्यालय को अग्रेषित करेंगे, जो स्टेशन कमांडर/उपयुक्त CFA की मंजूरी के साथ भुगतान जारी करने के लिए इसे संसाधित करेंगे।

f) पैनल में शामिल स्थानीय केमिस्ट से दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए भुगतान

स्टेशन कमांडरों के निपटान में रखे गए नकद असाइनमेंट से और चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति से संबंधित भारत सरकार के पत्र संख्या 24(3)/03/US(WE)/D(Res)(i) dt 08 Sep 03 के परिशिष्ट के पैरा 1 के तहत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा आवश्यक धनराशि को स्टेशन कमांडरों के निपटान में रखा जाएगा। भुगतान चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान द्वारा किया जाएगा।

g) व्यय के लिए मौद्रिक सीमा को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:

टाइप A और B : 2.5 लाख रुपये प्रति माह

टाइप C : 1.5 लाख रुपये प्रति माह

टाइप D : 1 लाख रुपये प्रति माह

इस सीमा से अधिक के किसी भी व्यय को CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो CO ईसीएचएस (ECHS) अन्य पॉलीक्लिनिकों से आवश्यक धनराशि का पुनः विनियोग कर सकता है।

3. स्थानीय केमिस्टों से मांगी गई दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की सूची के साथ-साथ मांग की गई मात्रा को पॉलीक्लिनिक में SEMO को देय होने पर शामिल किया जाएगा। ऐसी दवाओं की मासिक सूची SEMO द्वारा खरीद कार्रवाई शुरू करने के लिए SEMO को अग्रेषित की जाएगी। जैसा कि MCI नैतिकता नियमों में निर्दिष्ट है, पॉलीक्लिनिक की फार्मसी एक खुली फार्मसी नहीं है, बल्कि केवल पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारियों/डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाओं के स्व-वितरण के रूप में है। अन्य परामर्शदाताओं द्वारा जारी अन्य सभी नुस्खे पॉलीक्लिनिक चिकित्सक द्वारा उपलब्धता, रोगी की स्थिति और निर्धारित अन्य दवाओं को ध्यान में रखते हुए फिर से लिखे जाएंगे।

4. पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर्स/केमिस्टों से दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद पर होने वाले व्यय की निगरानी संबंधित राजस्व शीर्ष के तहत अलग से की जाएगी।

5. पॉलीक्लिनिक इस प्रकार की सभी खरीद के लिए एक अलग खाता बनाए रखेंगे। सभी दैनिक लेनदेन को बनाए रखा जाएगा और आवश्यक दवाएं जारी करने वाले रोगियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत अधिकारियों के बोर्ड द्वारा अभिलेखों की जाँच की जाएगी, और प्रत्येक तिमाही में स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (LAO) द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

6. शेष पत्र कोई परिवर्तन नहीं। संशोधन CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।

7. पैरा 15 में उल्लिखित अनुपलब्ध दवाएं सेवा अस्पतालों में स्टॉक की स्थिति से संबंधित हैं और पैरा 17 और पैरा 20 में अनुपलब्ध दवाओं पर लागू नहीं होंगी क्योंकि यह पॉलीक्लिनिक में राज्य से संबंधित है।

8. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 10(3)/2016/FIN/पेन dt 3.8.17 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS (I) के PPS
6. Addl. FA (B) / Addl. FA (V)
7. JS (ESW)
8. JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. रक्षा (वित्त) /AG/PD)
11. DFA (B)/DFA (N)/DFA (वायु सेना)
12. AFA (B-1)
13. D (कार्य) / D (Mov) / D (चिकित्सा)
14. O&M इकाई

के लिए भी कॉपी:-

15. DGAFMS
16. DGDE, नई दिल्ली
17. DGD C&W
18. QMG
19. DGMS
20. DGMS (वायु)
21. DGMS (नौसेना)
22. AOA
23. COP
24. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

25. ADG C&W
26. DG (कार्य), E-in-C शाखा
27. ADG (FP)
28. सभी कमान मुख्यालय
29. AG शाखा / CW-3
30. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
31. वायुसेना मुख्यालय (PS & R)
32. CGHS निर्माण भवन : ALC को उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए।

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

33. CDA (सेना), बेंगलौर
34. CDA (WC), चंडीगढ़
35. CDA (सेना), पटना
36. CDA (SC), पुणे
37. CDA (सेना), मेरठ
38. CDA (NC), जम्मू
39. CDA (अधिकारी), पुणे
40. CDA (नौसेना), बोम्बे
41. CDA (AF), देहरादून
42. CDA (सेना), जबलपुर
43. CDA (सेना), सिक्कराबाद
44. CDA (सेना), लखनऊ
45. CDA (सेना), चेन्नई
46. CDA (सेना), कलकत्ता
47. CDA (AF), दिल्ली
48. CDA (सेना), गुवाहटी

फाइल संख्या 22D (14)/2016/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- नेपाल में रहने वाले गोरखा (NDG) ESM पेंशनरों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय दिशानिर्देश

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(02)/2012/WE/D(Res) dt 10 Sep 2013 के संदर्भ में, मुझे दिल्ली में लागू CGHS पैकेज दरों पर नेपाल में पैनलबद्ध अस्पतालों के बिलों और ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के व्यक्तिगत बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. इस पत्र के जारी होने की तारीख को या उसके बाद शुरू हुए इलाज के लिए दिल्ली की दरें लागू होंगी। इस पत्र के जारी होने से पहले किए गए सभी उपचारों के लिए अब तक लागू लखनऊ दरें जारी रहेंगी।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 33(18)/2016/Fin/Pen dt 25 अक्टूबर 2017 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. रक्षा सचिव के SO
4. सचिव ESW के PPS
5. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
6. JS (ESW)

7. JS (North), MEA
8. Addl. FA (RK) & JS के PS
9. CGDA, नई दिल्ली
10. MD, ईसीएचएस (ECHS)
11. DGAFMS
12. रक्षा अताशे, भारतीय दूतावास, काठमांडू (नेपाल)
13. PCDA (CC), लखनऊ

फाइल संख्या 22B(10)/2017/WE/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) सेना भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 05 दिसंबर 2017

सेवा में,
मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन
एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, मौड लाइन
दिल्ली कैंट.

विषय :- पहले से सूचीबद्ध ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाओं के नाम, खाता संख्या आदि के संबंध में परिवर्तन करने के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को शक्तियों का प्रत्यायोजन

महोदय,

CO, ईसीएचएस (ECHS) कृपया उपरोक्त विषय पर उनके पत्र संख्या B/49771/AG/ECHS/Emp/Gen dt 21 Aug 2017 का संदर्भ लें।

2. रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) के परामर्श से मामले की जांच की गई है।
3. नाम, बैंक खाता पैन कार्ड और निगमन प्रमाण पत्र में परिवर्तन के संबंध में ईसीएचएस (ECHS) के साथ पहले से सूचीबद्ध संबंधित चिकित्सा सुविधाओं से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर परिवर्तन करने के लिए MD, ईसीएचएस (ECHS) को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं, जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति की होती हैं।
4. इस पत्र के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए IFA परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की सहमति से उनकी ID No. 32(22)/2017/Fin (Pen) dt 7 Nov 2017 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. सचिव ESW के PPS
2. JS (ESW) के PPS
3. Addl. FA & JS (RK) के PS
4. CGDA

5. DGAFMS
6. AG's शाखा (ईसीएचएस (ECHS))

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

1. PCsDA/CsDA
2. IFA (सेना-Q)

फाइल संख्या 22B(10)/2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) सेना भवन, नई दिल्ली
दिनांक 26 दिसंबर 2017

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, केंद्रीय संगठन
मौड लाइन दिल्ली कैंट।

विषय: ईसीएचएस (ECHS) सदस्य द्वारा भारत के बाहर रहने के दौरान किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान की मांग करने वाले ईसीएचएस (ECHS) का प्रस्ताव

महोदय,

CO, ईसीएचएस (ECHS) कृपया D/o ESW F.No. 22D(12)/2016/WE/D(Res-I) में नोट dt 19 Dec 2017 के माध्यम से भेजे गए उनके उपर्युक्त प्रस्ताव का संदर्भ लें।

2. ईसीएचएस (ECHS) CGHS नियमों का पालन करता है। CGHS पेंशनभोगी लाभार्थियों द्वारा भारत से बाहर रहने के दौरान किए गए चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने के लिए CGHS में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में ईसीएचएस (ECHS) पेंशनभोगी लाभार्थियों द्वारा भारत से बाहर रहने के दौरान किए गए चिकित्सा उपचार पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए ईसीएचएस (ECHS) नियमों में प्रावधान की मांग करने वाले CO, ईसीएचएस (ECHS) के प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकती है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव (WE)

टेलिफोन फैक्स: 23014946

ईमेल आईडी: ak.karan@nic.in

फाइल संख्या 22B(01)/2016/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, B विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 26 जून 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति तथा अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) के संबंध में प्रावधान में संशोधन

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(01)/2016/WE/D(Res-I) dt 22 Aug 2017 के संदर्भ में, ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रयास किए गए थे और उपरोक्त संदर्भित या ALC के माध्यम से ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की अनुमति देने वाले प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश प्रदान करके उपलब्ध दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए गए थे।

2. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को दवा वितरण की मौजूदा प्रणाली 2016 तक पूर्व सैनिकों में असंतोष पैदा कर रही थी। ईसीएचएस (ECHS) से संबंधित दवाओं की आपूर्ति के साथ AFMSD से निपटने से पहले बहुत कम जमीनी स्तर की संतुष्टि थी। 10 अक्टूबर 2016 से ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं की आपूर्ति को AFMSD से अलग करने और ईसीएचएस (ECHS) के लिए दवाओं की आपूर्ति के लिए SEMO को नोडल एजेंसी बनाने के बाद संतुष्टि स्तर में सुधार हुआ है और ALC की शुरुआत के बाद संतुष्टि के स्तर में और सुधार की परिकल्पना की गई है (अधिकृत स्थानीय केमिस्ट)।

3. दवाओं की उपलब्धता के संबंध में रक्षा मंत्रालय (DoESW) और केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों से प्राप्त विभिन्न शिकायतें। इनमें से अधिकांश दवाओं की आपूर्ति और प्राप्ति से संबंधित जारी की गई हैं, ALC के पूरी तरह से कार्य करने के बाद यह अच्छी तरह से तय हो जाएगा। ALC कार्यान्वयन से संबंधित ईसीएचएस (ECHS) के सामने आने वाली कुछ कठिनाइयों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- a) संबंधित पॉलीक्लिनिक की नगरपालिका सीमा के भीतर विशेष रूप से छोटे कस्बों/शहरों में किसी केमिस्ट की अनुपलब्धता।
- b) CGHS शहरों और गैर CGHS शहरों के लिए न्यूनतम वार्षिक कारोबार छोटे शहरों और कस्बों में स्थित रसायनजों के लिए क्रमशः 60 लाख रुपये और 30 लाख रुपये है।
- c) छोटे शहरों/कस्बों में स्थित खुदरा केमिस्टों के लिए PBG की उच्च दरें संभव नहीं हैं।
- d) अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) के पैनल के लिए अधिकारियों के बोर्ड के अनुसार इन दूरस्थ/छोटे क्षेत्रों का दौरा करने के लिए IFAs/CsDA (LAO/IFA) के संदर्भ की अनुपलब्धता।

4. सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, कुछ प्रक्रियात्मक संशोधनों के लिए निर्णय लिया गया। मुझे निम्नलिखित प्रक्रियात्मक संशोधनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:

- a) पॉलीक्लिनिक के AOR से परे आसपास के क्षेत्रों / कस्बों के स्थानीय केमिस्टों को उन स्थानों पर सूचीबद्ध करना, जहां स्थानीय केमिस्ट संबंधित पॉलीक्लिनिक की नगरपालिका सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हैं।
- b) दवाओं की आपूर्ति की अवधि को 24 घंटे के बजाय 72 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। जहां पॉलीक्लिनिक की नगरपालिका सीमा के भीतर कोई ALC मौजूद नहीं है।
- c) CGHS शहरों और गैर-CGHS शहरों के लिए 60 लाख/30 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार छोटे शहरों के केमिस्टों के लिए क्रमशः 15 लाख/5 लाख कर दिया गया है।
- d) छोटे शहरों/कस्बों में स्थित पैनल में शामिल अधिकृत स्थानीय केमिस्ट के लिए PBG को घटाकर 15000/- (रु. 50,00/- और अन्य सुविधाओं के लिए 25,000/- के बजाय) किया जाएगा।
- e) जन औषधि स्टोर को ईसीएचएस (ECHS) के साथ सूचीबद्ध माना जा सकता है क्योंकि जन औषधि स्टोर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के आवश्यक घटक हैं।
- (f) अगर CGDA (LAO/IFA) के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो बोर्ड के अधिकारी केमिस्ट के पास जा सकते हैं और आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। LAO/IFA स्टेशन कमांडर द्वारा BOO की स्वीकृति से पहले प्रस्ताव की जांच कर सकते हैं।

5. इसे रक्षा वित्त/पेंशन की सहमति से उनके UO No. 10(3)/2016/ Fin/Pen dt 20-4-2018 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी :-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. DGADS, नई दिल्ली
3. रक्षा सचिव के SO/ सचिव, ESW के PPS
4. AS(T) के PPS / AS(I) के PPS
5. अतिरिक्त FA (RK) & JS
6. JS (ESW)/HS/(O/N)
7. डायरेक्टर (वित्त/AG)
8. DFA (B)/DFA(N)/DFA(वायु सेना)
9. AFA (B-1)
10. D(कार्य)/D(MoD)/D(चिकित्सा)
11. O&M इकाई
12. MD ईसीएचएस (ECHS)

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महानिदेशालय CGHS कार्यालय
संख्या: S-11011/29/2018-CGHS(HEC)/DIR/CGHS
निर्माण भवन, नई दिल्ली, दिनांक 06 अगस्त 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- CGHS/CS(MA) नियमों के लाभार्थियों के लिए कार्डिएक पेसमेकर, AICD, कॉम्बो-डिवाइस, रॉट एब्लेटर और एओर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम दरों में संशोधन

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, OM संख्या 12034/02/2014/Misc./- CGHS D.III dt 22nd Jul 2014 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत CGHS/CS (MA) नियमों के लाभार्थियों के लिए कार्डिएक पेसमेकर, AICD, कॉम्बो-डिवाइस, रोट एब्लेटर और एओर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए उच्चतम दर निर्धारित की गई है और यह बताने के लिए कि मंत्रालय द्वारा मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अधिकतम दरों को संशोधित किया जाए:

क्रमांक	कार्डिएक डिवाइस	सीलिंग रेट
1	दर प्रतिक्रिया के बिना सिंगल चेंबर कार्डिएक पेसमेकर	रु. 34,840/- + जीएसटी
2	दर प्रतिक्रिया के साथ सिंगल चेंबर कार्डिएक पेसमेकर	रु. 44,928/-+ जीएसटी
3	डुअल चेंबर कार्डिएक पेसमेकर	रु.83,200/-+ जीएसटी
4	बाइ-वैट्रिकुलर कार्डिएक पेसमेकर	रु.1,95,000/-+ जीएसटी
5	इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर (सिंगल चेंबर) (ICD/AICD सिंगल चेंबर)	रु.1,75,786/-+ जीएसटी
6	प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर (डुअल चेंबर) (ICD/AICD सिंगल चेंबर)	रु. 3,75,000/-+ जीएसटी
7	कॉम्बो डिवाइस (CRT-D)	रु. 4,90,000/-+ जीएसटी
8	ऑर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट (विस्तार योग्य, द्विभाजित और वितरण प्रणाली सहित)	रु. 4,40,960/-+ जीएसटी
9	एडवान्सर के साथ रोट एब्लेटर	रु.49,920/-+ जीएसटी
10	रोट एब्लेटर बर	रु.23,920/-+ जीएसटी

2. dt 22 Jul 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12034/02/2014/Misc./-CGHS D.III के तहत निर्धारित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. ये दरें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण अधिकारी (एनपीपीए) द्वारा उपरोक्त उपकरणों के लिए दरों को अधिसूचित किए जाने तक वैध रहेंगी।

4. एसएस एंड एफए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहमति से CD -No.1295 dt 25.07.2018 के तहत जारी किया गया।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(डॉ. अतुल प्रकाश)
डायरेक्टर, CGHS

के लिए,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,
2. डायरेक्टर, CGHS, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. दिल्ली के बाहर CGHS शहरों के अतिरिक्त DDG
(मुख्यालय)/सभी अतिरिक्त डायरेक्टर/संयुक्त डायरेक्टर
4. CGHS के तहत सभी वेतन एवं लेखा अधिकारी
5. अतिरिक्त डायरेक्टर (हेडक्वार्टर) / अतिरिक्त डायरेक्टर (SZ)/ (CZ)/(EZ)/(NZ), CGHS, नई दिल्ली
6. JD (Gr.)/JD(R&H), CGHS दिल्ली
7. CGHS Desk-I/Desk-II/CGHS-I/CGHS-II, Dte.GHS, निर्माण भवन। नई दिल्ली
8. Estt.I/Estt.II/Estt.III/Estt.IV अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
9. निदेशालय GHS के प्रशासन I / प्रशासन II अनुभाग
10. राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय
11. रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय / पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
12. U.P.S.C.
13. वित्त विभाग
14. उप सचिव (सिविल सेवा समाचार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सातवीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
15. सचिव (H&FW)/ सचिव (AYUSH)/सचिव (AYUSH)/ के PPS सचिव (एड्स नियंत्रण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
16. DGHS /SS&MD, NRHM / AS (H) /AS & DG (CGHS) के लिए PPS
17. श्री उमरावमल पुरोहित, सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13- C, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
18. राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सभी कर्मचारी पक्ष सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)
19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
20. मंत्रालय के सभी कार्यालय/अनुभाग/डेस्क
21. UTI-ITSC, 153/1, पहली मंजिल, ओल्ड मद्रास रोड, उल्सूर, बेंगलुरु-560008
22. नोडल अधिकारी, MCTC, CGHS, CGHS वेबसाइट पर OM की एक कॉपी अपलोड करने के अनुरोध के साथ
23. कार्यालय आदेश फ़ोल्डर

फाइल संख्या. 22B(06)/2017/WE/D(Res-I)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
 (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 08 अगस्त 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- आयुष की वैकल्पिक प्रणाली के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को अनुमति देना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मुझे सरकारी आयुष अस्पताल, कॉलेज, राष्ट्रीय आयुष संस्थान, सभी सरकारी औषधालयों के माध्यम से ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) दवाओं की प्रणाली के तहत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए सरकार की मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है। जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, PHC/ CHC/ नगर पालिका अस्पताल जो केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं और जिनके पास आयुष प्रणाली की दवाओं के परामर्श / उपचार / प्रक्रियाओं / जांच / दवाओं की सुविधा है। प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र बनने के लिए सरकारी आयुष सुविधा में उपचार लेने से पहले अपनी पसंद के अनुसार जनकपॉलीक्लिनिक / क्षेत्रीय केंद्र या ईसीएचएस (ECHS) केंद्रीय संगठन (डायरेक्टर चिकित्सा) से पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति वास्तविक लागत के अनुसार होगी और उन्हें शुरू में अपने इलाज के लिए भुगतान करना होगा और परामर्श/उपचार/प्रक्रियाओं/जांच/दवाओं आदि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करना होगा।

2. अनुमति सामान्यतः निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर दी जाएगी।

(a) यदि लाभार्थी का पहले से ही एलोपैथिक प्रणाली के तहत इलाज चल रहा है, तो उसे आयुष प्रणाली के तहत इलाज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लाभार्थी एक प्रणाली में उपचार रोकने के बाद दूसरी प्रणाली में दवा में स्थानांतरित हो सकता है जिसके लिए अनुमति दी जाएगी। अपनी पसंद के अनुसार उपचार प्राप्त करने के लिए दवा की एक प्रणाली का चयन करने का विकल्प पूरी तरह से लाभार्थी पर होता

है। एक साथ दो या दो से अधिक दवाओं की प्रणाली के तहत उपचार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(b) DGL में निर्दिष्ट सरकारी आयुष अस्पतालों/सुविधाओं के अलावा अन्य सुविधाओं में इलाज की अनुमति मांगने वाले मरीजों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(c) गैर चिकित्सीय उद्देश्य/प्रक्रिया के लिए अनुमति से इनकार कर दिया जाएगा।

3. लाभार्थी मूल ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को मूल रूप से सभी प्रासंगिक सहायक वाउचर/दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करेंगे। पैत्रिकपॉलीक्लिनिक उपचार प्राप्त करने के लिए पूर्व अनुमति पत्र को सत्यापित करने के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न हैं, दावेदार को एक दिनांकित पावती जारी करेगा। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक बाद में UTI-ITSL (BPA) को दावा ऑनलाइन अपलोड करेगा। उचित जांच के बाद और अंत में CFA अनुमोदन के लिए UTI-ITSL (BPA) द्वारा निकासी और प्रतिपूर्ति के लिए दावा आगे संसाधित किया जाएगा।

4. यदि लाभार्थी अपने निवास स्थान से दूर किसी शहर में अस्पताल/आयुष की सरकारी सुविधा में इलाज कराना चाहता है तो अनुमति/अनुमोदन दिया जा सकता है लेकिन TA/DA लाभार्थी को वहन करना होगा।

5. बिलों की प्रोसेसिंग

(a) बिलों को CGHS दरों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

(b) आयुष प्रणाली के तहत परामर्श/उपचार प्रक्रियाओं/जांच/दवाओं के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र होने के लिए, किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के निकायों से उपचार प्राप्त करने के लिए मूल ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/क्षेत्रीय केंद्रों/केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) (चिकित्सा शाखा) से पूर्व अनुमति/अनुमोदन अनिवार्य है।

(c) उपचार प्राप्त करने या अस्पतालों से छुट्टी मिलने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर दावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(d) खाद्य टॉनिक, विटामिन, कीटाणुनाशक, प्रसाधन आदि के रूप में वर्गीकृत तैयारियों को छोड़कर, सभी दवाओं की लागत पूरी तरह से प्रतिपूर्ति योग्य है। सरकारी आयुष सुविधाओं की ओपीडी में निर्धारित दवाओं की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(e) UTI-ITSL (BPA) द्वारा नुस्खे और बिलों की उचित जांच और सत्यापन के बाद MRP के अनुसार दवा की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(f) आयुष के निजी अस्पतालों/सुविधाओं में किए गए उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(g) UTI-ITSL (BPA) द्वारा दावे की जांच और प्रसंस्करण के बाद CFA अनुमोदन के बाद भुगतान सीधे व्यक्तिगत दावेदार को किया जाएगा।

(h) UTI-ITSL दावा दस्तावेजों की गहन जांच करेगा।

(i) UTI-ITSL बिलों की प्राप्ति के अधिकतम 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगेगा यदि कोई हो।

6. **दावेदारों द्वारा बिल जमा करना।**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बिल नीचे सूचीबद्ध सभी सहायक वाउचर और संबंधित दस्तावेजों के साथ मूल ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को प्रस्तुत किए जाएंगे: -

- ईसीएचएस (ECHS) कार्ड की एक प्रति।
- सारांश के साथ व्यक्तिगत बिल
- सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर छुट्टी का सारांश।
- पूर्व अनुमति/पत्र
- ई-मेल पता/टेलीफोन/मोबाइल नं.
- बैंक खाते का विवरण जहां भुगतान प्राप्त किया जाना है।

7. **उपचार की अनुमति।** PHC/CHC के अलावा केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी औषधालयों/जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/नगर पालिका अस्पताल के अलावा सभी सरकारी आयुष अस्पताल और कॉलेजों और राष्ट्रीय आयुष संस्थान को इलाज की अनुमति दी जा सकती है। (संलग्न सूची के अनुसार - अनुलग्नक A)

8. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनकी ID संख्या 32(10)/2018/Fin/Pen dt 04.06.2018 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव,

भारत सरकार

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार।

के लिए कॉपी:-

1. MoD (Fin/Pen)	7. नेवी HQ (PS Dte)
2. CGDA, नई दिल्ली- सभी PCDA's/CDA's की जानकारी के लिए	8. AG शाखा/CW-3
3. JS (ESW)	9. वायु HQ (PS & R)
4. DGAFMS	10. DGADS
5. MD केंद्रीय संगठन (ईसीएचएस (ECHS))	11. D/o आयुष, नई दिल्ली
6. सभी कमान HQ	

आयुष विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थान

क्रमांक	संस्थान का नाम	पता और फोन नंबर	राज्य
1.	लोक चिकित्सा के उत्तर पूर्वी संस्थान	अस्सा डायग्नोस्टिक सेंटर, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश, फैक्स: 03682225243	अरुणाचल प्रदेश
2.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान	गौतमपुरी, मथुरा रोड, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076। फोन नंबर-011-6470211, 64702113	दिल्ली
3.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, अस्पताल रोड जामनगर-361008, फैक्स: 0288-2676856	गुजरात
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान	माधव विलास पैलेस, अजमेर रोड, जयपुर-302002, फैक्स: 0141- 2635709	राजस्थान
5.	आयुर्वेद और होम्योपैथिक पर उत्तर पूर्वी संस्थान	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मावडिआंगडियांग, शिलांग-18, फैक्स: 03642520680	मेघालय
6.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ	धन्वंतरि भवन, रोड नंबर 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली- 110026	दिल्ली
7.	सिद्ध के राष्ट्रीय संस्थान	तांबरम सेनेटोरियम, चेन्नई- 600047, फैक्स: 044 22381314	तमिलनाडु
8.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान	GE ब्लॉक, सेक्टर III, साल्ट लेक, कोलकाता-700106, फोन-033- 23370969, 23370970, डॉ. घोष मंडल (डायरेक्टर) 09433387229	पश्चिम बंगाल
9.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान	कोट्टीगे पाल्या, मगदी मेन रोड, बेंगलोर-560091, दूरभाष 080-23584260 फैक्स: 08023584180	कर्नाटक
11.	मरोरजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान	68, अशोक रोड, गोले डाक खाना के पास, नई दिल्ली-110001, फोन 011-23711657, 23718301, फैक्स: 011-23711657	दिल्ली
11.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान	बापू भवन, ताड़ीवाला रोड, पुणे-411001। फोन: 02026059682/4/5, फैक्स: 020-26059131	महाराष्ट्र

सरकारी आयुष कॉलेज

(i) आयुर्वेद कॉलेज

क्रमांक	कॉलेज / संस्थान का नाम और पता	स्था. का वर्ष	स्वामित्व	संबद्धता स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश				
1	डॉ बीआरकेआर सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, एसआर नगर, एरगडा, हैदराबाद-500038	1948	सरकार	NTR स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विजयवाड़ा
2.	ए.एल. सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज, औद्योगिक कॉलोनी, लक्ष्मी पुरा, वारंगल-506013	1956	सरकार	
3.	डॉ नोरी रामाशास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, महात्मा गांधी रोड, विजयवाड़ा- 520002	1942	सरकार	
असम				
4.	सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज, PO गुवाहाटी विश्वविद्यालय, जलुकबारी, गुवाहाटी-781014	1948	सरकार	गुवाहाटी विश्वविद्यालय
बिहार				
5.	सरकार श्री धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर- 802001	1972	सरकार	बाबा साहब भीम राव अंबेडकर बिहार। विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर।
6.	शासकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय-851218	1949	सरकार	
7.	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कदम कुआँ, पटना-8000003	1926	सरकार	
8.	श्री यतींद्र नारायण अष्टांग सरकार। आयुर्वेदिक कॉलेज, चंपानगर, भागलपुर-812004	1946	सरकार	
9.	सरकार महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान, संस्थान, मोहनपुर दरभंगा-846007।	1975	सरकार	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा
छत्तीसगढ़				
10	श्री N.P.A. शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, रायपुर - 492002	1955	सरकार	पं, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

दिल्ली				
11	आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005	1921	सरकार	दिल्ली विश्वविद्यालय
गुजरात				
12.	शासकीय अखण्डानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, भद्रा, अहमदाबाद - 38001	1966	सरकार	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर
13.	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पंचेश्वर रोड, नगर गीता टॉकीज, जूनागढ़-362001	1969	सरकार	
14	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, अजवा रोड, बड़ौदा-3900001	1966	सरकार	
15.	PG प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर-361001	1956	सरकार	
16	सेठ J.P सरकार, आयुर्वेदिक कॉलेज, वेदुवा, पनवाड़ी रोड, भावनगर- 364001	1963	सरकार	
17.	श्री बाला हनुमान आयुर्वेदिक महाविद्यालय, AT & POलोदरा, तेल मनसा, गांधी नगर - 382835	1963	सरकार	
हरियाणा				
18	श्री कृष्णा गवर्नमेंट, आयुर्वेदिक कॉलेज, DCनिवास के पास, उमरी रोड, कुरुक्षेत्र- 132118	1972	सरकार	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
हिमाचल प्रदेश				
19.	राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज, पपरोला, जिला, कांगड़ा- 176115	1972	सरकार	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
कर्नाटक				
20.	शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, धन्वंतरी रोड, बंगलौर-560009	1967	सरकार	गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर
21.	शासकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, विश्वेश्वरैया सर्कल, सैय्याजी राव रोड, मैसूर- 57201	1908	सरकार	
22.	तारानाथ राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर रोड, बेल्लारी- 583101	1947	सरकार	
केरल				
23.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरुवनंतपुरम-695001	1951	सरकार	केरल विश्वविद्यालय

24.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, PO, परिताराम, कन्नूर-670503	1991	सरकार	कन्नूर विश्वविद्यालय कन्नूर
25.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, दानवंतरी नगर थिरपुन्नीथुरा, एर्नाकुलम - 682301	1958	सरकार	MG विश्वविद्यालय कोट्टायम
मध्य प्रदेश				
26	गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू आउटडोर बिल्डिंग, रीवा-4860001	1973	सरकार	अवधेश पीएस विश्वविद्यालय रीवा
27.	पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान श्यामला हिल रोड, डिपो चौक के पास, भोपाल-462002	1995	सरकार	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
28.	शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, लाल बाग, लोकमान्य नगर, इंदौर- 452009	1972	सरकार	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।
29.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, शिकारपुरा, बुरहानपुर, खंडवा-450331	1958	सरकार	
30.	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, अमखो, लश्कर, ग्वालियर-474009	1916	सरकार	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर
31.	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, जबलपुर-482001।	1971	सरकार	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
32.	शासकीय धन्वंतरि आयुर्वेद महाविद्यालय, मंगल नाथ मार्ग, उज्जैन-456001	1968	सरकार	विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
महाराष्ट्र				
33.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, वजीराबाद, नांदेड़-431601	1956	सरकार	महाराष्ट्र विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिको
34.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, तुड़जा पुर रोड, उस्मानाबाद- 413501	1986	सरकार	
35.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, राजे रघुजी नगर, उमरेड रोड, नागपुर-440024	1965	सरकार	
36	आर.ए. पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डॉ एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400018	1941	सरकार	
ओडिशा				
37.	कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज, ए/पी अंकसपुर, कुकुदाखंडी, गंजम-761100	1975	सरकार	बरहामपुर विश्वविद्यालय
38.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बोलंगीर-767001	1975	सरकार	संबलपुर विश्वविद्यालय
39.	गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी-752002	1949	सरकार	उत्कल विश्वविद्यालय वाणी विहार, भुवनेश्वर

पंजाब				
40.	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटियाला-147001	1952	सरकार	बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट
राजस्थान				
41.	महामना M.M.M.गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, अंबामाता रोड उदयपुर	1944	सरकार	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर
42.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आमेर रोड, माधव विलास पैलेस, जलपुर-302002	1976	सरकार	
43.	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आयुर्वेद महाविद्यालय, 82 आयकर कॉलोनी, 'C' पोटा रावड़, जोधापुर	2004	सरकार	
उत्तराखंड				
44.	शासकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, हरिद्वार- 249401	1919	सरकार	श्री HN बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर
45.	शासकीय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल, हरिद्वार- 249404	1922	सरकार	
उत्तर प्रदेश				
46.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, तुरिया गंज, संत तुलसी दास मार्ग, लखनऊ-226004	1954	सरकार	लखनऊ विश्वविद्यालय
47.	आयुर्वेद संकाय, आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी- 221005	1963	सरकार	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
48.	ललित हरि सरकार आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, पीलीभीत- 262001।	1899	सरकार	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
49.	स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, रामपुर, मुजफ्फरनगर-251001	1971	सरकार	
50.	बुंदेलखंड शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल ग्वालियर रोड, झांसी-284003	1934	सरकार	
51	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, अतर्रा, जिला, बांदा- 210201	1955	सरकार	
52	श्री लाल बहादुर श्रीश्री मेमोरियल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हंडिया, इलाहाबाद- 221504	1982	सरकार	
53	साहू रामनारायण मुरली मनोहर गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल, धनमंडी, बरेली- 243001	1966	सरकार	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
54.	शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, जगतगंज, वाराणसी- 221002	1965	सरकार	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

पश्चिम बंगाल				
55.	JB रॉय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 170172 राज दिनेंद्र स्ट्रीट, कोलकाता	1916	सरकार	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता
56.	श्यामदास विद्या शास्त्र पीठ में स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, 294/3/1 आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड कोलकाता-700004	1976	सरकार	

(ii) यूनानी कॉलेज

क्रमांक	कॉलेज / संस्थान का नाम और पता	स्था. का वर्ष	स्वामित्व	संबद्धता स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश				
1.	गवर्नमेंट निज़ामिया टिब्बी कॉलेज, चारमीनार हैदराबाद- 500002	1938	सरकार	NTRस्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा
बिहार				
2.	गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कदम कुआँ, पटना- 800003	1926	सरकार	BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर
दिल्ली				
3.	आयुर्वेद और उनिनाई तिब्बिया कॉलेज अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	1921	सरकार	दिल्ली विश्वविद्यालय
4.	मेडिसिन संकाय (U), जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली-110062।	1996	सरकार	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय
कर्नाटक				
5.	गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, संख्या 6, अप्परेडुडी कॉम्प्लेक्स, 5 वां क्रॉस, बैंगलोर- 560026	1975	सरकार	राजीव गांधी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर।
6.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, कोट्टीगेपल्या मगदी मेन रोड, बैंगलोर - 560091	2004-05	सरकार	
मध्य प्रदेश				
7.	एचकेएम सैयद जिया-उल-हसन सरकार। यूनानी मेडिकल कॉलेज, पात्र परिघर, गिन्नोरी कमला पार्क, भोपाल-462023	1998	सरकार	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
तमिल नाडु				
8.	गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, अरुम्बक्कम, चेन्नई-600106	1979	सरकार	तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई

उत्तर प्रदेश				
9.	अजमल खान तिब्बित्य कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202001	1927	सरकार	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
10.	शासकीय तकमिल-उत-तिब कॉलेज टोला, लखनऊ-226003	1902	सरकार	श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
11.	शासकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, हिम्मतगंज, इलाहाबाद-211016	1904	सरकार	

(iii) सिद्ध कॉलेज

क्रमांक	कॉलेज / संस्थान का नाम और पता	स्था. का वर्ष	स्वामित्व	संबद्धता स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तमिल नाडु				
1.	शासकीय सिद्ध मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली, पलायमकोट्टल-627002	1964	सरकार	The Tamil Nadu Dr, MGR Medical University, Chennai
2.	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, अरिग्नार अन्ना गवर्नमेंट, हॉस्पिटल ऑफ इंडियन मेडिकल कैंपस, अरुम्बक्कम, चेन्नई-600106	1985	सरकार	
3.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तांबरम, चेन्नई-600106	2004-05	सरकार	

(iv) होम्योपैथी कॉलेज

क्रमांक	कॉलेज / संस्थान का नाम और पता	स्था. का वर्ष	स्वामित्व	संबद्धता स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश				
1.	जयसूर्या पोर्टी श्रीनामुलु गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रामंथपुर, हैदराबाद-500013	1967	सरकार	एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विजयवाड़ा
2.	डॉ गुरुराजू गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गुड़ीवाड़ा जिला। कृष्णा-521301	1945	सरकार	एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विजयवाड़ा
3.	शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रवींद्र नगर पोस्ट, कडप्पा-516003	1982	सरकार	
4.	डॉ अल्लू रामलिंगैया गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, 'वाई' जंक्शन के पास, डी. नंबर 26-1-11, राजमुंदरी, जिला पूर्वी गोदावरी-533105	1969	सरकार	

असम				
5.	डॉ, जेके सैकिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज क्लब रोड, पीओ, चेन्नई, जिला जोरहाट-785008	1975	सरकार	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
6.	असम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुल सिंह रोड, लखीनगर, पीओ हलबरगांव, नगांव-782002	1968	सरकार	गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी
7.	स्वाहिद जादव नाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गांव, बाघरबारी, पीओ खानापारा, गुवाहाटी-781002	1975	सरकार	
बिहार				
8.	आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीओ रमना, मुजफ्फरपुर-842002	1958	सरकार	बीआर अंबेडकर बिहार, विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर
दिल्ली				
9.	नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बी-ब्लॉक, डिफेंस कॉलोनी, एन. दिल्ली- 110024	1967	सरकार	दिल्ली विश्वविद्यालय
10	डॉ. बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, नानक पुरा गुरुद्वारा मोती बाग- II के पास, नई दिल्ली-110021	1998	सरकार	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली
कर्नाटक				
11.	गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, डॉ सिद्धैया पुराणिक रोड, (गवर्नमेंट, मेडिकल स्टोर्स के पास, बसवेश्वर नगर, बैंगलोर-560079)	1986	सरकार	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर
केरल				
12	गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, करापरम्बा, जिला कोझीकोड-673010	1975	सरकार	विश्वविद्यालय
13.	गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ईरानीमुट्टम, तिरुवनंतपुरम-695009	1983	सरकार	केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश				
14.	गवर्नमेंट ऑटोनाॅमस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 214, भगवान कॉम्प्लेक्स, जोन -1, एमपी नगर, भोपाल-462011	1990	सरकार	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
उड़ीसा				
15.	बीजू पटनायक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शहर के पास	1969	सरकार	बरहामपुर विश्वविद्यालय

	हॉस्पिटल रोड, बरहामपुर, गंजम-760001			
16.	उत्कलमणि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नयाबाजार, राउरकेला-769010	1975	सरकार	संबलपुर विश्वविद्यालय
17	होम्योपैथी और अनुसंधान के उड़ीसा मेडिकल कॉलेज, पीरबाबा चौक, एटी और पीओ जिला, संबलपुर- 768001	1978	सरकार	संबलपुर विश्वविद्यालय
18	डॉ. अभिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यूनिट III, खारवेल नगर, धुबनेश्वर- 751001	1969	सरकार	उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर
तमिल नाडु				
19.	गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल थिरुमंगलम, जिला-मदुरै-625706	1975	सरकार	Dr, MGR Medical University, Chennai
उत्तर प्रदेश				
20.	राज्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, विराज कहंद, गोमती नगर, लखनऊ-226001	1921	सरकार	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा
21.	राज्य लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 24, चौथम लाइन्स, पफामऊ, इलाहाबाद-211002	1996	सरकार	
22.	स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रौजा, गाजीपुर-233001	1981	सरकार	
23	पं. जवाहर लाल नेहरू स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लखनपुर, कानपुर- 208024	1962	सरकार	
24.	गवर्नमेंट केजीके होम्योपैथिक मेडिकल एंड कॉलेज, मुरादाबाद- 244001	1965	सरकार	
25	राज्य श्री डूगजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंडेसर, आजमगढ़-276001	1972	सरकार	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा
26.	शासकीय डॉ. बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, देवकाली, फैजाबाद-224001	1973	सरकार	
27.	मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मिदनापुर-721104	1945	सरकार	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता
28.	मेहेश भट्टाचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एचआईटी रोड, लचापुर झूमुरजाला, हावड़ा -711101	1967	सरकार	

29.	कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 265 और 266, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रोड, कोलकाता-700009	1881	सरकार	
30.	डीएन डी. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 12, गोबिंद खटीक रोड, कोलकाता-700076	1927	सरकार	
31.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, सेक्टर III, ब्लॉक जीई, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106	1975	सरकार	

(v) प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज

क्रमांक	कॉलेज / संस्थान का नाम और पता	स्था. का वर्ष	स्वामित्व	संबद्धता स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>आंध्र प्रदेश</u>				
1.	सरकार प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, अमीरपेट हैदराबाद- 500016	1970	सरकार	एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा
<u>कर्नाटक</u>				
2.	गवर्नमेंट नेचर क्योर एंड योग कॉलेज, पीकेटीआर अस्पताल, केआरएस रोड, मैसूर-570002।	2006	सरकार	राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलोर
<u>तमिल नाडु</u>				
3.	गवर्नमेंट नेचुरोपैथी एंड योग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अन्ना नगर, चेन्नई-600106	2001	सरकार	एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई

फाइल संख्या. 22A(37)/2018/WE/D(Res-I)
 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
 (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)
 सेना भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष
 नौसेनाध्यक्ष
 वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा दावों से संबंधित स्वीकृत दरों से अधिक प्रतिपूर्ति के विचार के लिए नियमों में छूट

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 24(8)/03/US/(WE)/D(Res)) dt 19 Dec 2003 के संदर्भ में, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश संख्या Z.15025/38/2018/DIR/CGHS/EHS dt 22 May 2018 और संख्या Z15025/51/2018/DIR/CGHS/EHS dt 06 Jun 2018 के आलोक में, ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा खर्चों के भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन यहां दिए गए हैं, जिसमें बाद के पैराग्राफ के तहत दिए गए विवरण के अनुसार अनुमोदित दरों से अधिक प्रतिपूर्ति पर विचार करने के लिए नियमों में छूट दी गई है।

2. पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध जो नीचे पैरा 3 में निर्दिष्ट परिभाषित मानदंडों के अंतर्गत आता है और नीचे पैरा 4 में इंगित मामलों की जांच एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी जिसका गठन नीचे पैरा 5 में दर्शाया गया है। HPC की सिफारिश के बाद इन सभी मामलों में रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति और सचिव, ESW की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3. पूर्ण प्रतिपूर्ति के अनुरोध पर, जो निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों के अंतर्गत आता है, उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

- (i) आपातकालीन स्थिति में गैर ईएमपी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया गया था और रोगी को अन्य लोगों द्वारा भर्ती किया गया था जब लाभार्थी बेहोश या गंभीर रूप से अक्षम था और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती थे।
- (ii) आपातकालीन स्थिति में उपचार गैर ईएमपी अस्पताल में प्राप्त किया गया था और सिर की चोट, कोमा, सेप्टीसीमिया, बहु अंग विफलता आदि के इलाज के लिए लंबे समय तक भर्ती कराया गया था।
- (iii) उन्नत दुर्दमता के उपचार के लिए आपातकालीन स्थिति में एक गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त किया गया था।
- (iv) आपातकालीन स्थिति में उच्च प्रकार के आवास में उपचार किया गया क्योंकि उस अवधि के दौरान उसकी पात्रता के अनुसार कमरे उपलब्ध नहीं थे।
- (v) संक्रमण से बचने के लिए रोगी के अलगाव के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में उच्च प्रकार के आवास

में उपचार किया गया था।

(vi) सरकारी अस्पतालों में हड़ताल होने पर आपात स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कराया गया।

4. निम्न श्रेणियों में विफल होने वाले मामलों पर भी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा:-

(i) नियमों में छूट में चिकित्सा दावों का निपटान।

(ii) इलाज करने वाले डॉक्टर की सलाह पर किसी अन्य शहर में इलाज के लिए परिचारक के साथ या बिना हवाई किराए की स्वीकृति, भले ही वह हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है / निवास के शहर में उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(iii) विशेष परिस्थितियों में पूर्ण प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व, जो ऊपर पैरा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

5. उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-

1. जेएस, ईएसडब्लू	-	अध्यक्ष
2. सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सक (संबंधित विशेषता के)	-	सदस्य
3. डायरेक्टर/DS/US, DoESW	-	सदस्य
4. डायरेक्टर (चिकित्सा), सीओ ईसीएचएस (ECHS)	-	सदस्य सचिव
5. रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि (वित्त/कलम)	-	सदस्य

6. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 2003 के तहत ईसीएचएस (ECHS) के तहत भुगतान और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में उल्लिखित अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

7. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की उनके UO. No. 32(23)/2018/Fin/Pen dt 3-1-2019 के तहत सहमति प्राप्त है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित
(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. MoD (Fin/Pension)	4. JS, ESW
2. DGADS	5. DGAFMS
3. CGDA, नई दिल्ली	6. MD, केंद्रीय संगठन (ईसीएचएस (ECHS))

फाइल संख्या 22D(01)/2016/WE/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा संख्या 221, B विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 30 जनवरी 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति और अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) के संबंध में प्रावधान में संशोधन

महोदय,

एमओडी के समसंख्यक dt 25-6-2018 के पत्र के क्रम में, ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के संबंध में दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की एक बार में अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की प्रतिपूर्ति के लिए MoD में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी जाती है, जो सामान्य रूप से हर बार अधिकतम मूल्य 25,000/- रुपये या उससे कम, और एक समय में 30 दिन, दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के अधिकतम मूल्य के अधीन 75,000/- रुपये या उससे कम होनी चाहिए, कैंसर की दवाओं के मामले को छोड़कर जहां विशेष परिस्थितियों में हर बार दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का अधिकतम मूल्य 2,00,000/- रुपये होगा। यह आगे OIC ईसीएचएस (ECHS), पॉलीक्लिनिक से गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (NAC) प्राप्त करने के अधीन होगा। विशेष शर्तें रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res-I) dt 19-12-2003 के परिशिष्ट के पैरा 6 में दर्शाई गई हैं।

2. इसे रक्षा (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO No. 10(3)/2016/Fin/Pen dt 17-1-2019 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव,

भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली	8. DFA (B)/DFA(N)/DFA (वायु सेना)
2. DGADS, नई दिल्ली	9. AFA (B-1)
3. रक्षा सचिव के SO/ सचिव, ESW के PPS	10. D(कार्य)/D(Mov)/D(Med)
4. AS(T) के PPS / AS(I) के PPS	11. O & M इकाई
5. Addl. FA (RK) & JS	12. MD, ईसीएचएस (ECHS)
6. JS (ESW)/JS/(O/N)	
7. डायरेक्टर (वित्त/AG)	

फाइल संख्या 18(114)/2017/WE(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 0221, B विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 18 सितम्बर 2019

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के लिए घरेलू चिकित्सा उपकरण

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec, 2003 के संदर्भ में, और रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(37)/2018/WE/D(Res-I) dt 15 Jan 2019 द्वारा संशोधन के तहत, मुझे निवास के लिए चिकित्सा उपकरण के संबंध में पत्र दिनांक 19-12-2003 के पैरा 9(g) के संशोधन पर सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

के लिए

पैरा 9 (g)

अगर ऐसे उपकरणों का उपयोग चिकित्सा आधार पर नितांत आवश्यक माना जाता है, तो सदस्यों को नेबुलाइजर, CIPAP/BIPAP मशीन और ग्लूकोमीटर आदि सहित चिकित्सा उपकरण CGHS के तहत अधिकृत किए जाएंगे, जो वरिष्ठ सलाहकार और संबंधित विशेषता के सलाहकार द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ की सिफारिशों पर लागू किए जाएंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक स्थित है। उपकरण की खरीद OIC पॉलीक्लिनिक द्वारा विशेष मांग के बावजूद की जाएगी। OIC पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था के तहत उपकरणों के लिए उपभोज्य सामग्री जारी की जाएगी। मरम्मत और वार्षिक रखरखाव अनुबंधों पर लागत सदस्यों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी।

पढ़ें

पैरा 9 (g)

- (i) नेब्युलाइजर्स, CIPAP/BIPAP मशीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ग्लूकोमीटर आदि सहित चिकित्सा उपकरण CGHS के तहत अधिकृत सदस्यों को जारी किए जाएंगे, जब सेवा विशेषज्ञ / सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ की सिफारिशों पर घर पर ऐसे उपकरणों का उपयोग चिकित्सा आधार पर अत्यंत आवश्यक माना

जाता है। OIC ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक द्वारा एक विशेष मांग के माध्यम से कमांडेंट / CO सेवा अस्पताल द्वारा उपकरण खरीदे जाएंगे। OIC पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था के तहत उपकरणों के लिए उपभोज्य सामग्री जारी की जाएगी। मरम्मत और वार्षिक रखरखाव की लागत ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य चिकित्सा उपकरण जैसे इंसुलिन पंप आदि जो CGHS लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं, जिसके लिए सेवा विशेषज्ञ/सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए घरेलू उपयोग के लिए कोई CGHS उच्चतम दर मौजूद नहीं है और अनुशंसित नहीं है, के लिए रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 22A(37)/2018/WE/D(Res-I) dt 15-1-2019 के पैरा 5 के तहत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

2. CGHS अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा लागू होगी।

3. **व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति : पूर्व अनुमति प्रदान करना।**

4. सेवा विशेषज्ञ/सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ, जिनके लिए CGHS सीलिंग दरें उपलब्ध हैं, द्वारा सलाह दी गई कि घरेलू चिकित्सा उपकरणों के लिए पूर्व अनुमति और प्रतिपूर्ति के लिए व्यक्तिगत अनुरोधों को CGHS सीलिंग दरों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। CGHS सीलिंग रेट वाले घरेलू चिकित्सा उपकरणों के दस्तावेज पॉलीक्लिनिक में जमा किए जाएंगे और उपरोक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की उनके U.O. No. 32(41)/2017/Fin/Pen 3-9-2019 के तहत सहमति है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. रक्षा (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (अधिग्रहण)
5. JS(ESW) के PPS
6. JS(O/N)
7. डायरेक्टर (वित्त/AG)
8. DFA (Pension)
9. AFA (B-1)

10. D (चिकित्सा)
11. O&M इकाई
12. DGADS

के लिए भी :-

13. DGAFMS
14. DGD C&W
15. QMG

फाइल संख्या 22D(08)/2018 D(WE/Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

D(WE/Res-I)

221, B -विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 25 सितम्बर 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय :- चिकित्सा उपकरण (दंत) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स का संशोधित पैमाना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(18)/09/US(WE)/D(Res-I) /Pt-I dt 13 Apr, 2010 और पत्र संख्या 22D(01)/2012/WE/D(Res-I) dt 18 Dec, 2012 के संदर्भ में, मुझे संलग्न परिशिष्ट में दिए गए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स (दंत के लिए) के लिए चिकित्सा उपकरणों के पैमाने में संशोधन के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के दंत चिकित्सा उपकरणों के लिए नया प्राधिकरण संशोधित ME स्केल (डेंटल) के अनुसार होगा।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की उनके U.O. No. 32(41)/2017/Fin/Pen dt 25.06.2019 के तहत सहमति है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली - सभी PCDA's/CDA's की जानकारी के लिए	6. DGDS
2. MD, CO, ईसीएचएस (ECHS)	7. सभी कमान HQ
3. JS (ESW)	8. नौसेना HQ (PS Dte.)
4. अतिरिक्त FA (RK) & JS	9. AG शाखा/ CW-3
5. DGAFMS	10. वायु HQ (PS & R)

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक (डेंटल) के लिए स्केल मेडिकल इक्विपमेंट का संशोधित

परिशिष्ट

क्रमांक	PVMS SEC	PVMS संख्या.	नाम	स्केल प्रति डेंटल चेयर/डेंटल सर्जन/डेंटल क्लिनिक	टिप्पणियां	PE R	दर / इकाई	राशि
1	10	100126	विवरण के साथ पूर्ण डेंटल यूनिट का विवरण नीचे दिया गया है: एकीकृत LED ऑपरेटिंग लाइट, फुटरेस्ट, स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट ट्रे, माइक्रोमोटर, एयर रोटर अल्ट्रासोनिक स्केलर और कार्यों (ऑपरेटर और सहायक पक्ष) के नियंत्रण के लिए दोहरे नियंत्रण कक्ष के साथ विद्युत नियंत्रित पैंटोग्राफिक डेंटल चेयर, पानी के कनेक्शन के साथ स्पिटून और टंबलर, उच्च और निम्न वैक्यूम सक्शन और थ्री वे सिरिंज और माइक्रोमीटर के लिए नियंत्रण, ait रोटर अल्ट्रासोनिक स्केलर के साथ-साथ सहायक उपकरण PVMS- 10012601-2608 में सूचीबद्ध हैं।	1	1 प्रति दंत चिकित्सक	A/U	5000 00	50000 0
		10012601	पांच कैस्टर व्हील्स पर बैक रेस्ट के साथ न्यूमेटिक डेंटल ऑपरेटर स्टूल.					
		10012602	LED क्योरिंग लाइट					
		10012603	हैवी ड्यूटी सर्वो स्टेबलाइजर (2KVA)					
		10012604	माइक्रोमोटर के लिए RAHP - 01					
		10012605	माइक्रोमोटर के लिए SHP - 01					

		10012606	एयरोटर-01. के लिए सुपर टॉर्क फाइबर ऑप्टिक HP					
		10012607	सुपर टॉर्क HP के लिए अतिरिक्त कार्ट्रिज					
		10012608	एयर कंप्रेसर यूनिट के साथ नॉइसलेस कंपेटीबल					
2	0	100110	आटोक्लेव, फ्रंट लोडिंग टेबल टॉप, क्लास B'	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	3000 00	30000 0
3	10	100218	हैंड हेल्ड बैटरी संचालित DC डेंटल एक्स रे यूनिट।	1	1 प्रति डेंटल सर्जरी	A/U	2250 00	22500 0
4	10	100223	अल्ट्रासोनिक क्लीनर	1	1 प्रति डेंटल सर्जरी	A/U	4500 0	45000
5	10	100997	स्टरलाइज़र ग्लास बीड	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	1500	1500
6	10	100959	इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक डबल एंडेड, कंटोर्ड ब्लेड।	4	4 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	30	120
7	10	100998	50-60 उपकरणों के लिए राइमर के लिए छिद्रित स्टैंड।	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	500	500
8	3	30101	कैबिनेट उपकरण समग्र आयाम 160cm X 66cm X 45cm सहायक उपकरण के साथ पूर्ण PVSM-3010101 से 05 तक	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	5000	5000
9	5	50270 N	सिरिंज और सुई विध्वंसक	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	3000	3000
10	10	100527	प्रत्यारोपण प्लेसमेंट सुविधाओं के साथ सर्जिकल माइक्रो-मोटर	1	1 प्रति दंत चिकित्सा क्लिनिक	A/U	6000 0	60000
11	10	100225	वाटर डिस्टिलर	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	8000	8000
12	3	30215	टेबल इंस्ट्रूमेंट फोल्डिंग लाइट SSदो SS शेल्क्स के साथ पूर्ण	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	4400	4400
13	10	100984	मैट्रिक्स अनुचर एसएस (आइवरी पैटर्न) पूर्ण	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	250	250
14	5	50089	फोर्सेप्स आर्टरी स्ट्रेट 14 सेमी	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	19	19

15	5	50171	नाइफ बार्ड पैकर, हैंडल आकार 1 फिटिंग (वाणिज्यिक संख्या 5) वाणिज्यिक ब्लेड संख्या 10,11,12 और 15 के साथ उपयोग के लिए	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	20	20
16	10	100519	लिफ्ट पेरीओस्टील माध्यम (स्टर्लिंग V मीड)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	650	650
17	10	100588	सिरिज हाइपोडर्मिक कार्ट्रिज टाइप	4	4 प्रति डेंटल सर्जरी	A/U	80	320
18	10	100552	फोर्सेप्स रॉगुर, स्टेनलेस स्टील नं 3.	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	3000	3000
19	10	100511	क्यूरेट बोन, लुकास डबल एंडेड	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	250	250
20	10	100534	फाइल अल वेओलेक्टोमी डबल एंडेड SS	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2000	2000
21	10	100586	स्टरलाइजर, स्टीम ड्रम लार्ज के लिए	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	250	500
22	5	50120	फोर्सेप्स सटरलाइजर (चीटल)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	51	51
23	5	50127	फोर्सेप्स टॉवेल होल्डिंग क्रॉस एक्शन	4	4 प्रति डेंटल चेयर	A/U	9	36
24	10	100148	होल्डर कॉटन वूल SS/CP, ऊंचाई 4.5 सेमी, व्यास 5 सेमी	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	125	250
25	10	100161	मिरर माउथ प्लेन ग्लास, हैंडल फॉर	25	25 प्रति डेंटल चेयर	A/U	60	1500
26	10	100176	एक्सप्लोरर डेंटल डबल एंडेड	25	25 प्रति डेंटल चेयर	A/U	100	2500
27	10	100203	ट्वीजर्स कॉलेज।	25	25 प्रति डेंटल चेयर	A/U	200	5000
28	10	100193	स्पैटुला स्टील सीमेंट डबल एंडेड 16.5 सेमी	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	200	400
29	10	100394	खराद का धुरा और पॉलिशिंग टिप धारक 3, बेलनाकार, टेपरिंग और स्कू-हेड का सेट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	400	400

30	10	100408	प्लायर्स पिल रफनिंग और बेंडिंग	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	530	530
31	10	100931	कैरियर अमलगम, एंगलड	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	450	900
32	14	140067	ट्रे SS शैलो आकार 35cm X 30cm कवर के साथ	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	450	450
33	14	140065	ट्रे SS किडनी के आकार का 25 सेमी।	3	3 प्रति डेंटल चेयर	A/U	35	105
34	14	140004	बाउल SS 10 सेमी	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	30	30
35	10	100226	लंबे और छोटे कोनिकले और बाइट विंग तकनीक के लिए एक्स-रे फिल्म होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिन टाइप	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1500 0	150 00
36	5	50257	कैंची शॉप टाइप 23.5 सेमी लंबी कार्बन स्टील क्रोमियम प्लेटेड (लिस्टर प्रकार)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	105	105
37	10	100687	ट्रे इंप्रेशन मिश्रित मोल्डेबल एल्यूमीनियम ऑर्थोडॉंटिक, 10 का सेट, रंग कोडित या क्रमांकित होना चाहिए।	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2000	200 0
38	10	100114	ब्रश बर, हार्ड वायर ब्रास	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	40	80
39	10	100113	प्लास्टर के लिए बाउल रबर, लार्ज	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	45	90
40	10	100194	प्लास्टर और एलिगनेट मिश्रण के लिए स्पैटुला ब्लंट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	200	200
41	10	100151	नाइफ प्लास्टर	1	प्रति डेंटल चेयर	A/U	50	50
42	10	100152	नाइफ वैक्स लार्ज (फाहान स्टॉक्स)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	30	30
43	14	140034	जग माप प्लास्टिक ग्रेजुएटेड 1000 मिली.	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	100	100
44	5	50092	फोर्सप्स, आर्टरी मोस्क्विटो, फ्लैट पर घुमावदार, 12.5 सेमी बॉक्स संयुक्त, स्टेनलेस स्टील	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	86	172

45	5	50105	फोर्सेप्स, विदारक दाँतेदार (फिगर 1) 13 सेमी	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	15	30
46	5	50185	कैंची के साथ संयुक्त सुई धारक, 16 सेमी	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	15	30
47	10	100159	रेडियोविज़ियोग्राफी यूनिट मॉनिटर, CPU और एक्सेसरीज़ के साथ पूर्ण	1	1 प्रति डेंटल चेयर	Set	2000 00	2000 00
48	10	100163	इंट्रा ओरल कैमरा	1	1 प्रति डेंटल चेयर	Unit	2000 0	2000 0
49	3	30147	फ्यूमिगेटिंग मशीन।	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2000 0	2000 0
50	10	100308	न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर स्प्रिंग 04 युक्तियों और डबल लूप वायर से भरा हुआ है	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2048	2048
51	10	101021	एकीकृत सक्षम एपेक्स लोकेटर के साथ कॉर्डलेस एंडोडॉन्टिक हैंडपीस	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2750 00	2750 00
52	5	50318	ट्यूबिंग, जल निकासी, रबर, लाल 10 मिमी इंट व्यास 2.50 मिमी दीवार मोटाई	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	6	12
53	10	100130	कैलिपर्स वेनिरे डेंटल।	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1000	1000
54	10	100141	फाइल हाफ राउंड 12.7 सेमी बास्टर्ड पैटर्न हैंडल के साथ	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	20	40
55	10	100174	इंसुलेटेड टॉप के साथ प्लेट बॉयलिंग इलेक्ट्रिक कम्प्लीट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1450	1450
56	10	100189	स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ स्वच्छता अपशिष्ट पात्र	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	450	450
57	10	100305	आर्टिक्यूलेटर हिंग टाइप मेटल	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	250	500
58	10	100306	आर्टिक्यूलेटर फ्री प्लेन	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	220	440
59	10	100325	वैक्स कार्वर और स्पैटुला,	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	150	150
60	10	100367	फ्लास्क एम्पायर फिगर 4 धातु	4	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	220	880

61	10	100384	स्प्लैश शील्ड और लाइट के साथ डेंटल वॉटर ट्रफ खराद करें।	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	500	500
62	10	100385	प्यूमिस के लिए लेथ डेंटल ट्रफ	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	10000	10000
63	10	100404	प्लायर्स लैब कॉलर	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	4150	4150
64	10	100413	प्रेस फ्लास्क हैवी ड्यूटी पूर्ण	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	85	85
65	10	100568	हैमर, छोटा 225G हेड	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	3000	3000
66	10	100386	लेथ इलेक्ट्रिक पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग (रथबोन) एसी 220-230V को एक्सेसरीज के साथ पूरा करता है	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	12500	12500
67	10	100454	एक्रिलाइज़र, डिजिटल प्रोग्रामिंग के साथ	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	38000	38000
68	10	100456	डी वैक्सिंग बाथ	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	70000	70000
69	10	100482	वैक्यूम मिक्सर	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	10000 0	10000 0
70	16	160055	PV 160172 के साथ प्रयोग के लिए बर्नर बन्सन नंबर-B1	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	6.65	6.65
71	10	100639	1.2 मिमी हार्ड वायर तक भारी तार कटर	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	5000	5000
72		-	ब्लो पाइप	1	1 प्रति डेंटल चेयर			
73	10	100440	ट्रिमर और एंग्युलेटर मॉडल पूर्ण	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	15000	15000
74	10	100217	ऑक्लूसल प्लेन गाइड (फॉक्स पैटर्न)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	300	300
75	10	100383	बैक रेस्ट न्यूमेटिक एडजस्टेबल के साथ लेबोरेटरी चेयर नं 5 रोलर्स	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	2000	2000
76	10	100439	टोंग फ्लास्क लिफ्टिंग	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	23	23

77	10	100470	लैब के लिए माइक्रोमोटर ब्रशलेस हैवी ड्यूटी	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	75000	75000
78	10	100960	इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक फिलिंग डबल एंडेड 10 मिमी ब्लेड	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	30	30
79	10	100961	इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक फिलिंग 1	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	30	30
80	10	100962	पैकिंग के लिए उपकरण प्लास्टिक फिलिंग डबल एंडेड	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	30	30
81	10	100969	रिड्यूस्ड सिकनेस के लिए ट्रीट की गई इंस्ट्रूमेंट फिलिंग सर्फेस-6 का सेट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	8000	8000
82	10	100971	लाइट क्योर यूनिट LED कॉर्डलेस 1200-1400 Nw / Cm ² की तेजी से इलाज रेंज के लिए क्यूरिंग लाइट आउटपुट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	55000	55000
83	10	100986	आउटफिट मैट्रिक्स रिटेनर SS (सिकवेलेड)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	60	60
84	10	100132	एक्सकेवेटर डबल एंड नंबर 73/74	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
85	10	100133	एक्सकेवेटर डबल एंडेड नंबर 125/126	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
86	10	100134	एक्सकेवेटर डबल एंडेड नंबर 129/130	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
87	10	100135	एक्सकेवेटर डबल एंडेड नंबर 155/156	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
88	10	100136	एक्सकेवेटर एंड नंबर 212/213	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
89	10	100216	सेल्फ रिटेनिंग चीक रिट्रैक्टर प्लास्टिक(2 का सेट)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1500	1500
90	10	100963	"इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक फिलिंग, डबल एंडेड, (वालिस)	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	30	30
91	10	100520	लिफ्ट पेरीओस्टियल (मोल्ड)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	1800	3600
92	10	100521	लिफ्ट (कोलमैन)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	650	1300

93	10	100522	लिफ्ट रूट (अस्पताल पैटर्न) फिगर 22 (बाएं और दाएं)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	1300	2600
94	10	100524	लिफ्ट रूट लिंडोलेवियन स्मॉल	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	650	1300
95	10	100525	लिफ्ट रूट एपिकल (बाएं)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	650	1300
96	10	100526	लिफ्ट रूट एपिकल (दाएं)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	650	1300
97	10	100535	संदंश मेम्बिबल होल्डिंग SS	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2000	4000
98	10	100536	अपर इंसीजर्स क्यूपिड्स और स्मॉल मोलर्स के लिए दांत स्टेनलेस स्टील निकालने वाले फोर्सेप्स	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	300	600
99	10	100537	फोर्सेप्स टूथ नंबर 29	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
100	10	100538	माइक्रोसर्जिकल फोर्सेप्स टिश्यू पीरियोडॉन्टल सर्जरी के लिए सीधे पकड़े हुए	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	1000	2000
101	10	100539	फोर्सेप्स टूथ नंबर 41	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
102	10	100540	फोर्सेप्स, टूथ, संख्या 44	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
103	10	100541	फोर्सेप्स, दांत, संख्या 67	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
104	10	100542	फोर्सेप्स, दांत, संख्या 73	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
105	10	100543	फोर्सेप्स, दांत, संख्या 74N	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
106	10	100544	टूथ नंबर 7SS निकालने वाले फोर्सेप्स (ऊपरी छोटे दाढ़ के लिए)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
107	10	100545	फोर्सेप्स, टूथ नंबर 76N (पढ़ें पैटर्न)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	3000	6000
108	10	100546	फोर्सेप्स, टूथ, नंबर 79?	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000

109	10	100547	फोर्सेप्स, टूथ नंबर 91 (रोवनी का पैटर्न)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
110	10	100548	फोर्सेप्स, एक्सट्रेक्टिंग, टूथ नंबर 17 स्टेनलेस स्टील (दाहिने ऊपरी बड़े दाढ़ के लिए)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
111	10	100549	फोर्सेप्स एक्सट्रेक्टिंग, दांत, संख्या 18, स्टेनलेस स्टील (बाएं ऊपरी बड़े दाढ़ के लिए)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
112	10	100550	फोर्सेप्स, टूथ 112 (मार्टिन का पैटर्न)	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
113	10	100551	फोर्सेप्स, रोंगुर, स्टेनलेस स्टील नंबर 1	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	2500	5000
114	10	100553	फोर्सेप्स, दांत, बच्चों का पैटर्न फिगर 37	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	3000	6000
115	10	100554	फोर्सेप्स, टूथ चिल्ड्रेन पैटर्न फिगर 38	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	3000	6000
116	10	100555	फोर्सेप्स, दांत वाले बच्चों का पैटर्न फिगर 39	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	3000	6000
117	10	100556	फोर्सेप्स, टूथ चिल्ड्रेन पैटर्न फिगर 40	2	2 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	3000	6000
118	5	50264	कैंची सर्जिकल घुमावदार, कुंद, नुकीला, 11.5 सेमी	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	62	62
119	5	50265	कैंची सर्जिकल सीधी, नुकीला, नुकीला 11.5 सेमी	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	62	62
120	5	50090	फोर्सेप्स, आर्टरी 12.5 सेमी. फ्लैट पर घुमावदार	1	1 प्रति डेंटल सर्जन	A/U	27	27
121	10	100587	स्टरलाइज़र, स्टीम ड्रम स्मॉल फॉर	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	250	500
122	5	50126	फोर्सेप्स, टॉवल होल्डिंग	4	4 प्रति डेंटल चेयर	A/U	9	36
123	5	50128	फोर्सेप्स, टॉवल होल्डिंग, सिंगल टूथ	4	4 प्रति डेंटल चेयर	A/U	23	92
124	10	100710	SG 1/2 SG3 / 4, SG 5/6, SG 7/8, SG 9/10, SG 11/12 SG 13/14 से युक्त क्यूरेट्स ग्रेस सेट	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	6000	6000

125	10	100757	स्केलर सिकल के आकार का डार्बी पैरी फिगर 12	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	150	150
126	10	100758	स्केलर, टंगस्टन कार्बाइड, संख्या 212	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1200	1200
127	10	100759	स्केलर बैलेंसड ग्रिप कुशिंग फिगर 62	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	750	750
128	10	100761	स्केलर, सिंगल एंडेड फिगर 66 (हॉवेस)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	750	750
129	10	100762	स्केलर, सिंगल एंडेड फिगर 67 (होवेस)	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	950	950
130	10	100763	स्केलर, टंगस्टन कार्बाइड, संख्या 210	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	800	800
131	10	100766	स्केलर डबल एंडेड चित्र 152A	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	750	750
132	10	100767	स्केलर, टंगस्टन कार्बाइड, संख्या 213	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	800	800
133	10	100768	स्केलर, टंगस्टन, कार्बाइड नं 211	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	800	800
134	10	100769	स्केलर बैलेंसड ग्रिप जैक्वेट्स फिगर 2	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	750	750
135	10	100775	स्केलर बैलेंसड ग्रिप जैक्वेट्स फिगर 3	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	800	800
136	14	140064	ट्रे SS, डीप, आकार 45 सेमी X 30 सेमी	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	450	450
137	14	140006	बाउल स्टेनलेस स्टील, 25 सेमी	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	70	70
138	14	140068	ट्रे, SS, उथला, आकार 27.50 सेमी x 22.50 सेमी कवर के साथ	1	1 प्रति डेंटल चेयर	A/U	350	350
139	10	101052	एडेंटुलस मेहराब के ऊपरी और निचले आकार के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील गैर-छिद्रित पूर्ण संरचनात्मक छाप ट्रे 0, 1 और 06 के 5 सेट	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600

140	10	101053	एडेंटुलस मेहराब के ऊपरी और निचले आकार के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील गैर-छिद्रित पूर्ण संरचनात्मक छाप ट्रे 06 के 2, 3 और 4 सेट	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600
141	10	101054	एडेंटुलस मेहराब के ऊपरी और निचले आकार 1, 2 और 06 के 3 सेट के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील छिद्रित पूर्ण संरचनात्मक छाप ट्रे	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600
142	10	101055	एडेंटुलस मेहराब के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील छिद्रित पूर्ण संरचनात्मक छाप ट्रे ऊपरी और निचले आकार 0, 4 और 06 के 5 सेट	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600
143	10	101056	एडेंटुलस मेहराब के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील छिद्रित आंशिक संरचनात्मक छाप ट्रे ऊपरी दाएं बाएं और केंद्रीय आकार 06 के 2 और 4 सेट	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600
144	10	101057	एडेंटुलस मेहराब के लिए रिम लॉक के साथ स्टेनलेस स्टील छिद्रित आंशिक संरचनात्मक छाप ट्रे निचले दाएं बाएं और केंद्रीय आकार 2 और 06 के 4 सेट	2	2 प्रति डेंटल चेयर	A/U	1800 प्रति सेट (लगभग)	3600
145	10	100371	फ्लास्क डेन्चर लाइट वेट मिश्र धातु 3 भाग इजेक्शन प्लेट और इजेक्शन प्लग के साथ पूर्ण	4	4 प्रति डेंटल चेयर	A/U	600	2400

फाइल संख्या 22D(01)/2018/(WE)/D(Res-I)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक 25 सितम्बर 2019

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर, केंद्रीय संगठन

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम

थिमय मार्ग, गोपीनाथ सर्किल

दिल्ली कैंट

विषय: पैनलबद्ध अस्पताल की परिभाषा और ऐसे अस्पतालों में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों द्वारा किए गए उपचार के मामलों के परिणाम के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को CO, ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49770/AG/ईसीएचएस (ECHS)/Treatment dt 23-8-2019 का संदर्भ लेने और निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

- (i) एक अस्पताल को ईसीएचएस (ECHS) पैनल पर तभी माना जाएगा जब उसके पास वैध MOA हो या वह स्टॉप रेफरल के आदेशों के तहत न हो।
- (ii) यदि किसी अस्पताल के पास वैध MOA नहीं है या वह स्टॉप रेफरल के अधीन है और ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी भुगतान करके आपातकालीन स्थिति में ऐसे अस्पताल में इलाज करवाता है, तो CGHS दरों के अनुसार ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी को राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
- (iii) यदि कोई अस्पताल वैध MOA के बिना या स्टॉप रेफरल के तहत है, और किसी भी ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के पास ऐसे अस्पताल में उपचार लेने के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक विकल्पों से वैध रेफरल है, और पहले इसी अस्पताल में इलाज कराने के कारण उसे अस्पताल को भुगतान करने के बाद अस्पताल में इलाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए और CGHS दरों पर प्रतिपूर्ति की मांग की जानी चाहिए।
- (iv) यदि कोई अस्पताल पैनल में है, लेकिन बकाया बकाया बिलों के कारण कैशलेस उपचार का विस्तार करने से इंकार कर देता है और एक ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी उसमें उपचार लेता है और प्रतिपूर्ति की मांग करता है, तो उसे CGHS दरों पर अनुमति दी जाएगी। हालांकि, साथ ही CO, ईसीएचएस (ECHS) इस अस्पताल को बंद करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजेगा।

2. CO, ईसीएचएस (ECHS) तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(ए.के. कर्ण) अवर सचिव (WE)

S1011/09/2019/Addg.HQ/GS

भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

CGHS महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 14 जनवरी 2020

कार्यालय ज्ञापन**विषय:- CGHS के तहत 15 जांचों के लिए CGHS दरों की अधिसूचना**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय ज्ञापन संख्या S11045/36/2012-CGHS(HEC) (HEC) dt 01.10.2014 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिसके तहत विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं और जांच के लिए CGHS पैकेज दरों को CGHS के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (HCO) के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह बताने के लिए कि कुछ जांचों के लिए CGHS दरों की अनुपलब्धता के संबंध में इस मंत्रालय में विभिन्न हितधारकों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की समीक्षा की गई और अब निम्नलिखित जांचों के लिए CGHS पैकेज दरों को अधिसूचित करने और उन्हें CGHS दर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है:

क्रमांक	असूचीबद्ध जांच/असूचीबद्ध प्रत्यारोपण का नाम	अनुशंसित दरें (रुपये में)
1	कप्पा लैम्ब्डा लाइट चेन, फ्री सीरम	3500A
2	सीरम IGE लेवल	300/-
3	NT-प्रो BNP	1800/-
4	CECT चेस्ट	2500/- CD शामिल है
5	MRI-प्रोस्टेट (बहु-पैरामीट्रिक)	6000/- CD शामिल है
6	HCV RNA मात्रात्मक	1500/-
7	तारकोलिमस	2300/-
8	प्रोटीन नौ अनुपात, मूत्र बनाएँ	120/-
9	फाइब्रो स्कैन लिवर	1000/-
10	एचएलए बी27 (PCR)	500/-
11	मोंटोक्स टेस्ट	175/-
12	प्रोकेल्सीटोनिन	1800/-
13	मशाल परीक्षण	1120/-
14	इंटराकोरोनरी अकटूबर (एमएस दरें)	65000/- + GST
15	एफएफआर वायर की लागत (अलम दरें)	AIIMS के अनुसार तार 23500 + GST और प्रक्रिया शुल्क मौजूदा CGHS दरों के अनुसार NABH के लिए 15000 रुपये और गैर NABH अस्पतालों के लिए 12750 रुपये है।

क्रमांक 1 से क्रमांक 13 तक जांच की दरें गैर-NABL/गैर-NABH मान्यता प्राप्त MCO के लिए हैं। NABL/NABH मान्यता प्राप्त HCO के लिए दरें 15% अधिक होंगी। क्रमांक 14 और 15 की दरें NABL-मान्यता प्राप्त/गैर-NABH मान्यता प्राप्त HCO दोनों के लिए समान होंगी।

2. ये दरें पत्र जारी होने की तिथि से लागू होंगी।

3. इसे CD No. 3495 dt: 13.Jan 2020 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(डॉ. माजन)

अपर उप डायरेक्टर जनरल (मुख्यालय), सीजीएचएस

के लिए:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. CGHS के तहत सूचीबद्ध सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठन ध्यान दें
3. डायरेक्टर, CGHS / अपर उप डायरेक्टर जनरल (मुख्यालय)/दिल्ली के बाहर CGHS शहरों के सभी अतिरिक्त डायरेक्टर
4. CGHS के तहत सभी वेतन एवं लेखा अधिकारी
5. अपर डायरेक्टर (मुख्यालय)/ अपर डायरेक्टर (SZ)/(CZ)/(EZ)/(NZ)/R&H, CGHS नई दिल्ली
6. CGHS डेस्क-I/डेस्क-II/ CGHS -I/ CGHS -II, निदेशालय GHS, निर्माण भवन। नई दिल्ली
7. स्था./स्था.द्वितीय/स्था. IIIA स्थापना.IV अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
8. निदेशालय के प्रशासन I / प्रशासन II अनुभाग। GHS
9. राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय
10. रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय/पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
11. अवर सचिव, UPSC
12. वित्त प्रभाग
13. उप सचिव (सिविल सेवा समाचार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सातवीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव (H&FW) / सचिव (HR) / SS&DG (CGMS) के PPS
15. DGHS/AS&MD, NRHN/AS (H)/AS&FA, MOHFW को PPS
16. सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
17. राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सभी कर्मचारी पक्ष सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)
18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली)
19. मंत्रालय के सभी कार्यालय/अनुभाग/डेस्क
20. UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, UTI-ITSL टॉवर, प्लॉट नंबर 3 सेक्टर - 11, CBD बेलापुर, नवी मुंबई-400614
21. नोडल अधिकारी, MCTC, CGHS, CGH3 वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
22. कार्यालय आदेश फ़ोल्डर

Z 15025/12/2020/DIR/CGHS

भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

CGHS के महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 29 अप्रैल 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- OPD दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति: कोविड-19 के मद्देनजर विशेष स्वीकृति- 31 May 2020 तक- के संबंध में

कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के मद्देनजर, सरकार द्वारा समुदाय के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर उपाय करके इसके प्रभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

2. इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी को dt 27.03.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिसके तहत 30 Apr 2020 तक (CGHS चिकित्सा अधिकारियों / CGHS विशेषज्ञों / अन्य सरकारी विशेषज्ञों / पैनलबद्ध अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित) नुस्खे के आधार पर दवाएं खरीदने के लिए पुरानी बीमारियों की दवा प्राप्त करने वाले CGHS लाभार्थियों को CGHS या अन्यथा से गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र के बावजूद एक विकल्प प्रदान किया गया है। हालांकि, मंत्रालय में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें जारी 'लॉक डाउन' को देखते हुए अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

3. मंत्रालय द्वारा मामले की समीक्षा की गई है, अब यह निर्णय लिया गया है कि CGHS लाभार्थी को पुरानी बीमारियों के लिए दवाएं खरीदने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व के कार्यालय ज्ञापन dt 27.03.2020 के अनुसार समान शर्तों पर 31 May 2020 तक रखे गए नुस्खे के आधार पर दवाएं (CGHS चिकित्सा अधिकारी/CGHS विशेषज्ञ/अन्य सरकारी विशेषज्ञ/सूचीबद्ध अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित)। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि CGHS वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं और CGHS लाभार्थियों के पास बाजार से खरीदने के बजाय सामान्य अभ्यास के अनुसार CGHS वेलनेस सेंटरों के माध्यम से दवाएं लेने का विकल्प भी है।

4. CD No. 179 dt 29.04.2020 के माध्यम से एकीकृत वित्त प्रभाग, MoHFW के अनुमोदन से जारी किया गया।

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(डॉ. संजय जैन)

डायरेक्टर, CGHS

के लिए:

- 1 सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
- 2 डायरेक्टर, CGHS, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- 3 CGHS Desk-I/Desk-II/CGHS-I/CGHS-II, Dte.GHS, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- 4 स्था.1/स्था.1I/स्था.1II/स्था.एलवी अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- 5 प्रशासन.I / प्रशासन.II Dte.GHS के अनुभाग
- 6 अतिरिक्त डायरेक्टर, CGHS (मुख्यालय) / एडी। CGHS शहरों के डायरेक्टर/ जॉइंट डायरेक्टर
- 7 राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय
- 8 रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय / पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
- 9 अवर सचिव, UPSC
- 10 अवर सचिव वित्त प्रभाग
- 11 उप सचिव (सिविल सेवा समाचार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, 5वीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
- 12 पीपीएस सचिव (H&FW) / PPS से OSD (RB) (HFW), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- 13 AS&MD, NRHM/AS (H)/DGHS को 10 PPS
- 14 सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-C, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
- 15 राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सभी कर्मचारी पक्ष सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)
- 16 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
- 17 मंत्रालय में सभी कार्यालय/अनुभाग/डेस्क
- 18 UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, UTI-ITSL टॉवर, प्लॉट नंबर 3 सेक्टर - 11, CBD बेलापुर, नवी मुंबई-400614
- 19 नोडल अधिकारी, MCTC, CGHS, CGHS वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- 20 ऑफिस ऑर्डर फोल्डर

S-11011/09/2019/ Addl. DDG(HQ)/CGHS
भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
CGHS के महानिदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 03 जून 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 25 जांचों के लिए CGHS दरों की अधिसूचना

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय ज्ञापन संख्या S 11045/36/2012-CGHS (HEC) dt 01.10.2014 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है। जिसके माध्यम से विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं और जांच के लिए CGHS पैकेज दरों को CGHS के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (HCO) के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था और dt 14.01.2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ दिया गया था जिसके माध्यम से CGHS दरों को 15 जांच और प्रक्रियाओं के लिए अधिसूचित किया गया है। और यह बताने के लिए कि अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य 25 जांचों के लिए CGHS पैकेज की दरों को अधिसूचित किया जाए और उन्हें CGHS दर सूची में शामिल किया जाए, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

क्रमांक	जांच का नाम	अनुशंसित दरें (रुपये में)
1.	एंटी-स्मूद मसल एंटीबॉडी टेस्ट (ASMA)	1460/-
2.	C ANCA-IFA	1,500/-
3.	P ANCA-IFA	1,500/-
4.	ACE	1,000/-
5.	EBUS (एंडो ब्रेकियल अल्ट्रासाउंड) -TBNA (नई सुई का उपयोग करना)	18,370/-
6.	ईएनए (मात्रात्मक)	4,600/-
7.	क्रोमोग्राफिन A	5000/-
8.	फेकल कैलप्रोटेक्टिन	2,730/-
9.	C3-पूरक	650/-
10.	C4-पूरक	650/-
11.	जेनएक्सपर्ट टेस्ट	1035/-
12.	DJ- स्टैट हटाना	8,700/-
13.	PFT / (DLCO के साथ स्पाइरोमेट्री)	500/-
14.	EUS (एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड) निर्देशित FNAC	15,000/-
15.	(नई सुई का प्रयोग करना)	4,500/-
16.	CT यूरोग्राफी	6,000/-
17.	वीडियो लैरींगोस्कोपी	6,000/-

2. क्रमांक 1 से क्रमांक 25 तक की जांच की दरें एनएबीएल/-एनएबीएच से मान्यता प्राप्त एचसीओ के लिए हैं। गैर-एनएबीएल/गैर-एनएबीएच मान्यता प्राप्त ईसीओ के लिए दरें 15% कम होंगी।
3. ये दरें जारी होने की तारीख से लागू होती हैं।
4. इसे CD No. 460 dt 02/06/2020 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित
(डॉ. संजय जैन) डायरेक्टर, CGHS

के लिए,

1. सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
2. CGHS के तहत सूचीबद्ध सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठन नोट करें।
3. डायरेक्टर, CGHS, निर्माण भवन, नई दिल्ली
4. स्था. I/स्था. II/स्था. III/स्था. IV अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. Dte.GHS का प्रशासन-I/प्रशासन-II अनुभाग
6. अतिरिक्त डायरेक्टर, CGHS (मुख्यालय) / अपर CGHS शहरों/जोनों के डायरेक्टर
7. राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय
8. रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय/पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
9. अवर सचिव, UPSC
10. अवर सचिव वित्त प्रभाग
11. उप सचिव (सिविल सेवा समाचार), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सातवीं मंजिल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
12. सचिव (H&FW) के PPS/OSD (आरबी) (H&FW), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के PPS
13. AS&MD, NRHM / AS (H) / AS&DG, CGHS / DGHS को PPS
14. सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-C, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
15. राष्ट्रीय परिषद (JGM) के सभी कर्मचारी पक्ष सदस्य (संलग्न सूची के अनुसार)
16. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
17. मंत्रालयों में सभी कार्यालय/अनुभाग/डेस्क

फाइल संख्या Z.15025/18/2020/ DIR/CGHS
 भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
 CGHS महानिदेशालय
 545-A निर्माण भवन, नई दिल्ली
 दिनांक 09 जून 2020

कार्यालय आदेश

विषय :- प्रचलित कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को देखते हुए CGHS के तहत पैनेल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (HCOS) को सलाह

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय को CGHS के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों/निदान केंद्रों में उपचार सुविधाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों के बारे में CGHS लाभार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, इस मामले की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि दोहराते हैं कि सभी CGHS पैनेलबद्ध अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कोविड-अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है, CGHS मानदंडों के अनुसार CGHS लाभार्थियों को सभी कोविड संबंधित उपचारों के लिए उपचार सुविधाएं प्रदान करेंगे।

इसी तरह, यह फिर से दोहराया जाता है कि सभी CGHS पैनेलबद्ध अस्पताल, जिन्हें कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, वे CGHS लाभार्थियों को उपचार सुविधाओं/प्रवेश से इनकार नहीं करेंगे और अन्य सभी उपचारों के लिए CGHS मानदंडों के अनुसार शुल्क लेंगे।

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

के लिए,

आपका आभारी,

1. सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठन (HCO) संबंधित शहरों के अतिरिक्त निदेशकों के माध्यम से CGHS के तहत सूचीबद्ध हैं।
2. AD (मुख्यालय) अपर DDG (मुख्यालय), CGHS / सभी अतिरिक्त डायरेक्टर, CGHS शहर/जोन/MSD/नोडल अधिकारी, CGHS (MCTC)।

हस्ताक्षरित
 (डॉ. संजय जैन) डायरेक्टर, CGHS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

2. सलाहकार, CGHS, MoHFW
3. OSD, MoHFW के PPS
4. AS& DG, CGHS, के PPS
5. JS(AS), MoHFW के MoHFW PPS

अवर सचिव (EHSS), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:-

6. डायरेक्टर, सीजीएचएस के निजी सचिव

No. 25(02)/2018WED (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 10 अक्टूबर 2019

मैनेजिंग डायरेक्टर केंद्रीय संगठन

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम,

थिमर्या मार्ग,

गोपीनाथ सर्कल

दिल्ली कैंट।

विषय: ईसीएचएस (ECHS) के पैनल में शामिल चिकित्सा सुविधाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया और MD, ईसीएचएस (ECHS) को उनकी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

दिनांक 10.08.2015 को सचिव, ESW की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के पैरा 6 (d) में निहित निर्णयों के आलोक में, रक्षा मंत्रालय/DOESW ID No. 22B (02)/2013/ US(WE)/D(Res)dt 25.08.2015 के माध्यम से परिचालित किया गया। सक्षम अधिकारी ने यह आदेश जारी करने का निर्णय लिया है।

2. असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में निजी पैनल में शामिल चिकित्सा सुविधाओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रावधान! अनैतिक आचरण! चिकित्सा में लापरवाही/MOA के प्रावधानों का उल्लंघन रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित आदेशों में निहित है:-

(a) MOD पत्र संख्या 22B(04)/2010/US (WE)/D (Res) dt 18.02.2011 के पैरा 7 और पैरा 13

रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 22D (04)/2011/US (WE)D (Res) dt 22.07.2011

3. रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त पत्रों में निहित प्रावधानों की निरंतरता में, CO ईसीएचएस (ECHS) और रक्षा मंत्रालय (MOD), भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DoESW) और शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा निजी पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया इस संबंध में निम्नलिखित पैराग्राफों में इंगित किया जाएगा।

4. MoA की शर्तों के उल्लंघन के मामलों को लेवल I, लेवल II और लेवल III के रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सूची उदाहरण के लिए है न कि पूरी है।

- (a) **स्तर i:** - पहली बार उल्लंघन में कॉर्नमिडीनो और ग्लोइंग कार्रवाई शामिल होगी।
- (i) सेवा से इनकार।
 - (ii) ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के साथ अन्य लोगों के साथ भेदभाव।
 - (iii) पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट पर इलाज से इनकार करना और उनसे सीधे शुल्क लेना।
 - (iv) ईसीएचएस (ECHS) द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रणाली के माध्यम से ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों का प्रमाणीकरण न करना।
- (b) **स्तर ii:** - उल्लंघन में निम्नलिखित अपराध शामिल होंगे:
- (i) ईसीएचएस (ECHS) के साथ पैनल में शामिल होने के बाद कर्मचारियों के बुनियादी ढांचे/उपकरणों में कमी।
 - (ii) अनावश्यक प्रक्रियाएं करना।
 - (iii) अनावश्यक दवाओं / परीक्षणों को निर्धारित करना।
 - (iv) अधिक बिलिंग।
 - (v) रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, आदतन देर से प्रस्तुत करना या रिपोर्ट में गलत डेटा प्रस्तुत करना।
 - (vi) CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा HCO को चेतावनी जारी करने के बावजूद स्तर I के उल्लंघन की पुनरावृत्ति।
- (c) **स्तर iii:** - वित्तीय दंड लगाने और निम्नलिखित अपराधों के बावजूद उल्लंघन में स्तर 1 और स्तर II के उल्लंघन की पुनरावृत्ति शामिल होगी: -
- (i) अस्पताल की चिकित्सा सुविधा के दौरे के दौरान ईसीएचएस (ECHS) अधिकृत व्यक्तियों को वित्तीय और चिकित्सा रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान नहीं करना।
 - (ii) अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किसी लाभार्थी या आश्रित के खिलाफ आपराधिक अपराध, जैसे बलात्कार, छेड़छाड़ आदि।

शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया।

5. शिकायतों पर कार्रवाई करते समय शिकायतों पर कार्रवाई के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। सीधे तौर पर या MoD/DOESW से एक पैनलबद्ध अस्पताल के खिलाफ या औचक जांच के एक हिस्से के रूप में शिकायत प्राप्त होने पर, MD, ईसीएचएस (ECHS) संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के डायरेक्टर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगेगा। जांच एक महीने की अवधि के भीतर MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय केंद्र के डायरेक्टर द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

6. यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई जाती है लेकिन यह महसूस किया जाता है कि शिकायत दस्तावेजों के बयानों के आधार पर निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं होती है और आगे विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो MD, ईसीएचएस (ECHS) एक अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच का आदेश देगा। प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारी के अलावा अन्य RC, यदि आवश्यक हो तो MD, ईसीएचएस (ECHS) इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों के बोर्ड का गठन करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का गठन/अनुरोध कर सकता है जिसमें प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारी शामिल नहीं होंगे। जांच अधिकारी बोर्ड पैनल में शामिल चिकित्सा सुविधा को विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। कारण बताओ नोटिस में आरोपों और प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के साथ-साथ उन आधारों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर इस तरह के निष्कर्ष निकाले गए थे। जांच अधिकारी/बोर्ड ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे। बोर्ड सभी संबंधित पक्षों के बयान भी लेगा। अंत में जांच अधिकारी/बोर्ड सभी दस्तावेजों के साथ अपने निष्कर्ष, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस का जवाब, पार्टियों द्वारा दिए गए बयान आदि डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के डायरेक्टर अपने विचारों/सिफारिशों के साथ विस्तृत कारणों सहित जांच रिपोर्ट MD, ईसीएचएस (ECHS) को प्रस्तुत करेंगे।

7. जहां मामले को केवल चेतावनी जारी करने के लिए उपयुक्त माना जाता है या दस्तावेजों/बयानों के आधार पर शिकायत प्रारंभिक जांच में सिद्ध होती है, वहां MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा विस्तृत जांच से छूट दी जा सकती है।

8. MD, ईसीएचएस (ECHS), चूक की गंभीरता के आधार पर, जैसा कि ऊपर पैरा 4 में दर्शाया गया है, निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

- (i) स्तर I प्रकृति के उल्लंघन के मामले में, डायरेक्टर क्षेत्रीय केंद्र पैनल में शामिल चिकित्सा सुविधा को चेतावनी जारी करेगा। उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को स्तर II उल्लंघन माना जाएगा,
- (ii) यदि उल्लंघन को प्रकृति में लेवल I माना जाता है और दस्तावेजी सबूतों और/या बयानों के साथ जांच में साबित होता है, तो MD, ईसीएचएस (ECHS) PBG की राशि से उपयुक्त वित्तीय जुर्माना लगाएगा और/या चिकित्सा पर तीन महीने तक के लिए स्टॉप रेफरल लागू करेगा। संबंधित सुविधा और मामले का पूरा विवरण सात कार्य दिवसों के भीतर सूचना के लिए MODI DoESW को प्रस्तुत करेगा। हालांकि, PBG की कुल राशि का रखरखाव अस्पताल द्वारा एक परिक्रामी गारंटी के रूप में किया जाएगा।

के लिए कॉपी:

1. आरएम के पीएस
2. आरआरएम के पीएस
3. थल सेनाध्यक्ष के एसओ
4. नौसेनाध्यक्ष के एसओ
5. वायु सेनाध्यक्ष के एसओ
6. सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीपीएस
7. संयुक्त सचिव, ईएसडब्ल्यू के पीएस
8. जेएस एंड एडी एफए (आरके) के पीएस
9. मैसर्स यूटीआई-टीएसएल
10. सीजीडीए



भाग - X

शिकायत और मुकदमा

ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए SOP

परिचय

1. ईसीएचएस (ECHS) के सुचारू और कुशल कामकाज के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। हाल के दिनों में, सदस्यों द्वारा ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के दुरुपयोग या तथ्यों की झूठी घोषणा के मामले सामने आए हैं। पर्यावरण भी सदस्यों की ओर से कदाचार में वृद्धि की सूचना दे रहा है। नियमों के अनुसार ईसीएचएस (ECHS) के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, दुरुपयोग और कदाचार के मामलों से निपटने के लिए निर्देश देने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

2. इस मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं के दुरुपयोग और इसके सदस्यों द्वारा कदाचार का पता लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाइयों को निर्धारित करना है।

दुरुपयोग के क्षेत्र

3. दुरुपयोग के कुछ क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:
 - (a) अपात्र आश्रितों के लिए सदस्यता की मांग।
 - (b) विवाह/रोजगार/सुधार-वित्तीय स्थिति के कारण आश्रितों की स्थिति में परिवर्तन की सूचना नहीं देना।
 - (c) कपटपूर्ण या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों पर सदस्यता की मांग करना जो बाद में पता चला।
 - (d) आश्रित सदस्यों के नाम पर अनधिकृत व्यक्ति के लिए पॉलीक्लिनिक या पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार सुविधा का लाभ उठाना।
 - (e) झूठी या तुच्छ शिकायतें करना "बार-बार जो बाद में: जांच में गलत साबित होती हैं।
 - (f) दो योजनाओं अर्थात् ईसीएचएस (ECHS) और CGHS /रेलवे/राज्य *सरकारी PSU /बैंकों से एक साथ सुविधाएं प्राप्त करना।
 - (g) पॉलीक्लिनिक स्टाफ को गाली देना/आपराधिक हमला करना/धमकाना सहित कदाचार।
 - (h) धोखाधड़ी के इरादे से प्रतिपूर्ति के लिए फर्जी या बड़े हुए दावों को प्राथमिकता देना।
 - (i) पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज के बिलों पर हस्ताक्षर करना जो वास्तव में उपयोग नहीं हुआ/लाभ नहीं हुआ।
 - (j) किसी अन्य प्रकार का दुरुपयोग/कदाचार।

मामलों की रिपोर्टिंग और जांच

4. दुरुपयोग/दुर्व्यवहार के मामलों की सूचना पॉलीक्लिनिक और किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा संबंधित स्टेशन को तत्काल दी जाएगी, जिसने दुरुपयोग/कदाचार देखा है। विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाईयों उत्तरवर्ती पैराओं में दी गई हैं।
5. OIC पॉलीक्लिनिक द्वारा कार्रवाई-OIC पॉलीक्लिनिक द्वारा दुरुपयोग/कदाचार के मामलों की सूचना तत्काल संबंधित स्टेशन मुख्यालय को दी जाएगी।
6. **5वें मुख्यालय में कार्रवाई।**
 - (a) (दुरुपयोग / कदाचार के बारे में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, एक अधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके जिसे वह निष्पक्ष जांच के लिए उचित समझे, स्टेशन कमांडर द्वारा जांच का आदेश दिया जाएगा।
 - (b) आरोपों की उचित जांच के बाद एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सिफारिशों के साथ स्टेशन कमांडर को अग्रेषित किया जाएगा।
 - (c) जांच कार्यवाही पर उचित विचार के बाद, यदि स्टेशन कमांडर को पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कथित कदाचार के लिए दोषी है जैसा कि ऊपर पैरा 3 में उल्लेख किया गया है तो वह ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से ऐसी चूक का उल्लेख करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिन 30 प्रदान करेगा।
 - (d) आरोपी को पूछताछ के दौरान संबोधित सभी दस्तावेज और सबूत भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - (e) जवाब पर विचार करने के बाद या कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित समय की समाप्ति के बाद, यदि स्टेशन कमांडर यह निष्कर्ष निकालता है कि नाबालिग प्रकृति का कदाचार/अपराध सिद्ध होता है, उसके पास अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए दोषियों की सदस्यता के निलंबन का आदेश देने की शक्ति होगी। थाना प्रभारी के आदेश की कॉपी भी आरोपी को दी जाएगी।
 - (f) बड़े कदाचार/दुर्व्यवहार के मामले में, स्टेशन कमांडर उसकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश करेंगे।
 - (g) जहां सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की गई है, उसे कमांड के चैनल के माध्यम से केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित किया जाएगा।
 - (h) स्टेशन कमांडर की सिफारिश पर और कमांड ऑफ कमांड, एडजुटेंट, जनरल ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता समाप्त कर देंगे।
7. **अपील।** एक सदस्य आरोपी को व्यक्ति द्वारा निर्णय की प्राप्ति के बाद स्टेशन कमांडर के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का स्पष्ट समय दिया जाएगा। अपील प्राप्त होने पर, मुख्यालय कमान के MG IC एडमिन अपील की आवश्यक समीक्षा करेंगे और अपनी टिप्पणियों का समर्थन करेंगे और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित करेंगे।

8. **प्रचार।** ऐसे मामले में जहां सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है, ऐसे ESM के नाम वेब पर हाइलाइट किए जाएंगे और संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

रिपोर्ट और रिटर्न

9. क्षेत्रीय केंद्र अनुशासन भंग के सभी मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट संकलित और प्रस्तुत करेंगे अर्थात् मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को अगले महीने की 15 तारीख तक परिशिष्ट A के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार।

(नरिंदर पाल सिंह)

कर्नल

एजी के डायरेक्टर (संचालन एवं समन्वयक)

केस संख्या: B/49717-C/AG/ECHS

दिनांक: 27 मार्च 2008

जिला: सभी कमांड मुख्यालय

सभी क्षेत्र/उप क्षेत्र/स्टेशन मुख्यालय

सभी ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केंद्र

परिशिष्ट 'A'

(संदर्भ सेंट्रल-ओरा ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B {49717-Disc
SOPIAG/ECHS दिनांक 28 मई 09)

..

प्रारंभिक रिपोर्टईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

1. ईसीएचएस (ECHS) पंजीकरण संख्या:-
2. ईसीएचएस (ECHS) सदस्य का विवरण:-
 - (a) सेवा संख्या
 - (b) रैंक
 - (c) नाम
3. ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों का पता और दूरभाष संख्या:-
4. आश्रितों का विवरण:-
 - (a)
 - (b)
 - (c)
5. आदेश/नीति के उल्लंघन का विवरण (संक्षेप में):-
6. प्रस्तावित कार्रवाई:-

दिनांक

(नाम, रैंक और नियुक्ति के साथ हस्ताक्षर)

टेलिफोन: 23336735

ASCON 36735

REGD SDS

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

एडजुटेंट जनरल ब्रांच सेना मुख्यालय

मौड लाइन्स दिल्ली कैंट-10, 28 मई 2009

B/49717-Disc SOPIAGIECHS / 2 411

सभी कमाण्ड मुख्यालय (सेना/नौसेना/वायु)

सभी क्षेत्र/उप क्षेत्र/स्थान मुख्यालय

सभी ईसीएचएस (ECHS) क्षेत्रीय केंद्र

ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए SOP -

1. इस मुख्यालय के पत्र संख्या B149717-CIAG/ईसीएचएस (ECHS) dt 27 Mar 08 के आगे।
2. संदर्भ के तहत हमारे पत्र के 2 पैरा 6 (c) और पैरा 9 में संशोधन किया जा सकता है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है: -

(A) पैरा 6 (c) जांच की कार्यवाही पर उचित विचार करने के बाद, यदि स्टेशन कमांडर को लगता है कि कोई भी व्यक्ति कथित कदाचार के लिए दोषी है, जैसा कि ऊपर पैरा 3 में उल्लेख किया गया है, तो वह ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से ऐसी चूकों का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उसे जवाब प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन प्रदान करेगा। स्टेशन मुख्यालय भी संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसकी प्रतिलिपि केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को संलग्न प्रारूप के अनुसार संलग्न की जाएगी।

(B) पैरा 9 - क्षेत्रीय केंद्र सभी अनुशासन भंग मामलों की तिमाही रिपोर्ट संकलित और प्रस्तुत करेंगे अर्थात् Mar, Jun को समाप्त तिमाही के लिए; Sep, Dec से केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) को अगले महीने की 15 तारीख तक परिशिष्ट "B" के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार।

3. परिशिष्ट A को उपरोक्त उद्धृत पत्र के माध्यम से रद्द माना जा सकता है।

(बिनय कुमार)

कर्नल

एमडी ईसीएचएस के लिए कार्यालय डायरेक्टर

(संचालन और समन्वयक)

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार,

टीबीएन/- TBN/-

परिशिष्ट 'B'

(संदर्भ केंद्रीय संगठन

ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या

B/49717-Disc SOP/AG/ECHS

दिनांक 28 मई 09

ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई

क्रमांक	कोई रैंक और ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों का नाम	ईसीएचएस (ECHS) पंजीकरण संख्या	आश्रित पॉलीक्लिनिक	स्टेशन मुख्यालय	शिकायत का नाम (संक्षेप में)	मामले की स्थिति (संक्षेप में)	टिप्पणियां

महत्वपूर्ण परिपत्र**हैंड बुक 'रक्षा सेवा रसीद का वर्गीकरण और प्रभार में संशोधन 1992 (संस्करण)**

C.S. No. 88/04

मेजर हेड 0076 के नीचे पृष्ठ-14 पर सीएस संख्या 76/2003 के तहत खोले गए विस्तृत हेड "एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम," माइनर हेड -110D; पृष्ठ-92 नीचे, माइनर हेड -103 और पृष्ठ-254 नीचे, मेजर हेड 4076, सब-मेजर हेड -0J सेना, माइनर हेड -01, माइनर हेड -103 और पृष्ठ-254 नीचे, मेजर हेड 4076 सब-मेजर हेड -01 सेना माइनर हेड - 202 को कोड हेड के साथ और प्रत्येक के सामने दिखाए गए शुल्क के विवरण सहित हटाएं।

निम्नलिखित नए माइनर हेड सम्मिलित करें:

पेज 8

मेजर हेड: 0076- रक्षा सेवाएं - सेना

सब हेड /विस्तृत शीर्षों के साथ निम्नलिखित नया माइनर हेड को माइनर हेड -105 के नीचे डालें
"सैन्य फार्म":-

107-एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, के लिए अंशदान

(a)	ईसीएचएस (ECHS) योगदान	405/01	भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य बनने के लिए किया गया योगदान
(b)	ईसीएचएस (ECHS) स्टोर/उपकरण की नीलामी से रसीद	405/02	
(c)	विविध प्राप्तियां	405/03	

पेज 75

प्रमुख शीर्ष: 2076- रक्षा सेवाएं - सेना

उपशीर्ष/विस्तृत शीर्षों के साथ निम्नलिखित नया लघु शीर्ष लघु शीर्ष के नीचे डालें-

106- "सैन्य फार्म":-

107 - पूर्व - सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना

सब हेड A - सेवा कर्मियों के वेतन और भत्ते

1.	अधिकारी	360/01
2.	अन्य रैंक	360/02

सब हेड B - नियोजित / अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते

1.	अधिकारी	361/01
2.	अन्य	361/02
3.	ओवरटाइम भत्ते	361/03
4.	अनुबंधित एजेंसी को भुगतान	361/04

सब हेड C - परिवहन

1.	कर्मचारियों के आने जाने	362/01
2.	सामान को लाने ले जाने	362/02
3.	विदेश आने जाने	362/03

सब हेड D - स्टोर्स

1. मेडिकल स्टोर 363/01	1. चिकित्सकीय संसाधन 2. दवाएं और ड्रग्स 3. मरम्मत और रखरखाव (AMCs सहित)
2. अन्य स्टोर 363/02	1. कपड़े का सामान 2. वाहन, जेनरेटर और एयर कंडीशनर 3. FOL 4. पॉलीक्लिनिक्स के लिए फर्नीचर 5. मरम्मत एवं रखरखाव 6. खरीद पर व्यय, जिसका मूल्य 10 लाख से कम है, प्रत्येक का जीवन काल 7 वर्ष से कम है, इस शीर्ष पर संकलित किया जाएगा।

सब हेड E - सूचना प्रौद्योगिकी

(a) हार्डवेयर	1. कंप्यूटर और कनेक्टेड स्टोर्स की खरीद पर व्यय 2. 7 साल से कम के साथ 10 लाख रुपये से कम लागत वाला व्यय
I. स्थानीय खरीद	
II. केंद्रीय खरीद	364/012 इस शीर्ष के लिए अपेक्षित जीवन संकलित किया जाएगा।
(b) सॉफ्टवेयर	1. सॉफ्टवेयर की खरीद पर खर्च की पूर्ति 2. इस मद में 10 लाख रुपये से कम की लागत और 7 साल से कम की अनुमानित समय सीमा को संकलित किया जाएगा। रखरखाव कंप्यूटर आदि के रखरखाव पर खर्च को पूरा करता है
I. स्थानीय खरीद	364/03
II. केंद्रीय खरीद	364/04
(c) रखरखाव	कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करता है।
I. स्थानीय खरीद	364/03
II. केंद्रीय खरीद	364/04
(d) कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य	कंप्यूटर स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुओं की खरीद पर होने वाले व्यय को पूरा करता है।
I. स्थानीय खरीद	364/07
II. केंद्रीय खरीद	364/08
(e) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को पूरा करता है।
I. स्थानीय खरीद	364/09
II. केंद्रीय खरीद	364/10

सब हेड F - चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय

365/00	1. पैनलबद्ध अस्पतालों, नर्सिंग होम, नैदानिक केंद्रों और चिकित्सा अग्रिम 2. आकस्मिक उपचार के लिए मरीजों को प्रतिपूर्ति 3. रोगियों के लिए विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों की खरीद 4. भूतपूर्व सैनिकों के रोगियों को चिकित्सा सुविधा 5. कृत्रिम अंग आदि। 6. शल्य चिकित्सा और अन्य प्रत्यारोपण, श्रवण यंत्र, अंतर्गर्भाशयी लेंस, कर्णावत प्रत्यारोपण, संयुक्त प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण आदि। 7. कार्डियोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, रीनल डायलिसिस और सर्जरी आदि के लिए विशेष उपभोग्य और प्रत्यारोपण।

सब हेड G - विविध

366/00	1. स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं। 2. स्टेशनरी की स्थानीय छपाई। 3. सर्विस लेबल (स्टाम्प), आधिकारिक डाक, टेलीग्राम / टेलेक्स, स्पीड पोस्ट और पंजीकरण शुल्क। 4. टेलीफोन बिल/फैक्स और इंटरनेट की स्थापना व भुगतान। 5. कानूनी वादों/मेडिकोलेगल मामलों की लागत।

6. तस्वीरों और पहचान की कीमत पॉलीक्लिनिक कर्मचारियों को काई।
7. आकस्मिकता।
8. पुस्तकालय की किताबें।
9. प्लॉट का मौसम/ठंडा मौसम उपकरण स्थापना शुल्क।
10. पॉलीक्लिनिक लिनेन, बिस्तरों और रोगी के कपड़ों की धुलाई
11. पॉलीक्लिनिक में मृत्यु के संबंध में अंतिम संस्कार का खर्च (इस्तेमाल किए गए लिनेन तक सीमित, शरीर का संरक्षण और मुर्दाघर शुल्क)।
12. रखवाली और क्षेत्र का रखरखाव।
13. स्थापना के लिए अन्य खर्च किसी भी सिर के नीचे नहीं आच्छादित।
14. के वाहन चालकों का बीमा पॉलीक्लिनिक।
15. AMC सहित कार्यालय उपकरण और कार्यालय उपकरण का रखरखाव।
16. एम्बुलेंस, वाहनों का बीमा और वाहन के लिए भुगतान पंजीकरण और अन्य स्थानीय शुल्क।
17. एमएसीटी का दावा।
18. विभागीय सम्मेलन और संबंधित व्यय।
19. प्रचार।
20. रोगियों और परिचारकों के लिए ट्रग व्यय।

सब हेड H - राजस्व कार्य

367/00

1. माइनर वर्क्स।
2. विशेष कार्य।
3. विशेष मरम्मत।
4. आपातकालीन मरम्मत।
5. भवनों को किराए पर लेना।
6. संपत्ति कर।
7. पानी और बिजली शुल्क।
8. भवनों का रखरखाव।

पृष्ठ 251

प्रमुख शीर्ष: 4076- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

उप प्रमुख शीर्ष 01 - सेना

लघु शीर्ष के नीचे उप शीर्ष/विस्तृत शीर्षों के साथ निम्नलिखित नया लघु शीर्ष सम्मिलित करें:

106- "चल स्टॉक की खरीद":-

107 - एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम,

(a)	भूमि की खरीद	907/38	
(b)	भवन का निर्माण	907/39	
(c)	चिकित्सा उपकरण की खरीद	907/40	प्रत्येक की लागत 10 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले उपकरणों की खरीद पर व्यय और जिनकी जीवन अवधि 7 वर्ष से अधिक है।

संख्या. 22(01)/2011/WE/D(Res-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेनाभवन, नई दिल्ली

दिनांक 01 नवंबर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिक परिवार पेंशनभोगियों, जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/ MI रुम द्वारा कवर नहीं किए गए जिलों में निवास कर रहे हैं, को ESMs को समायोजित करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) प्रदान करना

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के पैरा 2(b) के आंशिक संशोधन में, मुझे सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों, जो ईसीएचएस (ECHS) सदस्य हैं और जो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/MI कक्षाओं के अंतर्गत आने वाले जिलों में निवास नहीं कर रहे हैं, को निश्चित चिकित्सा भत्ते के भुगतान के लिए सफल पैराग्राफ में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार ESMs को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया।

2. भूतपूर्व सैनिकों (EMS) पेंशनरों और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) परिवार पेंशनभोगियों के लिए FMA की पात्रता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होगी।) उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/25/2008-P&PW(D) dt 19 Nov 2014, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

3. भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS)) की सदस्यता सभी ESM पेंशनभोगियों और हकदार ESM परिवार पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य है, जो सेवारत सशस्त्र बल के कर्मों 01 Apr 2003 को या उसके बाद सेवानिवृत्त, या सेवामुक्त हुए हैं, या जिनकी मृत्यु हुई है। ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता में उनका योगदान गैर वापसी योग्य है। 01 Apr 2003 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों के पास यह विकल्प है कि वे या तो उचित अंशदान भेजकर ईसीएचएस (ECHS) योजना में शामिल हों और FMA को जब्त कर लें या पहले की तरह FMA लेना जारी रखें।

4. ईसीएचएस (ECHS) सदस्य होने के बावजूद, उपर्युक्त ESM पेंशनभोगी और ESM परिवार पेंशनभोगी उन जिलों में रह रहे हैं, जहां कोई ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक या सशस्त्र बल अस्पताल या or कमरा उपलब्ध नहीं है, जो ESMs को समायोजित करने के लिए उपलब्ध है, FMA के लिए पात्र नहीं होगा और साथ ही IPD उपचार के लिए भी हकदार होगा।

5. FMA / FMA की समाप्ति के भुगतान के लिए ईसीएचएस (ECHS) सदस्य का आवासीय पता उसके PPO में स्थायी पते के रूप में दर्शाया गया पता होगा।

6. इस आदेश के जारी होने की तिथि को, जिन जिलों के लिए PPO का भुगतान किया जाना है, उनकी सूची इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। उन जिलों की सूची जिनके लिए FMA है

10. **FMA की समाप्ति** - PDA /बैंक द्वारा जिले में एक नया पॉलीक्लिनिक खोलने की स्थिति में FMA की समाप्ति ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के संचालन के संबंध में कमांड और नियंत्रण की मौजूदा श्रृंखला के माध्यम से CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित होगी। अगले महीने से, जिसमें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक चालू है, उस जिले में स्थायी रूप से रहने वाले उपरोक्त पेंशनभोगियों के लिए FMA की पात्रता समाप्त हो जाएगी। कोई भी एफएमए जिसका अधिक भुगतान किया गया उसकी बाद की पेंशन संबंधी पात्रताओं से वसूल किया जाएगा।

ESM के ईसीएचएस (ECHS) कार्ड को FMA की स्थिति और उसके लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर अपडेट किया जाएगा।

11. ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

12. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO No. 33(145)/12.FP dt 5-10-2018 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. MoD(सेना) के AG, IHQ
2. MOD(नौसेना) के COP, IHQ
3. AOA, वायु HQ (VB)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)
6. DGADS

की जानकारी के लिए कॉपी:

7. RM के SO
8. RRM के PS
9. सचिव ESW के PPS
10. FA (DS) के PPS
10. JS(ESW) के PS
11. Addl. FA & JS (RK) MoD(Fin) के PS

20	17	अपर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	18
21	18	अपर सुबनसिल		
22	1	बक्सा	असम	21
23	2	बारपेटा		
24	3	बिश्वनाथ		
25	4	चराइदेव		
26	5	चिरांग		
27	6	धेमाजी		
28	7	दीमाहासाओ (उत्तरी कछार पहाड़ियाँ)		
29	8	गोलाघाट		
30	9	हैलाकांडी		
31	10	होजाइ		
32	11	कामरूप		
33	12	कार्बी आंगलॉग		
34	13	कोकराझारी		
35	14	करीमागंज		
36	15	मजोली		
37	16	मोरी गांव		
38	17	नलबाड़ी		
39	18	शिवसागरी		
40	19	दक्षिण सलमारा मनकाचारी		
41	20	उदलगुड़ी		
42	21	पश्चिम कार्बी आंगलॉग		
43	1	अररिया	बिहार	20
44	2	अरवाली		
45	3	औरंगाबाद		
46	4	बांका		
47	5	बेगूसराय		
48	6	गोपालगंज		

79	17	महासमुंद	छत्तीसगढ़	23
80	18	मुंगेली		
81	19	नारायणपुर		
82	20	राजंदगांव		
83	21	सुकमा		
84	22	सूरजपुर		
85	23	सरगुजा		
86	1	दादर और नगर हवेली	दादर और नगर हवेली	1
87	1	दमन	दमन और दीव	2
88	2	दीव		
89	1	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	दिल्ली	5
90	2	उत्तर पश्चिम दिल्ली		
91	3	उत्तर पूर्वी दिल्ली		
92	4	पूर्वी दिल्ली		
93	5	उत्तरी दिल्ली		
94	1	अमरेली	गुजरात	26
95	2	आनंद		
96	3	अरावली		
97	4	बनासकांठा (पालनपुर)		
98	5	भरूच		
99	6	भावनगर		
100	7	बोटाड		
101	8	छोटा उदयपुर		
102	9	दाहोद		
103	10	डांग्स (अहवा)		
104	11	देवभूमि द्वारका		
105	12	गांधीनगर		
106	13	गिरसोमनाथ		
107	14	जूनागढ़		

137	6	गोड्डा	झारखंड	16
138	7	हजारीबाग		
139	8	जामताड़ा		
140	9	खुंटी		
141	10	कोडरमा		
142	11	लातेहारे		
143	12	लोहरदगा		
144	13	पाकुर		
145	14	साहिबगंज		
146	15	सरायकेला-खरसावां		
147	16	सिमडेगा		
148	1	बागलकोट	कर्नाटक	16
149	2	बेल्लारी		
150	3	बैंगलोर ग्रामीण		
151	4	चामराजनगर		
152	5	चिकबल्लापुर		
153	6	चिक्कमंगलुरु		
154	7	चित्रदुर्ग		
155	8	दावणगिरी		
156	9	गदग		
157	10	हावेरी		
158	11	कोप्पल		
159	12	मंड्या		
160	13	रायचुर		
161	14	रामनगर		
162	15	उडुपी		
163	16	यादगिरी		
164	1	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	1
165	1	आगर (मालवा)	मध्य प्रदेश	39
166	2	अलीराजपुर		

197	33	श्योपुर	मध्य प्रदेश	39
198	34	शिवपुरी		
199	35	सिद्धि		
200	36	सिंगरौली		
201	37	टीकमगढ़		
202	38	उमरील		
203	39	विदिशा	महाराष्ट्र	12
204	1	बांद्रा		
205	2	चंद्रपुर		
206	3	गढ़चिरौली		
207	4	गोंडिया		
208	5	हिंगोली		
209	6	जालना		
210	7	नंदुरबारी		
211	8	पालघर		
212	9	परभनी		
213	10	रायगढ़		
214	11	येवतमाली		
215	12	वाशिम	मणिपुर	13
216	1	बिश्नुपुर		
217	2	चंदेल		
218	3	इंफाल पूर्व		
219	4	जिरिबाम		
220	5	काकचिंग		
221	6	कामजोंग		
222	7	नोनी		
223	8	फेरज़ावल		
224	9	ताम्रेंगलांग		
225	10	तांगनौपाल		

255	3	बलांगीर	उड़ीसा	21
256	4	बरगढ़ (बारगढ़)		
257	5	कटक		
258	6	देबगढ़		
259	7	गजपति		
260	8	झारसुगुडा		
261	9	जाजपुर		
262	10	जगतसिंहपुरी		
263	11	कैदुजहर (क्योंझर)		
264	12	कंधमाली		
265	13	कैद्रपाड़ा		
266	14	मल्कानगिरी		
267	15	मयूरभंजी		
268	16	नबरंगपुर		
269	17	नयागढ़		
270	18	नुआपाड़ा		
271	19	रायगढ़		
272	20	सुबरनापुर (सोनपुर)		
273	21	सुंदरगढ़		
274	1	कराईकल	पुदुचेरी	3
275	2	माहे		
276	3	यानामी		
277	1	बांसवाड़ा	राजस्थान	11
278	2	बरनी		
279	3	बूंदी		
280	4	चित्तौड़गढ़		
281	5	धौलपुर		
282	6	जालौरी		
283	7	झालवाड़		
284	8	प्रतापगढ़		

315	17	राजन्नासिरसिला	तेलंगाना	25
316	18	संगारेड्डी		
317	19	सिद्दीपेट		
318	20	सूर्यपेट		
319	21	विकाराबाद		
320	22	वानापर्थी		
321	23	वारंगल (ग्रामीण)		
322	24	वारंगल (शहरी)		
323	25	यादाद्रिभुवनगिरी		
324	1	धलाल	त्रिपुरा	7
325	2	गोमती		
326	3	खोवाल		
327	4	उत्तर त्रिपुरा		
328	5	सिपाहीजला		
329	6	दक्षिण त्रिपुरा		
330	7	उनाकोटि		
331	1	अम्बेडकरनगर	उत्तर प्रदेश	27
332	2	अमेठी (छत्रपति साहूजी महाराज नगर)		
333	3	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)		
334	4	औरैया		
335	5	बबराइचो		
336	6	बलरामपुर		
337	7	चंदौली		
338	8	चित्रकूट		
339	9	हमीरपुर		
340	10	हापुड़ (पंचशील नगर)		
341	11	कन्नौज		
342	12	कांशीराम नगर (कासगंज)		
343	13	कौशाम्बी		
344	14	कुशीनगर (पडरौना)		

No. 25(05)/2017(WE)/D(Res-I)

**भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
सेना भवन**

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2018

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(6)/03/US(WE/D(Res) dt 22 Sep 2003 के संदर्भ में, मुझे पत्र के साथ संलग्न अनुबंध 1 में उल्लिखित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में संविदात्मक कर्मचारियों के नियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति

के लिए

पैरा 2

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति की मंजूरी किसी क्षेत्र या समकक्ष के जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा दी जाएगी।

पढ़ें

पैरा 2 ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के संविदात्मक रोजगार के लिए मंजूरी एक उप क्षेत्र या समकक्ष के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग द्वारा दी जाएगी, उन स्थानों को छोड़कर जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान निम्न रैंक के अधिकारियों के पास है। मेजर जनरल की मंजूरी किसी क्षेत्र/कोर या समकक्ष के GOC द्वारा दी जाएगी। जिन स्थानों पर पॉलीक्लिनिक उप-क्षेत्र मुख्यालय या समकक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां स्टाफ के संविदा पर नियुक्ति कोर के स्टाफ के प्रमुख द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

के लिये

पैरा 4 जब आरक्षण कोटे के तहत भूतपूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, तो GOC क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को नियुक्त करके रिक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। असैन्य कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने के लिए GOC क्षेत्र की स्वीकृति केवल ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान एक उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा।

पढ़ें

पैरा 4 जब आरक्षण कोटे के तहत भूतपूर्व सैनिकों का अपेक्षित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है, तो GOC उप क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को रोजगार द्वारा उपयोग की जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर, उन स्थानों को छोड़कर जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान मेजर जनरल से निचले रैंक के अधिकारियों के पास होती है, अनुमोदन किसी क्षेत्र/कोर या समकक्ष के GOC द्वारा दिया जाएगा।

अनुबंध पर असैनिक कर्मचारियों के नियोजन के लिए GOC उप क्षेत्र का सत्र केवल ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा,

जहां पॉलीक्लिनिक मुख्यालय उप क्षेत्र या समकक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस प्रभाव के लिए चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा हस्ताक्षरित विशिष्ट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए और उसके बाद एक उपयुक्त नागरिक को नियुक्त करके रिक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। सिविल स्टाफ को संविदा पर नियुक्त करने के लिए कोर के चीफ ऑफ स्टाफ की मंजूरी केवल ग्यारह महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान एक उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति का प्रयास किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

के लिये

पैरा 7 (C) बोर्ड की कार्यवाही की स्वीकृति बोर्ड की कार्यवाही को कमांड की सामान्य श्रृंखला के माध्यम से संबंधित मुख्यालय क्षेत्र को अग्रेषित किया जाएगा। मुख्यालय क्षेत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अनुमोदन से पूर्व आवश्यक तकनीकी जानकारी DDsMS क्षेत्र द्वारा दी जाएगी। बोर्ड कार्यवाही की एक अनुमोदित प्रति सूचना/रिकॉर्ड के लिए संबंधित मुख्यालय कमान को भेजी जाएगी।

पढ़ें

पैरा 7 (c) बोर्ड की कार्यवाही की स्वीकृति बोर्ड की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय उप क्षेत्र को कमांड की सामान्य श्रृंखला के माध्यम से अग्रेषित की जाएगी, उन स्थानों को छोड़कर जहां उप क्षेत्र मुख्यालय की कमान मेजर जनरल से निचले रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है, अनुमोदन एक क्षेत्र / कोर या समकक्ष के GOC द्वारा दिया जाएगा। मुख्यालय उपक्षेत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिन स्थानों पर पॉलीक्लिनिक मुख्यालय क्षेत्र या उप क्षेत्र समकक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां बोर्ड की कार्यवाही को कमांड की सामान्य श्रृंखला के माध्यम से संबंधित मुख्यालय कोर को अग्रेषित किया जाएगा। मुख्यालय कोर द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बोर्ड की कार्यवाही की एक अनुमोदित प्रति सूचना/रिकॉर्ड के लिए संबंधित मुख्यालय कमान को भेजी जाएगी।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 32(29)/2017/Fin/Pen dt 26-10-2017 और 14-12-2017 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी :

आपका आभारी

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MoD (सेना) का AG, IHQ
5. MoD(नौसेना) का COP, IHQ
6. AOA, वायु HQ(VB)
7. MD, ईसीएचएस (ECHS)

(ए.के. कर्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार

3. JS(ESW) के PS
4. Addl. FA & JS(RK) के PS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

1. सचिव, ESW के PPS
2. FA(DS) के PPS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

1. सभी PCsDA/CsDA

संख्या 24(6)/03/US(WE) D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण का

नई दिल्ली, 29 जून, 2005

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: चिकित्सा विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञ के संविदात्मक रोजगार के लिए नियम और शर्तों में संशोधन

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(06)/03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep 03 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदात्मक रोजगार की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शुद्धिपत्र के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

पैरा 8 (e)

काम के घंटे के लिए। कर्मचारियों के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार, रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। इसमें यात्रा के समय को छोड़कर क्लिनिक आने और वापस जाने के समय को शामिल नहीं किया गया है। क्लिनिक के लिए काम करने का कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा स्थानीय स्टेशन मुख्यालय और स्टेशन के SEMO/PMO/SMO के परामर्श से तय किया जाएगा।

काम के घंटे पढ़ें। कर्मचारियों (विशेषज्ञों से कम) के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार तक प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे। रविवार को छुट्टी है। विशेषज्ञों (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ) के लिए काम के घंटे सोमवार से शनिवार तक प्रति सप्ताह 30 घंटे (05 घंटे x 06 दिन) होंगे। रविवार को छुट्टी है। समय में घर से क्लिनिक और वापस आने तक का यात्रा का समय शामिल नहीं है। क्लिनिक के लिए काम करने का कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा स्थानीय स्टेशन मुख्यालय और स्टेशन के SEMO/PMO/SMO के परामर्श से तय किया जाएगा।

परिशिष्ट A

अनुबंध शुल्क (प्रति माह) शीर्ष के तहत क्रम संख्या 2 श्रेणी (चिकित्सा विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ)

के लिए - 20,000/

पढ़ें - रु. 25,000/

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/ AG/PD) की सहमति से उनके UO. No. 660/PD/ 05 dt 28.06.05 के तहत जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी

हस्ताक्षरित

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. DG, DC&W सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. डायरेक्टर जनरल, पुनर्विक्रय, पश्चिम ब्लॉक- IV, आरके पुरम, नई दिल्ली
4. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
5. डायरेक्टर (समन्वय) - ईसीएचएस (ECHS) अनुभाग के तहत MOD वेबसाइट में पत्र शामिल करने के लिए।
6. रक्षा सचिव के SO
7. AS (B) के PS
8. JS (ESW) के PS
9. रक्षा वित्त (AG/PD)

के लिए भी कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. FA/(DS) के PPS
3. AS (I) के PPS
4. Addl. FA (M)/ Addl. FA (K)
5. JS (O/N)/JS E
6. डायरेक्टर (वित्त)/(AG)/ डायरेक्टर (Fin/Works)
7. DFA (B)/DFA (N) DFA (वायु सेना)
8. D (works)/D(Mov)/D(Med)
9. O&M इकाई

रक्षा मंत्रालय
(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

विषय: इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन- कर्मचारी के मान की स्वीकृति

कृपया इंदौर में नए पॉलीक्लिनिक के लिए संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सक्षम अधिकारी का संलग्न स्वीकृति पत्र संख्या 18(107)/2017/WE/D(Res-I) dt 5-12-2018 प्राप्त करें।

2. तथापि, MD ईसीएचएस (ECHS) को सलाह दी जाती है कि व्यर्थ व्यय से बचने के लिए पॉलीक्लिनिक के आवास के लिए भवन को पहले किराए पर लिए/अधिग्रहण किए बिना स्वीकृत कर्मियों को वास्तव में भर्ती पर न करें। हालांकि, संबंधित प्राधिकरण अग्रिम कार्रवाई कर सकता है और चयन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है और चयनित उम्मीदवारों के पैनल को आवास किराए पर लेने के बाद भर्ती के लिए तैयार रख सकता है।

3. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: ऊपरोक्त अनुसार

(ए.के. कर्ण)
अवर सचिव (WE)

MD, ईसीएचएस (ECHS)

फाइल संख्या 18(107)/2017/We/D(Res-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली।

दिनांक 05 दिसंबर 2018

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: इंदौर, मध्य प्रदेश में टाइप D ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन- कर्मचारी के मान की स्वीकृति

महोदय,

मंत्रालय के dt 28.9.2018 के समसंख्यक पत्र के क्रम में, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(72)/06/D(Res)/US(WE)(Vol.IV) dt 12 Nov 2013 के माध्यम से टाइप D पॉलीक्लिनिक के लिए स्वीकृत संविदात्मक कर्मचारी के पहले से ही स्वीकृत वेतनमान के अनुसार इंदौर में नए पॉलीक्लिनिक के लिए संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (F/P) के अनुमोदन से ID No. 32(13)/2017/Fin/Pen dt 19-11-2018 द्वारा जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी :

1. RM के SO
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. JS(ESW) के PS
5. JS और Addl. FA(RK) के PS
6. CGDA
7. DGAFMS
8. MD, ईसीएचएस (ECHS)

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी : PCsDA/CsDA.

No. 22D(22)/2017/WE/D(Res-I)

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेनाभवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18 दिसम्बर 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या. 24(6)/03/US(WE)/D(Res) dt 22 Sep, 2003 और 22(72)/06/US(WE)/D(Res) Vol.-IV dt 25 Feb, 2014 के संदर्भ में, मुझे उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करने के अधीन, इस पत्र के परिशिष्ट में सन्निहित अधिकतम आयु सीमा से संबंधित ऑफ पॉलीक्लिनिक्स के लिए कर्मचारियों के संविदात्मक रोजगार की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. नीति इस पत्र के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की सहमति से उनके U.O No. 32(26)/2017/Fin/Pen dt 12-12-2017 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. CGDA, नई दिल्ली
4. MoD(सेना) के AG, IHQ
5. MoD(नौसेना) के COP, IHQ
6. AOA, वायु HQ (vb)
7. MD, ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी:

1. सचिव, ESW के PPS
2. FA(DS) के PPS
3. JS,(ESW) के PS
4. Addl. FA(RK) और JS के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

सभी PCsDA/CsDA

परिशिष्ट

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 22(D)/2017/WE/D(Res-1) dt 18-12-2017 देखें

चिकित्सा के नियोजन के लिए गुणात्मक आवश्यकता
और पूर्व सैनिक अंशदायी के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ
स्वास्थ्य योजना

क्रमांक.	श्रेणी	संविदात्मक रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा	मुख्य योग्यता	कार्य अनुभव	वांछनीय गुण	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण
1	चिकित्सा अधिकारी	68				
2	विशेषज्ञ (चिकित्सा विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ)	70	बाकी कोई बदलाव नहीं			
3	दंत चिकित्सा अधिकारी	65				
4	रेडियोग्राफर	58				
5	लैब तकनीशियन	58				
6	लैब सहायक	58				
7	फिज़ियोथेरेपिस्ट	58				
8	फार्मसिस्ट	58				
9	नर्सिंग सहायक	58				
10	दंत चिकित्सा सहायक / तकनीशियन / हाइजीनिस्ट	58				

संख्या 22(4)/05/US/(WE)/D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण का

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2005

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(RES) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे उपरोक्त पत्र के परिशिष्ट 'B' और परिशिष्ट 'C' में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सरकार की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

परिशिष्ट B'				
हटाएँ				
क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप A				
1	पंजाब	लुधियाना	A	8
टाइप C				
2	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	C	1
3	ओडिशा	कटक	C	12
4	पंजाब	पटियाला	C	17
5	राजस्थान	जयपुर	C	20
6	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	C	28
टाइप D				
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला	D	9
8	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	D	12
9	मिजोरम	आइज़वाल	D	28
10	मणिपुर	इंफाल	D	26
11	नागालैंड	ज़खामा (कोहिमा)	D	29
12	नागालैंड	मोकोकचुंग	D	30
13	तमिलनाडु	डिंडीगुल	D	39
14	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	D	51
15	जम्मू और कश्मीर	डोडा	D	

परिशिष्ट B				
जोड़ें				
क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप B				
1	केरल	कन्नूरी	B	14
2	उत्तरांचल	हल्द्वानी	B	15
3	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (सिकंदराबाद)	B	16
4	पंजाब	पटियाला	B	17
5	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	B	18
6	राजस्थान	जयपुर		
परिशिष्ट B				
जारी				
जोड़ें				
टाइप C				
7	हरियाणा	चंडीमंदिर	C	29
8	तमिलनाडु	अवदि	C	30
9	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	C	31
10	आंध्र प्रदेश	गोलकुंडा	C	32
11	हिमाचल	शिमला	C	33
टाइप D				
12	महाराष्ट्र	देवलाली	D	54
13	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	D	55
14	हिमाचल प्रदेश	बखलोह	D	56
15	पश्चिम बंगाल	सॉल्ट झील	D	57
16	उत्तरांचल	रुड़की	D	58
17	पंजाब	पठानकोट	D	59
18	नागालैंड	दीमापुर	D	60
परिशिष्ट C				
हटाएँ				
क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप B				
1	केरल	कन्नूर	B	8
2	राजस्थान	नागौरी	B	16
3	उत्तरांचल	चमोली	B	19
4	उत्तरांचल	नैनीताल	B	20
5	पश्चिम बंगाल	24 PGS (बैरकपुर)	B	23

टाइप C	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
6	आंध्र प्रदेश	ओंगोल	C	3
7	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	C	4
8	हरयाणा	चंडीमंदिर (पंचकुला)	C	13
9	केरल	मलप्पुरम	C	19
10	तमिलनाडु	धर्मपुरी	C	27
11	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	C	34
12	तमिलनाडु	विरुधनगर	C	35
टाइप D				
13	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	D	4
14	हिमाचल प्रदेश	चंबा	D	7
15	महाराष्ट्र	नासिक (देवलाली)	D	22
16	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	D	31
17	उत्तरांचल	रायवाला	D	37
18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	D	50
19	महाराष्ट्र	अलीबाग (रायगढ़)	D	24

परिशिष्ट C**जोड़ें**

क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप A				
1	पंजाब	लुधियाना	A	10
टाइप B				
2	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	B	25
3	उत्तरांचल	गोपेश्वर	B	25
टाइप C				
4	ओडिशा	भुवनेश्वर	C	46
5	तमिलनाडु	श्रीविल्लीपुत्तूर	C	47
6	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	C	48
7	आंध्र प्रदेश	गिददलूर	C	49
8	केरल	पेरिन्तल्मन्न	C	50
9	राजस्थान	नागौर	C	51
टाइप D				
10	मिजोरम	आइजोल	D	53
11	तमिलनाडु	डिंडीगुल	D	54
12	तमिलनाडु	नागरकोइल	D	55
13	नागालैंड	कोहिमा	D	56
14	मणिपुर	इंफाल	D	57
15	छत्तीसगढ़	रायपुर	D	58
16	महाराष्ट्र	महाड	D	59

2. हैदराबाद, पटियाला कोलकाता चंडीगढ़, शिमला, जयपुर के पॉलीक्लिनिकों के उन्नयन में शामिल अतिरिक्त व्यय और चंडीगढ़ डोडा/रायपुर, आइज़वाल, कटक/भुवनेश्वर, डिंडीगुल, लुधियाना, ज़खामा (कोहिमा) और इंफाल में पॉलीक्लिनिक के संबंध में सैन्य से गैर-सैन्य स्थिति में परिवर्तन, और नासिक, चंडीमंदिर, कन्नूर, कामरूप (गुवाहाटी), चंबा, हावड़ा/साल्टलेक, थिरवल्लौर/आवादी नैनीताल/हल्द्वानी, रायवाला/रुड़की, 24 PGS (बैरकपुर), रंगारेड्डी/गोलकोंडा, और नागौर में पॉलीक्लिनिक के संबंध में बैरकपुर में पॉलीक्लिनिक के डाउनग्रेडेशन से उत्पन्न बचत से पूरा किया जाएगा।
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के संदर्भ पत्र के परिशिष्ट 'B' और 'C' में उपरोक्त परिवर्तन योजना के सुचारू संचालन और स्थापना के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है और मूल रूप से स्वीकृत योजना की संरचना में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है।
4. इसे MOD (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 764/PD/05 dt 08.08.2005 के तहत जारी किया गया है।

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 23014946

के लिए कॉपी:

1. रक्षा (वित्त) (AG/PD)
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा / वित्त) के PPS
4. SS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (B) के PS/ AS(I) के PPS
6. JS (ESW)
7. JS (O/N)
8. Addl FA (M)
9. DFA(N)/DFA (वायु सेना)
10. DFA(B)
11. D(कार्य)/D(Mov)/D(Med)
12. O & M इकाई
13. CGDA, नई दिल्ली

के लिए भी:

14. DGAFMS
15. DGDE, नई दिल्ली
16. DGDC & W
17. QMG
18. DG (कार्य), E-in-C शाखा
19. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)
20. ADG C & W

No. 25(05)/2012/WE/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

विषय: गैर-सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने की शक्तियों की सीमा

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 24(15)/03/US(WE)/D(Res) dt 20 Feb 2004 के संदर्भ में, मुझे सरकार के अनुभाग को निम्नलिखित संशोधनों के लिए तत्काल प्रभाव से सूचित करने का निर्देश हुआ है:

के लिए

(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर/ AOC-in-C	रु. 2,00,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष
(b)	एक कोर, डिवीजन के कमांडर / क्षेत्र, स्वतंत्र उप क्षेत्र या स्वतंत्र BdeGp / समकक्ष नौसेना / वायु सेना कमांडर	रु. 1,00,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष
(c)	एक Bde, Bde क्षेत्र या उप क्षेत्र / समकक्ष नौसेना / वायु सेना कमांडर के कमांडर	रु. 75,000/- प्रति संपत्ति प्रति वर्ष

पढ़ें

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी (CFA)	वित्तीय शक्ति (प्रति संपत्ति प्रति वर्ष)
(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु. 5,00,000/-
(b)	क्षेत्र/उप क्षेत्र कमांडर/समकक्ष	रु. 2,00,000/-
(c)	स्टेशन कमांडर/समकक्ष नौसेना/वायु सेना कमांडर	रु. 2,00,000/-

2. ये शक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए या उस स्टेशन में नए पॉलीक्लिनिक के निर्माण होने तक (जो भी पहले हो) लागू होंगी।
3. इसे रक्षा (वित्त) की सहमति से उनके UO. No. 1350/13(Fin/Pin) dt 6-8-2013 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी,

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. MoD (सेना) के AG,IHQ
2. MoD (नौसेना) के COP,IHQ
3. AOA, वायु HQ (VB)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD(ईसीएचएस (ECHS)

की जानकारी के लिए कॉपी :

1. सचिव, ESW के PPS
2. FA(DS) के PPS
3. JS(ESW) के PS
4. JS & Addl. FA(RS) के PS
5. DS(Res-I) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी

सभी PCsDA/CsDA

No. 22(26)/06/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 06

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय:- ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के निर्माण की प्रक्रिया पर शुद्धिपत्र

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 24(7)/03/US(WE)/D(Res) dt 17.9.2003 के संदर्भ में, मुझे निम्नलिखित संशोधन के लिए सरकार की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है:-

2. रक्षा मंत्रालय के dt 17.09.2003 के पत्र के पैरा 4(a), 6 और 7 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है।

(i) पैरा 4(a)

के लिए

(a) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को पांच साल की अवधि में लागू किया गया है, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) सैन्य / गैर-सैन्य स्टेशनों को प्राथमिकता देगा जहां पॉलीक्लिनिक का निर्माण प्रत्येक वर्ष शुरू होगा। इस प्राथमिकता के आधार पर ईसीएचएस (ECHS) शाखा नीचे भाग 6 में दिए गए अनुसार स्टेशन मुख्यालय को धन आवंटित करेगी।

पढ़ें

(a) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को पांच साल की अवधि में लागू किया गया है, केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) सैन्य/गैर-सैन्य स्टेशनों को प्राथमिकता देगा जहां पॉलीक्लिनिक का निर्माण प्रत्येक वर्ष शुरू होगा। इस प्राथमिकता के आधार पर, केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) नीचे पैरा 6 में दिए गए अनुसार कमान मुख्यालय को धन आवंटित करेगा।

(ii) पैरा 6

के लिये

बजटीय आवंटन

ईसीएचएस (ECHS) का केंद्रीय संगठन कैपिटल हेड से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और इसे QMG की शाखा को आवंटित करेगा जो उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए मुख्यालय कमांड के माध्यम से संबंधित स्टेशन को आवंटित करेगा।

पढ़ें

बजटीय आवंटन

ईसीएचएस (ECHS) का केंद्रीय संगठन कैपिटल हेड से वार्षिक बजटीय निधियां निर्धारित करेगा और मुख्यालय कमांडों को आवंटित करेगा जो उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स के लिए संबंधित स्टेशन को आवंटित करेंगे।

(iii) पैरा 7

के लिए

निधि का आवंटन मुख्य शीर्ष 4076-01 मुख्य शीर्ष 202 के तहत होगा। स्टेशन मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित राशि के भीतर व्यय किया गया है।

पढ़ें

निधि का आवंटन मेजर हेड 4076 सब मेजर हेड 01- आर्मी मेजर हेड 107 कोड हेड 907/39 के तहत किया जाएगा। स्टेशन मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित राशि के भीतर ही व्यय किया गया है।

3. परिवर्तन इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O संख्या 1029/Fin/W-I dt 11.9.2006 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या 25(05)/2012/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: गैर सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकों के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन।

महोदय,

गैर सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिकों के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए बिजली की वित्तीय सीमा को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(05)/2012/US(WE)/D(Res) dt 23 Nov, 2015 द्वारा 20.8.2015 से 20.8.2017 तक संशोधित किया गया था, निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी (CFA)	वित्तीय शक्तियां (प्रति संपत्ति प्रति वर्ष)
(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु.5,00,000/-
(b)	एरिया/सब एरिया कमांडर/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु.3,00,000/-
(c)	स्टेशन कमांडर/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु.2,00,000/-

2. ये प्रत्यायोजित शक्ति 20.8.17 को समाप्त हो गई, 20.8.2017 से आगे इन शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। इसलिए अब नए प्रतिनिधिमंडल का आदेश दिया गया है।

3. दिनांक 6.6.19 के सम संख्यांक के स्वीकृति आदेश का अधिक्रमण करते हुए, मुझे उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए भारत सरकार की स्वीकृति से 15.07.19 से दो वर्ष की अवधि के लिए या पॉलीक्लिनिक भवन का निर्माण होने तक, जो भी पहले हो, सूचित करने का निर्देश हुआ है।

4. 21.8.2017 की अवधि के बीच किए गए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के सभी मामलों और इस पत्र के जारी होने की तारीख की मामला दर मामला आधार पर जांच की जानी चाहिए और CO, ईसीएचएस (ECHS) को ऐसे सभी मामलों को MOD को भेजना चाहिए जैसा कि पहले ही रक्षा मंत्रालय ID संख्या 25(05)/2012/WE/D(Res-1) dt 18-4-2019 और रक्षा मंत्रालय ID संख्या 25(05)/2012/WE/D(Res-1) dt 6-6-2019 के तहत निर्देश दिया गया है।

5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेन) की सहमति से उनके U.O. संख्या 33(61)/2013/FP dt 28/06/2019 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

(एके कर्ण) अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:

1. MoD (सेना) के AG,IHQ
2. MoD (नौसेना) के COP,IHQ
3. AOA, वायु HQ (VB)
4. MD ईसीएचएस (ECHS)
5. CGDA

की जानकारी के लिए कॉपी

1. सचिव, ESW के PPS
2. S.D.F के PPS
3. JS(ESW) के PS
4. JS & Addl. FA(RK) के PS
5. DS(Res-I) के PS

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी

सभी PCsDA/CsDA

No. 25(05)/2012/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 06 जून, 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: गैर सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों को किराए पर लेने के लिए शक्तियों की सीमा का विस्तार।

महोदय,

गैर-सैन्य स्टेशनों में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए भवनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(05)/03/US(WE)/D(Res) dt 4 Sep 2003 द्वारा तैयार की गई थी। इसके अलावा, किराए पर लेने के लिए शक्तियों की सीमाएं गैर सैन्य स्टेशनों पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के लिए अचल संपत्तियों की संख्या को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 25(05)/2012/US(WE)/D(Res) dt 23 Nov, 2015 के तहत निम्नानुसार संशोधित किया गया था:-

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी (CFA)	वित्तीय शक्तियां (प्रति संपत्ति प्रति वर्ष)
(a)	जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन चीफ/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु. 5,00,000/-
(b)	एरिया/सब एरिया कमांडर/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु. 3,00,000/-
(c)	स्टेशन कमांडर/समकक्ष नौसेना कमांडर/वायु सेना कमांडर	रु. 2,00,000/-

2. मुझे भारत सरकार की ओर से दो साल (20 Aug 19 तक) के विस्तार के लिए ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित भारत सरकार / रक्षा मंत्रालय के पत्रों में निहित प्रावधानों के बारे में या स्टेशन में नए पॉलीक्लिनिक भवन के निर्माण तक की मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है। इनमें से जो भी पहले हो।

के लिए कॉपी:-

- 1) CGDA, नई दिल्ली
- 2) DGAFMS
- 3) DGMS (सेना)
- 4) DGMS (वायु)
- 5) DGMS (नौसेना)
- 6) DGDE
- 7) AOA
- 8) COP
- 9) ADG C&W
- 10) ADG (FP)
- 11) सभी कमान HQs
- 12) सभी क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS)
- 13) DFA (पेंशन)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

- 1) PCDA, दिल्ली
- 2) PCDA, बेंगलौर
- 3) PCDA (NC), जम्मू
- 4) PCDA (WC), चंडीगढ़
- 5) PCDA (CC), लखनऊ
- 6) PCDA (SC), पुणे
- 7) CDA, पटना
- 8) CDA (SWC), जयपुर
- 9) CDA (सेना), मेरठ
- 10) CDA (नौसेना), बंबई
- 11) CDA (AF), देहरादून
- 12) CDA, जबलपुर
- 13) CDA, सिक्ंदराबाद
- 14) CDA, चेन्नई
- 15) CDA, गुवाहटी

(ए के कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार।

No.22A(10)/2010/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

दिनांक 5 नवंबर, 2012

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)

नई दिल्ली-10

विषय: ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया: प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) UTI ITSL द्वारा बिलों की प्रोसेसिंग

महोदय,

1. GoM पत्र संख्या 22A(10/10/US(WE)/D(Res) dt 23 Feb, 2012 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) के निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों को बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (BPA) यानी UTI-ITSL द्वारा बिल प्रोसेसिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

- a) जालंधर
- b) जयपुर
- c) लखनऊ
- d) कोलकाता
- e) कोच्चि

2. ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के पत्र के उप पैरा 5 (c) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

के लिए

5 (c) : ब्रॉड बैंड कनेक्शन (दो प्रत्येक)।

पढ़ें

MTNL/BSNL के CO, ईसीएचएस (ECHS) और क्षेत्रीय केंद्रों दिल्ली, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और कोच्चि के लिए एक समर्पित ब्रॉडबैंड इंटरनेट 2 Mbps (1:1) और एक मानक 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता है। बैलेंस रीजनल सेंटर एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड (ट्राय बैंड कोम्बो UL डेटा 3499/4 Mbps/BBG ULD 6000) और MTNL/BSNL का एक स्टैंडर्ड 2 Mbps ब्रॉडबैंड कनेक्शन।

3. इस प्रक्रिया की समीक्षा इसके संचालन के एक वर्ष बाद की जाएगी।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O.No 4874/Fin/Pen/2012 dt 30 अक्टूबर 2012 के तहत जारी किया जा रहा है।

के लिए कॉपी

1. CGDA
2. DGAFMS
3. AG
4. COP

आपका आभारी,

हस्ताक्षरित

(एच मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

संख्या 22D(02)/2011/WE/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2012

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) के क्षेत्रीय केंद्रों के लिए मोटर साइकिल और हल्के वाहन की अनुमति

महोदय,

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(02)/2011/WE/D(Res) dt 18 अक्टूबर 2010 के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) के 15 नए क्षेत्रीय केंद्रों में से प्रत्येक के लिए एक हल्के वाहन और दो मोटर साइकिल (बनाने और प्रकार की जो सशस्त्र बलों के साथ सेवा में हैं) की अनुमति के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है (परिशिष्ट में संलग्न)
2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O संख्या 3735/12.FPdt 27.08.2012 के तहत जारी किया जा रहा है।

के लिए कॉपी:-

1. CGDA
2. सचिव ESW के PPS
3. FA DS के PPS
4. JS (ESW) के PS
5. Addl. FA(RK) & IS के PS

आपका आभारी

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए भी कॉपी :-

6. AO
7. MOD (नौसेना) का COP, IHQ
8. AOA, वायु HQ (VB)
9. MGO
10. MD, केंद्रीय संगठन. ईसीएचएस (ECHS).

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :-

सभी PsCDA/CsDA

XVI

संख्या 24(3)/03US(WE)/D(Res)(II)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या 24(3)/03US(WE)/D(Res)(II) dt 9 सितम्बर, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

भारत सरकार के पत्र के परिशिष्ट में, वित्तीय प्रक्रियाओं का भाग I, पैरा 6, वायु सेना की कमान और नियंत्रण के तहत पॉलीक्लिनिक की सूची के लिए क्रम संख्या (L) को गाजियाबाद (हिंडन) में जोड़ें।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/AG/PD) की उनके U.O No. 1217/PD/03 dt 6.11.2003 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के So
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (T) के PPS / AS(I) के PPS

25(01)/2014/US/(WE)/D(Res)-Part-1

भारत सरकार

भूतपूर्व सैनिक विभाग

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 110001

दिनांक 4 अगस्त, 2014

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन

ईसीएचएस (ECHS)

विषय: वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन और मैनुअल मेडिकल बिलों के भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए संशोधन

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(03)/2003/US(WE)/D(Res) dt 08 Sep 2003 के आंशिक संशोधन में, उपरोक्त विषय पर, मुझे परिशिष्ट के पैरा 1 में निम्नलिखित संशोधन के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

क्रमांक	सक्षम अधिकारी	वित्तीय सीमाएं	IFA/MoD वित्त के साथ परामर्श
(a)	स्टेशन कमांडर		
	(I) Lt Col/Col	रुपये 1,00,000/- तक	नहीं
	(II) Brig	रुपये 2,00,000/- तक	नहीं
(b)	सब एरिया कमांडर/चीफ ऑफ स्टाफ एरिया मुख्यालय (मेजर जनरल)	रुपये 3,00,000/- तक	नहीं
(c)	Dy MD, ईसीएचएस (ECHS)	रु. 5,00,000/- तक	हां
(d)	MD, ईसीएचएस (ECHS)	रु. 10,00,000/- तक	हां
(e)	सचिव (ESW)	रु. 25,00,000/- से अधिक	हां
(f)	सचिव (ESW)	रु. 25,00,000/- से अधिक	हां

नोट: 10 लाख रुपये से अधिक के मंत्रालय के भीतर प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से किया जाएगा और इसी तरह ईसीएचएस (ECHS) में भी 3 लाख रुपये से अधिक के मामलों की जांच उनके आंतरिक वित्त के परामर्श से की जाएगी।

2. संदर्भाधीन पत्र की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी।

3. इसे U.O. संख्या 3(19)2001/AG/PD/Fin./Pen dt 23 Jun 2014 के तहत रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी:-

आपका आभारी

1. सचिव ESW के वरिष्ठ PPS
2. DFA(Fin/Pen) के PPS
3. JS(ESW) के PS
4. CGDA, नई दिल्ली

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

सभी PCsDA/CsDA

No. 8/4/2018-O2P

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय (Fin/O2P)

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 25.07.2019

रक्षा मंत्रालय का आदेश

विषय:- रेकियोनल सेंट्रों और केंद्रीय संगठन में ईसीएचएस (ECHS) पदाधिकारियों के लिए DFPDS -2016 के एसपी-2016 में अलग अनुसूची-26 को जोड़ने के संबंध में।

DFPDS -2016 रक्षा मंत्रालय के आदेश संख्या 231(09)/2016B.II dt 06.09.2016 के तहत जारी किया गया था। DFPDS -2016 के ASP - 2016 में रेकियोनल सेंट्रों और केंद्रीय संगठन में ईसीएचएस (ECHS) पदाधिकारियों के लिए एक अलग अनुसूची -26 निम्नानुसार जोड़ी गई है: -

DFPDS-2016 अनुसूची-26**एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS))****मेजर हेड-2076 और 4076 माइनर हेड-107**

क्रमांक	सक्षम वित्तीय अधिकारी	IFA परामर्श के बिना	IFA परामर्श के साथ
26.1	सब हेड B: परिवहन		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	1.00	5.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	0.50	2.00
26.2	सब हेड C: स्टोर (पूँजीगत उपकरण और मेडिकल स्टोर के अलावा)		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	2.00	10.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	1.00	3.00
26.3	सब हेड D: सूचान प्रौद्योगिकी		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	2.00	50.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	1.60	10.00
26.4	सब हेड D: सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	5.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	1.00
26.5	सब हेड F: विविध और आकस्मिक व्यय		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	1.00	20.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	0.50	5.00
26.6	आउटसोर्सिंग		
	MD.ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	10.00
	डायरेक्टर, RC, ईसीएचएस (ECHS)	शून्य	1.00

नोट: 26.1 से 26.6 के लिए

- उपरोक्त शक्ति का उपयोग सेना (ASP) की संबंधित अनुसूचियों में दिए गए नोट के अनुसार किया जाएगा।
 - उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग केवल आरसी द्वारा उपयोग के लिए डायरेक्टर RC द्वारा किया जाएगा। पॉलीक्लिनिक की कमान और नियंत्रण वाला स्टेशन ईसीएचएस (ECHS) स्थापना के लिए एमएच 107 के तहत खर्च के लिए ASP, NSP, AFSP और MSP के अनुसार निहित शक्तियों का उपयोग करेगा।
2. इसे सचिव (रक्षा वित्त) की सहमति और माननीय रक्षा मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(नवजोत सिंह)

सहायक वित्तीय सलाहकार (O2)

संख्या.22D(48)/2006/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली 07 फरवरी 2012

सेवा में,
थल सेनाध्यक्ष
नौसेनाध्यक्ष
वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

विषय:- नेपाल में नेपाल अधिवासी गोरखाओं (NDG) ESM पेंशनभोगियों के लिए ईसीएचएस (ECHS) सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22D(48)/2006/US(WE)/D(Res) dt 14 Sep 2010 के संदर्भ में मुझे निम्नलिखित संशोधनों के लिए सक्षम अधिकारी की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है: -

पैरा 4

के लिये

चिकित्सीय उपचार - चिकित्सीय उपचार केवल भारत में ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स/सर्विस अस्पताल/सिविल पैनलबद्ध सुविधाओं में उपलब्ध होगा। नेपाल में आपातकालीन उपचार की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। हालांकि मौजूदा प्रावधानों के तहत भारत में आपातकालीन उपचार उपलब्ध होगा। ईसीएचएस (ECHS) की अन्य सभी प्रक्रियाएं और नीतियां एनडीजी पर भी लागू होंगी।

पैरा 10

के लिये

सैन्य अताशे काठमांडू - सैन्य अताशे काठमांडू स्टेशन कमांडर के रूप में कार्य करेगा और नीतिगत मुद्दों को छोड़कर ईसीएचएस (ECHS) से संबंधित सभी मामलों से निपटेगा।

पढ़ें

ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक की कमान और नियंत्रण

(a) भारत के दूतावास में कर्मचारी

(i) सेवारत - सेवा कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियों को नेपाल में भारतीय दूतावास में तैनात किया जाएगा:

(aa) AMA (ईसीएचएस (ECHS) - नेपाल में योजना की सुचारु शुरुआत और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मामलों से निपटने वाले केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS) में कम से कम दो साल के अनुभव और एक कार्यकाल के लिए विंग कमांडर (या समकक्ष) के पद के साथ एक अधिकारी। बाद की जनशक्ति को नेपाल में रक्षा कर्मियों की नियमित प्रक्रिया के अनुसार तैनात किया जाएगा।

(ab) 02 क्लर्क

(ii) आउटसोर्स

(aa) 02 क्लर्क

(ab) 02 मल्टी टास्किंग स्टाफ

(ac) 02 ड्राइवर

(b) वाहन - ईसीएचएस (ECHS) सेल, सैन्य विंग, भारतीय दूतावास के लिए

(i) एक हल्का वाहन

(ii) एक मोटरसाइकिल

(c) फंड प्रबंधन - नियत समय में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

पढ़ें

चिकित्सा उपचार

(a) नेपाल में पॉलीक्लिनिक में निम्नलिखित स्थानों पर स्थित उन्नत मौजूदा MI कमरों में चिकित्सा उपचार उपलब्ध होगा: -

(i) काठमांडू - नॉन मिलिट्री के लिए टाइप A

(ii) पोखरा - नॉन मिलिट्री के लिए टाइप A

(iii) धरन - नॉन मिलिट्री के लिए टाइप B

(b) इसके अलावा, मौसमी पेंशन भुगतान शिविरों के दौरान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रत्येक पॉलीक्लिनिक में एक प्रकार का E मोबाइल क्लिनिक संलग्न किया जाएगा।

(c) भारतीय दूतावास द्वारा पैनल में शामिल अस्पतालों को पैनल में शामिल माना जाएगा यानी पैनल में शामिल होने के लिए उनके आवेदन पर NABH द्वारा बिना किसी आकलन के सीधे कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में अस्पतालों को पैनल में शामिल करने के लिए भारत में अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(d) MI कमरों में जनशक्ति सहित मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचा ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स में काम करना जारी रखेगा और मौजूदा पैमानों पर बढ़ाया जाएगा। हालांकि, भारत से सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (DGAFMS) के महानिदेशालय की मेडिकल टीम द्वारा आवधिक यात्राओं पर छूट दी जाएगी जब ईसीएचएस (ECHS) नेपाल में पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

पैरा 6

मौजूदा

योगदान - युद्ध विधवाओं, युद्ध के हताहतों और 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को एकमुश्त ईसीएचएस (ECHS) योगदान से छूट दी गई है, अन्य के लिए, योगदान भारत में भारत में लागू होगा।

जोड़ें

योगदान - 01 जून, 2009 से पहले सेवानिवृत्त सभी NDG ESM योगदान की पूर्व-संशोधित दरों का भुगतान करेंगे जैसा कि भारतीय ESM के लिए लागू था। तथापि, 01 जून, 2009 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी संशोधित दरों पर अंशदान का भुगतान करेंगे।

2. यह पत्र रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO No. 375/Fin/Pen dt 27 Jan, 2012 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. रक्षा सचिव के PPS
4. सचिव ESW के PPS
5. रक्षा सचिव (वित्त) के PPS
6. JS(ESW) के PS

7. Addl.FA(R) के PS
8. CGDA
9. रक्षा अताशे काठमांडू (नेपाल)
10. DGAFMS
11. MD ईसीएचएस (ECHS)
12. PCDS (CC) लखनऊ

संख्या 18(17)/2011/US(WE)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिकों का विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2012

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या 22(01)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और 22(01)/01/US(WE)/D(Res) dt 1 Apr, 2003 के संदर्भ में मुझे सरकार के अनुभाग के पैरा 2 में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्देश दिया गया है:-

के लिए

यह योजना पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों की दवा की पूर्ति करेगी, जिसमें दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगी, साथ ही आश्रितों में पत्नी/पति, वैध बच्चे और पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता शामिल हैं। ईसीएचएस (ECHS) की संपूर्ण श्रेणी के किसी भी प्रकार (शारीरिक या मानसिक) की स्थायी दिव्यांगता वाला बेटा जीवन भर चिकित्सा उपचार की सुविधा के लिए पात्र होगा। इस योजना में इस प्रकार शामिल होगा (बाकी कोई परिवर्तन नहीं)।

पढ़ें

यह योजना दिव्यांग पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ CGHS में लागू आश्रितों के लिए चिकित्सा देखभाल की पूर्ति करेगी। इस योजना में इस प्रकार शामिल होगा (बाकी कोई परिवर्तन नहीं)।

2. यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय (वित्त) UO No. 3974/2012Fin/Pen dt 30 अक्टूबर 2012 की सहमति के साथ है।

के लिए कॉपी:

आपका आभारी

1. MoD(सेना) के AG, IHQ
2. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
3. AOA, वायु HQ (वायुभवन)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)

(एचके मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

3. Js (ESW) के PS
4. JS & Addl. FA (RK) के PS

की जानकारी के लिए कॉपी:-

1. सचिव, ESW के वरिष्ठ PPS
2. PA DS के PPS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

सभी PCsDA/CsDA

संख्या 22D(03)/2015/WE/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2016

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)

मौड लाइन्स, दिल्ली कैंट।

विषय: ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

चंडीमंदिर में माननीय AFT चंडीगढ़ क्षेत्रीय खंडपीठ के अनुपालन में, JC-50078F पूर्व सूबेदार भगत सिंह द्वारा दायर dt 19 Mar 2015 को 2013 के O.A. संख्या 3980 और और आदेश dt 04.04.2016 2015 के MA (E) 3653 में 2013 के O.A. संख्या 3980 में, मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 2002 के पैरा 2 में उल्लिखित पेंशन/दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों का अर्थ केवल रक्षा लेखा नियंत्रक से ली गई रक्षा पेंशन है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति के साथ उनकी आईडी संख्या 33(15)/2015/Fin/Pen dt 15.11.2016 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स 23014946

1. Addl. Dte Gen APS/APS-ID
2. JS (ESW) के PPS
3. DFA (पेंशन)

संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 1 अप्रैल 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष.

शुद्धिपत्र

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 के पैरा 2 में निम्नलिखित संशोधन किये जा सकते हैं।

2. यह योजना दिव्यांग पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ पत्नी/पति, वैध बच्चों और पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता को शामिल करने के लिए आश्रितों की चिकित्सा की पूर्ति करेगी। ईसीएचएस (ECHS) की हकदार श्रेणी के किसी भी प्रकार (शारीरिक या मानसिक) की स्थायी दिव्यांगता वाला बेटा आजीवन उपचार की सुविधा के लिए पात्र होगा। इस योजना में इस प्रकार शामिल होंगे:

(a) ईसीएचएस (ECHS) अंशदायी योजना होगी। सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक सेवा कर्मी अपने हिस्से का योगदान देकर अनिवार्य रूप से ईसीएचएस (ECHS) का सदस्य बन जाएगा और यह योजना जीवन भर के लिए लागू होगी। इसी तरह पूर्व सैनिक जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एकमुश्त योगदान देकर सदस्य बन सकते हैं। एक उम्र या चिकित्सा स्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योगदान CGHS पेंशनभोगियों के लिए संलग्न संशोधित परिशिष्ट A के अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार होगा।

3. यह एमओडी (वित्त) ID No. 362/AG/PD/03 dt 1.4.2003 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. रक्षा मंत्रालय (Fin/AG) - 2 कॉपी
2. The CGDA, नई दिल्ली
3. DGADS, नई दिल्ली
4. समस्त कमान मुख्यालय
5. CDA (C), पूर्ण
6. CDA (सेना) मेरठ
7. CDA (सेना) बेंगलौर

8.	CDA (सेना) जबलपुर		
9.	CDA (सेना) लखनऊ		
10.	CDA (सेना) पटना		
11.	CDA (सेना) गुवाहटी		
12.	CDA (सेना) पुणे		
13.	CDA (सेना) सिकंदराबाद		
14.	CDA (सेना) मुम्बई		
15.	CDA (सेना) देहरादून		
16.	AG's शाखा/CW - 3	-	300 कॉपी
17.	नौसेना मुख्यालय (PS Dte)	-	2 कॉपी
18.	वायु मुख्यालय (PS &)	-	3 कॉपी
19.	Dir (Fin/AG)	-	2 कॉपी
20.	DFA (B)	-	2 कॉपी
21.	DFA (N)	-	2 कॉपी
22.	DFA (वायु सेना)	-	2 कॉपी

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

1. CDA(सेना), बेंगलौर
2. CDA (WC), चंडीगढ़
3. CDA (सेना), पटना
4. CDA(SC), पुणे
5. CDA (सेना), मेरठ
6. CDA(NC), जम्मू
7. CDA(Officer), पुणे
8. CDA(नौसेना), बम्बई
9. CDA(AF), देहरादून
10. CDA (सेना), जबलपुर
11. CDA (सेना), सिकंदराबाद
12. CDA (सेना), लखनऊ
13. CDA (सेना), चेन्नई
14. CDA(HQ EC), कलकत्ता
15. CDA(AF), दिल्ली

अनुलग्नक 'A'

ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दरें

पेंशन/पारिवारिक पेंशन (रुपये प्रति माह)	अंशदान (रुपये में)
1500/- रुपये तक	1800/-
रु. 1501 से रु. 3000	4800/-
रु. 3001 से रु. 5000	8400/-
रु. 5001 से 7500	12000/-
रु. 7501 और ऊपर	18000/-

नोट :

1. ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पेंशनभोगियों/आश्रितों से पेंशनभोगियों/आश्रितों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार उनकी पेंशन के आधार पर ली जा सकती है।
2. जब कभी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS लाभार्थियों के लिए सदस्यता की दरों को संशोधित किया जाता है, तो ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दर उसी तिथि से संशोधित मानी जाएगी।
3. पेंशनभोगी ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के लिए वैसा ही एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसा कि सेवानिवृत्ति के समय देय वार्षिक अंशदान का 10 गुना अंशदान करके CGHS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करने वाले नागरिक पेंशनभोगी।

संख्या 18(17)/2011/US(WE)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2012

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या, 22(01)/01US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 और 22(01)/01/US(WE)/D(Res) dt 1 Apr 2003 के संदर्भ में, मुझे पैरा 2 में सरकार की स्वीकृति को निम्न प्रकार से देने का निर्देश दिया गया है:-

के लिये

यह योजना दिव्यांग पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों सहित पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पूर्व सैनिकों की चिकित्सा देखभाल के लिए, साथ ही आश्रितों में पत्नी/पति, वैध बच्चों और पूर्ण रूप से आश्रित माता-पिता, किसी भी प्रकार की स्थायी दिव्यांगता (शारीरिक या मानसिक) के साथ आश्रितों को शामिल करेगी। ईसीएचएस (ECHS) की हकदार श्रेणी आजीवन सुविधा या चिकित्सा उपचार के लिए पात्र होगी, इस योजना में निम्नानुसार शामिल होगा (बाकी कोई परिवर्तन नहीं)।

पढ़ें

यह योजना पेंशन प्राप्त करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा देखभाल की पूर्ति करेगी, जिसमें दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगी, साथ ही CGHS में लागू आश्रित भी शामिल हैं, इस योजना में निम्नानुसार शामिल होंगे (शेष कोई परिवर्तन नहीं)

2. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति UO No 31/04/2012.fin/pen dt 30 अक्टूबर 2012 के तहत जारी किया गया है।

के लिए कॉपी

1. MOD (सेना) के AG, IHQ
2. Mod (नौसेना) के Acpo,ihq
3. AOA, Air Hq (वायुभवन)
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)

आपका आभारी

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:-

1. सचिव, ESW के वरिष्ठ PPS
2. FA DS के PPS

3. JS (ESW) के PS

4. JS & अतिरिक्त! FA(RK) के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी

सभी PCsDA/CsDA

संख्या. 22D(03)/2015/WE/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 17 नवम्बर, 2016

सेवा में,
मैनेजिंग डायरेक्टर
केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)
मॉडेड लाइन्स, दिल्ली कैंट

विषय: ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के संबंध में स्पष्टीकरण

महोदय,

चंडीमंदिर में माननीय AFT चंडीगढ़ क्षेत्रीय खंडपीठ के JC-50078F पूर्व सूबेदार भगत सिंह द्वारा दायर, dt 19 Mar, 2015 को O.A. 2013 की संख्या 3980 और 2013 के CA संख्या 3980 में 2015 के MA (E) 3653 में dt 04.04.2016 के आदेश के अनुपालन में, मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec, 2002 के पैरा 2 में उल्लिखित पेंशन/दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों का मतलब केवल रक्षा लेखा नियंत्रक से पेंशन प्राप्त करना है।

2. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके ID No. 33(15)/2015/Fin/Pen dt 15.11.2016 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स 23014946

1. Addl. Dte Gen APS/APS.ID
2. JS (ESW) के PPS
3. DFA (पेंशन)

ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दरें

पेंशन/पारिवारिक पेंशन (रुपये प्रति माह)	अंशदान (रुपये में)
1500/- रुपये तक	1800/-
रु. 1501 से रु. 3000	4800/-
रु. 3003 से रु. 8000	8400/-
रु. 5001 से 7500	12000/-
रु. 7501 से अधिक	18000/-

नोट:

1. ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पेंशनभोगियों/आश्रितों से पेंशनभोगियों/आश्रितों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार उनकी पेंशन के आधार पर ली जा सकती है।
2. जब कभी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए सदस्यता की दरों को संशोधित किया जाता है, ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दर उसी तिथि से संशोधित मानी जाएगी।
3. पेंशनभोगी ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के लिए वैसा ही एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसा कि सेवानिवृत्ति के समय देय वार्षिक अंशदान का 10 गुना अंशदान करके CGHS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करने वाले नागरिक पेंशनभोगी।

संख्या. 22(01)/2011/WE/D(Res-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

दिनांक: 1 नवंबर 2018

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और भूतपूर्व सैनिक परिवार पेंशनभोगियों, जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र बल अस्पताल/ MI कक्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले जिलों में निवास कर रहे हैं, को ESMs को समायोजित करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) प्रदान करना

महोदय,

भारत सरकार के रक्षा पत्र संख्या 22(1)/01US(WE)/D(Ref) dt 30 Dec 2002 के पैरा 2(b) के आंशिक संशोधन में, मुझे भूतपूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों, जो ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य हैं और जो ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र सेना अस्पताल/ MI कक्षों को समायोजित करने के लिए अपग्रेड नहीं किए गए हैं, के अंतर्गत आने वाले जिलों में रहने वाले ESMs को, अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार निश्चित चिकित्सा भत्ता के भुगतान के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

2. भूतपूर्व सैनिकों (ESM) पेंशनरों और भूतपूर्व सैनिकों (ESM) परिवार पेंशनरों के लिए FMA की पात्रता कार्मिक, लोक अनुदान और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा जारी उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/25/2008-P&Pw(D) dt 19 Nov 2014 के निर्देशों के अनुसार शासित होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

3. भूतपूर्व सैनिक, स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस (ECHS)) सदस्यता सभी ESM पेंशनभोगियों और हकदार ESM परिवार पेंशनभोगिय, और 01 Apr 2003 को या उसके बाद सेवानिवृत्त, सेवामुक्त और मृत सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अनिवार्य है, ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता में उनका योगदान अप्रतिदेय है। 01 Apr 2003 से पहले के सभी सेवानिवृत्त लोगों के पास या तो उचित योगदान देकर और FMA के बंद करके ईसीएचएस (ECHS) योजना में शामिल होने का विकल्प है, या वह पहले की तरह FMA को जारी रख सकते हैं।

4. ईसीएचएस (ECHS) सदस्य होने के बावजूद, उपर्युक्त ESM पेंशनभोगियों और ESM परिवार पेंशनभोगियों के जिलों में रहने वाले, जहां कोई ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक या सशस्त्र बल अस्पताल या ESM को समायोजित करने के लिए उन्नत MI कमरा उपलब्ध नहीं है, FMA के और साथ ही IPD उपचार के भी पात्र होंगे।

5. FMA के भुगतान/ FMA की समाप्ति के लिए ईसीएचएस (ECHS) सदस्य का आवासीय पता उसके PPO में स्थायी पते के रूप में दर्शाया गया पता होगा।

6. इस आदेश के जारी होने की तिथि को जिन जिलों के लिए FMA का भुगतान किया जाना है, उनकी सूची इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। जिन जिलों के लिए PMA का भुगतान किया जाना है, उनकी सूची MD, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा PCs/RCs को हर साल 01 Jan को जारी की जाएगी और ईसीएचएस (ECHS) वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

7. **FMA का प्रारंभ/बहाली:**

जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस जिले में रहने वाले ईसीएचएस (ECHS) सदस्य जहां ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक/सशस्त्र बल अस्पताल/ ESMs को समायोजित करने के लिए अपग्रेड किया गया MI रूम उपलब्ध नहीं है, अपनी पेंशन वितरण एजेंसी (PDA)/अधिकृत पेंशन वितरण बैंक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में निकटतम स्टेशन मुख्यालय को तीन प्रतियों में एक आवेदन जमा करके FMA भुगतान शुरू करने की मांग कर सकते हैं। स्टेशन मुख्यालय ईसीएचएस (ECHS) सदस्य के आवासीय पते की जांच करेगा और FMA के पते में जिले की प्रयोज्यता को सत्यापित करेगा और निर्धारित प्रारूप में आवेदन पर FMA के प्राधिकरण की पुष्टि करेगा। उक्त आवेदन का वितरण निम्नानुसार होगा:

(a) **ओरिजिनल कॉपी।** आवेदन की मूल प्रति PCDA (पेंशन), इलाहाबाद कार्यालय, O/o पुणे O/o PCDA (नौसेना और तट रक्षक) मुंबई, O/o JCDA (AF) नई दिल्ली-10 ("जैसा लागू हो" और "अन्य सेवाओं/स्थापना के ईसीएचएस सदस्य से संबंधित समान कार्यालय") को स्टेशन मुख्यालय द्वारा PPO में अनुमोदन/शुद्धिपत्र PPO जारी करने/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए भेजी जाएगी।

(b) **डुप्लीकेट कॉपी।** डेटा बेस में PDF प्रारूप में इसे अपलोड करने के लिए स्टेशन मुख्यालय द्वारा डुप्लीकेट कॉपी संबंधित क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को अग्रेषित की जाएगी और उसके बाद हार्डकॉपी को संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेखित पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड को रखा गया है।

(c) **ट्रिपल कॉपी।** प्रारूप के अनुसार जिले के सत्यापन के साथ विधिवत पृष्ठांकित स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस (ECHS) सेल) द्वारा तीन प्रतियों की प्रति ESM को वापस कर दी जाएगी।

8. PCDA (पेंशन) इलाहाबाद के कार्यालय, PCDA (नौसेना और तटरक्षक) मुंबई के मूल आवेदन के आधार पर, कार्यालय JCDA (वायुसेना) नई दिल्ली-10 ("जैसा लागू हो और अन्य सेवा/स्थापना के ईसीएचएस (ECHS) सदस्य के प्रति टेंटिंग के समान कार्यालय"), बैंकों/ DODO आदि के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा उल्लिखित पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए PPO में FMA और अनुमोदन को मंजूरी देगा / शुद्धिपत्र PPO जारी करेगा।

9. **OPD सुविधाओं की समाप्ति।** एक ESM जो FMA निकाल रहा है वह ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक और सशस्त्र बल अस्पताल में OPD सुविधा का हकदार नहीं होगा। वह OPD में इलाज के लिए पैनल में शामिल सुविधाओं के लिए रेफरल के लिए भी पात्र नहीं है। ESM के स्मार्ट कार्ड पर उसके लिए उपलब्ध सुविधा के बारे में इस तरह के विवरण के साथ पृष्ठांकित किया जाएगा। OPD की समाप्ति की तारीख अगले दूसरे महीने का पहला दिन होगी जिसमें पेंशनभोगियों ने आवेदन जमा किया है जैसे कि 1 May से 31 May के दौरान जमा किए गए सभी आवेदनों के लिए आसान OPD 1 Jul से बंद हो जाएगी।

10. **FMA की समाप्ति।** PDA /बैंक द्वारा जिले में एक नया पॉलीक्लिनिक खोलने की स्थिति में FMA की समाप्ति ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के संचालन के संबंध में कमांड और नियंत्रण की मौजूदा श्रृंखला के माध्यम से CO, ईसीएचएस (ECHS) द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर आधारित होगी। अगले महीने से, जिसमें ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक चालू है, जिले में स्थायी रूप से रहने वाले उपरोक्त पेंशनभोगियों के लिए FMA की पात्रता समाप्त हो जाएगी। अधिक भुगतान किया गया कोई भी FMA उसकी बाद की पेंशन संबंधी पात्रता से वसूल किया जाएगा। ASM के ईसीएचएस (ECHS) कार्ड को FMA की स्थिति और उसे उपलब्ध चिकित्सा सुविधा पर अपडेट किया जाएगा।

11. ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे।

12. यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके UO No. 33 (145)/12 FP dt 5-10-2018 के तहत है।

आपका आभारी,

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. MoD(सेना) के AG, HQ
2. MoD(नौसेना) के COP,
3. AOA, वायु HQ (VB) के IHQ
4. CGDA, नई दिल्ली
5. MD, ईसीएचएस (ECHS)
6. DGADS

की जानकारी के लिए कॉपी

1. RM के SO
2. RRM के PS
3. सचिव ESW के PPS
4. FA,(DS) के PPS
5. JS(ESW) के PS
6. Addl, FA & JS (RK) MoD(Fin) के PS

संख्या 22D(01)/2016WE/D(Res-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 Aug, 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय : एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के लिए औषधियों एवं उपभोग्य सामग्रियों की प्राप्ति की प्रक्रिया में संशोधन

महोदय,

दवाओं की आपूर्ति के संबंध में दिग्गजों का प्रतिनिधित्व है, DGAFFMS ने ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए दवाओं की खरीद के उत्पादन के संशोधनों की एक श्रृंखला शुरू की है। सभी हितधारकों के साथ बैठक की गई है और उचित विचार-विमर्श के साथ पैनल में शामिल स्थानीय केमिस्ट के माध्यम से दवाओं की खरीद के लिए CGHS के अधिकृत स्थानीय केमिस्ट मॉडल के अनुरूप एक प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(10)/03/US(WE)/D(Res) dt 25 Nov के संदर्भ में, मुझे ईसीएचएस (ECHS) के लिए आकस्मिक, जीवन रक्षक और आवश्यक गैर-उपलब्ध दवाओं की स्थानीय खरीद के संबंध में पैरा 72 से 25 के संशोधन और पैरा 26 को जोड़ने पर सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है: -

के लिए

पैरा 17 से 25 : मौजूदा

पढ़ें

17. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक वाले सभी स्टेशनों में स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट को आवश्यक आधार पर उपलब्ध आकस्मिक जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

18. स्थानीय मेडिकल स्टोर केमिस्टों का पैनल स्टेशन कमांडर द्वारा गठित अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल होंगे:-

अध्यक्ष - स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत SO ईसीएचएस (ECHS)/कर्मल रैंक अधिकारी।

- सदस्य - लेफ्टिनेंट कर्नल (नॉन मेडिकल) स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत
- स्टेशन कमांडर द्वारा विस्तृत क्षेत्रीय सेटर संबंधित/चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त डायरेक्टर अस्पताल सेवाएं
- IFA/PCDA/CDA के प्रतिनिधि

19. ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक के साथ पैनल में शामिल करने के लिए अधिकारियों का बोर्ड स्थानीय प्रेस और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल और स्थानीय मेडिकल स्टोर्स/केमिस्टों में विज्ञापन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करेगा। बोर्ड निविदा पूछताछ के अनुसार तकनीकी मानकों की जांच करेगा। बोर्ड न्यूनतम 15% QR के साथ आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाओं के लिए MRP पर छूट की अधिकतम समग्र राशि के आधार पर L1 विक्रेता के पास पहुंचेगा। निविदाएं बोली जाएंगी और कुल छूट का आंकड़ा अलग-अलग दवाओं की संख्या की परवाह किए बिना दिया गया है। बोर्ड L2 और L3 विक्रेताओं के समानांतर दर अनुबंध पर विचार करेगा और अनुशंसा में उनके नाम शामिल करेगा कि वे विक्रेता L1 दरों के लिए सहमत हैं। अधिकारियों का बोर्ड अनुमोदन के लिए स्टेशन कमांडर को स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट की अनुशंसा सूची प्रस्तुत करेगा। अनुबंध पर दो साल की अवधि के लिए स्टेशन मुख्यालय द्वारा अनुमोदित स्थानीय मेडिकल स्टोर / केमिस्ट के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे। विस्तृत नियम और शर्तें, निविदा पूछताछ के प्रारूप और अनुबंध सीजीएचएस टीई और अधिकृत स्थानीय केमिस्ट के अनुबंध पर आधारित होंगे। एक ही शहर में सभी CGHS अधिकृत केमिस्ट को पैनल में शामिल माना जाएगा, यानी, TE में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टेशन कमांडर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

20. अगर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित दवा अनुपलब्ध है, जैसा कि पुष्टि की गई है कि पॉलीक्लिनिक के मेडिकल स्टोर में स्टॉक है, तो पॉलीक्लिनिक व्यवसाय के प्रभारी अधिकारी को सूचीबद्ध स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट से मांग की जाती है। मामले का प्रबंधन करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पर्चे द्वारा मांग का समर्थन किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में, चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक दवा के बदले पॉलीक्लिनिक मेडिकल स्टोर में कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है। आपके साथ ब्रांडेड दवाओं के बारे में केवल चिकित्सीय औचित्य के बारे में बताया जाएगा। मांग प्राप्त होने पर, स्थानीय मेडिकल स्टोर केमिस्ट पॉलीक्लिनिक को आवश्यक आपूर्ति करेगा, घटनाओं को अधिमानतः ऑनलाइन स्थानीय केमिस्ट को सूचीबद्ध किया जाएगा और CGHS अनुबंध के अनुसार समय सीमा का पालन किया जाएगा।

21. पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर/केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के बिल पॉलीक्लिनिक द्वारा की गई मांग की एक प्रति के साथ पॉलीक्लिनिक के प्रभारी अधिकारी को मासिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे। प्रभारी पॉलीक्लिनिक अधिकारी उचित सत्यापन के बाद दवाओं / उपभोग्य सामग्रियों की प्राप्ति को प्रमाणित करेगा और समेकित बिलों को अगले महीने की 5 तारीख तक स्टेशन मुख्यालय को अग्रेषित करेगा जो स्टेशन कमांडर उपयुक्त CFA की मंजूरी के साथ भुगतान जारी करने के लिए इसे संसाधित करेगा।

22. पैनल में शामिल स्थानीय केमिस्ट से दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के खाते का भुगतान स्टेशन कमांडर के निपटान में रखे गए नकद असाइनमेंट से और चिकित्सा व्यय के भुगतान और प्रतिपूर्ति के संबंध में, किया जाएगा और भारत सरकार के पत्र संख्या 24(3)/03/US/(WE)/D/(Res)(i) dt 08 Sep 03 के परिशिष्ट के पैरा 1 के तहत प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) द्वारा आवश्यक धन को स्टेशन कमांडरों के निपटान में रखा जाएगा। भुगतान

चेक/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान द्वारा किया जाएगा।

23. व्यय के लिए मौद्रिक सीमा निम्नानुसार घोषित की गई है:

टाइप A और B पॉलीक्लिनिक्स :	2.5 लाख रुपये प्रति माह
टाइप C पॉलीक्लिनिक :	1.5 लाख रुपये प्रति माह
टाइप D पॉलीक्लिनिक :	1 लाख रुपये प्रति माह

इस सीमा से अधिक के किसी भी व्यय को CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो CO ईसीएचएस (ECHS) अन्य पॉलीक्लिनिक से आवश्यक धनराशि को फिर से लागू कर सकता है।

24. स्थानीय केमिस्ट से मांगी गई दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की सूची के साथ-साथ इंडेंट की गई मात्रा में पॉलीक्लिनिक इंडेंट SEMO शामिल होगा जब देय होगा।

25. पैनल में शामिल स्थानीय मेडिकल स्टोर्स/केमिस्टों से दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद पर होने वाले खर्च की निगरानी अलग से संबंधित राजस्व मद के तहत की जाएगी।

26. पॉलीक्लिनिक इस प्रकार की सभी खरीद के लिए एक अलग से खाता बनाएगी। सभी दैनिक लेनदेन को मेन्टेन किया जायेगा और जरूरी दवाएं दिए जाने वाले रोगियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। रिकॉर्ड की जाँच स्टेशन कमांडर द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा की जाएगी और हर तीन महीने में स्थानीय लेखा परीक्षा अधिकारी (LAO) द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

4. बिना किसी परिवर्तन के शेष पत्र, संशोधन CO ईसीएचएस (ECHS) द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा।

5. सेवा अस्पतालों में स्टॉक की स्थिति के लिए पैरा 15 प्रति 10 में अनुरक्षित अनुपलब्ध दवाएं और पैरा 17 और पैरा 20 में अनुपलब्ध दवाओं पर लागू नहीं होंगी क्योंकि यह पॉलीक्लिनिक के रूप में राज्य से संबंधित है।

6. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति के साथ उनके U.O. No. 10(3)/2016/FIN/Pen dt 3.8.17 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी

(ए.के. कर्ण)

उपसचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:-

1. CGDA, नई दिल्ली	25. ADG C&W
2. DGADS, नई दिल्ली	26. DG (कार्य), E-IN-C शाखा
3. रक्षा सचिव के SO/ सचिव, ESW के PPS	27. ADG (FP)
4. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS	28. सभी कमान मुख्यालय

5. AS (अधिग्रहण) के PPS
6. AS (T) के PPS / AS(I) के PPS
7. अतिरिक्त FA (RK) & JS
8. JS (ESW)/JS (O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/ AG)
10. रक्षा (वित्त /AG/PD)
11. DFA(B)/DFA(N)/DFA(वायु सेना)
12. AFA (B-1)
13. D(कार्य)/D(Mov)/D(Med)
14. O&M इकाई

के लिए भी कॉपी:-

15. DGAFMS
16. DGDE, नई दिल्ली
17. DGD C&W
18. QMG
19. DGMS
20. DGMS(Air)
21. DGMS(नौसेना)
22. AOA
23. COP
24. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)

29. AG शाखा / CW-3
30. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
31. वायुसेना मुख्यालय (PS & R)
32. CGHS निर्माण भवन, ALC को उपयुक्त निर्देशों का उपयोग करने के लिए

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:-

33. PCDA (सेना), बेंगलूर
34. PCDA(WC), चंडीगढ़
35. CDA(सेना), पटना
36. PCDA (SC), पुणे
37. CDA(सेना), मेरठ
38. PCDA(NC), जम्मू
39. PCDA(अधिकारी), पुणे
40. PCDA(नौसेना), बोम्बे
41. PCDA(AF), देहरादून
42. CDA(सेना), जबलपुर
43. CDA(सेना), सिकंदराबाद
44. PCDA(सेना), लखनऊ
45. CDA(सेना), चेन्नई
46. CDA(सेना), कलकत्ता
47. CDA(AF), दिल्ली
48. CDA(सेना), गुवाहटी

संख्या 22D(04)/2010/WE/D(RES-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 दिसंबर 2017

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) अंशदान की संशोधित दरें और पैनल में शामिल अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं में वार्ड की पात्रता।

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र N22(16)/05/US(WE)/D(Res) dt 19 Jul 2005 और 22D(04)/10/US(WE)/D(Res) dt 8 Aug, 2011 के अधिक्रमण में, मुझे ESM और वार्ड पात्रता द्वारा भुगतान किए जाने वाले ECI-अंशदान की दर को संशोधित करने के लिए सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

क्रमांक	श्रेणी	एकमुश्त योगदान	वार्ड पात्रता
(a)	नौसेना और वायुसेना में हवलदार और समकक्ष के लिए भर्ती	रु. 30,000/-	सामान्य
(b)	नौसेना और वायुसेना में नायब उप / उप / उप मेजर या समकक्ष (माननीय नायब उप / MACP नायब उप और माननीय लेफ्टिनेंट / कैप्टन सहित)	रु. 67,000/-	अर्ध निजी
(c)	सभी अधिकारी	रु. 1,20,000/-	निजी

2. संशोधित आदेश इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके Io संख्या 32(09)/2016/Fin/Pen dt 22-11-2017 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी :

1. MoD (सेना) के AG,IHQ
2. CGDA, नई दिल्ली
3. MD, ईसीएचएस (ECHS)

(ए. के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी :

1. RM के PS
2. RRM के PS
3. सचिव, ESW के PPS
4. JS(ESW) के PS
5. अतिरिक्त FA (RK) & JS के PS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी :

1. सम्बंधित PCsDA/CsDA

फाइल संख्या 18(114)/2017/WE/D(Res-I)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

कमरा नंबर 221, बी विंग,

सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 18 सितंबर, 2019

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी के लिए घरेलू चिकित्सा उपकरण।

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03US/(WE)/D(Res) dt 19 Dec, 2003 और रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22A(37)/2018/WE/D (Res-I) dt Jan 2019 द्वारा संशोधित के संदर्भ में, मुझे निवास के लिए चिकित्सा उपकरणों के संबंध में पत्र दिनांक 19-12-2003 के पैरा 9 के संशोधन पर सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है।

2. के लिए

पैरा 9 (g)

CGHS के तहत अधिकृत नेबुलाइजर, CIPAP/BIPAP मशीन और ग्लूकोमीटर आदि सहित चिकित्सा उपकरण सदस्यों को जारी किए जाएंगे, जब विशेषज्ञ की सिफारिशों पर और वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार द्वारा अनुमोदित ऐसे उपकरणों का उपयोग चिकित्सा आधार पर अत्यंत आवश्यक माना जाता है। संबंधित विशेषता जिसके अंतर्गत पॉलीक्लिनिक का अधिकार क्षेत्र स्थित है। उपकरण की खरीद OIC पॉलीक्लिनिक द्वारा विशेष मांग के माध्यम से की जाएगी। OIC पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था के तहत उपकरणों के लिए उपभोग्य सामग्रियों को जारी किया जाएगा। मरम्मत और वार्षिक रखरखाव अनुबंध पर लागत सदस्यों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी।

पढ़ें

पैरा 9 (g)

- (i) नेबुलाइजर्स, CIPAP/BIPAP मशीन, ऑक्सीजन कंसंटेटर और ग्लूकोमीटर आदि सहित चिकित्सा उपकरण CGHS के तहत अधिकृत सदस्यों को जारी किए जाएंगे, जब इस सेवा विशेषज्ञ / सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ की सिफारिशों पर घर पर ऐसे उपकरणों का उपयोग चिकित्सा आधार पर अत्यंत आवश्यक माना जाता है। उपकरण OIC CGHS पॉलीक्लिनिक द्वारा एक विशेष मांग के माध्यम से

कमांडेंट / CO सेवा अस्पतालों द्वारा खरीदे जाएंगे। OIC पॉलीक्लिनिक की व्यवस्था के तहत उपकरणों के लिए उपभोग्य सामग्रियों को जारी किया जाएगा। मरम्मत और वार्षिक रखरखाव की लागत ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी और ई प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी।

- (ii) उपरोक्त के अलावा अन्य चिकित्सा उपकरण जैसे इंसुलिन पंप आदि जो CGHS लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं जिनके लिए कोई CGHS सीलिंग दर मौजूद नहीं है और सेवा विशेषज्ञ / सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ द्वारा ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए घरेलू उपयोग के लिए अनुशंसित हैं, को Mod के पैरा 5; आदेश संख्या 22A(37)/2018/WE/D(Res-I) dt 15-1-2019, के तहत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

3. CGHS अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा लागू होगी।

4. **व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति: पूर्व अनुमति प्रदान करना।**

सेवा विशेषज्ञ/सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ, जिसके लिए CGHS अधिकतम दरें उपलब्ध हैं, द्वारा सलाह दी गई घरेलू चिकित्सा उपकरणों के लिए पूर्व अनुमति और प्रतिपूर्ति के लिए व्यक्ति को CGHS उच्चतम दरों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। CGHS सीलिंग दरों वाले घरेलू चिकित्सा उपकरणों के दस्तावेज पॉलीक्लिनिक में जमा किए जाएंगे और उपरोक्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

5. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति से उनके U.O. No. 32(41)/2017/Fin/Pen dt 3-9-2019 के तहत जारी किया जाता है।

के लिए कॉपी :

आपका आभारी,

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा/वित्त) के PPS
4. AS (अधिग्रहण) के PPS
5. JS(ESW)
6. JS(O/N)
7. डायरेक्टर (वित्त/AG)
8. DFA(पेंशन)
9. AFA(B-1)
10. D(चिकित्सा)
11. O&M इकाई
12. DGADS

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव (WE)

के लिए भी:

13. DGAFMS
14. DGS C&W
15. QMG

22B(04)/2010/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक: 18 फरवरी, 2011

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय : एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS) के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के समापन की प्रक्रिया

महोदय,

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(9)/03/US(WE/D(Res) dt 16 Jun 04 के संदर्भ में, मुझे सरकार की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि "इस पत्र के परिशिष्ट A में वर्णित अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों के पैनेल के लिए प्रक्रिया का पालन तत्काल प्रभाव से ईसीएचएस (ECHS) द्वारा किया जाएगा।
2. यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(9)/03/US(WEY/D(Res) dt 16 Jun 04 का स्थान लेता है।
3. जब भी आवश्यक समझा जाएगा इस प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।
4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. No. 580/F/P/1 dt 10 Feb, 2011 के तहत जारी किया गया है।

आपका आभारी

के लिए कॉपी:

1. CGDA, नई दिल्ली
2. MD, ईसीएचएस (ECHS)
3. सचिव ESW के PPS
4. सचिव Def (Fin) के PPS
5. JS (ESW)
6. JS & अतिरिक्त FA.MoD
7. रक्षा सचिव के SO
8. रक्षा (वित्त)
9. DEA (Pen)

हस्ताक्षरित

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

सभी PCsDA/CSDA

परिशिष्ट A

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) पत्र संख्या 22B(04) 2010 US(WE) D(Res

दिनांक: 18 फरवरी, 2011

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस (ECHS) के लिए

नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के पैनेल के लिए प्रक्रिया)

1. एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, (ईसीएचएस (ECHS)) के लिए ईसीएचएस (ECHS) द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को पैनेल में शामिल करने की प्रक्रिया, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है, का पालन किया जाएगा।
2. **विज्ञापन।** प्रमुख समाचार पत्रों (क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा) में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा जिसमें अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के पैनेल के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। विज्ञापन केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS), अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा वर्ष में एक बार Jan के महीने में डाले जाएंगे। अस्पताल का पैनेल बनाना एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें पैनेल के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संसाधित किया जाएगा।
3. **पैनेल में शामिल करने के लिए आवेदन।** ईसीएचएस (ECHS) के लिए चिकित्सा सुविधाओं के पैनेल के लिए एक मानक आवेदन पत्र ईसीएचएस (ECHS) द्वारा रुपये की मामूली राशि पर उपलब्ध कराया जाएगा। 1000/- क्षेत्रीय केंद्रों/पॉलीक्लिनिकों पर। एनएबीएच को देय शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) के साथ प्रारूप के अनुसार विधिवत रूप से पूरा किया गया आवेदन पत्र अस्पताल / डायग्नोस्टिक सेंटर और नर्सिंग होम द्वारा उस क्षेत्रीय केंद्र में जमा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अस्पताल स्थित है। साथ ही आवेदक अस्पताल/निदान केंद्र द्वारा सॉफ्ट कॉपी (ईसीएचएस (ECHS) वेबपेज में उपलब्ध) में एक आवेदन भी भरा जाएगा। प्रारंभिक जांच के बाद आवेदन को क्षेत्रीय केंद्र द्वारा NABH को केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के माध्यम से अस्पताल का मूल्यांकन शुरू करने के लिए भेजा जाएगा।
4. **बयाना राशि जमा (EMD)।** पैनेल में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले सभी अस्पताल संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में EMD के रूप में 1.00 लाख रुपये जमा करेंगे। EMD MOA पर हस्ताक्षर करने के लिए एक जमानत है और MOA पर हस्ताक्षर के समय वापस कर दी जाएगी।
 - a) यदि तकनीकी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो बयाना राशि वापस कर दी जाएगी।
 - b) यदि गलत सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर निरीक्षण के बाद आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि नियत समय में वापस कर दी जाएगी।
 - c) यदि आवेदक अस्पताल/निदान केंद्र समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो बयाना राशि का 50% जब्त कर लिया जाएगा।

5. **मूल्यांकन प्रक्रिया।** NABH, ई-आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व निर्धारित मापदंडों पर अस्पताल का मूल्यांकन शुरू करेगा। NABH की रिपोर्ट 45 दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय संगठन को प्राप्त हो जाएगी। अनुशंसित अस्पतालों की यह रिपोर्ट क्षेत्रीय केंद्र से प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी।

6. **आवेदनों की प्रोसेसिंग:** केंद्रीय संगठन आवेदन और NABH रिपोर्ट संकलित करेगा और MD, ईसीएचएस (ECHS) की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति मासिक आधार पर आवेदनों की जांच करेंगे। केंद्रीय संगठन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और स्क्रीनिंग कमेटी के कार्यवृत्त के साथ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के मिनटों के साथ-साथ ESW विभाग को रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से सरकार के आदेश जारी करने के लिए आगामी माह की 15 तारीख तक सरकारी आदेशों का मसौदा भेजेगा।

(a)	MD (ईसीएचएस (ECHS))	- अध्यक्ष
(b)	रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि (Do ESW) (Dir/Ds से कम नहीं)	- सदस्य
(c)	रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ((Fin/Pen)	- सदस्य
(d)	डायरेक्टर (चिकित्सा)	- सदस्य
(e)	जॉइंट डायरेक्टर (Med)	- सदस्य-सचिव

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 22B(02)/2013/US(WE)/D(Res) dt 18 अक्टूबर 2013 और संख्या 22B(02)/2013/US(WE)/D(Res) दिनांक 23 अक्टूबर 2013 के तहत संशोधित)।

7. **अनुबंध की अवधि और शर्तें।** MOD के अनुमोदन के बाद, मानक ईसीएचएस (ECHS) प्रारूप के अनुसार समझौता ज्ञापन (MOA) पर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संबंधित अस्पतालों/नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे। पैनल में शामिल होने की अवधि दो साल के लिए वैध होगी। यदि अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) के अनुमोदन से आपसी सहमति से MOA का विस्तार किया जा सकता है। किसी पैनलबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही के मामले में, क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संबंधित पैनल में शामिल सुविधा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन पर पैनल में शामिल होने का अनुबंध/कोन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया जाएगा।

8. सभी NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को ईसीएचएस (ECHS) में सूचीबद्ध माना जाएगा। यानी उन्हें NABH मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन को संसाधित करने के लिए सीधे केंद्रीय संगठन को आवेदन करना होगा।

9. **भुगतान प्रक्रिया।** अस्पतालों/नर्सिंग होम्स और डायग्नोस्टिक्स को भुगतान रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(8)/03/US(WE)/D(Res) dt 19 Dec 03 में निर्धारित अनुसार किया जाएगा।

10. प्रदर्शन बैंक गारंटी

(a) CGHS शहरों में अस्पतालों को मूल्यांकन के बाद पैनल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, उन्हें कुशल सेवा सुनिश्चित करने और किसी भी चूक के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी:

- (i) पैनलबद्ध अस्पताल - 2 लाख रुपये
- (ii) अन्य पैनलबद्ध सुविधाएं - रु. 0.50 लाख

(b) गैर- CGHS इलाकों में अस्पताल, जिन्हें मूल्यांकन के बाद पैनल में शामिल करने की सिफारिश की गई है, को कुशल सेवा सुनिश्चित करने और किसी भी चूक से बचाव के लिए पैनल की अवधि के लिए वैध प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी:

- (i) पैनलबद्ध अस्पताल - 1 लाख
- (ii) अन्य पैनलबद्ध सुविधाएं - 0.25 लाख

(भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 22B(02)/2010/US(WE)/D(Res) dt 19 Nov 2012 का न्यूनतम द्वारा संशोधित,))।

11. **ईसीएचएस (ECHS)** के तहत पहले से सूचीबद्ध अस्पतालों के मामले में, उन्हें एक नई प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी

12. **विवादों का निपटारा।** यदि क्षेत्रीय केंद्र और पैनल में शामिल अस्पताल के बीच कोई विवाद होता है। डायग्नोस्टिक सेंटर या नर्सिंग होम, संबंधित पैनल में शामिल सुविधा को एक उच्च स्तर पर अपील करने का अधिकार है। वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों के लिए काल्पनिक और बाध्यकारी होगा। किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थता पैनलबद्ध सुविधा और क्षेत्रीय केंद्र के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार की जाएगी।

13. **डी-रिकग्निशन/डी पैनलमेंट।** यदि डायग्नोस्टिक सेंटर का कोई पैनलबद्ध अस्पताल, नर्सिंग होम कदाचार, अनैतिक व्यवहार या चिकित्सा लापरवाही में लिप्त पाया जाता है, तो मामले की जांच क्षेत्रीय केंद्र द्वारा की जाएगी। पैनल से बाहर किए जाने का मामला शुरू होने से पहले पैनल में शामिल सुविधा को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

14. **असंबद्धता के लिए अधिकार ।** रक्षा मंत्रालय, जो पैनल में शामिल होने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है, उसे पैनल से बाहर करने का अधिकार होगा।

फाइल संख्या 22D(09)/2013/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 26 जुलाई 2016

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए इन-पेशेंट उपचार और पोस्ट-ऑपरेटिव अनुवर्ती उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं।

महोदय,

रक्षा मंत्रालय को दिनांक 21 अगस्त, 2013 के समसंख्यक पत्र के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में किए गए उपचार की प्रतिपूर्ति की नीति के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है।

2. सभी सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को पैनलबद्ध माना जाता है।
3. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी जिनके पास वैध ईसीएचएस (ECHS) कार्ड है, जिस पर वे आश्रित हैं, वे सरकार से उपचार प्राप्त करने के पात्र होंगे। (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (केवल कैंसर का इलाज) और ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें (अर्थात् वे पॉलीक्लिनिक से रेफरल प्राप्त किए बिना उपचार का लाभ उठा सकते हैं)
4. वैध ईसीएचएस (ECHS) कार्ड रखने वाले ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी (केंद्रीय/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र अंग प्रत्यारोपण सर्जरी, घुटने और कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन, कैंसर के उपचार, न्यूरोसर्जरी और कार्डियक सर्जरी के मामलों में सरकार से उपचार और पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो-अप उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, इन अस्पतालों में निर्दिष्ट उपचार के लिए ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से रेफरल की आवश्यकता होगी और एक बार में अनुवर्ती उपचार के लिए 3 से महीने के लिए जारी किया जाएगा और अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सलाह के अनुसार चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची इस पत्र के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।
5. OPD दवाएं संबंधित ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से एक बार में अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए प्राप्त की जाएंगी।
6. वे सरकारी (केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी) अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, जो ईसीएचएस (ECHS) के साथ निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुनते हैं, कैशलेस उपचार प्रदान करेंगे। ईसीएचएस (ECHS) के साथ समझौता ज्ञापन का विकल्प नहीं चुनने वाले अस्पतालों के संबंध में मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। कैशलेस उपचार के लिए MoA पर हस्ताक्षर होने पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- a) अस्पताल बिलों को मूल रूप में संलग्न करेगा, ईसीएचएस (ECHS) कार्ड की प्रति, डिस्चार्ज सारांश, जांच रिपोर्ट और प्रत्यारोपण के मामले में चालान और पहचान स्टिकर की प्रति और स्टैंट के मामले में पहचान स्टिकर

और बाहरी पाउच। बिल संबंधित क्षेत्रीय केंद्र ईसीएचएस (ECHS) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

b) बिलों को स्कैन किया जाएगा और अस्पताल द्वारा UTI-ITSL वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। UTI-ITSL डेटा अपलोड करने और प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अस्पतालों को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करेगा।

c) सरकारी अस्पतालों को किए गए भुगतान पर दस दिनों के भीतर जल्दी भुगतान करने पर 2% की छूट नहीं दी जाएगी।

d) ईसीएचएस (ECHS), जहां भी लागू हो, UTI-ITSL को प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करेगा।

7. इन अस्पतालों में इलाज के लिए CGHS पैकेज दरें लागू नहीं हैं। इन अस्पतालों में ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति वार्ड पात्रता के अनुसार संबंधित अस्पताल की दरों के अनुसार की जाती है, सिवाय उन मदों के, जिनके लिए ईसीएचएस (ECHS) के तहत अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं (जैसे IOL, घुटने, संयुक्त प्रत्यारोपण, कार्डिएक प्रत्यारोपण आदि)।

8. अधिकतम दरों और/या वार्ड पात्रता से अधिक व्यय के मामले में, ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को राशि के अंतर का भुगतान स्वयं के संसाधनों से करना होगा और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। लागू अधिकतम दरें [www.ईसीएचएस \(ECHS\).gov.in](http://www.ईसीएचएस(ECHS).gov.in) वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रत्यारोपण के मामले में जो सूचीबद्ध नहीं हैं, लाभार्थियों को सलाह दी जाएगी कि वे इलाज कराने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करें

9. नीति इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

10. इस पत्र की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त अस्पतालों की प्रक्रिया के तहत सभी लंबित बिलों को संसाधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एकमुश्त उपाय के रूप में प्रदान की जाती है। निपटाए गए बिल दोबारा नहीं खुलेंगे।

11. इसे उनके UO No. 33(75)/2013/Fin/Pen dt 25-7-2016 के तहत Def/Fin की सहमति से जारी किया जाता है।

आपका आभारी,

के लिए कॉपी:

1. RM के PPS
2. RRM के PPS
3. CGDA, नई दिल्ली
5. MoD (सेना) के AG, IHQ
6. MoD (नौसेना) के COP, IHQ
7. MoD (IAF) के AOA,
8. MD ईसीएचएस (ECHS) के IHA

(एच.के. मलिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

की जानकारी के लिए कॉपी:

1. सचिव, ESW के PPS
2. JS (ESW) के PPS
3. Addl. FA & JS(DR) के PPS

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

1. PCDA/CDA

भारत सरकार/ रक्षा मंत्रालय का परिशिष्ट पत्र संख्या
22D(09)/2013/US(WE)/D(Res)
दिनांक: 26-7-2016

संबंधित मंत्रालयों की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित सूचियों में संशोधन किया जा सकता है:

A. **केवल कैंसर उपचार के लिए क्षेत्रीय कैंसर केंद्र।** राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित।

1. मेहदी नवाज जंग (MNJ) इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, रेड हिल्स, हैदराबाद
2. डॉ भुवनेश्वर बोरुआ (BB.) कैंसर संस्थान, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी
3. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना
4. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMIR), चंडीगढ़
5. पं. जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज और आरसीसी, रायपुर
6. भारतीय रोटरी कैंसर संस्थान, (A.I.I.M.S.), अंसारी नगर, नई दिल्ली
7. गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, न्यू सिविल हॉस्पिटल कंपाउंड, असवाड़ा अहमदाबाद
8. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, पं बी.डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS), रोहतक
9. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला।
10. शेर-एल-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (SKIMS), सौरा, श्रीनगर
11. सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू और कश्मीर
12. किडवाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, होसुर रोड, बेंगलोर।
13. क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, मेडिकल कॉलेज कंपाउंड, PO नंबर 2417 तिरुवनंतपुरम
14. कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, जन विकास न्यास, मांड्रे की माता, ग्वालियर।
15. टाटा मेमोरियल अस्पताल, अर्नेस्ट बोर्जेस मार्ग, परेल, मुंबई
16. राष्ट्र संत टुकडोजी (RST), क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल, टुकडोजी चौक, मानेवाड़ा रोड, नागपुर
17. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS), लम्फेलपत, इंफाल
18. सिविल अस्पताल, आइजोल
19. आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, मंगलबाग, कटक
20. जिपमर, पुडुचेरी कैंसर केयर सोसाइटी, पुडुचेरी।
21. आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट और अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय कैंसर केंद्र), S.P. मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
22. क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (WIA), अड्यार, चेन्नई
23. गवर्नमेंट अरिग्नार अन्ना मेमोरियल कैंसर अस्पताल, करापेट, काचीपुरम।
24. सिविल अस्पताल, अगरतला
25. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, हासिमपुर रोड, इलाहाबाद।
26. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआईएमएस), रायबरेली रोड, लखनऊ
27. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, S.P. मुखर्जी रोड, कोलकाता

टेली: 25683479
मिल: 36833

केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)
एडजुटेंट जनरल की शाखा
एकीकृत मुख्यालय
रक्षा मंत्रालय (सेना)
मौड लाइन्स
दिल्ली कैंट-110010

B/49770/AG/ECHS/Policy/2016

31 अगस्त 2016

MoD (नौसेना) का IHQ/ डायरेक्टर ईसीएचएस (ECHS) (N)
वायु मुख्यालय (वीबी)/डीपीएस
मुख्यालय दक्षिणी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय पूर्वी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय पश्चिमी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय मध्य कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय उत्तरी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))
मुख्यालय अंडमान और निकोबार कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

**ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों के लिए रोगी उपचार
और पोस्ट-ऑपरेटिव अनुवर्ती उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाएं**

1. कृपया भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का पत्र संख्या 22D(09)/2013/US (WE)/D (Res) dt 26 Jul 16 (प्रतिलिपि संलग्न) देखें।
2. ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे संदर्भ के तहत पत्र के पैरा 4 में सूचीबद्ध शर्तों के लिए केंद्र/राज्य/स्थानीय स्व-सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए एक रेफरल लेते हैं। यह बेहतर होगा कि वे उन अस्पतालों में सभी नियोजित उपचार के लिए एक रेफरल लें क्योंकि आसपास के ऐसे अस्पतालों की सूची ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध होगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी को दावे की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई न हो,
3. रेफरल देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी को IOL, घुटने के जोड़/कूल्हे के संयुक्त प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण आदि के लिए ईसीएचएस (ECHS) की उच्चतम दरों के बारे में सूचित किया गया है। लाभार्थी को उन प्रत्यारोपणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की भी आवश्यकता होगी जो सूचीबद्ध नहीं हैं।

अधिकतम दरों और/या वाई पात्रता से अधिक व्यय के मामले में, ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों को अपने संसाधनों से राशि के अंतर का भुगतान करना होगा और प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।

4. इन अस्पतालों से छुट्टी मिलने पर लाभार्थी द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने और संदर्भ के तहत पत्र के पैरा 6 (a) में उल्लिखित पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस (ECHS) पर अपलोड करने की आवश्यकता है।
5. OPD दवाएं ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक से प्राप्त की जाएंगी और कोई प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं होगी।
6. कोई भी सरकारी अस्पताल/ RCC, जो AFV को कैशलेस सुविधा देने के लिए ईसीएचएस (ECHS) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विकल्प चुनते हैं, संदर्भ के तहत पत्र के पैरा 6 (a), (b), (c) और (d) में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे।
7. सभी आरसी को पैरा 6 (c) का पालन करना होगा यानी 10 दिनों के भीतर जल्दी भुगतान के लिए 2% छूट सरकारी अस्पतालों को भुगतान के खिलाफ नहीं किया जाएगा।

8. MOA के अनुसार BPA को प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान प्रमुख शीर्ष 2076 लघु शीर्ष 107 उप शीर्ष (E) विस्तृत शीर्ष 365/00 चिकित्सा उपचार संबंधी व्यय में से किया जाना है।

(आईवीएस गहलोत)

कर्नल

MD ईसीएचएस (ECHS) के लिए डायरेक्टर (Med)

संलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

के लिए कॉपी :

DOESW	-	जानकारी के लिए
DGAFMS-DG-3A	}	- जानकारी के लिए
DGMS (सेना)/DGMS-5(B)		
DGMS (नौसेना)/Dir ईसीएचएस (ECHS) (नौसेना)		
DGMS (वायुसेना) (Med-7)		
UTI-ITS 153/1, फारिको शो रूम के ऊपर, पहली मंजिल, पुराना मद्रास रोड हलासुरु, बेंगलोर कर्नाटक-560008		जानकारी के लिए और ऐसे दावों के लिए उपयुक्त संशोधन प्रसंस्करण के लिए Dir S&A के साथ परामर्श करें
कार्यालय CGDA उलनबटार रोड पालम, दिल्ली कैंट-10	-	जानकारी के लिए
AMA ईसीएचएस (ECHS) भारतीय दूतावास काठमांडू, नेपाल () सभी क्षेत्रीय केंद्र		प्राप्ति की पुष्टि करने का अनुरोध करें और इस पत्र को अपने AOR के तहत ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक को सख्ती से अनुपालन के लिए प्रसारित करें

आंतरिक

MD सचिवालय	-	सूचित किया गया
(Ops & Coord) सचिव P & FC, द्वारा सचिव	}	- जानकारी के लिए
ऑकड़े और स्वचालन Sec		

ईसीएचएस (ECHS) वेबसाइट पर पत्र अपलोड करने
और दावों को संसाधित करने के लिए UTI-ITSL के
साथ समन्वय करने के लिए

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

2007 की संख्या 51

[20 दिसंबर 2007]

भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक को उस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

अध्याय I

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 कहा जा सकता है
- (2) इसका विस्तार पूरे भारत में है।
- (3) यह उस तारीख को लागू होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत है और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकती हैं, और इस अधिनियम के किसी ऐसे प्रावधान में प्रारंभ के किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के प्रारंभ के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अपेक्षित न हो,
 - (a) "बैंक" का अर्थ है-
 - (i) बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934;
 - (ii) डाकघर बचत बैंक;
 - (iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (c) में परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी;
 - (iv) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 द्वारा सम्मिलित धारा 5 के खंड (cci) में परिभाषित सहकारी बैंक; तथा
 - (v) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना के रूप में निर्दिष्ट अन्य बैंक;
 - (b) "डेरिवेटिव" का अर्थ भविष्य की तारीख में तय किया जाने वाला एक उपकरण है, जिसका मूल्य ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट इंडेक्स, प्रतिभूतियों की कीमत (जिसे "अंतर्निहित" भी कहा जाता है) में परिवर्तन से प्राप्त होता है, या कोई अन्य अंतर्निहित या उनमें से एक से अधिक का संयोजन और इसमें ब्याज दर स्वैप, वायदा दर समझौते, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा रुपया स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा रुपया विकल्प, कोई अन्य लिखत शामिल हैं, जैसा कि समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
 - (c) "इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर" का अर्थ है, का कोई भी ट्रांसफर

संक्षिप्त शीर्षक,
विस्तार और प्रारंभ

परिभाषाएं

1934 का 2

1949 का 10

1949 का 10

नामित अधिकारी और
उसकी समिति

1949 का 10	(a) गवर्नर, रिजर्व बैंक, जो बोर्ड के अध्यक्ष होंगे; (b) डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक, जिनमें से डिप्टी गवर्नर जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष होंगे बैंकों के समाशोधन गृहों के क्रम में पूरे देश में बैंकों के लिए एक सामान्य खुदरा समाशोधन गृह प्रणाली है: बशर्ते, हालांकि, इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं। ऐसी कंपनी या निगम की इक्विटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास होगी। व्याख्या। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों" में एक "संबंधित नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" और "सहायक बैंक" शामिल होंगे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित किया गया है। 5. (1) कोई भी व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली शुरू करने या जारी रखने का इच्छुक है, इस अधिनियम के तहत स्वीकृति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकता है। (2) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन ऐसे रूप में और इस तरह से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो निर्धारित की जा सकती है। 6. धारा 5 के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद, और इस अधिनियम के तहत स्वीकृति जारी होने से पहले, रिजर्व बैंक भुगतान प्रणाली को संचालित करने की क्षमता, प्रतिभागियों की साख या किसी अन्य कारण से आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ऐसी पूछताछ कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, और जब इस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की जांच की जाती है, तो इसकी आवश्यकता हो सकती है। जांच के संबंध में ऐसे व्यक्ति से एक रिपोर्ट। 7. (1) रिजर्व बैंक, धारा 6 या अन्यथा के तहत किसी भी जांच के बाद संतुष्ट होने पर, कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, विनियम भुगतान के संचालन के लिए एक स्वीकृति जारी करते हैं, इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो हैं: (i) प्रस्तावित भुगतान प्रणाली या इसके द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की आवश्यकता; (ii) प्रस्तावित भुगतान प्रणाली के तकनीकी मानक या डिजाइन; (iii) किसी भी सुरक्षा प्रक्रिया सहित प्रस्तावित भुगतान प्रणाली के संचालन के नियम और शर्तें; (iv) जिस तरीके से भुगतान प्रणाली के भीतर धन का हस्तांतरण किया जा सकता है; (v) भुगतान प्रणाली के तहत भुगतान दायित्वों को प्रभावित करने वाले भुगतान निर्देशों को शुद्ध करने की प्रक्रिया; (vi) आवेदक की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन का अनुभव और सत्यनिष्ठा; (vii) उपभोक्ताओं के हित, जिसमें भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें शामिल हैं; (viii) मौद्रिक और ऋण नीतियां; और निरसन के ऐसे आदेश से प्रभावित	स्वीकृति के लिए आवेदन रिजर्व बैंक द्वारा पूछताछ स्वीकृति जारी करना या अस्वीकार करना

	व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। (4) जहां कोई सिस्टम प्रदाता दिवालिया हो जाता है या भंग हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ऐसा सिस्टम प्रदाता रिज़र्व बैंक को उस तथ्य की सूचना देगा और उसके बाद रिज़र्व बैंक ऐसे कदम उठाएगा जो ऐसे सिस्टम प्रदाता, भुगतान प्रणाली को संचालित करने के लिए जारी किए गए प्राधिकरण को रद्द करने के लिए आवश्यक समझे। 9. (1) प्राधिकरण के लिए कोई भी आवेदक जिसका भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए आवेदन धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है या एक सिस्टम प्रदाता जो धारा 8 के तहत निरसन के आदेश से व्यथित है, तीस के भीतर जिस तारीख को उसे आदेश संसूचित किया जाता है, उस दिन से केंद्र सरकार को अपील करें। (2) केंद्र सरकार तीन महीने की अवधि के भीतर उप-धारा (1) के तहत एक अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी। (3) उप-धारा (1) के तहत अपील पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। अध्याय IV रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण 10. (1) रिज़र्व बैंक, समय-समय पर, (a) भुगतान निर्देशों का प्रारूप और ऐसे निर्देशों का आकार और आकार निर्धारित कर सकता है; (b) भुगतान प्रणालियों द्वारा बनाए रखा जाने वाला समय; (c) भुगतान प्रणाली के भीतर या तो कागज, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी अन्य तरीके से, बैंकों के बीच या बैंकों और अन्य सिस्टम प्रतिभागियों के बीच धन के हस्तांतरण का तरीका; (d) भुगतान प्रणाली के साथ आम तौर पर अनुपालन किए जाने वाले ऐसे अन्य मानक; (e) सदस्यता की निरंतरता, समाप्ति और अस्वीकृति सहित भुगतान प्रणाली की सदस्यता के लिए मानदंड; (f) वे शर्तें जिनके अधीन सिस्टम प्रतिभागी ऐसे फंड ट्रांसफर में भाग लेंगे और ऐसे फंड में सिस्टम प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व। (2) उपधारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (1), रिज़र्व बैंक, समय-समय पर, ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जो सामान्य रूप से या किसी विशेष भुगतान प्रणाली के संदर्भ में भुगतान प्रणाली के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे। 11. (1) कोई भी सिस्टम प्रदाता इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा वह प्रणाली जो (a) रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भुगतान प्रणाली की संरचना या संचालन को प्रभावित करेगी; तथा भुगतान प्रणाली की अखंडता, प्रभावशीलता या सुरक्षा की रक्षा करना, या बैंकिंग या मौद्रिक नीति के हित में या भुगतान प्रणाली के संचालन में आम तौर पर या सार्वजनिक हित में। 16. रिज़र्व बैंक, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से,	केंद्र सरकार से अपील मानकों को निर्धारित करने की शक्ति भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की सूचना लेखापरीक्षा और

	भुगतान प्रणाली या उसके प्रतिभागियों का ऑडिट और निरीक्षण करवा सकता है और यह सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागियों का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी लेखा परीक्षा या निरीक्षण करने के लिए, रिज़र्व बैंक की सहायता करें, जैसा भी मामला हो। 17. जहां रिज़र्व बैंक की राय है कि,- (a) एक भुगतान प्रणाली या एक प्रणाली भागीदार किसी भी कार्य, चूक या आचरण के पाठ्यक्रम में संलग्न है, या संलग्न होने वाला है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत जोखिम अपर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जा रहा है या जिसके परिणामस्वरूप होने की संभावना है या (b) खंड (a) के तहत किसी भी कार्रवाई से भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति या देश की क्रेडिट नीति प्रभावित होने की संभावना है, रिज़र्व बैंक ऐसी भुगतान प्रणाली या सिस्टम भागीदार को लिखित रूप में निर्देश जारी कर सकता है, जिसके लिए इसकी आवश्यकता है, ऐसे समय के भीतर जो रिज़र्व बैंक निर्दिष्ट करे - (i) अधिनियम, चूक या आचरण के पाठ्यक्रम में शामिल होने से रोकने और रोकने के लिए या सिस्टम प्रतिभागियों को अधिनियम, चूक या आचरण के पाठ्यक्रम से रोकने के लिए; या (ii) स्थिति का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक की राय में, ऐसे कार्य करना जो आवश्यक हो। 18. पूर्वगामी के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, रिज़र्व बैंक की शक्ति, अगर संतुष्ट है कि रिज़र्व बैंक के लिए या किसी भी दिशा के प्रबंधन या संचालन के हित में भुगतान प्रणाली को विनियमित करने के लिए इसे सक्षम करने का उद्देश्य है, या जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, घरेलू लेनदेन को प्रभावित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक, गैर-इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों सहित भुगतान प्रणालियों के विनियमन से संबंधित नीतियां निर्धारित करें, और लिखित रूप में ऐसे निर्देश दें जो सिस्टम प्रदाताओं या सिस्टम प्रतिभागियों या किसी अन्य व्यक्ति को या तो आम तौर पर या ऐसी किसी एजेंसी को और विशेष रूप से भुगतान प्रणाली से संबंधित व्यवसाय के संचालन से संबंधित आवश्यक समझे। 19. प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश जारी किया गया है, बिना किसी देरी के ऐसे निर्देश का पालन करेगा और अनुपालन की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अध्याय V सिस्टम प्रदाता के अधिकार और कर्तव्य 20. प्रत्येक सिस्टम प्रदाता इस अधिनियम के प्रावधानों, विनियमों, संबंध निपटान को नियंत्रित करने वाले अनुबंध या ऐसे सिस्टम प्रदाता के नियमों, विनियमों या उप-नियमों के अनुसार अन्य दायित्वों के अनुसार भुगतान प्रणाली का संचालन करेगा। व्याख्या। शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस खंड में निर्दिष्ट निपटान, चाहे सकल या शुद्ध, अंतिम और	निरीक्षण करने की शक्ति मानकों को निर्धारित करने की शक्ति निर्देश जारी करने की शक्ति रिज़र्व बैंक के निर्देशों का पालन किया जाना सिस्टम प्रदाता के अनुसार कार्य करने के लिए। अधिनियम के साथ,

अपरिवर्तनीय है, जैसे ही इस तरह के निपटान के परिणामस्वरूप देय धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या डेरिवेटिव या अन्य लेनदेन यह निर्धारित किया जाता है कि इस तरह के पैसे, प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्रा या डेरिवेटिव या अन्य लेनदेन का वास्तव में भुगतान किया गया है या नहीं।

अध्याय VI

विवादों का निपटारा

24. (1) सिस्टम प्रदाता अपने नियमों या विनियमों में पैनल के निर्माण के लिए प्रावधान करेगा जिसमें सिस्टम प्रतिभागियों के अलावा कम से कम तीन सिस्टम प्रतिभागी शामिल होंगे, जो किसी भी संबंधित मामले के संबंध में भुगतान प्रणाली के संचालन के साथ सिस्टम प्रतिभागियों के बीच विवादों को तय करने के लिए विवाद के पक्षकार हैं।
- (2) जहां भुगतान प्रणाली के संचालन से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में कोई विवाद दो या दो से अधिक सिस्टम प्रतिभागियों के बीच उत्पन्न होता है, सिस्टम प्रदाता विवाद को उपधारा (1) में संदर्भित पैनल को संदर्भित करेगा।
- (3) जहां किसी सिस्टम भागीदार और सिस्टम प्रदाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है या जहां कोई सिस्टम सहभागी उप-धारा (1) में संदर्भित पैनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो विवाद रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा।
- (4) उप-धारा (3) के तहत निर्णय के लिए रिज़र्व बैंक को निर्दिष्ट विवाद का निपटारा रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा या इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया जाएगा और रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (5) जहां रिज़र्व बैंक के बीच सिस्टम प्रदाता या सिस्टम प्रतिभागी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, और किसी अन्य सिस्टम प्रदाता या सिस्टम प्रतिभागी के रूप में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जो एक अधिकारी को अधिकृत कर सकता है, जो संयुक्त सचिव का पद से नीचे नहीं है, उसके द्वारा विवाद का निपटारा और निर्णय अंतिम होगा।
25. (1) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा बनाए गए खाते से शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि उस खाते में जमा राशि ट्रांसफर निर्देश का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस राशि से अधिक है जिसे वह बनाए रखता है, बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान किया गया है, ऐसे व्यक्ति को अपराध माना जाएगा।

विवादों का निपटारा

खाते में निधियों की अपर्याप्तता, आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का अनादर

अध्याय VII

अपराध और दंड

दंड

26. (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उन नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है जिनके अधीन धारा 7 के तहत प्राधिकरण जारी किया गया है, वह कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि एक महीने से कम नहीं होगी लेकिन जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है या दोनों के साथ और एक और जुर्माना जो हर दिन के लिए एक लाख रुपये तक हो सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता जारी रहती है।
- (2) जो कोई भी प्राधिकरण के लिए किसी आवेदन में या किसी रिटर्न या अन्य दस्तावेज में या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक किसी भी जानकारी पर, जानबूझकर एक बयान देता है जो किसी भी सामग्री को लेकर झूठ है विशेष रूप से, यह जानते हुए कि यह झूठ है या जानबूझकर एक महत्वपूर्ण बयान देने से चूक जाता है, तो उसे कारावास हो सकती है, जो तीन साल तक हो सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा और जिसे पचास लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- (3) यदि कोई व्यक्ति कोई विवरण, सूचना, विवरणी या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो धारा 12 या धारा 13 के तहत प्रस्तुत करना या जवाब देना उसका कर्तव्य है, एक भुगतान प्रणाली के संचालन से संबंधित है जो 14 अनुभाग के तहत निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा आवश्यक है। वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपये तक हो सकता है और यदि वह इस तरह से इनकार करना जारी रखता है, तो उसपर एक और जुर्माना लगाया जा सकता है, जो हर दिन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है।
- (4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जानकारी का खुलासा करता है, जिसका प्रकटीकरण धारा 22 के तहत निषिद्ध है, तो वह कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, या उसके बराबर की राशि से दंडित किया जा सकता है। इस तरह के प्रकटीकरण के अधिनियम द्वारा किए गए नुकसान की राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो या दोनों के साथ।
- (5) जहां इस अधिनियम के तहत जारी निर्देश का रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है, या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है, उचित समय के भीतर या जहां रिजर्व बैंक द्वारा धारा 30 के तहत लगाए गए दंड का भुगतान आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, सिस्टम प्रदाता या सिस्टम प्रतिभागी जो निर्देश का पालन करने या दंड का भुगतान करने में विफल रहा है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो एक महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो आम तौर पर या विशेष रूप से इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण

	नहीं करेगा: बशर्ते कि अदालत शिकायत पर धारा 25 के तहत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अनादर से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित में दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकती है। (2) 1974 की दंड प्रक्रिया, 1973 की संहिता 2 में किसी बात के होते हुए भी, एक मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करने वाले रिजर्व बैंक के अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट अपने विवेक से, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है। 29. इस अधिनियम के तहत कोई भी जुर्माना लगाने वाली अदालत निर्देश दे सकती है कि कार्यवाही की लागत में या उसके भुगतान के लिए पूरे या उसके किसी हिस्से को लागू किया जाएगा। 30. (1) धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 26 की उप-धारा (2) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन या चूक, जैसा भी मामला हो, तो रिजर्व बैंक उल्लंघन करने वाले या चूक करने वाले व्यक्ति पर अधिक से अधिक पांच लाख रुपये या इस तरह के उल्लंघन या चूक में शामिल राशि का दोगुना जहां ऐसी राशि मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो, जुर्माना लगा सकता है। और जहां चूक का ऐसा उल्लंघन जारी है, एक और जुर्माना जो पहले दिन के बाद हर दिन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन या चूक जारी रहती है। (2) उप-धारा (1) के तहत जुर्माना लगाने के प्रयोजन के लिए, रिजर्व बैंक चूककर्ता पर एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे कारण बताने की आवश्यकता होगी कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि को दंड के रूप में क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और सुनवाई का एक उचित अवसर ऐसे डिफॉल्टरों को भी दिया जाए। (3) इस धारा के तहत रिजर्व बैंक द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर देय होगा, जिस दिन रिजर्व बैंक द्वारा डिफॉल्टर पर राशि के भुगतान की मांग करने वाला नोटिस जारी किया गया था और विफलता की स्थिति में ऐसी अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए, उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रमुख सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर वसूल किया जा सकता है जहां डिफॉल्टर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय या व्यक्ति का आधिकारिक व्यवसाय स्थित है: बशर्ते कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन के अलावा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। (4) रिजर्व बैंक चूककर्ता के खाते में रखी गई प्रतिभूतियों का परिसमापन करके या नोटिस की तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिभूतियों के परिसमापन द्वारा चूककर्ता के चालू खाते, यदि कोई हो, को डेबिट करके दंड की राशि की वसूली कर सकता है, जो नोटिस में निहित किसी भी मांग के विरुद्ध शून्य होगा। जहां कोई व्यक्ति जिसे इस उप-धारा के तहत नोटिस भेजा जाता है, शपथ पर एक बयान द्वारा इसका विरोध करता है कि मांग की गई राशि या उसका कोई हिस्सा चूककर्ता के कारण नहीं है या उसके पास या खाते में कोई पैसा नहीं है, तो, इस उप-धारा में निहित कुछ भी नहीं	जुर्माने का आवेदन जुर्माना लगाने की रिजर्व बैंक की शक्ति

1860 का 45	समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी किसी भी राशि या उसके हिस्से का भुगतान करने की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो, लेकिन अगर यह पता चलता है कि ऐसा बयान किसी भौतिक विशेष में गलत था, तो ऐसा व्यक्ति नोटिस की तारीख को चूककर्ता के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक, या रिज़र्व बैंक द्वारा चूककर्ता पर लगाए गए दंड की सीमा तक, जो भी कम हो, रिज़र्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। (5) रिज़र्व बैंक किसी भी समय या समय-समय पर, इस धारा के तहत जारी किसी नोटिस में संशोधन या रद्द कर सकता है या इस तरह के नोटिस के अनुसरण में भुगतान करने के लिए समय बढ़ा सकता है; (6) रिज़र्व बैंक इस धारा के तहत जारी एक नोटिस के अनुपालन में भुगतान की गई किसी भी राशि की रसीद देगा और इस तरह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भुगतान की गई राशि की सीमा तक चूककर्ता के प्रति अपने दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। (7) इस धारा के तहत एक नोटिस की प्राप्ति के बाद चूककर्ता को किसी भी दायित्व का निर्वहन करने वाला कोई भी व्यक्ति, इस प्रकार से मुक्त चूककर्ता के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या उस पर लगाए गए दंड की सीमा तक रिज़र्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। (8) यदि वह व्यक्ति जिसे इस धारा के तहत नोटिस भेजा गया है, उसके अनुसार रिज़र्व बैंक को भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि के संबंध में चूककर्ता माना जाएगा और उसके खिलाफ राशि की वसूली के लिए आगे की कार्यवाही की जा सकती है। जैसा कि इस धारा में दिए गए तरीके से उस पर बकाया है। व्याख्या। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चूककर्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या सिस्टम प्रदाता या सिस्टम भागीदार जिस पर रिज़र्व बैंक ने धारा 30 के तहत जुर्माना लगाया है। 34. इस अधिनियम में निहित कुछ भी स्टॉक एक्सचेंजों या स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों पर लागू नहीं होगा। 35. (1) रिज़र्व बैंक का प्रत्येक अधिकारी जिसे इस अधिनियम के तहत कोई शक्ति सौंपी गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में एक लोक सेवक माना जाएगा।	स्टॉक एक्सचेंजों और स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन निगमों पर लागू नहीं होने वाला अधिनियम। कुछ व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाता है।

फाइल संख्या 22D (09)/2014-WE/D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण का

दिनांक 19 जून 2015

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

विषय: ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक स्टाफ के लिए यात्रा भत्ता

महोदय,

विभाग के पत्र संख्या 24 (3)/03/US (WE)/D (Res) (ii) dt 9 Sep 2003 के परिशिष्ट के आंशिक संशोधन में, भाग VI - राजस्व व्यय के पैरा 9 (a) के तहत, मुझे अस्थायी ड्यूटी पर ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के लिए निम्नलिखित शुद्धिपत्र के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है:

परिशिष्ट के भाग VI के पैरा 9 (a) के लिए

जब पॉलीक्लिनिक स्टाफ को स्टेशन मुख्यालय द्वारा आधिकारिक कार्य के लिए किसी अन्य स्टेशन पर जाने के लिए विस्तृत किया जाता है, तो सशस्त्र बलों में समकक्ष वेतनमान के सेवा कर्मियों की पात्रता के अनुसार TA/DA लागू होगा।

के रूप में पढ़ें

जब एक पॉलीक्लिनिक स्टाफ को स्टेशन मुख्यालय द्वारा आधिकारिक कार्य के लिए किसी अन्य स्टेशन पर जाने के लिए विस्तृत किया जाता है, तो सशस्त्र बलों में समकक्ष ग्रेड वेतन के सेवा कर्मियों की पात्रता के अनुसार TA/DA लागू होगा।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके UO संख्या 33 (220)/15/Fin/Pen dt 16 Jun 2015 द्वारा जारी किया जा रहा है।

(एचके मलिक)

अवर सचिव (WE)

के लिए कॉपी:

1. सचिव (ESW) के PPS	
2. JS (ESW) के PS	4. MD ईसीएचएस (ECHS)
3. DFA (Fin/ Pen)	5. CGDA

संख्या 22 (1)/01/US (WE) /D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 29 मई 2003

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US (WE)/D (Res) dt 30 Dec 2002 में निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं।

2 (a) ईसीएचएस (ECHS) एक अंशदायी योजना होगी। सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक सेवा कर्मी अनिवार्य रूप से अपने हिस्से का योगदान देकर ईसीएचएस (ECHS) का सदस्य बन जाएगा और यह योजना जीवन भर के लिए लागू होगी। इसी प्रकार, भूतपूर्व सैनिक जो 1 Jan, 2003 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या तो एक बार योगदान देकर या लगातार तीन वार्षिक किश्तों में सदस्य बन सकते हैं। उम्र या चिकित्सा स्थिति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योगदान CGHS पेंशनभोगियों के लिए संलग्न संशोधित परिशिष्ट A के अनुसार निर्धारित दरों के अनुसार होगा।

2 (m) यह योजना एक परियोजना संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, इसमें दिल्ली में स्थित मुख्यालय और बारह क्षेत्रीय केंद्र शामिल होंगे। मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत संगठन, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और जनशक्ति की आवश्यकता संशोधित परिशिष्ट G के अनुसार होगी। थल सेना, नौसेना और वायु सेना इन प्रशासनिक संगठनों को अपने मौजूदा संसाधनों के भीतर से जनशक्ति प्रदान करेगी।

3. यह MOD (वित्त) की ID No. 584/PS/03 dt 27.5.2003 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. रक्षा मंत्रालय (Fin/AG/PD)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. DGADS, नई दिल्ली
4. समस्त कमान मुख्यालय
5. CDA (O), पुणे.
6. CDA (सेना) मेरठ
7. CDA (सेना) बेंगलौर:
8. CDA (सेना) जबलपुर
9. CDA (सेना) लखनऊ
10. CDA (सेना) पटना
11. CDA (सेना) गुवाहटी
12. CDA (सेना) पुणे
13. CDA (सेना) सिकंदराबाद
14. CDA (सेना) मुम्बई
15. CDA (सेना) देहरादून
16. AG's शाखा/CW-3 300 कॉपी
17. नौसेना मुख्यालय (PS Dte) - 2 कॉपी
18. वायु सेना मुख्यालय (PS&R) - 3 कॉपी
19. Dir (Fin/AG) - 2 कॉपी
20. DFA (B) - 2 कॉपी
21. DFA (N) - 2 कॉपी
22. DFA (वायु सेना) - 2 कॉपी

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

1. CDA (सेना), बेंगलौर.
2. CDA (WC), चंडीगढ़
3. CDA (सेना), पटना
4. CDA (SC), पुणे
5. CDA (सेना), मेरठ
6. CDA (NC), जम्मू
7. CDA (Officers), पुणे
8. CDA (नौसेना), बोम्बे
9. CDA (AF), देहरादून
10. CDA (सेना), जबलपुर
11. CDA (सेना), सिकंदराबाद
12. CDA (सेना), लखनऊ
13. CDA (सेना) चेन्नई.
14. CDA (HQ EC), कलकत्ता
15. CDA (AF), दिल्ली

ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दरें

पेंशन/पारिवारिक पेंशन अंशदान (रुपये में) (रुपये प्रति माह)	(रुपये)
1500/- रुपये तक	1800/-
1501 से रु. 3000	4800/-
3001 से रु. 5000	8400/-
5001 से 7500 रु	12000/-
7501 रुपये और उससे अधिक	18000/-

नोट:

1. ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पेंशनभोगियों/आश्रितों से पेंशनभोगियों/आश्रितों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार उनकी पेंशन के आधार पर ली जा सकती है।
2. जब कभी भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS लाभार्थियों के लिए सदस्यता की दरों को संशोधित किया जाता है, ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की दर उसी तिथि से संशोधित मानी जाएगी।
3. पेंशनभोगी ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के लिए वैसा ही एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसा कि सेवानिवृत्ति के समय देय वार्षिक अंशदान का 10 गुना अंशदान करके CGHS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान करने वाले नागरिक पेंशनभोगी।
4. जो भूतपूर्व सैनिक लगातार तीन वार्षिक किश्तों में भुगतान करेंगे, उन्हें शुरू में केवल एक वर्ष की वैधता के साथ एक ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड की वैधता दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए तभी बढ़ाई जाएगी जब पूर्व सैनिकों ने भुगतान कर दिया हो और दूसरी और तीसरी किस्त का प्रमाण दे दिया हो।

केंद्रीय मुख्यालय और क्षेत्रीय संगठन के संस्थान, कर्मचारी और बुनियादी ढांचा

केंद्रीय संगठन

1. संगठन और कर्मचारी

(a)	मैनेजिंग डायरेक्टर (Maj Gen)	1
(b)	डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (ब्रिगेड)	1
(c)	डायरेक्टर (कर्नल)।	3
	(i) डायरेक्टर (समन्वय)	1
	(ii) डायरेक्टर (खरीद एवं निधि नियंत्रण)।	1
	(iii) डायरेक्टर (चिकित्सा)।	1
(d)	<u>डिप्टी डायरेक्टर</u>	
	(i) डिप्टी डायरेक्टर (कार्मिक)	1
	(ii) डिप्टी डायरेक्टर (खरीद एवं निधि नियंत्रण)	1
	(iii) डिप्टी डायरेक्टर (संचालन)	1
	(iv) डिप्टी डायरेक्टर (चिकित्सा)	1
(e)	उप/क्लर्क	4
(f)	क्लर्क	15
(g)	निजी सचिव	4
(h)	ग्रुप D स्टाफ	5

2. बुनियादी ढांचा

- जहां तक संभव हो, भूमि और भवन के संदर्भ में मौजूदा सुविधाओं को उपयुक्त संशोधनों के साथ केंद्रीय संगठन के लिए उपयोग किया जाएगा।
- फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य कार्यालय उपकरण के साथ भवनों में परिवर्धन/संशोधन और कार्यालयों को लैस करने और केंद्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लिए वाहनों की खरीद 400 लाख रुपये से कम की लागत पर किया जाएगा।
- यात्रा, चलने और वाहनों के रखरखाव, केंद्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के रखरखाव पर वार्षिक व्यय 390 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

- (d) सेवा मुख्यालय के मौजूदा संसाधनों के भीतर से जनशक्ति की पूर्ति की जाएगी।

क्षेत्रीय संगठन

1. संगठन और कर्मचारी

(a)	डायरेक्टर	1
(b)	डिप्टी डायरेक्टर	3
	(i) डिप्टी डायरेक्टर लेखा और परिसंपत्ति प्रबंधन	1
	(ii) डिप्टी डायरेक्टर स्थापना	1
	(iii) डिप्टी डायरेक्टर अस्पताल सेवाएं	1
(c)	अधीक्षक	1
(d)	क्लर्क	10
(e)	निजी सचिव	1
(f)	ग्रुप D स्टाफ	5

2. आधारभूत संरचना

मौजूदा सेवा मुख्यालय के बुनियादी ढांचे का उपयुक्त संशोधनों के साथ उपयोग किया जाएगा।

No. 24 (16)/03/US (WE) /D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 26 मार्च 2004

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेना सेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US (WE)/D (Res) dt 30 Dec 2002 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है-

- (a) **परिशिष्ट E - संवर्धित सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक्स में बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं और कर्मचारी का विवरण**

- (i) 1 के तहत पैरा (d) (i) जेनरेटर को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

के लिए

	टाइप A	टाइप B	टाइप C	टाइप D
(i) जेनरेटर	1	1	--	--

पढ़ें

	टाइप A	टाइप B	टाइप C	टाइप D
(i) जेनरेटर	1	1	1	1

- (b) **परिशिष्ट F - नए सशस्त्र बल पॉलीक्लिनिक्स में बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं और कर्मचारियों का विवरण**

- (i) पैरा के तहत: 1 (d) (i)। जेनरेटर को निम्नानुसार संशोधित किया गया है-

के लिए

	टाइप A	टाइप B	टाइप C	टाइप D
(i) जेनरेटर	1	1	--	--

पढ़ें

	टाइप A	टाइप B	टाइप C	टाइप D
(i) जेनरेटर	1	1	1	1

2. यह इस शर्त के अधीन है कि टाइप C और D पॉलीक्लिनिक्स के लिए जनरेटर के प्रावधान की लागत को ईसीएचएस (ECHS) योजना की समग्र पूंजीगत लागत के भीतर समाहित किया जाएगा जैसा कि CCS द्वारा अनुमोदित है और जैसा कि MOD के मूल स्वीकृति पत्र dt 30.12.2002 में उल्लेख किया गया है।
3. इसे MOD (वित्त) ID No. 228/AG/PD dt 24.3.2204 की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. रक्षा मंत्रालय (Fin/AG/PD)
2. CGDA, नई दिल्ली
3. DGADS, नई दिल्ली
4. समस्त कमान मुख्यालय
5. CDA (O), पुणे
6. CDA (सेना) मेरठ
7. CDA (सेना) बेंगलौर
8. CDA (सेना) जबलपुर
9. CDA (सेना) लखनऊ
10. CDA (सेना) पटना
11. CDA (सेना) गुवाहटी
12. CDA (सेना) पुणे
13. CDA (सेना) सिकंदराबाद
14. CDA (सेना) मुम्बई
15. CDA (सेना) देहरादून
16. AG's शाखा/CW-3
17. नौसेना मुख्यालय (PS Dte) - 2 कॉपी
18. वायु मुख्यालय (PS&R) - 2 कॉपी
19. डायरेक्टर (Fin/AG) - 2 कॉपी
20. DFA (B) - 2 कॉपी
21. DFA (N) - 2 कॉपी
22. DFA (वायु सेना) - 2 कॉपी
23. AFA (बजट-I)

स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

1. CDA (सेना). बैंगलौर
2. CDA (WC), चंडीगढ़
3. CDA (सेना), पटना
4. CDA (SC), पुणे
5. CDA (सेना), मेरठ
6. CDA (NC), जम्मू
7. CDA (Officers), पुणे
8. CDA (नौसेना), बोम्बे
9. CDA (AF), देहरादून
10. CDA (सेना), जबलपुर
11. CDA (सेना), सिकंदराबाद
12. CDA (सेना), लखनऊ
13. CDA (सेना) चेन्नई
14. CDA (HQ EC), कलकत्ता
15. CDA (AF), दिल्ली

संख्या 22(4)/05//US (WE)/D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण

नई दिल्ली, 10 अगस्त 2005

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(RES) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे उपरोक्त पत्र के परिशिष्ट 'B' और परिशिष्ट 'C' में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सरकार की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

परिशिष्ट 'B'				
हटाएँ				
क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप A				
1	पंजाब	लुधियाना	A	B
टाइप C				
2	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	C	1
3	उड़ीसा	कटक	C	12
4	उड़ीसा	पटियाला	C	17
5	राजस्थान	जयपुर	C	20
6	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	C	28
टाइप D				
7	हिमाचल प्रदेश	शिमला	D	9
8	जम्मू और कश्मीर	पुंछ	D	12
9	मिजोरम	आइज़वाल	D	28
10	मणिपुर	इंफाल	D	26
11	नागालैंड	ज़खामा (कोहिमा)	D	29
12	नागालैंड	मोकोकचुंग	D	30
13	तमिलनाडु	डिंडीगुल	D	39
14	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	D	51
15	जम्मू और कश्मीर	डोडा	D	

टाइप C	क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप
6	आंध्र प्रदेश	ओंगोल	C	3
7	आंध्र प्रदेश	रंगारेड्डी	C	4
8	हरियाणा	चंडीमंदिर (पंचकुला)	C	13
9	केरल	मलप्पुरम	C	19
10	तमिलनाडु	धर्मपुरी	C	27
11	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर	C	34
12	तमिलनाडु	विरुधनगर	C	35
टाइप D				
13	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	D	4
14	हिमाचल प्रदेश	चंबा	D	7
15	महाराष्ट्र	नासिक (देवलाली)	D	22
16	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	D	31
17	उत्तरांचल	रायवाला	D	37
18	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	D	50
19	महाराष्ट्र	अलीबाग (रायगढ़)	D	24

परिशिष्ट C**जोड़ें**

टाइप A	क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप
1	पंजाब	लुधियाना	A	10
टाइप B				
2	चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	B	25
3	उत्तरांचल	गोपेश्वर	B	26
टाइप C				
4	उड़ीसा	भुवनेश्वर	C	46
5	तमिलनाडु	श्रीविल्लिपुतुर	C	47
6	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	C	48
7	आंध्र प्रदेश	गिद्धलुर	C	49
8	केरल	पेरिन्तल्मन्न	C	50
9	राजस्थान	नागौर:	C	51
टाइप D				
10	मिजोरम	आइजोल	D	53
11	तमिलनाडु	डिंडीगुल	D	54
12	तमिलनाडु	नागरकोइल	D	55
13	नागालैंड	कोहिमा	D	56
14	मणिपुर	इंफाल	D	57
15	छत्तीसगढ़	रायपुर	D	58
16	महाराष्ट्र	महाड	D	59

परिशिष्ट B जोड़ें				
टाइप B	क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप
1	केरल	कन्नूर	B	14
2	उत्तरांचल	हल्द्वानी	B	15
3	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (सिकंदराबाद)	B	16
4	पंजाब	पटियाला	B	17
5	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	B	18
6	राजस्थान	जयपुर	B	19
परिशिष्ट B जारी जोड़ें				
राज्य C				
7	हरियाणा	चंडीमंदिर	C	29
8	तमिलनाडु	अवदि	C	30
9	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर	C	31
10	आंध्र प्रदेश	गोलकुंडा	C	32
11	हिमाचल प्रदेश	शिमला	C	33
टाइप D				
12	महाराष्ट्र	देवलाही	D	54
13	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	D	55
14	हिमाचल प्रदेश	बखलोह	D	56
15	पश्चिम बंगाल	सॉल्ट झील	D	57
16	उत्तरांचल	रुड़की	D	58
17	पंजाब	पठानकोट	D	59
18	नागालैंड	दीमापुर	D	60
परिशिष्ट C हटाएँ				
टाइप B	क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप
1	केरल	कन्नूर	B	8
2	राजस्थान Rajasthan	नागौरी	B	16
3	उत्तरांचल	चमोली	B	19
4	उत्तरांचल	नैनीताल	B	20
5	पश्चिम बंगाल	24 PGS (बैरकपुर)	B	23

2. हैदराबाद, पटियाला, कोलकाता, चंडीगढ़, शिमला, जयपुर के पॉलीक्लिनिकों के उन्नयन और चंडीगढ़ डोडा/रायपुर, आइज़वाल, कटक/भुवनेश्वर, डिंडीगुल, लुधियाना, ज़खामा में पॉलीक्लिनिक के संबंध में सैन्य से गैर-सैन्य में स्थिति बदलने में शामिल अतिरिक्त व्यय (कोहिमा) और इंफाल को बैरकपुर में पॉलीक्लिनिक और नासिक, चंडीमंदिर, कन्नूर, कामरूप (गुवाहाटी), चंबा, हावड़ा/साल्टलेक, थिरवल्लौर/आवादी, नैनीताल/हल्द्वानी, रायवाला/रुड़की, 24 पीजीएस (बैरकपुर) रंगारेड्डी/गोलकुंडा, नागौर के डाउनग्रेडेशन से उत्पन्न बचत से पूरा किया जाएगा, हैदराबाद, पटियाला, कोलकाता, चंडीगढ़, शिमला, जयपुर के पॉलीक्लिनिकों के उन्नयन में शामिल अतिरिक्त व्यय और चंडीगढ़ डोडा/रायपुर, आइज़ोल, कटक/भुवनेश्वर, डिंडीगुल, लुधियाना, ज़खामा (कोहिमा) और इंफाल में पॉलीक्लिनिक के संबंध में सैन्य से गैर-सैन्य में स्थिति में परिवर्तन, बैरकपुर में पॉलीक्लिनिक के डाउनग्रेडेशन और नासिक, चंडीमंदिर, कन्नूर, कामरूप (गुवाहाटी), चंबा, हावड़ा/साल्टलेक, थिरवल्लौर/आवादी, नैनीताल/ हल्द्वानी, रायवाला/रुड़की, 24 पीजीएस (बैरकपुर) रंगारेड्डी/गोलकुंडा, और नागौर।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के संदर्भ पत्र के परिशिष्ट 'बी' और 'सी' में उपरोक्त परिवर्तन योजना के सुचारु संचालन और स्थापना के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता है, और योजना की मूल रूप से स्वीकृत संरचना में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है।

4. इसे MOD (वित्त) की सहमति से उनके U.O.No. 764/PD/05 dt 08.08.2005 के तहत जारी किया गया है।

(वी.के. जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 23014946

के लिए कॉपी:

1. रक्षा (वित्त) (AG /PD)
2. रक्षा सचिव के SO
3. सचिव (रक्षा / वित्त) के PPS
4. SS (अधिग्रहण) के PPS
5. AS (B) के PS / AS के PPS
6. JS (ESW)
7. JS (O/N)
8. Addl. FA (M)
9. DFA(N) /DFA(वायु सेना)
10. DFA(B)
11. D(कार्य) /D(Mov) /D(Med)
12. O & M इकाई
13. CGDA, नई दिल्ली

के लिए भी :

14. DGAFMS
15. DGDE, नई दिल्ली
16. DGDC & W
17. QMG
18. DG (Works), E-in-C शाखा
19. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)
20. ADG C & W

संख्या 24 (1)/01/US (WE) /D (Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2004

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE) D(Res) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे उपरोक्त पत्र के परिशिष्ट B और C में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सरकार की मंजूरी तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
परिशिष्ट B				
हटाएं-				
a)	हरियाणा	गुडगाँव	B	1
b)	राजस्थान	अजमेर	B	8
जोड़ें				
a)	राजस्थान	अजमेर	D	53
परिशिष्ट C				
a)	हरियाणा	झज्जर	A	2
b)	महाराष्ट्र	सतारा	A	3
c)	केरल	एलेप्पी	B	7
d)	उत्तर प्रदेश	नोएडा	C	

परिशिष्ट C				
जोड़ें				
a)	हरियाणा	गुडगाँव	A	7
b)	उत्तर प्रदेश	नोएडा	A	8
c)	दिल्ली	दिल्ली	A	9
d)	हरियाणा	झज्जर	B	24
e)	महाराष्ट्र	सतारा	C	44
f)	केरल	अल्लेप्पी	D	52

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि गुडगाँव और नोएडा में उन्नयन की लागत और दिल्ली में एक अतिरिक्त पॉलीक्लिनिक के निर्माण की लागत ऊपर उल्लिखित पॉलीक्लिनिक के डाउनग्रेडेशन से उत्पन्न बचत के भीतर समाहित की जाएगी, और यह कि ईसीएचएस (ECHS) योजना के लिए CCS द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय और वार्षिक व्यय की सीमा में कोई संशोधन नहीं होगा।

3. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) के U.O No. 351-A/PD/04 dt 19.4.2004 के तहत जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षरित

(वीके जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली: 25683476

Mil: 36833

केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)
एडजुटेंट जनरल की शाखा
रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय
मौड लाइन्स
दिल्ली कैंट-110010
19 अप्रैल 17

B/49771/AG/ECHS/Emp/Policy

रक्षा मंत्रालय का IHQ (नौसेना) / डायरेक्टर ईसीएचएस (ECHS) (N)

वायु मुख्यालय (VB)/DPS

मुख्यालय दक्षिणी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय पूर्वी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय पश्चिमी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय मध्य कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय उत्तरी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

मुख्यालय अंडमान और निकोबार कमान (A/ईसीएचएस (ECHS))

कार्यान्वयन इंस्ट्रक्टर: ओटोबॉक और एंडोलाइट के प्रोस्थेटिक केंद्रों का पैनेल

1. संदर्भ:

- (a) GOI/MOD पत्र संख्या 22B(02)/2015/ US(WE) dt 09 Oct 15
- (b) GOI/MOD पत्र संख्या 22B(01)/2016-WE/D(Res) Part-II dt 03 Nov 16
- (c) MOD ID संख्या 22B(02)/2017/WE dt 27 Feb 17
- (d) RMSAF 2010 के परिशिष्ट V के पैरा 78 पर ध्यान दें
- (e) GOI/MOD पत्र संख्या 43764 / DGAFFMS/DG-1C/1453/09/D (Med) dt 23 Jan 14
- (f) केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS) पत्र संख्या B/49773/AG/ईसीएचएस (ECHS) dt 05 Apr 04
- (g) CGHS OM संख्या S11011/25/2014-CGHS(P) dt 08 Jul 14

2. **संदर्भ 1(f)** के तहत हमारे पत्र के अलावा ओटोबॉक और एंडोलाइट के कृत्रिम केंद्रों को संदर्भ 1(b) के तहत भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र के तहत ईसीएचएस (ECHS) के साथ सूचीबद्ध किया गया है। ओटोबॉक और एंडोलाइट के पैनेलबद्ध प्रोस्थेटिक केंद्रों द्वारा नुस्खे, पैनेल, मरम्मत के लिए दर और प्रोस्थेसिस और ऑर्थोटिक और गतिशीलता उपकरणों को जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं जो बाद के पैराग्राफों में अनुसरण करते हैं। एकवचन को आयात करने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होता है जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है। एक लिंग को इम्पोर्ट करने वाले शब्दों में दूसरा लिंग भी शामिल होता है।

3. **मनोनयन।** संदर्भ 1(f) के तहत पत्र द्वारा पैनेल में शामिल प्रत्येक प्रोस्थेटिक केंद्र परिशिष्ट (ऑनलाइन बिलिंग) के साथ पैनेल में शामिल अस्पतालों के लिए अधिकृत प्रारूप के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुलग्नक 2 (दरें) इस पत्र के परिशिष्ट के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार होंगे। PBG संबंधित शहर के अनुसार अन्य सुविधाओं के लिए प्रमाणीकरण के समान होगा।

4. सामान्य परिस्थितियाँ।

- (a) कृत्रिम अंग की फिटिंग एक नियोजित प्रक्रिया है, इसलिए सभी फिटिंग / मरम्मत संबंधित पॉलीक्लिनिक से रेफरल के बाद ही की जाएगी।
- (b) शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए, सामान्य रूप से इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए 12 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में माना जाएगा।
- (c) वयस्कों के मामले में पांच साल और बच्चों के मामले में दो साल पूरे होने पर उपकरणों को फिर से जारी करने की अनुमति दी जाएगी।
- (d) पहली बार फिटिंग पोस्ट विच्छेदन में पैरा 7 (c) और (d) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विच्छेदन को दो कृत्रिम अंग के साथ जारी किया जाएगा। पहला नुस्खा एंप्टी के निर्धारित गतिविधि स्तर के अनुसार होगा। दूसरा कृत्रिम अंग एक स्टैंडबाय कृत्रिम अंग होगा।
- (e) पैनलबद्ध कृत्रिम केंद्र अंगों और उपकरणों का सही निर्माण, फिटिंग, प्रशिक्षण और जारी करना सुनिश्चित करेगा और उनके द्वारा निर्मित / जारी किए गए सभी उपकरणों के संबंध में मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखेगा। उनके गैर ईसीएचएस (ECHS) ग्राहकों पर लागू सभी वारंटी ईसीएचएस (ECHS) लाभार्थियों पर लागू होंगी।

5. रेफरल प्रक्रिया।

- (a) पॉलीक्लिनिक द्वारा AFV की पसंद के कृत्रिम केंद्र को प्रारंभिक फिटिंग, समीक्षा फिटिंग, नवीनीकरण फिटिंग और मरम्मत के सभी मामलों के लिए प्रति विज़िट आधार पर रेफरल जारी किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ के पर्चे/अनुमोदन की आवश्यकता होगी:

क्रमांक	फिटिंग प्रकार	विशेषज्ञ समर्थन
1	दूसरा/नवीनीकरण फिटिंग	फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (PMR) विशेषज्ञ या आर्थोपेडिक सर्जन या ALC, पुणे या ALC उपकेंद्रों के प्रोस्थेटिक सर्जन। या किसी भी सरकारी अस्पताल में शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास (PMR) या प्रोस्थेटिक सर्जरी की विशेषता में कार्यरत प्रोफेसर/वरिष्ठ विशेषज्ञ।
2	स्तर 4 कृत्रिम अंग	किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पूर्व नुस्खे से तब तक कोई विचलन नहीं होगा जब तक कि उपरोक्त क्रमांक 1 द्वारा प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है।
3	स्तर 4 खेल कृत्रिम अंग	ऊपर क्रमांक 1 और 2 और सैन्य सेवा के कारण निरंतर चोट या विच्छेदन से गुजरना
4	मरम्मत	ऊपर क्रमांक 1 और 2 और सक्षम खेल प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित राज्य स्तरीय खेल गतिविधियों में भागीदारी
5	(a) सॉकेट, जोड़ों और/या पैर जैसे प्रमुख घटकों का प्रतिस्थापन	सेवा प्रोस्थेटिक सर्जन / हड्डी रोग सर्जन / सर्जन और नीचे पैरा 5 (b) के अनुसार SEMO द्वारा अनुमोदित
	(b) उपभोज्य वस्तुओं की मामूली मरम्मत और प्रतिस्थापन	किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

- (b) यदि कोई प्रमुख घटक जैसे सॉकेट, जोड़, पैर आदि फिटमेंट के पांच वर्ष (बच्चों के मामले में दो वर्ष) के भीतर अनुपयोगी हो जाता है, तो सेवा प्रोस्थेटिक सर्जन/आर्थोपेडिक सर्जन/सर्जन द्वारा मामले के आधार पर संभावित

उपेक्षा के संबंध में मूल्यांकन किया जाएगा और SEMO द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुपयोगी घटक को OEM /प्रोस्थेटिक केंद्रों द्वारा समकक्ष भाग से बदल दिया जाएगा। यदि वारंटी के भीतर है, तो वारंटी खंड लागू होंगे। यदि वारंटी नहीं है, तो बिलों का भुगतान नीचे दिए गए पैरा 10,11 और 12 के अनुसार किया जाएगा। यदि क्षति को उपेक्षा या छेड़छाड़ के कारण होने का संदेह है, तो समकक्ष भाग के साथ बदलने का निर्णय AFV का दायित्व होगा।

प्रिस्क्रिप्शन (नुस्खा)

6. लिंग, रैंक, या AFV या आश्रित के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि, युवा आश्रितों की तुलना में वृद्ध सेवानिवृत्त व्यक्तियों में कम मूल्यांकन गतिविधि स्तर होने की संभावना है।
7. उपयुक्त नुस्खे पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:
 - (a) विस्तृत इतिहास और प्रासंगिक परीक्षा की जाएगी और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। संलग्न दिशानिर्देशों में मानदंडों के संबंध में प्रत्येक अपंग व्यक्ति का विशेष रूप से मूल्यांकन किया जाएगा।
 - (b) सभी दिव्यांगों को प्रक्रिया और कृत्रिम अंग के बारे में सलाह दी जाएगी। प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए मरीज के फिट होने के बाद उसे प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। दिशानिर्देश इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।
 - (c) उपरोक्त पैरा 4 (d) की निरंतरता में, पहली बार फिटिंग के बाद विच्छेदन के बाद एक कृत्रिम अंग के साथ विच्छेदन जारी किया जाएगा। पहला नुस्खा एंटी के निर्धारित गतिविधि स्तर के अनुसार होगा। दिव्यांग व्यक्ति को कृत्रिम अंग के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा और जब तक वह उपयोग में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्धारित चाल trg भी प्रदान की जाएगी। उन्हें 6 महीने के बाद दूसरा कृत्रिम अंग निकालने के लिए समीक्षा की सलाह दी जाएगी। इस यात्रा के दौरान परिवर्तित सॉकेट फिट सहित पहले कृत्रिम अंग के साथ किसी भी मुद्दे को संबोधित किया जाएगा।
 - (d) दूसरा कृत्रिम अंग एक स्टैंडबाय कृत्रिम अंग होता है। दिव्यांग व्यक्ति के गतिविधि स्तर का दूसरी मुलाकात और प्रत्येक बाद के दौर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
 - (i) यदि गतिविधि स्तर अपरिवर्तित रहता है तो दूसरा कृत्रिम अंग पहले से निर्धारित गतिविधि स्तर से एक स्तर नीचे होगा।
 - (ii) यदि व्यक्ति स्तर I गतिविधि का है, तो दोनों कृत्रिम अंग इस स्तर के होंगे।
 - (iii) यदि पिछले मूल्यांकन के बाद से गतिविधि स्तर में सुधार हुआ है, तो दूसरा कृत्रिम अंग बेहतर गतिविधि स्तर का होगा। ऐसे मामले में पहली बार जारी किया गया कृत्रिम अंग उसका स्टैंडबाय प्रोस्थेसिस होगा।
 - (iv) यदि विच्छेदन यात्रा से पहले 6 महीने से अधिक समय तक बना रहा और स्टंप स्थिर हो गया है या यदि एंटी एक मौजूदा कृत्रिम उपयोगकर्ता है जो पहली बार ALC/ ALSC/ कृत्रिम केंद्र में आ रहा है, तो दो कृत्रिम अंग जारी किए जा सकते हैं।
 - (v) विभिन्न गतिविधि स्तरों को संलग्न दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।
 - (e) आवश्यकतानुसार उपयुक्त सहायक उपकरण और चलने-फिरने में सहायक उपकरण निर्धारित किए जाएंगे। कृत्रिम पैर को नुकसान से बचाने के लिए, उसके ऊपर एक जूता पहनने की सलाह दी जाती है।
 - (f) सिमे के सभी दिव्यांगों को एक एलिफेंट बूट भी प्रदान किया जाएगा, जिसे हर दो साल में एक बार नवीनीकृत किया जाएगा।
8. दूसरे कृत्रिम अंग के जारी होने के एक साल बाद और उसके बाद दो साल बाद दिव्यांगों को समीक्षा की सलाह दी जाएगी। कृत्रिम उपयोग में किसी भी कठिनाई का सामना करने पर वे पहले ALC/ ALSC/ प्रोस्थेटिक केंद्र को रिपोर्ट कर सकते हैं। सभी समीक्षा पॉलीक्लिनिक से रेफरल पर होगी।
9. ऑर्थोटिक फिटिंग्स के प्रकार, अपर लिम्ब प्रिस्क्रिप्शन और मोबिलिटी एड्स का निर्णय सर्विस प्रोस्थेटिक सर्जन द्वारा

किया जाएगा जहां /ऑर्थोपेडिक सर्जन/सर्जन उपलब्ध हैं।

देय दरें/शुल्क

10. **घटक लागत:** प्रत्येक घटक के सूची मूल्य पर 30% की छूट देय होगी। हालांकि कृत्रिम केंद्रों को अपने बिल सूची मूल्य, छूट और अंतिम मूल्य में प्रमाणित करना होगा। बिल में यह कहते हुए फॉल क्लॉज भी शामिल होना चाहिए कि वस्तुओं पर ALC, पुणे/ ALSC को आपूर्ति की गई दरों से अधिक शुल्क नहीं लिया गया है। रियायती मूल्य पर लागू सेवा कर/ GST की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

11. नए अंग/प्रारंभिक फिटिंग के लिए मेकिंग चार्ज: DGAFFMS द्वारा निर्दिष्ट और नीचे दिए गए अनुसार मेकिंग चार्ज ओटोबॉक और एंडोलाइट प्रोस्थेटिक केंद्रों पर लागू होंगे। घटक लागत का भुगतान ईसीएचएस (ECHS) द्वारा उपरोक्त पैरा में दरों पर किया जाएगा।

क्रमांक	मद	शुल्क
1	हिप प्रोस्थेसिस के माध्यम से	14530
2	घुटने के कृत्रिम अंग के माध्यम से	14850
3	पेडिलिन के साथ घुटने के कृत्रिम अंग के माध्यम से	15530
4	घुटने के प्रोस्थेसिस के ऊपर	14850
5	स्प्रिंग लाइट प्रोस्थेसिस	3500
6	BE प्रोस्थेसिस	1790
7	AE प्रोस्थेसिस	5020

12. **रिपेयर शुल्क**। रिपेयर शुल्क का भुगतान RMSAF 2010 के अनुसार वास्तविक रूप से उपयोग की गई सामग्री की घटक लागत के अतिरिक्त किया जाएगा। घटक लागत का भुगतान ईसीएचएस (ECHS) द्वारा उपरोक्त पैरा में दी गई दरों पर किया जाएगा। हालांकि, कुल मरम्मत बिल केंद्र/ OEM द्वारा निर्मित समान विनिर्देशों के एक नए अंग की कुल लागत के 50% से अधिक नहीं होगा। उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार मरम्मत की लागत 50% से अधिक के लिए दूसरे जारी करने / अंग के नवीनीकरण के लिए संसाधित करना होगा।

13. प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए ओटोबॉक और एंडोलाइट के सभी बिलों को CO ईसीएचएस (ECHS) के CFA स्तर पर संसाधित किया जाएगा।

14. ये निर्देश और दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी। भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 24(08)/03/ US(WE)/ D(Res) dt 19 Dec 13 के पैरा 9(e) के प्रावधान प्रभावी बने रहेंगे। यह पत्र भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22B (01)/2016-WE/ D(Res) भाग- II dt 03 Nov 16 द्वारा अधिकार प्राप्त सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(आईवीएस गहलोत)

कर्नल

MD ईसीएचएस (ECHS) के लिए डायरेक्टर (चिकित्सा)

संलग्नक:

अनुलग्नक: प्रिस्क्रिप्शन दिशानिर्देश

परिशिष्ट: समझौता जापन के परिशिष्ट 2 के लिए प्रारूप

की जानकारी के लिए कॉपी:

DOESW, MOD

DGAFMS-DG-3A, M ब्लॉक

DGMS (सेना)/DGMS-5(B), L ब्लॉक

DGMS (नौसेना)/डायरेक्टर ईसीएचएस (ECHS) (नौसेना)

DGMS (वायु सेना) (Med-7)

की कार्रवाई के लिए कॉपी:

(_____)

सभी क्षेत्रीय केंद्र

कृपया अनुरोध रसीद की पुष्टि करें और PCDAs और CDAs की जानकारी के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें

CGDA कार्यालय

दिल्ली कैंट -10

UTI-ITSL

बैंगलौर

COईसीएचएस (ECHS) CFA स्तर पर एंडोलाइट और ओटोबॉक के सभी बिलों की जानकारी और प्रसंस्करण के लिए

ओटो बॉक हेल्थकेयर इंडिया Pvt Ltd

भारत सरकार के 03 Nov 16 के पत्र की प्रति के साथ अनुरोध पर जल्द से जल्द MoA पर हस्ताक्षर करें

20वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स,

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

एंडोलाइट इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार के 03 Nov 16 के पत्र की प्रति के साथ अनुरोध पर जल्द से जल्द MoA पर हस्ताक्षर करें

A4 नारायणा औद्योगिक क्षेत्र,

चरण 1, नई दिल्ली 110028

आंतरिक

संचालन और समन्वयक, P &FC, दावा सुरक्षा

ईसीएचएस (ECHS) वेबसाइट पर उक्त पत्र को अपलोड करने के लिए आंकड़े और स्वचालन अनुभाग

लोअर लिंब प्रोस्थेटिक प्रिस्क्रिप्शन दिशानिर्देश

1. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विभिन्न निचले अंगों के विच्छिन्नों के लिए प्रोस्थेटिक्स के नुस्खे को परिभाषित करना है ताकि रोगियों और राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए घटकों का तर्कसंगत और वैज्ञानिक उपयोग किया जा सके। ये दिशानिर्देश ALC, पुणे के नुस्खे मानदंडों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. प्रत्येक नुस्खे घटकों का एक विशिष्ट संयोजन है, जो निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर रोगी के लिए व्यक्तिगत है।

(a) **क्लीनिकल पहलू** - विच्छेदन का स्तर, स्टंप की लंबाई, स्टंप की स्थिति, घाव / साइनस यदि कोई हो, त्वचा के आवरण की कोमलता, निविदा निशान, हड्डी की प्रमुखता, न्यूरोमा यदि कोई हो, गति सीमा और समीपस्थ जोड़ों की ताकत, रोगी का वजन, ऊपरी अंग नियंत्रण (कृत्रिम अंग को सुरक्षित रूप से, स्वतंत्र रूप से और आसानी से दान करने के लिए), अनुभूति (प्रोस्थेटिक्स के सुरक्षित उपयोग को समझने की क्षमता), विपरीत अंग की स्थिति, और सह-रुग्णताएं।

(b) **प्रत्याशित/महत्वाकांक्षी गतिविधियां और प्रेरणा** - पिछली गतिविधि की स्थिति का आकलन करने के लिए। हालांकि संभव है, पहले गतिहीन व्यक्ति के विच्छेदन के बाद उच्च गतिविधि करने की संभावना कम होती है, उच्च गतिविधि कृत्रिम अंग के लाभों को प्राप्त करने और उपयोग करने की संभावना कम होती है।

(c) **व्यवसाय** - घर के अंदर / बाहर नौकरी, चलने / खड़े होने की सीमा / अवधि।

(d) **काम का प्रत्याशित वातावरण** - एक किसान को कम से कम एक एक्सोस्केलेटल प्रोस्थेटिस की आवश्यकता होने की अधिक संभावना होती है।

(e) **समग्र गतिविधि स्तर** - स्तर 0 - 4 के रूप में मूल्यांकन किया गया।

स्तर 0. गैर-उपयोगकर्ता - ऐसे व्यक्ति जिनके पास लकवा, कई अंगों की हानि, गंभीर संकुचन आदि जैसे कृत्रिम अंग की सहायता से चलने की क्षमता नहीं है। केवल कृत्रिम अंग का उपयोग कॉस्मेटिक उद्देश्यों / स्थानान्तरण के लिए कर सकते हैं।

स्तर 1. इनडोर उपयोगकर्ता - गतिशीलता वाले व्यक्ति घर के अंदर सीमित होते हैं, कम अवधि और दूरी के लिए सपाट सतहों पर चलते हैं। अंगों की कमजोरी, कई अंगों की हानि, हृदय रोग या अन्य सह-रुग्णताओं के कारण सीमाएं हो सकती हैं।

स्तर 2. सीमित बाहरी उपयोगकर्ता - कम बाधाओं पर कार्य करते हुए, बाहर सीमित गतिशीलता। पैदल दूरी और सीमित अवधि। कार्डियोवैस्कुलर या अन्य सह-रुग्णताओं के कारण सीमाएं हो सकती हैं।

स्तर 3. अप्रतिबंधित बाहरी उपयोगकर्ता - सामान्य दिन-प्रतिदिन कार्य संबंधी गतिविधि, विभिन्न शहरी इलाकों में बातचीत करना, विभिन्न गति के साथ चलना। अप्रतिबंधित अवधि / दूरी। लेकिन कठोर उपयोग नहीं।

स्तर 4. सामान्य / अप्रतिबंधित बाहरी उपयोगकर्ता - व्यक्ति की कठोर मांगें होती हैं / उच्च कार्यात्मक गतिविधि होती है या तो पेशेवर या मनोरंजक। अवकाश/मनोरंजक खेल/फिटनेस गतिविधि करता है।

स्तर 4S (खेल)। प्रतिस्पर्धी खेल गतिविधि के लिए खेल विशिष्ट प्रोस्थेटिक्स की आवश्यकता होती है -

व्यक्ति की उच्च कार्यात्मक गतिविधि या तो मनोरंजक या प्रतिस्पर्धी होती है। गतिविधि के लिए विशिष्ट एक या अधिक घटकों की आवश्यकता है।

3. निर्धारित किए जाने वाले कृत्रिम अंग के प्रकार।

(a) मिडटार्सल, TNCC (कैल्केनियम, टैलस बरकरार रखा गया) सहित चॉपार्ट विच्छेदन

स्तर	फूट
स्तर 0	शून्य/सर्जिकल सैंडल
स्तर 1	फिलिंग के साथ सर्जिकल बूट
लेवल 2	आंशिक पैर कृत्रिम अंग
स्तर 3	चॉपार्ट कार्बन फुट प्लेट / ओटोबॉक स्प्रिंगलाइट चोपर्ट फुट
स्तर 4	चॉपार्ट कार्बन फुट प्लेट / ओटोबॉक स्प्रिंगलाइट चोपर्ट फुट
स्तर 4S	चॉपार्ट कार्बन फुट प्लेट / ओटोबॉक स्प्रिंगलाइट चोपर्ट फुट

(b) मानक, पिरिगोफ (ऊर्ध्वाधर ट्रांसकैलकेनियल) और बॉयड (क्षैतिज ट्रांसकैलकेनियल) सहित साइम का विच्छेदन

स्तर	फूट
स्तर 0	एलिफेंट बूट/सर्जिकल सैंडल
स्तर 1	एलिफेंट बूट
लेवल 2	कार्बन लाइट फुट
स्तर 3	चॉपार्ट फुट प्रोटेक्टेड/प्रोसीम्स फुट
स्तर 4	चॉपार्ट कार्बन फुट प्लेट/प्रोसीम्स फुट
स्तर 4S	चॉपार्ट कार्बन फुट प्लेट/प्रोसीम्स फुट (एक श्रेणी उच्च चुनें)

(c) ट्रान्सटिबियल विच्छेदन

स्तर	फूट
स्तर 0	रैंजर/ SACH Plus
स्तर 1	रैंजर /1M10 एडजस्ट
लेवल 2	नेविगेटर/1C10 Terion
स्तर 3	एस्पिरिट/ ट्रायस
स्तर 4	एलीट / 1C64
स्तर 4S	ब्लेड XT/C-स्प्रिंट

(d) ट्रांसफेमोरल विच्छेदन

स्तर	घुटने का जोड़	फुट
स्तर 0	4S41/3R17	रैंजर/ SACH Plus
स्तर 1	नीड्स लॉक-4S41/3R17 नीड्स स्टेबिलिटी - 4S41/ 3R20	रैंजर / 1M10 Adjust
लेवल 2	नीड्स लॉक - 4S3S/3R17 नीड्स स्टेबिलिटी - 4S3S/3R78	नेविगेटर/1C10 Terion

स्तर 3	EMS500/3R106	एस्पिरिट/ ट्रियास
स्तर 4	मर्करी हायर एक्टिविटी / 3R80	एलीट / 1C64
स्तर 4S	मर्करी हायर एक्टिविटी / 3S80	ब्लेड XT/ C-स्प्रिंट

(e) घुटने का डिसटिक्चलेशन

सक्रियता स्तर	घुटने का जोड़	फुट
स्तर 0	4S23/3R23	रैंजर/ SACH प्लस
स्तर 1	नीड्स लॉक-4S23/ 3R23 नीड्स स्टेबिलिटी - 4S23/3R21	रैंजर /1M10 एडजस्ट
लेवल 2	नीड्स लॉक - 4S21/EMS200/EMS400/ 3R23 नीड्स स्टेबिलिटी - 4S21/ EMS200/ EMS400/ 3R78KD	नेविगेटर/1C10 टेरियोन
स्तर 3	EMS500/ 3R106KD	एस्पिरिट/ ट्रियास
स्तर 4	KX06/3R80	एलीट / 1C64
स्तर 4S	KX06/3S80	ब्लेड XT/ C-स्प्रिंट

4. ऊपरी अंग कृत्रिम अंग: द्विपक्षीय ऊपरी अंग विच्छेदन के मामले में, बाहरी रूप से संचालित/मायोइलेक्ट्रिक कृत्रिम अंग एक तरफ और शरीर संचालित कृत्रिम अंग/निष्क्रिय कृत्रिम अंग दूसरे पक्ष के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

5. निलंबन:

- PTB सस्पेंशन स्लीव/ स्तर 0-2 ट्रांसटिबियल उपयोगकर्ताओं के लिए पट्टा।
- PTS सस्पेंशन स्लीव / पट्टा जहां अच्छी कंडीलर परिभाषा और उपयुक्त स्टंप लंबाई और बेलनाकार आकार उपलब्ध है
- स्टंप आकार, लंबाई, त्वचा कवर और पर्यावरण के आधार पर स्तर 3/4 उपयोगकर्ताओं के लिए PTS/ PTB / स्पोर्ट लॉकिंग लाइनर
- स्पोर्ट्स प्रोस्थेसिस के लिए सक्रिय वाल्व के साथ पसीना प्रबंधन / गार्जियन ट्रांसटिबियल लाइनर।
- शॉर्ट स्टंप के लिए शटल लॉक के साथ AKDT/ ELDT/ PSDT लाइनर जहां बेहतर सस्पेंशन की आवश्यकता होती है
- AK सक्रिय सॉकेट / TES बेल्ट जहां उपयोगकर्ता के पास अच्छी स्टंप परिभाषा है और सुरक्षित सस्पेंशन की इच्छा है
- AK सस्पेंशन स्लीव अगर स्टंप लंबा है/टीके अच्छी बनी होल्ड के साथ। अन्यथा सॉकेट में घूर्णी अस्थिरता होगी
- ट्रांसफेमोरल मामलों में भी AKDT/ PSDT लाइनर्स का उपयोग किया जा सकता है। ELFR लाइनर्स की आवश्यकता उन उपयोगकर्ताओं के लिए होती है जिन्हें शटल लॉक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि असामान्य त्वचा वाला लंबा स्टंप।

MoA का परिशिष्ट 2 (MoA के पैरा 8 का संदर्भ लें)

दरें

1. MoA में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त प्रोस्थेटिक सेंटर द्वारा प्रोस्थेसिस, ऑर्थोटिक्स और मोबिलिटी एड्स के प्रावधान के लिए सहमत दरें होंगी

- (a) **घटक लागत:** प्रत्येक घटक की सूची मूल्य प्लस सेवा कर/जीएसटी पर 30% की छूट।
 (b) **नए अंग/प्रारंभिक फिटिंग के लिए मेकिंग चार्ज:** घटक लागत के अलावा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	आइटम	चार्ज
1	हिप प्रोस्थेसिस के माध्यम से	14530
2	घुटने के कृत्रिम अंग के माध्यम से	14850
3	पेडिलिन के साथ घुटने के कृत्रिम अंग के माध्यम से	15530
4	घुटने के ऊपर कृत्रिम अंग	14850
5	स्प्रिंग लाइट प्रोस्थेसिस	3500
6	BE प्रोस्थेसिस AE प्रोस्थेसिस	1790
7	हिप प्रोस्थेसिस के माध्यम से	5020

(c) **मरम्मत प्रभार।** वास्तविक रूप से प्रयुक्त सामग्री की घटक लागत के अतिरिक्त। हालांकि, कुल मरम्मत बिल केंद्र/ OEM द्वारा निर्मित समान विनिर्देशों के एक नए अंग की कुल लागत के 50% से अधिक नहीं होगा।

2. **विशेष शर्तें:**

- (a) 50% से अधिक की मरम्मत लागत को दूसरे के जारी करने / अंग के नवीनीकरण के लिए संसाधित करना होगा।
 (b) **बिलिंग:** प्रोस्थेटिक सेंटर अपने बिल सूची मूल्य, छूट और अंतिम मूल्य में प्रमाणित करेंगे। बिल में यह कहते हुए फॉल क्लॉज भी शामिल होना चाहिए कि वस्तुओं पर ALC, पुणे/ ALSCS को आपूर्ति की गई दरों से अधिक शुल्क नहीं लिया गया है। प्रोस्थेटिक सेंटर वेटरन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपेक्षित दस्तावेज जमा करने के लिए बिलिंग पर संबंधित नीति पत्रों का पालन करेंगे।
 (c) यदि कोई वस्तु एएलसी, पुणे को बिल मूल्य से कम कीमत पर आपूर्ति की गई है तो ALC मूल्य देय होगा। यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है तो वह भविष्य के बिलों से वसूली योग्य होगा।
 (d) - घटकों / कृत्रिम अंग के लिए लागू वारंटी संलग्न है।

संख्या A/89591/FP-1/1974 /2006/D(GS-1)

भारतीय सरकार, नई दिल्ली

रक्षा मंत्रालय

दिनांक: 26 जुलाई 2006

सेवा में,

थल सेनाध्यक्ष

थलसेना के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियों को सौंपना

संबंधित अनुसूचियों में, PAC प्रमाण पत्र, हालांकि, सेना मुख्यालय में PSO/APSO /DG /ADG के स्तर पर और कमांड्स में GOC-in-C /कोर कमांडर और मेजर जनरल के पद से नीचे के प्रतिष्ठान/फॉर्मेशन या यूनिट के प्रमुखों द्वारा दिया जाना है। गैर-स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए एकल निविदा आधार पर खरीद के मामले में, अनुसूचियों (अनुसूची XIV के अलावा) में वित्तीय सीमा IFA के परामर्श के बिना प्रति लेनदेन 15,000/- रुपये और परामर्श के साथ 1,20,000/- रुपये होगी।

9. GFR के नियम 145 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक अवसर पर 15.000/- रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) के मूल्य तक के सामान की खरीद कोटेशन या बोलियों को आमंत्रित किए बिना की जा सकती है। 2005.

10. CDA/ IFA के परामर्श से प्रयोग की जाने वाली वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सेना मुख्यालय में अधिकारियों द्वारा IFA के साथ पूर्व परामर्श में और सेवा मुख्यालय के नीचे के अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त PCSDA/CsDA/ CGDA द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों के साथ पूर्व परामर्श में IFAS तक किया जाएगा। कोर कमांडरों और उससे नीचे के स्तर पर कमांड में रखा गया है और वित्तीय सलाह देने के लिए आवश्यक संरचना तैयार की गई है;

11. वित्तीय सलाह/सहमति लिखित रूप में प्रदान की जाएगी और फाइल पर नियमित नोटिंग पर आधारित होगी। हालांकि, अत्यधिक अत्यावश्यकता के मामलों में, जहां समय नियमित फाइलों को चलने की अनुमति नहीं देता है, बैठकों/चर्चाओं में निर्णय लिया जा सकता है जिसके लिए विस्तृत विचार-विमर्श/मिनट दर्ज किए जाएंगे। CFA के अनुमोदन से उचित ब्रीफिंग पेपर IFA / CDA को बैठक/चर्चा से पहले पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे सभी मामलों को

18. विभिन्न अनुसूचियों के प्रावधानों में आगे संशोधन, यदि कोई हो, विषय वस्तु से निपटने वाले रक्षा मंत्रालय के संबंधित प्रशासनिक अनुभागों द्वारा संसाधित किया जाएगा।

19. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके Dy संख्या 4894/ Addl FA (M)dt 18 Jul 2006 द्वारा जारी किया जा रहा है।

आपका आभारी,

(टी राजेश्वरी)

डायरेक्टर

- संलग्न :-**
1. प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश
 2. तैईस अनुसूचियां (पृष्ठ 1 से 76 तक)

के लिए कॉपी :-

CSDA को 20 प्रतियां जिसमें CGDA को देने के लिए स्याही से हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रति शामिल है

DG ADS को 5 प्रतियां

रक्षा सचिव के S.O

सचिव (Def Fin) के PPS

विशेष सचिव (Acq) के PPS

अतिरिक्त सचिव (P)/ अतिरिक्त सचिव (T) के PPS

रक्षा मंत्रालय में सभी संयुक्त सचिव

रक्षा मंत्रालय (वित्त) में सभी अतिरिक्त FAS & JSs

सभी IFAs

सभी मुख्यालय कमांड

सभी PSOs

आवंटित संसाधनों के उचित और नियोजित उपयोग के पूरक के रूप में नियोजन और प्राथमिकताओं की स्थापना। वित्तीय शक्तियों के बढ़े हुए प्रतिनिधिमंडल का संबंधित CFAS के साथ रखे गए बजट आवंटन के साथ जुड़ाव है और यह इसके उपयोग को अनुकूलित करेगा।

बजट प्रबंधन

4. नई वित्तीय प्रबंधन रणनीति के तहत थल सेनाध्यक्ष, सेना के शीर्ष स्तरीय बजट धारक (TLBH) हैं। सेना के राजस्व बजट को TLBH द्वारा सेना मुख्यालय में प्राधिकरण-सह-जवाबदेही केंद्रों (उच्च स्तरीय बजट धारकों) के बीच आवंटित किया जाएगा, अर्थात् DCOAS (IS&T), DCOAS (P&S) AG, QMG, MGO और E-in-C आदि। HLBHs इंटरमीडिएट स्तर के बजट धारकों (ILBH) यानी DGs और ADGS को धन आवंटित करेंगे जो बदले में बजट केंद्रों को धन आवंटित करेंगे। ऐसे केंद्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आवंटित बजट और परिणामों का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाएगा।

बजट केंद्र

5. वर्तमान राजस्व बजट प्रबंधन व्यय और संसाधन इनपुट के केंद्रीकृत नियंत्रण पर जोर देता है। नई वित्तीय प्रबंधन रणनीति की परिणाम-उन्मुख बजटीय प्रणाली के साथ फिट होने के लिए, बजट केंद्र अपने क्षेत्रों में आने वाले व्यय और प्राप्तियों की पूरी श्रृंखला के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी हासिल करेंगे। अपने प्रत्यायोजित अधिकार की सीमा के भीतर, बजट केंद्रों को अपने बजट का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी ताकि उद्देश्यों और लक्ष्यों को सबसे अधिक आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय शक्तियां

6. सरकारी पत्र के साथ संलग्न अनुसूची I से XXIII (सेना) वित्तीय शक्तियों और अन्य निर्देशों/प्रतिबंधों को निर्धारित करती है जिनका पालन CFAs द्वारा उस विशेष उद्देश्य के संदर्भ में किया जाना है जिसके लिए शक्तियां उसमें प्रत्यायोजित हैं।

वित्तीय सलाह

7. एकीकृत वित्तीय सलाहकार TLBH और HLBHs को सेना मुख्यालय और मुख्यालय कमानों में वित्तीय सलाह प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी सलाह/विशेषज्ञता मांगी जानी चाहिए कि:

- (a) उपयुक्त वित्तीय लेखा प्रणाली के साथ-साथ प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं और ठीक से काम कर रही हैं
- (b) इस सख्त समझ पर कि एकमात्र जिम्मेदारी उस पर है, वित्तीय शक्तियां रखने वाला एक अधिकारी एक कर्मचारी अधिकारी को उसकी ओर से संचार और वित्तीय प्रकृति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकता है, बशर्ते उस अधिकारी का नाम जो हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाता है और कई अधिकारियों को शक्तियों की पूरी

सीमा के लिए समवर्ती प्राधिकरण नहीं बनाया जाता है। ऐसे मामलों में, स्वयं वित्तीय शक्ति रखने वाले अधिकारी के लिए प्रत्येक मद के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संचार और वित्तीय दस्तावेजों को मंजूरी देना और हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा।

(c) जब वित्तीय शक्तियों वाला कोई अधिकारी छुट्टी पर अनुपस्थित रहता है और उसके स्थान पर औपचारिक रूप से किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है, तो वित्तीय जिम्मेदारी वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी पर होगी जो कुछ समय के लिए अनुपस्थित की पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इन मामलों में अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर, हालांकि, यह इंगित करता है कि वह ".....के लिए को अनुपस्थिति" पर हस्ताक्षर करता है।

(d) जब वित्तीय अधिकार रखने वाला कोई अधिकारी अस्थायी इयूटी या दौरे पर अनुपस्थित रहता है, तो वह अपनी ओर से किसी अन्य अधिकारी को लिखित रूप में पत्रों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे सकता है। एक लेखा परीक्षा अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी के हस्ताक्षर को यह मानते हुए स्वीकार करेगा कि आदेशों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, बशर्ते कि हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी "..... टूर/अस्थायी इयूटी" के लिए अनुपस्थिति " पर हस्ताक्षर करता है।

(e) जब वित्तीय शक्तियों वाले एक अधिकारी को तैनात किया गया है और उसके स्थान पर औपचारिक रूप से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, तो वित्तीय जिम्मेदारी वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी पर होगी जो इस समय नियुक्ति की पूरी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

12. **मौद्रिक सीमाएं।** मौद्रिक सीमा, जो प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई है, प्रत्येक अलग मंजूरी तक फैली हुई है। हर मामले में मानदंड एक उपाय की कुल लागत है और कोई भी उपाय जिसके लिए उच्च प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है, उसे किशतों में निचले प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(d) **मूल्य विश्लेषण।** कुछ मामलों में, PAC आइटम OEM की तुलना में वितरकों, स्टॉकिस्टों और व्यापार से सस्ते में खरीदे जा सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में पूर्व को वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में OEM से आवश्यक प्राधिकरण/प्रमाणन दिखाने के लिए कहा जा सकता है।

16. **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विकसित मदें।** जब रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों / OFB ने विशेष रूप से रक्षा विभाग के लिए एक वस्तु विकसित की है या TOT लिया है, तो ऐसे स्रोतों को PAC फर्मों के बराबर माना जा सकता है। हालांकि, यह प्रावधान समीक्षा/पैमाने पर आधारित खरीद पर लागू नहीं होगा।

17. **दर अनुबंध।** दर अनुबंधों का समापन CFAs द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें इस संबंध में सेना के भीतर आवर्ती आधार पर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए या DPM के अध्याय विल के प्रावधानों के अनुसार तीन सेवाओं के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

18. **अनुबंध के बाद प्रबंधन।** अनुबंध के बाद प्रबंधन एक उपेक्षित क्षेत्र है और संबंधित IFA के परामर्श से सावधानी से किया जाना चाहिए। विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है:

- (a) वितरण का विस्तार, अवधि।
- (b) LC एक्सटेंशन।
- (c) परिसमापन नुकसान की छूट।

19. **इन्वेंटरी होल्डिंग।** सेना के स्टॉक होल्डिंग की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए। सेना के स्वचालन

कार्यक्रम उदा। CACP को इस उद्देश्य के लिए सभी इन्वेंट्री होल्डिंग/आयुध भंडार डिपो को आपस में जोड़ने के लिए तत्काल चालू किया जाना चाहिए।

SOP जारी करना

20. **शत्रुता के दौरान शक्तियाँ युद्ध/विशेष अभियान।** IFAs के परामर्श के बिना युद्ध, शत्रुता और विशेष अभियानों के दौरान अभ्यास के लिए सेना के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ केवल ऐसी स्थिति की घोषणा करने वाले सरकारी आदेश या सेना द्वारा एक विशेष अभियान का आदेश देने पर ही लागू होंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस उद्देश्य के लिए धन की कुल सीमा का संकेत दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से स्थापित की जाने वाली फास्ट ट्रैक प्रक्रिया (FTP) के माध्यम से ऐसी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टोर/उपकरणों की खरीद के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश विकसित किए जाएंगे।

(a) **प्राथमिकता खरीद योजना।** वित्त वर्ष के दौरान आगे की देनदारियों और नई योजनाओं को इंगित करने के लिए केंद्रीय खरीद के सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक स्पष्ट राजस्व प्राथमिकता खरीद योजना तैयार की जाएगी, जो कि सेवाओं की प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत और MoD शक्तियों के तहत अलग से स्वीकृत होने का संकेत देती है। सेना के CFAs की प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत योजनाओं की प्रगति और रक्षा मंत्रालय की शक्तियों के तहत निष्पादित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति पर MoD द्वारा अलग से निगरानी की जाएगी ताकि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त परिणामों को देखा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, सेना मुख्यालय को प्राथमिकता वाली खरीद योजना की प्रगति और राजस्व बजट के प्रगतिशील उपयोग पर रक्षा मंत्रालय को मासिक रिटर्न जमा करना है। सेना मुख्यालय को ऐसी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी के लिए राजस्व शीर्ष के तहत सभी प्रमुख योजनाओं के लिए एक PERT चार्ट तैयार करना है।

(b) **राजस्व और पूंजी योजनाओं के बीच लिंक।** DPB को अधिमानतः राजस्व पक्ष पर सेना की प्राथमिकता खरीद योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि ये पूंजीगत उपकरण के लिए वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं के साथ विधिवत सामंजस्य स्थापित कर सकें और रखरखाव की आवश्यकताओं को हमारी बजट प्रक्रिया में विधिवत रूप से शामिल किया जा सके।

(c) **जवाबदेही।** बजट को एक दक्षता संकेतक होना चाहिए और बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों को उपकरण/मशीनरी/प्लेटफॉर्म/हथियार प्रणाली की सेवाक्षमता और रखरखाव के मामले में उच्च दक्षता स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदर्शन की समीक्षा के लिए CFA के लिए एक व्यापक डेटा बेस तैयार किया जाएगा।

(d) **आंतरिक क्षमता का उपयोग।** आयुध कारखानों, सेना आधार कार्यशालाओं और अग्रिम आधार कार्यशालाओं की आंतरिक क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।

(e) **पूंजी।**

(i) पूंजी खरीद के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DPP 2005 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना है। DPP प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न चरण अनुमोदन प्रदान करने के

लिए सक्षम प्राधिकारी और CNCs की संरचना MoD की मंजूरी के साथ सेना मुख्यालय द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

(ii) सेना मुख्यालय को विभिन्न पूंजीगत योजनाओं की प्रगति पर DG अधिग्रहण को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

(a) **प्राथमिकता खरीद योजना।** वित्त वर्ष के दौरान आगे की देनदारियों और नई योजनाओं को इंगित करने के लिए केंद्रीय खरीद के सभी प्रमुख क्षेत्रों में एक स्पष्ट राजस्व प्राथमिकता खरीद योजना तैयार की जाएगी, जो कि सेवाओं की प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत और MoD शक्तियों के तहत अलग से स्वीकृत होने का संकेत देती है। सेना के CFAs की प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत योजनाओं की प्रगति और रक्षा मंत्रालय की शक्तियों के तहत निष्पादित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति पर MoD द्वारा अलग से निगरानी की जाएगी ताकि निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त परिणामों को देखा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, सेना मुख्यालय को प्राथमिकता वाली खरीद योजना की प्रगति और राजस्व बजट के प्रगतिशील उपयोग पर रक्षा मंत्रालय को मासिक रिटर्न जमा करना है। सेना मुख्यालय को ऐसी योजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी के लिए राजस्व शीर्ष के तहत सभी प्रमुख योजनाओं के लिए एक PERT चार्ट तैयार करना है।

(b) **राजस्व और पूंजी योजनाओं के बीच लिंक।** DPB को अधिमानतः राजस्व पक्ष पर सेना की प्राथमिकता खरीद योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि ये पूंजीगत उपकरण के लिए वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं के साथ विधिवत सामंजस्य स्थापित कर सकें और रखरखाव की आवश्यकताओं को हमारी बजट प्रक्रिया में विधिवत रूप से शामिल किया जा सके।

(c) **जवाबदेही।** बजट को एक दक्षता संकेतक होना चाहिए और बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों को उपकरण/मशीनरी/प्लेटफॉर्म/हथियार प्रणाली की सेवाक्षमता और रखरखाव के मामले में उच्च दक्षता स्तर सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदर्शन की समीक्षा के लिए CFA के लिए एक व्यापक डेटा बेस तैयार किया जाएगा।

(d) **आंतरिक क्षमता का उपयोग।** आयुध कारखानों, सेना आधार कार्यशालाओं और अग्रिम आधार कार्यशालाओं की आंतरिक क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।

(e) **पूंजी।**

(i) पूंजी खरीद के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DPP 2005 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना है। DPP प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न चरण अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और CNCs की संरचना MoD की मंजूरी के साथ सेना मुख्यालय द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

(ii) सेना मुख्यालय को विभिन्न पूंजीगत योजनाओं की प्रगति पर DG अधिग्रहण को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

संख्या 22(28)/05/US(WE)/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

विभाग भूतपूर्व सैनिक कल्याण का

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 2005

थल सेनाध्यक्ष

नौसेनाध्यक्ष

वायु सेनाध्यक्ष

शुद्धिपत्र

महोदय,

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(RES) dt 30 Dec 2002 के संदर्भ में, मुझे उपरोक्त पत्र के परिशिष्ट 'B' और परिशिष्ट 'C' में निम्नलिखित संशोधनों के लिए सरकार की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से देने का निर्देश हुआ है।

परिशिष्ट B				
हटाएं				
क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप A				
1.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	A	1
2.	दिल्ली	दिल्ली	A	11
टाइप B				
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (सिकंदराबाद)	B	16
टाइप D				
4.	असम	मासीमपुर (सिलचर)	D	2
5.	कर्नाटक	बैंगलोर (ग्रामीण)	D	17
6.	मध्य प्रदेश	इंदौर (महू)	D	20
7.	पश्चिम बंगाल	बेंगदुबी (जलपाईगुड़ी)	D	52
8.	असम	कामरूप (गुवाहाटी)	D	55
परिशिष्ट B				
जोड़ें				
टाइप A				
1.	हिमाचल प्रदेश	योल	A	1
2.	दिल्ली	दिल्ली कैंट	A	11
टाइप B				
3.	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	B	16
टाइप D				
4.	असम	मासीमपुर	D	1

5.	कर्नाटक	येलहंका (बेंगलोर)	D	17
6.	मध्य प्रदेश	महू	D	20
7.	पश्चिम बंगाल	बेंगदुबी	D	52
8.	असम	गुवाहाटी	D	55

परिशिष्ट C**हटाएं**

क्रमांक	राज्य	स्टेशन	टाइप	क्रमांक
टाइप A				
1.	दिल्ली	दिल्ली	A	9
टाइप B				
2.	बिहार	भोजपुर	B	1
टाइप C				
3.	कर्नाटक	कोडागू	C	16
4.	पंजाब	फतेहगढ़	C	24
टाइप D				
5.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	D	1
6.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	D	2
7.	झारखंड	सिंहभूमि	D	6
8.	ओडिशा	गंजम	D	26
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात	D	45

परिशिष्ट C**जोड़ें**

टाइप A				
1.	दिल्ली	नई दिल्ली (लोधी रोड)	A	9
टाइप B				
2.	बिहार	आरा	B	1
टाइप C				
3.	कर्नाटक	मडेकेरि	C	16
4.	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	C	24
टाइप D				
5.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	D	1
6.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	D	2
7.	झारखंड	जमशेदपुर	D	6
8.	ओडिशा	बेरहामपुर	D	26
9.	उत्तर प्रदेश	अकबरपुर माटी (कानपुर)	D	45

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि पॉलीक्लिनिक के नाम में उपरोक्त परिवर्तन से राज्य को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के परिशिष्ट 'B' और 'C' में उपरोक्त परिवर्तन, संदर्भ के तहत रक्षा मंत्रालय के पत्र में केवल मौजूदा स्वीकृत पॉलीक्लिनिक के नाम में परिवर्तन शामिल है और इसमें पॉलीक्लिनिक की

स्थिति में कोई बदलाव शामिल नहीं है, और योजना की मूल रूप से स्वीकृत संरचना में कोई बदलाव भी शामिल नहीं है।

4. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति से उनके U.O. संख्या 946/PD/05 2121.09.2005 के तहत जारी किया जाता है।

(वीके जैन)

अवर सचिव, भारत सरकार

के लिए कॉपी:

1. CGDA, नई दिल्ली
2. रक्षा सचिव के SO
3. FA(DS) के FPS
4. AS(अधिग्रहण) के FPS
5. AS(T) के FPS / A5(i) के FPS
6. अतिरिक्त FA(S)/ अतिरिक्त FA(V)
7. JS(ESW)
8. JS(O/N)
9. डायरेक्टर (वित्त/AG)
10. रक्षा (वित्त /AG/PD)
11. DFA(B)/DFA(N)/DFA (वायु सेना)
12. AFA(B- i)
13. D(कार्य)/D(Mov)/D(Med)
14. O&M इकाई

28. सभी कमान मुख्यालय
29. AG शाखा/CW-3
30. नौसेना मुख्यालय (PS Dte)
31. वायुसेना मुख्यालय (PS&R)

के लिए स्याही में हस्ताक्षरित कॉपी:

के लिए भी:

15. DGAFMS
16. DGDE, नई दिल्ली
17. DOD C&W
18. QMG
19. DGMS
20. DGMS(वायु)
21. DGMS (नौसेना)
22. AOA
23. COP
24. MD केंद्रीय संगठन ईसीएचएस (ECHS)
25. ADG C&W
26. DG(कार्य), E-in-C शाखा
27. ADG(FP)

32. CDA(सेना), बैलौर
33. CDA(WC), चंडीगढ़
34. CDA(सेना), पटना
35. CDA(SC), पुणे
36. CDA(सेना), मेरठ
37. CDA(NC), जम्मू
38. CDA (अधिकारी), पुणे
39. CDA(नौसेना), बोम्बे
40. CDA(AF), देहरादून
41. CDA(सेना) जबलपुर
42. CDA(सेना), सिंकंदराबाद
43. CDA(सेना), लखनऊ
44. CDA(सेना), चेन्नई
45. CDA(HQ EC), कलकत्ता
46. CDA(AF), दिल्ली
47. CDA(सेना), गुवाहटी
48. CDA(सेना), पुणे
49. CDA(सेना), बोम्बे
50. CDA(सेना), देहरादून

संख्या 12034/02/2014/Misc/-CGHS D.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

CGHS(P)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 22 जुलाई 2014

कार्यालय जापन

विषय: CGHS/CS(MA) नियमों के लाभार्थियों को कार्डिएक पेसमेकर, AICD, कॉम्बो-डिवाइस, रोटोब्लेटर और एओर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए उच्चतम दरें।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय जापन संख्या S-11011/7/95-CGHS(P) dt 12/6/1996 और 26-164/98-R&H/CGHS/CGHS(P) dt 22/11/1999 जिसके तहत विभिन्न प्रकार के पेसमेकर, रोटोब्लेटर और AICD के लिए अधिकतम दरें और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे) और यह बताने के लिए कि कोरोनरी स्टेंट के लिए अधिकतम दरों को समय-समय पर अलग से संशोधित किया गया है, इसके लिए दरों और दिशानिर्देशों को अलग से संशोधित किया गया है। पेसमेकर, रोटोब्लेटर और AICD को संशोधित नहीं किया गया था। मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की गई है और इन उपकरणों के लिए अधिकतम दरों (सभी करों सहित) को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

1	दर प्रतिक्रिया के बिना सिंगल चैंबर कार्डिएक पेसमेकर -	रु.34,840/-
2	दर प्रतिक्रिया के साथ सिंगल चैंबर कार्डिएक पेसमेकर	रु.44,928/-
3	डुअल चैंबर कार्डिएक पेसमेकर	रु.83,200/-
4	बाई -वैट्रिकुलर पेसमेकर (CRT-P)	रु.1,95,000/-
5	इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर (सिंगल चैंबर) (ICD/AICD- सिंगल चैंबर)	रु.1,75,786/-
6	इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर (डुअल चैंबर) (ICD/AICD- डुअल चैंबर)	रु.3,75,000/-
7	कॉम्बो डिवाइस (CRT-D)	रु.4,90,000/-
8	ऑर्टिक स्टेंट ग्राफ्ट (विस्तार योग्य, द्विभाजित और वितरण प्रणाली सहित)	रु.4,40,960/-
9	एडवांसर के साथ रोटोब्लेटर	रु.49,920/-
10	रोटोब्लेटर बुरु	रु.23,920/-

2. उपर्युक्त प्रत्यारोपण के लिए अनुमति सरकार की सलाह के आधार पर दी जाएगी। पेंशनभोगियों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व उपाध्यक्षों, पूर्व सांसदों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के मामले में CMO प्रभारी / अतिरिक्त डायरेक्टर संयुक्त डायरेक्टर, CGHS द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ, राज्य सभा / लोकसभा सचिवालय द्वारा जैसा भी मामला हो सरकारी कर्मचारियों, सेवारत कर्मचारियों और CGHS के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकायों के पेंशनभोगियों के मामले में मौजूदा संसद सदस्य और संबंधित मंत्रालय विभाग संगठन द्वारा। प्रतिपूर्ति अधिकतम दर या वास्तविक दर, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
3. निर्माता द्वारा निर्दिष्ट वारंटी नियम और शर्तें डिवाइस के प्रतिस्थापन के मामले में लागू होंगी।
4. किसी डिवाइस को बदलने के अनुरोध के मामले में, पुराने डिवाइस के विवरण की एक प्रति के साथ-साथ वारंटी के नियमों और शर्तों की एक प्रति सरकारी विशेषज्ञ की सलाह के साथ संलग्न की जाएगी।
5. प्रतिपूर्ति के लिए डिवाइस के बिल के साथ डिवाइस 'आईडी नो स्टिकर' की एक प्रति और वारंटी की शर्तों की एक प्रति संलग्न की जाएगी।
6. आपात स्थिति में किसी भी उपकरण के आरोपण के मामले में, प्रतिपूर्ति डायरेक्टर/संयुक्त डायरेक्टर, शहर के CGHS, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों के परामर्श से, अतिरिक्त द्वारा पूर्व-पोस्ट फैक्टो अनुमोदन के अधीन होगी।
7. ये आदेश इस संबंध में जारी पूर्व दिशा-निर्देशों और उच्चतम दरों के अधिक्रमण में हैं।
8. दूर दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले संशोधन तक, जो भी पहले हो, वैध होंगी।
9. इसे CD संख्या C 756 dt 14/07/2014 के तहत एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(रवि कांत)

अवर सचिव, भारत सरकार

011-23061141

के लिए

1. सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
2. डायरेक्टर, CGHS, निर्माण भवन, नई दिल्ली
3. AD (मुख्यालय), CGHS, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली
4. अतिरिक्त DDG(HQ), CGHS, MOHFW, निर्माण भवन, नई दिल्ली
5. दिल्ली के बाहर CGHS शहरों के सभी अतिरिक्त डायरेक्टर/ जॉइंट डायरेक्टर
6. अतिरिक्त डायरेक्टर (SZ)/ (CZ)/(EZ)/(NZ)/(MSD), MCTC CGHS नई दिल्ली
7. JD (मुख्यालय), / JD (शिकायत) / JD (R&H), CGHS दिल्ली
8. DDG (M)/अतिरिक्त DDG(SRA), Dte GHS, MOHFW, निर्माण भवन, नई दिल्ली
9. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
10. रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
11. U.P.S.C. धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
12. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
13. डायरेक्टर, डाक एवं लोक निर्माण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
14. सचिव (H&FW)/ सचिव (AYUSH) सचिव (HR) / सचिव (एड्स नियंत्रण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के PPS

टेलिफोन: 25684847

ASCON: 6834

फैक्स प्राथमिकता द्वारा
केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)
एडजुटेंट जनरल ब्रांच
सेना मुख्यालय
मौड लाइन
दिल्ली कैंट - 110 010
15 जनवरी 05

8/49784/AG/ईसीएचएस (ECHS)

ओआईसी (OIC) ईसीएचएस (ECHS) के लिए DGMS (नौसेना)

कमरा नंबर-142, 'A' विंग, सेना भवन

अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (N)

नई दिल्ली - 110011

वायु मुख्यालय (VB), नई दिल्ली

मुख्यालय दक्षिणी कमान (A)

मुख्यालय पूर्वी कमान (A)

मुख्यालय पश्चिमी कमान (A)

मुख्यालय मध्य कमान (A)

मुख्यालय उत्तरी कमान (A)

P&FC लेखा नोट- 03/2005

ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता की संशोधित दरें

1. कृपया शुद्धिपत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 01 Apr 2003 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dt 30 Dec 2002 को देखें।
2. भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आधार पर, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या S-11011/6/98 CGHS (P) dt 20 Sep 04, रक्षा मंत्रालय को एक मामला प्रस्तुत किया गया था और उचित स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 01 Apr 2004 से ईसीएचएस (ECHS) की दरें योगदान नीचे दिए गए नए स्लैब के अनुसार होंगी:

मौजूदा स्लैब	नया स्लैब	
पेंशन/पारिवारिक पेंशन (रुपये प्रति माह)	संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन (अनकम्यूटेड बेसिक पेंशन + महंगाई पेंशन) (रुपये प्रति माह)	योगदान (रुपये में)
1500/- तक	3000/- तक	1800/-
रु. 1501 से रु. 3000	रुपये 3001 से 6000 रुपये	4800/-
रु. 3001 से रु. 5000	6001 रुपये से 10000 रुपये	8400/-
रु. 5001 से रु. 7500	10001 रुपये से 15000 रुपये	12000/-
रु. 7501 और अधिक	15001 रुपये और उससे अधिक	18000/-

ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता पेंशनभोगियों/आश्रितों से उनकी अनकम्यूटेड बेसिक पेंशन प्लस महंगाई पेंशन के आधार पर ली जाएगी।

संख्या 22D(03)/2015/WE/D(Res)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली, 17 नवंबर, 2016

सेवा में,

मैनेजिंग डायरेक्टर

केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस (ECHS)

मौड लाइन्स, दिल्ली कैंट...

विषय: ईसीएचएस (ECHS) सदस्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

माननीय AFT चंडीगढ़ क्षेत्रीय खंडपीठ के चंडीमंदिर आदेश दिनांक 19 मार्च, 2015 के O:A. संख्या 2013 के 3980 और ऑर्डर दिनांक 04.04.2016 में 2015 के MA (E) 3653 में JC-50078F पूर्व सूबेदार भगत सिंह द्वारा दायर 2013 के OA संख्या 3980 में- 50078F के तहत, मुझे यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 22(1)/01/US(WE)/D(Res) दिनांक 30 Dec, 2002 के पैरा 2 में उल्लिखित पेंशन/दिव्यांगता पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों का अर्थ केवल रक्षा लेखा नियंत्रक से आहरित रक्षा पेंशन है।

2. इसे रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति के साथ उनकी ID No. 33(15)/2015/Fin/Pen dt 15.11.2016 के तहत जारी किया जाता है।

आपका आभारी

(ए.के. कर्ण)

अवर सचिव, भारत सरकार।

टेलीफैक्स: 23014946

1. Addl. Dte Gen APS/APS-ID
2. JS (ESW) के PPS
3. DFA (पेंशन)

संख्या 17(11)/2018/WE/D(Res-1)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

B विंग, कमरा नंबर 221

सेना भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 07 मार्च, 2019

सेवा में,

डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर,

एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम,

केंद्रीय संगठन,

थिमाल्या मार्ग, गोपीनाथ सर्कल,

दिल्ली कैंट

विषय: द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, ईसीओएस (ECOS), एसएससीओएस (SSCOS) और समय से पहले सेवानिवृत्त लोगों को ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं प्रदान करना

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों, (ECOS), शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों (SSCOS) और समय से पहले सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन की प्राप्ति से संबंधित शर्तों को माफ करके ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता प्रदान करने के लिए ईसीएचएस (ECHS) के तहत चिकित्सा प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए ईएसएमएस (ESMS) होने के नाते, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अवगत कराया जाता है।

- (i) उन्हें ईसीएचएस (ECHS) की सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा और ईसीएचएस (ECHS) के नियमों को मानना होगा।
- (ii) ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं केवल उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथी को ही प्रदान की जाएंगी।
- (iii) उन्हें एकमुश्त अंशदान देना होगा और ईसीएचएस (ECHS) के सदस्य बनना होगा। (हालांकि, युद्ध विधवाओं को एकमुश्त ईसीएचएस (ECHS) अंशदान के भुगतान से छूट दी जाएगी)
- (iv) उन्हें अनुशासनात्मक आधार पर कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
- (v) उन्हें सरकार की किसी अन्य संस्थागत स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा
- (vi) उन्हें समय-समय पर संशोधित ईसीएचएस (ECHS) नियमों का पालन करना होगा।
- (vii) WW-II के सैनिकों और ईसीओएस और उनके जीवनसाथी को ईसीएचएस (ECHS) पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज सहित सभी ईसीएचएस (ECHS) सुविधाएं और AFMS अस्पतालों में मुफ्त OPD और IPD उपचार की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि अन्य ईसीएचएस (ECHS) सदस्यों के लिए उपलब्ध है।
- (viii) SSCO और समयपूर्व सेवानिवृत्त निम्नलिखित सुविधाओं के लिए पात्र होंगे:
 - (a) ईसीएचएस (ECHS) पॉलीक्लिनिक्स से मुफ्त OPD सेवाएं
 - (b) उन्हें ईसीएचएस (ECHS) पैनलबद्ध अस्पतालों में OPD/IPD/जांच के लिए भुगतान करना होगा और कुल स्वीकार्य के 75% की दर से प्रतिपूर्ति की मांग करनी होगी।